

Ref. No.: ISC/59/2026-27

Date: 23.05.2026

The Vice President National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex Bandra East, Mumbai - 400 051 NSE Symbol : INDIANB	The Vice President BSE Ltd. 25, P. J. Towers Dalal Street, Mumbai - 400001 BSE Scrip Code - 532814

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Annual Report of the Bank for FY 2025-26

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Annual Report of the Bank for FY 2025-26.

Copy of Annual Report of the Bank is also available on Bank's website at

<https://indianbank.bank.in/wp-content/uploads/2025/05/2025-26.pdf>

This is for your information, record and dissemination please.

Yours faithfully,

For Indian Bank

Dina Nath
Kumar

Digitally signed by
Dina Nath Kumar
Date: 2026.05.23
02:40:46 +05'30'

AGM & Company Secretary

Encl: A/a

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

उत्तरदायित्वपूर्ण
एआई संचालित
मानवीय मूल्यों से
प्रेरित बैंकिंग

Responsible
AI Driven
Human Centered
Banking



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2025-26





“ग्राहक केंद्रित सेवाओं, कर्मचारियों की सहभागिता व सतत विकास के माध्यम से उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।”

“Delivering excellence in financial services through customer focus, employee engagement and sustainable growth”

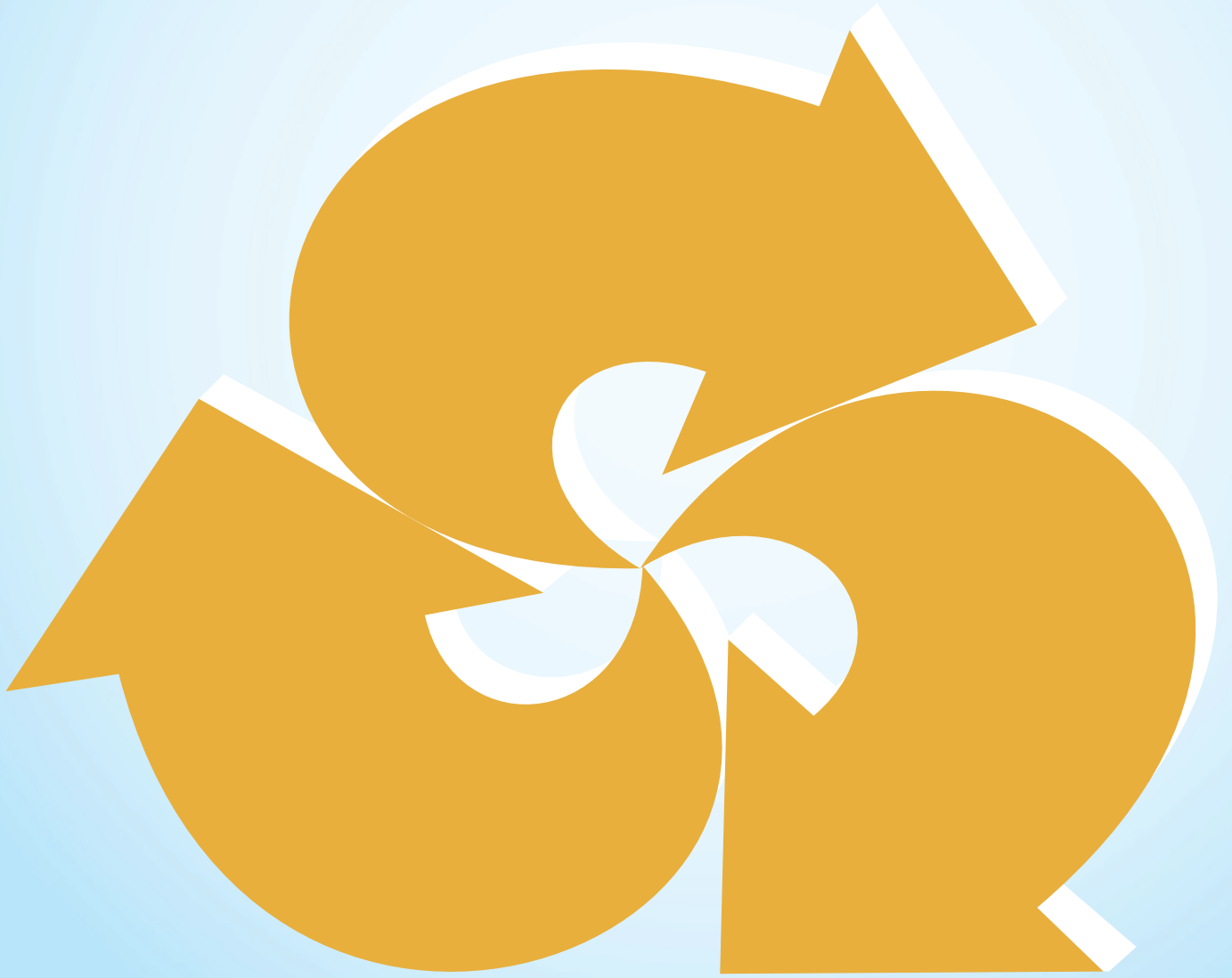


विजन / Vision:



- हमारी सेवाओं में सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी का समावेश करना
- सभी चैनलों के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना
- हितधारकों की आवश्यकताओं एवं हितों का उचित ध्यान रखना
- कर्मचारियों को सशक्त एवं भागीदार बनाना
- Bring the best of innovation and technology in our offerings
- Be responsive to the unique needs of every customer through all channels of choice
- To provide value to stake holders
- Empower and engage our employees

मिशन / Mission:



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री बिनोद कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Binod Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री महेश कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक
(30.06.2025 तक)
Shri Mahesh Kumar Bajaj
Executive Director
(upto 30.06.2025)



श्री आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक
Shri Ashutosh Choudhury
Executive Director



श्री शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Shiv Bajrang Singh
Executive Director



श्री ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Brajesh Kumar Singh
Executive Director



सुश्री मिनी टी एम
कार्यपालक निदेशक
(24.11.2025 से)
Ms. Mini T M
Executive Director
(w.e.f. 24.11.2025)



डॉ. आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(13.05.2026 तक)
Dr. Alok Pande
Government Nominee
Director
(upto 13.05.2026)



श्री समीर कुमार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(13.05.2026 से)
Shri Samir Kumar
Government Nominee
Director
(w.e.f. 13.05.2026)



श्रीमती के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
Smt K Nikhila
RBI Nominee Director



श्री बालमुकुंद सहाय
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(10.04.2026 तक)
Shri Balmukund Sahay
Part-time Non-Official
Director
(upto 10.04.2026)



श्री विश्वेश कुमार गोयल
अंशकालिक गैर-सरकारी
निदेशक
(10.04.2026 तक)
Shri Vishvesh Kumar
Goel
Part-time Non-Official
Director
(upto 10.04.2026)



श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा
शेयरधारक निदेशक
(28.11.2025 तक)
Shri Pradeep Kumar
Malhotra
Shareholder Director
(upto 28.11.2025)



श्री संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक
Shri. Sanjeev Maheshwari
Shareholder Director



श्री भूपिंदर सिंह भल्ला
शेयरधारक निदेशक
(31.12.2025 से)
Shri. Bhupinder Singh
Bhalla
Shareholder Director
(w.e.f. 31.12.2025)



श्री वी. आनंद
Shri V Anand

मुख्य महाप्रबंधक - यथास्थिति 31.03.2026
CHIEF GENERAL MANAGERS AS ON 31.03.2026



श्री सतीश कुमार
Shri Satish Kumar



सुश्री माया नागराजन वी
Ms. Maya Nagarajan V



श्री दीपक सारड़ा
Shri Deepak Sarda



सुश्री वैलरी रथ
Ms. Vallery Rath



श्री सुजय मल्लिक
Shri Sujay Mallik



श्री सुधीर कुमार गुप्ता
Shri Sudhir Kumar Gupta



श्री सुख सागर प्रसाद राय
30.04.2026 को सेवानिवृत्ति
Shri Sukh Sagar Prasad Roy
Superannuated on 30.04.2026



श्री अशोक पटनायक
Shri Ashok Patnaik



श्री रामकुमार दास
Shri Ram Kumar Das



श्री जी राजेश्वर रेड्डी
Shri G Rajeswara Reddy



श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव
Shri Navin Kumar Shrivastava

महाप्रबंधक- यथास्थिति 31.03.2026 General Managers as on 31.03.2026



श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur



श्री बिजय कुमार षड़ंगी
30.04.2026 को सेवानिवृत्ति
Shri Bijay Kumar Sarangi
Superannuated on 30.04.2026



श्री मनोज कुमार दास
Shri Manoj Kumar Das



श्री पंकज त्रिपाठी
Shri Pankaj Tripathi



श्री मुल्लपुडि बालाजी
सुरेश कुमार
Shri Mullapudi Balaji
Suresh Kumar



श्री वेंकटेशन एम
Shri Venkatesan M



श्री दीपक गुप्ता
Shri Deepak Gupta



श्री नरेंद्र कुमार शर्मा
Shri Narendra Kumar
Sharma



श्री राजेश कुमार सिंह
Shri Rajesh Kumar
Singh



श्री हिमांशु कंसल
Shri Himanshu Kansal



श्री चंद्रशेखरन वी
Shri Chandrasekaran V



श्री महेंद्र बाजपेयी
Shri Mahendra Bajpai



श्री अमित चौधरी
Shri Amit Chaudhari



श्री सुनील जैन
Shri Sunil Jain



श्री विस्सा वेंकट रमणा राव
Shri Vissa Venkata
Ramana Rao



श्री राकेश सहगल
Shri Rakesh Sehgal



श्री संदीप कुमार घोषल
Shri Sandeep Kumar Ghosal



सुश्री अरुणा एम
Ms. Aruna M



श्री अजय अग्रवाल
Shri Ajay Agarwal



श्री विनोद कुमार दीक्षित
Shri Vinod Kumar Dixit

नोट: श्री दीपक गुप्ता को दिनांक 01.05.2026 के प्रभाव से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया।
#Note: Shri Deepak Gupta got promoted to Chief General Manager w.e.f. 01.05.2026.

महाप्रबंधक- यथास्थिति 31.03.2026 General Managers as on 31.03.2026



सुश्री बोचला सुधा रानी
Ms. Bochala Sudha Rani



श्री सेंदिल कुमार एस
Shri Senthil Kumar S



श्री शशांक जैन
Shri Shashank Jain



श्री पलनिअप्पन एस
Shri Palaniappan S



श्री विनीत बाजपेयी
Shri Vineet Bajpai



श्री बिनय भूषण दीक्षित
Shri Binaya Bhusan Dikshit



सुश्री फातिमा एस
Ms. Fathima S



डॉ. मल्लाडि वेंकट सुब्बाराव
Dr. Malladi Venkata Subbarao



श्री विवेक
Shri Vivek



श्री अन्बुकामराज पी
Shri Anbukamaraj P



श्री प्राणेश कुमार
Shri Pranesh Kumar



श्री राम स्वरुप सरकार
Shri Ram Swarup Sarkar



सुश्री जयश्री डी
Ms. Jeyashree D



श्री मनीष कुमार
Shri Manish Kumar



सुश्री पद्मावती श्रीकांत
Ms. Padmavathy Srikant



श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar



श्री बिनु जे पिल्लै
Shri Binu J Pillai



श्री सुष्मिता बनर्जी
Shri Sushmit Banerjee



सुश्री ममता कुमारी
Ms. Mamta Kumari



श्री रवि कुमार
Shri Ravi Kumar

बैंक के निगमन से अब तक का संक्षिप्त इतिहास A BRIEF HISTORY OF THE BANK SINCE ITS INCORPORATION

स्व. श्री वी.
कृष्णस्वामी अय्यर
इंडियन बैंक के संस्थापक



Late Shri V.
Krishnaswamy Iyer
Founder of Indian Bank

- बैंक को 5 मार्च, 1907 को ₹20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया और 15 अगस्त, 1907 को बैंक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। - वर्ष 1907 में, इंडियन बैंक लिमिटेड ने 'बरगद' वृक्ष को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया जो चतुर्दिक प्रगति, सर्वत्र विकास और निरंतर वृद्धिशील समृद्धि का द्योतक था।	1907	- Bank was incorporated on March 5, 1907 with an Authorized Capital of ₹20 lakhs and commenced its business on August 15, 1907 - In the year 1907, the Indian Bank Ltd. had the tree 'Banyan' as a part of its emblem denoting an all-around progress, growth (far and wide) and an ever-increasing prosperity
बैंक की पूंजी ₹20 लाख से बढ़कर ₹60 लाख हो गई।	1921	Bank's capital was raised to ₹60 lakhs from ₹20 lakhs
- बैंक ने अपनी रजत जयंती मनाई। - बैंक ने कोलंबो में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली।	1932	- Bank celebrated its Silver Jubilee - Bank opened its first overseas operations in Colombo
सिंगापुर शाखा खोली गई।	1941	Singapore branch was opened
बैंक ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।	1957	Bank celebrated its Golden Jubilee
बैंक ने अपनी हीरक जयंती मनाई।	1967	Bank celebrated its Diamond Jubilee

एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित तीन वृत्ताकार तीरों के साथ बैंक के लोगो को स्वीकृति मिली।	1978	Bank's logo comprising of three circling arrows arranged around a central point was approved
बैंक ने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई।	1982	Bank celebrated its Platinum Jubilee
बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड (बीओटी) को 157 शाखाओं के साथ बैंक में समामेलित किया गया।	1990	Bank of Thanjavur Ltd. (BoT) with 157 branches was amalgamated with the Bank
महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम द्वारा 4 सितंबर को शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया।	2006	The centenary year celebration was inaugurated by His Excellency the President of India Shri. A P J Abdul Kalam on 4th September
बैंक ने फरवरी, 2007 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया।	2007	Bank went in for Initial Public Offer in February, 2007
100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) का अनुपालन किया गया।	2008	Achieved 100 per cent Core Banking Solutions (CBS) compliant
- इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्राम बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रायोजित पांडियन ग्राम बैंक के सफल समामेलन के बाद 1 अप्रैल, 2019 को 'तमिलनाडु ग्राम बैंक' का परिचालन आरंभ हुआ। भारत सरकार द्वारा 155 वर्षों की विरासत वाले इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन किए जाने की घोषणा की गई।	2019	'Tamil Nadu Grama Bank' commenced its operations on 1st April 2019 after a successful amalgamation of Pandyan Grama Bank of Indian Overseas Bank with Bank's Pallavan Grama Bank Government of India announced Amalgamation of Allahabad Bank - a bank with 155 years legacy into Indian Bank
बैंक ने 1 अप्रैल, 2020 से समामेलित इकाई के रूप में परिचालन आरंभ किया। दोनों बैंकों के सीबीएस प्रणाली का एकीकरण 14.02.2021 को पूरा किया गया।	2020	Bank commenced its operation as an amalgamated entity from 1st April 2020. The integration of CBS systems of both the Banks was completed on 14.02.2021.
बैंक का वैश्विक कारोबार ₹10 लाख करोड़ से अधिक रहा।	2022	Bank's Global Business surpassed ₹ 10 lakh Crore
बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 12 लाख करोड़ से अधिक रहा।	2024	Bank's Global Business surpassed ₹ 12 lakh Crore
बैंक का वैश्विक कारोबार ₹13 लाख करोड़ से अधिक रहा; बैंक का निवल लाभ पहली बार ₹10,000 करोड़ के पार पहुँचा।	2025	Bank's Global Business transcended ₹ 13 lakh Crore; Net Profit surpassed ₹10,000 Cr for the first time.
बैंक का वैश्विक कारोबार ₹ 14.95 लाख करोड़ रहा।	2026	Bank's Global Business reached ₹14.95 lakh Crore

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	1
निदेशकों की रिपोर्ट	13
प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	17
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट	57
कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	59
कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	98
सीईओ एवं सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	99
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट	100
एकल वित्तीय विवरण	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	110
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	122
• लेखा टिप्पणियाँ	141
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	195
समेकित वित्तीय विवरण:	
• तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	206
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	218
• लेखा टिप्पणियाँ	240
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	267
बेसल III प्रकटीकरण	274

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
254-260 अट्टावे षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै - 600 014
दूरभाष सं.: 044 2813 4484 / 4698
ई-मेल: investors@indianbank.bank.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिट: इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
दूरभाष सं.: 044 2846 0718
ई-मेल: investor@cameoindia.com

लेखापरीक्षक

मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

मेसर्स अरुण के अग्रवाल एण्ड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार

सचिवालयीन लेखा परीक्षक
मेसर्स षण्मुगम राजेन्द्रन एवं एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव

Annual Report 2025-26

CONTENTS

	Page No.
MD & CEO's Message	01
Directors' Report	277
Management Discussion and Analysis	280
Business Responsibility & Sustainability Report	317
Report on Corporate Governance	318
Auditors' Certificate on Corporate Governance	355
Compliance Certificate by CEO and CFO	356
Secretarial Audit Report	357
Standalone Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	366
• Significant Accounting Policies	376
• Notes on Accounts	396
• Auditors' Report	451
Consolidated Financial Statements	
• Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	462
• Significant Accounting Policies	472
• Notes on Accounts	493
• Auditors' Report	517
Basel - III Disclosures	524

Indian Bank
Investor Services Cell
 No. 254-260, Avvai Shanmugam Salai
 Royapettah
 Chennai - 600 014
 Tel No. 044 2813 4484 / 4698
 E-Mail: investors@indianbank.bank.in

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
 Unit : Indian Bank
 Subramanian Building, 1, Club House Road
 Chennai - 600 002
 Tel No. 044 28460718
 E-Mail: investor@cameoindia.com

Auditors

M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
 Chartered Accountants

M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
 Chartered Accountants

M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
 Chartered Accountants

M/S. S P A R K & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
 Chartered Accountants

M/S. BHATIA & BHATIA
 Chartered Accountants

Secretarial Auditor

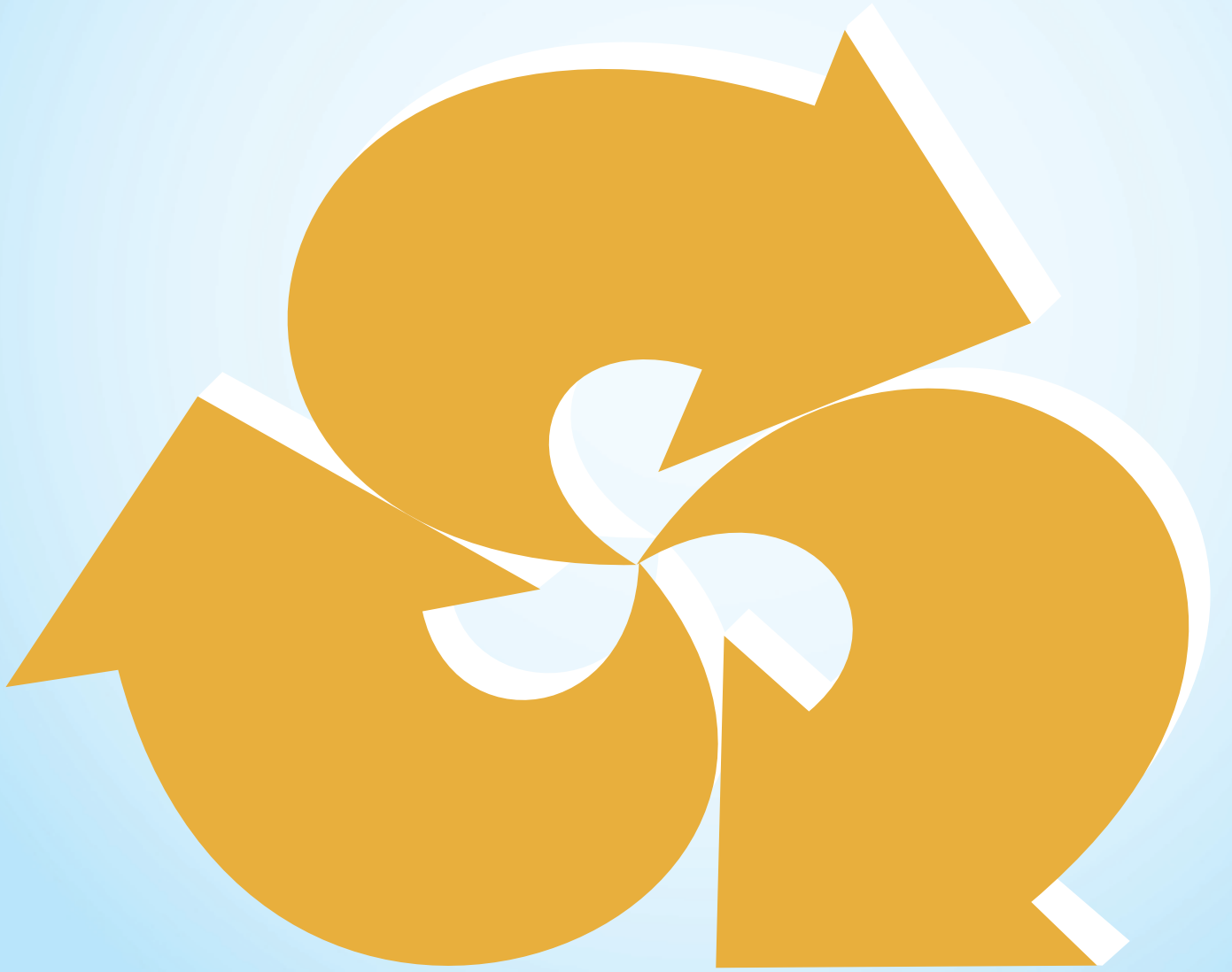
M/S. SHANMUGAM RAJENDRAN & ASSOCIATES LLP
 Company Secretaries

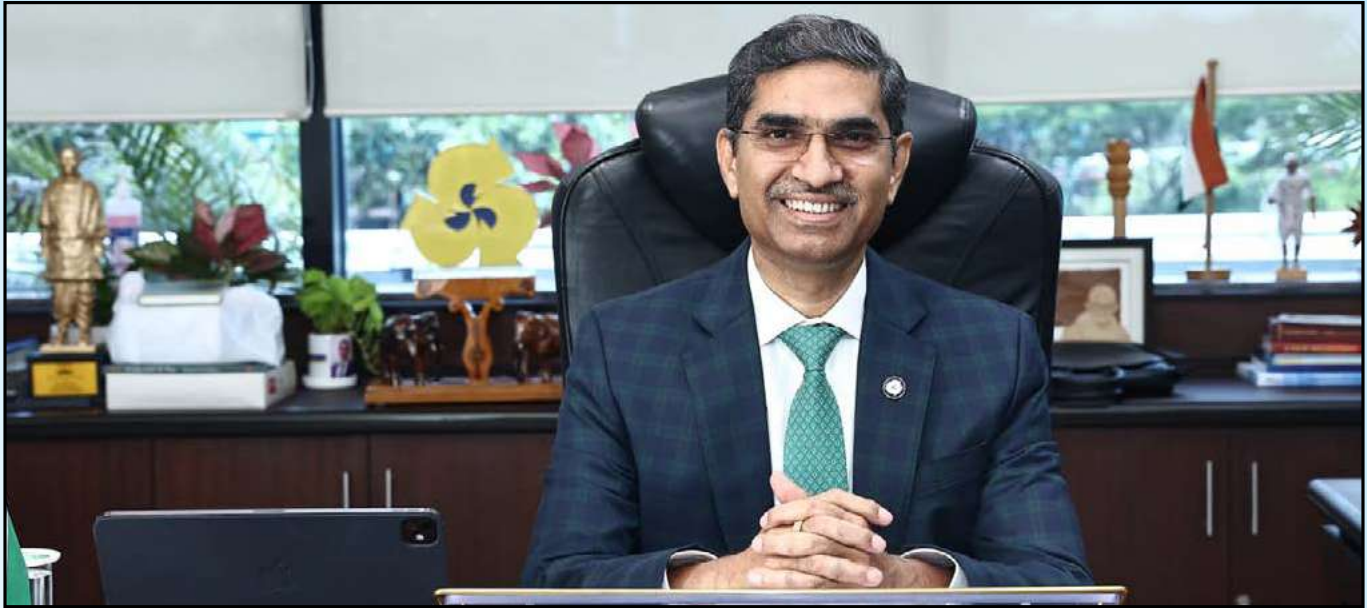
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2025-26

कार्यनिष्पादन की विशिष्टियां PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ में) (₹ in Cr)

विवरण Particulars	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	31.03.26
कुल व्यवसाय Total Business	1009243	1094752	1221773	1325294	1494839
जमाराशि(वैश्विक) Deposits (Global)	593618	621166	688000	737154	827726
अग्रिम (वैश्विक) Advances (Global)	415625	473586	533773	588140	667113
निवेश (सकल) Investments (Gross)	180235	189924	216872	226007	245276
ब्याज आय Interest Income	38856	44942	55615	62002	67451
ब्याजेतर आय Non-Interest Income	6915	7143	7867	9223	9991
कुल आय Total Income	45771	52085	63482	71225	77441
ब्याज व्यय Interest Expenses	22128	24717	32341	36826	40536
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	10926	12098	14301	15401	16989
कुल व्यय Total Expenditure	33054	36815	46642	52227	57525
परिचालनगत लाभ Operating Profit	12717	15271	16840	18998	19916
निवल लाभ Net Profit	3945	5282	8063	10918	12156
जमा लागत(%) Cost of Deposits (%)	3.97	4.09	4.88	5.12	4.97
अग्रिमों पर प्रतिलाभ(%)Yield on Advances (%)	7.21	7.76	8.72	8.75	8.33
निवल ब्याज मार्जिन(%)Net Interest Margin (%)	2.93	3.37	3.47	3.41	3.24
आस्तियों पर प्रतिलाभ(%)Return on Assets (%)	0.63	0.77	1.07	1.32	1.31
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	1245	1245	1347	1347	1347
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	36252	40620	51066	60762	69877
निवल मालियत Net Worth	33625	37431	47491	57029	65628
सकल एनपीए (%)Gross NPA (%)	8.47	5.95	3.95	3.09	1.98
निवल एनपीए (%)Net NPA (%)	2.27	0.9	0.43	0.19	0.15
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) Capital Adequacy Ratio (Basel III)	16.53	16.49	16.44	17.94	17.93
प्रति शेयर अर्जन (₹)Earnings Per Share (₹)	32.38	42.41	63.23	81.06	90.24
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)Book Value per Share (₹)	269.98	300.55	352.58	423.39	487.23
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹)Dividend per Equity Share (₹)	6.5	8.6	12	16.25	18.25
शाखाओं की संख्या No. of branches (Nos.)	5735	5791	5851	5905	6005
कर्मचारियों की संख्या No. of employees (Nos.)	39803	40781	40251	40071	40224
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में) Business per employee (₹ in lacs)	2520	2661	2985	3242	3641





बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Binod Kumar

MANAGING DIRECTOR & CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director & CEO's Message

प्रिय सम्मानित हितधारकगण,

निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम और संपूर्ण इंडियन बैंक परिवार की ओर से गहन उत्तरदायित्व बोध और आशावादी भावना के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारा प्रयास सतत और अनुपालनपूर्ण व्यावसायिक विकास पर केंद्रित था। यह रिपोर्ट बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन को दर्शाती है और साथ ही स्थिरता और अभिशासन के क्षेत्र में हमारी पहलों को भी प्रतिबिंबित करती है। इन प्रयासों का उद्देश्य हितधारकों, निवेशकों और समाज के लिए स्थायी मूल्य सृजित करना है, जो वित्तीय सेवा क्षेत्र में हमारे व्यापक योगदान को विशेष रूप से रेखांकित करता है। विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और अनुशासित परिचालन के आधार पर बैंक ने चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में भी कुशलता से कार्य किया है। बैंक के कार्यनिष्पादन को रेखांकित करने से पूर्व इस वर्ष को प्रभावित करने वाली वैश्विक और आंतरिक परिदृश्य की संक्षिप्त समीक्षा करना उचित होगा।

समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था: उदीयमान वैश्विक संकटों का सामना

वित्त वर्ष 2026 में नए भू-राजनैतिक आघातों और मध्य-पूर्व संघर्षों से उत्पन्न व्यापक आर्थिक जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अब वस्तुओं की

Dear esteemed Stakeholders,

It is with a deep sense of responsibility and optimism, on behalf of the Board of Directors, the Management Team, and entire Indian Bank family, I present the Annual Report of your bank for the financial year (FY) 2025-26.

Amidst the global uncertainty during FY26, our focus was on sustainable and compliant business growth. This Report showcases the Bank's financial performance while highlighting our initiatives in sustainability and governance. These efforts aim to create lasting value for stakeholders, investors and society, reflecting upon our broader contribution to the financial services sector. Anchored in prudent risk management and operational discipline, the Bank has navigated a challenging operating environment with agility. Before highlighting the Bank's performance, it is pertinent to briefly review the global and domestic landscape that shaped the year.

Macroeconomic Overview

Global Economy: Navigating Renewed Headwinds

In FY26, the global economy entered a more uncertain phase amid renewed geopolitical shocks and rising macroeconomic risks from the Middle East conflicts.

उच्च कीमतों, संभावित मुद्रास्फीति में वृद्धि और कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण आर्थिक गतिविधियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपने पूर्वानुमान को 0.2 अंक कम करते हुए वर्ष 2026 में वैश्विक विकास दर 3.1% और वर्ष 2027 में 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2000 से 2019 के औसत 3.7% से कम है। उभरते बाजारों, विशेष रूप से वस्तु आयात में वृद्धि दर बहुत कम रहने की संभावना है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था सामान्य रह सकती है। वैश्विक विकास के लिए प्रमुख जोखिमों में से एक भू-राजनीतिक तनाव है।

वैश्विक मुद्रास्फीति दर 2026 में बढ़कर 4.4% होने की संभावना है, जिसके बाद 2027 में घटकर 3.7% हो सकती है, जो ऊर्जा और परिवहन व्यवधानों से उत्पन्न आपूर्ति पक्ष के दबावों को दर्शाती है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से मौजूदा व्यापक आर्थिक असुरक्षित वातावरण में वस्तु आयात करने वाले देशों के लिए मुद्रास्फीति का खतरा अधिक स्पष्ट है।

प्रमुख केंद्रीय बैंकों को बढ़ती अनिश्चितता के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने और संवृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की संभावना है। समग्रतः कहा जा सकता है कि लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनैतिक तनाव, कठिन वित्तीय परिस्थितियों और उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण महत्वपूर्ण अधोगामी जोखिम के बावजूद वैश्विक संवृद्धि परिदृश्य कमजोर, लेकिन व्यापक रूप से स्थिर बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: घरेलू कारकों द्वारा समर्थित मजबूती

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनैतिक तनाव के बीच भारी घरेलू मांग और गत्यात्मक निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास की गति बनाए रखी है। संशोधित जीडीपी श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 7.8 प्रतिशत रहा, जो सुदृढ़ निजी उपभोग, निरंतर पूंजी निर्माण, सेवा गतिविधियों में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर गति से प्रेरित थी। वित्त वर्ष 2026 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो व्यापक आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

बाह्य मांग में मंदी रही जिससे समग्र वृद्धि धीमी रही। भावी परिदृश्य में वैश्विक ऊर्जा और वस्तु की उच्च कीमतें, प्रमुख शिपिंग मार्गों को प्रभावित करने वाले भू-राजनैतिक तनावों से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अस्थिर वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ, निर्यात और घरेलू उत्पादन को बाधित कर सकती हैं। विशेष रूप से वस्तु निर्यात को माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि से जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

The headwinds are now from higher commodity prices, firmer inflation expectations, and tighter financial conditions. The IMF lowered its forecast by 0.2 percentage points, projecting global growth at 3.1 percent in 2026 and 3.2 percent in 2027, below the average of 3.7 percent for the period from year 2000 to 2019. Growth is expected to slow down more sharply in emerging markets, especially commodity importers, while advanced economies will see moderation. One of the key risks to global growth is the geopolitical tension.

Global headline inflation is expected to increase to 4.4 percent in 2026 before easing to 3.7 percent in 2027, reflecting supply side pressures emanating from energy and transport disruptions. Inflation risks are more pronounced for emerging market and developing economies, particularly commodity importing countries with existing macroeconomic vulnerabilities.

Major central banks continue to face difficult trade offs between containing renewed inflationary pressures and supporting growth amid elevated uncertainty. Monetary policy normalisation is expected to proceed cautiously. Overall, the global growth outlook remains weak but broadly stable, notwithstanding significant downside risks from prolonged geopolitical tensions, tighter financial conditions, and higher public debt.

Indian Economy: Strength Sustained by Domestic Drivers

Amid heightened global uncertainty and geopolitical tensions, the Indian economy continued to exhibit resilience, supported by strong domestic demand and investment momentum. According to official data under the revised GDP series (base year 2022-23), real GDP growth rose to 7.8 percent year on year in Q3 FY26, driven by firm private consumption, steady capital formation, buoyant service activities, and sustained momentum in manufacturing. For FY26, real GDP growth is estimated at 7.6 percent, reflecting broad based economic strength.

External demand remained subdued, tempering overall growth. Looking ahead, elevated global energy and commodity prices, supply chain disruptions linked to geopolitical tensions affecting key shipping routes, and volatile global financial conditions may weigh on exports and domestic production. Merchandise exports, in particular, face risks from higher freight and insurance costs.

तथापि, सेवा क्षेत्र के सुदृढ़ कार्यनिष्पादन, विनिर्माण क्षमता के बेहतर उपयोग, कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत तुलनपत्र और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास के कारण घरेलू मांग के स्थिर रहने की संभावना है।

मुद्रास्फीति के क्षेत्र में खाद्य कीमतों में सामान्यता और अनुकूल अंतर्निहित दबावों के कारण जनवरी-मार्च 2026 के दौरान शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्तर से नीचे रही। हालांकि, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण निकट भविष्य में मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है, किंतु पर्याप्त खाद्य संग्रहण, शानदार रबी उत्पादन और पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का परिदृश्य सामान्य बना हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 में कोर मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रहने के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बाह्य विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी अस्थिरता देखी गई। विदेशी निवेशकों द्वारा निकासी, कच्चे तेल की उच्च कीमत और पश्चिम एशिया में भू-राजनैतिक तनावों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर लगभग 96 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया। वित्त वर्ष 2026 में उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे कि विस्तारशील पीएमआई, मजबूत जीएसटी संग्रहण और निरंतर ऋण वृद्धि गतिमान संवृद्धि के द्योतक हैं। मजबूत आधारभूत मानदंडों और सहायक नीतियों के बल पर भारत बाहरी चुनौतियों का सामना करने और विकास को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

बैंकिंग क्षेत्र: नीतिगत सुगमता और अस्थिरता के बीच विकास

वित्त वर्ष 2026 के दौरान वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिर पूँजी प्रवाह के बावजूद घरेलू बैंकिंग क्षेत्र ने अच्छा कार्यनिष्पादन किया है। मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुनियोजित नीतिगत सुगमता प्रदान की जिसके तहत 2025 में रेपो दर में कुल 125 आधार अंक की कटौती की गई। तदुपरांत, आरबीआई उभरती मुद्रास्फीति और बाह्य जोखिमों को रोकने में सफल हुआ और उनके नीति का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया।

वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थिति अस्थिर रही। जून 2025 में, आरबीआई ने स्थायी तरलता प्रदान करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में 100 आधार अंक की कटौती की। इसके बावजूद, भारी कर भुगतान और मजबूत ऋण मांग के कारण प्रणालीगत तरलता मध्यम अधिशेष से आवधिक घाटे में बदल गई। मार्च 2026 तक तरलता में तीव्र कमी आई, जो वर्ष का पहला बड़ा घाटा था। मुद्रा बाजारों को स्थिर करने के लिए आरबीआई ने खुले बाजार संचालन, परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप जैसे उपाय किए।

However, domestic demand is expected to be stable, supported by strong services sector performance, improving manufacturing capacity utilisation, healthy corporate and banking sector balance sheets, and the Government's continued focus on strengthening domestic economy.

On the inflation front, headline CPI inflation remained below the targeted level set by RBI during January-March 2026, aided by easing food prices and benign underlying pressures. While near term inflation risks have risen due to higher global energy prices, the food inflation outlook remains comfortable, supported by adequate reservoir levels, robust rabi output, and sufficient buffer stocks. RBI projected CPI inflation for FY27 at 4.6 percent, with core inflation remaining under control.

External forex markets witnessed heightened volatility during FY26. The Indian rupee depreciated by nearly 10 percent against the US dollar, touching a record low of around ₹96 per US dollar, driven by foreign investor outflows, elevated crude oil prices, and geopolitical tensions in West Asia. High frequency indicators such as expansionary PMIs, strong GST collections, and sustained credit growth in FY26 reflect steady momentum. Backed by sound fundamentals and supportive policies, India is well placed to withstand external headwinds and sustain growth.

Banking Sector: Resilience Amid Policy Easing and Volatility

During FY26 amid heightened global uncertainty and volatile capital flows, the domestic banking sector operated well. In response to easing inflation, the Reserve Bank of India (RBI) undertook a calibrated policy easing, delivering cumulative 125 basis points repo rate cut in 2025. Thereafter, the RBI maintained a pause to assess evolving inflation and external risks, with policy transmission progressing gradually.

Liquidity conditions remained uneven during the year. In June 2025, the RBI cut the Cash Reserve Ratio by 100 bps to inject durable liquidity. Despite this, systemic liquidity moved from moderate surplus to periodic deficits, driven by heavy tax outflows and strong credit demand. By March 2026, liquidity tightened sharply, marking the first major deficit of the year. The RBI responded with Open Market Operations, Variable Rate Repo auctions, and forex interventions to stabilise money markets.

नीतिगत उपायों, नियामक सुधारों और मजबूत घरेलू मांग के कारण बैंकिंग क्षेत्र तरलता संकट और बाहरी अस्थिरता के बावजूद विकासोन्मुख रहा। इस पृष्ठभूमि में, मैं अब वित्त वर्ष 2026 के दौरान आपके बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

बैंक का कार्यनिष्पादन - वित्त वर्ष 2026

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में एक बार फिर मजबूत और सुदृढ़ कार्यनिष्पादन किया है। निरंतर लाभप्रदता, अच्छी आस्ति गुणवत्ता, सुदृढ़ वृद्धि और वित्तीय समावेशन के साथ-साथ डिजिटल परिवर्तन की दिशा में निरंतर प्रगति के साथ बैंक की उपलब्धि अटूट शक्ति और आगे बढ़ने की गति को दर्शाती है। बैंक ने प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों में व्यापक संवृद्धि दर्ज की है।

बैंक ने प्रमुख मानदंडों में बेहतर संवृद्धि दर्ज की है। कुल व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 12.79 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ ₹14.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया। जमा आधार 12.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹8.28 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो जमा संग्रहण और ग्राहक जुड़ाव पर केंद्रित प्रयासों के कारण संभव हुआ। सकल अग्रिम 13.43 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹6.67 लाख करोड़ हो गया, जो व्यापक ऋण मांग पर आधारित है।

बैंक ने लगभग 81 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात बनाए रखा, जो तरलता को बनाए रखते हुए संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है। बैंक की खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर केंद्रित कार्यनीति के कारण इस क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ, जो अब घरेलू ऋण पोर्टफोलियो के 65 प्रतिशत से अधिक हो गया है। खुदरा ऋण में 19 प्रतिशत, कृषि ऋण में 11 प्रतिशत और एमएसएमई ऋण में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संतुलित और समावेशी विकास रणनीति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को जारी रखा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो नियामक आवश्यकता 40 प्रतिशत से अधिक है। कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण एएनबीसी का 19 प्रतिशत से अधिक रहा जो कृषि समुदाय और संबद्ध गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

बैंक ने लघु एवं सीमांत किसानों, कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को लक्ष्यानु रूप ऋण प्रदान करके समावेशी वित्त को मजबूती प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कुल ₹17,800 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया जिससे 5,03,000 एसएचजी को

Supported by policy measures, regulatory reforms, and strong domestic demand, the banking sector remained resilient despite liquidity stress and external volatility. In this context, I now present an overview of your Bank's financial performance during FY26.

Bank's Performance - FY26

I am pleased to share that the Bank delivered yet another strong and resilient performance in FY26. Marked by sustained profitability, good asset quality, robust growth, and continued striding of digital transformation along with financial inclusion, the Bank's achievement reflected unwavering strength and forward momentum.

The Bank recorded healthy expansion across key parameters. Total business touched ₹14.95 lakh Crore, registering a robust YoY growth of 12.79 percent. The deposit base grew strongly to ₹8.28 lakh Crore, reflecting an increase of 12.29 percent, supported by focused efforts on liability mobilisation and customer engagement. Gross advances expanded to ₹6.67 lakh Crore, recording a healthy growth of 13.43 percent, underpinned by broad-based credit demand.

The Bank maintained a credit-deposit ratio of nearly 81 percent, indicating efficient deployment of resources while preserving liquidity comfort. Growth continued to be driven by the Bank's Strategic Focus on the Retail, Agriculture, and MSME (RAM) segments, which together now account for over 65 percent of the domestic credit portfolio. Retail advances grew by 19 percent, agriculture credit by 11 percent, and MSME advances by 16 percent, reflecting a balanced and inclusive growth strategy aligned with national priorities.

The Bank continued to demonstrate firm commitment to deliver priority sector lending during FY26. Priority Sector Advances reached 41 percent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), exceeding the regulatory requirement of 40 percent. Credit to agriculture formed over 19 percent of ANBC, reinforcing the Bank's focus on supporting the farming community and allied activities.

The Bank maintained its emphasis on inclusive finance through targeted lending to small and marginal farmers, weaker sections, self-help groups (SHGs), and micro-enterprises. During FY26, disbursements to SHGs amounted to ₹17,800 Crore, supporting 5,03,000 SHGs and positively impacting approximately

सहायता मिली और देश भर में लगभग 56 लाख महिला सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बैंक ने “लखपति दीदी” योजना के तहत ₹280 करोड़ की ऋण सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाली 19,527 इकाइयों की सहायता की।

डिजिटल ऋण पहलों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और लक्ष्यानुसूचक पहुँच के कारण बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो में वर्ष के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। पीएम मुद्रा योजना (आरआरबी सहित) के तहत बैंक ने 100 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया, जो ₹15,700 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के सापेक्ष ₹15,718 करोड़ रहा। डिजिटल एमएसएमई ऋण में वृद्धि हेतु वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹5 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए इंड एमएसएमई डिजी (नया ऋण मूल्यांकन मॉडल – एनसीएम) में विस्तार किया गया। इस प्लेटफॉर्म के तहत 12,339 खाते जोड़े गए जिससे ₹2,558 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार हुआ जिसमें कोई भी एनपीए (अनर्जक आस्ति) नहीं है।

उद्योग जगत में मार्जिन दबाव के बावजूद बैंक ने लाभप्रदता में निरंतर वृद्धि दर्ज किया है। निवल लाभ 11 प्रतिशत बढ़कर ₹12,156 करोड़ हो गया। परिचालन लाभ 5 प्रतिशत बढ़कर ₹19,916 करोड़ हो गया, जबकि निवल ब्याज आय 7 प्रतिशत बढ़कर ₹26,915 करोड़ हो गई जो स्थिर मूल आय कार्य निष्पादन और प्रभावी लागत प्रबंधन को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2026 में जमा लागत घटकर 4.97 प्रतिशत और अग्रिमों पर प्रतिफल घटकर 8.33 प्रतिशत हो गया। प्रतिस्पर्धी ब्याज दर के माहौल और उद्योग-व्यापी मार्जिन दबाव के बावजूद, बैंक ने 3.24 प्रतिशत का स्वस्थ निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) बनाए रखा जो हमारी तुलनपत्र की मजबूती को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो बैंक के अनुशासित हामीदारी मानकों, सुदृढ़ निगरानी तंत्र और प्रभावी वसूली कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। सकल ऋणों के सापेक्ष सकल अनर्जक आस्तियाँ (जीएनपीए%) घटकर 1.98 प्रतिशत हो गईं, जबकि निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनएनपीए%) और अधिक घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 0.15 प्रतिशत पर आ गईं। तकनीकी बढ़ा खाते सहित बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 98.3 प्रतिशत हो गया जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में उच्चतम स्तर में स्थान रखता है। यह बैंक की मजबूत तुलनपत्र और जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान प्रमुख लाभप्रदता और शेयरधारक प्रतिलाभ संकेतक स्वस्थ बने रहे। आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.31 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 19.53 प्रतिशत था, जो उच्च पूँजी आधार और स्थिर आय को दर्शाता है। प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) बढ़कर ₹90.24 हो गई और प्रति शेयर बही मूल्य बढ़कर ₹487.23 हो गई, जो निरंतर मूल्य सृजन को प्रदर्शित करता है। बेहतर वित्तीय कार्यनिष्पादन के अनुरूप बैंक के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹18.25 प्रति शेयर लाभांश की अनुशंसा की। बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

56 lakh women members across the country. The Bank assisted 19,527 women led units with credit support of ₹280 Crore under the “Lakhpati Didi” scheme.

The Bank’s MSME portfolio witnessed sustained traction during the year, supported by digital lending initiatives, simplified processes, and targeted outreach. Under the PM Mudra Yojana (including RRBs), the Bank achieved 100 percent of its annual target, disbursing ₹15,718 Crore against a target of ₹15,700 Crore. Further strengthening digital MSME lending, IND MSME DIGI (New Credit Assessment Model – NCAM) was extended during FY26 to cover loans up to ₹5 Crore. Under this platform, 12,339 accounts were onboarded, creating a portfolio of ₹2,558 Crore with zero NPA (non-performing assets).

The Bank reported steady improvement in profitability despite margin pressures witnessed across the industry. Net profit increased by 11 percent to ₹12,156 crore. Operating profit rose by 5 percent to ₹19,916 Crore, while net interest income grew by 7 percent to ₹26,915 Crore, reflecting stable core income performance and effective cost management.

The cost of deposits moderated to 4.97 percent and yield on advances moderated to 8.33 percent for FY26. Despite a competitive interest rate environment and industry-wide margin pressures, the Bank sustained a healthy Net Interest Margin (NIM) of 3.24 percent, demonstrating our balance sheet resilience.

Asset quality improved significantly during FY26, reflecting the Bank’s disciplined underwriting standards, effective monitoring mechanisms, and strong recovery performance. Gross Non-Performing Assets (GNPA%) to Gross Advance declined to 1.98 percent, while Net Non-Performing Asset (NNPA%) reduced further to a record low of 0.15 percent. The Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank, including technical write-offs, improved to 98.3 percent, among the highest in the public sector banking space, highlighting the Bank’s strengthened balance sheet and proactive approach to the risk management.

Key profitability and shareholder return indicators remained healthy during FY26. Return on Assets stood at 1.31 percent, while Return on Equity (RoE) was at 19.53 percent, reflecting higher capital base and stable earnings. Earnings Per Share (EPS) increased to ₹90.24, and book value per share rose to ₹487.23, demonstrating consistent value creation. In line with

मजबूती के साथ 17.93 प्रतिशत रहा जिससे व्यवसाय वृद्धि के लिए पर्याप्त संभावना उपलब्ध रही।

वित्त वर्ष 26 बैंक के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जिसमें कुल जमा व्यवसाय व्यापक रूप से बढ़कर ₹2.72 लाख करोड़ हो गया। डिजिटल यात्राओं, उपयोगिताओं एवं प्रक्रियाओं की संख्या बढ़कर 153 हो गई, जो उपयोगकर्ताओं, लेनदेन और कारोबार की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है और ग्राहकों के साथ गहरे जुड़ाव को भी प्रतिबिंबित करता है।

डिजिटल परिवर्तन हमारे कार्यों का केंद्र रहा है। बैंक ने अद्योपांत डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं का विस्तार किया, बड़े उधारों के लिए इंड एमएसएमई डिजी को सशक्त बनाया, इंड कनेक्ट आरएम ऐप की शुरुआत की और इंडस्मार्ट मोबाइल तथा कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया। उद्यम संबंधी पहलों, जैसे नेक्स्ट जेनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर, सीआरएम पर आधारित ग्राहक जुड़ाव और डिजिटल क्रेडिट प्रस्तावों की ट्रैकिंग, ने सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और अभिशासन को और भी बेहतर बनाया है।

एमएसएमई हामीदारी अंकन, धोखाधड़ी की रोकथाम, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और संग्रहण हेतु अग्रिम विश्लेषण एवं एआई/एमएल मॉडल को क्रियान्वित किया गया है, जिससे जोखिम प्रबंधन काफी सुदृढ़ हुआ है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, 42 लाख नए ग्राहक इंडस्मार्ट मोबाइल ऐप से जुड़े, जिससे कुल मोबाइल बैंकिंग आधार बढ़कर 2.36 करोड़ हो गया। इसके साथ ही, हाल ही में शुरू किए गए इंडस्मार्टबिज़ ऐप ने सफलतापूर्वक 1.05 लाख एमएसएमई ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा, जिससे डिजिटल समावेशन और पहुंच को मजबूती मिली है।

वित्तीय समावेशन बैंक की कार्यनीति का एक प्रमुख अंग बना रहा। मार्च 2026 तक बैंक में 247 लाख पीएमजेडीवाई खाते परिचालित थे, जिनमें वर्ष के दौरान 17.89 लाख नए खाते जोड़े गए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत संचयी नामांकन पीएमजेजेबीवाई के तहत 109 लाख और पीएमएसबीवाई के तहत 223 लाख तक पहुंच गए। अटल पेंशन योजना के तहत बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में 6.05 लाख नए नामांकन जोड़े जिससे प्रति शाखा औसतन लक्ष्य 100 खातों के सापेक्ष उपलब्धि के रूप में 104 खाते हो गए।

इंडसेटी के माध्यम से 37,600 के लक्ष्य के सापेक्ष 42,593 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जो 1,386 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 113 प्रतिशत की उपलब्धि है। हमारे 44 वित्तीय साक्षरता केंद्रों(एफएलसी) ने 2.3 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। क्रॉस बैंक प्रशिक्षण के तहत अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों के 18 अधिकारियों को “एलिवेट - महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण” कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। बैंक ने कर्मचारी विकास और संस्थागत क्षमता

improved financial performance, the Board of the Bank recommended a dividend of ₹18.25 per share for FY26. The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong at 17.93 percent, providing adequate headroom for growth.

FY26 was another landmark year in the Bank's digital transformation journey, with total digital business rising sharply to ₹2.72 lakh crore. The number of Digital Journeys, Utilities, and Processes expanded to 153, reflecting strong growth in users, transactions, and business volumes, and highlighting deeper customer engagement.

Digital transformation remained at the core of execution. The Bank broadened end to end digital loan journeys, strengthened IND MSME DIGI for higher ticket lending, introduced the IND Connect RM App, and enhanced the IndSMART mobile and corporate platforms. Enterprise wide initiatives such as the Next Generation Contact Centre, CRM based customer engagement, and digital credit proposal tracking further improved service quality, transparency, and governance.

Advanced analytics and AI/ML models were deployed across MSME underwriting, fraud prevention, early warning systems, and collections, significantly reinforcing risk management. During FY26, 42 lakh new customers joined the IndSMART Mobile App, taking the total mobile banking base to 2.36 crore. In parallel, the newly launched IndSMARTBiz app successfully onboarded 1.05 lakh MSME customers, strengthening digital inclusion and outreach.

Financial inclusion remained a central pillar of the Bank's strategy. As of March 2026, the Bank is having 247 lakh PMJDY accounts, with 17.89 lakh new accounts added during the year. Under social security schemes, cumulative enrolments reached 109 lakh under PMJJBY and 223 lakh under PMSBY. Under the Atal Pension Yojana, the Bank added 6.05 lakh new enrolments during FY26, achieving an Average Accounts Per Branch of 104 against the proportionate target of 100.

Through INDSETIs, 42,593 aspiring entrepreneurs were trained against a target of 37,600, achieving 113 percent through 1,386 training programmes. Our 44 Financial Literacy Centres (FLC) expanded outreach for parting knowledge of financial literacy to over 2.3 lakh participants. Under Cross Bank Training, 18 officers of other banks / FI have been trained under Program

निर्माण में निवेश जारी रखा है। समग्रतः इस वर्ष 3,923 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 35,675 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

इंडियन बैंक को अपने प्रयासों के लिए बाह्य संगठनों द्वारा अनेक पुरस्कारों और प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया गया है।

- बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तमिलनाडु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, 2025 में “सीईओ ऑफ द ईयर” पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- बैंक को वर्ष 2026 के लिए “गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” का विजेता घोषित किया गया।
- बैंक को “आईबी साथी” के लिए प्रतिष्ठित स्कोच गोल्डन अवार्ड और “सुरक्षा परिचालन” के लिए सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ।
- बैंक को क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए “रेड हैट एपीएसी इनोवेशन अवार्ड 2025” प्राप्त हुआ।
- इंडियन बैंक को बीएफएसआई क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी परिवर्तन में उत्कृष्टता के लिए भारत के वित्तीय भविष्य के निर्माता के रूप में “ईटी एज बीएफएसआई टेक लीडर अवार्ड” से सम्मानित किया गया।
- बैंक के अपने दो आरआरबी सहित तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी) और पुदुच्चेरी ग्राम बैंक (पीवाईजीबी) को वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू के करकमलों से 'एपीवाई एनुअल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस' से भी सम्मानित किया गया है।
- इंडियन बैंक को डिजिटल सीएक्स ट्रेलब्लेज़र (पीएसयू) के रूप में अपनी उपलब्धियों के लिए “आईबीईएक्स इंडिया 2026 बीएफएसआई टेक अवार्ड (कांस्य)” से सम्मानित किया गया है।
- गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार 2024-25 में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए इंडियन बैंक के अंचल कार्यालय, कोलकाता उत्तर और अंचल कार्यालय, वाराणसी को प्रथम पुरस्कार तथा अंचल कार्यालय, पटना को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ईएनक्यूयूबीई कोलाबोरेशन द्वारा आयोजित ‘कनेक्ट फ्यूचर रेडी लीडर्स-विकसित भारत 2047’ के 5वें संस्करण में इंडियन बैंक को डिजिटल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। प्रमुख पहलों में महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता प्रदान किया जाना शामिल था जिसमें जिला परिषद विद्यालयों की छात्राओं को साइकिलें

on "ELLEvate - Leadership Training for Women. The Bank continued to invest in employee development and institutional capacity building. Altogether, 35,675 unique employees were trained through 3,923 training programmes this year.

The Bank's efforts have been recognized by external organisation with numerous awards and accolades.

- The MD & CEO of the Bank received “CEO of the Year” award at Tamil Nadu Business Leader of the Year, 2025.
- The Bank was declared the winner of the “Golden Peacock Award for Excellence in Artificial Intelligence” for the year 2026.
- The Bank received prestigious SKOCH Golden Award for “IB SAATHI” and Silver Award for “Security Operations”.
- The Bank received “Red Hat APAC Innovation Award 2025” for Cloud Native Development.
- The Bank received the ET Edge BFSI Tech Leader Award as Architects of Bharat's Financial Future for excellence in innovation and technology transformation in the BFSI sector.
- The Bank along with its two RRBs - Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) and Puducherry Grama Bank (PyGB) are also awarded APY ANNUAL AWARD OF EXCELLENCE by Secretary DFS Shri. M. Nagaraju.
- The Bank has been awarded the IBEX India 2026 BFSI Tech Award (Bronze) in recognition of its achievements as a Digital CX Trailblazer (PSU).
- Kolkata North and Varanasi Zones of the Bank received the First Prize, while Patna Zone received the Second Prize under the Regional Official Language Awards 2024-25 by the Ministry of Home Affairs, in recognition of outstanding implementation of the Official Language Policy.
- The Bank received the Digital Leadership Award at the 5th Edition of ‘Connect Future Ready Leaders – Viksit Bharat 2047’, organized by ENQUBE Collaborations.

The Bank continued its commitment to social responsibility through focused CSR (Corporate Social Responsibility) during FY26. Key initiatives included support to the National Health Mission, Maharashtra by providing bicycles to girl students of Zilla Parishad schools and supplying essential medical equipment

दिया गया और कोल्हापुर और रत्नागिरी जिलों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान किया गया। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और सामुदायिक कल्याण के लिए बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए भारी रियायती दरों पर रोबोटिक सर्जरी करने में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ को भी सहायता प्रदान किया।

मार्च 2026 तक बैंक के भौतिक ढांचे के अंतर्गत देश भर में 6001 शाखाएं, 3094 एटीएम, 2563 बीएनए, 3295 पासबुक कियोस्क और 17032 बैंक मित्र (बीसी) का नेटवर्क शामिल था। वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने चेन्नै में वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक विशेष शाखा (सीनियर कनेक्ट) सहित, 102 नई शाखाएँ खोलकर अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया और वित्त वर्ष 2027 के लिए 100 अतिरिक्त शाखाएँ खोलने का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान पहल:

बैंक ने वर्ष के दौरान व्यावसायिक वृद्धि, डिजिटल सक्षमता, जोखिम प्रबंधन और संगठनात्मक क्षमता के क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी सुस्पष्ट रूपांतरण कार्यसूची को क्रियान्वित किया जाना जारी रखा। इन पहलों का उद्देश्य ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ाना, टर्नअराउंड समय में सुधार करना, आस्ति गुणवत्ता को सुदृढ़ करना और समग्र परिचालन में स्थिरता और अभिशासन को स्थापित करना था।

व्यवसाय के क्षेत्र में बैंक ने ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने और जमा एवं ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई लक्षित उत्पाद और अभियान शुरू किए। इंड सुप्रीम 2.0, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन खाता पैकेज जैसी विशिष्ट जमा योजनाओं तथा महिला उद्यमियों, गिग श्रमजीवी, एनआरआई और नाविकों के लिए विशेष उत्पादों ने ग्राहक आधार का विस्तार किया और बेहतर जमा संग्रहण में सहायता प्रदान की। ऋण वृद्धि को थीम आधारित खुदरा अभियानों, आवास और बंधक ऋण के लिए केंद्रित पहलों और कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में डेयरी, ट्रैक्टर, क्लस्टर आधारित वित्तपोषण और जमानती कार्यशील पूँजी उत्पादों सहित आवश्यक समाधानों के माध्यम से संचालित किया गया। बैंक ने बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण का समर्थन करते हुए अग्रणी और हरित क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति मजबूत की।

बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल), सरफेसी आस्ति मेला, लोक अदालत, पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीआईआरपी) और औपचारिक ऋण का समय-पूर्व भुगतान (डबल्यूएफडी) प्रक्रियाओं के साथ समन्वय सहित संरचित समाधान कार्यनीतियों के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता, वसूली और अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया जिसे मजबूत डिजिटल निगरानी और विधि सक्षम उपायों द्वारा क्रियान्वित किया गया। साथ ही, ईएसजी स्कोरकार्ड, वित्तपोषित उत्सर्जन मूल्यांकन, जलवायु जोखिम मूल्यांकन और ग्रीन बिल्डिंग

in Kolhapur and Ratnagiri districts. The Bank also supported King George's Medical University (KGMU), Lucknow, in undertaking heavily subsidised robotic surgeries for economically weaker patients, reinforcing its focus on healthcare access and community well-being.

As of March 2026, the Bank's physical infrastructure comprised 6,001 branches, 3,094 ATMs, 2,563 BNAs, 3,295 passbook kiosks, and a network of 17,032 Business Correspondents (BCs) across the country. During FY26, the Bank expanded its branch network by opening 102 new branches including a dedicated branch for Senior citizens (Senior Konnect) at Chennai, and for FY27, it has set a target of opening 100 additional branches.

Ongoing Initiatives:

The Bank continued with its focused transformation agenda during the year to strengthen its competitive position across business growth, digital enablement, risk management, and organisational capability. These initiatives were aimed at enhancing customer acquisition, improving turnaround times, reinforcing asset quality, and embedding sustainability and governance across operations.

On the business front, the Bank launched several targeted products and campaigns to deepen customer engagement and support deposit and credit growth. Specialised deposit offerings such as Ind Supreme 2.0, salary account packages for government employees, and niche products for women entrepreneurs, gig workers, NRIs, and seafarers expanded the customer base and supported stable deposit mobilisation. Credit growth was driven through thematic retail campaigns, focused initiatives in housing and mortgage lending, and tailored solutions in agriculture and MSME segments, including dairy, tractor, cluster based financing, and secured working capital products. The Bank strengthened its presence in champion and green sectors, supporting infrastructure and renewable energy financing.

The Bank also sharpened its focus on asset quality, recovery, and compliance through structured resolution strategies, SARFAESI asset fairs, Lok Adalats, Pre-Packaged Insolvency Resolution Process (PIRP), withdrawal of Formal Debt (WFD) processes, supported by robust digital monitoring and legal enablement tools, including coordination with

सर्टिफिकेशन जैसी संवहनीय पहलों को बैंक के परिचालन कार्यप्रणाली में शामिल किया गया।

व्यक्ति एवं क्षमता निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कर्मचारी कल्याण, नेतृत्व विकास, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और डेटा-आधारित प्रशिक्षण उपकरणों में निवेश किया ताकि सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्राप्त करने के लिए संस्थागत तत्परता मजबूत हो सके। मानव संसाधन के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं।

आगामी कार्यनीति:

आगामी वर्ष में बैंक, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं में एआई-आधारित डिजिटल नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी प्राथमिकताओं में निर्बाध डिजिटल उत्पाद प्रसार के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना और अनुपालन को संचालन का एक अभिन्न अंग बनाना शामिल है।

बैंक खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) ग्राहकों और अन्य क्षेत्रों को जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्हें अधिकाधिक सहायता प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगा। विनियामकों के निर्देशों के अनुशासित क्रियान्वयन, ग्राहक-केंद्रितता और कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन हेतु प्रोत्साहन उपायों के साथ बैंक सतत प्रगति और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए तैयार है।

आभार ज्ञापन

मैं अपने ग्राहकों, हितधारकों और कर्मचारियों को हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनके विश्वास और प्रतिबद्धता ने बैंक की विकास यात्रा को निरंतर दिशा प्रदान करती है। मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के मार्गदर्शन और सहयोग के प्रति भी आभारी हूँ, जिनके समर्थन से हमें अपनी आधारशिला को सुदृढ़ करने एवं नए अवसरों की ओर अग्रसर होने में सहायता मिली है।

भविष्य में भी, बैंक में नवाचार, संवहनीयता और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की हमारी यात्रा में आपकी सतत भागीदारी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक सत्यनिष्ठा और उत्कृष्टता के साथ अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). Parallely, sustainability initiatives such as ESG scorecards, financed emissions assessment, climate risk evaluation, and green building certification were embedded into the Bank's operating framework.

Recognising the importance of people and capability building, the Bank invested in employee welfare, leadership development, digital learning platforms, and data driven training tools, strengthening institutional readiness to support sustainable growth and long term value creation.

Way Forward:

In the year ahead, the Bank will sharpen its focus on AI-driven digital innovation on banking product and services. Our priorities include deepening customer trust through seamless digital product penetration and embedding compliance as a cornerstone of operations.

The Bank will continue to champion inclusive growth by extending stronger support to retail, agriculture and MSME (RAM) customers, sectors that form the backbone of the economy. By adhering to regulatory directions with discipline, fostering customer centricity, and incentivising employee performance, the Bank is well positioned to achieve sustainable growth and create long-term value.

Acknowledgement

I extend my heartfelt thanks to our customers, stakeholders, and employees whose trust and commitment continue to shape the Bank's journey. I am equally grateful for the guidance and support of the Government of India, the RBI, and regulatory authorities, which enable us to strengthen our foundations and pursue new opportunities.

Looking ahead, I deeply value your continued partnership in driving innovation, resilience, and inclusive growth. With integrity and excellence, the Bank remains committed to achieving our shared goals.

With best wishes,

Yours sincerely,

Binod Kumar

MD & CEO



इरादतन रिक्त रखा गया है।

हमारे आईबी गृह ऋण और आईबी वाहन ऋण के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करें !



आकर्षक
ब्याज दर



इंस्टेंट रहित
टेक ओवर



न्यूनतम
प्रलेखीकरण



त्वरित
प्रसंस्करण



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

*निबंधन और शर्तें लागू

अपने सोलर विज़न को दें नई उड़ान



**सौर पैनल और सहायक उत्पादों के
विनिर्माताओं, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं
के वित्तपोषण के लिए एमएसएमई ऋण**

*निबंधन और शर्तें लागू



ऋण का आसान विकल्प
कार्यशील पूंजी और
मीयादी ऋण



ऋण सीमा
₹75 करोड़ तक



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

निदेशकों की रिपोर्ट 2025-26

सेवा में

सदस्यगण,

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखे का विवरण एवं नकदी प्रवाह के विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को अति प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टियां

वित्त वर्ष 26 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

ए) संसाधन संग्रहण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.25	31.03.26	वर्ष दर वर्ष (%)
वैश्विक जमाराशियां	737154	827726	12.29
देशी जमाराशियां	702966	789283	12.28
जिसमें से चालू	39236	44087	12.36
बचत	243140	269005	10.64
कासा	282376	313092	10.88
कासा सम्मिश्र (%)	40.17	39.67	-
विदेशी जमाराशियां	34188	38443	12.45
वैश्विक अग्रिम (सकल)	588140	667113	13.43
देशी अग्रिम (सकल)	546283	617485	13.03
विदेशी अग्रिम (सकल)	41857	49628	18.57
कुल व्यवसाय	1325294	1494839	12.79
कुल आस्तियां	873411	987953	13.11

1. मार्च 2026 में वैश्विक जमाराशियां वर्ष-दर-वर्ष 12.29% वृद्धि के साथ **₹8.28 लाख करोड़** हो गई।
2. देशी जमाराशियां 12.28% की वृद्धि के साथ **₹7.89 लाख करोड़** हो गई। देशी कासा बढ़कर **₹3.13 लाख करोड़** हो गया एवं कासा शेयर 39.67% रहा। कासा पोर्टफोलियो में संवर्धन के उद्देश्य से बैंक ने वित्त वर्ष 26 के दौरान **38.82 लाख** नए कासा खाते (बीएसबीडी बचत खातों को छोड़कर) संग्रहण किए हैं।
3. बैंक के सकल अग्रिम (वैश्विक) में 13.43% का वृद्धि हुआ एवं यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को ₹5.88 लाख करोड़ से यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को **₹6.67 लाख** करोड़ हो गया।
4. यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम **₹2.15 लाख करोड़** थी। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र **40.00%** की अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 के

लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में **41.46%** रही।

5. कृषि ऋण (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र) **₹96,191 करोड़** था एवं यह 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में **18.55%** रहा।
6. वित्त वर्ष 26 के दौरान आरबीआई द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
7. सकल एनपीए एवं निवल एनपीए यथास्थिति 31 मार्च 2025 में क्रमशः **₹18179 करोड़ (3.09%)** एवं **₹1,110 करोड़ (0.19%)** के सापेक्ष घटकर यथास्थिति 31 मार्च 2026 को क्रमशः **₹13,190 करोड़ (1.98%)** एवं **₹ 965 करोड़ (0.15%)** हो गई।
8. एनपीए की कुल वसूली (एयूसी खातों में वसूली, उन्नयन और एमओआई सहित नकदी वसूली) विगत वर्ष में **₹7,651 करोड़** के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 के दौरान **₹6,651 करोड़** रही।
9. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्त वर्ष 25 में 98.10% के सापेक्ष **18 बीपीएस वृद्धि** के साथ वित्त वर्ष 26 में **98.28%** रहा।
10. बैंक का देशी शाखा नेटवर्क बढ़कर 6001 हो गया, जिनमें से 2011 ग्रामीण, 1605 अर्ध-शहरी, 1195 शहरी और 1190 महानगरीय शाखाएँ हैं। इसके अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएं एवं 1 आईएफसी बैंकिंग यूनिट (गिफ्ट सिटी) है। बैंक के एटीएम और बीएनए की कुल संख्या 5657 रही, जिनमें 645 ऑफसाइट एटीएम/बीएनए और 3 मोबाइल एटीएम शामिल है। बैंक के 17032 बैंक मित्र (बीसी) भी हैं, जिससे पूरे भारत में टच प्वाइंट्स की संख्या **28691** हो गई है।

बी) आय एवं व्यय (₹करोड़ में)

विवरण	31.03.25	31.03.26	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत)
अर्जित ब्याज	62002	67451	8.79
व्यय किया गया ब्याज	36826	40536	10.07
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	25176	26915	6.91
अन्य आय	9223	9991	8.32
जिसमें से - शुल्क आय	3528	3709	5.15

विवरण	31.03.25	31.03.26	वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत)
परिचालन राजस्व (एनआईआई+अन्य आय)	34399	36906	7.29
परिचालनगत व्यय	15401	16989	10.31
जिसमें से कर्मचारी पर व्यय	9883	10760	8.87
अन्य परिचालनगत व्यय	5518	6229	12.89
परिचालनगत लाभ	18998	19916	4.83
कर से इतर प्रावधान	4211	3512	(16.60)
कर से पूर्व लाभ	14787	16404	10.94
कर के लिए प्रावधान	3869	4248	9.80
निवल लाभ	10918	12156	11.33

1. बैंक का ब्याज आय वित्त वर्ष 25 में ₹62,002 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में 8.79% की वृद्धि के साथ ₹67,451 करोड़ हो गया।
2. निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 25 में ₹25,167 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में 6.91% की वृद्धि के साथ ₹26,915 करोड़ हो गया।
3. शुल्क आधारित आय वित्त वर्ष 25 में ₹ 3,528 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में 5.15% की वृद्धि के साथ ₹ 3,709 करोड़ हो गई।
4. परिचालन लाभ वित्त वर्ष 25 में ₹18,898 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में 4.83% की वृद्धि के साथ ₹19,916 करोड़ हो गया।
5. कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 25 में ₹14,787 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में 10.94% की वृद्धि के साथ ₹16,404 करोड़ हो गया।
6. निवल लाभ वित्त वर्ष 25 में ₹10,918 करोड़ से वित्त वर्ष 26 में वर्ष-दर-वर्ष 11.33% की वृद्धि के साथ ₹12,156 करोड़ हो गया।

सी) वित्त वर्ष 26 हेतु प्रमुख अनुपात (% में)

मापदंड	31.03.25	31.03.26
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.75	8.33
जमा लागत	5.12	4.97
निवल ब्याज मार्जिन	3.41	3.24
निवल ब्याज मार्जिन(देशी)	3.51	3.36
लागत-आय अनुपात	44.77	46.03
आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.32	1.31
इक्विटी पर प्रतिलाभ	20.76	19.53
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (₹ लाख में)	2922	3336
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख में)	27.25	30.22

1. जमा पर लागत (सीओडी) वित्त वर्ष 25 में 5.12% से वित्त वर्ष 26 में 15 बीपीएस घटकर 4.97% हो गई।
2. आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) वित्त वर्ष 26 में 1.31% रहा।
3. निवल मार्जिन ब्याज (एनआईएम) देशी वित्त वर्ष 26 में 3.63% रहा।
4. प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय वित्त वर्ष 25 में ₹2922 लाख से वित्त वर्ष 26 में ₹ 414 लाख की वृद्धि के साथ ₹3336 लाख हो गया।
5. प्रति कर्मचारी लाभ वित्त वर्ष 25 में ₹27.25 लाख से वित्त वर्ष 26 में ₹2.97 लाख की वृद्धि के साथ ₹30.22 लाख हो गया।

डी) निवल मालियत एवं सीआरएआर

1. बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2025 में ₹57,029 करोड़ के सापेक्ष यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को ₹65,628 करोड़ रही।
2. यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को भारत सरकार की शेयरधारिता 73.84% है।

(% में)

बेसल III के अनुरूप सीआरएआर	यथास्थिति	
	31.03.2025	31.03.2026
सीईटी - I	15.36	16.40
टियर I - पूंजी	15.85	16.40
टियर II - पूंजी	2.09	1.53
कुल	17.94	17.93

1. बेसल III मानदंडों के अनुसार, सीईटी-I अनुपात, न्यूनतम अपेक्षा **8.00%** के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 को **15.36%** की तुलना में दिनांक 31.03.2026 को **16.40%** रहा।
2. टियर-I पूंजी यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को **15.85%** के सापेक्ष यथास्थिति मार्च 31, 2026 को **16.40%** रही।
3. जोखिम भारित आस्तियों के साथ पूंजी अनुपात (सीआरएआर) **11.50%** की विनियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 31 मार्च, 2025 में **17.94%** की तुलना में यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को **17.93%** रहा।

ई. भर्ती/प्रशिक्षण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक जहां भी लागू हो, सीधी भर्ती के तहत एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी को आरक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया में

एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

अपना त्यागपत्र सौंप दिया। तदनुसार, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा दिनांक 28.11.2025 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।

एफ. वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियुक्त/नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 26 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने नियुक्त/नामांकित किया है।

- दिनांक 24.11.2025 के प्रभाव से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सुश्री मिनी टी एम को;
- दिनांक 11.04.2025 के प्रभाव से बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री बालमुकुंद सहाय को;
- दिनांक 11.04.2025 के प्रभाव से बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री विश्वेश कुमार गोयल को;
- दिनांक 31.12.202 के प्रभाव से श्री भूपिंदर सिंह भल्ला को दिनांक 08.03.2027 तक की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति की अवधि पूरी होने या समाप्त होने से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

- श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक के रूप में अधिवर्षिता पर दिनांक 30.06.2025 को पदमुक्त कर दिया गया और तदनुसार वे दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नहीं हैं।
- श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30.07.2025 के उस निर्देश के अनुसरण में; जिसके द्वारा 'पैरा-बैंकिंग' गतिविधियों से जुड़े भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवारत कर्मचारियों को दिनांक 02 अगस्त, 2019 के 'मास्टर दिशानिर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) निर्देश, 2019' (यथास्थिति 03 जून, 2020 तक अद्यतन) के पैरा 4.3(iv)(b) के प्रावधानों की शर्तों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित किया गया था, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा ने दिनांक 28.11.2025 के पत्र के माध्यम से

जी) निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी अभिकथन

सभी निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे को तैयार करने में :-

1. तात्त्विक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है;
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीतियों को पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की वास्तविक स्थिति एवं 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमानों पर बनाया गया है।
4. भारत में बैंकों पर लागू अभिशासित विधानों के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेखा-अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; तथा
5. लेखे को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।

एच) बैंक के बोर्ड और उसके निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक प्रतिष्ठित बाह्य विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। मूल्यांकन पद्धति को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और बोर्ड मूल्यांकन पर एसईबीआई मार्गदर्शन नोट (परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2017/004 दिनांक 5 जनवरी, 2017) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में, बाह्य विशेषज्ञ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड, बोर्ड-स्तरीय समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन किया है।

आई) आभार

बोर्ड भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनसे प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए कोटिशः आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और प्रतिनिधि बैंकों के प्रति उनके सहयोग और सहायता के लिए भी आभारी है। बोर्ड अपने ग्राहकों और शेयरधारकों के अनवरत समर्थन के प्रति आभार अभिव्यक्त करता है।

बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्ति पर **श्री महेश कुमार बजाज और श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा** द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी सराहना प्रस्तुत करता है।

बोर्ड, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं एवं योगदान के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2025 में व्यावसायिक परिवर्तनों एवं भू-राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आघात सहनीयता दर्शायी है, हालांकि, मांग में कमी एवं बढ़ते टैरिफ के कारण इसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिससे भावी संवृद्धि दर में मंदी की आशंका पैदा हुई है। तैयार माल की बहुतायत एवं सरल वित्तीय परिस्थितियों से मिलने वाला अल्पकालिक समर्थन अब कम हो रहा है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधि धीमी हो जाने के कारण व्यापार एवं वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही है।
- वर्ष 2025 में मूल मुद्रास्फीति में कमी के साथ वैश्विक मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंकों के लक्ष्यों के और करीब पहुंच गई है, हालांकि, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सतत विचलन बना हुआ है। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दबाव के कारण समग्र मुद्रास्फीति में सामान्य वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) को इसमें राहत मिली है। वस्तुओं की तुलना में सेवा मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही, यद्यपि श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार के साथ इसमें भी कमी आ रही है।
- इस परिदृश्य में, प्रमुख केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बीच कठिन संतुलन बनाना पड़ रहा है; ऐसे में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया के क्रमिक और आंकड़ों पर निर्भर बने रहने की उम्मीद है।
- वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार टैरिफ-संचालित विसंगतियों से प्रभावित रहा जिसमें वर्ष की शुरुआत में आयात में तेजी देखी गई और उसके उपरांत व्यापार प्रवाह में गिरावट आने लगी तथा टैरिफ जोखिम एवं निर्यात विविधीकरण के आधार पर देशों के मध्य अंतर बढ़ता गया। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, व्यापार वृद्धि दर वर्ष 2025 के 5.1 प्रतिशत से घटकर 2026 में 2.8 प्रतिशत रह सकती है, जिसमें 2027 तक इसमें 3.8 प्रतिशत तक सुधार होने की संभावना है।
- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव एवं मध्य-पूर्व से जुड़ी आपूर्ति संबंधी रुकावटों के कारण वैश्विक परिदृश्य कमजोर हुआ है; तदनुसार आईएमएफ ने वर्ष 2026 में 3.1% और वर्ष 2027 में 3.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है (जिसमें 0.2 प्रतिशत अंक की कटौती की गई है), वहीं वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2026 में बढ़कर 4.4% और वर्ष 2027 में

घटकर 3.7% रहने की उम्मीद है। समग्रतः, विशेष रूप से ऋण, पण्य निर्भरता एवं भू-राजनीतिक विखंडन के कारण अधिक सुभेद्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीईएस) के लिए जोखिम अभी भी अधोगामी बनी हुई है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था

- संशोधित आधार वर्ष (2022-23) के तहत जारी प्रथम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। त्योहार संबंधी मांग और जीएसटी से प्राप्त समर्थन ने आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया है। इस नई श्रृंखला में बेहतर डेटासेट और कार्यप्रणाली को शामिल किया गया है, जो आर्थिक कार्यनिष्पादन का अधिक सटीक और समकालीन दृश्य प्रस्तुत करता है।
- निरंतर वैश्विक अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से आघात-सह बनी रही, जो इसके उच्चावृत्ति संकेतकों से स्पष्ट है, हालांकि, वर्ष के अंत में मंदी के शुरुआती संकेत दिखाई दिए हैं। उच्चावृत्ति संकेतकों ने वित्तीय वर्ष 2026 में आर्थिक सुदृढ़ता के जारी रहने का इशारा किया है: ई-वे बिल जनरेशन बढ़कर 156 करोड़ (19.5%) हो गया है, जबकि पीएमआई में कमी के बावजूद यह विस्तारीत बना हुआ है। आपूर्ति व्यवधानों के कारण मार्च 2026 में मुख्य क्षेत्र में वृद्धि धीमी होकर 2.6% रह गई है।
- समय-समय पर बढ़ते दबावों के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही है। वित्त वर्ष 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.62 प्रतिशत से घटकर 2.06 प्रतिशत पर आ गई, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण हुआ और सीपीआई की सभी उप-श्रेणियों में मुद्रास्फीति सहन सीमा के भीतर बनी रही। रबी की अच्छी पैदावार, पर्याप्त जलाशय स्तर एवं पर्याप्त खाद्यान्न बफर स्टॉक के कारण खाद्य मुद्रास्फीति का परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है, हालांकि अल नीनो की भावी संभावनाएँ एक जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।
- बाहरी मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2026 में निर्यात में 0.93% की वृद्धि हुई, जबकि, आयात में 7.55% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे वाणिज्यिक वस्तुओं पर व्यापार घाटा बढ़ गया। वर्ष के दौरान अनिरंतर बढ़ोतरी के बावजूद सेवा निर्यात और विप्रेषण के समर्थन से चालू खाता घाटा जीडीपी के लगभग

1% के सामान्य स्तर पर बना रहा।

- पश्चिम एशिया के संघर्षों ने विशेष रूप से उर्वरक और रसायन जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के लिए एक बड़े बाह्य जोखिम को जन्म दिया है, हालांकि समय पर किए गए नीतिगत उपायों ने इसके तत्काल प्रभावों को सीमित करने में मदद की है। भावी परिदृश्य में, भले ही भू-राजनीतिक तनाव एवं पण्य कीमतों में अस्थिरता अल्पकालिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है, फिर भी वित्त वर्ष 2027 में भारतवर्ष सशक्त अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ प्रवेश कर रहा है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो आर्थिक गतिविधि में व्यापक मजबूती को दर्शाती है।

3. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026

- केंद्रीय बजट 2026-27, राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक विकास के बीच एक संतुलन बनाता है, जिसमें 'तीन कर्तव्यों' के अनुरूप कृषि, एमएसएमई में निवेश और निर्यात को प्राथमिकता देते हुए (अर्थात, i. आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और संवहनीय बनाए रखना ii. लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना iii. समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना)
- इस बजट में कुल रु.53.47 लाख करोड़ का व्यय परिवहन है जिसमें रु. 41.25 लाख करोड़ राजस्व व्यय और रु.12.22 लाख करोड़ की का पूंजीगत (कैपेक्स) शामिल है। इस बजट में कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) रु. 36.52 लाख करोड़ आकलित है और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% निर्धारण किया गया है जबकि शक्ल उधर रु.17. 28 लाख करोड़ रखा गया है जीडीपी के सापेक्ष ऋण का अनुपात 55.67 निर्धारित किया गया है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत, ऋण 55.6 प्रतिशत और सकल उधार रु.17.28 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। बड़े उधारी कार्यक्रम से सरकारी प्रतिभूतियों की आय बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बैंकों के राजकोषीय संविभाग प्रभावित होंगे, वहीं दूसरी ओर, कम घाटा वित्तीय विश्वसनीयता को सशक्त बनाता है, सॉवरेन रेटिंग का समर्थन करता है एवं भारतीय बैंकों के लिए विदेशी उधारी लागत को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- पूंजीगत व्यय के परिव्यय को बढ़ाकर रु.12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें राज्यों को रु. 2 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु अनुपूर्ति की गई है, जिससे परियोजना वित्तपोषण,

कार्यशील पूंजी ऋण तथा आरईआईटी के माध्यम से सीपीएसई परिसंपत्ति मुद्रीकरण द्वारा राजकोष निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी।

- बैंकिंग क्षेत्र को 'विकसित भारत' के अनुरूप बनाने के लिए बैंकिंग सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो अभिशासन, स्वामित्व और पूंजी संरचनाओं पर संभावित सिफारिशें देगी; यह सिफारिशें प्रतिस्पर्धा के स्वरूप में परिवर्तन कर सकती हैं एवं बैंकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपना विस्तार करने हेतु प्रेरित कर सकती हैं।
- एमएसएमई इक्विटी वित्तपोषण को सशक्त बनाने के लिए, रु.10,000 करोड़ के 'एसएमई वृद्धिशील निधि' और 'सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड' में रु.2,000 करोड़ के टॉप-अप की घोषणा की गई है, जिससे ऋण पर अति-निर्भरता कम होगी एवं उधारकर्ताओं के तुलन पत्र व क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होगा।

4. आरबीआई मौद्रिक नीति

आरबीआई एमपीसी ने अपनी अप्रैल 2026 की हालिया बैठक में, अमेरिका-ईरान संघर्ष से बढ़े भू-राजनीतिक जोखिमों, कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितताओं के बीच, रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और अपना रुख तटस्थ बनाए रखा।

चलनिधि को सपोर्ट करने के लिए, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 26 के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को भी 100 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया, जिससे बैंकों के लिए निधियन की शर्तें आसान हो गईं और क्रेडिट संचारण को सपोर्ट मिला।

- इसके समानांतर, आरबीआई ने पर्यवेक्षी अनुदेशों का समेकन और टी-आरईडीएस संबंधी एमएसएमई को शामिल करने की सरलीकृत प्रक्रिया सहित विनियामक भार को कम करने और व्यापार करने की सरलता को बेहतर बनाने हेतु उपाय किए हैं, जिससे अनुपालन और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी आई है।
- पूंजी पर्याप्तता ढांचे को ऐसे प्रस्तावों के माध्यम से युक्तिसंगत बनाया गया, जिनके तहत अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों को संबद्ध किए बिना सीआरएआर की गणना में तिमाही लाभों को सम्मिलित करने की अनुमति दी गई है और साथ ही अप्रैल 2026 के प्रभाव से 'निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि' (आईएफआर) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
- एमएसएमई वित्तपोषण को सुदृढ़ करने हेतु, आरबीआई ने संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया है, जिससे छोटे उद्यमों को ऋण मिलने में

मदद मिलेगी और वे अनौपचारिक वित्तपोषण पर कम निर्भर रहेंगे।

- मुद्रा बाजार सुधारों का उद्देश्य मीयादी मुद्रा बाजार में सहभागिता का विस्तार और एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए उधार लेने की सीमा में वृद्धि को सम्मिलित करते हुए बाजार की चलनिधि और व्यापकता का सुधार करना था।
- विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह हेतु, आरबीआई ने ₹2.5 लाख करोड़ की वीआरआर सीमा को हटा दिया है, जिससे निवेश 'सामान्य मार्ग' के अंतर्गत आ गया है और विदेशी निवेशकों के लिए लचीलापन बढ़ गया है।
- डिजिटल भुगतानों के प्रति विश्वासनीयता को सुदृढ़ करने एवं ग्राहकों की सुरक्षा हेतु, आरबीआई ने एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया है, जिसके तहत छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेन के लिए ग्राहकों को ₹25,000 तक का मुआवज़ा दिया जाएगा।

5. बैंकिंग क्षेत्र:

विगत खंड में यथाउल्लिखित, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण और जमा में शानदार वृद्धि, अनुकूल तरलता स्थितियों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए कई सहायक विनियामक उपायों के सहयोग से वित्तीय वर्ष 26 का समापन एक शानदार स्थिति में किया है। इस वर्ष के दौरान परिचालन परिवेश, पूंजी बाजारों में अस्थिरता, विदेशों से उधार लेने की बढ़ती लागत, मुद्रा संबंधी दबावों और घरेलू ऋण की निरंतर मांग से प्रभावित रहा।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.5% बढ़ी, जो लगभग दो वर्षों में सबसे तेज़ गति है। इक्विटी और अन्य आस्ति वर्गों में होनेवाले उतार-चढ़ाव से बैंक जमा की ओर रुझान बढ़ा और इसकी वृद्धि को बल मिला। यथास्थिति 31 मार्च, 2026 कुल जमाएं लगभग ₹262 लाख करोड़ रही।
- बैंक क्रेडिट में वर्ष-दर-वर्ष लगभग 16.1% की बढ़ोतरी हुई, जो जमा वृद्धि से अधिक थी। अधिक प्रतिफल और मुद्रा के मूल्यहास के बीच, बाज़ार-आधारित से बैंक वित्तपोषण की ओर हुए बदलाव से क्रेडिट की मांग को सहयोग मिला। खुदरा ऋण आघात सह बना रहा, जबकि कॉर्पोरेट्स ने निवेश के लिए बैंक निधीयन पर अपनी निर्भरता बढ़ाई और बाज़ार से निधि संग्रहण को टाल दिया। यथास्थिति 31 मार्च, 2026 कुल ऋण लगभग ₹214 लाख करोड़ रही।
- उधार और जमा दरों में परिवर्तन, चलनिधि की बदलती स्थितियों और नीतियों से संबद्ध घटनाक्रमों के अनुरूप रहा।

मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान, नवीन ऋण (रुपये में) संबंधी 'भारित औसत उधार दर' (डब्ल्यूएलआर) में 95 बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) की कमी आई; जबकि, इसी अवधि में 'भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर' (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 65 बेसिस पॉइंट्स की नरमी देखी गई। जमा दरों की तुलना में उधार दरों में अधिक तेज़ गिरावट, नीतिगत ढील के प्रभावी संचरण का संकेत देती है, जिसका प्रभाव मार्जिन संकुचन पर पड़ सकता है।

- नीति दर में हुए त्वरित बदलाव, कासा में नरमी और थोक निधीयन पर अधिक निर्भरता के कारण मार्जिन पर दबाव बढ़ा है। जिन बैंकों के पास सशक्त देयता फ्रैंचाइज़ी और चलनिधि बफ़र थे, वे बेहतर स्थिति में रहे।
- इस वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थितियां असमान रहीं, जो सरकारी कर भुगतानों और ऋण की मज़बूत मांग के कारण अधिशेष से बदलकर बीच-बीच में घाटे की स्थिति में आती-जाती रहीं। मार्च 2026 आते-आते तंगी और बढ़ गई, जब सिस्टम ने कैलेंडर वर्ष 2026 का अपना पहला घाटा दर्ज किया। आरबीआई ने चलनिधि को स्थिर बनाए रखने के लिए खुले बाजार परिचलानों, परिवर्ती दर रेपो नीलामी और विदेशी मुद्रा मध्यक्षेप के माध्यम से प्रतिक्रिया दी।
- बेहतर हामीदारी अंकन और समाधान प्रक्रियाओं के सहयोग से आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात एक वर्ष पूर्व सितंबर 2025 के 2.5% से घटकर में 2.1% हो गया, जिसमें सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिला।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में सहायता करना जारी रखा है। अविरत सुधारों से वसूली की दक्षता में सुधार और क्रेडिट अनुशासन को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
- भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए अल्प से मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसे विनियामक ढील, कॉर्पोरेट कैपेक्स पुनःप्रवर्तन और अविरत खुदरा मांग से प्रेरित उत्कृष्ट ऋण संवृद्धि का सहयोग प्राप्त है। जमा संवृद्धि धीमी हो सकती है, परंतु ऐतिहासिक रुझानों से ऊपर बनी रहेगी। अल्पावधि में मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, जिसमें वित्त 27 की दूसरी छमाही से सुधार होने की संभावना है। ढांचागत सुधारों और स्थिर आर्थिक परिस्थितियों के सहयोग से आस्ति गुणवत्ता स्थिर रहने की संभावना है।

आगामी वर्ष

वैश्विक विकास मध्यम रहने की संभावना है और विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए गिरावट का जोखिम बना हुआ है क्योंकि वित्तीय वर्ष 27 की शुरुआत एक ऐसे नाजुक वैश्विक माहौल में हो रही है, जो भू राजनीतिक जोखिमों, वस्तुओं की अस्थिर कीमतों और सतर्क मौद्रिक नीति सामान्यीकरण से घिरा हुआ है।

भारत वित्त वर्ष 2027 में तुलनात्मक रूप से मजबूत व्यापक आर्थिक आधारों के साथ प्रवेश कर रहा है। उपभोग की सुदृढ़ता, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय तथा निजी निवेश में क्रमिक पुनरुत्थान से समर्थित घरेलू मांग के वृद्धि को आधार प्रदान करने की संभावना है। तथापि, बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियाँ उद्योग एवं बाह्य क्षेत्र पर दबाव डाल सकती हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में बने रहने की संभावना है, तथापि, यह खाद्य एवं ऊर्जा संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी रहेगी, जबकि निकट अवधि में मार्जिन पर दबाव बने रहने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र से स्वस्थ ऋण विस्तार के माध्यम से वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

6. विस्तृत व्यावसायिक विहंगावलोकन

- दिनांक 31.03.26 (मार्च 26) को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने सभी आवश्यक व्यावसायिक मानदंडों में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। वैश्विक व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष 12.8% की वृद्धि हुई, जो यथास्थिति 31.03.25 के ₹13,25,294 करोड़ की तुलना में यथास्थिति 31.03.2026 को ₹14,94,839 करोड़ तक पहुँच गया। देशी व्यवसाय ने भी अच्छी वृद्धि दिखाई, जो विगत वर्ष के ₹12,49,249 करोड़ से 12.61% बढ़कर ₹14,06,768 करोड़ हो गया।
- कुल वैश्विक जमा में वर्ष-दर-वर्ष 12.3% की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के ₹7,37,154 करोड़ से बढ़कर यथास्थिति 31.03.26 को ₹8,27,726 करोड़ हो गया। देशी जमा समग्रतः ट्रेंड के अनुसार यथास्थिति 31.03.25 के ₹7,02,966 करोड़ की तुलना में 12.3% बढ़कर ₹7,89,283 करोड़ हो गया। ओवरसीज़ जमा में भी 12.5% की शानदार वृद्धि हुई, यथास्थिति 31.03.25 के ₹34,188 करोड़ की तुलना में यथास्थिति 31.03.26 को ₹38,443 करोड़ हो गया।
- यथास्थिति 31.03.26 को बचत बैंक जमा ₹2,69,098 करोड़ रहा, जो मार्च 2025 के ₹2,43,224 करोड़ से 10.6% वर्ष-दर-वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। कासा जमा विगत वर्ष के ₹2,82,854 करोड़ की तुलना में 10.9% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ ₹3,13,548 करोड़ रहा। कासा

अनुपात वैश्विक स्तर पर 37.88% और देशी परिचालन के लिए 39.67% रहा।

- कुल मीयादी जमा में 13.2% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई, यथास्थिति 31.03.25 के ₹4,54,300 करोड़ के सापेक्ष यथास्थिति 31.03.26 को ₹5,14,178 करोड़ तक पहुँच गई।
- वैश्विक अग्रिम में 13.4% की वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष के ₹5,88,140 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में ₹6,67,113 करोड़ हो गया। देशी ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 13.0% की वृद्धि हुई, जो यथास्थिति 31.03.25 के ₹5,46,283 करोड़ की तुलना में ₹6,17,485 करोड़ हो गया। विशेषकर मानक अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष 14.7% की वृद्धि हुई, जो आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है।
- बैंक का वैश्विक ऋण -जमा अनुपात 80.60% रहा, जो शानदार तरलता की स्थिति बनाए रखते हुए संसाधनों के सही उपयोग का संकेतक है।

6(ए) घरेलू जमाराशि :

- वित्त वर्ष 26 के दौरान देशी जमाराशि में 12.28% की वृद्धि हुई, कासा में 10.88% की वृद्धि हुई और यथास्थिति 31.03.26 को कासा जमा से कुल जमा अनुपात 39.67% रहा।
- देशी कासा में 10.88% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें से चालू खाता में 12.36% और बचत खाता में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.64% की वृद्धि हुई।
- बचत बैंक के तहत, वैयक्तिक जमा में 8.58% की वृद्धि, सरकारी जमा में 20.62% की वृद्धि और संस्थागत जमा में 1.18% कमी, एनआरआई जमा में 11.19% की वृद्धि, एफआई बचत बैंक सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.31% की वृद्धि हुई।
- मीयादी जमा में 14.38% की वृद्धि हुई, जिसमें खुदरा और थोक मीयादी जमा में क्रमशः 12.65% और 18.91% की वृद्धि हुई। वैयक्तिक आरटीडी सेगमेंट में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.68% की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 26 में अपनाई गई स्ट्रेटेजी

सेगमेंटेड फोकस: देयता वर्टिकल को सरकार, इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति, एनआरआई और एफआई जैसे सेगमेंट के आधार पर बिजनेस परिचालन हेतु पुनः तैयार किया गया है।

ग्राहक अभिग्रहण

- वित्त वर्ष 26 में, बैंक ने प्रति दिन प्रति शाखा औसतन

- 3.47 खाता के अनुसार ₹16192 करोड़ के शेष सहित 55.24 लाख बचत बैंक खाता खोले हैं। वित्त वर्ष 25 के दौरान, बैंक ने प्रति दिन प्रति शाखा औसतन 3.28 खाता के अनुसार ₹11545 करोड़ के शेष सहित 53 लाख खाता खोले थे। बैंक ने केवल वित्त वर्ष 26 के तिमाही 4 में ₹4703 करोड़ के शेष सहित 12.74 लाख बैंक बचत खाता खोले हैं। (खाता खोलने की वृद्धि - 4.21% वर्ष-दर-दर रही)
- वित्त वर्ष 26 के दौरान खोले गए कुल चालू खाता 1.48 लाख हैं, जिनमें औसतन शेष विगत वर्ष के 1.88 लाख से बढ़कर 2.64 लाख हो गया है।
- यथास्थिति मार्च 26 को, बीएसबीडी को छोड़कर सामान्य बचत बैंक का औसतन शेष 0.30 लाख से बढ़कर 0.41 लाख हो गया है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 26 में 3.04 लाख वेतनभोगी खाता खोले हैं, जो विगत वर्ष के 1.95 लाख खाता के सापेक्ष 56% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

डीईएफ एवं निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करना

- वित्त वर्ष 26 के दौरान, बैंक ने 33.62 लाख खातों को निष्क्रिय से सक्रिय स्थिति में रूपांतरित किया है, जिसकी कुल शेष ₹4,684.72 करोड़ है।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान कुल 61,993 खाते डीईए-निधि में अंतरित किए गए, जिनकी राशि ₹322.14 करोड़ थी।

सरकारी व्यवसाय (संसाधन और सरकारी संबंध (आर एंड जीआर) कक्ष)

बैंक ने वित्त वर्ष 26 के दौरान हैदराबाद और अमरावती में 2 नए आरएंडजीआर कक्ष स्थापित कर आरएंडजीआर कक्षों को बढ़ाया है। अब, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानियों में 20 आरएंडजीआर कक्ष हैं, जो सरकारी विभागों से संसाधन एकत्रित कर उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद, भुगतान समाधान, डैशबोर्ड इत्यादि प्रदान करते हैं।

- बैंक ने वित्त वर्ष 26 के दौरान 33 नए एसएनए खाता खोले हैं, जिससे यथास्थिति 31.03.26 तक शेष राशि ₹14568 करोड़ के साथ खातों की कुल संख्या 340 हो गई है।
- आरएंडजीआर कक्षों ने ₹35881 करोड़ (एनटीबी ₹8589 करोड़ और ईटीबी ₹27292 करोड़) का योगदान दिया, जो बैंक के कुल सरकारी कासा व्यवसाय का 55.45% है।
- बैंक ने यथास्थिति 31.03.26 तक शेषराशि ₹5948 करोड़ के साथ 2025-26 के दौरान 3434 गैर-एसएनए खाते खोले हैं।

- बैंक ने विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों को 195 कस्टमाइज़्ड फिनटेक सॉल्यूशन दिए हैं। जिनमें से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 52 फिनटेक सॉल्यूशन दिए गए।
- यथास्थिति 31.03.26 तक सरकारी क्षेत्रों से बैंक का कुल कासा व्यवसाय ₹64397 करोड़ (चालू खाता में 8902 करोड़ और बचत बैंक खाता में 55495 करोड़) रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 21.98% की वृद्धि हुई।

एनआरआई वर्टिकल:

- इस वर्ष के दौरान, बैंक ने एनआर एसबी में 11.19% और एनआर खुदरा मीयादी जमाओं में 26.92% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि की है।
- बैंक ने विशेष रूप से एनआरआई ग्राहकों के लिए समर्पित 24*7 कॉल सेंटर शुरू किए हैं।
- एनआर केन्द्रित शाखा कर्मचारियों के लिए ज्ञान और ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

इंड-बैंक - ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (आईजीएसएसएल)

- एनटीबी ग्राहक अभिग्रहण के परिमाण और मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए 9 एफजीएम के तहत 45 अंचल में आईजीएसएसएल के कुल 535 एफओएस कर्मचारियों को पदस्थ किया गया और वित्त वर्ष 26 के दौरान ₹1351 करोड़ संग्रहित किए गए।

6(बी) खुदरा ऋण:

(₹ करोड़ में)

खुदरा	31.03.25	31.03.25	31.03.26	वर्ष -दर-वर्ष (%)
गृह ऋण (बंधक ऋण सहित)	74480	82362	84450	13%
बंधक ऋण	10847	13131	13175	21%
ऑटो ऋण	11536	15540	16153	40%
शिक्षा ऋण	4503	4480	4297	-5%
वैयक्तिक ऋण	7288	6706	6502	-11%
ज्वेल ऋण गैर-प्राथमिक	9706	16338	18527	91%
अन्य खुदरा ऋण	11584	10766	11468	-1%
कुल	119097	136192	141396	19%

वित्त वर्ष 26 के दौरान, ₹76,753 करोड़ के खुदरा ऋण संस्वीकृत

किए गए, जबकि वित्त वर्ष 25 में ₹55,414 करोड़ संस्वीकृत किए गए थे।

बैंक ने वित्त वर्ष 26 के दौरान खुदरा आस्तियों की वृद्धि हेतु निम्नलिखित पहलें अपनाई हैं:

- हमने जुलाई 25 से मार्च 26 तक मांग बढ़ाने और लक्ष्य हासिल करने के लिए समर्पित खुदरा ऋण अभियान चलाया। इस दौरान शुरू किए गए इन क्रेडिट अभियानों के कारण बैंक ने ₹51,100 करोड़ के कुल लक्ष्य का ₹47,474 करोड़ (92.90%) प्राप्त किया।
- डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन (डीडीई) को लागू करना- बैंक ने एनईएसएल के साथ मिलकर कई ऋण उत्पादों जैसे गृह ऋण, शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण, पीएस सूर्य घर और अन्य ऋणों में डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन को प्रारंभ किया है। यह सुविधा गृह ऋण, वाहन ऋण, ज्वेल ऋण, रूफटॉप सोलर ऋण, स्टाफ ओडी और स्टाफ वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और मीयादी जमा के सापेक्ष ऋण सुविधाएं जैसी सभी डिजिटल सेवाओं में भी लागू की गई है।
- इस पहल से ई-स्टैम्पिंग के साथ आसान डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो पाया है, जिससे शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है और ग्राहकों की सुविधा और प्रोसेसिंग एफिशिएंसी में काफी सुधार हुआ है।
- डिजिटल यात्राओं के साथ दस्तावेजों का ई-प्रमाणिकरण और आर्काइवल और एसेट मैनेजमेंट सेंटर (डीएएमसी) मॉड्यूल का एकीकरण। डीएएमसी मॉड्यूल सभी डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस में एकीकृत है,** जिससे संस्वीकृति के उपरांत डीएएमसी अनुमोदन अनुरोध का स्वतः सबमिशन, **डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म** के माध्यम से दस्तावेज निष्पादन और ऋण खाता सृजन सहित आसान लिंकेज संभव हो पाता है।
- एनएसीएच अधिदेश सुविधा गृह ऋण और वाहन ऋण** के लिए शुरू कर दी गई है, ताकि, ईएमआई का भुगतान आसानी से हो सके, संग्रहण कौशल बेहतर हो, एसएमए स्लिपेज के मामले कम हों और नतीजतन, ऋण लेने वाले का सीआईसी स्कोर बेहतर हो, ताकि, चुकौती अनुशासन और समग्रतः पोर्टफोलियो गुणवत्ता मजबूत हो सके।

6(सी) कृषि

- यथास्थिति 31.03.25 को बैंक का कृषि ऋण ₹1,37,627 करोड़ से 11.28% बढ़कर यथास्थिति 31.03.26 को ₹1,53,150 करोड़ हो गया।

- बैंक ने वित्त वर्ष 26 में ₹23,100 के आईबीपीसी इश्यू दर्ज किए हैं। आईबीपीसी समेत कृषि-ऋण ने वर्ष-दर-वर्ष 28.06% की वृद्धि हासिल की है।

- यह विगत दस वर्षों में बैंक द्वारा जारी किया गया पहला आईबीपीसी था।**

कृषि संवितरण:

- कृषि के लिए बुनियादी आधार पर दी जाने वाली ऋण (जीएलसी) के तहत, वित्त वर्ष 26 के दौरान ₹1,42,138 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹1,54,804 करोड़ के कृषि ऋण संवितरित किए गए।
- उपर्युक्त में से, ₹75,529 करोड़ 39.89 लाख छोटे और सीमांत किसानों को संवितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 26 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत आरबीआई के अनिवार्य लक्ष्यों के तहत कार्यनिष्पादन

- यथास्थिति 31.03.2026 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹2,14,943 करोड़ था। एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र 40% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 41.46% रहा।
- यथास्थिति 31.03.2026 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि ऋण ₹96,191 करोड़ था और एएनबीसी का प्रतिशत 18% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष 18.55% रहा।
- यथास्थिति 31.03.2026 को लघु किसान /सीमांत किसानों को प्रदत्त ऋण ₹53,112 करोड़ था और 10% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 10.24% रहा।
- यथास्थिति 31.03.2026 को कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण ₹71,586 करोड़ था जो 12% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी का 13.81% रहा।
- यथास्थिति 31.03.2026 को एमएसई-सूक्ष्म उद्यमों को 58,256 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी का 11.24% रहा।
- यथास्थिति 31.03.2025 को गैर-कॉर्पोरेट किसानों को 83,175 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो 14.00% के अनिवार्य लक्ष्य के सापेक्ष एएनबीसी का 17.01% रहा।

स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण प्रवाह

- बैंक एसएचजी लिंकेज में अग्रणी रहा और यह वर्ष 1989 से एसएचजी को फंड देने वाला पहला बैंक था। यथास्थिति 31.03.26 को एसएचजी का बकाया ऋण ₹22,748

करोड़ था, जिसमें 5.03 लाख एसएचजी शामिल थे। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 3.13 लाख एसएचजी (34.43 लाख मेंबर) को ₹17,800 करोड़ दिए।

- बैंक ने वित्त वर्ष 26 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः ₹10,779 करोड़ और ₹11,388 करोड़ के सापेक्ष संवितरण ₹14,886 करोड़ और बकाया ₹22323 करोड़ दोनों को पार कर लिया है।

लखपति दीदी

- सरकारी पहल के अनुरूप, बैंक ने वैयक्तिक कृषि/एमएसएमई व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए वैयक्तिक महिला सदस्यों को वित्तपोषित करने हेतु "लखपति दीदी" के तहत एक विशिष्ट उत्पाद लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 26 के दौरान, बैंक ने 19,527 महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को ₹280 करोड़ की राशि वित्तपोषित की है। बैंक ने 37,458 महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की मदद की और इस योजना के तहत ₹494 करोड़ संवितरित किए।
- बैंक को वित्त वर्ष 26 के लिए "लखपति दीदी योजना" के तहत पीएसबी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादक के रूप में चयनित किया गया है।

माइक्रोसेट शाखाएं:

- वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने 3 नई माइक्रोसेट शाखाएं खोली हैं। यथास्थिति 31.03.2026 को कुल 59 माइक्रोसेट शाखाएं कार्यरत हैं, जो एसएचजी के तहत केंद्रित ऋण देने के लिए विशेष शाखाएं हैं और इन शाखाओं में बकाया राशि बैंक के कुल एसएचजी पोर्टफोलियो का 20% है। ये शाखाएँ 'वन स्टॉप शॉप' - ऋण के साथ-साथ प्रशिक्षण, खातों/बही आदि को बनाए रखने जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से 44134 एसएचजी को ₹3519 करोड़ का ऋण दिया गया है। यथास्थिति मार्च 2026 को 66469 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम ₹4564 करोड़ रहा।

कमजोर वर्ग अग्रिम:

बैंक लगातार कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को पार कर रहा है जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।

- यथास्थिति मार्च 2026 को कमजोर वर्गों को ऋण ₹71,586 करोड़ था, जो 12% के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष एएनबीसी का 13.81% है।

- **अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक ऋण अभियान का पालन:** अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को ऋण में सुधार के लिए तिमाही आधार पर विशेष अभियान चलाए गए।
- यथास्थिति 31.03.2025 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण क्रमशः ₹7,178 करोड़ और ₹19,223 करोड़ दिया गया।

6(डी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- वर्ष के दौरान, बैंक ने 10.95 लाख एमएसएमई यूनिट्स को क्रेडिट सहयोग दी और यथास्थिति 31.03.26 तक एमएसएमई ऋण बही ₹1,09,580 करोड़ थी।
- यथास्थिति 31.03.25 के 11.92% की तुलना में यथास्थिति 31.03.26 को एमएसएमई ऋण बही में वर्ष-दर-वर्ष 16.39% की वृद्धि रही। यह वित्त वर्ष 25 में हुई वृद्धि से बहुत बेहतर है।
- यथास्थिति 31.03.26 तक एएनबीसी के 7.50% के आवश्यक लक्ष्य के सापेक्ष **सूक्ष्म उद्यम को प्रदत्त ऋण एएनबीसी का 11.24% है।**
- एमएसएमई पोर्टफोलियो के **आस्ति गुणवत्ता** में काफ़ी सुधार हुआ है और यथास्थिति 31.03.25 के एनपीए % 7.93% (₹7,470 करोड़) से घटकर यथास्थिति 31.03.26 को 4.06% (₹4,450 करोड़) हो गया है।

शुरू की गई नई पहल:

- बैंक ने ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक के एमएसएमई उधारकर्ताओं को इवैल्यूएट करने के लिए **एडवांस्ड एनालिटिक्स स्कोरिंग मॉडल "एसएलआईसीई" (एसएमई लेंडिंग इंटीग्रेटेड क्रेडिट इंजन)** लागू किया है। यह मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट रेटिंग देने के लिए एडवांस्ड डेटा-ड्रिवन तकनीक का उपयोग करता है।
- **प्रोपेंसिटी मॉडल को लागू करना:** आगामी 3-12 महीनों में एमएसएमई ऋण देने की प्रवृत्ति वाले मौजूदा चालू-खाता ग्राहकों की पहचान करने के लिए एनालिटिकल मॉडल।
- क्रेडिट सोर्सिंग को मज़बूत करने के लिए शाखा को प्री-क्वालिफाइड एमएसएमई लीड्स सृजित करने के लिए फिनटेक मेसर्स परफियोस के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया गया है।

डिजिटल यात्राएं

- सभी मुद्रा वेरिफाई जैसे शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस के लिए डिजिटल यात्राएं शुरू की गई हैं; पीएम स्वनिधि (मीयादी ऋण और क्रेडिट कार्ड दोनों)
- एमएसएमई ऋण तहत ₹20.00 लाख तक के लिए स्वतः नवीनीकरण एवं संवर्धन यात्राएं शुरू की गई हैं।

वित्त वर्ष 26 के दौरान शुरू की गई अन्य बड़ी पहलें:

इंड एमएसएमई डिजी (नई ऋण मूल्यांकन मॉडल - एनसीएम) को ₹5 करोड़ तक के ऋण और ₹2,558 करोड़ के पोर्टफोलियो के 12,339 अकाउंट को बिना किसी गलती के अनुमोदित करने के लिए विस्तारित किया गया है।

बैंक ने एमएसएमई ग्राहक एप्लीकेशन **INDSMART** लॉन्च किया है, जो एमएसएमई की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन है। लॉन्च होने के बाद से, ऐप को 91,000 बार डाउनलोड किया गया है, ₹9,934 करोड़ कीमत के 9,00,466 लेनदेन हुए हैं।

रिलेशनशिप मैनेजमेंट (आरएम) मॉडल:

- बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को व्यक्तिगत, एंड-टू-एंड एंगेजमेंट देने हेतु 500 हाई-पोर्टेंशियल सेंटर्स में एक समर्पित **आरएम मॉडल** शुरू किया है।
- आरएम ऐप - "इंड कनेक्ट"** को आरएम को ग्राहक प्रोफाइल एक्सेस और मैनेजमेंट टूल्स के साथ डिजिटली मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

प्रमुख अभियान - एमएसएमई राइज़:

- एमएसएमई राइज़ को **एनटीबी** ग्राहकों के माध्यम से नया एमएसएमई व्यवसाय प्राप्त करने और **मौजूदा-से-बैंक (ईटीबी)** ग्राहकों के माध्यम से व्यवसाय संवृद्धि के दोहरे उद्देश्य से दिनांक **04.06.25-31.03.26** तक लॉन्च किया गया था।
- कैंपेन के दौरान **₹8,867 करोड़** के प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए, जिनमें से ₹4,602 करोड़ एनटीबी ग्राहकों को संस्वीकृत किए गए।
- वित्त वर्ष 25 में प्रतिभूत उधार 38% से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 43% हो गई।

6(ई) कॉर्पोरेट ऋण

- मार्च 2026 को बैंक का कॉर्पोरेट ऋण ₹2,13,359 करोड़ रहा, जो बैंक के समग्र देशी ऋण का 34% है। वित्त वर्ष

2026 के दौरान, कॉर्पोरेट ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9% की वृद्धि हुई है। उच्च व्यवसाय संभाव्य केंद्रों पर स्थित 7 लार्ज कॉर्पोरेट शाखाएं और 31 मिड कॉर्पोरेट शाखाएं कॉर्पोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

- उभरते और नामोद्विष्ट चैंपियन सेक्टर जैसे डेटा सेंटर, केमिकल, फार्मा, पर्यटन, आतिथ्य, रक्षा, तेल और गैस, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि ऋण पोर्टफोलियो मूल्यवृद्धि हो सके और वृद्धि हासिल की जा सके। सौर मॉड्यूल निर्माण, सिटी गैस वितरण (सीजीडी), स्मार्ट मीटरिंग और नकदी प्रवाह-आधारित ऋण जैसे अन्य बुनियादी ढाँचे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

6(एफ) विदेशी ऋण

- बैंक की सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में तीन विदेशी शाखाएँ हैं और गिफ्ट सिटी गांधी नगर, गुजरात में एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) है। यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का कुल बकाया अग्रिम (सकल) 49628 करोड़ रुपये था, जिसमें पिछले वर्ष रु.41857 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष 18.57% की वृद्धि दर्ज की गई है।

6(जी) विदेशी मुद्रा व्यवसाय

- मार्च'26 के दौरान, बैंक का मर्चेन्ट विदेशी मुद्रा विनियम टर्नओवर तिमाही-दर-तिमाही में 30.1% और वर्ष-दर-वर्ष में 21.7% बढ़कर ₹1,04,375 करोड़ हो गया।
- वैश्विक संकटों के बावजूद, बैंक के एक्सपोर्ट क्रेडिट पोर्टफोलियो में तिमाही-दर-तिमाही 2.3% और वर्ष-दर-वर्ष 2.0% की वृद्धि हुई, जो मार्च 26 में ₹2,927 करोड़ तक पहुंच गया।
- इंड ट्रेड नेक्स्ट** - बैंक का डिजिटल कस्टमर एंटरप्राइज (सीई) पोर्टल कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए ट्रेड फाइनेंस और विदेशी मुद्रा लेनदेन ऑनलाइन प्रारंभ करने हेतु शुरू किया गया था। यह 24/7 एक्सेस के साथ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रेमिटेन्स और गारंटी में फॉरेक्स सर्विसेज़ की एक बड़ी रेंज देता है। यह प्लेटफॉर्म शाखा जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है और तत्काल लेनदेन ट्रेडिंग देता है।

6(एच) अनिवासी व्यवसाय

- 31.03.26 को एनआरआई जमा पोर्टफोलियो ₹14,463 करोड़ से बढ़कर ₹17,687 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष दर वर्ष 22.29% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि बैंकिंग उद्योग में दर्ज की गई सर्वाधिक वृद्धियों में से एक है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान एनआरआई व्यवसाय हेतु की गई प्रमुख पहलें

1. बैंक ने उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के लिए तीन एनआरआई बचत बैंक वेरिएंट पेश किए हैं, जिसके तहत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लाउंज की सुविधा, दुर्घटना बीमा, तथा हवाई अड्डे से पिक-अप और ड्रॉप जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही, बैंक ने लचीली मासिक किस्त वाली एक आवर्ती जमा योजना की भी शुरुआत की है।
2. बैंक ने विदेशों से अत्यंत तीव्र गति से धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक एपीआई एकीकृत त्वरित धन-प्रेषण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है और इसके लिए मध्य पूर्व के 3 विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ समझौता किया है।
3. नौ देशों के अनिवासी ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबरों के साथ एक 24x7 ग्राहक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है।
4. बैंक ने केरल सरकार के एनआरआई कल्याण संगठन, नोर्का (एनओआरकेए) रूट्स के साथ एक साझेदारी किया है और इसके तहत भविष्य में नोर्का रूट्स द्वारा आयोजित प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण सत्रों में अनिवासी भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
5. 'इंड एनआर कनेक्ट' के माध्यम से देश भर के अनिवासी ग्राहकों के साथ एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्राहकों ने सहभागिता की।

6(आई) वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते:

- यथास्थिति मार्च'26 को बैंक में कुल 246.52 लाख पीएमजेडीवाई खाते थे। यथास्थिति मार्च'26 तक पीएमजेडीवाई खातों में कुल बकाया शेष ₹14,471 करोड़ रहा, जिसमें 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का प्रति पीएमजेडीवाई खाता औसत शेष ₹5,755 रहा, जो औद्योगिक औसत ₹5,269 के सापेक्ष उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- बैंक ने सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लगातार अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- पीएमजेडीवाई के तहत, बैंक ने 10.85 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 11.23 लाख खातों का आंकड़ा हासिल किया, जो 104% की उपलब्धि दर्शाता है।
- पीएमजेडीवाई के तहत, बैंक ने मार्च'26 के 19.17 लाख



इंड एनआर कनेक्ट कार्यक्रम, चेन्नै



इंड एनआर कनेक्ट कार्यक्रम, एर्नाकुलम

के लक्ष्य के सापेक्ष 21.01 लाख का आंकड़ा हासिल किया, जो 110% की उपलब्धि दर्शाता है।

- पीएमएसबीवाई के तहत, बैंक ने मार्च'26 के 26.19 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 28.12 लाख का आंकड़ा हासिल किया, जो 107% की उपलब्धि दर्शाता है।
- एपीवाई के तहत, बैंक ने 5.83 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 6.05 लाख का आंकड़ा हासिल किया, जो 104% की उपलब्धि दर्शाता है। प्रति शाखा औसत खाता (एएपीबी) 100 के लक्ष्य के सापेक्ष 104 रहा।

प्रमुख एफआई मापदंडों का संचयी नामांकन:

(संख्या लाख में)

योजना का नाम	मार्च'25	दिसंबर'25	मार्च'26
पीएमजेडीवाई	235.29	245.59	246.52
पीएमजेडीबीवाई	85.52	103.71	109.15
पीएमएसबीवाई	190.81	216.28	223.31
एपीवाई	44.82	49.78	51.12

उद्योग की तुलना में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में बाज़ार हिस्सेदारी:

योजना का नाम	मार्च'25	दिसंबर'25	मार्च'26	बीपीएस में सुधार (वर्ष दर वर्ष)
पीएमजेजेबीवाई	3.64%	3.95%	4.02%	+38
पीएमएसबीवाई	3.76%	3.86%	3.88%	+12

बीसी नेटवर्क:

मार्च'25 के 14,667 के मुकाबले यथास्थिति मार्च'26 को बैंक के पास 20 कॉर्पोरेट बैंक मित्र (सीबीसी) और 17,032 बैंक मित्र (बीसी) हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 2,365 नए बैंक मित्र (बीसी) नियुक्त किए हैं।

कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता:

- इंडसेटी (इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान):** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 1,386 कार्यक्रमों के माध्यम से 37,600 के लक्ष्य के सापेक्ष 42,593 अभ्यर्थियों (उपलब्धि- 113%) को प्रशिक्षित किया गया।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):** वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं, जैसे बैंक खातों के संचालन के तरीके और उनके लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग उत्पाद, साइबर सुरक्षा आदि, पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) शिविर आयोजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान, 44 एफएलसी द्वारा 4,513 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 2,29,655 प्रतिभागियों ने सहभागिता किया।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल):** वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान 142 सीएफएल द्वारा कुल 45,657 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 15,58,592 प्रतिभागियों ने सहभागिता किया।

पुरस्कार/प्रशंसा

क्रम संख्या	अभियान	अवधि	उपलब्धि %	पुरस्कार के लिए अहर्ता
1	एपीवाई प्रीमियर लीग	1 मई'25 - 15 जून'25	103.86%	एपीएल एक्सीलेंस कप
2	एपीवाई ट्रेडसेटर अभियान	16 जून'25 - 2 अगस्त'25	104.68%	एपीवाई विज्ञानेरी ट्रेडसेटर

3	एपीवाई नेतृत्व शिखर अभियान	3 अक्टूबर'25 - 30 नवंबर '25	115%	पार एक्सलेन्स लीडरशिप अवॉर्ड
4	इंडियन बैंक को आईबी साथी - बीसी प्रबंधन एप्लिकेशन पहल के लिए बीएफएसआई गोल्ड श्रेणी के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।			

6(जे) बैंकएश्योरेंस एवं म्यूचुअल फंड

- बैंक ने बैंकएश्योरेंस एवं वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय से वित्तीय वर्ष 2025 में ₹180.58 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026 में ₹195.39 करोड़ की आय अर्जित की है।
- बैंक ने म्यूचुअल फंड वितरण और डीमैट एवं ट्रेडिंग सेवाओं के लिए मैसर्स फिसडम और मैसर्स आईबीएमबीएस के साथ समझौता किया है, और ये दोनों सेवाएं हमारे मोबाइल और नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं।
- बैंक के बोर्ड ने बैंकएश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट संबंधी नीति को मंजूरी दी है, जो बीमा और वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों के लिए ग्राहक अनुरोध, सेवा, शिकायत निवारण की पद्धति को परिभाषित करती है।
- डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म (आईएसएनपी प्रमाणन) की शुरुआत करके बैंकएश्योरेंस वर्टिकल का स्वचालन करना, जिसका उद्देश्य इस चैनल का 100% डिजिटलीकरण करना है। वर्तमान में, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं बैंक के डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।

6(के) सरकारी जमा/बचत योजनाएं

सुकन्या समृद्धि योजना

वित्त वर्ष 26 के दौरान 14,486 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 1,89,731 हो गई। वित्त वर्ष 26 के दौरान संग्रहीत राशि ₹40.32 करोड़ और बकाया राशि ₹2103.26 करोड़ रही।

लोक भविष्य निधि

वित्त वर्ष 26 के दौरान 32,152 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 7,16,427 हो गई। वित्त वर्ष 26 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 59.08 करोड़ और बकाया राशि ₹ 12,988.88 करोड़ रही।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

वित्त वर्ष 26 के दौरान 43,639 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 2,86,239 हो गई। वित्त वर्ष 26 के दौरान संग्रहीत राशि ₹ 3,089.64 करोड़ और बकाया राशि ₹ 12,524.28 करोड़ रही।

किसान बचत प्रमाण पत्र

वित्त वर्ष 26 के दौरान 4,887 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 8,213 हो गई। वित्त वर्ष 26 के दौरान संग्रहीत राशि ₹37.30 करोड़ और बकाया राशि ₹ 63.27 करोड़ रही। केवीपी का शुभारंभ दिनांक 11.08.2023 को किया गया था।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII अंक (एनएससी)

वित्त वर्ष 26 के दौरान 11,071 नए खाते खोले गए, जिससे खातों की संख्या कुल 15,208 हो गई। वित्त वर्ष 2026 के दौरान संग्रहीत राशि ₹148.06 करोड़ और बकाया राशि ₹ 186.39 करोड़ रही।

7. शाखा नेटवर्क एवं प्रसार

यथास्थिति 31.03.2026 को बैंक का देशी शाखा नेटवर्क 6001 शाखा है, जिसमें 2011 ग्रामीण, 1605 अर्ध शहरी, 1195 शहरी और 1190 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक की 3 विदेशी शाखाएँ, यथा सिंगापुर, कोलंबो, जाफ़ना और एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गिफ्ट सिटी गांधी नगर, अहमदाबाद में है।

वित्त वर्ष 26 के दौरान, बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करते हुए 102 नई शाखाएँ खोलीं हैं, जिसमें 1 सीनियर कनेक्ट शाखा (विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए), 2 'मिड कॉर्पोरेट' शाखाएँ एवं एसएचजी के लिए 2 माइक्रोसेट शाखाएँ, 3 विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएँ एवं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 11 शाखाएँ, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 10 शाखाएँ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 शाखा शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने बैंकिंग आउटलेट्स के समेकन की दिशा में 2 शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया।

8. डिजिटल परिवर्तन और स्वीकार्यता

- बैंक ने 153 डिजिटल जर्नी/उपयोगिताओं/प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 25 के दौरान ₹ 1.67 लाख करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026 में ₹ 2.72 लाख करोड़ का डिजिटल व्यवसाय हासिल किया है।
- वित्तीय वर्ष 25 की तुलना में वित्तीय वर्ष 26 में डिजिटल व्यवसाय में वार्षिक आधार पर ~1.6 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए खुदरा, कृषि एवं डिजिटल देयता खंडों के अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्य को पार कर लिया है।
- वित्तीय वर्ष 26 में डिजिटल खुदरा आस्ति व्यवसाय



₹50,656.37 करोड़, डिजिटल कृषि व्यवसाय ₹1,59,049.98 करोड़ और डिजिटल एमएसएमई व्यवसाय ₹24,052.52 करोड़ रहा।

- देयता खंड के तहत, वित्तीय वर्ष 26 के दौरान डिजिटल व्यवसाय में वर्ष दर वर्ष ~1.2 गुणा वृद्धि दर्ज करते हुए, बैंक ने ₹36,332.07 करोड़ का डिजिटल देयता व्यवसाय किया।
- वित्तीय वर्ष 2026 में समग्रतः डिजिटल अंगीकरण की दर 87% (खातों के संदर्भ में) और 78% (राशि के संदर्भ में) है।
- खुदरा, कृषि और एमएसएमई खंड के अंतर्गत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 26 के दौरान क्रमशः 92%, 96% और 66% डिजिटल अंगीकरण हासिल किया है।
- बैंक ने ग्राहकों को उनकी पसंद के डिवाइस पर सहज और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी मोबाइल बैंकिंग क्षमताओं को उन्नत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें त्वरित और सुविधाजनक लेनदेन की सुविधा के लिए यूपीआई, बीबीपीएस, डिजिटल मार्केट प्लेस आदि जैसे एकीकृत मोबाइल भुगतान समाधान एवं उन्नत ओमनी-चैनल अनुभव सहित यूजर इंटरफेस (यूआई) एवं यूजर इक्स्पीरीअन्स (यूएक्स) यूआई/यूएक्स प्रदान करना शामिल है। खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन दोनों के सभी चैनलों मोबाइल बैंकिंग, टैब बैंकिंग, कियोस्क और इंटरनेट बैंकिंग में इसका कार्यान्वयन किया जाना है।



- वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान हमारे रिटेल मोबाइल ऐप **INDSMART** में कई महत्वपूर्ण संवर्द्धन किए गए हैं, जिनमें भुगतान एग्रीगेटरों के साथ एकीकरण, पुरस्कार/स्कैच कार्ड एवं मीयादी जमा से संबंधित सुधार शामिल हैं। वर्तमान में, इंड-स्मार्ट ऐप को 320+ से अधिक सुविधाओं के साथ समृद्ध व सुदृढ़ किया गया है।
- हमारे ओमनी चैनल कॉर्पोरेट मोबाइल बैंकिंग ऐप **INDSMART** में भी विभिन्न सुधार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट्स के लिए यूटिलिटी एकीकरण, पीएफ एकीकरण, भुगतान एग्रीगेटर एकीकरण एवं मीयादी जमा संवर्द्धन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इंड-स्मार्ट मोबाइल ऐप की रेटिंग्स : प्ले स्टोर रेटिंग : 4.4 (6 लाख से अधिक रिवीयू) तथा ऐप स्टोर रेटिंग 4.1 (18 हजार से अधिक रिवीयू)
- "इंड एंगेज हब" - लीड मैनेजमेंट, कैम्पैन मैनेजमेंट एवं कस्टमर 360 (खुदरा) मॉड्यूल से युक्त एक व्यापक

ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन किया गया है। इस समाधान का उद्देश्य व्यक्तिगत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संबंध को बेहतर बनाना, दक्षता बढ़ाना और विकास को गति देना है।



- वर्तमान में जब विश्व तेजी से एआई/एजेंटिक एआई को अपना रहा है, ऐसे में बैंक ने भी प्रायोगिक तौर पर (पायलट आधार पर) एजेंटिक एआई वॉयस बॉट के माध्यम से 'स्वचालित वसूली' और एआई संचालित एचआर चैटबॉट "आस्क एचआर" जैसे समाधान का कार्यान्वयन किया गया है।



- बैंक का 'एसएमई लेंडिंग इंटीग्रेटेड क्रेडिट इंजन' (स्लाइस), ₹50 लाख से ₹5 करोड़ के बीच के एमएसएमई ऋणों से संबंधित एक उन्नत अंडरराइटिंग फ्रेमवर्क है। मात्रात्मक विश्लेषण को गुणात्मक मूल्यांकन के साथ सम्बद्ध कर, एवं आंतरिक डेटा, क्रेडिट ब्यूरो के सम्पूर्ण ज्ञान तथा संरचित मूल्यांकनों का लाभ उठाते हुए, स्लाइस सटीक एवं अनुकूलनीय क्रेडिट जोखिम रेटिंग प्रदान करता है। यह सुविज्ञ ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और एमएसएमई खंड में पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को मजबूत करता है।



- डिजिटल यात्रा के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों की सहायता के लिए एक जनरेटिव एआई संचालित एक संवादी चैटबॉट "एमप्लोयी असिस्ट" लॉन्च किया गया है। बॉट की कार्यक्षमता को अन्य उत्पादों और प्रक्रियाओं में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें रिटेल, कृषि, एमएसएमई, एनबीसी, ऋण नीति, विदेशी मुद्रा, एचआर मॉड्यूल, विधि, इमेज लर्निंग, निरीक्षण और लेखापरीक्षा मॉड्यूल शामिल हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की जिज्ञासाओं के निवारण हेतु इस एआई चैटबॉट को इंडकनेक्ट (आरएम ऐप) के साथ भी एकीकृत किया गया है।



- V3X वर्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस उन्नत इंडस्मार्ट ऐप से सम्बद्ध बैंक का डिजिटल-फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। यह उन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है जो शाखाओं में कम से कम जाना पसंद करते हैं, और साथ ही यह व्यावसायिक वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। वीबीएक्स चार श्रेणियों: स्पार्क, वाइब, इमर्ज और बेसिक के साथ एक व्यक्तिगत और



श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके प्रमुख लाभों में वर्चुअल आरएम, कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड, प्राथमिकता सेवा, रोबो एडवाइजरी आदि शामिल हैं।

- बैंक, कर्मचारी जुड़ाव सत्रों के माध्यम से आंतरिक आउटरीच बनाने के अतिरिक्त, नई डिजिटल पेशकशों को अपनाने के लिए विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहक संपर्क भी बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष 2026 में डिजिटल एडॉप्शन 78% रहा, जिसमें खुदरा और कृषि संबंधी डिजिटल पहलों का प्रमुख योगदान रहा है, जिससे डिजिटल उत्पादों को अपनाने की दर अत्यंत उत्कृष्ट '97%' रही।



- कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा उनके नकदी प्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने एवं पारंपरिक बैंकिंग से इतर निधि का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'कैश मैनेजमेंट सर्विसेस' (सीएमएस) का कार्यान्वयन किया है। वर्तमान में, 170 से अधिक एमएसएमई/कॉर्पोरेट ग्राहक इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं और इसकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।



- बैंक ने एनबीएफसी के साथ साझेदारी में, पूलड आस्तियों को ऑनबोर्ड करने के लिए एक पूल बाय-आउट प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन किया है। तीन नए एनबीएफसी पार्टनर्स— आईसीआईसीआई, एबीएचएफएल और एक्सिस से ₹1,700 करोड़ के नए पूल का माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।



- बैंक ने मौजूदा चैटबॉट "आद्या" में उन्नत सुविधाओं के साथ कई सुधार किए हैं। यूआई/यूएक्स, व्हाट्सएप एकीकरण, निर्देशित मेनू, स्वचालित आवाज, खाता विवरण देखना, खाता शेष, ईमेल के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक के लिए आवेदन करना, चेक रोकना, मीयादी जमा पूछताछ, चेक भुगतान रोकना, डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग और सीआईएफ



ब्लॉकिंग के लिए सुधार किए गए हैं। वर्तमान में, री-केवाईसी सुविधा को सीआरएम प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

- डिजिटल उधार जर्नी को एक मजबूत और आघात-सह प्रणाली के साथ व्यापक परिचालन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक माइक्रो-सर्विसेज सक्षम क्लाउड प्लेटफॉर्म (एसपी 2 टू एसपी3) पर स्थानांतरित कर दिया गया है।



- डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म को बैंकएश्योरेंस उत्पादों की बिक्री और सर्विसिंग के लिए अगस्त 2024 से इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/ओमनीचैनल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। 3 बीमा सेवा प्रदाताओं यथा आदित्य बिड़ला, पीएनबी मेटलाइफ और कोटक के माध्यम से क्रेडिट लाइफ बीमा उत्पाद लाइव कर दिए गए हैं।



- हमारी डीएलपी जर्नी के साथ आरबीआईएच के यूएलआई प्लेटफॉर्म एकीकरण के माध्यम से ₹15000 करोड़ से अधिक का डिजिटल व्यवसाय किया गया है, जिसमें पैन सत्यापन, एलएसआर, पेनी ड्रॉप, मिल्क इन्साइट्स जैसी सेवाओं का इस्तेमाल किया गया।



- वर्ष 2026 के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता' हेतु प्रतिष्ठित 'गोल्डन पीकाव अवार्ड' प्राप्त हुआ। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन संगठनों को प्रदान किया जाता है जो एआई के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार (इन्नोवेशन) और अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं।



9. एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई)

डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- डेटा गवर्नेंस ढांचे का कार्यान्वयन।
- डेटा गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में डेटा गवर्नेंस नीति और एसओपी का क्रियान्वयन।
- नए और पुराने सीआईएफ/खातों में डेटा गुणवत्ता सूचकांक को ट्रैक करने के लिए समर्पित डैशबोर्ड का विकास
- डेटा गुणवत्ता के लिए जवाबदेही और मॉनिटरिंग ढांचे का निर्माण
- स्रोत पर त्रुटियों को रोकने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली में सत्यापन जांच का कार्यान्वयन।
- नए सीआईएफ/खातों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक

(डीक्यूआई) में मार्च 2025 में 99.78 से मार्च 2026 में 99.96 तक सुधार।

- प्लैटिनम और डायमंड सेगमेंट ग्राहकों के डीक्यूआई में मार्च 2025 में 94.94 से मार्च 2026 में 97.34 तक सुधार।
- डेटा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, डेटा गवर्नेंस पर नियमित क्विज़ और वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही डेटा चैंपियनों के लिए पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान की जा रही है।

डेटा-संचालित निर्णय लेने और बिजनेस इंटेलिजेंस को चलाने के लिए की गई पहल:

- व्यवसाय विकास, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लागत अनुकूलन आदि के क्षेत्रों में डेटा विश्लेषणात्मक 40+ मॉडल विकसित किए गए।
- विभिन्न मैट्रिक्स और केपीआई में बैंक के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए 200+ पावर बीआई प्रबंधन डैशबोर्ड विकसित किए गए।
- बैंक की प्रमुख कार्यनीतिक परियोजनाओं जैसे डिजिटल यात्रा, आरएम मॉड्यूल ऐप, सीआरएम को डेटा सपोर्ट प्रदान किया गया डेटा।

डेटा विश्लेषणात्मक मॉडल के प्रयोग से प्रमुख उपलब्धियां:

- वित्तीय वर्ष 26 के दौरान, एसएमए प्रोक्लिविटी प्रीडिक्शन मॉडल के प्रयोग से लगभग 1.23 लाख खातों को एनपीए बनने की अत्यधिक संभावना के रूप में पहचाना की गई। इनमें से, 0.72 लाख खातों (59%) कुल ₹ 7,320 करोड़ को लक्षित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से एनपीए होने से सफलतापूर्वक रोका गया।
- रिटेल एसेट्स लीड नेट, चर्न प्रीडिक्शन, विन-बैंक मॉडल, एमएसएमई लीड जनरेशन आदि जैसे लीड जनरेशन से संबंधित एआई/एमएल मॉडल से वित्त वर्ष 26 के दौरान बैंक व्यवसाय में लगभग ₹.10,013 करोड़ की वृद्धि हुई।
- संदिग्ध मनी म्यूल खातों की पहचान के लिए मनी म्यूल पहचानकर्ता विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया गया था। मनी म्यूल पहचानकर्ता मॉडल (भविष्यसूचक) का उपयोग करके 13,254 म्यूल खातों की पहचान की गई।
- डेटा लेकहाउस का कार्यान्वयन (जारी परियोजना):** बैंक की डेटा केंद्रीकरण कार्यनीति के हिस्से के रूप में, डेटा लेकहाउस प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य अपने बैंक में डेटा आर्किटेक्चर को आधुनिक अनुरूप बनाना, एकीकृत डेटा भंडारण को सक्षम

करना, नियामक रिपोर्टिंग को बढ़ाना और बैंक से अधिक सूचना आधारित व्यावसायिक निर्णय हेतु सक्षम करना है। यह उन्नत विश्लेषण, एआई/एमएल उपयोग के मामलों और उद्यमव्यापी डेटा शासन के लिए आधारभूत घटक के रूप में काम करेगा।

10. ऋण निगरानी

क्रेडिट मॉनिटरिंग ऋण संस्वीकृत शर्तों की गहन जांच के साथ शुरू होने वाले पूरे ऋण जीवनचक्र में सुदृढ़ निरीक्षण को सुनिश्चित करना है। क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग प्रारंभिक संवितरण से लेकर समापन तक आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके मूल कार्यों में नए स्लिपेज को रोकना और पोर्टफोलियो के संवर्धन हेतु एनपीए के अपडेशन में सुधार करना शामिल है।

एसएमए अनुपात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.06% से घटकर 4.73% और तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 5.04% से घटकर 4.73% हो गया है। आस्तियों की गुणवत्ता में वर्ष-दर-वर्ष सुधार हो रहा है।



- वित्त वर्ष 26 के दौरान नए एनपीए ₹ 4,819 करोड़ था, जिसमें स्लिपेज अनुपात 0.85% था। स्लिपेज अनुपात पिछले वर्ष के 1.11% से घटकर वित्त वर्ष 26 में 0.85% हो गया।

- बैंक को ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा **अवॉर्ड फॉर बेस्ट डेटा कन्सिस्टेंसी** पुरस्कार प्राप्त हुआ।



- एसएमए-0 (डीपीडी 0-30) वाले ₹ 1.00 करोड़ तक के खातों के लिए फॉलो अप कॉल के हेतु 7 क्षेत्रीय भाषाओं में, यथा तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, कन्नड़ और अंग्रेजी में एआई आधारित वॉयस बॉट का प्रयोग किया गया।
- इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों से प्राप्त 306 अलर्ट उत्पन्न करने के लिए नई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू की गई।

11 आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो मार्च 25 को 3.09% के सापेक्ष मार्च 26 को 1.98% जीएनपीए और मार्च 25 को 0.19% के सापेक्ष मार्च 26 को 0.15% शुद्ध एनपीए अनुपात के माध्यम से परिलक्षित हुआ है।
- यथास्थिति मार्च 26 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 98.28% था, जो मार्च 25 को 98.10% से बेहतर है।
- बैंक ने एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए खातों से वित्त वर्ष 26 के दौरान ₹ 1,062 करोड़ की वसूली किया।
- वर्ष के दौरान ₹ 2,508 करोड़ की राशि बैड डेट्स राइट ऑफ अकाउंट्स (एयूसी) से रिकवरी की गई।
- सरफेसी अधिनियम के तहत, वर्ष के दौरान आरक्षित मूल्य ₹ 6381.16 करोड़ की 5,941 संपत्तियां बिक्री के लिए प्रकाशित की गईं और ₹ 918.83 करोड़ की बिक्री मूल्य के साथ 1,292 संपत्तियां बेची गईं।
- बैंक ने सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मंडल स्तर पर विभिन्न लोक अदालतों का

आयोजन किया। इस दौरान 37,671 खातों का निपटान ₹193.06 करोड़ की निपटान राशि के साथ किया गया।

12. नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

बैंक के कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (सीएमएस) वर्टिकल ने डिजिटल लेनदेन बैंकिंग समाधानों के विस्तार और सरकारी तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ गहरे जुड़ाव के कारण वित्त वर्ष 26 के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की।

- सीएमएस ग्राहकों द्वारा बनाए गए कासा शेष में 68% की वृद्धि हुई और यह ₹ 5,600 करोड़ (वित्त वर्ष 25: ₹ 3,347 करोड़) हो गया।
- आपूर्ति श्रृंखला वित्त संवितरण 112% के साथ बढ़कर ₹ 11,680 करोड़ (वित्त वर्ष 25: ₹ 5,514 करोड़) हो गया।
- आपूर्ति श्रृंखला वित्त ब्याज आय 94% के साथ बढ़कर ₹134 करोड़ (वित्त वर्ष 25: ₹69 करोड़) हो गई।

बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा के हिस्से के रूप में, सरकारी, कॉर्पोरेट, संस्थागत और एमएसएमई ग्राहकों के लिए अगली पीढ़ी का कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इंड कैश ऑप्टिमा लॉन्च किया गया था। एपीआई-प्रथम, क्लाउड-नेटिव और माइक्रो-सेवा आर्किटेक्चर पर निर्मित, यह प्लेटफॉर्म एकीकृत लेनदेन बैंकिंग, संग्रह, भुगतान, तरलता प्रबंधन और समाधान प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यान्वयनों में मेट्रो रेल, राज्य कोषागार, उपयोगिता कंपनियों, नगर निगमों और कई कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों के लिए उद्योग-प्रथम बजट आवंटन, उपयोग और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली शामिल हैं। ऑटो, धातु, उपभोक्ता टिकाऊ, कृषि उपकरण और एफएमसीजी क्षेत्रों में बड़े कॉर्पोरेट्स से नए आदेशों के साथ आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम बढ़कर 32 हो गए।

13. जोखिम प्रबंधन

जोखिम, बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिफल के बीच उचित संतुलन हासिल करना है। संवहनीय और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक ठोस जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित किया है। बैंक परिभाषित जोखिम क्षमता सीमाओं और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है।

बोर्ड ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों का पर्यवेक्षण करती है। बैंक ने जोखिमों के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई हैं, जैसे एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति

देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति। सभी नीतियों की बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

विभिन्न जोखिमों पर केंद्रित निगरानी की सुविधा के लिए निम्नलिखित विशिष्ट समितियों का गठन किया गया है: (i) आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) (ii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) (iii) परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) (iv) बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) और (v) नई उत्पाद प्रक्रिया अनुमोदन समिति (एनपीपीएसी)। यह समितियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र दिशा-निर्देशों और नीतियों के अंतर्गत काम करती हैं।

ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना है। हानियाँ प्रत्यक्ष डिफॉल्ट या पोर्टफोलियो मूल्य में कमी से उत्पन्न होती हैं। बैंक के पास अपने खुदरा और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक क्रेडिट जोखिम संरचना, नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ हैं। क्रेडिट गुणवत्ता सुनिश्चित करने और फ्रंट और बैक-एंड पर डिफॉल्ट नुकसान को कम करने के लिए प्रणालियाँ मौजूद हैं। खुदरा ऋणों की हामीदारी के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में समुचित सावधानी, आय विशेषताएँ, बैंकिंग व्यवहार, जनसांख्यिकी, क्रेडिट इतिहास, ऋण अवधि, मूल्य सापेक्ष में ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पोर्टफोलियो व्यवहार के आधार पर ग्राहकों के विभिन्न खंडों का आकलन करने के लिए कई क्रेडिट जोखिम स्कोर कार्ड मॉडल विकसित और उन्हें उपयोग में लाया जाता है। बैंक द्वारा ऑन बोर्डिंग में प्राइम सीआईसी स्कोर वाले उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है। कॉर्पोरेट ऋणों में, ऋण जोखिम का प्रबंधन उधारकर्ता समूह, उद्योग, रेटिंग ग्रेड, सुविधा और देश आदि के आधार पर एक्सपोज़र की सीमा निर्धारण एवं प्रवेश बाधाओं के माध्यम से किया जाता है। ऋण जोखिम प्रबंधन को पोर्टफोलियो विविधीकरण, जोखिम रेटिंग, कठोर क्रेडिट अनुमोदन प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की जांच, ऋण संवितरण पश्चात आवधिक निगरानी उपायों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। उद्योग के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए मजबूत मॉडल मौजूद है, ताकि यह तय किया जा सके कि किस सेक्टर को नकारात्मक माना जाए या किस उद्योग को वित्तीयपोषण के लिए केंद्रित किया जाए। पोर्टफोलियो के दबाव परीक्षण के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक/सेक्टरल और अन्य रुझानों जैसे विनियामक उपायों से परे विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों को अपनाया जा रहा है। पोर्टफोलियो में निर्मित दबाव को समझने और सुधारात्मक

उपाय शुरू करने के लिए नियमित आधार पर पोर्टफोलियो अध्ययन किया जा रहा है। बैंक में क्रेडिट पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है, जिसमें किसी एक उद्योग का उच्च संकेंद्रण नहीं है। बैंक के पास एनपीए पर विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ मानक आस्तियों के लिए विनियामक निर्धारणों से परे अतिरिक्त प्रावधानों के लिए एक संतुलित और विवेकपूर्ण नीति है। डिजिटल ऋण ग्राहकों के लिए केवल बटन दबाकर ऋण प्राप्त करने का एक सुविधाजनक और त्वरित तरीका बनकर उभरा है। बैंक ने ऋण पात्रता के उचित मूल्यांकन के माध्यम से इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित उपायों को लागू किया है। उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए एपीआई के एकीकरण के साथ व्यवसाय नियम इंजन को मजबूत बनाया गया है। पोर्टफोलियो को समझने और व्यवसाय नियम इंजन में सुधारात्मक उपायों को पेश करने के लिए तिमाही आधार पर डिजिटल ऋण पोर्टफोलियो विश्लेषण किया जा रहा है।

क्रेडिट समीक्षा संरचना:

पीएसबी सुधार एजेंडा – इज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सिलेंस (ईएएसई) के तहत - बैंकों को क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और उक्त में सुधार के लिए निर्धारित कार्रवाई बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए अधिदेशित किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में गतिशील और अस्थिर बाजार के माहौल और क्रेडिट प्रस्तावों में निहित बाहरी और आंतरिक जोखिम कारकों की अधिकता को देखते हुए, बैंक ने अपनी प्रक्रिया को मजबूत करने और क्रेडिट प्रस्तावों के जोखिम स्तर को कम, मध्यम, उच्च और नो-गो (बहुत अधिक) श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए क्रेडिट समीक्षा संरचना को अपनाया है। इस संरचना के तहत, सात व्यापक मापदंडों जैसे उधारकर्ता, प्रमोटर और समूह संस्थाएं, गतिविधि/उद्योग, सुरक्षा कवरेज, सुविधाओं का संचालन, रेटिंग और व्यक्तिपरक मापदंडों के साथ अनुपालन स्थिति में निहित जोखिम कारकों पर मैट्रिक्स के आधार पर जोखिम का आकलन किया जा रहा है। यह फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट्स हेतु रु. 50 करोड़ एवं उससे अधिक तथा एमएसएमई खंड हेतु रु. 10 करोड़ और उससे अधिक के ऋण प्रस्तावों के लिए लागू है, जो प्रसंस्करण/स्वीकृति में अतिरिक्त उपकरण/आयाम प्रदान करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन संरचना बैंक को अपनी तुलन पत्र पर तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम को मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आस्ति देयता प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीति प्रदान करने में मदद करता है। आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं:

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलन पत्र और बेसल III तरलता अनुपात
- दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिक निधि योजना

आस्ति-देयता प्रबंधन का लक्ष्य निम्न सूचीबद्ध दो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

अल्पावधि उद्देश्य:

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को इष्टतम करना
- पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन

दीर्घकालिक उद्देश्य:

- शेयरधारक की संपत्ति को बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन करना आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह बोर्ड और/या बोर्ड की जोखिम प्रबंधन उप-समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमा और अग्रिम के उत्पाद मूल्य निर्धारण की समीक्षा, आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों की मांग, बैंक के नकदी प्रवाह और समग्रतः, तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए नियमित अंतराल पर समिति की बैठक आयोजित की जाती हैं।

एएलएम रिपोर्ट का स्वचालन पूरा हो चुका है, ताकि इसे दैनिक आधार पर निधि और निवेश समिति (एफआईसी) और आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) को प्रस्तुत किया जा सके। बैंक ने 17 फरवरी, 2023 से बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) की गणना प्रक्रिया को भी स्वचालित कर दिया है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन:

बाज़ार जोखिम बाज़ार चर में प्रतिकूल प्रवृत्ति के कारण होने वाले नुकसान की संभावना है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाज़ार जोखिम, पोर्टफोलियो प्रदर्शन बनाम जोखिम और तुलनीय बेंचमार्क के बारे में विश्लेषणात्मक संचालित इनपुट प्रदान करके जोखिम समायोजित प्रतिफल को अधिकतम करने में व्यावसायिक इकाइयों की सहायता करना है। बाज़ार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है:

- ब्याज दर जोखिम

- विनिमय दर जोखिम
- इक्विटी मूल्य जोखिम

कमोडिटी की कीमतों में बदलाव और अस्थिरता से भी बाजार जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालाँकि, बैंक का कमोडिटी से जुड़े बाज़ारों में कोई जोखिम नहीं है। बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) फ्रेमवर्क में जोखिम पहचान, जोखिम मापन और सीमाएँ, जोखिम निगरानी और जोखिम रिपोर्टिंग शामिल हैं।

मिड ऑफिस दैनिक आधार पर ट्रेजरी परिचालन की निगरानी करता है। साप्ताहिक सारांश नोट मुख्य जोखिम अधिकारी को और कम से कम तिमाही आधार पर एमआरएमसी को प्रस्तुत किया जाता है।

परिचालन जोखिम:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) स्थापित किया है, ताकि पूरे बैंक में परिचालन जोखिमों की एक आम जानकारी विकसित की जा सके और जोखिम संस्कृति / जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे विभिन्न परिचालन जोखिम प्रबंधन उपकरणों/ तकनीकों के उपयोग से प्रभावी प्रशासन, पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और जोखिम नियंत्रण/शमन सुनिश्चित हो सके। परिचालन जोखिम को उचित गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके, दिन-प्रतिदिन की प्रबंधन प्रक्रियाओं में स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन रणनीतियों को अपनाकर अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम धारणाओं का गंभीरता से विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसी) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन का उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है। आरसीएसी प्रक्रिया के परिणाम उच्च अवशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने और नियंत्रण अंतराल का निराकरण करने के लिए नियंत्रण बनाने में मदद करते हैं। आरसीएसी प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई नियंत्रण कमियों से, प्रक्रिया की निगरानी और सुधार के लिए केआरआई विकसित किए गए हैं। केआरआई प्रारंभिक चेतावनी संकेत हैं, जो परिचालन जोखिमों की निगरानी करते हैं जो स्वीकार्य स्तरों से परे पहुंच रहे हैं।

हानि डेटा विश्लेषण प्रमुख जोखिमों की पहचान का एक स्रोत है। परिचालन जोखिम की अंतर्निहित जोखिम रेटिंग और अवशिष्ट

जोखिम रेटिंग केआरआई की पहचान में एक संकेतक के रूप में काम करेगी।

जोखिम संकेतकों की पहचान करने के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की भी निगरानी की जाती है जो अनिवार्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले संभावित जोखिम चालकों को ट्रैक करते हैं। प्रमुख परिचालन हानि घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण कार्यप्रणाली, विफल नियंत्रण और नियंत्रण अंतराल का पता लगाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षों के आधार पर, उपयुक्त शमन रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं, जैसे कि जहाँ भी संभव हो प्रक्रिया का स्वचालन, दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति और घटना से सीखे गए सबक से ऐसी पुनरावृत्तियों से बचने के लिए सतर्क रहने के लिए क्षेत्र पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना आदि।

प्रत्येक अंचल, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और विदेशों में जोखिम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रथम रक्षा पंक्ति और द्वितीय रक्षा पंक्ति के बीच सेतु का काम करेंगे।

जोखिम अधिकारियों की प्राथमिक भूमिका जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करना होगा, ताकि व्यवसाय इकाइयों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, पोर्टफोलियो निगरानी, परिचालन जोखिम, पूंजी संरक्षण, आस्ति देयता प्रबंधन का समर्थन और प्रबंधन किया जा सके। अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाती है, ताकि वे क्षेत्र में जोखिम संस्कृति को समझ सकें और उसका प्रसार कर सकें।

मॉडल शासन, मॉडल सूची का रखरखाव, मॉडल पहचान मानदंड, मॉडल दस्तावेजीकरण, मॉडल जोखिम स्तरीकरण, मॉडल सत्यापन, मॉडल की सतत निगरानी, मॉडल स्वास्थ्य मूल्यांकन आदि को मॉडल जीवन चक्र में शामिल करते हुए मॉडल जोखिम प्रबंधन संरचना लागू है और मॉडल जोखिम मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक और बाह्य मॉडल सत्यापन समय-समय पर किया जाएगा।

परिचालनगत आघातसह्य फ्रेमवर्क को परिचालनगत जोखिम और परिचालनगत लचीलापन पर दिनांक 30 अप्रैल 2024 के भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन नोट के अनुरूप तैयार किया गया है।

परिचालनगत आघातसह्य नीति दस्तावेज का उद्देश्य बैंक की व्यवधानों से उबरने और उनसे उबरने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करना है, जिससे ग्राहकों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके और

विनियामक दायित्वों को पूरा किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम:

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और डिजिटल माध्यम ने बैंक के व्यवसाय संचालन, संचालन और ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के तरीके को बदल दिया है। जैसे-जैसे नई उभरती सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है, आईटी के उपयोग से संबंधित जोखिम भी बढ़ रहे हैं। आईटी जोखिम बैंक के आईटी सिस्टम, एप्लिकेशन, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग, स्वामित्व, संचालन / प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल घटनाओं या परिणामों की संभावना को संदर्भित करता है।

आईटी से संबंधित जोखिमों की निगरानी, आकलन, प्रबंधन और नियंत्रण तथा जोखिम संस्कृति विकसित करने के लिए, बैंक ने आरबीआई के नवीनतम निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। आईटी से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नई पहल और उपाय लागू किए गए हैं।

- जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पृथक आईटी वर्टिकल बनाया गया है, जो अब कार्यात्मक है तथा आईटी जोखिम प्रबंधन ढांचे, नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास/प्रबंधन के लिए कार्यरत है। आईटी से जुड़े जोखिम का आकलन और प्रबंधन करने के लिए जोखिम कल्चर विकास करने पर भी काम कर रहे हैं।
- बैंक ने नई सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति भी बनाई और प्रकाशित की है, जिसमें रक्षा की तीन पंक्तियों यथा भूमिका/जिम्मेदारियां, आईटी से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और अपनाए जाने वाले तरीके / मॉडल शामिल हैं।
- महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के जोखिम मूल्यांकन के लिए नई प्रक्रियाएं परिभाषित और कार्यान्वित की गई हैं।
- नए केआरआई शुरू करके और/या आईटी से संबंधित क्षेत्रों के लिए मौजूदा केआरआई को विकसित करके आईटी से संबंधित जोखिम की निगरानी को बढ़ाना।

जलवायु जोखिम:

बैंक अपने ग्राहकों को पर्यावरण और सामाजिक रूप से व्यवहार अपनाने को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्र के विचारों के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। बैंक अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो को राष्ट्रीय स्तर के जलवायु और ईएसजी (ESG) लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध

है। बैंक के पास सुस्पष्ट जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति है जो बैंक में जलवायु जोखिम प्रबंधन पहलुओं के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीति को परिभाषित करती है। यह नीति इंडिया के नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप क्षेत्र विशिष्ट डी-कार्बोनाइजेशन नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

पर्यावरण के अनुकूल सस्टेनेबल बिज़नेस और परिचालन पद्धतियों को अपनाने और उन्हें सुदृढ़ करने और ग्रीन बैंकिंग उत्पाद के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक समर्पित ग्रीन सेल स्थापित किया गया है। बैंक ऋण मूल्यांकन में ईएसजी पहलुओं को शामिल करता है, बैंक के पास सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ईएसजी स्कोरकार्ड हैं ताकि उधारकर्ताओं के ईएसजी पहलुओं का आकलन किया जा सके। ग्रीन फाइनेंस बैंक का फोकस एरिया है। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन दो सेक्टर हैं जिन्हें बैंक में क्रेडिट फोकस के लिए चैंपियन सेक्टर के रूप में पहचाना गया है। बैंक ग्रीन जमा जुटा रहा है और इसका इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार हरित गतिविधियों / परियोजनाओं में किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ग्रीन फाइनेंस के लिए योग्य सेक्टरों के अलावा, बैंक ग्रीन फाइनेंस के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (बीईएसएस) और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर पर फोकस करता है। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बैंक के ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो में 61% की वृद्धि हुई है।

बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (पीसीएएफ़) का सदस्य बन गया, जिससे उसे वित्तपोषित उत्सर्जन का अनुमान लगाने और अपने पोर्टफोलियो को नेट-जीरो लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बैंक ने पीसीएएफ़ पद्धति का उपयोग करके कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो के वित्तपोषित उत्सर्जन का अनुमान लगाया है।

बैंक ने अपने संचालन के सतत प्रबंधन के लिए ग्रीन बिल्डिंग और सतत विकास प्रक्रियाओं पर नीति अपनाई है। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं और कार्यालयों में भौतिक जलवायु जोखिम संवेदशीलता का भी आकलन किया है।

बेसल III पूंजी विनियम:

बेसल III पूंजी विनियम भारत में 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हो गए तथा 1 अक्टूबर, 2021 से पूरी तरह कार्यान्वित हो गए। 31.03.2026 को बैंक की सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी 16.40 %, कुल टियर-1- 10.49% और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.93% है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक के पास सभी रूपों में पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। बेसल III पूंजी नियमों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर विस्तृत

प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे बैंक की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीय अनुपात (एनएसएफआर) का भी प्रकटीकरण कर रहा है। पूंजी संरक्षण की निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंक द्वारा एक समग्र पूंजी संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

1. श्रमशक्ति स्थिति (देशी)

यथास्थिति 31.03.2026 तक श्रम शक्ति की स्थिति:

संवर्ग/श्रेणी	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पुरुष	महिला
अधिकारी	25997	8130	4999	1991	18458	7539
लिपिक	12205	4028	2625	617	7750	4455
अधीनस्थ कर्मचारी	1761	419	861	113	1531	230
पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी*	198	20	155	8	151	47
कुल*	40161	12597	8640	2729	27890	12271

*देशी- अंशकालिक सफाई कर्मचारी को छोड़कर

2. भर्ती अभियान

बैंक द्वारा वित्त वर्ष 26 के दौरान 1801 कर्मचारियों (पीओ-319, विशेषज्ञ अधिकारी 268, लिपिक 1208, अधीनस्थ कर्मचारी - 06) की भर्ती की गई है।

3. अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपाय

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएस) उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों को सब-स्टाफ से लिपिक कैडर और लिपिक कैडर से जेएमजी स्केल-I में ऑफिसर तक प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है।
- बैंक में अजा/अजजा / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी और अपिव / ईडब्ल्यूएस के लिए महाप्रबंधक स्तर का एक मुख्य संपर्क अधिकारी है,

जो अजा/अजजा /अपिव/ ईडब्ल्यूएस /दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों (यदि कोई हो) का निवारण करता है। एक पृथक समर्पित कक्ष अजा/अजजा/अपिव/ ईडब्ल्यूएस /दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कार्य कर रहा है।

4. वर्ष के दौरान मानव संसाधन संबंधी पहल:

- इमोहीरो पहल - यह डिजिटल प्रैक्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों के लिए भावनात्मक समर्थन की पहली कड़ी है, जो अधिक जुड़ाव और सहानुभूतिपूर्ण कार्यस्थल बनाने में मदद करती है।
- माइक्रो-लर्निंग यूनिफाइड प्लेटफॉर्म - सभी विभागों के लिए गेमिफाइड क्विज़ आयोजन करना, बैज, सर्टिफिकेट और पीयर-पीयर रिकग्निशन डैशबोर्ड की सुविधा देना। 2.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया है।
- हेल्थ केयर -सेवारत एवं सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हेतु मेसर्स प्रैक्टो के साथ टाईअप किया गया: 44818 पंजीकृत
- कर्मचारियों के लिए स्टाफ हाउसिंग ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि और ब्याज दर में कमी।
- अधिकारियों के लिए आवासीय अकोमोडेशन की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

15. मानव संसाधन विकास

- कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार, बैंक के सभी कैडर के 19778 कर्मचारियों में सेवा भाव जगाने के लिए 1 दिन की राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण प्रदान की गई।
- स्केल IV से स्केल VI तक के 419 चयनित अधिकारियों के लिए 12 महीने का राइजिंग स्टार लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया।
- अपने भाषाई क्षेत्र से बाहर क्षेत्रों में तैनात 1964 विशिष्ट अधिकारियों को स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण प्रदान की गई ताकि वे ग्राहकों को उनकी स्थानीय भाषा में सेवा प्रदान कर सकें, जिससे ग्राहक संपर्क में सुधार हो सके।
- अपराजिता कार्यक्रम - मैटरनिटी / सबैटिकल लीव से लौटने पर महिलाओं को बैंक में फिर से जोड़ने के लिए एक कार्यशाला, जो 140 महिला कर्मचारियों के लिए चलाई गई।
- क्रेडिट में टैलेंट पूल बनाने के लिए 63 अधिकारियों के लिए 16 हफ्ते की एडवांस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई। फॉरेक्स

बिज़नेस में टैलेंट पूल बनाने के लिए 57 अधिकारियों के लिए 7 हफ्ते की एडवांस्ड फॉरेक्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई।

- पयूचर रेडी वर्कफोर्स डेवलपमेंट के भाग के तौर पर, 9502 कर्मचारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रशिक्षण प्राप्त की।
- आईबी एड्जाइल प्लेटफॉर्म - डेटा आधारित प्रशिक्षण अनुशंसा और निगरानी पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि फील्ड लीडर्स अपने क्षेत्र के कर्मचारियों की क्षमता और दक्षता निर्माण आवश्यकताओं का आकलन कर सकें।
- 6089 कर्मचारियों ने डिजिटल एडॉप्शन, मोबाइल बैंकिंग और वीबीएक्स (VBX) पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- आईआईबीएफ के साथ बैंक के टाई-अप के तहत 976 कर्मचारियों को एएमएल, केवाईसी और अनुपालन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- बैंक की सभी आईसीसी को कवर करते हुए आंतरिक शिकायत समितियों (PoSH एक्ट 2013) के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।
- वित्त वर्ष 26 के दौरान प्रशिक्षण के सभी माध्यमों से 35675 विशिष्ट कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

16. ग्राहक सेवा

1. नेक्स्ट जेनरेशन संपर्क केंद्र का शुभारंभ : ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने 1 सितंबर, 2025 को नेक्स्ट जेनरेशन संपर्क केंद्र का शुभारंभ किया है। नए प्लेटफॉर्म ग्राहकों को विभिन्न सर्विस के लिए वॉइस, चैट, वहाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से बैंक से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है।
2. आसानी से याद रहने योग्य टोल फ्री नंबर (टीएफएन) का शुभारंभ: बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 01.09.2025 से एक नया और आसानी से याद रहने योग्य घरेलू टोल-फ्री नंबर 1800 1700 शुरू किया है।
3. एनआरआई ग्राहकों के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर: बैंक ने 01.09.2025 से 9 देशों (यूएसए, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब) में एनआरआई ग्राहकों के लिए 24x7 अंतराष्ट्रीय टोल फ्री नंबर शुरू किए हैं। दूसरे देशों के ग्राहकों की सहायता और समर्थन के लिए बैंक की 24x7 हेल्पलाइन (टोल नंबर) +91 22 4444 2888 पर संपर्क कर सकते हैं।
4. ट्राई की दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 140/160 सीरीज़

के नंबर लॉन्च किए हैं (140 प्रमोशनल कॉल्स के लिए और 160 ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग कॉल्स के लिए)। इन नंबरों का इस्तेमाल सिर्फ सत्यापित संस्थान ही कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए बैंक से आने वाले वास्तविक कॉल्स को पहचानना आसान हो जाता है। इससे अनजान मोबाइल नंबरों से आने वाले स्कैम या फ़िशिंग कॉल्स का जोखिम कम करने में मदद मिलती है। इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है, महत्वपूर्ण कॉल्स के जवाब मिलने की संभावना बढ़ती है, और नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

5. **22 अगस्त, 2025 को ग्राहक मीट का आयोजन:** हमारे बैंक ने 22 अगस्त, 2025 को अपना स्थापना दिवस दिवस के अवसर पर विश्व भर में स्थित सभी शाखाओं में ग्राहक मीट का आयोजन करके अपना वार्षिक ग्राहक दिवस मनाया। इस अवसर पर ग्राहकों ने अपना फीडबैक और अपेक्षाएँ शेयर कीं, साथ ही सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत भी की।

17. सूचना प्रणाली सुरक्षा

इंडियन बैंक बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ग्राहक डेटा सुरक्षा को सर्वोपरि लक्ष्य बनाकर अपने ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से सेवाएँ प्रदान करने में विश्वास करता है। गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता का सीआईए त्रय व्यापक सुरक्षा ढांचे को तैयार करने का केन्द्रबिन्दु है। बैंक हैकटिविस्ट प्रयासों की अधिकता से सुरक्षा पर भी जोर देता है और उसे लागू करता है, जिसमें फ़िशिंग सिमुलेशन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और जागरूकता पहल शामिल हैं, और ग्राहकों को सरल और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।

बैंक में सुरक्षा रणनीति के प्रमुख तत्वों में निम्न शामिल हैं:

- 'डिफेंस-इन-डेप्थ' रणनीति जो प्रौद्योगिकी परत में प्रतिरक्षा के बहुविध्य स्तर प्रदान करती है।
- प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अभिशासन के लिए मजबूत रूपरेखा बनाई गई है।
- साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली विशेष टीमें स्थापित की गई हैं।
- शून्य-विश्वास संरचना और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की दिशा में काम करना।
- साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के माध्यम से प्रणालियों की 24X7 निगरानी और कैमरा निगरानी।
- नए अनुप्रयोगों या सर्वरों को शामिल करते समय कड़े सुरक्षा

और गेटिंग नियंत्रण।

- आंतरिक नियंत्रण में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सीईआरटी-इन सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा आवधिक बाहरी सुरक्षा आकलन।
- बैंक को आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है।
- एनसीआईआईपीसी द्वारा घोषित अनुसार बैंक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा है।
- बैंक कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें उभरते साइबर खतरों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जा सके।
- बैंक नए एआई आधारित एप्लीकेशन से आने वाले जोखिम को देखते हुए सुरक्षा के उपाय बढ़ा रहा है।

18. आंतरिक नियंत्रण

क) निरीक्षण

- बैंक ने अलग-अलग लेखापरीक्षा उपकरणों, एमआईएस से ऑटोमेटेड डेटा फ्लो और अलग-अलग प्रणाली से मिलने वाले अलर्ट्स के इंटीग्रेशन के आधार पर, हर तिमाही में अंतर्निहित जोखिम की सक्रिय पहचान, निगरानी और उन्हें कम करने के लिए शाखाओं का **डायनामिक जोखिम मूल्यांकन** शुरू किया है।
- कर्मचारियों को बेहतर फैसले लेने और जानकारी के लिए रियल-टाइम ऑन-डिमांड गाइडेंस देने के लिए ऑडिट एम्प्लॉई असिस्ट शुरू किया गया।

ख) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन:

एंटरप्राइज़ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (आईएफ़आरएमएस):

बैंक ने एक एंटरप्राइज़ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (आईएफ़आरएमएस) लागू किया है जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, इंडस्मार्ट, एटीएम/पीओएस /ईकॉम, क्रेडिट कार्ड, एईपीएस और सीएमएस सहित सभी डिजिटल चैनलों पर रियल टाइम में लेनदेन की निगरानी करता है। यह सिस्टम संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए रूल बेस्ड डिटेक्शन और मशीन लर्निंग मॉडल के संयोजन का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट बैंकिंग और इंडस्मार्ट में मशीन लर्निंग आधारित अनुकूली प्रमाणीकरण जोखिम स्कोर निर्धारित करके और उच्च जोखिम वाले लेन-देन के लिए स्टेप अप प्रमाणीकरण (चैलेंज सवाल/ओटीपी) शुरू करके

धोखाधड़ी की रोकथाम को बढ़ाता है।

ईएफ़आरएमएस के साथ आईवीआरएस इंटीग्रेशन:

ईएफ़आरएमएस को आईवीआरएस के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे संदिग्ध के तौर पर फ़्लैग किए गए लेन-देन के लिए रियल टाइम ऑटोमेटेड कॉल्स की सुविधा मिलती है। ग्राहक लेन-देन के प्रामाणिकता होने की पुष्टि कर सकते हैं या सभी डिजिटल चैनल तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही, रियल टाइम एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं, जिसमें रिफ़ाई एसएमएस के ज़रिए डिजिटल बैंकिंग एक्सेस को ब्लॉक करने का विकल्प होता है।

संदिग्ध रजिस्ट्री में ऑनबोर्डिंग: साइबर अपराधियों की पहचान करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई गई है। बैंक इस रजिस्ट्री का इस्तेमाल ऑनबोर्डिंग और ग्राहक की लगातार ड्यू डिलिजेंस के दौरान जोखिम का अंदाज़ा लगाने के लिए करता है। रजिस्ट्री ईएफ़आरएमएस के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे संदिग्ध खातों में लेन-देन (इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई) को रियल टाइम ब्लॉक किया जा सकता है।

डीओटी के एमएनआरएल और एफ़आरआई सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन:

बैंक ने एमएनआरएल और एफ़आरआई के साथ इंटीग्रेशन किया है, जहाँ एपीआई-आधारित इंटीग्रेशन पूरी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) की अनुमति देता है, जिसमें डेटा डाउनलोड, ग्राहक प्रोफ़ाइल की डिजिटल फ़्रीज़िंग (हाई/वेरी हाई रिस्क), डेबिट फ़्रीज़िंग, सीआईएफ़ से मोबाइल नंबर हटाना, और डीओटी को ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग शामिल है।

- **एमएनआरएल (मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट)** स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट हो चुके मोबाइल नंबरों की टेलीकॉम वेरिफ़ाइड सूची प्रदान करता है।
- **एफ़आरआई(फाइनेंशियल फ़्रॉड रिस्क इंडिकेटर)** एआई बेस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके मोबाइल नंबरों को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने के आधार पर मीडियम, हाई, या वेरी हाई रिस्क में वर्गीकृत करता है।

साइबर पुलिस पोर्टल प्रबंधन (सीपीपीएम) कक्ष:

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक विशेष साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) और एक हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सीपीपीएम कक्ष 24x7 आधार पर कई शिफ्टों में काम कर रहा है। बैंक के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के एपीआई एकीकरण के माध्यम से साइबर पुलिस पोर्टल पर अलर्ट देखने की प्रक्रिया को स्वचालित किया गया है।

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए नियमित ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया पर शैक्षिक वीडियो, बैंक की वेबसाइट, ग्राहक बैठक आदि के माध्यम से ग्राहकों के बीच साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

ग्राहक जागरूकता पहल:

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल अरेस्ट पर विशेष अभियान:** डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें आयोजित करके एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
- **जन जागरूकता अभियान:** डिजिटल मीडिया अभियान "खबर नहीं, खबरदार बनो" में आम धोखाधड़ी के परिदृश्यों (क्यूआर स्कैन, फिशिंग, नौकरी संबंधी स्कैम) को दर्शाने वाली लघु फिल्मों का उपयोग किया गया। इन्हें सोशल मीडिया, बैंक की वेबसाइट और डिजिटल साइनेज सिस्टम पर प्रसारित किया गया।
- **सतत जागरूकता अभियान:** एसएमएस, ईमेल और ग्राहक बैठकों के माध्यम से ग्राहकों को नियमित रूप से शिक्षित किया जा रहा है। नियमित ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया पर शैक्षिक वीडियो, बैंक की वेबसाइट, ग्राहक बैठकें आदि के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि साइबर धोखाधड़ी को रोका जा सके।

19. अनुपालन

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है, जिसका नेतृत्व मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है।
- अनुपालन विभाग सभी विनियमों का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करता है।
- बैंक में अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्येक अंचल कार्यालय, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, विदेशी शाखाओं और कॉर्पोरेट कार्यालय के विभागों में पूर्ण रूपसे समर्पित अनुपालन अधिकारी को तैनात किया गया है।
- कर्मचारियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन जागरूकता, जैसे अनुपालन सम्मेलन, अनुपालन जर्नल, अनुपालन जागरूकता सप्ताह,

थीम-आधारित मासिक अनुपालन क्विज़ और अनुपालन प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं

- बैंक का प्रयास अपने बैंक में एक उत्तम अनुपालन संस्कृति का प्रसार करते हुए, अनुपालनकारी बैंक के रूप में बने रहना है।

20. सतर्कता

क) बैंक में सतर्कता पदानुक्रम

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) बैंक के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व करते हैं और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मुख्य कार्यपालक के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। सीवीओ द्वारा किए जाने वाले सतर्कता संबंधी कार्य अत्यंत विविध होते हैं, जिनमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए या किए जाने की संभावना वाले भ्रष्ट आचरणों के बारे में जानकारी एकत्र करना भी शामिल है। बैंक में सतर्कता तंत्र का नेतृत्व करने वाले सीवीओ, सतर्कता से संबंधित मामलों में उचित निवारक और दंडात्मक उपाय करने में सहायता करते हैं।
- सीवीओ को अलग-अलग स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं और वे उनकी जांच करके ज़रूरी निर्देश जारी करते हैं, जहाँ कहीं भी सतर्कता से जुड़ा कोई पहलू नज़र आता है, वहाँ शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है।
- सीवीओ की सहायता के लिए एसीवीओ तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में डीजीएम और एजीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम होती है।
- प्रत्येक एफजीएमओ केंद्र पर 15 क्षेत्र सतर्कता इकाई (एफवीयू) हैं, जिनका नेतृत्व मुख्य प्रबंधक करते हैं; इन इकाइयों में विभिन्न सतर्कता कार्यों के लिए एक या अधिक सतर्कता अधिकारी होते हैं।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में दो आंतरिक सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं - एक की अध्यक्षता सीजीएम (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए) करते हैं और दूसरी की जीएम (स्केल III तक के अधिकारियों और अर्वाइस्टाफ के लिए) करते हैं। ये समितियाँ मामलों की जाँच करती हैं और अपनी सिफ़ारिशें सीवीओ /एसीवीओ को भेजती हैं। प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय लेते समय, सीवीओ/एसीवीओ संबंधित समिति की सलाह पर विचार करते हैं।
- सीवीओ/एसीवीओ, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और सीवीसी द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर, 'सतर्कता' अथवा 'गैर-सतर्कता' के रूप में 'मामला

वर्गीकरण परामर्श' (सीसीए) प्रदान करते हैं।

- सीवीओ/एसीवीओ, सतर्कता मामलों के लिए 'प्रथम चरण की सलाह' (एफएसए) प्रदान करते हैं, जिसमें मामलों को 'सतर्कता- दीर्घ' या 'लघु' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी सीवीओ द्वारा स्केल V और उससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित किसी मामले को 'सतर्कता' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो उस स्थिति में सीवीसी से एफएसए प्राप्त की जाएगी।
- सीवीओ, ₹3 करोड़ या उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों को 'बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी परामर्श बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत करता है, ताकि बैंक अधिकारियों की ओर से की गई आपराधिकता की जांच की जा सके।
- सीवीओ का कार्य नोडल अधिकारी के रूप में सीबीआई, ईडी या दूसरी जांच एजेंसियों के साथ सम्प्रेषण करना भी है।

सतर्कता कार्यान्वयन के तीन पहलू:

- निवारक सतर्कता
- निगरानी और पता लगाना
- दंडात्मक सतर्कता

बी) सीवीओ का निवारक सतर्कता दौरा:

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)/एसीवीओ द्वारा 16 अंचल कार्यालयों (ज़ेडओ)/क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों (एफजीएमओ)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दौरा किया गया, जिसके दौरान सतर्कता प्रशासन की समीक्षा की गई। इसके अलावा, दौरे के दौरान निवारक सतर्कता उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें शाखा प्रबंधक और अंचल कार्यालयों/क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। सीवीओ/एसीवीओ द्वारा क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों/अंचल कार्यालयों में संरचित बैठकें/कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं, ताकि सतर्कता शिकायतों/डीपी मामलों के मूल कारणों के विश्लेषण और उन मामलों से सीखने के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

सी) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा 27.10.25 (सोमवार) से 02.11.25 (रविवार) तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू 2025) मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की प्रस्तावना के रूप में, सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने लंबित शिकायतों का निपटान, लंबित मामलों का निपटान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहलों को निवारक सतर्कता उपायों के रूप में केंद्रित क्षेत्रों के रूप में तीन महीने का अभियान

(18.08.25 से 17.11.25) चलाया है, और इस वर्ष का विषय "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" रहा है।

दिनांक 27.10.25 को बैंक के सभी कर्मचारियों ने (पूरे भारत में) कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्रों, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में सतर्कता की शपथ ली। इस वर्ष के विषय के अनुसार, निबंध प्रतियोगिता और कार्टून प्रतियोगिता जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं; साथ ही वाद-विवाद, सेमिनार और कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं। विभिन्न एफजीएमओ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। सभी एफजीएमओ, जेडओ और प्रशिक्षण केंद्रों में बैनर और पैम्फलेट प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा, ग्रामीण नागरिकों को सतर्कता से जुड़े पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न बैंक मित्र केन्द्रों पर उनके कियोस्क के माध्यम से भी बैनर प्रदर्शित किए गए।

डिजिटल पहल

सतर्कता जागरूकता अभियान (18.08.25 से 17.11.25 तक) के दौरान हमारे बैंक द्वारा निम्नलिखित रूप से जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ संचालित की गईं।

सोशल मीडिया चैनल :

- सतर्कता शपथ, वॉकथॉन और साइबर फ्रॉड जागरूकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे आधिकारिक सोशल पेज पर संदेश भेजे गए।
- ग्राहकों, नागरिकों आदि के बीच "म्यूल अकाउंट्स" और "अज्ञात लिंक्स" के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए वीडियो तैयार किए गए और बैंक के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए।

21. सुरक्षा

- सभी शाखाएँ इलेक्ट्रॉनिक बर्गलर अलार्म सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम, तथा हाई-डेफिनिशन डीवीआर/ एनवीआर आधारित सीसीटीवी समाधानों से सुसज्जित हैं। आंचलिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शाखाओं का सुरक्षा निरीक्षण किया गया, जिसमें विशेष रूप से अधिक बल आभूषण ऋण वाली शाखाओं पर दिया गया।
- सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए, चुनिंदा 'सर्वाधिक आभूषण ऋण' शाखाओं में 24X7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियाँ लगाई गईं।
- शाखा/एटीएम परिसर और डीआर साइट जैसे विशेष कार्यालयों में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सघन उपयोग

होता है, आग के खतरों को कम करने के लिए स्वचालित (मॉड्यूलर) पाउडर-आधारित अग्निशामक यंत्र या गैस-आधारित अग्नि शमन प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं।

- बैंक की कैश वैन में जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। मुद्रा तिजोरी में बैंक के अपने गार्ड/पीएसए गार्ड तैनात किए गए हैं।
- सभी शाखा में जीएसएम आधारित ऑटो डायलर लगाए गए हैं ताकि चोरी/फायर अलार्म अलर्ट संबंधित स्टाफ को समय पर मिल सके।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मुद्रा तिजोरियों में हर दो साल में फायर ऑडिट किए गए।
- बैंक ने अपने पूरे देश भर के एटीएम में सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के साथ 24x7 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस (ई-सर्विलांस) को लागू किया है।
- प्रशासनिक कार्यालयों से निगरानी को आसान बनाने के लिए, बैंक के इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी के माध्यम से शाखाओं की दूरस्थ निगरानी को सक्षम करने हेतु पोर्टल शुरू किया गया है।
- हर साल प्रधान कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर और इमेज में अग्निशमन प्रदर्शनों सहित एक मॉक निकासी अभ्यास आयोजित किया जाता है।

22. परिसर

हरित पहल:

1. बैंक ने अपनी बिल्डिंग के लिए ग्रीन पॉलिसी शुरू की और आईजीबीसी से ग्रीन प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
2. बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में, पूरे भारत में 85 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 1232 केडबल्यूपी है और ये प्रति वर्ष 17.86 लाख यूनिट बिजली पैदा करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ₹1.42 करोड़ की बचत होती है। जहाँ भी संभव हो, इस सुविधा का विस्तार किराए पर लिए गए परिसरों तक भी किया गया है।
3. कार्बन एमिशन कम करने के लिए डीज़ल जनरेटर को सरेंडर कर दिए गए या उनकी जगह इन्वर्टर और यूपीएस लगा दिए गए हैं।
4. सभी शाखाओं/कार्यालयों/एटीएम में एलईडी लाइट और साइन बोर्ड में टाइमर लगाए गए हैं।
5. ऊर्जा संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रधान कार्यालय

और 46 अंचल कार्यालयों में लाइट सेंसर लगाए गए।

6. किराए का खर्च बचाने के लिए 4318 शाखाओं में रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

अन्य पहल:

1. दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए 4666 भूतल शाखाओं में रैंप की सुविधा प्रदान की गई है।
2. पूरे देश में बैंक की छवि की ब्रांडिंग के लिए चरण-1 में 140 प्रमुख स्थानों पर डिजिटल साइन बोर्ड लगाए गए।
3. बैंक ने प्रमुख शहरों में स्टाफ क्वार्टर/कार्यालय उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके तहत पुरानी बैंक की इमारतों का पुनर्विकास किया जा रहा है और बैंक के अपने भूखंडों पर नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है।
4. बैंक सामान और सेवाएँ खरीदने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

23. मार्केटिंग:

सोशल मीडिया ब्रांडिंग पहल

बैंक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंकडइन पर सक्रिय रूप से उपस्थिति दर्ज की है। इसका उद्देश्य न केवल अपने उत्पादों का प्रभावी ढंग से प्रचार करना है, बल्कि विभिन्न उपलब्धियों, अविस्मरणीय कार्यक्रमों और ग्राहकों से जुड़ी गतिविधियों को साझा करके उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ना भी है। इसकी मदद से बैंक वित्त वर्ष 26 के अंत तक अपने फॉलोवर्स की संख्या को 5.40 मिलियन से भी अधिक तक पहुँचाने में सफल रहा।

डिजिटल विपणन अभियान

बैंक ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आईआरसीटीसी, रेडियो सिटी एफएम, सोनी स्पोर्ट्स, सोनी लिव, टूकॉलर, आज तक लाइव टीवी, जियोस्टार प्लेटफॉर्म, थांथी टीवी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के पोर्टल आदि पर ब्रांड जागरूकता, ब्रांड पहचान और उत्पादों के प्रचार के लिए डिजिटल विपणन अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं।

स्वचालित डिजिटल साइनेज (एडीएस) कार्यान्वयन

बैंक ने अपनी संभावित शाखाओं और कार्यालयों में रणनीतिक रूप से 2,229 एडीएस लगाए हैं, ताकि आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह के दर्शकों को अपने उत्पादों, सेवाओं, नियामक विकास और साइबर सुरक्षा जागरूकता के बारे में अद्यतन रखा जा सके। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान 1,235 डिवाइस खरीदे गए और

अखिल भारतीय स्तर पर लगाए गए।

इंड नव्या न्यूज़लेटर

बैंक 'इंड नव्या' नामक एक मासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है। यह एक जानकारीपूर्ण मासिक न्यूज़लेटर है, जिसमें बैंक के उत्पादों/सेवाओं/परामर्शों और ग्राहक-केंद्रित पहलों/विकासों को शामिल किया जाता है; जैसे नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत, विशेषताएं, प्रचार प्रस्ताव, अभियान, उपलब्धियां, कार्यक्रम, सरकारी निर्देश, सलाह आदि।

साइबर सुरक्षा जागरूकता

साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, बैंक अपने लक्षित विज्ञापन अभियान 'खबर नहीं, खबरदार बनो' के तहत नवीनतम वित्तीय घोटालों के बारे में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना जारी रखा है।

कॉर्पोरेट ब्लॉग

बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैंकिंग और वित्त से जुड़े विभिन्न विषयों पर ब्लॉग प्रकाशित करता है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध कराना है जो सूचनाप्रद होने के साथ-साथ दिलचस्प भी हो। इसमें बैंक के उत्पादों/सेवाओं, उद्योग संबंधी रुझानों, वित्तीय कार्यनीतियों, बैंकिंग की बुनियादी बातों और बाज़ार के नवीनतम घटनाक्रमों को कवर किया जाता है।

24. कॉर्पोरेट सम्प्रेषण:

बाह्य सम्प्रेषण

- वित्त वर्ष 26 के दौरान, बैंक ने ग्राहक केंद्रित उत्पादों और सेवाओं के द्वारा ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कीं; सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और बैंक की उपलब्धियों का प्रचार किया।
- बैंक ने विभिन्न अवसरों पर भौतिक और आभासी प्लेटफार्मों का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकों और शीर्ष प्रबंधन के विशेष साक्षात्कारों के माध्यम अपनी बात रखी।
- वित्तीय परिणामों की घोषणा, उत्पादों के लॉन्च, जनसंपर्क गतिविधियों, स्वच्छता पखवाड़ा, सीएसआर गतिविधियों, 119 वें स्थापना दिवस समारोह आदि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से व्यापक कवरेज प्राप्त हुई।
- एलईडी डिजिटल स्क्रीन, होर्डिंग्स, ट्राइविजन बोर्ड, ग्लो बॉल टावर्स आदि के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों में आउट

ऑफ होम (ओओएच) विज्ञापन अभियान चलाए गए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

- देश में समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- सीएसआर गतिविधियों के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र समावेशी विकास, वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना, हरित पहल और पर्यावरण स्थिरता कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और कल्याण हैं।

सीएसआर गतिविधियाँ:

- बैंक की विभिन्न सीएसआर पहल समुदायों के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण की बेहतरी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं। बैंक द्वारा आयोजित किए गए कतिपय सीएसआर गतिविधियों की तस्वीरें नीचे साझा की गई हैं:



सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ओमानदुरार, चेन्नै को मरीजों के आवागमन के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया।



चेन्नै स्थित लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ को कम्प्यूटर सिस्टम, श्रवण यंत्र और स्टेशनरी सामग्रियों प्रदान की गई।



विकलांग महिलाओं तथा विकलांग बच्चों की माताओं को सोसाइटी फॉर राइट्स ऑफ ऑल वीमेन विद डिसेबिलिटीज (एसएफआरएडबल्यूडी), चेन्नै के माध्यम से 40 सिलाई मशीनें प्रदान कर सहयोग दिया गया।



बैंक की सीएसआर पहल के अंतर्गत आश्रय, चेन्नै को रसोई उपकरण प्रदान कर सहयोग दिया गया।



अगस्त 2025 माह में चेन्नै और आसपास के वृद्धाश्रमों/अनाथालयों में एक माह तक भोजन वितरण किया गया।



विद्या सागर स्कूल, चेन्नै के बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों के लिए वेलनेस उपकरण उपलब्ध कराते हुए तथा ऑडिटोरियम में सेंसर-आधारित स्वचालित स्लाइडिंग डबल डोर के विकास हेतु सहयोग प्रदान किया गया।



सेंट लुइस संस्थान, चेन्नै में श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल नोटबुक्स तथा एक ब्रेल प्रिंटर उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया गया।



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए अत्यधिक सस्ती वाली रोबोटिक सर्जरी कराने हेतु सहयोग प्रदान किया गया।



सरकारी मेडिकल कॉलेज, अण्णामलै नगर को आवश्यक चिकित्सा संबंधी सामग्रियों के परिवहन हेतु एक टाटा ट्रक प्रदान कर सहायता की गई।



लोयोला कॉलेज, चेन्नै को बास्केटबॉल कोर्ट के विकास हेतु सहयोग प्रदान किया गया, जिससे प्रकाश की व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यास समय का विस्तार, प्रमुख टूर्नामेंटों का आयोजन तथा खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और विकास के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।



झारखंड स्थित रांची विश्वविद्यालय के वेलनेस सेंटर के मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु सहयोग प्रदान किया गया।



कोयंबटूर स्थित वृद्धाश्रम अंबु इल्लम को आवश्यक रसोई उपकरण प्रदान कर सहयोग किया गया।

25. वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के सुगम्यता संबंधी मानक दिशानिर्देशों का अनुपालन

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के सुगम्यता मानकों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने निम्नलिखित उपाय/कार्रवाईयाँ की हैं:

1. हैंडरेल युक्त रैम्प एवं लिफ्ट की सुविधाएं शाखाओं (4872), कार्यालयों (304) तथा एटीएम (5220) में उपलब्ध कराई गई हैं। जहां इनकी अनुस्थापन संभव नहीं है, वहाँ दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को सहायता प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।
2. बैंक के सभी एटीएम/बीएनए में ब्रेल कीबोर्ड एवं ऑडियो जैक की सुविधा उपलब्ध हैं।
3. दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
4. बैंक का इंडस्मार्ट मोबाइल ऐप एवं इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म इस प्रकार अभिकल्पित किए गए हैं कि वे दिव्यांगजनों के

लिए सुगम्यता और उपयोगिता का समर्थन करते हुए विभिन्न माध्यमों पर समावेशी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। ये प्लेटफॉर्म गूगल टॉकबैक, आईओएस वॉयसओवर, तथा जेएडब्ल्यूएस जैसी व्यापक रूप से प्रयुक्त सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ संगत पूर्ण हैं, जिससे दृष्टिबाधित एवं अन्य सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं वाले ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का सुगमतापूर्वक उपयोग कर सकेंगे।

5. पठनीयता तथा उपयोगकर्ता सुविधा में सुधार के लिए, इन प्लेटफॉर्मों में फॉन्ट आकार को समायोजित करने की व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी अभिगम्य अपेक्षाओं के अनुसार एप्लिकेशन सेटिंग्स के माध्यम से पाठ का आकार बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः उपयोग में आने वाली बैंकिंग सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण क्विक एक्शन आइकन प्रदान किए गए हैं, जिससे उपयोगकर्ता के समग्र सुविधागत एवं परिचालनगत दक्षता में वृद्धि होती है।
6. इन अनुप्रयोगों में सरल एवं सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध है, जिसमें वर्णनात्मक लेबल तथा एकीकृत सर्च की सुविधा सम्मिलित है, जिससे उपयोगकर्ता मेनू, विकल्पों एवं बैंकिंग सुविधाओं का त्वरित एवं आसानी से पता लगा सकते हैं। आवश्यक सेवाओं एवं अक्सर उपयोग में आने वाली सुविधाओं तक त्वरित पहुंच के लिए पृथक एवं स्पष्ट रूप से पहचान योग्य विजेट प्रदान किए गए हैं, जिससे नेविगेशन सुदृढ़ होता है तथा परिचालनगत जटिलताएं कम हो जाती हैं।
7. इन प्लेटफॉर्मों पर प्रमुख सुविधाओं को कवर करने वाले डेमो वीडियो के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कैप्शन एवं उपशीर्षक सम्मिलित हैं, ताकि, श्रवण बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम्यता सुनिश्चित की जा सके तथा वे ऑडियो सहायता पर निर्भर हुए बिना डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को स्वतंत्र रूप से समझ सकें।
8. इसके अतिरिक्त, इंडस्मार्ट मोबाइल ऐप एवं इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का विशेषज्ञ वेब सुगम्यता अंकेक्षकों द्वारा सुगम्यता संबंधी लेखापरीक्षा कराया गया है, जिससे सुगम्यता मानकों के अनुपालन का आकलन किया जा सके तथा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समावेशी डिजिटल बैंकिंग अनुभव के सतत संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके।

26. खेल

बास्केटबॉल

अंतरराष्ट्रीय स्तर

1. बैंक के बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री एच. मुड़नबेक, श्री पी. बालाधनेश्वर, श्री प्रणव प्रिंस एवं श्री प्रशांत सिंह रावत वर्तमान में वरिष्ठ भारतीय प्रशिक्षण शिविर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
2. बैंक के खिलाड़ी श्री मुड़न बेक एवं श्री प्रणव प्रिंस ने फीबा एशिया कप क्वालीफायर्स (विंडो-3), 2025-26 में सीनियर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।
3. हमारे इंडियन बैंक बास्केटबॉल टीम के श्री प्रणव प्रिंस ने फीबा 3X3 एशिया कप 2025-26 के लिए सीनियर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर



इंडियन बैंक ने 21वीं राज्य स्तरीय पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 में डॉ. गोपालकृष्णन स्मृति ट्रॉफी जीता।



19वीं इंडियन बैंक "राइजिंग स्टार" राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एवं कॉर्पोरेशन ग्राउंड्स, टी. नगर, चेन्नई (विजेता)।



चिदंबर सौम्य नारायणन मेमोरियल एवर रोलिंग ट्रॉफी (पुरुष), पेरियाकुलम, थेनी (विजेता)



श्री मुड़न बेक को मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



नाचिमथु गौंडर ट्रॉफी, कोयंबटूर के लिए 58वीं अखिल भारतीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता (विजेता)



श्री प्रणव प्रिंस को मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार प्रदान किया गया।



59वीं अखिल भारतीय पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता, कोयंबटूर - पीएसजी ट्रॉफी (विजेता)



जोधपुर, राजस्थान में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जोधपुर चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता, 2025 (विजेता)



हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने श्री मुइन बेक को 'प्लेयर ऑफ़ द ईयर (बास्केटबॉल)' के रूप में तमिलनाडु राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी।

हॉकी



हमारी हॉकी टीम ने 11.08.2025 से 31.08.2025 तक चेन्नै में आयोजित तिरुवल्लूर प्रीमियर लीग 3.0 के फाइनल में आईओबी को हराकर पहला स्थान हासिल किया।

वॉलीबॉल

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर



तमिलनाडु के केरामंगलम में आयोजित VII वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता (विजेता)



4वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, स्वामिथोप्पु, कन्याकुमारी जिला (विजेता)



17वीं चंद्रपांडी स्मारक ट्रॉफी राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, मदुरै (विजेता)



राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, धर्मपुरी (विजेता)



श्री एल. एम. मनोज को एसएएफ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने एवं वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में वॉलीबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'एकलव्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह कर्नाटक सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान है। यह पुरस्कार 01.12.2025 को बेंगलुरु में आयोजित सम्मान समारोह में कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। एकलव्य पुरस्कार विजेता के रूप में चयनित होना, हम सभी के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।

शतरंज



हमारी शतरंज खिलाड़ी श्रीमती राजसूर्य ने वॉरियर चैस अकादमी फीदे रेटेड ओपन शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।



फीदे रेटेड इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में 1800 से काम की श्रेणी में हमारी शतरंज खिलाड़ी श्रीमती राजसूर्या को विजेता घोषित किया गया।

पैरा शूटिंग



वर्ष 2025

6वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप

महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टीम कांस्य पदक।



वर्ष 2025

68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता (एनआरएआई)

महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक

27. राजभाषा विभाग

देश की जन-जन तक बैंकिंग सेवाएं राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पहुंचाने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। तदनुसार, बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है, जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों को बैंक में कार्यान्वित और राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है।

बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार; संसदीय राजभाषा समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त राजभाषा संबंधी निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सार्थक प्रयास किया है।

राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ ग्राहकों को राजभाषा हिंदी के माध्यम से डिजिटल उत्पाद प्रदान करना बैंक की राजभाषा नीति की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे भारत सरकार और नियामक प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग मंचों से समय-समय पर सराहा गया है।

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि बैंक ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों और बैंक के विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने हेतु एक सुव्यवस्थित वार्षिक कार्य योजना को अपनाया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा विभाग के माध्यम से बैंक द्वारा निष्पादित उल्लेखनीय कार्य निम्नानुसार है:

- **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन:** भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुपालन में कॉर्पोरेट कार्यालय से परिपत्र, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम/ईजीएम सूचनाएं, निविदा सूचनाएं आदि द्विभाषी रूप (हिन्दी - अंग्रेजी) में जारी की जाती है।
- **हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना - राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5:** हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर, निरपवाद रूप से हिन्दी में ही दिया जाना अपेक्षित है। इसके सुगम अनुपालन हेतु हिन्दी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद, संबंधित विभागों के पास भेजा जाता है। राजभाषा विभाग को प्राप्त उनके उत्तर के अंग्रेजी मसौदे का हिन्दी अनुवाद किया जाता है और ऐसे सभी मामलों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उत्तर भेजना सुनिश्चित किया जाता है।

- **बैंक राजभाषा पोर्टल:** हिंदी भाषा सीखने हेतु स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए, भारत सरकार के ऑनलाइन टूल 'लीला हिंदी प्रवाह' से संबंधित लिंक इस राजभाषा पोर्टल पर उपलब्ध है। इस पोर्टल पर हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर एवं हिंदी फॉन्ट, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित "भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी" का लिंक भी उपलब्ध है।
- **हिंदी प्रशिक्षण:** माननीय संसदीय राजभाषा समिति को बैंक के राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान दिए गए आश्वासनों के अनुपालन में की गई कार्रवाई के तहत हिंदीतर भाषी स्टाफ सदस्यों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाने हेतु हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'प्राज्ञ' परीक्षा स्तर तक का हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ सदस्यों को हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित 'पारंगत' परीक्षा हेतु रोस्टर तैयार किया है।
- **हिन्दी कार्यशालाएं:** वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान आयोजित 266 हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से 5145 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **हिंदी डेस्क प्रशिक्षण:** भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुपालन में शाखाओं में डेस्क संबंधी कार्यों को हिंदी माध्यम से निष्पादित करने हेतु शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य मासिक शाखा निरीक्षण के दौरान हिंदी डेस्क प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- **अनुवाद कार्य:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त समस्त बैनरों, निविदाओं, विज्ञापन सामग्रियों, प्रेस विज्ञप्तियाँ, पम्फलेटों, इत्यादि का अनुवाद किया गया।
- **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वार्षिक समीक्षा बैठक:** श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2026 को राजभाषा संवर्ग के समस्त अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए लखनऊ में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर डॉ. छबिल कुमार मेहेर, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय

कार्यान्वयन कार्यालय, उत्तर-II, भारत सरकार उपस्थित थे।

- **हिन्दी पखवाड़ा 2025 का आयोजन:** कॉर्पोरेट कार्यालय में 14 सितंबर, 2025 से 29 सितंबर, 2025 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा कार्यपालकों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) :** बैंक अखिल भारतीय स्तर पर 13 नगरों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का संयोजक है।** सभी नराकास की बैठकें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित महीने में आयोजित की गईं। नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै की 77वीं अर्ध-वार्षिक बैठक दिनांक 25.11.2025 को श्री बिनोद कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में इमेज में सम्पन्न हुई। राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए सदस्य कार्यालयों को शील्ड प्रदान किए गए। नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै के तत्वावधान में दिनांक 25.02.2026 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक के कर कमलों से हिंदी पत्रिका “चेन्नै भारती” का विमोचन किया गया।
- **माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण दौरा:** माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा अंचल कार्यालय: गुवाहाटी, बेंगलुरु, मैसूर, देहरादून, आगरा गुड़गांव, मुंबई (दक्षिण), कोलकाता (मध्य), वाराणसी, गोंडा, मेरठ का राजभाषा संबंधी निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माननीय समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा विभिन्न तिथियों को कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालय, मुरादाबाद, अंचल कार्यालय कांचीपुरम, अंचल कार्यालय पुदुचेरी, कोल्लम शाखा, पत्तनमतिट्टा शाखा और मलप्पुरम शाखा के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
- **वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निरीक्षण:** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं के निरीक्षण दल द्वारा अंचल कार्यालय भुवनेश्वर और अंचल कार्यालय पुणे का निरीक्षण किया गया। **श्री धर्मवीर, उप निदेशक (रा.भा.), वित्तीय सेवाएं विभाग** द्वारा दिनांक 17.03.2026 को हमारे **कॉर्पोरेट कार्यालय** का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत, **सुश्री वी. एन. माया, मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ एवं सीएलओ) एवं विधि** की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागीय प्रमुखों ने सहभागिता की।

- **नई पहल:** राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनवरत प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में **राजभाषा पोर्टल, मानदेय का ऑनलाइन भुगतान, हेल्पडेस्क पर “एक शब्द सीखें” की सुविधा, सीबीएस का द्विभाषीकरण, हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन, स्थानीय भाषा वार्तालाप सहायक पुस्तिका, राज्य की संस्कृति पर आधारित पुस्तिका, अखिल भारतीय स्तर की पुस्तक का प्रकाशन आदि** जैसे कई नए पहल राजभाषा विभाग द्वारा किए गए हैं।



इंडियन बैंक को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत 'द्वितीय' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 'तृतीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2025 के दौरान श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री और डॉ. दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद के कर-कमलों से श्री मनोज कुमार दास, महाप्रबंधक, राजभाषा विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय ने ग्रहण किया।



राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु अंचल कार्यालय, वाराणसी को 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कर-कमलों से यह पुरस्कार सुश्री मिनी टी.एम, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, प्रो. (डॉ.) माणिक साहा एवं अन्य गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।



राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु अंचल कार्यालय, कोलकाता (उत्तर) को 'प्रथम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कर-कमलों से यह पुरस्कार अंचल कार्यालय, कोलकाता (उत्तर) के अंचल प्रबंधक, श्री अभिलाषित कौशल ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, प्रो. (डॉ.) माणिक साहा एवं अन्य गणमान्य जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।



राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु अंचल कार्यालय, पटना को 'द्वितीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। श्री बंडी संजय कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार के कर-कमलों से यह पुरस्कार अंचल कार्यालय, पटना के अंचल प्रबंधक, श्री अमन कुमार झा ने ग्रहण किया।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.), चेन्नै के संयोजक बैंक के रूप में इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु 'नराकास राजभाषा सम्मान' (तृतीय पुरस्कार - क्षेत्र : 'ग') से सम्मानित किया गया।



वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उदयपुर में आयोजित भव्य समारोह में बैंक को "ग" क्षेत्र में "प्रथम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।



28. पुरस्कार एवं प्रशस्ति



बैंक को आईबी साथी के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्डन अवार्ड एवं सुरक्षा संबंधी परिचालनों के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया।



टीएन बिज़नेस लीडर ऑफ़ द ईयर-इंडस्ट्री-वाइज़ अवार्ड्स 2025 में 'सीईओ ऑफ़ द ईयर' पुरस्कार



ईटी एज बीएफएसआई टेक लीडर अवार्ड - भारत के वित्तीय भविष्य के निर्माता



बैंक को 'डिजिटल सीएक्स ट्रेलब्लेज़र - पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत आईबीईएक्स इंडिया 2026 का बीएफएसआई टेक अवार्ड (कांस्य) से सम्मानित किया गया।



बैंक को इन्व्यूवे कोलैबरेशन्स द्वारा आयोजित 'कनेक्ट फ्यूचर रेडी लीडर्स - विकसित भारत 2047' के 5वें संस्करण में 'डिजिटल लीडरशिप अवार्ड' प्राप्त हुआ।



वीएमवेयर - इंडिया क्लाउड लीडर अवार्ड 2025



बैंक को आईबीए के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024-25 में "श्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन" तथा "श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक" श्रेणियों के अंतर्गत स्पेशल मेंशन सम्मान प्राप्त हुआ है।



वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त "डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2023-24

29. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

- बैंक के प्रायोजन में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संचालित हैं, अर्थात् तमिलनाडु ग्राम बैंक (टीएनजीबी), जिसका प्रधान कार्यालय सलेम (तमिलनाडु) में स्थित है, तथा पुदुचेरी ग्राम बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय पुदुचेरी (पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश) में स्थित है।
- सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसजीबी) का विलय, यूनियन बैंक द्वारा प्रायोजित आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में, दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी रूप से कर दिया गया है।
- दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पूर्व में पुदुचेरी भारतियार ग्राम बैंक के नाम से विद्यमान बैंक का नाम परिवर्तित कर पुदुचेरी ग्राम बैंक कर दिया गया है।
- दो आरआरबी के संबंध में, शाखा नेटवर्क 722 (मार्च 2025) से 25 बढ़कर 747 शाखाएँ (मार्च 2026) हो गया है। मार्च 2026 तक दोनों आरआरबी का कुल व्यवसाय ₹61,968 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2025 तक (वार्षिक आधार पर 15% की वृद्धि) ₹53,924 करोड़ था।
- दोनों ही लाभार्जक आरआरबी हैं।

दिनांक 31.03.2026 तक व्यवसाय की स्थिति (लेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरआरबी के नाम	शाखाओं की संख्या	जमाराशि	अग्रिम	व्यवसाय	निवल लाभ	निवल एनपीए %	सीआरएआर %
1	तमिलनाडु ग्राम बैंक	699	26232	31735	57966	623	0	13.34
2	पुदुचेरी ग्राम बैंक	48	1923	2079	4002	60	0	10.39
कुल		747	28155	33814	61968	683	0	-

- आरआरबी भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं, जैसे कि पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई में सक्रिय रूप से सहभागी हैं। मार्च 2026 तक, इनके अंतर्गत पीएमजेडीवाई के 13.76 लाख खाते खोले गए हैं, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 9.71 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 18.89 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं तथा एपीवाई के अंतर्गत 4.17 लाख लाभार्थी सम्मिलित हैं।

30. अनुषंगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस (पी) लिमिटेड:

- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस (पी) लिमिटेड :
- बैंक का एक संयुक्त उपक्रम भारत के सार्वजनिक एवं निजी कॉर्पोरेट संस्थानों के एक परिसंघ तथा जापान की सोम्पो के साथ प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका गठन वर्ष 2007 में किया गया।
- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तथा जापान की अग्रणी सामान्य बीमा कंपनी सोम्पो जापान इंश्योरेंस इंक. का एक संयुक्त उपक्रम है। यह खुदरा, ग्रामीण, एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट ग्राहक खंडों हेतु विविध बीमा उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।
- यथास्थिति 31.03.2026 को इंडियन बैंक की अंशधारिता 28.52% थी।
- वित्त वर्ष 25 में ₹190 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 26 में 18.95% की वृद्धि के साथ ₹226 करोड़ हो गया।

इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

यह सहायक कंपनी अपने कॉर्पोरेट, खुदरा तथा संस्थागत वित्तीय खंडों में निम्नलिखित प्रमुख परिचालन प्रभागों के माध्यम से कार्य करती है:

- **मर्चेन्ट बैंकिंग:** कंपनी पूंजी बाजार से संबंधित कार्यों का संचालन करती है, जिसमें सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम तथा निजी प्लेसमेंट के लिए लीड मैनेजर, सह-मैनेजर, सलाहकार अथवा अरेंजर के रूप में सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार बायबैक, डीलिटिंग तथा कॉर्पोरेट शेयर अधिग्रहण का प्रबंधन भी करती है।

- **स्टॉक ब्रोकिंग:** कंपनी एनएसई तथा बीएसई की कॉर्पोरेट सदस्य है। यह 'इंड फॉर्चून' प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी, डेरिवेटिव्स (एफ&ओ) तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करती है।
- **डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) सेवाएं:** कंपनी एनएसडीएल तथा सीडीएसएल दोनों के साथ पंजीकृत है, जो खुदरा तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डीमैट खातों का संचालन एवं इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।
- **निवेश वितरण:** कंपनी एएमएफआई के अधीन पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक है, जो 'इंडवेल्थ' प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित तथा प्रणालीबद्ध निवेश योजनाएं (एसआईपी) उपलब्ध कराती है।
- कंपनी एनएसई एवं बीएसई दोनों में सूचीबद्ध है।
- यथास्थिति 31.03.2026 को बैंक की कंपनी में हिस्सेदारी 64.84% थी।
- अनुषंगी कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान ₹7.09 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया तथा स्टॉक ब्रोकिंग के अंतर्गत ₹14.11 करोड़ की आय प्राप्त की।

इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड

- आरबीआई द्वारा अनुमत विभिन्न बैंकिंग परिचालनों के लिए व्यापक आउटसोर्सिंग समाधान करने के लिए आईजीएसएसएल इंडियन बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डबल्यूओएस) है, जिसे दिनांक 09.02.2024 को ₹10 करोड़ की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी के साथ निगमित किया गया था। डबल्यूओएस जमाराशि जुटाने, हाउसिंग, वाहन ऋण प्राप्त करने, डिजिटल पैठ और एसएमए खातों की वसूली में सुधार करने में सक्रिय है। इस अनुषंगी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान ₹28 लाख का निवल लाभ अर्जित किया।
- डबल्यूओएस जमाराशि जुटाने, हाउसिंग, वाहन ऋण प्राप्त करने, डिजिटल पैठ और एसएमए खातों की वसूली में सुधार करने में सक्रिय है।
- इस अनुषंगी कंपनी ने दिनांक 31.03.25 (फरवरी'24 - मार्च'25) को समाप्त पहले वित्त वर्ष के लिए ₹2.59 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।



केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए विशिष्ट वेतन खाता



₹2.07 करोड़ तक निःशुल्क बीमा



खाताधारक और उनके परिवार के 4 सदस्यों के लिए
निःशुल्क हेल्थ केयर कंसल्टेशन



लाइफस्टाइल सुविधाओं वाला निःशुल्क डेबिट कार्ड

*निबंधन और शर्तें लागू



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें



इंड शक्ति

महिलाओं के लिए एक विशिष्ट बचत खाता

*निबंधन और शर्तें लागू



निःशुल्क कैंसर बीमा



लाइफस्टाइल सुविधाओं वाला निःशुल्क डेबिट कार्ड



लॉकर किराए में छूट



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट

वर्ष 2025-26 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://www.indianbank.bank.in/departments/annual-reports/>



इरादतन रिक्त रखा गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

कॉर्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि, नैतिक ढंग से उनकी धन-सृजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य हितधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, ताकि, संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सकें और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को संवहनीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह एक ऐसी प्रणाली का क्रमागत विकास है जिससे मूल्यों, सिद्धान्तों, नीतियों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं क्रियान्वित किया जाता है।

बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानक की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णायक नेतृत्व के जरिए बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता के संधान में नैतिक व्यवहार में पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित अपने उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक स्वयं को सभी हितधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त उनके धन का सृजन एवं रक्षण कर नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिषासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ लाभप्रद संवृद्धि सृजित करने हेतु बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत सुदृढ़ रूप से सुस्थापित हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित है। निदेशकगण बोर्ड को विशेषज्ञों की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होते हैं।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। निदेशक मण्डल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) के अंतर्गत जारी प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के इतर निदेशक को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

2.2 नीतियों का निर्धारण, कॉर्पोरेट रणनीति और योजना, नई पहल, कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे मामलों की संस्वीकृति देना बोर्ड के दायित्वों में शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.3 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.4 यथास्थिति 31.03.2026 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत है :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/ नामांकन की तिथि	बैंक की बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्यता	बैंक से इतर कंपनियों/संस्थाओं में निदेशक	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री बिनोद कुमार	एमडी एवं सीईओ	16-01-2025	1. प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 2. ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष) 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. निदेशकों की समिति -सतर्कता (अध्यक्ष) 5. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 6. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 7. एचआर समिति (अध्यक्ष) 8. वसूली की निगरानी हेतु समिति (अध्यक्ष) 9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (अध्यक्ष) 10. ऋण अनुमोदन समिति (अध्यक्ष) 11. निदेशकों की समिति (पूंजी संग्रहण) अध्यक्ष	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान	-
2	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03-05-2023	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रिती) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. निदेशकों की समिति - (सतर्कता) 6. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 7. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 8. हितधारक संबंध समिति 9. शेयर अंतरण समिति (अध्यक्ष) 10. एचआर समिति 11. वसूली की निगरानी हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति 13. निदेशकों की समिति (पूंजी संग्रहण)	(i) पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (ii) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (iii) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (आईजीएसएस)	-

3	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09-10-2023	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रिती) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति (आमंत्रिती) 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 7. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 8. हितधारक संबंध समिति 9. शेयर अंतरण समिति 10. एचआर समिति 11. वसूली की निगरानी हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति 13. निदेशकों की समिति (पूँजी संग्रहण)	(i) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (ii) यूनवर्सल सॉपो जेनरल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	-
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10-03-2024	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रिती) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति (आमंत्रिती) 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 7. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 8. हितधारक संबंध समिति 9. शेयर अंतरण समिति 10. एचआर समिति 11. वसूली की निगरानी हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति 13. निदेशकों की समिति (पूँजी संग्रहण)	यूनवर्सल सॉपो जेनरल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	-

5	सुश्री मिनी टी एम	कार्यपालक निदेशक	24-11-2025	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (आमंत्रिती) 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति (आमंत्रिती) 5. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 6. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 7. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 8. हितधारक संबंध समिति 9. शेयर अंतरण समिति 10. एचआर समिति 11. वसूली की निगरानी हेतु समिति 12. ऋण अनुमोदन समिति 13. निदेशकों की समिति (पूँजी संग्रहण)	-	-
6	डॉ. आलोक पांडे	सरकार नामित निदेशक	13-05-2024	1. निदेशकों की समिति (सतर्कता) 2. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 3. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 4. एचआर समिति 5. वसूली की निगरानी हेतु समिति 6. कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (अध्यक्ष)	आईटीसी लिमिटेड	-
7	श्रीमती के निखिला	आरबीआई नामित निदेशक	14-07-2023	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. निदेशकों की समिति (सतर्कता)	-	-
8	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	11-04-2025	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (अध्यक्ष) 4. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 5. हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष) 6. वसूली की निगरानी हेतु समिति 7. अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति (अध्यक्ष) 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अध्यक्ष)	-	-

9	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	11-04-2025	1. प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 4. आईटी स्ट्रेटेजी समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की निगरानी हेतु समिति 7. अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपील समिति 8. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 9. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	वी जी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	-
10	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	21-12-2024	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति 4. शेयर अंतरण समिति 5. अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपील समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8. कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति	(i) ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड (ii) एमएसएसबीएल ट्रेडर्स लिमिटेड (03/02/2024 से एलएलपी में परिवर्तित)	250
11	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	शेयरधारक निदेशक	31-12-2025	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष) 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी स्ट्रेटेजी समिति (अध्यक्ष) 4. हितधारक संबंध समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 7. कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति	-	150

नोट :

- बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के सदस्य नहीं हैं अथवा कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 5 से अधिक समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते, जिनमें वे निदेशक हैं।
- निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट, <https://indianbank.bank.in/departments/corporate-governance-2/> पर उपलब्ध है।
- निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक के व्यवसाय और समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है और बैंक की औपचारिक और अनौपचारिक रिपोर्टिंग संरचना इसी के अनुरूप होती है।
- बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केवल एक स्वतंत्र निदेशक श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा, शेयरधारक निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिया

गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30.07.2025 के उस निर्देश के अनुसरण में; जिसके द्वारा 'पैरा-बैंकिंग' गतिविधियों से जुड़े भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवारत कर्मचारियों को दिनांक 02 अगस्त, 2019 के 'मास्टर दिशानिर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) निर्देश, 2019' (यथास्थिति 03 जून, 2020 तक अद्यतन) के पैरा 4.3(iv)(b) के प्रावधानों की शर्तों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित किया गया था, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा ने दिनांक 28.11.2025 के पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र सौंप दिया। तदनुसार, श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा दिनांक 28.11.2025 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।

- (VII) श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (VIII) श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (IX) श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए।
- (X) सुश्री मिनी टी. एम., कार्यपालक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुईं।

2.5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किए गए और पदभार ग्रहण करने वाले निदेशकों के प्रोफाइल निम्नानुसार हैं :-

2.5.1 सुश्री मिनी टी. एम., कार्यपालक निदेशक

सुश्री मिनी टी. एम. उच्च कोटि की निपुण बैंकर हैं, जिनका फेडरल बैंक, पूर्ववर्ती-विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपने इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और आपको बड़े व्यावसायिक पोर्टफोलियो का नेतृत्व करने, रणनीतिक विकास को बढ़ावा देने और वृहद स्तर पर अभिशासन एवं जोखिम ढांचे को सुदृढ़ करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक और क्लस्टर प्रमुख—दिल्ली की अपनी सबसे हालिया भूमिका में आपने जमा, अग्रिम, ग्राहक सेवा और अनुपालन में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए लगभग ₹6.00 लाख करोड़ के व्यावसायिक पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया है। इससे पहले, आपने पैन-इंडिया रिटेल लाइबिलिटीज वर्टिकल का नेतृत्व किया है, जहाँ आपने उत्पाद नवाचार, डिजिटल संवर्धन और कासा एवं मीयादी जमा में सतत वृद्धि को गति प्रदान की है। आपने अपने नेतृत्व यात्रा के दौरान बेंगलुरु और पुणे जैसे प्रमुख अंचलों का नेतृत्व किया है, जहाँ आपने व्यवसाय का प्रभावी विस्तार किया, आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाया और ग्राहक अनुभव को उत्कृष्ट बनाया है तथा कई अभिशासन एवं डिजिटल परिवर्तन पहल का शुभारंभ किया है। आपने दक्षिणी क्षेत्र में पीएसयू और कॉर्पोरेट व्यवसाय का भी नेतृत्व किया है और इससे पहले आपने ऋण, एसएमई बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑपरेशन और जोखिम प्रबंधन में बड़ी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। आपने बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए किया है, आप एफआरएम (जीएआरपी, यूएसए), सीएआईआईबी हैं और आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, सीएफआरएल और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व मंचों के प्रमुख लीडरशिप कार्यक्रम पूर्ण किए हैं। अपनी कार्यनीति स्पष्टता, परिचालन उत्कृष्टता और जन-केंद्रित नेतृत्व के लिए पहचानी जाने वाली सुश्री मिनी ने निरंतर मजबूत भविष्योन्मुख बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने तथा विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2.5.2 श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक

श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ऑनर्स डिग्री प्राप्त की है तथा आप आईसीडब्ल्यूए के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, आपने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु से पीजीडीएम (एमबीए) किया है। वर्ष 1990 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में योगदान देने से पहले आपने तीन वर्षों तक कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य किया है। हाल तक, आप भारत सरकार के विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व, सितंबर 2024 में सेवानिवृत्ति तक आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत रहे, जहाँ आपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के व्यापक भंडारण के माध्यम से भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान की। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ, सौर विनिर्माण को प्रोत्साहन देना तथा देश में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास की शुरुआत आपकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। आपने भारत सरकार के अन्य कई महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा तत्पश्चात अपर सचिव के रूप में पाँच वर्षों से अधिक की अवधि तक आपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की व्यापार वार्ताओं का दायित्व संभाला। इसके अतिरिक्त, आपने महानिदेशक, व्यापार उपचार के रूप में कार्य किया तथा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन

के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रहे हैं। आपने वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर (आर्थिक) के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ आपने तीन वर्षों से अधिक समय तक वित्त, ऊर्जा एवं कृषि के क्षेत्रों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पूर्व, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में आपने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की कई प्रमुख पहलों में योगदान दिया तथा 24 जनवरी 2005 से 10 जून 2008 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आईएस के संघ राज्य क्षेत्र कैडर के सदस्य के रूप में आपने दिल्ली, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा चंडीगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैविध्यपूर्ण एवं उल्लेखनीय दायित्वों का निर्वहन किया है। दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक के रूप में आपने संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य किया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य के रूप में, आपको समाज एवं पेशे के हित में एक नीति निर्माता के रूप में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2016 में संस्थान द्वारा प्रथम सीएमए रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

2.5.3 श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:

श्री बालमुकुंद सहाय, राँची विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोत्तर हैं।

आप वर्ष 2001 से 2004 तक झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सक्रिय सदस्य और वर्ष 2016 से 2019 तक झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य रहे हैं। झारखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है।

आप एक समाजसेवी रहे हैं तथा झारखंड राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य के रूप में आपने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा वैकल्पिक परिवाद समाधान पर विशेष ध्यान दिया था। आपकी विशेष रुचि गरीबी उन्मूलन तथा सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी रही है।

2.5.4 श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक:

आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और आपने मेरठ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आपको प्रत्यक्ष कराधान, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन परामर्श, विधिक अभिमत, प्रवासी कराधान आदि क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। साथ ही, आपको एशोरेंस सर्विसेस एवं विभिन्न उद्योगों में सूचीबद्ध भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने का व्यापक अनुभव भी प्राप्त है।

आपने विभिन्न जीएपी (जिसमें यूएस जीएपी, आईएफआरएस, इंड एसएस आदि शामिल हैं) के अंतर्गत कार्य किया है। आप प्रख्यात शैक्षणिक संस्था के संस्थापक ट्रस्टी हैं। आप प्रत्यक्ष कराधान, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रेरक कार्यक्रमों से संबंधित सार्वजनिक सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं।

2.6 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक पद के कार्यकाल की समाप्ति के विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	01-07-2025	नियुक्ति की अवधि का समापन
2.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	28-11-2025	त्यागपत्र

3 निदेशक मंडल के सदस्यों का परिचय (यथास्थिति 31.03.2026) :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक की श्रेणी	शैक्षिक /व्यावसायिक योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता
1	श्री बिनोद कुमार	एमडी एवं सीईओ	कार्यपालक	बी.एससी (एच), बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वित्तीय जोखिम प्रबंधक, बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा, ट्रेजरी में डिप्लोमा, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, सीएआईआईबी	बैंकर

2	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमबीए, आईआईएम बेंगलुरु से एक्जीक्यूटिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकर
3	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	एमए, एमबीए, सीएआईआईबी, ग्रामीण बैंकिंग में प्रमाणपत्र, आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	बैंकर
4	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बीएससी(एग्री), एमबीए(फाइनेन्स), सीएआईआईबी, आईआईएम बेंगलुरु से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लीडरशिप प्रोग्राम	बैंकर
5	सुश्री मिनी टी. एम.	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	बी.एससी. (कृषि), एमबीए (बैंकिंग एवं वित्त), सीएआईआईबी, एफआरएम (जीएआरपी, यूएसए), वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	बैंकर
6	डॉ. आलोक पांडे	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	गैर- कार्यपालक भारत सरकार नामिती निदेशक	बी.ई. (मैकेनिकल), एफपीएम (डॉक्टरेट)	सरकारी सेवा, अपर सचिव, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय
7	सुश्री के निखिला	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	गैर- कार्यपालक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	एम. एससी, आईआईबी एंड एफ की प्रमाणित सदस्य	प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई, परिसर विभाग
8	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	एम. कॉम.	सामाजिक कार्यकर्ता
9	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम., सीए	सेवारत चार्टर्ड अकाउंटेंट
10	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	गैर- कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम.(ऑनर्स), एफसीए, डीआईएसए	सेवारत चार्टर्ड अकाउंटेंट
11	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	शेयरधारक निदेशक	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	बी.कॉम. (ऑनर्स), आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीएम, एमबीए	सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी / लागत लेखाकार

3.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक के विवरण :

उन बैठकों का विवरण जिनमें वर्तमान और पूर्व निदेशकों द्वारा भाग लिया गया (01.04.2025-31.03.2026)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम सी बी	ए सी बी	आर एम सी	सी ओडी (सतर्कता)	एस आर सी	आई टी समिति	एस सी बी एम एफ	सी एस सी	एच आर समिति	एस टी सी	सी ए सी	सी एम आर	बी एस सी डीसी	एन आर सी	आरसी डब्ल्यू डी	बी सी पीई	सी ओडी (पूँजी संग्रहण)
1	श्री बिनोद कुमार	14	24	--	6	4	--	6	4	5	6	--	45	4	--	--	4	--	2
2	श्री महेश कुमार बजाज*	4	6	--	--	1	1	2	--	1	2	1	10	1	--	--	--	--	--
3	श्री आशुतोष चौधरी	14	24	--	6	4	1	6	4	4	6	3	45	4	--	--	--	--	2
4	श्री शिव बजरंग सिंह	14	18	--	--	3	1	6	2	5	6	1	37	3	--	--	--	--	0
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	14	23	--	--	4	1	5	4	5	5	3	39	4	--	--	--	--	1
6	सुश्री मिनी टी. एम. #	5	6	--	--	2	--	2	2	2	1	2	11	1	--	--	--	--	1
7	डॉ. आलोक पांडे	11	--	--	--	4	--	6	3	--	6	--	--	2	--	--	--	2	--
8	सुश्री के. निखिला	9	23	8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	श्री बालमुकुंद सहाय ^	14	--	12	4	--	1	2	4	5	--	2	--	4	--	3	--	--	--
10	श्री विश्वेश कुमार गोयल ^^	14	23	--	6	--	--	6	--	5	6	--	--	4	--	3	2	--	--
11	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा @	5	--	5	--	--	1	4	--	--	--	1	--	--	--	1	2	1	--
12	श्री संजीव माहेश्वरी	14	--	12	5	--	--	4	3	--	5	2	--	--	--	3	4	2	--
13	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला @@	4	--	3	2	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	1	--	1	--

*ईडी 30-06-2025 तक

ईडी 24-11-2025 से प्रभावी

^ अंशकालिक एनओडी 11-04-2025 से प्रभावी

^^ अंशकालिक एनओडी 11-04-2025 से प्रभावी

@ त्यागपत्र 28-11-2025 से प्रभावी

@@ शेयरधारक निदेशक 31-12-2025 से प्रभावी

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छः बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की कुल 14 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इसके विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	26.04.2025&27.04.2025* (स्ट्रेटेजी बोर्ड)	11	10
2	03.05.2025	11	11
3	19.05.2025	11	10
4	26.06.2025	11	10

5	24.07.2025	10	9
6	26.09.2025	10	9
7	26.09.2025 (अनुक्रमात्मक बोर्ड) #	10	9
8	16.10.2025	10	10
9	22.11.2025 और 23.11.2025** (स्ट्रेटेजी बोर्ड)	10	10
10	29.12.2025 और 30.12.2025* (स्ट्रेटेजी बोर्ड)	10	8
11	22.01.2026	11	10
12	06.03.2026	11	10
13	06.03.2026 (अनुक्रमात्मक बोर्ड) #	11	10
14	27.03.2026	11	10

*स्ट्रेटेजी बोर्ड बैठक 26.04.2025 को शुरू हुई और 27.04.2025 को समाप्त हुई

**स्ट्रेटेजी बोर्ड बैठक 22.11.2025 को शुरू हुई और 23.11.2025 को समाप्त हुई

#बोर्ड की अनुक्रमात्मक बैठक 26.09.2025 एवं 06.03.2025 को हुई।

4. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों के अभिशासन के प्रति विशिष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण हेतु बैंक के कार्य को उचित दिशा प्रदान करने, प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विभिन्न समितियों का गठन किया है :

- (i) बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- (ii) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- (iii) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- (iv) आईटी स्ट्रेटेजी समिति (आईटी समिति)
- (v) ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- (vi) निदेशकों की समिति (सतर्कता) (सीओडी सतर्कता)
- (vii) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)
- (viii) शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- (ix) हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
- (x) एच आर समिति (एचआर समिति)
- (xi) वसूली की निगरानी हेतु समिति (सीएमआर)
- (xii) अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति (बीएसीडीसी)
- (xiii) इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडी)
- (xiv) ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
- (xv) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
- (xvi) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)
- (xvii) निदेशकों की समिति (पूँजी संग्रहण) (सीओडी पूँजी संग्रहण)

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार के

अनुमोदन से बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करती है। समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती है:

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिक और अनिधिक) ;
- ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबद्ध मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश;
- दान और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित कोई अन्य मामला

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की प्रबंधन समिति का संघटन निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य

4.1.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 24 बैठकें हुई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	11.04.2025	6	5
2	30.04.2025	7	7
3	14.05.2025	7	6
4	30.05.2025	7	7
5	12.06.2025	7	7
6	25.06.2025	7	7
7	27.06.2025	7	7
8	23.07.2025	6	6
9	31.07.2025	6	5
10	12.08.2025	6	6
11	29.08.2025	6	6
12	15.09.2025	6	6
13	24.09.2025	6	5
14	26.09.2025	6	6
15	30.10.2025	6	6
16	14.11.2025	6	6

17	29.11.2025	7	7
18	15.12.2025	7	6
19	29.12.2025	7	5
20	27.01.2026	7	6
21	16.02.2026	7	6
22	26.02.2026	7	6
23	18.03.2026	7	6
24	27.03.2026	7	7

4.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

लेखापरीक्षा समिति 13 अक्टूबर 1995 को गठित की गयी और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। इसके निबंधन में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक का समग्र लेखापरीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन तथा आंतरिक बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा व निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर-शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में बकाया, धोखाधड़ियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा
- लांग फार्म लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों/मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना और
- लेखे, लेखा नीतियों, प्रकटीकरणों की नियमित पुनरीक्षा करना
- प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा करना एवं लेखापरीक्षा के दौरान उभरे विशेष समायोजनों की पुनरीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप की अर्हता
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक बात का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा का स्कोप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय-समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री के निखिला, आरबीआई नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
4	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

आमंत्रिती :

1. श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक
2. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
3. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक
4. सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक

4.2.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 12 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	03.05.2025	4	4
2	09.06.2025	4	3
3	18.06.2025	4	3
4	24.07.2025	4	3
5	18.09.2025	4	3
6	16.10.2025	4	4
7	04.11.2025	4	4
8	18.11.2025	4	3
9	09.12.2025	3	3
10	22.01.2026	4	3
11	13.02.2026	4	4
12	23.03.2026	4	3

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक 18 जनवरी, 2003 को किया गया था और समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति के क्रियाकलाप/उत्तरदायित्व निम्नवत हैं:

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर से संबंधित जोखिम शामिल है, नीति और रणनीति तैयार करना।
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) एवं अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

- बाजार जोखिम मापन, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (व्यक्तियों, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति का अनुपालन करती हैं।
- व्यापार और उपचय संविभाग हेतु ट्रिगर या हानि रोकने सहित बाजार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
- अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाजार जोखिम प्रबंधकों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संगठन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
5	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

आमंत्रिती:

1. श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक
2. श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक
3. सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक
4. श्री हिमाद्री भट्टाचार्य, डोमेन विशेषज्ञ (विशेष आमंत्रिती)

4.3.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि में 6 बार समिति की बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	14.05.2025	5	4
2	18.06.2025	5	5
3	11.09.2025	5	5
4	19.12.2025	5	5
5	19.02.2026	5	5
6	18.03.2026	5	5

4.4 सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) :

सतर्कता समिति 12 जनवरी 1991 को गठित की गई थी। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए तिमाही में एक बार सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। समय-समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.4.1 सतर्कता पर निदेशकों की समिति (सीओडी) का संघटन:

दिनांक 31.03.2026 को सतर्कता संबंधी निदेशकों की समिति (सीओडी) के सदस्य निम्नवत थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	सुश्री के निखिला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

4.4.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकों का आयोजन हुआ जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	निदेशकों की समिति (सीओड सतर्कता) में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	26.06.2025	7	7
2	28.08.2025	6	6
3	12.12.2025	7	6
4	12.02.2026	7	7

4.5 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति:

23 नवंबर, 2006 से समिति का गठन ऐसे कार्यों को करने के लिए किया गया था जो शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शेयरों का हस्तांतरण, लाभांश की प्राप्ति न होना, वार्षिक रिपोर्ट और कोई अन्य शिकायत शामिल है, जो कि बैंक के किसी शेयरधारक या निवेशक की बैंक के प्रति हो सकती है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.5.1 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड हितधारक संपर्क समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष /सदस्य
1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.5.2 हितधारक संबंध से संबंधित बोर्ड की समिति के क्रियाकलाप :

समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

- शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के कारगर प्रयोग हेतु उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई मानक सेवाओं के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांशों की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को समय पर लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

4.5.3 बैठकों का विवरण

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक समिति की 1 बैठक का आयोजन हुआ जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	10.06.2025	6	6

4.5.4 अनुपालन अधिकारी:

श्री दीना नाथ कुमार, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

4.6 आईटी स्ट्रेटेजी समिति :

आईटी स्ट्रेटेजी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.6.1 आईटी स्ट्रेटेजी समिति का संघटन (आईटी समिति):

दिनांक 31.03.2026 को आईटी स्ट्रेटेजी समिति (आईटी समिति) का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/ सदस्य
1.	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
7.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
8.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
9.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य

आईटीआरबीटी के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ और आईटी कंसल्टेंट समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सीआईएसओ भी समिति में आमंत्रित सदस्य हैं।

4.6.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी स्ट्रेटेजी समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	15.05.2025	9	9
2	16.06.2025	9	9
3	12.08.2025	8	8
4	14.11.2025	8	8
5	03.02.2026	9	8
6	17.03.2026	9	9

4.7 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति { पूर्ववर्ती: विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)}:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2024 को अधिसूचना संख्या डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी. सं.5/23.04.001/2024-25 जारी की गई है, जिसके द्वारा "विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)" एवं इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी सभी प्रासंगिक पिछले परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति' (एससीबीएमएफ) के पुनर्गठन हेतु निर्देश दिया गया है। यह समिति, मौजूदा विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी) को प्रतिस्थापित करेगी। उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुरूप, दिनांक 29.07.2024 को धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का पुनर्गठन किया गया।

एससीबीएमएफ द्वारा बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के प्रभावशीलता का पर्यवेक्षण किया जाएगा; मूल कारणों के विश्लेषण को समाहित करते हुए धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा एवं उसकी निगरानी की जाएगी; तथा आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें धोखाधड़ी की श्रेणियों/प्रवृत्ति, धोखाधड़ी का औद्योगिक/क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेन्द्रण, धोखाधड़ी का पता लगाने/वर्गीकरण में देरी और कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में देरी आदि को शामिल किया जाएगा।

4.7.1 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) {पूर्ववर्ती विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)} का संघटन :

दिनांक 31.03.2026 को धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	सदस्य
3	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
7	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
8	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.7.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) पूर्ववर्ती : विशेष समिति (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी)} की 4 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	22.04.2025	8	5
2	12.08.2025	7	7
3	12.12.2025	8	6
4	12.02.2026	8	8

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

24 अगस्त 2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। ग्राहक सेवा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आम जनता के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के सरलीकरण पर विचार करना
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए मौजूद प्रणालियों की समीक्षा करना और
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जो बैंकों की ग्राहक सेवा को प्रभावित करते हैं।

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का संघटन:

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
7.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य

आमंत्रिती: श्री पलनिअप्पन एस . महाप्रबंधक (एसीओई) (दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि के रूप में) तथा आंतरिक लोकपाल।

4.8.2 बैठकों का विवरण :

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकों का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	17.06.2025	7	6
2	28.08.2025	6	6
3	29.11.2025	7	7
4	19.02.2026	7	6
5	27.03.2026	7	7

4.9 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की “उपयुक्त और उचित” स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरबीआई/डीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 27.11.2019 को बैंक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

4.9.1 बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का संघटन निम्नवत है :-

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
4.	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.9.2 बैठक का विवरण

01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	17.06.2025	4	4
2.	30.12.2025	3	3
3.	10.02.2026	4	4

4.10 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति :

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का केआरए तैयार करने तथा महाप्रबन्धकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के केआरए को अनुमोदित करने के लिए तथा बोर्ड को अनुशंसा करने हेतु एमडी एवं सीईओ के केआरए के निर्धारण के लिए दिनांक 27.11.2019 को यह समिति गठित की गई थी। समय समय पर इस समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4.10.1 कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति का संघटन :

यथास्थिति दिनांक 31.03.2026 को कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की समिति का संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
3	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.10.2 बैठक का विवरण :

01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान समिति की 2 बैठक संपन्न हुई जिनका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	17.06.2025	3	3
2	12.02.2026	3	3

4.11 शेयर अंतरण समिति:

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1999 के विनियम संख्या 2ए के अनुसरण में बैंक द्वारा दिनांक 13 मार्च 2007 को शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन समय समय पर किया गया है।

4.11.1 शेयर अंतरण समिति का संघटन :

यथास्थिति दिनांक 31.03.2026 को बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के सदस्यों की सूची निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य
6	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.11.2 बैठकों का विवरण :

01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान समिति की 3 बैठक संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र सं	बैठक की तिथि	शेयर अंतरण समिति में कुल निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	10.06.2025	6	6
2.	15.12.2025	6	5
3.	23.03.2026	6	5

4.12 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस. ओ. 2736 (ई) दिनांकित 05.12.2011 के अनुसरण में दिनांक 04.04.2012 को बैंक द्वारा ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जोकि एमसीबी से एक स्तर नीचे की वह संस्वीकृति निकाय है जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों/समझौता प्रस्तावों/बट्टा खाता प्रस्तावों का अनुमोदन करने के संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना है। इस समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया है।

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का संघटन :

दिनांक 31.03.2026 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष /सदस्य
1	श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष
2	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट)	सदस्य
7.	महाप्रबंधक (सीएफओ)	सदस्य
8.	ऋण / व्यय / अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सीजीएम / जीएम / डीएच	सदस्य
9.	महाप्रबंधक (सीआरओ) एवं सीसीओ - प्रतिभागी	

4.12.2 बैठक का विवरण :

01.04.2025 से 31.03.2026 तक ऋण अनुमोदन समिति की कुल 45 बैठकें संपन्न हुई जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं	बैठक की तिथि	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में डबल्यूटीडी की संख्या	बैठक में उपस्थित डबल्यूटीडी की संख्या
1	05.04.2025	5	5
2	11.04.2025	5	4
3	17.04.2025	5	5
4	23.04.2025	5	4
5	06.05.2025	5	5
6	13.05.2025	5	5
7	21.05.2025	5	4
8	31.05.2025	5	5
9	03.06.2025	5	4
10	13.06.2025	5	5
11	20.06.2025	5	5
12	25.06.2025	5	5
13	30.06.2025	5	5
14	05.07.2025	4	4
15	09.07.2025	4	4
16	18.07.2025	4	4
17	29.07.2025	4	3
18	05.08.2025	4	3
19	14.08.2025	4	4
20	22.08.2025	4	3
21	04.09.2025	4	4
22	10.09.2025	4	3
23	20.09.2025	4	4
24	25.09.2025	4	4
25	10.10.2025	4	3
26	18.10.2025	4	4
27	31.10.2025	4	3
28	07.11.2025	4	4
29	11.11.2025	4	4
30	13.11.2025	4	4
31	19.11.2025	4	4
32	02.12.2025	5	5
33	11.12.2025	5	3
34	18.12.2025	5	3

35	24.12.2025	5	5
36	02.01.2026	5	5
37	08.01.2026	5	5
38	23.01.2026	5	5
39	27.01.2026	5	4
40	04.02.2026	5	4
41	17.02.2026	5	4
42	05.03.2026	5	5
43	12.03.2026	5	4
44	20.03.2026	5	3
45	30.03.2026	5	5

4.13 अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति:

अनुशासनात्मक मामलों के लिए दिनांक 15.12.2014 को बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया गया, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जिनके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, के प्राधिकार से एक स्तर ऊपर है। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.13.1 अनुशासनात्मक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का संघटन:

यथास्थिति 31.03.2026 के अनुसार, बोर्ड की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.13.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.14 एचआर समिति:

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 29 जून, 2012 को एचआर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.14.1 एचआर समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2026 को एचआर समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य

4.14.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैठक की तिथि	एचआर समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	19.05.2025	8	8
2	16.06.2025	8	8
3	24.07.2025	7	7
4	15.09.2025	7	7
5	14.11.2025	7	7
6	03.02.2026	7	6

4.15 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति दिनांक 23.01.2015 को गठित की गई। यह समिति उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.15.1 इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति का संघटन:

यथास्थिति 31.03.2026 को इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री संजीव माहेश्वरी, शेयरधारक निदेशक	सदस्य

4.15.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	22.04.2025	3	3
2	12.08.2025	3	3
3	15.12.2025	3	3
4	11.02.2026	3	3

4.16 वसूली की निगरानी हेतु समिति:

दिनांक 18.12.2012 को वसूली की निगरानी हेतु समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है बैंक द्वारा एनपीए में की गई वसूली की प्रगति को मॉनीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे एसएसी, आस्तियों की बिक्री समिति (एसएसी) और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.16.1 वसूली की निगरानी हेतु समिति का संघटन:

यथास्थिति 31.03.2026 को वसूली की निगरानी हेतु समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
6.	डॉ. आलोक पांडे, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
7.	श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
8.	श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य

4.16.2 बैठकों का विवरण:

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	वसूली की निगरानी हेतु समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करनेवाले निदेशकों की संख्या
1	15.05.2025	8	7
2	28.08.2025	7	7
3	12.12.2025	8	7
4	10.02.2026	8	6

4.17 निदेशकों की समिति (पूंजी संग्रहण):

निदेशक समिति (पूंजी संग्रहण) का गठन दिनांक 28.10-2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल की स्वीकृति के अनुसार किया गया। समिति के कार्य निम्नलिखित हैं:

- सेबी, आरबीआई तथा अन्य लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में तथा इक्विटी पूंजी संग्रहण हेतु निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत समग्र सीमा के अंतर्गत निर्गम की विधि/प्रकार, निर्गम की राशि, समय-निर्धारण, अनुपात, आवंटन का आधार एवं निर्गम मूल्य को स्वीकृति प्रदान करना।
- अपेक्षित लीड मैनेजर्स, विधिक सलाहकारों, हामीदारों (यथा आवश्यक) और अन्य सभी ऐसी एजेंसियों/मध्यस्थों की नियुक्ति को मंजूरी देना; ऐसी एजेंसियों/मध्यस्थों के साथ सभी आवश्यक व्यवस्था/समझौता आदि करना एवं उन्हें निष्पादित करना; और वे सभी कार्य, विलेख और चीजें करना, जो इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए आवश्यक और उचित हों।
- बेसल-III अनुरूप एटी-1/टियर-2 बॉण्डों के निर्गम के माध्यम से एक या अधिक किशतों में उगाही की जाने वाली पूंजी की मात्रा (क्वांटम) को स्वीकृत/अंतिम रूप देना; कूपन दर, परिपक्वता, कॉल विकल्प, समय-निर्धारण, आवंटन का आधार, आवंटन तिथि तथा निर्गम-पूर्व/निर्गम-पश्चात सभी औपचारिकताओं को स्वीकृति देना; बॉण्ड निर्गम की शर्तों एवं नियमों में संशोधन; रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, अरेंजर्स/सलाहकारों, मध्यस्थों, निर्गम के रजिस्ट्रार एवं अन्य आवश्यक मध्यस्थों की नियुक्ति को स्वीकृति देना; तथा एटी-1/टियर-2 बॉण्डों के निर्गम हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कार्यवाहियाँ करना।

4.17.1 पूंजी संग्रहण हेतु निदेशकों की समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2026 को पूंजी संग्रहण हेतु निदेशक समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

क्र. सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बिनोद कुमार, एमडी और सीईओ	अध्यक्ष
2.	श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
3.	श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
4.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक	सदस्य
5.	सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक	सदस्य

4.17.2 बैठक का विवरण:

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	पूंजी संग्रहण हेतु निदेशक समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में सहभागिता करने वाले निदेशकों की संख्या
1	31.10.2025	4	3
2	11.12.2025	5	3

5. वरिष्ठ प्रबंधन

(ए) यथास्थिति 31.03.2026 तक वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य महाप्रबंधक/कार्यकारी प्रमुख) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सतीश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट
2.	सुश्री वी एन माया	मुख्य महाप्रबंधक, (सीडीओ एवं सीएलओ) एवं विधि
3.	श्री दीपक सारड़ा	मुख्य महाप्रबंधक, आईटी तथा पार्टनरशिप (मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी / मुख्य सूचना अधिकारी)
4.	सुश्री वैलरी रथ	मुख्य महाप्रबंधक - टीएमओ एवं डिजिटल व्यवसाय, योजना एवं व्यवसाय आसूचना, विपणन एवं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन
5.	श्री सुजय मल्लिक	मुख्य महाप्रबंधक, खुदरा आस्तियां एवं एमएसएमई
6.	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्र महाप्रबंधक, लखनऊ
7.	श्री सुख सागर प्रसाद राय	मुख्य महाप्रबंधक, बीओडी, संपदा, एमडी एवं सीईओ के कार्यपालक सचिव एवं बोर्ड के सचिव
8.	श्री अशोक पटनायक	मुख्य महाप्रबंधक, आर एंड जीआर
9.	श्री रामकुमार दास	मुख्य महाप्रबंधक (सीसीओ)
10.	श्री जी राजेश्वर रेड्डी	मुख्य महाप्रबंधक (वसूली)
11.	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक - मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
12.	श्री सुनील जैन	महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी
13.	श्री राकेश सहगल	महाप्रबंधक, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा
14.	श्री शशांक जैन	महाप्रबंधक, ट्रेजरी
15.	श्री दीपक गोविंद	वर्टिकल प्रमुख, एनआरआई व्यवसाय
16.	श्री सौरभ डालमिया	वर्टिकल प्रमुख, सीएमएस
17.	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)
18.	श्री एम स्वराज्य लक्ष्मी	आंतरिक लोकपाल
19.	श्री वेंकट एल्लापंतुला	मुख्य डिजिटल अधिकारी

(बी) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पूर्व समनुदेशन	परिवर्तन/नया समनुदेशन	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
1.	सुश्री वैलरी रथ	मुख्य महाप्रबंधक - टीएमओ एवं डिजिटल बैंकिंग एवं योजना	मुख्य महाप्रबंधक - टीएमओ एवं डिजिटल व्यवसाय, योजना एवं व्यवसाय आसूचना, विपणन एवं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन	05.04.2025
2.	श्री सतीश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) - कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं आईबीडी	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) - कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट	05.04.2025
3.	श्री सुजय मल्लिक	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) - खुदरा आस्तियां, एमएसएमई एवं मिड कॉर्पोरेट	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) - खुदरा आस्तियां एवं एमएसएमई	05.04.2025
4.	श्री गंडा राजेश्वर रेड्डी	कॉर्पोरेट कार्यालय	मुख्य महाप्रबंधक (वसूली)	12.05.2025
5.	श्री राम कुमार दास	महाप्रबंधक - कॉका: वसूली	मुख्य महाप्रबंधक (सीसीओ)	12.05.2025
6.	सुश्री वी एन माया	मुख्य महाप्रबंधक - कॉका: वसूली एवं विधि	मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ एवं सीएलओ) एवं विधि	12.05.2025
7.	श्री सुरेश कुमार एस	महाप्रबंधक, अनुपालन / मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)	अधिवर्षिता पर पदमुक्त	01.06.2025
8.	श्री गणेशरामन ए	मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ एवं सीएलओ)	अधिवर्षिता पर पदमुक्त	01.05.2025
9.	श्री सुजीत कुमार डे	मुख्य महाप्रबंधक - सीआरओ एवं एफ़आरएमडी	अधिवर्षिता पर पदमुक्त	01.01.2026
10.	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग	मुख्य महाप्रबंधक - मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)	01.01.2026

6. निदेशकों को पारिश्रमिक:

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दिए जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 17 के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	मूल वेतन (रु.)	महंगाई भत्ता (रु.)	बकाया (रु.)	प्रोत्साहन राशि/ अन्य भत्ते (रु.)	कुल (रु.)	बैंक का पीएफ/ एनपीएस अंशदान (रु.)	कुल योग (रु.)
1	श्री एस. एल. जैन *	0.00	0.00	0.00	1600080.00	1600080.00	0.00	1600080.00

2	श्री बिनोद कुमार	2680000.00	1514392.00	100604.25	682874.48	4977870.73	272500.65	5250371.38
3	श्री महेश कुमार बजाज #	562800.00	309540.00	11256.00	4922296.67	5805892.67	56280.00	5862172.67
4	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	2688000.00	1518720.00	711375.87	2103600.00	7021695.87	314092.26	7335788.13
5	श्री शिव बजरंग सिंह	2688000.00	1518720.00	973923.99	2486913.33	7667557.32	328340.65	7995897.97
6	श्री आशुतोष चौधरी	2688000.00	1518720.00	1047917.26	2622690.33	7877327.59	717386.37	8594713.96
7	सुश्री मिनी टी एम	948266.67	549994.67	0.00	0.00	1498261.34	94826.67	1593088.01

*दिनांक 31.12.2024 तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

#दिनांक 30.06.2025 तक कार्यपालक निदेशक

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

भारत सरकार ने दिनांक 30.08.2019 को सूचित किया कि 10 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल कारोबार (बैंक के सकल ऋण और अग्रिम एवं कुल जमा का योग, बैंक के अंतिम घोषित परिणामों के अनुसार गणना) वाले बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), अपने बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशकों को देय सहभागिता शुल्क प्रति वर्ष 25 लाख रुपये की समग्र सीमा के अधीन तय कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ. सं. 15/1/2011-बीओ.आई दिनांकित 28.10.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि:

1. बैठक में सहभागिता शुल्क के भुगतान पर कोई समग्र अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।
2. प्रति बैठक देय राशि का निर्धारण, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा किया जा सकता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत अधिनियमित विनियमों में विहित सीमाओं के अधीन होगा।

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने 06.03.2026 को आयोजित अपनी बैठक में सहभागिता शुल्क (प्रति बैठक) को निम्नानुसार मंजूरी दी:

1.	बोर्ड की बैठक के लिए	रु. 90,000.00
2.	बोर्ड स्तरीय समितियों के लिए	रु. 45,000.00
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	रु. 10,000.00 (1. के अतिरिक्त)
4.	बोर्ड स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए	रु. 5,000.00 (2. के अतिरिक्त)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के साथ पठनीय बोर्ड एवं बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों को सहभागिता शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किए गए सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	(रु. लाख में)
01	श्री बालमुकुंद सहाय	22.85
02	श्री विश्वेश कुमार गोयल	29.10
03	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	9.15

04	श्री संजीव माहेश्वरी	24.95
05	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	6.55

नोट: पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को बैठक में सहभागिता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7. आम सभा की बैठकें:

7.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक का स्वरूप	तिथि और समय	स्थान	उद्देश्य
सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	सोमवार, 19 जून, 2023	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- यथास्थिति 31 मार्च, 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। - इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। - श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन। - श्री मारुति प्रसाद तंगिराला, गैर-कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) की नियुक्ति का अनुमोदन। - क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से (विशेष संकल्प द्वारा पारित) रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।
अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	शनिवार, 15 जून, 2024	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	- यथास्थिति 31 मार्च, 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। - इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। - श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। - आलोक कुमार पांडे, गैर-कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) की नियुक्ति का अनुमोदन। - क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 17 जून, 2025	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	1. यथास्थिति 31 मार्च, 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। 2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा। 3. श्री बिनोद कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। 4. श्री विश्वेश कुमार गोयल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। 5. श्री बालमुकुंद सहाय, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। 6. मेसर्स षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज़ को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करने हेतु। 7. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से ₹5,000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए।

7.2 19 जून, 2023 को आयोजित सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 4000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था। 15 जून, 2024 एवं 17 जून, 2025 को आयोजित अठारहवीं व उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू या इनके संयोजन के माध्यम से रु. 5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

7.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा अथवा असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7.4 दिनांक 17.06.2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे::

श्री बिनोद कुमार	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)
श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक
श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा हितधारक संबंध समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष
श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

8. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक, प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (अंग्रेजी), एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (हिन्दी) तथा चेन्नै स्थित क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों अर्थात फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता (हिन्दी), दैनिक जागरण, इंदु तमिल तिसै (तमिल), बिजनेस स्टैंडर्ड, अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण तथा दिनमणि (तमिल) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक की वेबसाइट

www.indianbank.bank.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों हेतु बनाए गए प्रेजेंटेशन, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध हैं।

9. शेयरधारकों हेतु सामान्य जानकारी :

9.1 20 वीं वार्षिक आम बैठक का विवरण :

दिन और दिनांक	17 जून, 2026
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वार्षिक आम बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जाएगी, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय - 254-260, अट्वै षण्मुगम सालै, रॉयपेट्टा, चेन्नै - 600 014 को वार्षिक आम बैठक आयोजित किए जाने का स्थान माना जाएगा।

9.2 वित्तीय परिणामों के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर:

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

9.3 लाभांश भुगतान तिथि:

लाभांश भुगतान तिथि: घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर

9.4 लाभांश:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी 18.25 रुपये के लाभांश अर्थात बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 182.50 प्रतिशत, की अनुशंसा की है।

9.5 सूचीबद्धता:

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीबद्ध करने की तारीख
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी- ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	INDIANB	01.03.2007
बी एस ई लिमिटेड (बीएसई), पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001	INDIANB/ 532814	01.03.2007

वित्त वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

9.6 बाजार मूल्य आंकड़े:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल परिमाण (सं. लाख में)
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	परिमाण (सं. लाख में)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	परिमाण (सं. लाख में)	
अप्रैल 2025	599.90	517.85	363.57	599.95	519.50	10.18	373.75
मई 2025	628.95	546.10	471.97	628.70	539.70	20.02	491.99
जून 2025	658.50	606.00	733.61	658.50	609.05	24.14	757.75
जुलाई 2025	657.95	606.00	406.30	658.60	605.55	18.66	424.96
अगस्त 2025	683.10	611.10	250.75	683.00	612.40	10.65	261.40
सितंबर 2025	761.05	653.00	344.24	760.85	653.05	8.76	353.00
अक्टूबर 2025	879.00	730.60	472.05	878.90	731.00	15.87	487.92
नवंबर 2025	894.85	850.00	313.90	898.60	850.00	7.16	321.06
दिसंबर 2025	890.00	764.05	509.65	891.85	764.30	13.23	522.88
जनवरी 2026	923.00	807.80	420.68	923.15	808.00	14.60	435.28
फरवरी 2026	1,000.00	806.20	407.82	1,000.00	806.75	23.68	431.50
मार्च 2026	985.00	833.00	358.70	984.75	830.45	24.72	383.42

9.7 इंडेक्स (निफ्टी-50 एवं बीएसई सेंसेक्स) के संचलन की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है :

दिनांक	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (रु.)	निफ्टी-50 (अंतिम)	बीएसई सेंसेक्स (अंतिम)
अप्रैल 2025	565.80	24334.20	80242.24
मई 2025	616.60	24750.70	81451.01
जून 2025	643.45	25517.05	83606.46
जुलाई 2025	621.70	24768.35	81185.58
अगस्त 2025	653.10	24426.85	79809.65
सितंबर 2025	750.70	24611.10	80267.62
अक्टूबर 2025	858.70	25722.10	83938.71
नवंबर 2025	870.25	26202.95	85706.67
दिसंबर 2025	837.25	26129.60	85220.60
जनवरी 2026	911.70	25320.65	82269.78
फरवरी 2026	990.50	25178.65	81287.19
मार्च 2026	845.70	22331.40	71947.55

9.8 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट:

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै-600 002 बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली :

यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को निक्षेपागार के साथ डीमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भौतिक अथवा डीमेटेरियलाइज्ड रूप में धारित प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन केवल डीमेटेरियलाइज्ड रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमेटेरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित कर लें।

9.10. यथास्थिति 31.03.2026 तक शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत (%)
1 - 500	317025	96.9825	18012220	1.3372
501 - 1000	5754	1.7602	4273285	0.3173
1001 - 2000	2192	0.6706	3123166	0.2319
2001 - 3000	584	0.1787	1448686	0.1076
3001 - 4000	243	0.0743	862970	0.0641
4001 - 5000	190	0.0581	885314	0.0657
5001 - 10000	274	0.0838	2001082	0.1486
10001 एवं उससे अधिक	627	0.1918	1316357258	97.7277
कुल	326889	100.00	1346963981	100.00

9.11 शेयरों का डिमेटेरियलाइजेशन:

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड INE562A01011 है। यथास्थिति 31.03.2026 तक बैंक के 134,55,90,421 इक्विटी शेयर, डिमेटेरियलाइज्ड हैं जो इक्विटी शेयरों का 99.90% है।

यथास्थिति 31.03.2026 तक को शेयरधारकों द्वारा डिमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

शेयरधारिता की प्रकृति	शेयरधारकों की संख्या		शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक रूप	40,081		12.26	13,73,569	00.10
डिमेटेरियलाइज्ड	एनएसडीएल	1,45,075	44.38	33,33,96,930	24.75
	सीडीएसएल	1,41,733	43.36	101,21,93,482	75.15
कुल	3,26,889		100.00	134,69,63,981	100.00

यथास्थिति 31.03.2026 तक भारत सरकार द्वारा धारित रु. 10/- के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 99,45,49,600 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 73.84 प्रतिशत है।

9.12 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य संपरिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

9.13 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां :

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु एक नीति बनाई है। जहाँ स्वाभाविक हेज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आयात/निर्यात लेन-देन के संबंध में ग्राहकों को फॉरवर्ड कवर लेने की सलाह दी जाती है। फॉरवर्ड कवर, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संदर्भ में अनहेज्ड जोखिम के शमन के रूप में कार्य करता है। इन सुविधाओं की संस्वीकृति देते समय, बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी एक्सपोजर (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) फॉरवर्ड कवर से युक्त हों। यदि फॉरवर्ड कवर से छूट देने का कोई भी अनुरोध प्राप्त होता है, तो उस पर विचार केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर ही किया जाता है। उधारकर्ता के खातों की समीक्षा के दौरान अनहेज्ड एक्सपोजर को चिह्नित किया जाता

है और ऋण प्रस्तावों में उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अपने ग्राहकों की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम पर ₹116.00 करोड़ का प्रावधान किया है, जो 'वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन' पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 28 नवम्बर 2025 के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

9.14 यथास्थिति 31.03.2026 को बैंक द्वारा जारी बॉण्ड/ऋण लिखतों और बकाया का विवरण:

यथास्थिति 31.03.2026 को बैंक द्वारा जारी बॉण्ड और बकायों का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	आईएस आईएन	राशि (रुपए करोड़ में)	यथास्थिति 31.03.2025 को बकाया	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम	बॉण्ड ट्रस्टी का नाम एवं पता
बेसल III अनुपालित टियर 2 बॉण्ड सीरीज III	INE428A08051	1000	केयर एएए/स्थिर क्रिसिल एएए/स्थिर	केयर रेटिंग्स लिमिटेड क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरीज I	INE562A08099	5000			
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरीज II	INE562A08107	5000			
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरीज III	INE562A08115	5000			
कुल		16000.00			

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास केयर और क्रिसिल दोनों रेटिंग्स से रु.1000 करोड़ के एटी 1 बॉण्ड्स(एए+/स्थिर) और रु.2000 करोड़ के टियर 2 बॉण्ड्स (एएए/स्थिर) हेतु अप्रयुक्त रेटिंग उपलब्ध है।

अन्य क्रेडिट रेटिंग:

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक ने अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए क्रिसिल रेटिंग्स से क्रेडिट रेटिंग तथा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स लिमिटेड से जारीकर्ता रेटिंग भी प्राप्त की है। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	इंस्ट्रुमेंट / रेटिंग का प्रकार	राशि (रुपए करोड़ में)	31.03.226 को यथास्थिति उत्तम रेटिंग
1	क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड	सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स	45,000	क्रिसिल ए1+
2	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	बीबीबी/ स्थिर/ए-2
3	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	-	एएए/स्थिर

10. अन्य प्रकटीकरण:

(ए) यथास्थिति दिनांक 31.03.2026 के तुलन-पत्र की अनुसूची 18 की लेखा टिप्पणियों में बैंक के संबंधित पार्टी के लेन-देन का प्रकटीकरण किया गया है। बैंकिंग व्यवसाय से संबद्ध सामान्य कार्यों के अलावा, बैंक द्वारा अपने प्रमोटर, निदेशकों, प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जिससे सामान्यतया बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना उत्पन्न हो।

(बी) विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंक ने यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का पालन किया है।

(डी) बैंक ने 'अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध है।

(ई) बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड तथा एक असूचीबद्ध अनुषंगी इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड है। इनमें से कोई भी “महत्वपूर्ण अनुषंगी” नहीं हैं। तीन अनुषंगियों के अतिरिक्त बैंक के पास युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम भी हैं।

(एफ) बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियमों के अनुरूप एक नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त एवं निपटान की गई शिकायतों का विवरण एवं दिनांक 31.03.2026 को लंबित शिकायतें निम्नानुसार हैं

	यथास्थिति 01.04.2025 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2026 को लंबित
प्राप्त शिकायतों की संख्या	04	05	09	0

(जी) हमने व्यवहारिक रूप में कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्यकाल जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र संलग्न है एवं यह इस रिपोर्ट का भाग है।

(एच) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(आई) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय की राशि रु.648.08 लाख है।

(जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(2) के साथ पठित विनियम 17(8) में निर्धारित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा एक अनुपालन प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(के) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां - लागू नहीं।

(एल) विवेकसम्मत आवश्यकताएं:

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015, यथा संशोधित, की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकसम्मत आवश्यकताओं के अंगीकरण से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड: गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	लागू नहीं
बी. शेयरधारक के अधिकार: पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों तक पहुंचाया जाए।	अर्द्धवार्षिक परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं एवं यह स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसई व बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।
सी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत: सूचीबद्ध इकाई गैर आशोधित लेखापरीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में अग्रसर हो सकती है।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में गैर आशोधित अभिमत है।
डी. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद: सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, ताकि अध्यक्ष : (क) गैर- कार्यपालक निदेशक रहे; और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'संबंधी' की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों	वर्तमान में बैंक में कोई नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है। बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970, के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग: आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बैंक द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से बैंक की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।
एफ. स्वतंत्र निदेशक बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के स्वतंत्र निदेशक यह प्रयास करेंगे कि वे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करें, जिनमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति न हो। साथ ही सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का भी प्रयास करेंगे।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें दिनांक 19.05.2025 एवं 06.03.2026 को आयोजित की गई।

(एम) व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्कता तंत्र:

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आनेवाली आम जनता के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है 'व्हिसल ब्लोअर पालिसी' जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

(एन) दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके बैंक द्वारा संग्रहीत निधि का उपयोग:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने बीएसई के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (बीएसई-ईबीपी) के माध्यम से निजी स्थान के आधार पर 10 वर्ष की अवधि हेतु 7.15% वार्षिक कूपन दर पर कुल ₹5,000 करोड़ की दीर्घावधि इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का संग्रहण किया है।

इस निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आधारभूत संरचना के उप-क्षेत्रों एवं किफायती आवास संबंधी दीर्घकालिक परियोजनाओं के निधीयन/पुनर्वित्तपोषण करने के लिए किया गया है।

(ओ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां बोर्ड के अनुमोदन हेतु अनिवार्य, बोर्ड समिति की सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार न किया हो।

11. बैंक ने सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ 2015 की अनुसूची V के उप पैरा-सी के उप पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

11.1 बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत यथानिर्धारित निदेशक मंडल की संरचना, नामांकन एवं परिलब्धि समिति के गठन, बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक की अनुपलब्धता एवं 50% स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम 2 के खंड (बी) से (आई) में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

12. लाभांश वितरण नीति:

बैंक की लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट के इस लिंक <https://indianbank.bank.in/departments/policies/> पर उपलब्ध है।

13. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण:

बैंक ने केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में भी स्वीकार की जाती हैं। सेबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भौतिक रूप में धारित शेयरों के अंतरण हेतु अनुरोधों को 01.04.2019 से संसाधित नहीं किया जा रहा है।

डीमैटोरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए, पते और/या बैंक मैडे (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड आदि) में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाने के लिए, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए शेयरधारकों को सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करना चाहिए।

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं :-

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड (इकाई : इंडियन बैंक) पी सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै- 600 002 टेलीफोन : 044-28460718 ई-मेल: investor@cameoindia.com	कंपनी सेक्रेटरी निवेशक सेवाएं कक्ष इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय 254-260, अट्टै षणमुगम सालै रॉयपेट्टा, चेन्नै - 600014 टेलीफोन : 044-28134484/4698 ई-मेल: investors@indianbank.bank.in

13.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों के निवारण हेतु बैंक के आरटीए को अग्रेषित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2026 को लंबित अनुरोधों शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

शिकायतों/अनुरोधों की संख्या	यथास्थिति 01.04.2025 को लंबित	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निस्तारित	यथास्थिति 31.03.2026 को लंबित
	0	85	84	1*

*यथासंशोधित

14. डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण :

डीमैट उचंत खाते में रखे अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष के आरंभ में अर्थात 01.04.2025 को शेयरधारकों एवं उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारक - 33 शेयर - 3862
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण हेतु सूचीबद्ध संस्था से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	1
वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित करने वाले शेयरधारकों की संख्या	1
वर्ष के अंत में अर्थात 31.03.2026 को उचंत खाते में रखे गए बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारक - 32 शेयर - 3756

वैध स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। वैध स्वामित्व वाले व्यक्ति से वैध दावा प्राप्त होने पर डीमैट उचंत खाते में रखे गए शेयरों को दावेदार को क्रेडिट किया जाता है।

15. शेयरधारिता संरचना (यथास्थिति 31.03.2026):

शेयरधारक श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) - प्रमोटर	1	994549600	73.84

म्युचुअल फंड*	38	184407228	13.69
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एवं विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)*	292	78422443	5.82
वैकल्पिक निवेश निधियां	19	539776	0.04
बीमा कंपनियाँ *	14	53480479	3.97
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	8	685314	0.05
निवासी व्यक्ति	296146	27080514	2.01
निगमित निकाय	992	1756848	0.13
निदेशक एवं उनके संबंधी	2	400	0.00
कर्मचारी	14992	4035409	0.30
क्लियरिंग सदस्य	6	5783	0.00
हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	2878	658172	0.05
अनिवासी भारतीय	4490	1249926	0.09
न्यास	15	84144	0.01
केंद्र सरकार / राज्य सरकार(ओं)/ भारत के राष्ट्रपति - नॉन प्रमोटर	2	4189	0.00
अदावी शेयर डीमेट उचंत खाता	2	3756	0.00
कुल	319897	1346963981	100.00

*सामान्य पैन के आधार पर समेकित

16. नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से लाभांश:

नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करवाता है। तथापि, शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

17. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, कोई भी पैसा जो अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरित किया जाता है और अंतरित की तारीख से सात साल की अवधि के लिए भुगतान/दावा नहीं किया जाता है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' को अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 21.05.2014 के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए के निदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक की अप्रदत्त और दावा न की गई लाभांश राशि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुपालन के अंतर्गत केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश वारंट, यदि कोई हो, का नकदीकरण नहीं किया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना वैध दावा उनके बैंक विवरण के साथ, एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से उसे अवैतनिक लाभांश वारंट की आय के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं. 1, क्लब हाउस रोड, चेन्नई - 600 002 को प्रेषित करें। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को अंतरित करेगा, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट ब्यौरा सहित विवरण भी शामिल होंगे

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावी या अदा न किए गए धन को उप-धारा (3) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने के लिए हकदार होगा।”

अदत्त लाभांश वारंट का विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध कराया गया है।

18. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध है।

19. आचार संहिता:

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.indianbank.bank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट का अंश है।

20. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

दिनांक : 29.04.2026

स्थान : चेन्नै

कृते निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(बिनोद कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् मुख्य महाप्रबंधकगण/ वर्टिकल प्रमुख) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर उपलब्ध है

दिनांक : 29.04.2026

स्थान : चेन्नै

(बिनोद कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46 (2) (बी) से आई एवं टी) में यथा निर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन बैंक, के कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है, और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

(ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के पैरा 11.1 में उल्लिखित अपवाद सहित, निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का सामान्य रूप से अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।

(बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित एवं स्टिकधारक संपर्क समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

कृते मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000376S / S200073

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000112N

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003917N

आर रविशंकर पार्टनर (एम. नं. 026819) यूडीआईएन: 26026819ZNDWME7563	चंदन गुप्ता पार्टनर (एम. नं. 547754) यूडीआईएन: 26547754CEPGQP9459	लोकेश कुमार गर्ग पार्टनर (एम. नं. 413012) यूडीआईएन: 26413012CUGZLT4348

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005313C/C400311

कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003202N

निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020AATEMP5038

रविंदर भाटिया
पार्टनर
(एम. नं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572FZAZOQ6226

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 29.04.2026

सीईओ एवं सीएफओ द्वारा प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसार)

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

प्रमाणित किया जाता है कि

- (ए) हमने वर्ष 2025-26 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
- (i) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं है या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गए हैं या भ्रामक विवरण नहीं है।
 - (ii) यह विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं, जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियां, यदि कोई हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने हेतु उठाए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को दे दी है।
- (डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:
- (i) यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को समाप्त चतुर्थ तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;
 - (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसरण की गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - (iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि कोई हो, की जानकारी।

(सुनील जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(बिनोद कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थाना: चेन्नै
दिनांक: 29.04.2026

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष [समीक्षाधीन अवधि] हेतु प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **इंडियन बैंक** (एतद्पश्चात बैंक कहा जाएगा) द्वारा सदभावनापूर्ण कॉर्पोरेट आचरण के अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से आयोजित की गई थी, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके विषय में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

बैंक के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बहियों, फॉर्म और दाखिल की गयी विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखरखाव किए गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवालयीन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का, हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित व्यवस्थित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की प्रणाली और विषय के अनुसार हैं।

हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त की बहियों, प्रपत्रों और दाखिल की गयी विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नांकित प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार की गई है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम; (जहाँ तक लागू हो)
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत निरूपित विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक नियम और विनियमन; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जहां तक लागू हो:-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियमन, 2015;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2018, (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;

जी) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमन, 1993; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों

को सूची से हटाना) विनियमन, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियमन, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियमन, 2018

बैंक पर सामान्य रूप से लागू अन्य कानून निम्नानुसार है:

ए) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961/ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020;

बी) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

सी) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006;

डी) संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020.

बैंक पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून निम्नानुसार है:

ए) बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

बी) आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों, निर्देशों, दिशानिर्देशों, अनुज्ञप्तियों और परिपत्रों के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949;

इन कानूनों की जांच और रिपोर्टिंग इस बात तक सीमित है कि क्या इन कानूनों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हमने बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत निगमित नहीं किया गया है।

बैंक के बोर्ड, लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों के संघटन व निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान, बोर्ड/ समिति प्रक्रियाओं/सम्बंधित पार्टी लेनदेन इत्यादि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999

यथा संशोधित एवं समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत अधिशासित होते हैं।

1) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन है:

ए) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) के अनुसार, बैंक के कर्मचारियों में से बैंक को एक निदेशक रखना आवश्यक था, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (एस) के तहत कामगार है, उसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के अनुसार, बैंक के कर्मचारियों में से बैंक को एक निदेशक रखना आवश्यक था, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (एस) के तहत जो कामगार नहीं हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना था, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

सी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के अनुसार, बैंक को रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक रखने की आवश्यकता थी, जिसके सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत रहने की अवधि 15 वर्ष से कम न हो, परन्तु, बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।

डी) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई होने के कारण बैंक द्वारा एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, जो बैंक का पूर्णकालिक नियोजित एक अधिकारी होगा और जो निदेशक मंडल से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं होगा। वर्तमान में, बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित कंपनी सचिव सहायक महाप्रबंधक (बैंक के वर्तमान संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार बोर्ड से चार स्तर नीचे) है।

इ) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक

होगी। यथास्थिति 31.03.2026 को, बैंक के बोर्ड में एक महिला गैर- कार्यपालक निदेशक जिनका नाम श्रीमती के. निखिला और एक महिला कार्यपालक निदेशक जिनका नाम सुश्री मिनी टी एम हैं। बोर्ड का संघटन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

एफ) आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांकित 28.11.2025 के प्रावधानों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बोर्ड के सचिव के रूप में एक योग्य कंपनी सचिव नियुक्त करना होगा। यथास्थिति 31.03.2026 को, श्री सुख सागर प्रसाद रॉय, मुख्य महाप्रबंधक, बोर्ड के सचिव थे, जो एक योग्य कंपनी सचिव नहीं हैं।

- 2) यथास्थिति 31.03.2026 तक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 दिनांकित 28.11.2025 के प्रावधानों के अनुरूप है।
- 3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार ने दिनांकित 11.04.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से श्री विश्वेश कुमार गोयल और श्री बालमुकुंद सहाय को दिनांक 11.04.2025 के प्रभाव से एक वर्ष की अवधि हेतु बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में पुनः नामित किया था। उनका कार्यकाल दिनांक 10.04.2026 को समाप्त हो गया और उपर्युक्त दोनों निदेशक दिनांक 11.04.2026 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- 4) केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या: सीजी-डीएल-ई07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के तहत चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के तहत आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक नामक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित सप्तगिरि ग्रामीण बैंक को दिनांक 1 मई, 2025 के प्रभाव से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय कर दिया गया है।
- 5) सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 31 (4) और 31 (5) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार), बैंक के प्रमोटर, यथास्थिति

31.03.2026 को बैंक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर धारित करते हैं और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक में रखे गए उपर्युक्त शेयरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भार नहीं डाला है।

- 6) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री षण्मुगम राजेंद्रन एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सचिव को पांच वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक) के लिए सचिवालनीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री वी. गोपालन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव का बैंक के सचिवालनीय लेखा परीक्षक के कार्यभार को समाप्त कर दिया गया है।
- 7) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांकित 30.07.2025 के उस पत्र के अनुसार अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पैरा- बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवारत कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। यह अयोग्यता मास्टर निदेशन - भारतीय रिजर्व बैंक ("सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड") निर्देश, 2019 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (दिनांक 3 जून, 2020 तक अद्यतन) के अनुच्छेद 4.3(iv)(b) के अनुसार थी। तदनुसार, वे दिनांक 28.11.2025 से बैंक के निदेशक नहीं हैं।
- 8) तत्पश्चात, श्री भूपिंदर सिंह भल्ला को दिनांक 31.12.2025 से 08.03.2027 तक की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित/नियुक्त किया गया।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) बोर्ड की बैठकों को निर्धारित किये जाने हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट को पहले ही भेजा जाता है तथा बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता हेतु बैठक होने से पूर्व ही एजेंडा की मदों पर सूचना व स्पष्टता मांगे जाने की प्रणाली प्रचलन में है।
- बी) बैंक द्वारा प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आकार व परिचालन के अनुरूप निगरानी के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।
- सी) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने बीएसई (बीएसई-ईबीपी) के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्रतिवर्ष 7.15% कूपन दर से 10 वर्षों की अवधि हेतु कुल रुपये 5,000 करोड़ की लंबी

अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड संग्रहित किए हैं।

डी) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित एटी 1/ टियर 2 बांडों का भुगतान किया है:

- i) एटी 1 बॉण्ड, कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपये [सीरीज II (आईएसआईएन-आईएनई 562A08057) 1048 करोड़ रुपये + सीरीज III (आईएसआईएन-आईएनई 562A08065) रु. 560 करोड़ + सीरीज IV (आईएसआईएन-आईएनई 562A08073) रु. 392 करोड़] पहले कॉल ऑप्शन की देय तिथि अर्थात दिनांक 08.12.2025, 14.12.2025 और 30.12.2025 को क्रमशः आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से कॉल ऑप्शन के प्रयोग के माध्यम से।
- ii) टियर 2 बॉण्ड सीरीज II (आईएसआईएन-आईएनई 428A08044) रु. 1000 करोड़, दिनांक 21.12.2025 को परिपक्वता पर।
- iii) आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13.01.2026 को ₹2000 करोड़ के टियर 2 बॉण्ड सीरीज V (आईएसआईएन-आईएनई 562A08081)।

इ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड/जुर्माना:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन, निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि अंतरित न करने और 'अग्रिमों पर ब्याज दर', 'किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना' और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को

ऋण देने' संबंधी आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निदेशों का अनुपालन न करने हेतु बैंक पर रु. 1,61,40,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख चालीस हजार मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

- रु. 0.247 करोड़ (306 मामले), जिनमें से रु. 0.05 करोड़ (232 मामले) गंदे नोटों के विप्रेषण में विसंगतियों से संबंधित हैं, रु. 0.001 करोड़ (01 मामला) ई-कुबेर में देरी/गलत रिपोर्टिंग और रु. 0.16 करोड़ (47 मामले) करेंसी चेस्टों में आरबीआई के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं तथा रुपए 0.03 करोड़ (21 मामले) आरबीआई द्वारा शाखाओं के गुप्त दौरे में पाई गई अनियमितताओं के कारण हैं। रु. 0.006 करोड़ (मामलों की संख्या: 05) कैश आउट एटीएम से संबंधित है।

करेंसी चेस्ट से संबंधित उपरोक्त जुर्माने/दंड में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंक के करेंसी चेस्ट - गुवाहाटी पर नियमित निरीक्षण में अनियमितताओं के लिए लगाया गया 1,45,700/- रुपये (एक लाख पैंतालीस हजार सात सौ रुपये मात्र) का जुर्माना शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 24 मार्च, 2026 के अपने पत्र के माध्यम से एसजीएल खाते में सुरक्षा राशि की कमी के लिए बैंक पर 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बैंक ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत किया है।

कृते मेसर्स षण्मुगम राजेन्द्रन एवं एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव

एस नंदकुमारन
पार्टनर

एफसीएस: 13639/सीपी नं.26770
यूडीआईएन: एफ013639एच000226643
पी/आर सं. 7675/2026

दिनांक: 29.04.2026
स्थान: चेन्नै

नोट: यह रिपोर्ट हमारी समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो **अनुबंध ए** के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

इंडियन बैंक के सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध दिनांक 29 अप्रैल, 2026

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
चेन्ने- 600001.

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयीन अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्यापन, जांच के आधार पर किया गया, ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमें विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के क्रियाकलापों का संचालन किया है।

कृते मेसर्स षण्मुगम राजेन्द्रन एवं एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव

एस नंदकुमारन
पार्टनर

एफसीएस: 13639/सीपी नं.26770

यूडीआईएन: एफ013639एच000226643

पी/आर सं. 7675/2026

दिनांक: 29.04.2026

स्थान: चेन्ने

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन बैंक
66, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

हमने इंडियन बैंक के निदेशकों, जिनका प्रधान कार्यालय, 66, राजाजी सालै, चेन्नै 600001 एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, अर्वायुगम सालै, रॉयपेट्टा, चेन्नै 600 014 (एतदपश्चात 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में है, से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है, जो बैंक द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन हेतु, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 5 पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियमन 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी जिसे अनिवार्य माना गया है तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम संख्या	डीआईएन/पैन	निदेशक का नाम	पदनाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	07361689	श्री बिनोद कुमार	एमडी एवं सीईओ	16.01.2025
2	09245804	श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
3	10597820	श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
4	11242520	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024
5	AEJPM9011N	सुश्री मिनी टी एम	कार्यपालक निदेशक	24.11.2025
6	10631871	डॉ. आलोक पांडे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	13.05.2024
7	AAMPK5889M	सुश्री के निखिला	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	14.07.2023
8	AQLPS6737K	श्री बालमुकुंद सहाय	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	11.04.2025
9	00942612	श्री विश्वेश कुमार गोयल	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	11.04.2025
10	02431173	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	21.12.2024
11	06475874	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	शेयरधारक निदेशक	31.12.2025

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के क्रियाकलापों का संचालन किया है।

कृते मेसर्स षण्मुगम राजेन्द्रन एवं एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव

एस नंदकुमारन
पार्टनर

एफसीएस सं.: 13639 सीपी सं.: 26770

यूडीआईएन: F01369H000227226

पी/आर: 7675/2026

दिनांक: 29.04.2026

स्थान: चेन्नै



इरादतन रिक्त रखा गया है।



इंड एस्पायर - महिला

महिला उधमियों के लिए एक विशिष्ट चालू खाता



निःशुल्क क्यूआर साउंड बॉक्स एवं पीओएस मशीन



₹10 लाख का निःशुल्क कैंसर बीमा आय संरक्षण के साथ

*निबंधन और शर्तें लागू



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

इंड डिजी एमएसएमई

आपके व्यवसायों के लिए त्वरित, डिजिटल एवं आसान ऋण



ऋण-₹5 करोड़ तक आसान प्रोसेसिंग



आसान प्रोसेसिंग



डिजिटल सैद्धान्तिक मंजूरी



आकर्षक ब्याज दरें

*निबंधन और शर्तें लागू



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

कहीं से भी, कभी भी आवेदन

एकल तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को एकल तुलन पत्र

(₹ हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2026 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 तक (लेखापरीक्षित)
पूँजी और देयताएं			
पूँजी	1	1346 96 40	1346 96 40
आरक्षितियां और अधिशेष	2	76944 29 46	67962 97 67
जमाएं	3	827726 30 15	737153 56 39
उधार	4	46692 49 50	41507 92 45
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	35242 77 84	25439 23 21
कुल		987952 83 35	873410 66 12
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	34054 56 08	31947 64 88
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	31535 63 36	22920 22 73
निवेश	8	244665 74 32	225303 12 38
अग्रिम	9	654888 22 55	571071 19 09
अचल आस्तियां	10	8646 70 07	8826 69 30
अन्य आस्तियां	11	14161 96 97	13341 77 74
कुल		987952 83 35	873410 66 12
आकस्मिक देयताएं	12	255946 91 17	280676 21 35
वसूली के लिए बिल		10282 55 01	14159 47 18

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मिनी टी एम
कार्यपालक निदेशक

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

भूपिंदर सिंह भल्ला
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

आर रविशंकर
पार्टनर

चंदन गुप्ता
पार्टनर

लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर

(एम. सं. 026819)

(एम. सं. 547754)

(एम. सं. 413012)

यूडीआईएन: 26026819PTTTVB8753

यूडीआईएन: 26547754ZPXJQP3757

यूडीआईएन: 26413012PZLCOI3549

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N

निलेश गुप्ता
पार्टनर

रविन्दर भाटिया
पार्टनर

(एम. सं. 406020)

(एम. सं. 017572)

यूडीआईएन: 26406020ZABRGR7525

यूडीआईएन: 26017572QLZPCB5124

दिनांक: 29.04.2026

स्थान: चेन्नै

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु एकल लाभ एवं हानि लेखा

(₹. हजार में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	67450 71 38	62002 15 80
अन्य आय	14	9990 58 10	9223 48 10
कुल		77441 29 48	71225 63 90
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	40535 78 74	36825 78 82
परिचालनगत व्यय	16	16989 40 25	15401 64 46
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	-	7760 45 85	8079 91 22
कुल		65285 64 84	60307 34 50
III. लाभ / हानि			
अवधि हेतु निवल लाभ / हानि (-)		12155 64 64	10918 29 40
अग्रानित लाभ / हानि (-)		352 40 01	329 34 23
कुल		12508 04 65	11247 63 63
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधियां		3038 92 00	2729 58 00
पूंजीगत आरक्षित निधियां		42 56 21	29 19
आईटी अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		504 19 00	467 34 00
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		0	199 20 78
राजस्व आरक्षित निधि		6050 00 00	5250 00 00
स्टाफ कल्याण निधि		50 00 00	60 00 00
इक्विटी लाभांश		2458 20 93	2188 81 65
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष		364 16 51	352 40 01
कुल		12508 04 65	11247 63 63
प्रति शेयर अर्जन, रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		90.24	81.06

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मिनी टी एम
कार्यपालक निदेशक

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

भूपिंदर सिंह भल्ला
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(एम. सं. 026819)
यूडीआईएन: 26026819PTTVB8753

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N
चंदन गुप्ता
पार्टनर
(एम. सं. 547754)
यूडीआईएन: 26547754ZPXJQP3757

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N
लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर
(एम. सं. 413012)
यूडीआईएन: 26413012PZLCOI3549

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311
निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. सं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020ZABRGR7525

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N
रविन्दर भाटिया
पार्टनर
(एम. सं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572QLZPCB5124

दिनांक: 29.04.2026
स्थान: चेन्नै

अनुसूची 1 - पूँजी

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु. 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी:		
ए. केंद्र सरकार द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	994 54 96	994 54 96
बी. जनता द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 ईक्विटी शेयर शामिल हैं)	352 41 44	352 41 44
कुल	1346 96 40	1346 96 40

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां व अधिशेष

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	15701 71 51	12972 13 51
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	3038 92 00	2729 58 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल I	18740 63 51	15701 71 51
II. पूँजी आरक्षित निधियां		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	7200 77 55	5975 19 08
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	1510 27 80
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	133 24 45	284 69 33
कुल (ए)	7067 53 10	7200 77 55
बी) अन्य		
ए) अथशेष	1061 19 93	1060 90 74
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	42 56 21	29 19
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (बी)	1103 76 14	1061 19 93
कुल II (ए + बी)	8171 29 24	8261 97 48
III. शेयर प्रीमियम		
ए) अथशेष	6290 02 15	6290 02 15
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल III	6290 02 15	6290 02 15
IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां		
ए) राजस्व आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	26504 22 00	21183 15 65
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	6050 20 48	5250 00 00
सी) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से अंतरित	133 24 45	284 69 33
डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	213 62 98
कुल (ए)	32687 66 93	26504 22 00

बी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व		
ए) अथशेष	3305 16 00	2837 82 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	504 19 00	467 34 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (बी)	3809 35 00	3305 16 00
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii a) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	58 20 00	58 20 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (सी)	58 20 00	58 20 00
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	2000 00 00	1360 01 00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	639 99 00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (डी)	2000 00 00	2000 00 00
ई) निवेश आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	0	440 78 22
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	440 78 22
कुल (ई)	0	0
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	583 26 01	524 77 21
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	272 14 90	58 48 80
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (एफ)	855 40 91	583 26 01
जी) आईआरएस आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	1 90 63	1 90 63
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल (जी)	1 90 63	1 90 63
कुल IV (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी)	39412 53 47	32452 74 64
V. समामेलन आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	4006 91 55	4006 91 55
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	0
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल V	4006 91 55	4006 91 55
VI. एएफएस आरक्षित निधियाँ		
ए) अथशेष	897 20 33	0
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0	897 20 33
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	938 47 30	0
कुल VI	-41 26 97	897 20 33
VII. लाभ एवं हानि खाता		
ए) अथशेष	352 40 01	329 34 23
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	12155 64 64	10918 29 40
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	12143 88 14	10895 23 62
कुल VII	364 16 51	352 40 01
कुल (I + II + III + IV + V + VI + VII)	76944 29 46	67962 97 67

अनुसूची 3 - जमाएँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
ए. I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	112 33 29	179 17 68
ii. अन्य से	44337 90 05	39451 19 32
कुल	44450 23 34	39630 37 00
II. बचत बैंक जमाराशियां	269097 91 69	243223 13 76
III. सावधि जमाराशियाँ		
i. बैंकों से	30271 70 85	25875 83 16
ii. अन्य से	483906 44 27	428424 22 47
कुल	514178 15 12	454300 05 63
कुल (I+II+III)	827726 30 15	737153 56 39
बी. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियां	789283 27 94	702965 68 20
II. भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	38443 02 21	34187 88 19
कुल (I+II)	827726 30 15	737153 56 39

"कुल जमाराशियों में से, जिन जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार अंकित है, उनकी राशि रु.57951 15 52 है (पिछले वर्ष - रु.48567 03 41)

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में उधार		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	10000 00 00	8178 00 00
ii. अन्य बैंक	6259 23 03	1 99
iii. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां*	25684 65 70	31827 06 20
कुल	41943 88 73	40005 08 19
II. भारत के बाहर उधार**	4748 60 77	1502 84 26
कुल (I+II)	46692 49 50	41507 92 45
उपर्युक्त उधारों को शामिल किया गया।	19127 98 00	23002 22 00

*एटी-1 पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु शून्य (पिछले वर्ष रु. 2000 00 00) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 1000 00 00 (पिछले वर्ष रु. 4000 00 00)।

** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
i. देय बिल	1879 40 84	1995 01 67
ii. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
iii. उपचित ब्याज	1884 49 40	1777 03 10
iv. अन्य (प्रावधान सहित)*	31478 87 60	21667 18 44
कुल (I+II +III+IV)	35242 77 84	25439 23 21

*रु. 10574 39 46 (पिछले वर्ष रु.8883 20 21) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं जमाशेष

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1691 67 92	1312 60 97
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष -	32362 88 16	30635 03 91
(i) चालू खातों में	21998 88 16	24768 03 91
(ii) अन्य खातों में	10364 00 00	5867 00 00
कुल (I+II)	34054 56 08	31947 64 88

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
ए. चालू खातों में	24 81 33	133 40 38
बी. अन्य जमा खातों में	2808 90 00	1249 05 00
कुल (i)	2833 71 33	1382 45 38
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के साथ)		
(i) बैंकों के साथ	0.00	0.00
(ii) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
कुल (ii)	0.00	0.00
कुल (i+ii)	2833 71 33	1382 45 38
II. भारत के बाहर		
i) चालू खाता में	3892 43 95	1638 14 04
ii) अन्य जमा खातों में	24795 79 62	19895 37 47
iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	13 68 46	4 25 84
कुल II (i+ii +iii)	28701 92 03	21537 77 35
कुल योग (I+II)	31535 63 36	22920 22 73

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	242485 60 28	223371 33 96
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	459 57 09	567 59 62
निवल निवेश	242026 03 19	222803 74 34
i. सरकारी प्रतिभूतियां	213740 89 88	196565 38 97
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
iii. शेयर	1494 62 63	1253 42 93
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	16769 69 17	16246 11 18
v. अनुषंगियों और /या संयुक्त उद्यमों (सहयोगियों सहित)	250 53 28	256 75 25
vi. अन्य (जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड)	9770 28 23	8482 06 01
कुल	242026 03 19	222803 74 34
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2790 82 83	2635 17 33
घटाएँ: मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	151 11 70	135 79 29
निवल निवेश	2639 71 13	2499 38 04
i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2638 75 01	2498 66 63
ii. अन्य निवेश		
ए. शेयर	96 12	71 41
बी. ऋण प्रतिभूतियाँ	0	0
कुल	2639 71 13	2499 38 04
सकल योग (I+II)	244665 74 32	225303 12 38

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
ए. i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल	6080 05 65	4243 19 53
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	355749 53 25	294077 40 84
iii) मीयादी ऋण	293058 63 65	272750 58 72
कुल (ए)	654888 22 55	571071 19 09
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	517287 30 40	436378 07 10
ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित	33474 70 06	64082 89 13
iii) आरक्षित	104126 22 09	70610 22 86
कुल (बी)	654888 22 55	571071 19 09
सी. I. भारत में अग्रिम		
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र #	260615 06 40	220040 51 84
ii. सार्वजनिक क्षेत्र	82558 02 18	74627 61 46
iii. बैंक	0	0
iv. अन्य	262285 68 28	234695 72 07
कुल (सी I)	605458 76 86	529363 85 37
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	28795 09 55	27439 63 53
ii) अन्य से देय		
क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2849 68 08	2203 83 63
ख) सामूहिक ऋण	12250 81 35	7312 79 87
ग) अन्य	5533 86 71	4751 06 69
कुल (सी II)	49429 45 69	41707 33 72
कुल योग (सी I+ सी II)	654888 22 55	571071 19 09

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	8601 32 69	7452 85 13
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	11 15 03	1332 08 32
उप योग	8612 47 72	8784 93 45
अवधि के दौरान घटाव	0	183 60 76
उप योग	8612 47 72	8601 32 69
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1753 00 64	1661 05 62
कुल	6859 47 08	6940 27 07
II. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पूनर्मूल्यन पर	684 09 20	505 10 80
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	0	178 98 40
उप योग	684 09 20	684 09 20
अवधि के दौरान घटाव	0	0
उप योग	684 09 20	684 09 20
उक्त तारीख तक मूल्यहास	162 63 44	105 70 23
कुल	521 45 76	578 38 97
III. निर्माणाधीन परिसर	32 23 94	28 10 53
IV. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर / फ़िक्सचर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत	6073 63 45	5627 71 41
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	427 00 72	507 30 02
उप योग	6500 64 17	6135 01 43
अवधि के दौरान घटाव	94 71 31	61 37 98
उप योग	6405 92 86	6073 63 45
उक्त तारीख तक मूल्यहास	5173 71 75	4796 33 62
कुल	1232 21 11	1277 29 83
V. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	1 32 18	2 62 90
कुल योग (I + II + III + IV + V)	8646 70 07	8826 69 30

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	246 15 85	128 03 58
II. उपचित ब्याज	5350 80 46	4758 34 54
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0	0
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप	5 95 07	6 72 12
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	39 77 73	51 38 26
VI. अन्य*	8519 27 86	8397 29 24
कुल	14161 96 97	13341 77 74
*जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/ एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमाएं शामिल हैं।	269 57 25	389 24 33

अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएँ

(₹ हजार में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2330 62 82	2221 57 72
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	209 99 89	264 12 31
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व	198813 08 59	229350 45 07
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां*		
क. भारत में	28151 99 10	26618 50 26
ख. भारत के बाहर	273 16 88	194 56 86
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य देयताएं*	11151 33 12	7365 85 82
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	15016 70 77	14661 13 31
कुल	255946 91 17	280676 21 35

*समाश्रित देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	48853 54 26	44856 39 03
II. निवेशों पर आय	16068 24 73	15315 39 44
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में जामा शेष पर ब्याज	1648 78 29	1585 42 74
IV. अन्य	880 14 10	244 94 59
कुल	67450 71 38	62002 15 80

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1118 60 86	1066 47 88
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1231 97 19	1050 90 10
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि	245 17 01	142 86 62
निवल	986 80 18	908 03 48
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	1 65	137 50 36
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	97 11 70	1 14
निवल	-97 10 05	137 49 22
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ*	1 73 06	2 95 22
घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि*	1 51 07	1 25 90
निवल	21 99	1 69 32
V. विनिमय संव्यवहारों संबंधी लाभ (निवल)	702 82 16	369 08 29
VI. विदेश/भारत में अनुषंगी कंपनियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश स्वरूप अर्जित आय	42 54 31	26 03 33
VII. विविध आय	7236 68 65	6714 66 58
कुल	9990 58 10	9223 48 10

*सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित राशि

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. जमाराशियों पर ब्याज	37484 50 13	34701 98 43
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	748 28 58	361 72 10
III. अन्य	2303 00 03	1762 08 29
कुल	40535 78 74	36825 78 82

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(₹ हजार में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	10760 29 03	9883 97 94
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	703 04 42	674 34 25
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	98 93 01	97 74 61
IV. विज्ञापन और प्रचार	42 36 72	44 20 07
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	596 40 59	532 15 16
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1 70 20	1 59 67
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	57 33 44	49 01 05
VIII. विधि प्रभार	35 65 98	22 98 24
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि	148 68 94	130 09 17
X. मरम्मत और रखरखाव	277 11 89	271 15 30
XI. बीमा	1150 46 78	930 90 27
XII. अन्य व्यय	3117 39 25	2763 48 73
कुल	16989 40 25	15401 64 46

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (एकल)

1. लेखांकन प्रथा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा गया हो, परंपरागत लागत परिपाटी पर कार्यशील संस्था अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं से संबंधित लेखांकन संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को यथास्थिति वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुए आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, परिवर्तन की अवधि से ही भावी रूप से मान्य होता है।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एएस - 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन को दैनिक पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से कार्यदिवस की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है। इसके लिए घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार की समापन दर का उपयोग किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को हर सप्ताहांत फेडाई द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक माह/तिमाही/वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों/पुनर्मूल्यांकन दरों पर अंतरित किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताओं और गारंटियों को माह/तिमाही/वर्षांत पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर अंतरित किया जाता है।

ई) तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतर को, उस अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में यह अंतर पाया जाता है।

एफ) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का प्रकटीकरण संविदागत दरों पर किया जाता है तथा फेडाई की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणामी प्रभाव को लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात किया जाता है।

3.2 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया जाता है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार से किया जाता है:

ए) आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन तुलन-पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन विनिमय दरों पर किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट मुद्रा के लिए फेडाई दर उपलब्ध नहीं है, तो विनिमय दर का निर्धारण स्थानीय पारस्परिक लेनदेन की मुद्रा दर के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए उद्योग की प्रचलित प्रथा का पालन किया जाता है।

बी) आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट मुद्रा के लिए फेडाई दर उपलब्ध नहीं है, तो विनिमय दर का निर्धारण स्थानीय पारस्परिक लेनदेन की मुद्रा दर के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए उद्योग की प्रचलित प्रथा का पालन किया जाता है।

सी) निवल निवेशों के निपटान तक होनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक लेखे में उपचित रखा

जाता है।

4. निवेश

4.1 निवेशों का वर्गीकरण

बैंक संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को छोड़ कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात्, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)।

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी के तहत रखा जाएगा। निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या उसके समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग ऐसे निवेशों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। सभी निवेशों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा:

- i. परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- ii. बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- iii. लाभ और हानि माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
 - i. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)
- iv. अनुषंगी, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम (एसएजेवी) बैंक, बीआर अधिनियम की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) में यथानिर्धारित अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:
 - i. सरकारी प्रतिभूतियाँ
 - ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
 - iii. शेयर
 - iv. डिबेंचर और बॉन्ड
 - v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम
 - vi. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

- (ए) बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा
- i. प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और
 - ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह में वृद्धि को

जन्म देती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') हैं।

(बी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस आशय के साथ अधिग्रहित किया गया है, उसके निरपेक्ष वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे:

- i. अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या समाश्रित रूप से संपरिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत।
- ii. संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले लिखत जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमन के तहत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत।
- iii. ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश-वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं।
- iv. अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर

(सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि वह अंश, जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- i. वर्गीकरण के लिए निर्धारित किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय साधनों के अंतर्निहित पूल को दृष्टिगत रखे बिना) नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।
- ii. वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।
- iii. अंश का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित आस्तियों के पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस):

- (ए) बैंक द्वारा केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा
- i. प्रतिभूति को एक ऐसे उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों के बिक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
 - ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो

का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव कर सकता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है।

(बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

एफवीटीपीएल

(ए) प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- अनुषंगियों, एसोसिएट्स या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता पर एएफएस में वर्गीकृत करने के अप्रतिसंहरणीय विकल्प का प्रयोग किया गया है, के अलावा इक्विटी शेयर।
- म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
- प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेश की एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।
- बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहाँ भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।

एचएफटी

बैंक, एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाएगा। बैंक को एचएफटी के तहत निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई परिपत्र- मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। विवरण अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं।

अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एसोसिएट्स, अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों

को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग, ऐसे निवेशों के लिए एक अलग विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

4.2 प्रारंभिक मान्यता

4.2.1 निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के साथ उचित मूल्य पर मापा जाएगा। परंतु, जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- जब लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच हो।
- जब लेन-देन दबाव में हो रहा हो, जहाँ एक पक्ष को लेन-देन में मूल्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- लेन-देन उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।
- अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की माँग करती हैं।

4.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।

4.2.3 जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की जाती हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन की लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

4.2.4 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दिन 1 की हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।

4.2.5 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन के लाभ को आस्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिन 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

4.3 परिवर्ती मापन

4.3.1 एचटीएम

- (ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं अंकित किया जाएगा (एमटीएम)। हालांकि, वे आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।
- (बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर किसी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

4.3.2 एएफएस

- (ए) एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि निरंतर नहीं किया जाता तो, कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।
- (बी) एएफएस के तहत रखे गए सभी लाभार्जक निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, बॉण्ड और डिबेंचर इत्यादि) के मूल्यांकन लाभ और हानि का सकाल योग किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस-रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाएगा।
- (सी) एएफएस के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।
- (डी) एएफएस-रिजर्व को इन निर्देशों के खंड 28 के अधीन कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लाभ

अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

- (ई) एएफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस-रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ मद II के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।
- (एफ) प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसकी बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-आरक्षित निधि से पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित किया जाएगा।

4.3.3 एफवीटीपीएल

- (ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, यदि निरंतर नहीं किया जाता है।
- (बी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 'अर्जित ब्याज' के मद II: 'निवेश पर आय' अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।
- (सी) एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

4.3.4 अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

- (ए) अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (यानी, ऋण और इक्विटी सहित) आरबीआई

परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 के अनुसार आवश्यकताओं के अधीन अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाएंगे।

(बी) अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: अर्जित ब्याज के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही किसी इकाई में निवेश है जो अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं है, और बाद में निवेशित इकाई एक अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- I. जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- II. जहां निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ-साथ संशोधित वहन मूल्य की गणना के लिए निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा।
- III. जहां निवेश एफवीटीपीएल में रखा जाता है, वहां निवेशक के अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(डी) जब कोई निवेशक अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

- I. जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी भी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

II. जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

(ई) किसी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी प्राप्ति/लाभ को पहले लाभ और हानि लेखे में मान्यता दी जाएगी और फिर इसे लाभ और हानि लेखे के नीचे 'पूँजी आरक्षित निधि लेखे' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार, विनियोजित राशि करों को घटाकर होगी और सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की जाएगी।

(एफ) बैंक, यदि निरंतर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश में मूल्यहास का मूल्यांकन करेगा। संभावित हानि के संकेतकों की एक अपरिपूर्ण सूची निम्नानुसार है:

- I. इकाई ने अपने ऋण दायित्वों की चुकौती में चूक की है।
- II. किसी बैंक के साथ इकाई की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- III. इकाई की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- IV. इकाई ने लगातार तीन वर्षों तक घाटा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- V. छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए उल्लेखनीय शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। बैंक, अपने बोर्ड की मंजूरी से, और भी अधिक रूढ़िवादी सीमा लागू कर सकते हैं।
- VI. इकाई की कोई या सभी बकाया प्रतिभूतियाँ असूचीबद्ध हो गई हैं, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन

या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने के खतरे में हैं।

VII. किसी नई इकाई/परियोजना के मामले में जहाँ ब्रेक-ईवन पॉइंट को प्राप्त करने की मूल रूप से पूर्वानुमानित तिथि बढ़ा दी गई है, अर्थात्, इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित निर्माण-पूर्व-अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

(जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करेगा। इस तरह की कमी को लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। यदि इस हास को प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो इसे बाद में लाभ और हानि लेखा के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

4.4 श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

(ए) बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेशों को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

(बी) पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(सी) जब कोई बैंक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन उपचार नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार होगा। बैंक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करेगा।

क्रम सं.	से	तक	लेखांकन माप
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में अभिज्ञात किया जाएगा।
बी	एचटीएम	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और विगत वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।

सी	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को वहाँ से निकाल लिया जाएगा और पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित करके संशोधित वहन मूल्य का परिकलन किया जाएगा। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने निवेश को एचटीएम में आरंभ से ही वर्गीकृत किया हो।
डी	एएफएस	एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से अभिज्ञात संचयी लाभ या हानि को उसमें से निकाल लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद III: 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।

ई	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।
एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रेनीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।

4.5 एचटीएम से निवेशों की बिक्री

- (ए) एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम से बिक्री का विवरण आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश- **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
- (बी) किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से परे किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (सी) नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्धारित पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखी जाएगी।
- आरबीआई के तरलता प्रबंधन संचालन जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत आरबीआई को बिक्री।
 - भारत सरकार द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
 - संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
 - जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, बायबैक या कॉल ऑप्शन का प्रयोग।

V. क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।

VI. वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।

VII. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

(डी) एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि, अनुसूची 14 के मद II 'अन्य आय' के तहत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात की जाएगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि लेखा से नीचे 'पूँजी आरक्षित निधि खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करों से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि होगी।

4.6 निवेशों का उचित मूल्य

इन निर्देशों के अनुसार निवेशों की प्रारंभिक मान्यता और आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य इस अध्याय में यथानिर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4.6.1 उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत भाववाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 मार्च, 2018 को आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी-डीआईआरडी-7/14.03.025/ 2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोटेशन से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

4.6.2 अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

(ए) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(बी) अनउद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

(सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर मार्क-अप करके वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाएगा।

4.6.3 अनउद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ

I. अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड

ए) अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बॉण्ड को दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

- रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर मार्क-अप होगा।

- बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप, समान परिपक्वता वाले रेटेड डिबेंचर या बॉण्ड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रदर्शित करें।

- जहां डिबेंचर/बॉण्ड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले लेन-देन हुए हैं, वहां अपनाया गया मूल्य उस दर से अधिक नहीं होगा जिस पर आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन दर्ज किया गया है।

बी) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) बॉण्ड और वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी किए गए बॉण्ड।

I. यूडीएवाई बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाएगा।

II. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं डिस्कॉम के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

III. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्डों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

IV. राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं राज्य सरकार के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

सी) विशेष प्रतिभूतियां, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और जिनकी एसएलआर प्रास्थिति नहीं हैं, उनका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंकों के अंतर पर किया जाएगा।

डी) जीरो कूपन बॉन्ड (ज़ेडसीबी): बाजार मूल्य के अभाव में, ज़ेडसीबी को इसके वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जानी चाहिए।

II. अधिमानी शेयर

ए) जब अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर क्रय-विक्रय किया गया हो, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का क्रय-विक्रय किया गया था।

बी) गैर-उद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वाईटीएम आधार पर किया

जाएगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न हो। मार्क-अप को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयरों को दी गई रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा:

I. मार्क-अप नकारात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार भारत प्रतिभूति के लिए कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी।

II. बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु उपयोग की जाने वाली दर, समतुल्य परिपक्वता के रेटेड अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी।

III. जहां अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के हिस्से के रूप में किया जाता है, वहां मार्क-अप 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होना चाहिए।

सी) जहां अधिमानी लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां उपचित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और वाईटीएम आधार पर ऊपर बताए अनुसार निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों के लिए है, तो इसी तरह आगे (यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन को जोखिम को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में प्राप्त मूल्यहास/प्रावधान आवश्यकता, जहां लाभांश बकाया हैं, को अन्य निष्पादित अधिमानी शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डी) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के दो वर्ष बाद या अभिदान के पांच वर्ष बाद, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए सममूल्य पर किया जाएगा।

III. इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात्, जिन्हें अंतरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है

या जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) होगा, जिसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से पता लगाया जाना है। जिस तिथि को नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी ₹ 1 पर किया जाएगा।

IV. म्यूचुअल फंड यूनिट

- ए) अन-कोटेड एमएफ यूनिट्स में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
- बी) लॉक-इन अवधि वाले फंड या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाएगा।

V. वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

VI. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश

आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश के संबंध में, बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक: ऋण जोखिम का हस्तांतरण एवं वितरण) निर्देश, 2025) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

बैंक, एसआर (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर सहित) में अपने निवेश को, एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर एसआर के मोचन मूल्य और एआरसी को हस्तांतरण के समय दबावग्रस्त ऋणों के एनबीवी (निवल बही मूल्य) में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर रखेगा। बैंक एसआर पर आय केवल वसूली/मोचन की वास्तविक प्राप्ति, अथवा यदि कोई हो, तो दावों की स्वीकृति पर ही दर्ज करना जारी रखेगा।

VII. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

- ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयर, बॉन्ड, एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए इन निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा।
- बी) एआईएफ के अनकोटेड उपकरणों का मूल्यांकन

निम्नानुसार किया जाएगा:

- I. इकाइयाँ: मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। जहां एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 द्वारा अनिवार्य आवृत्ति के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन, इसके मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।
- II. अन्य लिखत: एआईएफ द्वारा जारी अनकोटेड इक्विटी और अन्य लिखतों का मूल्यांकन, ऐसे लिखतों के लिए ऊपर निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार होगा।
- III. भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाओं की वचनबद्धता) निर्देश, 2025 (यथा अद्यतित 05 दिसंबर, 2025) के अनुसार - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- VIII. मूलधन और अदत्त ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित **भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025** के आवश्यकताओं का पालन करता है।
- IX. उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरण में स्थिरता और तुलनीयता बढ़ाने के लिए, बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि ऊपर खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। निवेश पोर्टफोलियो का विवरण उनके वित्तीय विवरणों के खातों में उनके टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा। ये प्रकटीकरण आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्रभावी होंगी।
- X. बैंक अपने तुलन पत्र पर स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।

इसके अलावा, लाभ और हानि लेखे या एएफएस-आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम जोखिम भारित होना आवश्यक है।

4.7 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

4.7.1 आय निर्धारण

ए) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय आधार पर आय निर्धारण करेगा:

- I. सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।
- II. कॉर्पोरेट निकायों के शेयर बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो।

बी) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

सी) उप-खंड (ए) के अधीन, एएफएस के तहत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाएगी।

4.7.2 खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन: बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेगा तथा प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में इसे लाभ एवं हानि लेखा के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानेगा।

4.7.3 अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इसी तरह, किसी एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

I. बॉण्ड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में,

एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।

II. उप-खंड (ए) (i) उन वरीयता शेयरों पर लागू होगा, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी वर्ष में अधिमानी शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की तुलनपत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए देय तिथि के रूप में माना जाएगा। इस तरह के निवेश को गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में बकाया और चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान पर बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

III. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2025 के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण प्रति कंपनी ₹1 है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाएगा।

IV. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी ऋण सुविधा बैंक की पुस्तकों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा। हालांकि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई और इसके विपरीततः के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक ऋण सुविधा को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

V. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित करने के मामले में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। रूपांतरण

के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा।

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को कम करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय की पहचान केवल उसी की प्राप्ति पर की जाएगी। इसके अलावा, सुरक्षा में किसी भी एमटीएम वृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा।

डी) चाहे जिस भी श्रेणी (यानी, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल(एचएफटी सहित)) में निवेश रखा गया हो, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि लेखे में निर्धारित किया जाएगा। एनपीआई पर किया जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होगा:

- एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशियां और
- एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर उसके वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यहास।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऊपर निर्दिष्ट एनपीआई के लिए प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं होगा।

बशर्ते कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-निधि में प्रभारित करके बनाया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके सापेक्ष एएफएस-आरक्षित निधि में संचयी घाटा है, संचयी घाटे को एएफएस-आरक्षित निधि से लाभ और हानि लेखे में अंतरित की

जाएगी।

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश।

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के कहने पर गारंटी को अस्वीकार नहीं कर दिया हो। एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एएफएस-रिजर्व और लाभ में एमटीएम लाभ/हानि को निर्धारण किया जाना जारी रखेगा। तथापि, किसी भी आय को केवल प्राप्ति के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो।

4.7.4 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

ए) बैंक, आईएफआर में निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि अंतरित करके नियमित आधार पर तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाएंगे, जब तक आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए :

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
- वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित

निधि को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है।

सी) बैंक को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि लेखा में बताए गए लाभ/हानि के शेष में क्रेडिट के लिए अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि आहरण की अनुमति होगी।

डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरण की अनुमति होगी:

I. आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्बंध आरक्षित निधियों में विनियोजन या हानि के शेष को कम करने के लिए किया जाता है।

II. आहरित गई राशि उक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/घाटों की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक है।

4.7.5 व्युत्पन्नी

ए) बैंक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्नी संविदा के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बैंक अपनी व्युत्पन्नी आस्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के तहत अलग-अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकता है।

बी) बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और अपने वित्तीय विवरणों के लेखों में टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया जाएगा।

सी) बैंक अपने तुलनपत्र में लेवल 3 व्युत्पन्नी आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखों में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त लेवल 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

• रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन:

आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार चलनिधि समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपो लेनदेनों को शामिल करते हुए आरबीआई के साथ सभी प्रकार के रेपो रिवर्स रेपो लेनदेनों का लेखांकन किया जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लिया जाता है जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किया जाता है और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार-चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो लेखों और प्रति-प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जाएगा। रेपो लेखों में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो लेखों में शेष, निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत है।

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक में निहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो, वे भी जो तरलता समायोजन सुविधा के तहत शामिल हैं, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और जमा शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष' की मद (II) 'अन्य खातों में' की उप-मद (II) के तहत प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन तक और समावेशी है, को 'बैंकों में जमा शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (II) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) बैंकों और अन्य संस्थानों में निहित रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिन से अधिक है, को 'अग्रिम' की अनुसूची 9 के तहत निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा:

- i. ए (ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण'
- ii. बी (i) 'मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूत'
- iii. सी (I), (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो)

5. पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को उनके मोचन मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद को एससी/आरसी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- I. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- II. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण आनुमानिक रूप से बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ और हानि लेखा में नामे किया जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो

अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं - ए) अवमानक:

- i. कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- ii. प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान, जो प्रारम्भ से ही अप्रतिभूत है।
(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- i. प्रतिभूत भाग के लिए 25 प्रतिशत
- ii. अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- i. प्रतिभूत भाग के लिए 40 प्रतिशत
- ii. अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

- पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि, मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश अनर्जक/हासित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

- अनर्जक आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं भुनाये गए बिलों के लिए प्रकट किए गए अग्रिमकृत प्रावधानों का निवल हैं।

7 अचल आस्तियां/ मूल्यहास

- 7.1 संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर अचल संपत्तियों को लागत/पुनर्मूल्यांकन राशि पर वहन किया जाता है।
- 7.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और आस्ति का उपयोग करने से पूर्व उनपर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।
- 7.3 भारत में भवनों का मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) और अन्य अचल संपत्तियों को स्ट्रेट लाइन पद्धति से, जैसा कि नीचे वर्णित है, मूल्यहास दरों/ उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाएगा:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/ उपयोगी जीवनकाल
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष

3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है: परिसर: 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील): 20 वर्ष वाहन: 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर: 10 वर्ष मोबाइल फोन: 1 वर्ष सोने की निवलता जांचने की मशीन: 7 वर्ष

- 7.4 आस्तियों में किए गए नए जुड़ावों पर मूल्यहास की गणना, उस वर्ष में आनुपातिक आधार पर, उन दिनों की संख्या के अनुसार की जाएगी जितने दिनों तक वे आस्तियां उपयोग के लिए उपलब्ध रही हैं-अर्थात्, जब वे उस स्थान और स्थिति में हों कि उनका परिचालन किया जा सके (अर्थात्, 'उपयोग में लाई गई' स्थिति में हों)।
- 7.5 वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में, आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।
- 7.6 आस्ति का मूल्यहास प्रति वर्ष 365 दिनों के आधार पर परिकलित किया जाएगा।
- 7.7 रु.5000/- तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।
- 7.8 बैंक के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन, वर्तमान बाज़ार मूल्य को दर्शाने के लिए, एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार किया जाएगा।
- पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई आस्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया

जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि लेखा के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाएगा। आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के सापेक्ष प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

7.9 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाएगा और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

7.10 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

7.11 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाएगी।

7.12 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

8. राजस्व निर्धारण

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.2 अनर्जक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। पीएसएलसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन/शुल्क आय को उपचय आधार पर गणना लेखांकित किया जाता है और पीएसएलसी की शेष अवधि को तिमाही के दौरान आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना

जाता है।

8.4 एनपीए खातों में किसी भी वसूली को पहले बही शेष (मूलधन) में और फिर अदत्त कानूनी व्यय (एमएलई), अदत्त अन्य व्यय (एमओएक्स), अदत्त शुल्क और उसके बाद अदत्त ब्याज (एमओआई) में विनियोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, पुनर्गठित एनपीए खातों के मामले में, जहां मंजूरी की शर्तों के अनुसार, ब्याज तुरंत चुकाया जाना है और मूलधन की चुकौती बाद की तारीख में शुरू होनी है, ऐसे खातों में किए गए ब्याज की वसूली को आय खाते में लिया जाना चाहिए और इसे मूलधन की चुकौती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में एनपीए प्रबंधन नीति में तत्पश्चात् हुए बदलावों के संदर्भ में, यह बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का एक हिस्सा होगा।

9. क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित रिवाइड पॉइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ/हानि

लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात हैं:

- अनर्जक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन

बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

ii. उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। उपदान देयता का बैंक द्वारा निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii. पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 को या उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

iv. प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार छुट्टी और चिकित्सा छुट्टी, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबन्धी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखांकित किए जाते हैं।

12. पढ़े हेतु लेखांकन

परिचालनगत पढ़ों पर ली गई आस्तियों हेतु पढ़ा भुगतानों, उनकी कीमत में वृद्धि सहित, को पढ़ा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के आधार पर लाभ और हानि लेखा में

अभिज्ञात किया जाता है।

13. समाश्रित देयताएँ और प्रावधान:

13.1 समाश्रित देयताएँ: संभावित या वर्तमान दायित्वों के कारक विगत घटनाओं को निम्नलिखित स्थितियों में समाश्रित देयता के रूप में अभिज्ञात किया जाता है:

- (ए) ऐसे दायित्वों की पुष्टि नहीं की गई है
- (बी) ऐसे बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं है
- (सी) ऐसे दायित्वों की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
- (डी) ऐसी राशियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं,

13.2 (ए) वर्तमान दायित्वों के संबंध में तब प्रावधान का निर्धारण किया जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें दायित्वों के निपटारे के लिए बहुत छोटे दावों को छोड़कर, शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़े।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा किए गए फ्लोटिंग निर्धारण के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

- i. अनर्जक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- ii. अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों की हानि:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि, यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" के अनुरूप अभिज्ञात किया जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है, जबतक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

15. आय पर कर:

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान

किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हों, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर कानूनों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती, जब तक यह “वास्तविक निश्चितता” न मिल जाए कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति हो जाएगी।

16. प्रति शेयर आय

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-20 “प्रति शेयर आय” के अनुसार, प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय की रिपोर्ट करेगा। प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त होने वाले निवल लाभ या हानि को, उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

17. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण एएस -3 में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा।

18. खंड रिपोर्टिंग

बैंक, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में, व्यावसायिक खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देगा।

ए. नीति की समीक्षा

यह नीति प्रतिवर्ष एसीबी द्वारा समीक्षा के अध्वधीन है।

अनुलग्नक I

क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)

1. क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की एक उप-श्रेणी है, में वे सभी लिखत शामिल होंगे जो निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित एचएफटी लिखतों के विनिर्देशों को पूरा करते हैं। अन्य सभी लिखत एचएफटी से बाहर रखे जाएंगे।
2. बैंक केवल उन वित्तीय लिखतों को एचएफटी में शामिल करेगा जब इसे बेचने या पूरी तरह से बचाव करने के खिलाफ

कोई कानूनी बाधा नहीं है।

3. बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्य निर्धारण करेगा और लाभ और हानि लेखा में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को अभिज्ञात करेगा।
4. कोई भी लिखत जिसे बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए रखता है, जब इसे पहली बार अपनी बहियों में मान्यता दी जाती है, तो इसे एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न हो:
 - (ए) अल्पकालिक पुनर्विक्रय
 - (बी) अल्पकालिक मूल्य संचालन से लाभार्जन
 - (सी) मध्यस्थता लाभ को लॉक करना या
 - (डी) उपरोक्त (ए),(बी) या (सी) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाव
5. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में शामिल किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए:
 - (ए) सहसंबंध ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लिखतों
 - (बी) उपकरण जो बैंकिंग बही में निवल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे या
 - (सी) हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न लिखत, जहां हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताएं केवल प्रतिभूतियों के हामीदारी अंकन को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदे जाने की उम्मीद है।
6. कोई भी लिखत जो आरबीआई परिपत्र के अनुसार सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए शुरू में नहीं रखा गया है, और न ही इन उद्देश्यों के अनुसार रखा गया माना जाता है, उसे एचएफटी में शामिल नहीं किया जाएगा।
7. निम्नलिखित लिखत एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे:
 - (ए) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश,
 - (बी) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण,
 - (सी) अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग और अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग पर व्युत्पन्नी
 - (डी) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा नहीं करता
 - i. बैंक फंड के माध्यम से अपने व्यक्तिगत घटकों

को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है, या

- ii. बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास फंड के अधिदेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच है,

(ई) व्युत्पन्न लिखत और निधि जिनके पास अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (ए) से (डी) तक निर्दिष्ट लिखत श्रेणियाँ हैं, या

(एफ) किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम से बचाव करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत, जो ऊपर (ए) से (ई) तक निर्दिष्ट उपकरणों की श्रेणियों में हैं।

8. निम्नलिखित उपकरणों को एचएफटी में माना जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो:

ए) बाजार-निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न लिखत,

बी) एचएफटी के समनुदेशन से छूट प्राप्त को छोड़कर किसी फंड में इक्विटी निवेश, या

सी) सूचीबद्ध इक्विटी

डी) ट्रेडिंग से संबंधित रेपो-शैली लेनदेन या

9. बैंक के पास नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई परिपत्र में निर्दिष्ट अनुमानित सूची से विचलित होने का विकल्प होगा।

ए) यदि कोई बैंक मानता है कि उसे किसी लिखत के लिए आरबीआई परिपत्र में स्थापित अनुमानित सूची से विचलित होने की आवश्यकता है, तो उसे आरबीआई के विनियमन विभाग को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अपने अनुरोध में, बैंक यह साक्ष्य प्रदान करेगा कि लिखत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है।

बी) ऐसे मामलों में जहां यह अनुमोदन नहीं दिया जाता

है, उपकरण को एचएफटी के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक प्रकल्पित सूची से किसी भी विचलन का निरंतर आधार पर विस्तृत दस्तावेजीकरण करेगा।

पंजीकृत हित और मूल प्रतिभूतियों (स्ट्रिप्स) का पृथक क्रय विक्रय

1. बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणियों के तहत रखे गए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन शून्य-कूपन बॉण्ड के रूप में और इन निर्देशों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
2. आरंभ में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालाँकि, यदि ट्रेडेड शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसकी बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य-कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।
3. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की बहियों में उनके छूट वाले मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी प्रतिभूति को मान्यता से हटा दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा।
4. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होगी। जीरो कूपन यील्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) का उपयोग करके छूट प्राप्त स्ट्रिप्स (कूपन और मूलधन) के वर्तमान मूल्य को एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के वहन मूल्य या प्रतिभूति के बाजार मूल्य (जो भी कम हो) का अनुपात प्रतिभूति से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग के कुल योग से होगा।
5. पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (यहां तक कि जब स्ट्रिप्स बाजार से प्राप्त की जाती हैं)।
6. इन निर्देशों के अनुसार, स्ट्रिप्स (ज़ेडसीवाईसी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और प्रतिचिह्न बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुसूची 18- एकल वित्तीय विवरणों संबंधी लेखा टिप्पणियाँ (2025-26)

1. विनियामक पूँजी

ए. विनियामक पूँजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) (कटौतियों के पश्चात, यदि कोई हों)	71763.84	62983.29
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	2000.00
iii)	टियर 1 पूँजी (i + ii)	71763.84	64983.29
iv)	टियर 2 पूँजी	6704.00	8588.08
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	78467.84	73571.37
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	437545.57	410098.03
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप सीईटी 1)	16.40%	15.36%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 1 पूँजी)	16.40%	15.85%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप टियर 2 पूँजी)	1.53%	2.09%
x)	पूँजी की तुलना में जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत स्वरूप कुल पूँजी)	17.93%	17.94%
xi)	लिवरेज अनुपात	6.87%	7.03%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.84%	73.84%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी की राशि	--	--
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूँजी की राशि,	--	--
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि	--	--

बी. आरक्षित निधि से आहरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	आहरण की गई राशि		प्रयोजन
	2025-26	2024-25	
आरक्षित निधि का पुनर्मूल्यांकन	133.24	284.69	*परिसर के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास रु. 133.24 करोड़

*आईसीएआई के लेखा मानक एस-10 के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए. आस्ति और देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीने से अधिक तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	29407.53	21923.24	16481.55	28136.41	39840.78	28086.98	63244.59	116824.96	78818.37	67570.39	337391.51	827726.30
अग्रिम	5105.01	22464.41	16101.67	40384.78	24973.32	25442.94	54232.19	113924.37	192558.15	53243.47	106457.92	654888.23
निवेश*	60060.18	9206.77	9561.26	10239.03	10372.09	6276.20	13345.88	20291.01	21308.70	17525.05	66415.42	244601.59
उधार	6.86	11523.68	220.03	6357.28	304.33	278.44	2722.18	4581.91	4505.05	244.39	15948.35	46692.49
उपरोक्त में से												
विदेशी मुद्रा आस्तियां (निवेश एवं अग्रिम)	69.71	2283.93	1382.09	8410.96	10389.41	4966.89	10382.24	5983.64	4799.41	3155.63	1068.38	52892.29
विदेशी मुद्रा देयताएं (जमा एवं उधार)	299.15	3814.55	2806.55	8395.70	4800.02	3606.50	7322.30	7791.53	5029.38	2161.31	1958.11	47985.09

*रु. 64.15 करोड़ की पूंजीबद्ध इक्विटी के 50% को छोड़कर

बी. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मानदंड	तिमाही 1: 2025-26		तिमाही 2: 2025-26		तिमाही 3: 2025-26		तिमाही 4: 2025-26	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		1,76,888.81		1,79,441.98		1,80,952.38		1,80,837.09
नकदी का बहिर्वाह									
2	खुदरा जमा और छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमा जिसमें से :	4,35,498.42	36,131.11	4,39,406.64	36,487.52	4,54,843.60	37,793.85	4,66,430.97	39,173.11
(i)	स्थिर जमा	1,48,374.69	7,418.73	1,49,062.96	7,453.15	1,53,810.29	76,90.51	1,49,399.67	7,469.98
(ii)	अल्प स्थिर जमा	2,87,123.74	28,712.37	2,90,343.68	29,034.37	3,01,033.31	30,103.33	3,17,031.30	31,703.13
3	अप्रतिभूत थोक फंडिंग जिसमें से	1,98,900.62	1,20,994.26	2,07,715.24	1,27,917.73	2,14,329.52	1,30,633.14	2,28,465.83	1,39,856.47
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	1,29,843.94	51,937.57	1,32,995.85	53,198.34	1,39,493.97	55,797.59	1,47,682.27	59,072.91
(iii)	अरक्षित ऋण	69,056.68	69,056.68	74,719.39	74,719.39	74,835.55	74,835.55	80,783.56	80,783.56
4	सुरक्षित थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से	88,209.73	69,792.12	84,331.22	65,110.47	98,650.85	77,845.40	70,770.94	50,423.47
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	67,864.32	67,864.32	62,809.64	62,809.64	75,932.13	75,932.13	48,994.92	48,994.92
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधि की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	20,345.41	1,927.81	21,521.58	2,300.83	22,718.71	1,913.27	21,776.01	1,428.55

6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	6,160.72	6,160.72	4,993.96	4,993.96	6,374.72	6,374.72	10,432.67	10,432.67
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	1,09,428.83	4,622.89	1,13,140.70	4,800.32	1,22,944.21	5,269.69	1,26,367.33	5,399.76
8	कुल नकद बहिर्वाह		2,37,701.10		2,39,309.99		2,57,916.81		2,45,285.49
नकदी का अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत उधार (यथा प्रतिवर्ती रेपो)	94.76	0.00	60.99	0.00	187.45	0.00	207.21	0.00
10	पूर्ण अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	48,173.87	36,671.16	45,604.55	33,108.49	50,804.79	35,413.99	64,425.51	46,115.76
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	75,452.57	72,330.12	70,703.80	67,500.91	83,499.28	80,282.60	54,201.29	52,125.44
12	कुल नकद अंतर्वाह	1,23,721.21	1,09,001.29	1,16,369.34	1,00,609.40	1,34,491.52	1,15,696.59	1,18,834.01	98,241.20
			कुल समायोजित मूल्य #		कुल समायोजित मूल्य #		कुल समायोजित मूल्य #		कुल समायोजित मूल्य #
13	कुल एचक्यूएलए		1,76,888.81		1,79,441.98		1,80,952.38		1,80,837.09
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		1,28,699.81		1,38,700.59		1,42,220.22		1,47,044.28
15	चलनिधि कवरेज अनुपात		137.44%		129.37%		127.23%		122.98%

* औसत भारित और गैर-भारित राशियों की गणना संबंधित तिमाही के लिए दैनिक टिप्पणियों के आधार पर साधारण औसत को समाहित करते हुए की जाती है।

गैर-भारित मूल्यों की गणना 30 दिनों (अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए) के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय बकाया शेष राशि के रूप में की जाती है, सिवाय जहां परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में अन्यथा उल्लिखित है।

संबंधित मार्जिन (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्वाह और बहिर्वाह दर (अंतर्वाह और बहिर्वाह नकदी के लिए) के प्रयोग के बाद भारित मूल्यों की गणना की जाती है।

#समायोजित मूल्यों की गणना (i) मार्जिन एवं अंतर्वाह और बहिर्वाह दरें और (ii) लागू अन्य कैप्स (अर्थात एचक्यूएलए के लिए लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर कैप एवं अंतर्वाह पर कैप) दोनों के प्रयोग के बाद की जाती है।

एलसीआर को बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल के अल्पकालिक आघातसहनीयता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल संसाधन हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दैनिक आधार पर एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। एलसीआर को आकलन करने की पद्धति आरबीआई द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है।

इस एलसीआर की गणना उच्च गुणवत्ता की तरल अप्रभावित आस्तियों (एचक्यूएलए) की मात्रा को तीस कैलेंडर दिनों की अवधि में अनुमानित शुद्ध बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है। निवल नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमा जैसे खुदरा, लघु कारोबारी ग्राहक (जमा ₹ 7.50 करोड़ तक), अप्रतिभूत और प्रतिभूत थोक उधार) साथ ही साथ अनाहरित स्वीकार्य राशियों और 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों के अंतर्वाह द्वारा आंशिक रूप से प्रतिबलित डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजर में उपयोग करके की जाती है।

बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान औसत एचक्यूएलए ₹1,80,837 करोड़ (मार्जिन के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षाओं से अधिक हैं एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत सीमा से अधिक अपेक्षा की और एलसीआर (एफएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा अनुमत है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई और विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष राशि लेवल 1 एचक्यूएलए का हिस्सा है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 122.98% था।

बैंक की तरलता की जरूरतों को हर समय पूरा करने के लिए बैंक के एलसीआर के मुख्य चालक पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं। भारित नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से असुरक्षित थोक फंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें कुल भारित नकदी बहिर्वाह का योगदान 57.02% था। लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा सहित खुदरा जमा कुल भारित नकदी बहिर्वाह का 15.97% था। अन्य समाश्रित निधीयन दायित्वों में मुख्य रूप से बैंक गारंटी (बीजी) और बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी किए गए ऋण पत्र (एलसी) शामिल हैं।

यथास्थिति 31.03.2026 को बैंक का कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी (जमा/उधार) नहीं है। 31.03.2026 तक शीर्ष 20 बड़े घरेलू जमाकर्ताओं का योगदान कुल जमाओं का 5.95% है। महत्वपूर्ण घरेलू उत्पाद / लिखतों में बचत जमा, चालू जमा और सावधि जमा शामिल हैं, जो बैंक की कुल जमा का क्रमशः 32.50%, 5.33% और 57.53% है, जिसका निधीयन अत्यंत व्यापक है एवं बैंक को तरलता फ्रंट के अंतर्गत कोई प्रमुख संकेंद्रन जोखिम नहीं है।



सी. निवल स्थिर निधियन अनुपात एनएसएफआर (₹ करोड़ में)

	30.06.2025					30.09.2025				
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एसएफएमद										
1	पूँजी: (2+3)	69,735.68	0.00	0.00	1000.00	70,735.68	69,387.44	0.00	1,000.00	70,387.44
2	नियामक पूँजी	69,735.68	0.00	0.00	200.00	69,935.68	69,387.44	0.00	200.00	69,587.44
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	खुदरा जमा और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा: (5+6)	2,04,811.65	1,20,166.94	1,29,988.56	763.80	4,17,790.88	2,11,746.27	1,00,282.34	741.22	4,29,792.49
5	स्थिर जमा	71,846.69	36,969.03	42,317.29	0.00	1,43,576.36	74,449.61	31,624.38	48,936.47	1,47,259.94
6	अल्प स्थिर जमा	1,32,964.96	83,197.91	87,671.27	763.80	2,742,14.52	1,37,296.65	68,657.96	1,07,146.86	2,82,532.55
7	शोक निधीयन: (8+9)	72,307.51	1,32,308.67	82,306.67	13,779.28	1,16,844.83	77,081.21	1,52,967.24	80,208.60	1,19,571.36
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य शोक निधीयन	72,307.51	1,32,308.67	82,306.67	13,779.28	1,16,844.83	77,081.21	1,52,967.24	80,208.60	1,19,571.36
10	अन्य देयताएं: (11+12)	28,471.52	27,066.37	6,424.86	6,376.32	8,390.56	34,931.35	14,666.00	3,655.09	9,828.36
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	4.37	0.00			0.87	2.43	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	28,471.52	27,066.37	6,420.49	6,376.32	8,390.56	34,931.35	14,665.12	3,652.66	9,828.36
13	कुल एसएफएम (1+4+7+10)					6,13,761.95				6,29,579.64
आरएसएफमद										
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)					9,247.51				9,365.47
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियां	87.91	2,226.38	0.00	0.00	1,157.14	648.49	846.11	0.00	747.30
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियाँ: (17+18+19+21+23)	3,303.89	2,34,665.15	1,51,247.95	2,56,743.90	3,94,065.93	4,237.57	2,45,004.81	1,65,465.28	4,04,684.54
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अर्जक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अप्रतिभूत अर्जक ऋण	0.00	62,297.76	18,272.84	32,112.87	50,593.96	0.00	71,508.43	18,254.48	49,118.73

(₹ करोड़ में)

	30.06.2025				भारित मूल्य	30.09.2025			भारित मूल्य		
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य					
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक		≥ 1 वर्ष	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त अर्जक ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से :	64.32	1,60,382.24	1,29,545.01	1,44,258.84	2,64,665.76	71.05	1,64,660.88	1,41,714.87	1,48,114.05	2,76,629.53
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	15.47	21,424.99	1,612.14	17,359.92	22,810.25	0.00	26,687.58	1,605.18	18,171.23	26,546.65
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:	0.00	1,222.29	1,155.10	51,702.23	38,181.35	0.00	1,259.04	1,162.08	52,758.35	38,673.60
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	997.26	948.83	39,177.09	27,261.71	0.00	1,054.80	982.57	40,663.13	28,146.14
23	प्रतिभूतियां जो चूक के अंगर्गत नहीं है एवं एचव्यूएलए में नहीं आती हैं, सहित एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी	3,239.57	10,762.86	2,275.00	28,669.96	40,624.85	4,166.51	7,576.47	4,333.85	28,482.20	40,262.69
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	24,448.20	2,814.27	1,946.92	1,951.55	30,339.97	22,197.01	1,829.77	2,906.75	1,886.39	27,997.82
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी चूक फंड में अंशदान	0.00	2,752.60	1,922.28	798.17	4,652.09	0.00	1,787.83	2,894.07	798.72	4,658.53
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	34.84	0.00	43.25	78.08	0.00	0.00	0.00	28.31	28.31
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	26.84	24.63	0.37	51.84	0.00	41.94	12.68	0.91	55.53
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	24,448.20	0.00	0.00	1,109.76	25,557.95	22,197.01	0.00	0.00	1,058.45	23,255.46
30	तुलन पत्र बाह्य मदें	1,25,822.31	0.00	0.00	0.00	5,424.77	1,34,340.62	0.00	0.00	0.00	5,844.83
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					4,40,235.32					4,48,639.96
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					139.42%					140.33%

31.12.2025				31.03.2026							
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य			भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य						
	परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों ≥ 1 वर्ष तक	6 महीनों से ≥ 1 वर्ष तक		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों ≥ 1 वर्ष तक	6 महीनों से ≥ 1 वर्ष तक				
एसएसएफ मद											
1	पूँजी: (2+3)	69,421.24	0.00	1,000.00	70,421.24	78,467.84	0.00	0.00	78,467.84		
2	विनियामक पूँजी	69,421.24	0.00	200.00	69,621.24	78,467.84	0.00	0.00	78,467.84		
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	खुदरा जमाराशि और लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशि: (5+6)	2,16,156.77	92,745.65	1,68,542.56	706.78	4,37,800.14	2,24,285.34	99,409.89	1,66,439.03	595.82	4,49,279.88
5	स्थिर जमाराशि	66,543.58	29,497.71	51,816.42	0.00	1,40,464.82	69,381.10	31,043.64	50,839.67	0.00	1,43,770.19
6	अल्प स्थिर जमाराशि	1,49,613.19	63,247.94	1,16,726.14	706.78	2,97,335.32	1,54,904.24	68,366.24	1,15,599.36	595.82	3,05,578.69
7	थोक निधीयन: (8+9)	79,478.79	1,55,143.67	78,070.13	10,079.06	1,24,346.60	89,172.77	1,40,264.48	1,07,357.45	15,201.52	1,43,044.40
8	परिचालन जमाराशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	79,478.79	1,55,143.67	78,070.13	10,079.06	1,24,346.60	89,172.77	1,40,264.48	1,07,357.45	15,201.52	1,43,044.40
10	अन्य देयताएं: (11+12)	36,232.00	28,084.98	4,344.01	6,633.46	8,795.93	35,066.20	22,282.61	4,618.85	5,718.70	7,488.75
11	एनएसएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		164.20	1.34	8.87			869.82	36.94	20.91	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	36,232.00	27,920.78	4,342.67	6,624.60	8,795.93	35,066.20	21,412.79	4,581.91	5,697.79	7,488.75
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					6,41,363.92					6,78,280.86
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियाँ(एचक्यूएएल)					9,373.95					9,582.23
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों में जमा राशियाँ	166.81	1117.44	0.00	0.00	642.13	184.87	3,488.14	0.00	0.00	1,836.50
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियाँ : (17+18+19+21+23)	4,261.92	2,54,447.10	1,74,912.21	2,63,442.55	4,14,499.40	2,986.72	2,67,366.49	1,85,102.22	2,74,323.18	4,33,753.36
17	लेवल 1 एचक्यूएएल द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अर्जक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त लेवल 1 एचक्यू एलए द्वारा प्रतिभूत अर्जक ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त अप्रतिभूत अर्जक ऋण	0.00	81,282.13	16,655.14	26,555.40	47,075.30	0.05	82,559.12	14,738.22	28,831.55	48,586.83

		31.12.2025					31.03.2026				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य				भारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर-भारित मूल्य			भारित मूल्य <6 महीनों से	
		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक	≥ 1 वर्ष		परिपक्वता रहित*	< 6 महीनों	6 महीनों से < 1 वर्ष तक		≥ 1 वर्ष
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को प्रदत्त अर्जक ऋण, खुदरा एवं लघु कारोबारी ग्राहकों को प्रदत्त ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों, और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिसमें से :	79.16	1,65,685.47	1,52,812.27	1,62,608.55	2,94,578.25	96.42	1,70,540.99	1,59,373.97	3,00,495.95	
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	2.28	23,794.15	2,106.65	20,828.62	27,098.41	1.76	33,192.20	24,122.40	34,009.30	
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:	0.00	1,014.36	1,045.87	44,876.61	32,841.43	0.00	1,242.05	56,321.04	41,080.00	
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	854.06	891.65	34,716.47	24,005.90	0.00	1,051.33	43,584.77	30,013.58	
23	प्रतिभूतियां जो चूक के अंतर्गत नहीं है एवं एचक्यूएलए में नहीं आती हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी	4,182.76	6,465.14	4,398.93	29,401.99	40,004.42	2,890.25	13,024.33	29,796.62	43,590.59	
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक पंक्तियों का योग)	25,425.60	51.35	2,619.75	3,854.18	31,127.61	22,820.17	1,167.00	1,857.01	29,565.17	
25	कारोबार की भौतिक वस्तुएं स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00			0.00	
26	डेरिवेटिव अनुबंधों हेतु प्रारंभिक मार्जिन की आस्तियां और सीसीपी के चूक फंड में अंशदान	0.00	0.00	2,609.84	2,878.60	4,665.17	0.00	1,032.23	3,696.58	5,548.85	
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	दर्ज अंतर मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0.00	51.35	9.91	8.03	69.28	0.00	134.76	57.76	231.26	
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	25,425.60	0.00	0.00	967.55	26,393.15	22,820.17	0.00	964.88	23,785.05	
30	तुलन पत्र बाह्य मर्दे	1,39,750.73	0.00	0.00	0.00	6,084.31	1,47,605.44	0.00	0.00	6,428.22	
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					4,61,727.39				4,81,165.49	
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					138.91%				140.97%	

*“परिपक्वता रहित” टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूँजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं हैं।

*परिपक्वता रहित: टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों में परिपक्वता नहीं बताई गई है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूँजी, गैर-परिपक्वता जमा, लघु स्थिति, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचव्यूएलए इक्विटी और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की लंबी अवधि की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसएफआर 01 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है और 28 नवंबर, 2025 को अद्यतित किया गया है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ)}} \geq 100\%$$

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)

एएसएफ को पूँजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके एनएसएफआर द्वारा मानी गई समय सीमा (अर्थात 1 वर्ष तक) पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है। एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के वित्तपोषण स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के वित्तपोषकों की अपनी निधि वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है।

अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ)

आरएसएफ तरलता विशेषताओं और उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ-साथ इसके तुलन पत्र बाह्य (ओबीएस) एक्सपोजर के आधार पर अपेक्षित स्थिर निधीयन आरएसएफ है। आरएसएफ की गणना निर्दिष्ट घटक की बकाया राशि को निर्धारित और संबद्ध आरएसएफ फैक्टर के गुणन द्वारा किया जाता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों की संरचना और तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफाइल बनाए रखें। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक निधि पर अति-निर्भरता को सीमित करता है, तुलन पत्र बाह्य की सभी मर्दों में वित्तपोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण स्थिरता को बढ़ावा देता है।

दिनांक 31.03.2025 को बैंक का एनएसएफआर 141.62% और 31.03.2026 को 140.97% था। एनएसएफआर 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। यथास्थिति 31.03.2026 को, उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) रु.6,78,281 करोड़ और आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) रु. 4,81,165 करोड़ था।

बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना भी करता है और बैंक की तरलता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है।

3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष (2025-26)						विगत वर्ष (2024-25)					
	एचटीएम		एफवीटीपीएल		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम		एचटीएम		एफवीटीपीएल		अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य	एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य	एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश												
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	157856.53	156089.90		6114.31			133887.15	135689.07	7923.77	0.00		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
(iii) शेयर	0.00	0.00	834.14	74.43			0.00	0.00	63.60	473.27		
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	2033.75	2050.20	9154.77	2477.97			2794.62	2794.34	1888.53	3622.90		
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम												
(vi) अन्य	0.00	0.00	1979.19	6755.49			0.00	0.00	3413.51	878.95		
कुल	159890.28	158140.10	61738.16	15422.20	255.88	693.47	136681.77	138483.41	13289.41	4975.12	262.10	652.44
घटाएँ : मूल्यहास/अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	108.13	0.00	5.35		0.00	0.00	0.00	427.12	5.35	
निवल	159890.28	158140.10	61630.03	15422.20	250.53		136681.77	138483.41	13289.41	4548.00	256.75	
II. भारत के बाहर निवेश												
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	153.02	151.99	2485.73	0.00			132.71	128.19	0.00	0.00		
(ii) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम												
(iii) अन्य निवेश	0.00	0.00	143.00	0.00			0.00	0.00	0.00	7.85		
कुल	153.02	151.99	2628.73	0.00	0.00	0.00	132.71	128.19	0.00	7.85	0.00	0.00
घटाएँ : मूल्यहास/अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	142.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.81	0.00	0.00
निवल	153.02	151.99	2486.62	0.00	0.00		132.71	128.19	0.00	0.04	0.00	0.00
कुल निवेश (I+II)	160043.30	158292.09	64116.65	15422.20	250.53	0.00	136814.48	138611.60	13289.41	4548.04	256.75	0.00

बी. तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(राशि ₹ करोड़ में)

यथास्थिति 31.03.2026									
	एएफएस					एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	
I. भारत में निवेश									
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	49770.06	0.00	0.00	49770.06	6114.31	0.00	0.00	6114.31	
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) शेयर	0.66	0.00	833.49	834.15	127.73	0.00	546.47	674.20	
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	9104.24	0.00	50.53	9154.77	4113.14	1488.36	316.87	5918.37	
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम									
(vi) अन्य	1910.73	0.00	68.46	1979.19	7686.14	0.00	208.25	7894.39	
कुल	60785.69	0.00	952.48	61738.17	18041.32	1488.36	1071.59	20601.27	
II. भारत के बाहर निवेश									
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	2485.73	0.00	0.00	2485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम									
(iii) अन्य निवेश	0.80	0.00	142.20	143.00	0.06	0.00	9.01	9.07	
कुल	2486.53	0.00	142.20	2628.73	0.06	0.00	9.01	9.07	
कुल निवेश (I+II)	63272.22	0.00	1094.68	64366.90	18041.38	1488.36	1080.60	20601.34	

तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(राशि ₹ करोड़ में)

	यथास्थिति 31.03.2025						
	एएफएस			एफवीटीपीएल			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	54754.47	0.00	0.00	54754.47	7923.77	0.00	0.00
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.62	0.00	729.65	730.27	63.60	0.00	473.27
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	7455.76	858.42	56.11	8370.29	3006.15	2110.38	394.89
(v) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम							
(vi) अन्य	4239.43	0.00	68.46	4307.89	4102.40	0.00	190.06
कुल	66450.28	858.42	854.22	68162.92	15095.92	2110.38	1058.22
II. भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	2365.95	0.00	0.00	2365.95	0.00	0.00	0.00
(i) अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम							
(iii) अन्य निवेश	0.58	0.00	128.08	128.66	0.04	0.00	7.81
कुल	2366.53	0.00	128.08	2494.61	0.04	0.00	7.81
कुल निवेश (I+II)	68816.81	858.42	982.30	70657.53	15095.96	2110.38	1066.03
							18272.37

सी. एएफएस आरक्षित निधि और लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानियाँ)
(राशि ₹ करोड़ में)

	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
मान्यता प्राप्त एएफएस आरक्षित निधि में	225.96	121.17
मान्यता प्राप्त लाभ-हानि खाते में	(199.77)	(273.82)

डी. एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
ए)	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	136814.48	125527.81
बी)	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	6362.19	7877.55
सी)	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों के वहन मूल्य*	4650.57	5441.14
डी)	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी - सी)	1711.62	2436.41
ई)	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ (ई = डी ÷ ए)	1.25%	1.95%
एफ)	एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित राशि, जिन्हें लाभ पर बेचा गया था।	42.56	0.00

*आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के वहन मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

ई. निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, निवेश की श्रेणियों के बीच कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया।

एफ. अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
i) निवेश मूल्यहास और निवेश पर एनपीआई के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
ए) अथ शेष	703.39	4317.94
बी) घटाएँ: मूल्यांकन संबंधी नई आरबीआई नीति के अनुसार, एनपीआई निवेश का बही मूल्य और निवेश पर मूल्यहास प्रावधान घटा दिया गया	0.00	3159.27
सी) निवल शेष (ए-बी)	703.39	1158.67
डी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	79.24	44.52
ई) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों की बढ़े-खाते में डालना / वापस लेना / विनिमय अंतर	171.95	499.80
एफ) अंतिम शेष (सी+डी-ई)	610.68	703.39
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियों का संचलन		
ए) अथ शेष	2000.00	1360.01
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	0.00	639.99
सी) घटाएँ: आहरण	0.00	0.00

डी) अंतिम शेष	2000.00	2000.00
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी(देशी) में निवेश*के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.44%	2.33%

* निवल मूल्य ह्रास (निवल मूल्य वृद्धि को नहीं माना गया है) को घटाने के बाद निहित मूल्य अर्थात तुलन पत्र में प्रदर्शित निवल राशि

जी. गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
ए)	अथ शेष	658.85	2658.38
बी)	घटाएँ : मूल्यांकन संबंधी नई आरबीआई नीति के अनुसार, एनपीआई निवेश का बही मूल्य कम किया गया	0.00	1546.36
सी)	निवल शेष (ए - बी)	658.85	1112.02
डी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	76.48	42.03
ई)	उक्त अवधि के दौरान घटत	158.12	495.20
एफ)	अंतिम शेष	577.21	658.85
जी)	धारित कुल प्रावधान	577.21	658.85

(ii) गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थानन की सीमा		'निवेश स्तर से निम्न वर्ग' की प्रतिभूतियों की मात्रा		'दर निर्धारण नहीं की गई' प्रतिभूतियों की मात्रा		सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25
ए)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	22898.78	22725.41	19708.68	20007.95	75.71	39.00	1120.58	1289.38	19098.52	19175.10
बी)	वित्तीय संस्थाएं	9835.98	9514.08	4518.71	2974.11	0.00	0.00	627.51	538.80	1209.51	1224.56
सी)	बैंक	9572.29	8928.9	734.18	1081.83	0.00	0.00	62.33	23.57	5881.95	4549.30
डी)	निजी कॉर्पोरेट	2019.38	1908.44	1367.65	1220.84	215.71	208.99	808.14	978.49	730.87	910.17
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	255.88	262.10	255.88	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.01	183.23
एफ)	अन्य	4880.15	4029.19	2162.6	1381.56	0.00	0.00	2241.40	1530.53	1247.76	948.99
जी)	घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	610.68	703.39	151.11	135.79	151.11	135.79	151.11	135.79	151.11	135.79
	कुल	48851.78	46664.73	28596.59	26792.60	140.31	112.20	4708.85	4224.98	28194.51	26855.55

एच. रेपो लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		यथास्थिति 31 मार्च 2026 को बकाया	
	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी	एफ वी	एम वी
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	16118.92	16129.45	3198.66	3216.32	16118.92	16129.45
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	1489.45	1524.75	90.12	89.85	0.00	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

आई. सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	विगत वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दौरान दैनिक औसत बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	विगत वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया	विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. आस्ति गुणवत्ता
ए. धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	2025-26						2024-25					
	मानक	अनर्जक				कुल	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम		कुल मानक अग्रिम	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए												
अथ शेष	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80
जोड़: वर्ष के दौरान जोड़					4932.42	4932.42					5786.46	5786.46
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					9921.26	9921.26					8713.91	8713.91
अंतिम शेष	653923.35	1528.86	4092.71	7568.45	13190.02	667113.37	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50
सकल एनपीए में कमी के कारण:												
(i) उन्नयन					657.67	657.67					921.24	921.24
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर और अन्य को विनिमय अंतर के रूप में शामिल करें)					2568.03	2568.03					2917.83	2917.83
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन					6005.14	6005.14					4169.54	4169.54
iv) इनके अलावा अन्य अपलेखन (iii) उपरोक्त					690.41	690.41					705.30	705.30
V) कोविड अधिस्थगन किस्त रिवर्सल					0.00	0.00					0.00	0.00
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)												
धारित प्रावधानों का अथ शेष	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1832.61	1832.61					3444.03	3444.03
घटाएं: अतिरिक्त प्रत्यावर्तित प्रावधान / अपलिखित ऋण					6676.69	6676.69					5043.25	5043.25
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	10574.39	491.73	4011.04	7465.24	11968.01	22542.40	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06
निवल एनपीए												
अथ शेष		1109.56	0.00	0.00	1109.56			2210.30	12.29	0.00	2222.58	
जोड़: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					3099.81						2342.43	

	2025-26					2024-25				
	मानक	अनर्जक				मानक	अनर्जक			
	कुल मानक अग्रिम	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल	कुल मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3244.49					
अंतिम शेष		964.88	0.00	0.00	964.88			1109.56	0.00	0.00
अस्थायी प्रावधान										
अथ शेष						70.76				
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00				
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00				
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						70.76				70.76
तकनीकी अपलेखन और उस पर की गई वसूली										
तकनीकी / प्रूडेंशियल अपलेखन खातों का अथ शेष					40257.14					
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन					6005.14					
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन खातों से की गई वसूली					3260.51					
अंतिम शेष					43001.77					40257.14

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2026	31.03.2025
सकल अग्रिम के सापेक्ष सकल एनपीए	1.98	3.09
निवल अग्रिम के सापेक्ष निवल एनपीए	0.15	0.19
एयूसी सहित प्रावधान कवरेज अनुपात	98.28	98.10
एयूसी रहित प्रावधान कवरेज अनुपात	92.68	93.90

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र	31.03.2026			31.03.2025		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	150926.58	7078.38	4.69%	135202.70	8582.31	6.35%
बी)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के तहत पात्र उद्यमी को अग्रिम	41183.20	2067.80	5.02%	35837.11	2940.65	8.21%
सी)	सेवाएं	61490.69	1963.12	3.19%	53325.39	3817.28	7.16%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	17455.80	144.18	0.83%	10818.42	432.89	4.00%
	उप-योग (i)	271056.27	11253.48	4.15%	235183.62	15773.13	6.71%
ii)	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	2223.07	50.34	2.26%	2424.76	19.87	0.82%
बी)	उद्योग	88382.23	486.69	0.55%	84859.59	411.13	0.48%
सी)	सेवाएं	181511.58	633.12	0.35%	157393.46	841.58	0.53%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	123940.22	766.39	0.62%	108279.07	1133.16	1.05%
	उप-योग (ii)	396057.10	1936.54	0.49%	352956.87	2405.73	0.68%
	कुल (i+ii)	667113.37	13190.02	1.98%	588140.50	18178.86	3.09%

सी. विदेशी आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
कुल आस्तियाँ	53200.43	44873.37
कुल एनपीए	1463.34	1324.37
कुल राजस्व	2503.23	2432.53

डी. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

(i) 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025' संबंधी दिनांक 28.11.2025 के आरबीआई मास्टर निर्देश डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 का प्रभाव निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित हुई ऋण की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2026 को ऋण की राशि	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	31.03.2026* तक पहले से ही (डी) में से प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(इ)
8648.09	8615.37	8615.37	264.08	264.08

* इसमें यथास्थिति 31.03.2026 के अनुसार, एनपीए खाते के गैर-निधि बकाया पर ₹239.68 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

(ii) समाधान योजना और पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण प्राप्त शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रतिभूति का नाम	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य (रु.)	बही मूल्य (रु.)
बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (ईक्यू)	1	11,72,52,693.00	11,72,52,693.00	11.73
बजाज हिंद लिमिटेड (सीसीपीएस)	100	3,26,03,449.83	3,26,03,44,983.00	3.26
एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड	10	2,01,51,801.00	20,15,18,010.00	62,47,05,831.00

ई. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

हमारे बैंक में आरबीआई के मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28.11.2025 (01.04.2026 को अद्यतित), जो 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025' पर आधारित है, के तहत विचलन निर्धारित सीमा के भीतर है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन संबंधी कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

एफ. ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

आरबीआई के मास्टर निर्देश डीओआर.एसटीआर.आरईसी.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025 "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

i. डिफाल्ट वर्ग में न रखे गए ऋणों के अधिग्रहण का विवरण :

अधिग्रहण की विधि : प्रत्यक्ष समनुदेशन

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	लागू नहीं	1768.34	लागू नहीं
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	लागू नहीं	12.90	लागू नहीं
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	लागू नहीं	1.10	लागू नहीं
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	लागू नहीं	10%	लागू नहीं
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	लागू नहीं	251%	लागू नहीं
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	लागू नहीं	एएए: रु.1768.34 करोड़	लागू नहीं

31 मार्च, 2025 को समाप्त विगत वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहीत ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	लागू नहीं	1500.00	603.69
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	लागू नहीं	15.61	4.64
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	लागू नहीं	3.22	0.93
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	लागू नहीं	10%	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	लागू नहीं	131%	174%
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	लागू नहीं	एएए रु. 1500 करोड़	एएए: 458.90 करोड़ एए: रु.97.28करोड़ ए: रु.47.51 करोड़

आरबीआई के मास्टर निर्देश डीओआर.एसटीआर.आरईसी.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025 “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम का अंतरण एवं वितरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

अधिग्रहण की विधि : सह-उधार / ऋण भागीदारी

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2025 को समाप्त विगत वर्ष के दौरान अंतरित/प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई
अर्जित ऋणों का सकल मूलधन (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य	शून्य
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की अवधारणा (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (%)	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य के आधार पर अर्जित ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	शून्य	शून्य

ii. डिफॉल्ट रूप से अंतरित नहीं किए गए ऋणों का विवरण: शून्य

iii. दबावग्रस्त ऋण अंतरण का विवरण:

(खातों की संख्या को छोड़कर राशि ₹ करोड़ रुपये में)

01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए खाते) का विवरण			
विवरण	एआरसी को	अंतरित करने वालों के लिए अनुमत	अन्य अंतरित करने वालों के लिए
खातों की संख्या	6	1	शून्य
अंतरित सकल मूलधन बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	342.07	7.61	
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-	
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	
सकल राशि (₹ करोड़ में)	268.33	6.00	
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की प्राप्ति	-	-	

बैंक ने दबावग्रस्त ऋण की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के 88.58 करोड़ रुपये की राशि को प्रत्यवर्तित कर दिया है।

iv. वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण: शून्य

- v. 31.03.2026 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण निम्नानुसार है:

आरबीआई द्वारा 29 मार्च, 2025 को जारी सरकारी गारंटीकृत धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को परिवर्तित कर सकते हैं, यदि कोई ऋण निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, और बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं। ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य की गणना करके ऐसे एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को बैंक के पास सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर हैं, जिनका अंकित मूल्य रु. 634.82 करोड़ है। बैंक एसआर में अपने निवेश का मूल्यांकन एआरसी को अंतरित करने के समय दबावग्रस्त ऋणों के निवल बही मूल्य या ऐसे एआरसी द्वारा घोषित एनएवी में से जो भी कम हो, उस पर कर रहा है। बैंक विवेकपूर्ण आधार पर इस तरीके से एसआर का मूल्यांकन करना जारी रखेगा और एसआर पर राजस्व केवल वसूली/मोचन या सरकार द्वारा दावों की स्वीकृति, यदि कोई हो, की वास्तविक प्राप्ति पर दर्ज करेगा।

वसूली रेटिंग	बही मूल्य	
	राशि रुपयों में	राशि करोड़ में
आरआर 1+ (150% से अधिक)	3.00	0.00
आरआर 1 (100% से अधिक 150% तक)	12.26	0.00
आरआर 2 (75% से अधिक 100% तक)	2.09	0.00
आरआर 3 (50% से अधिक 75% तक)	3.78	0.00
आरआर 4 (25% से अधिक 50% तक)	2.35	0.00
आरआर 5 (25% तक)	1.00	0.00
रेटिंग रहित	462.56	0.00
कुल	487.04	0.00

जी. प्रतिभूति रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	विगत 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों में जारी एसआर	8 वर्षों से भी पहले जारी एसआर
(i)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	0.00	0.00	0.00

एच. सह-ऋण व्यवस्था संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025 "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - क्रेडिट जोखिम अंतरण एवं वितरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, कुल आधार पर सह-ऋण व्यवस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यथास्थिति 31.03.2026
i.	सीएलए की मात्रा	शून्य
ii.	यथास्थिति को बकाया कुल मूलधन (रु. करोड़ में)	
iii.	भारित औसत ब्याज दर	
iv.	प्रभारित शुल्क (रु. करोड़ में)	
v.	भुगतान शुल्क (रु. करोड़ में)	
vi.	प्रमुख क्षेत्र जिनमें सीएलए की व्यवस्था की गई है	
vii.	सीएलए के तहत ऋणों का निष्पादन (रु. करोड़ में) ए. एनपीए बी. मानक	
viii.	चूक हानि गारंटी से संबंधित विवरण, यदि कोई हो (रु. करोड़ में)	

आई. धोखाधड़ी खाते

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या*	188	2169
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	1737.25	2112.39
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	1700.75	228.08
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधि ' से नामे किए गए परिशोधित प्रावधान की राशि	0	0

*इसमें ₹ 1692.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2080.31 करोड़) की राशि की अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी के 127 मामले (पिछले वर्ष 113 मामले) शामिल हैं। ऐसे खातों में 31.03.2026 तक बकाया राशि ₹ 1658.27 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 220.83 करोड़) है, जिसके लिए ₹ 1657.93 करोड़ (विगत वर्ष ₹209.51 करोड़) का पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

जे. परियोजना वित्त संबंधी प्रकटीकरण

आरबीआई के मास्टर निर्देश डीओआर.एसटीआर.आरईसी.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025 “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त संपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान लागू की गई समाधान योजनाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	तिमाही के प्रारंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते*	135	12710.23
2	तिमाही के दौरान संस्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	59	1018.97
3	कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते जहाँ तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है	20	1597.31
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते (1+2-3)	174	12131.89
5	'4' में से – ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू किया गया है।	34	3437.30
5.1	'5' में से – ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वित की जा चुकी है।	16	1660.49
5.2	'5' में से – ऐसे खाते जो समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	9	1630.70
5.3	'5' में से – ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना विफल रही है।	-	-
6	'5' में से, ऐसे खाते जहाँ परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	1	15.77
7	'5' में से, ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध लागत वृद्धि को वित्तपोषित किया गया था।	8	130.34
7.1	'7' में से, ऐसे खाते जहाँ वित्तीय पूर्णता के दौरान एसबीसीएफ संस्वीकृत किया गया था एवं उसे लगातार नवीनीकृत किया गया था।	-	-
7.2	'7' में से, ऐसे खाते जहाँ एसबीसीएफ पूर्व-संस्वीकृत नहीं थी या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था।	-	-
8	'4' में से – ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है।	-	-
8.1	'8' में से – ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वित की जा चुकी है।	-	-
8.2	'8' में से – ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	-	-
8.3	'8' में से – ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना विफल रही है।	-	-

* खातों की संख्या के संदर्भ में

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान लागू की गई समाधान योजनाओं से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	तिमाही के प्रारंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	125	12250.75
2	तिमाही के दौरान संस्वीकृत कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	19	107.04
3	कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते जहाँ तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है	9	364.58
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते (1+2-3)	135	11993.21
5	'4' में से – ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू किया गया है।	11	1334.59

5.1	5' में से - ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वित की जा चुकी है।	3	460.20
5.2	5' में से - ऐसे खाते जो समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	8	874.39
5.3	5' में से - ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना विफल रही है।	-	-
6	5' में से, ऐसे खाते जहाँ परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	-	-
7	5' में से, ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध लागत वृद्धि को वित्तपोषित किया गया था।	-	-
7.1	7' में से, ऐसे खाते जहाँ वित्तीय पूर्णता के दौरान एसबीसीएफ संस्वीकृत किया गया था एवं उसे लगातार नवीनीकृत किया गया था।	-	-
7.2	7' में से, ऐसे खाते जहाँ एसबीसीएफ पूर्व-संस्वीकृत नहीं थी या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था।	-	-
8	4' में से - ऐसे खाते जहाँ मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तारण से संबद्ध समाधान प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है।	-	-
8.1	8' में से - ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वित की जा चुकी है।	-	-
8.2	8' में से - ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	-	-
8.3	8' में से - ऐसे खाते जहाँ समाधान योजना विफल रही है।	-	-

के. एमएसएमई प्रकटीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों डीबीआर. सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020, और डीओआर. एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के आधार पर योजना के तहत एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	यथास्थिति 31.03.2026 को बकाया (राशि रु. करोड़ में)
21810	805.32

आई. कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

आरबीआई के मास्टर निर्देश आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी. आरईसी.सं.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28.11.2025 (यथास्थिति 01.04.2026 को अद्यतित) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025' के अनुसार, कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत लागू की गई समाधान योजना का 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- 30.09.2025 को स्थिति (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो 31-03-2026 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) 31-03-2026 को समाप्त छमाही के दौरान बड़े खाते में डाली गई राशि	(ए) 31-03-2026 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- 31-03-2026 को स्थिति
1	व्यक्तिगत ऋण	3404	46	0	228	3130

2	कॉर्पोरेट व्यक्ति*	391	2	0	61	328
	जिसमें से एमएसएमई	187	2	0	56	129
3	अन्य	446	32	0	71	343
	कुल (1+2+3)	4241	80	0	360	3801

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

5. एक्सपोजर

ए. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(राशि रु करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
ए) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूति उधार दिया जाना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा ले लिया गया है या ले लिया जाएगा या किराए पर लिया गया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋणों में से **	77964.19 (15701.40)	68824.09 (8694.68)
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट- वाणिज्यिक रियल एस्टेट (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि)** पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार।	20025.70	18575.93
सी) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश		
i) आवासीय	शून्य	शून्य
ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि एक्सपोजर	19604.46	19386.61
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	117594.35	106786.63

** एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं;

बी. पूँजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
i) प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशिष्ट रूप से मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	1582.44	1289.57
ii) वैयक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) संपरिवर्तनीय बॉण्डों एवं संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्डों /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष या निर्बंध रूप में अग्रिम;	शून्य	0.04
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	89.27	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्वक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात जहां शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों या संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती है ;	शून्य	शून्य
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां;	974.75	964.91
vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन;	शून्य	शून्य
x) उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर।	173.41	190.06
पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर	2819.87	2444.58

सी. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2026 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2026 तक धारित प्रावधान	31.03.2025 तक एक्सपोजर (निवल)	31.03.2025 तक धारित प्रावधान
नगण्य	24921.38	-	19814.45	12.57
न्यून	9928.43	-	7847.27	-
मामूली न्यून	9.95	-	789.87	-
मामूली	475.91	-	517.13	-
मामूली अधिक	34.11	-	595.17	-
अधिक	1643.86	-	0.61	-
अत्याधिक	0.00	-	636.71	-
कुल	37013.64	-	30201.21	12.57

देशीय का जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने 31.03.2026 तक, विभिन्न देशों में अपने निवल वित्तपोषित एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर के अलावा अन्य देशों में इस तरह का एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% की शर्त के भीतर है। अतः 31.03.2026 तक बैंक के लिए देश जोखिम का प्रावधान शून्य है।

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल), यदि हो, के अतिक्रमण का विवरण

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर का प्रतिशत
शून्य				

डी. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र:

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में शाखाओं ने आयात के वित्तपोषण के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। 31.03.2026 को बकाया राशि शून्य है। अतः कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

31.03.2026 समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर और कोलंबो) और गिफ्ट सिटी शाखा द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है और यथास्थिति 31.03.2026 को बकाया शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को दिए गए उत्तरदायित्व पत्र के अनुसार, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंगापुर शाखा हर समय अच्छी तरलता और मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखे। तदनुसार, बैंक ने सिंगापुर शाखा में यूएसडी 43.00 एमआईओ (भारतीय मुद्रा में रु. 407.79 करोड़ के समकक्ष) की जमा राशि बनाए रखना जारी रखा है।

बैंक ने सीबीएसएल की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (सीबीएसएल) के पक्ष में श्रीलंकाई शाखाओं के लिए एलओयू जारी किया है। बैंक श्रीलंका में अपने व्यवसाय के संबंध में या उससे संबंधित सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने का वचन देता है। इस जारी एलओयू के कारण तत्काल निकट भविष्य में हमें किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

बैंक ने आईएफएससी की अनिवार्य अपेक्षा के अनुसार आईएफएससी, एसईजेड गिफ्ट सिटी, गुजरात में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससी) के पक्ष में एलओसी जारी किया है। बैंक आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में हमारे आईबीयू/एफबीयू के लिए पूंजी और तरलता सहायता के रूप में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का वचन देता है। बैंक को जारी एलओसी के कारण निकट भविष्य में किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।

ई. अप्रतिभूत अग्रिम

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	104126.22	70610.23
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

एफ. फैक्टरिंग एक्सपोजर:

31 मार्च 2026 तक बैंकों का फैक्टरिंग एक्सपोजर शून्य है। (विगत वर्ष: शून्य)

जी. इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर

(राशि रु करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2025-26	2024-25
1	इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1080.63	1311.85
2	शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1080.63	1311.85
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.12%	0.17%

4	इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, संबंधी सीमा के उल्लंघन का विवरण, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

एच. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाई है। जिन मामलों में कोई स्वाभाविक बचाव नहीं है, आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में ग्राहकों को वायदा बीमा का सुझाव दिया जाता है। वायदा बीमा, विनिमय जोखिम पर अरक्षित जोखिम को कम करने के रूप में कार्य करेगा। सुविधाओं को मंजूरी देते समय, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी मुद्राओं में सभी एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जिसमें चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र शामिल है) वायदा बीमा द्वारा कवर किया गया है। वायदा बीमा की छूट पर विचार करने का अनुरोध, यदि कोई हो, पर केवल कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, अरक्षित एक्सपोजर को कैप्चर कर लिया जाता है और क्रेडिट प्रस्तावों में इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई के 28 नवंबर, 2025 के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन संबंधी मास्टर निर्देश के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर ₹116 करोड़ का प्रावधान और ₹36.08 करोड़ की पूंजी प्रदान की है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेन्द्रण

ए) जमा का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	49267	39204
बैंक की कुल जमाराशियों के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	5.95%	5.32%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	77521.76	65616.89
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	9.11%	8.83%

सी. एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	84945.38	69839.83
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के सापेक्ष बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत/	9.63%	9.04%

डी. एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
शीर्ष बीस खातों में कुल एक्सपोजर	1258.21	1069.83
कुल सकल एनपीए के सापेक्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	9.54%	5.89%

7. व्युत्पत्ती

ए) व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 1	चरण 2	चरण 3
ब्याज दर व्युत्पन्नी						
एमटीएम - आस्तिग्रां	(0.28)	-	-	(2.21)	-	-
एमटीएम - देयताएं	0.36	-	-	2.29	-	-
चालू वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल अभिलाभ /हानि	0.08	-	-	0.08	-	-
विनिमय दर व्युत्पन्नी						
एमटीएम - आस्तिग्रां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
चालू वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल अभिलाभ /हानि	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट जोखिम व्युत्पन्नी						
एमटीएम - आस्तिग्रां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम - देयताएं	-	-	-	-	-	-
चालू वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल अभिलाभ /हानि	-	-	-	-	-	-
अन्य व्युत्पन्नी (निर्दिष्ट)						
एमटीएम - आस्तिग्रां	(4625.65)	-	-	(1066.00)	-	-
एमटीएम - देयताएं	3703.71	-	-	1421.74	-	-
चालू वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में दर्ज निवल अभिलाभ /हानि	(921.94)	-	-	355.74	-	-

बी) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i) स्वैप समझौतों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii) यदि समझौते के तहत प्रतिपक्षी, अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

सी) एक्सचेंज में खरीदे गए ब्याज दर व्युत्पन्नी

(राशि रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2025-26	2024-25
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी का अनुमानित मूलधन (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथास्थिति 31 मार्च को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार)	230.00	400.00
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	230.00	400.00
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के बाजार मूल्य की बही में अंकित राशि का बकाया तथा "अधिक प्रभावात्मक" न रहनेवाले (लिखत वार)	0.08	0.08

सी) व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम संबंधी प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ-साथ देयताओं की हेजिंग की अनुमति देती है। हेजिंग लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति/ देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैंक-ऑफिस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है। व्युत्पन्नी उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक की नीति ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्वकारी लेनदेन की अनुमति देती है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्नी उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ एवं हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला-बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र की तिथि को अदला-बदली की समाप्ति से प्राप्त या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे उत्पन्न हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्नी उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होनेवाला लाभ और हानि, बैंक के लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
ए)	व्युत्पन्नी (आनुमानिक मूलधन)				
	क) हेजिंग के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	230.00	0.00	400.00
बी)	बाजार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.36	0.00	2.29
	ख) देयता (-)	0.00	0.28	0.00	2.21
सी)	ऋण एक्सपोजर	0.00	1.51	0.00	3.98

डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100* पीवी 01)				
	i) हेजिंग व्युत्पन्नी पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार व्युत्पन्नी पर	0.00	0.05	0.00	0.06
ई)	वर्ष के दौरान पाए गए 100 * पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	i) हेजिंग पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) व्यापार पर	0.00	0.00	0.00	0.00

डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप: शून्य

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/राशि रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की बुक के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन पत्र के एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य

	बी) तुलन पत्र के एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर • पहली हानि • अन्य	शून्य	शून्य
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6	लिक्विडिटी सपोर्ट, पोस्ट-सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।	शून्य	शून्य
7	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण में वृद्धि, लिक्विडिटी सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से उल्लेख करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। (ए) प्रदत्त राशि (बी) चुकौती प्राप्त (सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8	अतीत में पाए गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	शून्य	शून्य
10	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) बकाया शिकायतें	शून्य	शून्य

9. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम

देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
डीईएफ को अंतरित राशियों की प्रारंभिक शेष राशि	3633.99	3234.22
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि को अंतरित राशि	529.87	513.76
घटाए : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	327.77	113.99
डीईए निधि को अंतरित राशि का अंतिम शेष	3836.09	3633.99

नोट: यथास्थिति 31.03.2026 को डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष रु.3836.09 (यथास्थिति 31.03.2025 के अनुसार रु

3633.99) है, जिसका प्रकटीकरण ऊपर किया गया है, इसे अनुसूची -12 'आकस्मिक देयताएं-अन्य' के तहत भी शामिल किया गया है, जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल* के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों संबंधी संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	3017	569
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	152197	111167
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	150605	108719
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	12704	10081
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	4609	3017
बैंकिंग लोकपाल से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या			
5	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	5154	5118
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निराकृत शिकायतों की संख्या	5010	4958
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से निराकृत शिकायतों की संख्या	88	99
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद निराकृत शिकायतों की संख्या।	0	3
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णय के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

* पूर्व में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायत के विषय)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5) में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2025-26					
एटीएम डेबिट कार्ड	337	31863	6.93%	480	12*
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	1764	69742	52.90%	3200	50*
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	301	17646	35.84%	213	0
ऋण और अग्रिम	166	8096	32.93%	123	0
क्रेडिट कार्ड	7	1201	(39.88%)	7	0
अन्य	442	23649	61.06%	586	0
कुल	3017	152197	36.91%	4609	62*

2024-25					
एटीएम डेबिट कार्ड	135	29796	(5.55%)	337	14*
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	193	45610	150.37%	1764	48*
ऋण और अग्रिम	60	12990	65.62%	301	0
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	54	6090	40.38%	166	0
क्रेडिट कार्ड	7	1998	92.85%	7	0
अन्य	120	14683	(44.06%)	442	0
कुल	569	111167	24.58%	3017	62*

*नोट: 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित प्रौद्योगिकी शिकायतें नियामकों (एनपीसीआई/आरबीआई) द्वारा निर्धारित टीएटी के अंतर्गत हैं।

12. जुर्माने का प्रकटीकरण

12.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26		वि.व. 2024-25	
	घटनाओं की संख्या	राशि	घटनाओं की संख्या	राशि
गंदे नोटों के विप्रेषण में विसंगतियाँ	232	0.05	163	0.29
आरबीआई द्वारा मुद्रा तिजोरी का निरीक्षण	47	0.16	52	0.12
आरबीआई द्वारा शाखाओं का गुप्त दौरा	21	0.03	26	0.03
ई-कुबेर में विलंबित/गलत रिपोर्टिंग	01	0.00	02	0.01
एटीएम कैश आउट	05	0.01	14	0.01
कुल	306	0.25	257	0.46

12.2 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 24.03.2026 के पत्र के माध्यम से एसजीएल खाते में सुरक्षा राशि की कमी के कारण बैंक पर रु.5,00,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

12.3 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बैंक पर रु.1,61,40,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया; यह जुर्माना निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में पात्र राशि का अंतरण न करने और आरबीआई द्वारा 'अग्रिम पर ब्याज दर', 'किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना' और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने' से संबंधित जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर लगाया गया था।

13. नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
लाभ और हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ	12155.65	10918.29
निम्न हेतु समायोजन :		
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	1832.61	3444.03
निवेश हेतु प्रावधान	59.99	(252.65)
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	1586.92	853.44

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
कर हेतु प्रावधान	4248.07	3868.64
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	129.98	28.96
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	596.40	532.15
पूँजी लिखत पर ब्याज	360.03	600.04
भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.22)	(1.69)
अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	(2.63)	(2.63)
आयकर प्रदत्त	(1502.00)	0.00
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व लाभ	19464.80	19988.58
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(20360.87)	(11812.43)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(85649.64)	(59626.15)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(820.19)	2209.20
	(106830.70)	(69229.38)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमा में वृद्धि / (कमी)	90572.74	49153.56
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	10184.57	20376.44
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	5393.60	(2938.17)
	106150.91	66591.83
परिचालन (ए) से सृजित निवल नकदी	18785.01	17351.03
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम से लाभांश आय	2.63	2.63
अचल आस्तियों की खरीद	(440.99)	(522.54)
अचल आस्तियों की बिक्री	24.79	191.14
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(413.57)	(328.77)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(2188.82)	(1616.36)
ए टी 1 बॉण्डों का मोचन	(2000.00)	0.00
टियर 2 बॉण्डों का मोचन	(3000.00)	(2000.00)
पूँजी लिखत पर ब्याज	(460.30)	(647.15)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(7649.12)	(4263.51)
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	10722.32	12758.75
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1312.61	1304.15
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	24768.04	31134.61
(बी) अन्य जमा खातों में	5867.00	264.00

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	133.40	4.20
(बी) अन्य जमा खातों में	1249.05	1573.60
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां		
(ए) बैंक के साथ	0.00	1997.07
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	1638.14	743.35
(बी) अन्य जमा खातों में	19895.38	5084.58
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	4.26	3.57
	54867.88	42109.13
अवधि के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1691.68	1312.61
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष		
(ए) चालू जमा खातों में	21998.88	24768.04
(बी) अन्य जमा खातों में	10364.00	5867.00
बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	24.81	133.40
(बी) अन्य जमा खातों में	2808.90	1249.05
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां		
(ए) बैंक के साथ	0.00	0.00
(बी) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में जमा शेष		
(ए) चालू खातों में	3892.44	1638.14
(बी) अन्य जमा खातों में	24795.80	19895.38
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	13.69	4.26
	65590.20	54867.88
नकदी और नकदी तुल्य के अथशेष और इतिशेष में अंतर	10722.32	12758.75

नोट : 1. पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया गया है।

14. स्टाफ को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

i. परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने रु.0.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु.0.84 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने रु.426.22 करोड़ (विगत वर्ष रु.387.42 करोड़) का अंशदान दिया है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है :

निम्न तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और उपदान योजना का आधार निर्धारित करता है

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2026	31/03/2025
बट्टे की दर -जी -सेक रेट	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.59% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन एवं उपदान के लिए 6.82% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पलायन की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.00% पेंशन के लिए और 8.04% उपदान के लिए	7.95% पेंशन के लिए और 7.90% उपदान के लिए
प्रयुक्त प्रणाली	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2012-14) अल्टीमेट	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी नकदीकरण पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढ़ोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस तरह के अनुमान अत्यंत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अत्यंत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है।

छुट्टी नकदीकरण की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि रु करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - अथशेष एवं इतिशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
ब्याज लागत	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
वर्तमान सेवा लागत	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात/ निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अनअभिज्ञात / अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1608.04	1115.23	536.06	498.82	(73.84)	227.18
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77

(राशि रु करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - अथशेष एवं इतिशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
अंशदान	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
प्रदत्त लाभ	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00

(राशि रु करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1690.52	1531.58	219.95	162.98	0.00	0.00

(राशि रु करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	(1608.04)	(1115.23)	(536.06)	(498.82)	73.84	(227.18)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0	0.00	0	0.00	0	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- योजना आस्तियां	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
वर्ष के दौरान अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
वर्ष के अंत में अनअभिज्ञात गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)

(राशि रु करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00

अन्तर. निवल (देयता) / तुलन पत्र में अभिज्ञात आस्ति	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77
अनअभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनअभिज्ञात विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात देयता	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77

(राशि रु करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
ब्याज लागत	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1657.76)	(1529.11)	(193.91)	(162.97)	0.00	0
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में अभिज्ञात है	1575.28	1112.76	510.02	498.81	(73.84)	227.18
इस वर्ष में अभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात व्यय	2831.71	2176.00	723.24	633.74	407.05	617.94

(राशि रु करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
निवल देयता का अथ शेष	(579.32)	(710.85)	(172.75)	(64.28)	(1876.77)	(1580.19)
उपर्युक्तानुसार व्यय	(2831.71)	(2176.00)	(723.24)	(633.74)	(407.05)	(617.94)
प्रदत्त अंशदान	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
अंतिम निवल देयता	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	(1959.70)	(1876.77)

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (i) पिछले वर्ष 2021-26 - पेंशन	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61	23687.58
योजना आस्तियां	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29	23006.31
अधिशेष/ (घाटा)	-357.87	-653.10	-640.40	-710.85	-579.32	-681.27
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	-1542.88	-1741.31	-1689.97	-1010.11	-1115.23	1608.04
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	-193.89	12.57	13.28	9.93	2.47	32.76

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (ii) पिछले वर्ष 2021-26 - उपदान	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49	3348.67
योजना आस्तियां	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74	3190.63
अधिशेष/ (घाटा)	49.04	19.07	(32.61)	(64.28)	(172.75)	(158.04)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/लाभ	23.06	(30.26)	(63.18)	(139.12)	(498.82)	(536.06)

योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01	26.04

(राशि रु करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं संबंधी अनुभव समायोजन (iii) पिछले वर्ष 2021-26- छुट्टी नगदीकरण	को समाप्त वर्ष					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77	1959.70
योजना आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
अधिशेष /(घाटा)	(977.42)	(1004.75)	(1189.46)	(1580.19)	(1876.77)	(1959.70)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन -(हानि)/लाभ	7.62	(77.35)	(187.82)	(328.14)	(227.18)	73.84
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन -(हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2025-26		2024-25	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	19.24%	12.71%	21.48%	16.81%
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड/पीएसयू बांड	12.47%	6.94%	15.06%	10.26%
विशेष जमा योजना	0.04%	0.02%	0.05%	0.03%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	68.19%	80.33%	63.34%	72.90%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.06%	0.00%	0.07%	0.00%
मनी मार्केट	-	-	-	-
कुल	100%	100%	100%	100%

iii) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹ 33.52 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 93.87 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(अवलिखित) प्रावधानों का विवरण:

(राशि रु करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2026	31.03.2025
1.	चिकित्सा छुट्टी	15.85	9.39
2.	आकस्मिक छुट्टी	1.54	1.54
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	16.13	82.94
कुल		33.52	93.87

नोट: शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

15. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एस-10)

15.1 बैंक के परिसर में भूमि एवं भवन शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त उचित बाजार मूल्य के आधार पर परिसरों का पुनर्मूल्यन किया है। परिसर के पुनर्मूल्यन की राशि में ₹1510.28 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" में जमा किया गया है। वर्ष 2025-26 हेतु ₹140.30 करोड़ (विगत वर्ष ₹107.07 करोड़) की मूल्यहास राशि व्यय के तहत ली गई थी और पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर ₹133.24 करोड़ (विगत वर्ष ₹100.21 करोड़) की मूल्यहास राशि को "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाता" के सापेक्ष समायोजित किया गया है।

15.2 परिसर में 8(7+1*) परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनकी मूल लागत ₹8.38 करोड़ है (विगत वर्ष 9 (7+2) परिसंपत्तियाँ जिनकी लागत

₹8.38 करोड़ थी) जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य ₹82.80 करोड़ (विगत वर्ष ₹83.77 करोड़) है, जो मूल्यहास घटाकर ₹0.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.79 करोड़) हो गयी हैं, की पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं।

* हैदराबाद में स्थित रु.1.61 करोड़ की संपत्ति, जिसके नियमितीकरण के लिए तेलंगाना सरकार के यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी लंबित है।

16. पट्टा (एस 19)

ए. पट्टा/किराए के आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में, बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत/रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए गए पट्टा करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेंडर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबन्धित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 499.25 करोड़ है। (विगत वर्ष - रुपए 456.93 करोड़)।

डी. वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि एवं भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-निरसनयोग्य होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टे के किराये और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टे का भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
1 वर्ष के पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
घटाएं : भविष्य के वित्तीय प्रभार				
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

17. इंडियन बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास पहलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 22.09.2008 को इंडियन बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट (आई.बी.टी.आर.डी.) की स्थापना की गई। आई.बी.टी.आर.डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार देश भर में निम्नलिखित संस्थानों को प्रायोजित करता है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के निर्देशानुसार, हमारे बैंक ने ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंड सेटी) के नाम से 38 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित किए हैं। ये संस्थान प्रशिक्षित उम्मीदवारों के नियोजन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने और उम्मीदवारों को उद्यमशील उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण लिकेज की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं।
- जिला स्तर पर मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 44 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गए हैं। ये एफएलसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाते हैं और विभिन्न लक्षित समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, स्कूली बच्चों, एसएचजी सदस्यों, किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों आदि को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं जैसे बैंक खातों के परिचालन के तरीके और उनके लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग चैनल, बैंकिंग उत्पाद, साइबर सुरक्षा आदि के बारे में जागरूक करते हैं।

- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार चयनित जिलों में आरबीआई द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से 142 वित्तीय साक्षरता संबंधी केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर संचालित ये सीएफएल आंशिक रूप से आरबीआई/नाबाई द्वारा वित्तपोषित हैं। वित्तीय साक्षरता के लिए अभिनव और सहभागी दृष्टिकोणों की खोज के उद्देश्य से स्थापित किए गए सीएफएल, महिलाओं, युवा वयस्कों, कामकाजी आबादी के साथ-साथ आबादी के कमजोर वर्गों जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के बीच खाता खोलने, डेबिट/एटीएम कार्ड के उपयोग, ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि पर सत्र आयोजित करते हैं।

ट्रस्ट पैन-इंडिया द्वारा प्रायोजित इंडसेटी, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता संबंधी केंद्रों (सीएफएल) की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है

विवरण	केंद्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवार / भाग लेने वाले प्रतिभागी
इंडसेटी	39	42593
एफएलसी	44	229655
सीएफएल	142	1558592

आईबीटीआरडी के न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकगण द्वारा स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट की लेखा बहियों का लेखापरीक्षण किया जा रहा है।

31.03.2026* को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय और व्यय लेखा

(राशि रु करोड़ में)

व्यय		आय	
इंडसेटी के लिए परिचालन व्यय	27.32	सीएसआर के लिए बैंक द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति	21.44
एफएलसी संबंधी व्यय	0.95	विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति	18.57
सीएफएल संबंधी व्यय	0.55	समायोजन या अत्यधिक भुगतान के कारण विविध जमा	0.32
लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.07		
व्यय से अधिक आय	11.44		
कुल	40.33		40.33

31.03.2026* को समाप्त वर्ष के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रु करोड़ में)

प्राप्ति		भुगतान	
परिचालन खाते में अथ शेष	14.67	इंडसेटी के लिए पूंजीगत व्यय	6.34
इन्फ्रा खाते में अथ शेष	6.20	इंडसेटी, एफएलसी और सीएफएल को प्रतिपूर्ति	22.48
बैंक से सीएसआर अंशदान	21.44	लेखा परीक्षक शुल्क / विविध भुगतान	0.07
प्रत्यक्ष आय	18.57	सीएफएल (90% प्रतिपूर्ति) अंचल को अंतरण	1.49
सीएफएल (90% प्रतिपूर्ति)	1.49	पूर्व अवधि के व्यय	4.90
प्राप्त ब्याज	0.32	परिचालन खाते में अंतिम शेष	24.90
		इन्फ्रा खाते में अंतिम शेष	2.51
कुल	62.69	कुल	62.69

* ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के उपरांत आंकड़े परिवर्तन के अधीन हैं

18. विधि

आकस्मिक देयताओं में मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड का खाता शामिल है, संघीय बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल रु.1602.44 करोड़ की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने संघीय बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया, जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के विरुद्ध कुल रु.406.47 करोड़ का दावा किया गया। वाद में, बचाव के लिए रु.400 करोड़ का भुगतान करने पर सशर्त छूट दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे बैंक के रु.100 करोड़ के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को किया

गया था। सारांश वाद बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किया गया उक्त 100 करोड़ रुपये का विप्रेषण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मेसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफडी खाते (84.09 करोड़ रुपये) को डेबिट करके समायोजित किया गया है जिसमें 31.03.2026 को 15.94 करोड़ के बकाया शेष को शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा दायर संक्षिप्त वाद पर, दिनांक 30.03.2017 के माध्यस्थ पंचाट के रूप में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2025 को बीसीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके तहत दावा विवरण दर्ज की तिथि से 9% प्रति वर्ष ब्याज दर सहित हमारे बैंक को ₹386,08,61,880/- की राशि का 25% (यानी ₹96.52 करोड़) भुगतान करने का निदेश दिया गया, अर्थात् इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष (दिनांक 20.12.2012 के आदेश के साथ पठित दिनांक 24.04.2013 के आदेश के अनुसरण में) जमा की गई रु.100 करोड़ की राशि का क्रेडिट देने के पश्चात, दिनांक 18 अगस्त, 2012 से वसूली की तिथि तक, रु. 25,00,000/- के वाद-व्यय शामिल है।

अतः कुल रु.21.88 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है (बीसीसीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावे हेतु रु.5.94 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है) (विगत वर्ष रु.31.26 करोड़ - संक्षिप्त वाद में डिक्रीत राशि रु.406.47 करोड़ से घटकर रु.96.52 करोड़ होने के कारण प्रावधान में कमी आई है)।

19. लेखा मानक - 17 "खंडवार परिणाम"

1. खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (कारोबार खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :-

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग*
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

*इसके अलावा, 7 अप्रैल 2022 के आरबीआई सर्कुलर डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 के अनुसार रिटेल बैंकिंग खंड को डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा प्राप्त करने और निकालने का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष -

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग निवेश और विदेशी मुद्रा संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः संविभाग निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग-

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह की उधार गतिविधियां शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-राजकोष संचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

- (i) डिजिटल बैंकिंग - 7 अप्रैल, 2022 के आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू कर दिया है। खंड की जानकारी उक्त डीबीयू के परिचालन से संबंधित है।
- (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खण्ड)

i. देशी परिचालन - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ / कार्यालय

ii. विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफ बैंकिंग इकाइयाँ

III. व्यय, आस्ति और देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट/थोक और खुदरा बैंकिंग परिचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजन्य नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें असंबद्ध माना जाता है।

(राशि रु करोड़ में)

भाग ए व्यवसाय खंड	राजकोष		कार्पोरेट/शोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	18739.55	17176.79	25027.09	23857.74	32213.67	29125.71	2.52	1.30	32211.15	29124.41	1460.98	1065.40	77441.29	71225.64
परिणाम	6348.84	6136.63	5503.98	5427.66	6758.35	6519.33	1.20	0.26	6757.15	6519.07	1304.93	914.58	19916.10	18998.20
अनाबंटित व्यय													3512.38	4211.27
परिचालनगत लाभ													16403.72	14786.93
अन्य गैर आबंटनीय आय													0.00	0.00
आयकर													4248.07	3868.64
अपवाद स्वरूप मदें													0.00	0.00
निवल लाभ													12155.65	10918.29
अन्य जानकारी													0.00	0.00
खण्डीय आस्तियां	294517.21	264753.70	304457.62	272792.42	383509.48	330784.34	43.20	23.85	383466.28	330760.49	0.00	0.00	982484.31	868330.46
अनाबंटित आस्तियां													5468.52	5080.20
कुल आस्तियां													987952.83	873410.66
खण्डीय देयताएं	271177.92	243744.04	280330.59	251144.84	353117.91	304534.78	42.00	23.59	353075.91	304511.19	0.00	0.00	904626.42	799423.66
अनाबंटित देयताएं													5035.16	4677.06
पूँजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष													78291.25	69309.94
कुल देयताएं													987952.83	873410.66

भाग बी - भौगोलिक खण्ड					अंतर्राष्ट्रीय			कुल	
देशी		2024-25		2025-26	2024-25		2025-26	2024-25	
राजस्व		74938.06		68793.11	2503.23		2432.53	77441.29	
आस्तियां		934752.40		828537.29	53200.43		44873.37	987952.83	

खंड राजस्व और व्यय को खंड संपत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है, जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया।

20. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस 18):

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

20.1. अनुषंगी संस्थाएं:

क्र.सं.	अनुषंगी संस्था का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11.08.1989	64.84%	मेसर्स आनंद एण्ड पोन्नाप्पन	12.09.2025
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28.01.1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	12.09.2025
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	09.02.2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	12.09.2025

20.2. सहयोगी संस्थाएं :

क्र सं	सहयोगी संस्था का नाम	शेयरधारिता पैटर्न
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुच्चेरी ग्राम बैंक^	35%

*सहयोगी सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसजीबी) के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 पैरा एस.ओ.1635(ई) के तहत एसजीबी का आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, एसजीबी (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) द्वारा प्रायोजित आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1 मई 2025 से विलय हो गया है।

^ केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-24102025-267093 दिनांक 24.10.2025 पैरा एस.ओ.4832(ई) के माध्यम से पुदुच्चेरी भारतियार ग्राम बैंक का नाम बदलकर पुदुच्चेरी ग्राम बैंक कर दिया गया है।

20.3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एस 27)

इकाई का नाम	देश / निवास	सम्बन्ध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

20.4.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री बिनोद कुमार	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16.01.2025
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023
श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024
सुश्री मिनी टी एम	कार्यपालक निदेशक	24.11.2025

20.4.2 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

	नाम	वर्ग	समाप्ति की तिथि	कारण
1	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	01.07.2025	अधिवर्षिता/नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
2	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	28.11.2025	पदत्याग

20.5 गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता:

क्र	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	250
2	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	शेयरधारक निदेशक	150

20.6 संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान रुपये 382.32 लाख (गत वर्ष रुपए 314.07 लाख) पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए गए हैं :

विवरण	2025-26	2024-25
श्री बिनोद कुमार, एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 52.50 लाख	₹ 8.68 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 30.06.2025)	₹ 58.62 लाख	₹ 56.11 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 85.95 लाख	₹ 61.62 लाख
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 79.96 लाख	₹ 46.23 लाख
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 73.36 लाख	₹ 36.90 लाख
सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (24.11.2025 से 31.03.2026)	₹ 15.93 लाख	-
श्री शांति लाल जैन, पूर्व एमडी एवं सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 16.00** लाख	₹ 84.38* लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दिकी^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	-	₹ 17.06 लाख
श्री अश्विनी कुमार ^^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	-	₹ 3.09 लाख

* छुट्टी, ग्रेच्युटी, पीएफ और पेंशन संराशिकरण के नकदीकरण सहित

** पीएलआई और अन्य भत्ते सहित

^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 09.03.2024 तक प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

^^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 01.06.2023 तक प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

20.7 संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार है

(राशि रु करोड़ में)

मद / संबंधित पक्ष	संयुक्त उद्यम
सेवाएं प्रदान करना	1.70
सेवाएं प्राप्त करना	18.89

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार “सरकार-नियंत्रित उद्यम” हैं। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंधों के लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख

प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

21. प्रति शेयर अर्जन (एस 20)

विवरण	2025-26	2024-25
इक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	12155.65	10918.29
इक्विटी शेयरों की संख्या	1346963981	1346963981
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1346963981	1346963981
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹ में)	90.24	81.06
कम की गई आय प्रति शेयर आय (₹ में)	90.24	81.06
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

22. आय पर करों के लिए लेखांकन (एस 22)

ए) **चालू कर** - चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि ₹ 4608.53 करोड़ है, इसमें विगत वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए ₹ 14.18 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किया गया प्रावधान ₹27.86 करोड़ है। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर** - बैंक के पास ₹ 5468.52 करोड़ की निवल कर आस्ति है (विगत वर्ष ₹5080.20 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति), जिसमें ₹ 1370.40 करोड़ की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) (विगत वर्ष ₹ 1243.51 करोड़) और ₹ 6838.92 करोड़ की आस्थगित कर देयता (विगत वर्ष ₹6323.71 करोड़) शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए)/आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	551.09	521.69
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि)	214.39	145.89
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्चित आस्तियों, एक्जुआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	2100.51	1694.40
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	108.48	97.28
	कुल डीटीए	6838.92	6323.71
	आस्थगित कर देयताएं		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.41	44.41
2	अपलिखित लेखा हेतु प्रावधान	363.15	363.15
3	स्टाफ कल्याण पुनःप्राप्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i) (Viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	958.73	831.84
	कुल - डीटीएल	1370.40	1243.51
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	5468.52	5080.20

सी) वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
कराधान के लिए प्रावधान-वैश्विक (आस्थगित कर सहित आयकर)	4248.07	3868.64

यथास्थिति दिनांक 31.03.2026 तक विवादित कर मामलों से संबंधित ₹10,512.11 करोड़ (विगत वर्ष ₹10,522.44 करोड़) के आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों के तहत भी इसमें शामिल किया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।

23. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस-27):

निवेश में शामिल ₹142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है:

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत		38.26%	37.50

एएस 27 के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
देयताएं		
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	625.91	561.82
जमा	0.00	0.00
उधार	114.08	44.38
अन्य देयताएँ और प्रावधान	1753.18	1389.20
कुल	2493.17	1995.40
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद और शेष राशि	0.36	0.00
बैंकों में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	68.59	46.00
निवेश	1972.46	1554.88
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	25.62	25.44
अन्य आस्तियां	426.14	369.08
कुल	2493.17	1995.40
पूँजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य आकस्मिक देयताएं	68.95	61.57
आय		
अर्जित ब्याज	9.51	10.06

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
अन्य आय	868.55	799.74
कुल	878.06	809.80
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	6.62	3.59
परिचालन व्यय	779.57	714.93
प्रावधान और आकस्मिकताएं	25.16	22.59
कुल	811.35	741.11
लाभ	66.71	68.69

24. आस्तियों की हानि (एस-28):

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार वर्ष के दौरान आस्तियों में हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" लागू होता है।

25. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और समाश्रित आस्तियां (एस-29):

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2025 को अथ शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान प्रत्यावर्तित /समायोजित	दिनांक 31.03.2026 को अंतिम शेष
अस्वीकृत ऋण के लिए बैंक के विरुद्ध दावे के लिए प्रावधानों का संचलन	230.23	42.70	11.21	261.72

26. अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यवसाय अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय ¹	7.25	7.51
ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय ¹	1.07	1.12
iii) जमा की लागत (%)	4.97	5.12
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%) ²	3.24	3.41
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ¹	2.14	2.30
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%) ³	1.31	1.32
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) ⁴ (₹ करोड़ में)	36.41	32.42
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.30	0.27

¹ वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि।

² निवल ब्याज आय / औसत अनर्जक आस्तियां। निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय

³ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा।

⁴ प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक जमा को शामिल नहीं किया जाएगा।

बी) बैंक-बीमा व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंक- बीमा उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर रु. 195.39 करोड़ तक का कमीशन आदि अर्जित किया है (विगत वर्ष रु. 180.58 करोड़)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	आय की प्रकृति	2025-26	2024-25
1	जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए	156.14	144.30
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	34.51	31.88
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	4.74	4.40
	कुल	195.39	180.58

सी) विपणन और वितरण

बैंक अन्य संस्थाओं (बैंक- बीमा कारोबार के तहत उत्पादों के अलावा) के किसी भी उत्पाद का विपणन और/या वितरण नहीं करता है। इसलिए, बैंक ने कथित गतिविधियों से कोई शुल्क/पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बेची और खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	पीएसएलसी श्रेणी	क्रय की स्थिति		विक्रय की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	पीएसएलसी कृषि	-	-	70800	17700.00
2	पीएसएलसी लघु और सीमांत किसान	-	-	148400	37100.00
3	पीएसएलसी सामान्य	-	-	-	-

क्रम सं	पीएसएलसी श्रेणी	क्रय की स्थिति		विक्रय की स्थिति	
		इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
4	पीएसएलसी सूक्ष्म	18000	4500.00	24330	6082.50
	कुल	18000	4500.00	243530	60882.50

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ और हानि लेखा में नाम किया गया प्रावधान	2025-26	2024-25
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	(37.11)	(115.16)
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	1832.61	3444.03
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	4248.07	3868.64
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		
1. मानक अग्रिम	1586.92*	853.44*
2. पुनर्चित अग्रिम	(38.85)	(66.88)
3. अन्य	168.82	95.84
कुल	7760.46	8079.91

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, बैंक ने मानक आस्तियों पर न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के अतिरिक्त ₹1684.47 करोड़ (निवल) (विगत वर्ष ₹1074.94 करोड़) (निवल) का वृद्धिशील प्रावधान किया है। अतिरिक्त प्रावधान में पश्चिम एशिया संकट लिए ₹308.40 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस)

- भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11.02.2016 के निदेशों के अनुसार, बैंक, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली वाली लेखा अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ एकल और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इंड-एस का अनुपालन करेंगे।
- आरबीआई ने बैंकों को 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए इंड-एस के अनुसार 01.04.2016 के रूप में संक्रमण तिथि के साथ प्रोफार्मा वित्तीय विवरण तैयार करने की सूचना दी और इसे तैयार किया गया और आरबीआई को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड-एस वित्तीय प्रोफार्मा भी आरबीआई को प्रस्तुत किया गया था।
- तत्पश्चात्, आरबीआई ने अवगत कराया कि बैंक 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। इसका विधिवत पालन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष से 2021-22 के बाद, आरबीआई ने अवगत कराया कि इंड-एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक कर दी जाए। उसका अनुपालन किया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को समय-समय पर इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया है।
- आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अनुसार, बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक को इंड

एएस वित्तीय प्रोफार्मा प्रस्तुत करना जारी रखा गया है और बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	2025-26	2024-25
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1011.77*	820.06
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

*इस राशि में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रु.88.54 करोड़ का अतिरिक्त प्रीमियम और ब्याज शामिल है। लागू जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को कर दिया गया है।

एच) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 24.03.2026 को 7.15% प्रति वर्ष के वार्षिक कूपन पर 10 वर्ष की अवधि के साथ ₹5000 करोड़ के दीर्घावधि अवसंरचना बॉण्ड श्रृंखला III संग्रहित किया है।

आई) (ए) विविध आय में शामिल मद जो कुल आय के 1% से अधिक है

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
अशोध्य ऋणों से वसूली	2335.31	2547.61
पीएसएलसी आय	1285.54	843.19
प्रसंस्करण प्रभार*	804.71	678.87*

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रसंस्करण प्रभार आय कुल आय के 1% से अधिक नहीं है।

(बी) अनुसूची 5(IV)-अन्य देयताएं और प्रावधान-"अन्य (प्रावधानों सहित)" में द्वांमिल मदें जो कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	10574.39	8883.20

टिप्पणी:

- "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के अंतर्गत "अन्य व्यय" उपशीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- अनुसूची 11(VI)-अन्य संपत्ति-"अन्य" के तहत कोई भी मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

जे) पोर्टफोलियो - हरित जमा से जुटाई गई धनराशि के उपयोग संबंधी पोर्टफोलियो स्तरीय जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्ष	संचयी
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (ए)	493.46	9.25	502.71
हरित जमा निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	-	9.25	9.25
(2) ऊर्जा दक्षता	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन (इलेक्ट्रिक वाहन वित्त)	493.46	-	493.46
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	-	-	-

(5) संवनीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन	-		
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	-		
(7) हरित इमारतें	-		
(8) जीवांत प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	-		
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	-		
आबंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग)	493.46	9.25	502.71
आबंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी)	-	-	-
हरित जमा आय के अस्थायी आबंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आबंटन लंबित है	-	-	-

के) लेखा समाधान एवं समायोजन

- कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2026 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न प्रभावी कदमों के माध्यम से बकाया में कमी आई है।
- यथास्थिति 31.03.2026 को अंतर-शाखा लेखा में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया लेखा असमाधानकृत प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है। हालांकि, बैंक अंतर शाखा खाते में ₹ 263.79 करोड़ (वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 263.79 करोड़) की सकल नामे शेष राशि पर 100% प्रावधान बनाए हुए है।
- देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
- कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

एल) तीन पुराने लंबित नोस्ट्रो डेबिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डालना

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक द्वारा आरबीआई की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत बहीखातों में रखे गए 100% प्रावधान के सापेक्ष कुल रु.13444405.00 की राशि के 3 पुराने नोस्ट्रो डेबिट प्रविष्टियों (यूएसडी 3700; आईएनआर रु.3,48,799.00), (यूएसडी 5000; आईएनआर रु.4,71,350.00), (ईयूआर 4800; आईएनआर रु.5,24,256.00) को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

एम) लाभांश

बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु.18.25 का लाभांश, अर्थात् चुकता पूंजी का 182.50%, प्रस्तावित किया है।

एन) बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा चिह्नित एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है, जो एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे लंबित हो और वर्ष के दौरान ऐसे पक्षों हेतु मूलधन या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की स्वीकृति देयता का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

ओ) चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडियन बैंक के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

- हमने इंडियन बैंक ("बैंक") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें यथास्थिति 31 मार्च, 2026 का तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित एकल वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध टिप्पणियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना में उस तिथि को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की शामिल विवरणियाँ समाहित है:
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित कॉर्पोरेट कार्यालय एवं उसके विभाग, ट्रेजरी शाखा और 20 भारतीय शाखाएं;
 - संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 2103 भारतीय शाखाएं और
 - संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3 विदेशी शाखाएं;

हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित भारतीय शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। साथ ही, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण में 4444 भारतीय शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं, जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं रखी गई हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 21.69 प्रतिशत अग्रिम, 48.01 प्रतिशत जमा, 17.25 प्रतिशत ब्याज आय एवं 42.71 प्रतिशत ब्याज पर व्यय है।
- हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना बैंक के लिए अपेक्षित रूप में एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है एवं :
 - तुलनपत्र, को उस पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित समस्त आवश्यक जानकारी को समाहित करते हुए एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र के रूप में भलीभांति बनाया गया है, जो यथास्थिति 31 मार्च, 2026 की बैंक की वास्तविक स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाता है।
 - लाभ एवं हानि लेखा के साथ पठित उस पर दी गई टिप्पणियाँ लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
 - नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई एकल वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश भी शामिल हैं। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

- लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य	हमारी लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को किस रूप में दर्शाया गया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 66.29% है, जो एकल वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है, जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित करता है, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेनदेन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएं, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान-निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह एकल वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है। इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में सुनिश्चित किया है।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े/दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की : - आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पक्षों के बारे में उपलब्ध वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई। - एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। - अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।

2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान - निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। - निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 24.76 प्रतिशत है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। - पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, निवेश की मात्रा और नियामक फोकस में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने शामिल हैं। - हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन और प्रावधान के निर्माणों का निर्धारण और मूल्यांकन किया। - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की जांच की। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; - उक्त भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

अन्य मामले

- (ए) हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 2106 शाखाओं (03 विदेशी शाखाओं सहित) के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 तक ₹3,54,715.47 करोड़ की कुल आस्ति और उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹23,472.95 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में माना गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2026 को 43.93% अग्रिम, 44.50% जमा और 53.28% अनर्जक आस्तियां और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 30.31% कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(बी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा जांच की गई थी, उनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने दिनांक 03.05.2025 की रिपोर्ट के तहत ऐसे एकल वित्तीय विवरणों पर अपरिशोधित राय व्यक्त की है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों एवं तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे हमने इस रिपोर्ट के साथ जारी करने के समय प्राप्त किया है (किंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं एतद्वसंबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट, तो हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिलर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और न ही ऐसा किया जाएगा।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, अध्ययन करते हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं कि उक्त में महत्वपूर्ण असंगति है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारियों को बताया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व:

7. बैंक का निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत निर्धारित मान्यता और लेखा सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जिसमें एकल वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है, जो सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वह बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी करने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर उपयोग करें, जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो या ऐसा करने के सिवाय कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

8. हमारा लक्ष्य, वार्षिक एकल वित्तीय विवरणों के भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों, से पूर्णतः मुक्त होने पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारी राय सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्च कोटि का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही पहचान कर सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्याकथन आ सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- एकल वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखासाक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के कारण हुई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना अनिवार्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के अनुसार यथा आवश्यक है कि हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोज्य लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखासाक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों में भौतिक अनिश्चितता है, जो बैंक तथा इसके सहयोगियों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न करती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखासाक्ष्यों के आधार पर होते हैं। इसके बावजूद भविष्य की घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रदान करती हैं।

एकल वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत कथनों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे को निर्धारित करने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अभिशासन प्रभारियों को, अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध रूपरेखा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रस्तुत किया है।

हमने अभिशासन प्रभारियों को विवरण प्रस्तुत किया है कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें एतद्विषयक एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में प्रयोज्य हैं।

अभिशासन प्रभारियों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अति महत्वपूर्ण थे और वे लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार से सार्वजनिक हितलाभों को अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- एकल तुलनपत्र एवं एकल लाभ एवं हानि का लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं। उपर्युक्त 5, 7 एवं 8 पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया;
 - बैंक के लेनदेन, जो कि हमारे समक्ष आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं; और
 - कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।
- “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व” संबंधी दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र सं. डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 में यथा

अपेक्षित और उसके साथ आरबीआई द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी तत्संबंधी निर्देश को एक साथ पठित, हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों के अपेक्षानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:

- (ए) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई प्रेक्षण या टिप्पणियां नहीं हैं, जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (सी) बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, अतएव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।
- (डी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबंध, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (ई) एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट यथास्थिति 31 मार्च 2026 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि,

- (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखे की समुचित बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
- (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित एकल तुलनपत्र, एकल लाभ एवं हानि लेखे और एकल नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ, जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।
- (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट, जो लेखापरीक्षित किए हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जांच की है; और
- (डी) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

कृते मेसर्स दास गुप्ता एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एवं
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

आर रविशंकर
पार्टनर
(एम. नं. 026819)
यूडीआईएन: 26026819PTTTVB8753

चंदन गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 547754)
यूडीआईएन: 26547754ZPXJQP3757

लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर
(एम. नं. 413012)
यूडीआईएन: 26413012PZLCOI3549

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N

निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020ZABRGR7525

रविंदर भाटिया
पार्टनर
(एम. नं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572QLZPCB5124

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 29.04.2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से सम्बद्ध अनुबंध "ए"

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट (यथा संशोधित) ("आरबीआई द्वारा सूचित")

अभिमत

हमने, 31 मार्च, 2026 तक इंडियन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संलग्न है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, सभी प्रत्यक्ष मामलों में बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यथास्थिति 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिन्हें आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर बैंक द्वारा स्थापित किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित बैंक की नीतियों के अनुपालन में अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू "आईसीएआई" द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना और जोखिम का आकलन करना है कि क्या इसमें तात्त्विक कमियां हैं, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें मानक वित्तीय विवरणों के तात्त्विक मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना है, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित ढंग से अधिरोहण, त्रुटि या धोखाधड़ी सहित तात्त्विक मिथ्याकथन शामिल हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की किसी भी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 2103 भारतीय शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन की प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई परिशोधन नहीं किया गया है।

कृते जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

कृते दास गुप्ता एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते अरुण के अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

आर रविशंकर
पार्टनर
(एम. नं. 026819)
यूडीआईएन: 26026819PTTTVB8753

चंदन गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 547754)
यूडीआईएन: 26547754ZPXJQP3757

लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर
(एम. नं. 413012)
यूडीआईएन: 26413012PZLCOI3549

कृते स्पार्क एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311

कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N

निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020ZABRGR7525

रविंदर भाटिया
पार्टनर
(एम. नं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572QLZPCB5124

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 29.04.2026

कतार से बचें, डिजिटल अपनाएं

 INDSMART

का उपयोग करें



300+ सुविधाओं का आनन्द लें

अभी ऐप डाउनलोड करें





₹ इंड रुपी गेन

रुपये मूल्य में अधिकतम प्रतिलाभ हेतु
एक विशिष्ट जमा योजना



नियमित सावधि जमा
के सापेक्ष उच्चतर
प्रतिलाभ



भारत में
100% कर मुक्त लाभ



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

*निबंधन और शर्तें लागू



समेकित तुलन पत्र लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियां

यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को समेकित तुलन पत्र

(रु. करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
पूँजी और देयताएं			
पूँजी	1	1346.96	1346.96
आरक्षितियां और अधिशेष	2	78695.92	70165.95
अल्पांश पूँजी	2A	34.72	32.23
जमा राशि	3	827654.01	737098.32
उधार	4	46806.57	41552.30
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	37014.61	26842.84
कुल		991552.79	877038.60
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष	6	34054.92	31947.65
बैंकों के साथ शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ	7	31644.77	23013.75
निवेश	8	247682.04	228420.86
अग्रिम	9	654888.23	571071.18
अचल आस्तियां	10	8676.81	8857.33
अन्य आस्तियां	11	14606.02	13727.83
कुल		991552.79	877038.60
आकस्मिक देयताएं	12	256036.64	280758.37
संग्रहण के लिए बिल		10282.55	14159.47

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मिनी टी एम
कार्यपालक निदेशक

ब्रजेश कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह
कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी
कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे
सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला
आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

संजीव माहेश्वरी
शेयरधारक निदेशक

भूपिंदर सिंह भल्ला
शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073
आर रविशंकर
पार्टनर
(एम. सं. 026819)
यूडीआईएन: 26026819VETGSV9173

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N
चंदन गुप्ता
पार्टनर
(एम. सं. 547754)
यूडीआईएन: 26547754JLGRYQ1581

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N
लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर
(एम. सं. 413012)
यूडीआईएन: 26413012PMGXXL7291

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311
निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. सं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020NBAEOW9545

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N
रविन्दर भाटिया
पार्टनर
(एम. सं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572KDFJDR3918

दिनांक: 29.04.2026
स्थान: चेन्नै

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(रु. करोड़ में)

विवरण	अनु. सं.	31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
I आय			
अर्जित ब्याज	13	67504.09	62039.43
अन्य आय	14	10828.61	10011.45
कुल		78332.70	72050.88
II व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	40538.66	36826.25
परिचालनगत व्यय	16	17777.86	16123.15
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		7789.19	8106.61
कुल		66105.71	61056.01
III समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		12226.99	10994.87
सहयोगी संस्थाओं में आय का अंश		-520.22	269.52
अल्पांश ब्याज की कटौती से पूर्व अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		11706.77	11264.39
घटाएं: अल्पांश ब्याज		2.49	2.92
समूह से संबद्ध अवधि हेतु समेकित लाभ/(हानि)		11704.28	11261.47
अग्रानित लाभ/(हानि)		2284.22	1918.42
कुल		13988.50	13179.89
IV. विनियोजन			
निम्नलिखित को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधियां		3038.92	2729.58
पूंजी आरक्षित निधियां		43.32	0.72
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		504.19	467.34
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां		0.00	199.21
राजस्व आरक्षित निधियां		6050.00	5250.00
स्टाफ कल्याण निधि		50.00	60.00
निवेश आरक्षित निधियां		0.00	0.00
इक्विटी लाभांश		2458.21	2188.82
समेकित तुलन पत्र में अग्रेषित शेष		1843.86	2284.22
कुल विनियोजन		13988.50	13179.89
प्रति शेयर अर्जन, रुपये में (आधारभूत एवं मिश्रित)		86.89	83.61

बिनोद कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मिनी टी एम

कार्यपालक निदेशक

ब्रजेश कुमार सिंह

कार्यपालक निदेशक

शिव बजरंग सिंह

कार्यपालक निदेशक

आशुतोष चौधरी

कार्यपालक निदेशक

निदेशक

आलोक पांडे

सरकार द्वारा नामित निदेशक

के निखिला

आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

संजीव माहेश्वरी

शेयरधारक निदेशक

भूपिंदर सिंह भल्ला

शेयरधारक निदेशक

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक

कृते मेसर्स जी बालु एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

एफआर सं. 000376S/S200073

आर रविशंकर

पार्टनर

(एम. सं. 026819)

यूडीआईएन: 26026819VETGSV9173

कृते मेसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एफआर सं. 000112N

चंदन गुप्ता

पार्टनर

(एम. सं. 547754)

यूडीआईएन: 26547754JLGRYQ1581

कृते मेसर्स अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

एफआर सं. 003917N

लोकेश कुमार गर्ग

पार्टनर

(एम. सं. 413012)

यूडीआईएन: 26413012PMGXLL7291

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआर सं. 005313C/C400311

निलेश गुप्ता

पार्टनर

(एम. सं. 406020)

यूडीआईएन: 26406020NBAEOW9545

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया

सनदी लेखाकार

एफआर सं. 003202N

रविन्दर भाटिया

पार्टनर

(एम. सं. 017572)

यूडीआईएन: 26017572KDFJDR3918

अनुसूची 1 - पूँजी

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
(i) प्राधिकृत पूँजी रु. 10/- प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
(ii) जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूँजी ए. केंद्र सरकार द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 99,45,49,600 इक्विटी शेयर शामिल हैं) बी. जनता द्वारा रखे गए रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष - रु. 10/- प्रत्येक के 35,24,14,381 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	994.55 352.41	994.55 352.41
कुल	1346.96	1346.96

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां व अधिशेष

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	15701.71	12972.13
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	3038.92	2729.58
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल	18740.64	15701.71
II. पूँजी आरक्षित निधियां		
ए) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	7200.78	5975.19
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	1510.28
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	133.25	284.69
कुल (ए)	7067.53	7200.78
बी) अन्य		
ए) अथशेष	1111.60	1111.16
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	43.32	0.72
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.28
कुल (बी)	1154.92	1111.60
कुल II (ए+बी)	8222.45	8312.38
III शेयर प्रीमियम		
ए) अथशेष	6290.02	6290.02
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल III	6290.02	6290.02
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां		

ए) राजस्व आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	26719.15	21398.09
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	6050.20	5250.00
सी) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां से अंतरित	133.24	284.69
डी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	213.63
कुल (ए)	32902.60	26719.15
बी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	3310.99	2843.65
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	504.19	467.34
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (बी)	3815.18	3310.99
सी) आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	58.20	58.20
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (सी)	58.20	58.20
डी) निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	2000.00	1360.01
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	639.99
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (डी)	2000.00	2000.00
ई) निवेश आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	0.00	440.78
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	440.78
कुल (ई)	0.00	0.00
एफ) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	583.26	524.77
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	272.15	58.49
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (एफ)	855.41	583.26
जी) आईआरएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	1.91	1.91
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल (जी)	1.91	1.91
कुल IV (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)	39633.30	32673.51
V. समामेलन आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	4006.91	4006.91
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
कुल V	4006.91	4006.91

VI एएफएस आरक्षित निधियां		
ए) अथशेष	897.20	0.00
बी) अवधि के दौरान परिवर्धन	0.00	897.20
सी) अवधि के दौरान कटौतियाँ	938.47	0.00
कुल VI	(41.27)	897.20
VII लाभ एवं हानि लेखा		
अथशेष	2284.22	1918.42
अवधि के दौरान परिवर्धन	11704.28	11261.47
अवधि के दौरान कटौतियाँ	12144.64	10895.67
कुल VII	1843.86	2284.22
कुल (I+II+III+IV+V+VI+VII)	78695.92	70165.95

अनुसूची 2 ए - अल्पांश पूँजी

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
मूल उद्यम - अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तिथि को अल्पांश ब्याज परवर्ती वृद्धि / कमी	3.27	3.27
	31.45	28.96
तुलन पत्र की तारीख पर अल्पांश ब्याज	34.72	32.23

अनुसूची 3 - जमाराशियां

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
(ए) I. मांग जमाराशियां		
i. बैंकों से	112.33	179.18
ii. अन्य से	44332.49	39442.50
कुल	44444.82	39621.68
II. बचत बैंक जमाराशियां	269097.92	243223.14
III. सावधि जमाराशियां		
i. बैंकों से	30271.71	25875.83
ii. अन्य से	483839.56	428377.67
कुल	514111.27	454253.50
कुल (I+II+III)	827654.01	737098.32
(बी) I. भारत में शाखाओं की जमाराशियां	789210.00	702910.44
II. भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	38443.02	34187.88
कुल बी (I+II)	827654.01	737098.32

कुल जमाराशियों में से, जिन जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार अंकित है, उनकी राशि 57951.16 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष - 48567.03 करोड़ रुपये)

अनुसूची 4 - उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	10000.00	8178.00
(ii) अन्य बैंक	6259.23	0.85
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियों	25798.73	31870.61
कुल	42057.96	40049.46
II. भारत के बाहर उधार**	4748.61	1502.84
कुल (I + II)	46806.57	41552.30
उपर्युक्त शामिल प्रतिभूत उधार	19127.98	23045.00

*एटी-1 पूँजी - स्थायी ऋण लिखत रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 2000 करोड़) और टियर II पूँजी में गौण ऋण रु. 1000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4000 करोड़) को शामिल करते हुए।

** नोस्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. देय बिल	1880.33	1995.02
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0.00	0.00
III. उपचित ब्याज	1884.24	1776.63
IV. अन्य (प्रावधान सहित)*	33250.04	23071.19
कुल (I+II+III+IV)	37014.61	26842.84

*रु. 10574.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 8883.20 करोड़) की मानक आस्तियों के सापेक्ष आकस्मिक प्रावधान सहित

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी व शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1692.04	1312.61
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष -	32362.88	30635.04
(i) चालू खातों में	21998.88	24768.04
(ii) अन्य खातों में	10364.00	5867.00
कुल (I+II)	34054.92	31947.65

अनुसूची 7 - बैंकों में अधिशेष और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	49.62	139.29
(बी) अन्य जमा खातों में	2893.23	1336.69
कुल (i)	2942.85	1475.98
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (बैंकों के साथ)		
(i) बैंकों के साथ	0.00	0.00
(ii) अन्य संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
कुल (ii)	0.00	0.00
कुल I (i+ii)	2942.85	1475.98
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खाते में	3892.44	1638.14
(ii) अन्य जमा खातों में	24795.80	19895.37
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	13.68	4.26
कुल II (i+ii+iii)	28701.92	21537.77
कुल योग (I+II)	31644.77	23013.75

अनुसूची 8 - निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. भारत में निवेश		
सकल निवेश	245545.37	226521.68
घटाएँ : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	503.04	600.20
निवल निवेश	245042.33	225921.48
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	214445.04	197083.95
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	87.76	64.31
iii. शेयर	1619.82	1366.09
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	17177.58	16572.54
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	1291.34	1817.78
vi. अन्य जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	10420.79	9016.81
कुल	245042.33	225921.48
II. भारत के बाहर निवेश		
सकल निवेश	2790.83	2635.17
घटाएँ : मूल्यहास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	151.12	135.79
निवल निवेश	2639.71	2499.38

i. सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	2638.75	2498.67
ii. सहयोगी संस्थाओं में निवेश	0.00	0.00
iii. अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है)		
ए) शेयर	0.96	0.71
बी) ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
कुल	2639.71	2499.38
कुल योग (I+II)	247682.04	228420.86

अनुसूची-9 अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
ए. (i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल	6080.06	4243.20
(ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	355749.53	294077.39
(iii) मीयादी ऋण	293058.64	272750.59
कुल (ए)	654888.23	571071.18
बी. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)	517287.31	436378.06
(ii) बैंक / सरकार गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	33474.70	64082.89
(iii) अप्रतिभूत	104126.22	70610.23
कुल (बी)	654888.23	571071.18
सी. I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र#	260615.07	220040.52
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	82558.02	74627.61
(iii) बैंक	0.00	0.00
(iv) अन्य	262285.68	234695.70
कुल (सी. I)	605458.77	529363.83
सी. II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से देय	28795.10	27439.64
(ii) अन्य से देय		
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल	2849.68	2203.84
(ख) सामूहिक ऋण	12250.81	7312.80
(ग) अन्य	5533.87	4751.07
कुल (सी. II)	49429.46	41707.35
कुल योग (सी. I+ सी. II)	654888.23	571071.18

#आरआईडीएफ को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	8611.45	7462.97
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	11.15	1332.08
उप कुल	8622.60	8795.05
अवधि के दौरान घटाव	0.00	183.61
उप कुल	8622.60	8611.44
उक्त तारीख तक मूल्यहास	1756.65	1664.53
कुल	6865.95	6946.91
II. पट्टाकृत आस्तियाँ		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत /पुनर्मूल्यांकन पर	704.23	523.44
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	0.09	181.14
उप योग	704.32	704.58
अवधि के दौरान घटाव	0.35	0.35
उप योग	703.97	704.23
उक्त तारीख तक मूल्यहास	180.96	123.87
कुल योग	523.01	580.36
III. निर्माणाधीन भवन	32.24	28.11
IV. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर / फ़िक्सचर सहित)		
विगत वर्ष के तुलन-पत्रानुसार लागत	6129.61	5670.93
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	438.89	523.20
उप योग	6568.50	6194.13
अवधि के दौरान घटाव	98.25	64.52
उप योग	6470.25	6129.61
उक्त तारीख तक मूल्यहास	5217.45	4830.61
कुल योग	1252.80	1299.00
V. पूंजी निर्माणाधीन कार्य	2.81	2.95
कुल: (I+II+III+IV+V)	8676.81	8857.33

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	246.16	128.04
II. उपचित ब्याज	5353.81	4761.83
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	0.00	0.00
IV. लेखन सामग्री एवं स्टॉप	5.96	6.74
V. दावों की पूर्ति से प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	39.78	51.38
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	5487.13	5101.44
VII. अन्य*	3473.18	3678.40
कुल	14606.02	13727.83
* जिसमें एचटीएम वर्गीकरण के तहत रखे गए आरआईडीएफ/एसआईडीबीआई/आरएचडीएफ/ एनएचबी जमा राशियां शामिल हैं।	269.57	389.24

अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएँ

(रु करोड़ में)

विवरण	यथास्थिति 31.03.2026	यथास्थिति 31.03.2025
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2330.63	2221.58
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व	210.00	264.12
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व*	198813.09	229350.45
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां*		
क. भारत में	28151.99	26618.50
ख. भारत के बाहर	273.17	194.57
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	11151.33	7365.86
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	15106.43	14743.29
कुल	256036.64	280758.37

*समाश्रित देयताओं को मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मितीकाटा	48853.54	44856.39
II. निवेशों पर आय	16116.88	15347.78
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में जमाशेष पर ब्याज	1652.53	1589.50
IV. अन्य	881.14	245.76
कुल	67504.09	62039.43

अनुसूची 14 - अन्य आय

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	1842.68	1735.73
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	1251.06	1064.80
घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि	246.23	144.26
निवल	1004.83	920.54
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0.02	138.85
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	105.52	5.91
निवल	(105.50)	132.94
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों* के विक्रय पर लाभ	1.78	2.96
घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों* की बिक्री पर हानि	1.52	1.26
निवल	0.26	1.70
V. विनिमय संव्यवहारों संबंधी लाभ (निवल)	702.85	369.05
VI. पट्टा-वित्त / किराया खरीद से आय	0.00	0.00
VII. विविध आय	7383.49	6851.49
कुल	10828.61	10011.45

*सेफ, फर्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित राशि

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. राशियों पर ब्याज	37480.75	34698.86
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	748.64	361.72
III. अन्य	2309.27	1765.67
कुल	40538.66	36826.25

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	10880.32	9974.61
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था	708.99	679.05
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	99.72	98.70
IV. विज्ञापन और प्रचार	43.64	46.78
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	608.86	542.94
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	3.30	2.47
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)	57.75	49.33
VIII. विधि प्रभार	43.09	38.60
IX. डाक, तार और टेलीफोन	149.81	131.64
X. मरम्मत और रखरखाव	280.32	274.02
XI. बीमा	1150.58	930.96
XII. अन्य व्यय	3751.48	3354.05
कुल	17777.86	16123.15

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (समेकित)

1. लेखांकन प्रथा

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा गया हो, परंपरागत लागत परिपाटी पर कार्यशील संस्था अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं से संबंधित लेखांकन संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रथाओं के अनुरूप है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को यथास्थिति वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुए आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलनों में कोई भी संशोधन, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, परिवर्तन की अवधि से ही भावी रूप से मान्य होता है।

3. समेकन प्रक्रिया

ए. बैंक (मूल संस्था और उसकी अनुषंगी कंपनियों एवं उसके संयुक्त उद्यम) के समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगी कंपनियों, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (3) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड एवं इसका संयुक्त उद्यम अर्थात् (1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2) एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड, के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार, अंतर समूह लेनदेनों को एवं अप्राप्त लाभ/हानियों को त्यागने के उपरांत यथावश्यक समायोजन, जहाँ कहीं अपेक्षित

हो, करके तैयार किया गया है। मूल संस्था की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक अनुषंगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण भी तैयार किए गए हैं।

बी. अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तिथि को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की इक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षित निधि/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिजर्व के साथ किया जाता है।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की आस्ति में अल्पांश हित से लाभ एवं निवल आस्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेट्स में निवेश का लेखांकन, एसोसियेट्स के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-23 (एस-23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार इक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1. भारतीय परिचालनों और गैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक - 11 (एस - 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2. भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

ए) विदेशी मुद्रा लेनदेन को दैनिक पुनर्मूल्यांकन के उद्देश्य से कार्यदिवस की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है। इसके लिए घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार की समापन दर का उपयोग किया जाता है।

- बी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को हर सप्ताहांत फेडाई द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- सी) विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक माह/तिमाही/वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों/पुनर्मूल्यांकन दरों पर अंतरित किया जाता है।
- डी) विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताओं और गारंटियों को माह/तिमाही/वर्षांत पर फेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर अंतरित किया जाता है।
- ई) तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतर को, उस अवधि में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जिस अवधि में यह अंतर पाया जाता है।
- एफ) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का प्रकटीकरण संविदागत दरों पर किया जाता है तथा फेडाई की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणामी प्रभाव को लाभ एवं हानि लेखों में अभिज्ञात किया जाता है।

4.3 गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया जाता है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है:

- ए) आकस्मिक देयताओं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन तुलन-पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन विनिमय दरों पर किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट मुद्रा के लिए फेडाई दर उपलब्ध नहीं है, तो विनिमय दर का निर्धारण स्थानीय पारस्परिक लेनदेन की मुद्रा दर के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए उद्योग की प्रचलित प्रथा का पालन किया जाता है।
- बी) आय एवं व्यय का परिवर्तन फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट मुद्रा के लिए फेडाई दर उपलब्ध नहीं है, तो विनिमय दर का निर्धारण स्थानीय पारस्परिक लेनदेन की मुद्रा दर के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए उद्योग की प्रचलित प्रथा का अनुसरण किया जाता है।
- सी) निवल निवेशों के निपटान तक होनेवाले सभी विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" (एफसीटीआर) नामक पृथक लेखों में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

मूल संस्था

5.1. निवेशों का वर्गीकरण

बैंक संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (अपनी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश को छोड़ कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, अर्थात्, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)।

ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी के तहत रखा जाएगा। निवेश की श्रेणी बैंक द्वारा अधिग्रहण से पहले या उसके समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग ऐसे निवेशों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। सभी निवेशों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा:

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- लाभ और हानि माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
 - ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)
- अनुषंगी, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम (एसएजेवी)

बैंक, बीआर अधिनियम की तीसरी अनुसूची (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) में यथानिर्धारित अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नानुसार प्रस्तुत करना जारी रखेगा:

- सरकारी प्रतिभूतियाँ
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- शेयर
- डिबेंचर और बॉण्ड
- अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

- (ए) बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा
- प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के उद्देश्य से धारित किया जाता है; और

- ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं, जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') हैं।
- बी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस आशय के साथ अधिग्रहित किया गया है, उसके निरपेक्ष वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे और इसलिए वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे:
 - i. अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से संपरिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत।
 - ii. संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले लिखत जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमन के तहत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत।
 - iii. ऐसे लिखत जिनके कूपन आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के नहीं हैं।
 - iv. अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर
- (सी) इक्विटी अंश के अलावा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि वह अंश, जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:
 - i. वर्गीकरण के लिए निर्धारित किए जा रहे अंश की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय साधनों के अंतर्निहित पूल को दृष्टिगत रखे बिना) नकदी प्रवाह में वृद्धि को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।
 - ii. वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।
 - iii. अंश का ऋण जोखिम संयुक्त अंतर्निहित आस्तियों के पूल के ऋण जोखिम के बराबर या उससे कम है।

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस):

- (ए) बैंक द्वारा केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा
 - i. प्रतिभूति को एक ऐसे उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों के बिक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
 - ii. प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश**

पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में दिए गए 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहरणीय चुनाव कर सकता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा गया है।

- (बी) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

एफवीटीपीएल

- (ए) प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - i. (ए) अनुषंगियों, एसोसिएट्स या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (बी) इक्विटी शेयर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता पर एएफएस में वर्गीकृत करने के अप्रतिसंहरणीय विकल्प का प्रयोग किया गया है, के अलावा इक्विटी शेयर।
 - ii. म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
 - iii. प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेश की एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए समीक्षा की जानी चाहिए।
 - iv. बॉण्ड, डिबेंचर आदि, जहाँ भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ है।

एचएफटी

बैंक, एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नामक एक अलग उप-श्रेणी बनाएगा। बैंक को एचएफटी के तहत निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। विवरण अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं।

अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एसोसिएट्स, अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग, ऐसे निवेशों के लिए एक अलग विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

5.2 प्रारंभिक मान्यता

5.2.1 निवेशों को प्रारंभिक मान्यता के आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाएगा। परंतु, जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य, अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- (ए) जब लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच हो।
- (बी) जब लेन-देन दबाव में हो रहा हो, जहाँ एक पक्ष को लेन-देन में मूल्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- (सी) लेन-देन उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।
- (डी) अन्य परिस्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की माँग करती हैं।

5.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।

5.2.3 जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की जाती हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन की लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

5.2.4 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दिन 1 की हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।

5.2.5 स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी 1 दिन के लाभ को आस्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिन 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

5.3 परिवर्ती मापन

5.3.1 एचटीएम

(ए) एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं अंकित किया जाएगा (एमटीएम)। हालांकि, वे आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

(बी) एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर किसी छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

5.3.2 एएफएस

(ए) एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन, यदि निरंतर नहीं किया जाता तो, कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय': अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ 'अर्जित ब्याज' के तहत वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होगी।

(बी) एएफएस के तहत रखे गए सभी लाभार्जक निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर इत्यादि) के मूल्यांकन लाभ और हानि का सकाल योग किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस-रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाएगा।

(सी) एएफएस के तहत प्रतिभूतियाँ आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

(डी) एएफएस-रिजर्व को इन निर्देशों के खंड 28 के अधीन कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व में अंतरित अप्राप्त लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

(ई) एएफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस-रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ मद II के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

(एफ)प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसकी बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस- आरक्षित निधि से पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित किया जाएगा।

5.3.3 एफवीटीपीएल

(ए) एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाएगा, यदि निरंतर नहीं किया जाता है।

(बी) एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 'अर्जित ब्याज' के मद II: 'निवेश पर आय' अनुसूची 8: 'निवेश' में एक कॉन्ट्रा के साथ के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियां आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी।

5.3.4 अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश

(ए) अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (यानी, ऋण और इक्विटी सहित) आरबीआई परिपत्र - मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** के अनुसार आवश्यकताओं के अधीन अधिग्रहण लागत पर धारित किए जाएंगे।

(बी) अनुषंगियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम को लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: अर्जित ब्याज के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी।

(सी) ऐसे मामले में, जहां पहले से ही किसी इकाई में निवेश है जो अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं है, और बाद में निवेशित इकाई एक अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के अनुषंगी, एसोसिएट

और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- I. जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा जाता है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- II. जहां निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ-साथ संशोधित वहन मूल्य की गणना के लिए निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा।
- III. जहां निवेश एफवीटीपीएल में रखा जाता है, वहां निवेशक के अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर उचित मूल्य को वहन मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(डी) जब कोई निवेशक अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

- I. जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी भी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
- II. जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

(ई) किसी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी प्राप्ति/लाभ को पहले लाभ और हानि लेखे में मान्यता दी जाएगी और फिर इसे लाभ और हानि लेखे के नीचे 'पूंजी आरक्षित निधि लेखे' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार, विनियोजित राशि करों को घटाकर होगी और सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की जाएगी।

(एफ) बैंक, यदि निरंतर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में निवेश में मूल्यहास का मूल्यांकन करेगा। संभावित हानि के संकेतकों की एक अपरिपूर्ण सूची निम्नानुसार है:

- I. इकाई ने अपने ऋण दायित्वों की चुकौती में चूक की है।

- II. किसी बैंक के साथ इकाई की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- III. इकाई की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- IV. इकाई ने लगातार तीन वर्षों तक घाटा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप निवल मालियत में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- V. छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए वहन मूल्य की तुलना में उचित मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए उल्लेखनीय शब्द की व्याख्या कम से कम 20 प्रतिशत के रूप में की जाएगी। बैंक, अपने बोर्ड की मंजूरी से, और भी अधिक रूढ़िवादी सीमा लागू कर सकते हैं।
- VI. इकाई की कोई या सभी बकाया प्रतिभूतियाँ असूचीबद्ध हो गई हैं, असूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, या सूचीबद्धता अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन या वित्तीय कारणों से एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने के खतरे में हैं।
- VII. किसी नई इकाई/परियोजना के मामले में जहाँ ब्रेक-ईवन पॉइंट को प्राप्त करने की मूल रूप से पूर्वानुमानित तिथि बढ़ा दी गई है, अर्थात्, इकाई/परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित निर्माण-पूर्व-अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन प्राप्त नहीं किया है।

(जी) जब यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या किसी अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम के संबंध में हानि हुई है, तो बैंक एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करेगा। इस तरह की कमी को लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। यदि इस हास को प्रत्यावर्तित किया जाता है, तो इसे बाद में लाभ और हानि लेखा के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

5.4 श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

(ए) बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेशों को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

(बी) पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(सी) जब कोई बैंक एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करता है, तो लेखांकन उपचार नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार होगा। बैंक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित ऐसे पुनर्वर्गीकरण का विवरण प्रकट करेगा।

क्रम सं.	से	तक	लेखांकन माप
ए	एचटीएम	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को एएफएस-रिजर्व में अभिज्ञात किया जाएगा।
बी	एचटीएम	एफवीटीपीएल	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा गया उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। निवेशों के संशोधित वहन मूल्य और विगत वहन मूल्य के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद (III): 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।

सी	एएफएस	एचटीएम	निवेशों को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उसके उचित मूल्य पर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ/हानि को वहाँ से निकाल लिया जाएगा और पुनर्वर्गीकरण तिथि पर निवेशों के उचित मूल्य के सापेक्ष समायोजित करके संशोधित वहन मूल्य का परिकलन किया जाएगा। इस प्रकार, संशोधित वहन मूल्य वैसा ही होगा जैसे कि बैंक ने निवेश को एचटीएम में आरंभ से ही वर्गीकृत किया हो।
डी	एएफएस	एफवीटीपीएल	निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी रहेगा। एएफएस-रिजर्व में पहले से अभिज्ञात संचयी लाभ या हानि को उसमें से निकाल लिया जाएगा और अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद III: 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाएगा।
ई	एफवीटीपीएल	एचटीएम	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रणीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।

एफ	एफवीटीपीएल	एएफएस	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य को दर्शाने वाली अग्रणीत राशि अपरिवर्तित बनी रहती है।

5.5 एचटीएम से निवेशों की बिक्री

- (ए) एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम से बिक्री का विवरण आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश- **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** में निर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।
- (बी) किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के शुरुआती वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस सीमा से परे किसी भी बिक्री के लिए डीओएस, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (सी) नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में निर्धारित पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखी जाएगी।
- आरबीआई के तरलता प्रबंधन संचालन जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत आरबीआई को बिक्री।
 - भारत सरकार द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
 - संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
 - जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, बायबैक या कॉल ऑप्शन का प्रयोग।
 - क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।
 - वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के तहत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।

VII. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

(डी) एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि, अनुसूची 14 के मद II 'अन्य आय' के तहत लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात की जाएगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि लेखा से नीचे 'पूँजी आरक्षित निधि खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित की गई राशि करों से मुक्त होगी तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि होगी।

5.6 निवेशों का उचित मूल्य

इन निर्देशों के अनुसार निवेशों की प्रारंभिक मान्यता और आवधिक मूल्यांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य इस अध्याय में यथानिर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

5.6.1 उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत भाववाली प्रतिभूतियों का उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा 31 मार्च, 2018 को आरबीआई के परिपत्र संख्या एफएमआरडी-डीआईआरडी-7/14.03.025/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोटेशन से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

5.6.2 अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

- (ए) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- (बी) अनउद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।
- (सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर मार्क-अप करके वाईटीएम पद्धति को लागू करके किया जाएगा।

5.6.3 अनउद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ

I. अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड

ए) अनउद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा जारी केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बॉण्ड को दी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

- रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर मार्क-अप होगा।
- बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप, समान परिपक्वता वाले रेटेड डिबेंचर या बॉण्ड पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि बिना रेटिंग वाले डिबेंचर या बॉण्ड के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से प्रदर्शित करें।

- जहां डिबेंचर/बॉण्ड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले लेन-देन हुए हैं, वहां अपनाया गया मूल्य उस दर से अधिक नहीं होगा जिस पर आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत एक्सचेंज/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन दर्ज किया गया है।

बी) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) बॉण्ड और वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी किए गए बॉण्ड।

- I. यूडीएवाई बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/प्रतिफल के आधार पर किया जाएगा।
- II. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं डिस्कॉम के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय

सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

III. डिस्कॉम द्वारा जारी और सेवित अन्य बॉण्डों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

IV. राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवित बॉण्ड (अर्थात् जब बॉण्ड की देयताएं राज्य सरकार के पास हों) का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समतुल्य परिपक्वताओं वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

सी) विशेष प्रतिभूतियां, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, और जिनकी एसएलआर प्राप्ति नहीं हैं, उनका मूल्यांकन समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंकों के अंतर पर किया जाएगा।

डी) जीरो कूपन बॉन्ड (ज़ेडसीबी): बाजार मूल्य के अभाव में, ज़ेडसीबी को इसके वर्तमान मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित उचित मूल्य की तुलना मूल्यांकन लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए वहन लागत से की जानी चाहिए।

II. अधिमानी शेयर

ए) जब अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन पहले एक्सचेंज पर क्रय-विक्रय किया गया हो, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का क्रय-विक्रय किया गया था।

बी) गैर-उद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन, एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वाईटीएम आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न हो। मार्क-अप को रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयरों को दी गई रेटिंग के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा:

I. मार्क-अप नकारात्मक नहीं हो सकता है,

अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार भारत प्रतिभूति के लिए कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी।

II. बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु उपयोग की जाने वाली दर, समतुल्य परिपक्वता के रेटेड अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी।

III. जहां अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के हिस्से के रूप में किया जाता है, वहां मार्क-अप 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होना चाहिए।

सी) जहां अधिमानी लाभांश/कूपन बकाया हैं, वहां उपचित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और वाईटीएम आधार पर ऊपर बताए अनुसार निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, तो 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों के लिए है, तो इसी तरह आगे (यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन को जोखिम को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में प्राप्त मूल्यहास/प्रावधान आवश्यकता, जहां लाभांश बकाया हैं, को अन्य निष्पादित अधिमानी शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डी) परियोजना वित्तपोषण के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के दो वर्ष बाद या अभिदान के पांच वर्ष बाद, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए सममूल्य पर किया जाएगा।

III. इक्विटी शेयर

इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं, अर्थात्, जिन्हें अंतरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जो किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इन निर्देशों के प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य ब्रेक-अप मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो,

पर विचार किए बिना) होगा, जिसे कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से पता लगाया जाना है। जिस तिथि को नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी ₹ 1 पर किया जाएगा।

IV. म्यूचुअल फंड यूनिट

ए) अन-कोटेड एमएफ यूनिट्स में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

बी) लॉक-इन अवधि वाले फंड या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/ बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि के अंत तक लागत पर किया जाएगा।

V. वाणिज्यिक पत्र: वाणिज्यिक पत्र का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

VI. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) और अन्य लिखतों में निवेश के संबंध में, बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक: ऋण जोखिम का हस्तांतरण एवं वितरण) निर्देश, 2025 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

बैंक, एसआर (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर सहित) में अपने निवेश को, एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर एसआर के मोचन मूल्य और एआरसी को हस्तांतरण के समय दबावग्रस्त ऋणों के एनबीवी (निवल बही मूल्य) में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर रखेगा। बैंक एसआर पर आय केवल वसूली/ मोचन की वास्तविक प्राप्ति, अथवा यदि कोई हो, तो दावों की स्वीकृति पर ही दर्ज करना जारी रखेगा।

VII. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयर, बॉन्ड, एआईएफ की इकाइयों का मूल्यांकन उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए इन निर्देशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ

किया जाएगा।

बी) एआईएफ के अनकोटेड उपकरणों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :

I. इकाइयाँ: मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। जहां एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 द्वारा अनिवार्य आवृत्ति के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन, इसके मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

II. अन्य लिखत: एआईएफ द्वारा जारी अनकोटेड इक्विटी और अन्य लिखतों का मूल्यांकन, ऐसे लिखतों के लिए ऊपर निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार होगा।

III. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाओं की वचनबद्धता) निर्देश, 2025 (यथा अद्यतित 05 दिसंबर, 2025) के अनुसार - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

VIII. मूलधन और अदत्त ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना मूलधन और अवैतनिक ब्याज को ऋण, अधिमानी या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के मामले में बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 के आवश्यकताओं का पालन करता है।

IX. उचित मूल्य मापन और संबंधित प्रकटीकरण में स्थिरता और तुलनीयता बढ़ाने के लिए, बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि ऊपर खंड 4 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। निवेश पोर्टफोलियो का विवरण उनके वित्तीय विवरणों के खातों में उनके टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा। ये प्रकटीकरण आवश्यकताएँ 31

मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्रभावी होंगी।

- X. बैंक अपने तुलनपत्र पर स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ और हानि लेखे या एएफएस-आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त स्तर 3 निवेशों पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए 50 प्रतिशत या उससे कम जोखिम भारित होना आवश्यक है।

5.7 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

5.7.1 आय निर्धारण

ए) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपचय आधार पर आय निर्धारण करेगा:

- I. सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बॉण्ड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।
- II. कॉर्पोरेट निकायों के शेयर बशर्ते कि कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और भुगतान प्राप्त करने का स्वामी का अधिकार स्थापित हो।

बी) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

सी) उप-खंड (ए) के अधीन, एएफएस के तहत रखे गए इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाएगी।

5.7.2 खंडित अवधि ब्याज के लिए लेखांकन: बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेगा तथा प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में इसे लाभ एवं हानि लेखा के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में मानेगा।

5.7.3 अनर्जक निवेश (एनपीआई)

ए) अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति

(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इसी तरह, किसी एनपीआई को केवल तभी मानक में अपग्रेड किया जाएगा जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

I. बॉण्ड या डिबेंचर जैसे ऋण लिखतों के संबंध में, एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता है।

II. उप-खंड (ए) (i) उन वरीयता शेयरों पर लागू होगा, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी वर्ष में अधिमानी शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता की तुलनपत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए देय तिथि के रूप में माना जाएगा। इस तरह के निवेश को गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान और संचयी अधिमानी शेयरों के मामले में बकाया और चालू अवधि के लिए लाभांश के भुगतान पर बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

III. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2025 के अनुसार नवीनतम बैलेंस शीट की अनुपलब्धता के कारण प्रति कंपनी ₹1 है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में गिना जाएगा।

IV. यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई भी ऋण सुविधा बैंक की पुस्तकों में एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा। हालांकि, यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल अधिमानी शेयरों को एनपीआई और इसके विपरीततः के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक ऋण सुविधा को एनपीए

के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

- V. मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित करने के मामले में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा। रूपांतरण के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - **वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025** के अनुसार एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जाएगा।

बी) एक बार जब किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को कम करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

सी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेगा। आय की पहचान केवल उसी की प्राप्ति पर की जाएगी। इसके अलावा, सुरक्षा में किसी भी एमटीएम वृद्धि को अनदेखा कर दिया जाएगा।

डी) चाहे जिस भी श्रेणी (यानी, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल(एचएफटी सहित)) में निवेश रखा गया हो, हानि के प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि लेखे में निर्धारित किया जाएगा। एनपीआई पर किया जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से उच्चतर होगा:

- एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले निवेश के वहन मूल्य पर गणना की गई आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशियां और
- एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर उसके वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यहास।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऊपर निर्दिष्ट एनपीआई के लिए प्रावधान के अलावा मूल्यहास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं होगा।

बशर्ते कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक एएफएस-निधि में प्रभारित करके बनाया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि एएफएस के तहत वर्गीकृत निवेश के मामले में जिसके सापेक्ष एएफएस-आरक्षित निधि में संचयी घाटा है, संचयी घाटे को एएफएस-आरक्षित निधि से लाभ और हानि लेखे में अंतरित की जाएगी।

ई) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

एफ) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश में निवेश।

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार के कहने पर गारंटी को अस्वीकार नहीं कर दिया हो। एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एएफएस-रिजर्व और लाभ में एमटीएम लाभ/हानि को निर्धारण किया जाना जारी रखेगा। तथापि, किसी भी आय को केवल प्राप्ति के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो।

5.7.4 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

ए) बैंक, आईएफआर में निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि अंतरित करके नियमित आधार पर तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) बनाएंगे, जब तक आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए :

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
- वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

बी) आईएफआर टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के

लिए पात्र होगा। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि को टियर II पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है।

- सी) बैंक को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि लेखा में बताए गए लाभ/हानि के शेष में क्रेडिट के लिए अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि आहरण की अनुमति होगी।
- डी) यदि आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) निवेश पोर्टफोलियो के दो प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरण की अनुमति होगी:
- I. आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्बंध आरक्षित निधियों में विनियोजन या हानि के शेष को कम करने के लिए किया जाता है।
 - II. आहरित गई राशि उक्त वर्ष के दौरान एमटीएम प्रावधानों/घाटों की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक है।

5.7.5 व्युत्पन्नी

- ए) बैंक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्नी संविदा के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। बैंक अपनी व्युत्पन्नी आस्ति और देनदारियों को क्रमशः अनुसूची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5: 'अन्य देयताएं' के तहत अलग-अलग लाइन मद के रूप में प्रस्तुत करेगा। बैंक हेज अकाउंटिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में अपने निवेश के वहन मूल्य में समायोजन कर सकता है।
- बी) बैंक अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि आरबीआई परिपत्र-मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2025 में परिभाषित स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 और अपने वित्तीय विवरणों के लेखों में टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया जाएगा।
- सी) बैंक अपने तुलन पत्र में लेवल 3 व्युत्पन्नी आस्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि लेख में मान्यता प्राप्त निवल अप्राप्त लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, लाभ

और हानि लेखा में मान्यता प्राप्त लेवल 3 डेरिवेटिव पर ऐसे निवल अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

• रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार, आरबीआई के रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों सहित एलएएफ, परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन, दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ), एमएसएफ और मार्केट रेपो लेनदेनों और एसडीएफ का भी लेखांकन किया जाता है।

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत विक्रय और क्रय की गई प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो के रूप में लेखांकन किया जाता है, जिसमें प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/क्रय के लेन-देनों के मामले में अंतरण किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे उतार-चढ़ाव को रेपो/रिवर्स रेपो लेखों और कॉन्ट्रा-प्रविष्टियों का प्रयोग कर प्रदर्शित किया जाता है। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख को रिवर्स हो जाती है। लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। रेपो लेखा के अवशेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत और रिवर्स रेपो लेखा के अवशेष को निम्नप्रकार वर्गीकरण किया जाता है:

- (ए) भारतीय रिजर्व बैंक के सभी प्रकार के रिवर्स रेपो सहित चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन रिवर्स रेपो को 'भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और जमा शेष' की अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष 'मद (II) के 'अन्य खातों में' की उप-मद (ii) के तहत दर्शाया जाएगा।
- (बी) बैंकों और अन्य संस्थानों के रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि और समावेशी अवधि 14 दिन तक है, को 'बैंकों में जमाशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' की अनुसूची 7 के तहत मद (ii) 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
- (सी) बैंकों और अन्य संस्थानों के रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिनों से अधिक है, को अनुसूची 9 - 'अग्रिम' के तहत निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाएगा:
- i. ए. (ii) 'नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण'
 - ii. बी. (i) 'मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिभूत'
 - iii. सी. (I). (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो)

अनुषंगी कंपनियां:

इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड:

कंपनी द्वारा धारित सभी निवेश दीर्घावधि निवेश हैं। दीर्घावधि निवेश, अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अतिरिक्त, लागत में कमी के प्रावधान के साथ किए गए हैं। कंपनी ने उद्धृत भाव वाले शेयरों के बाजार मूल्य और गैर-उद्धृत भाव वाले शेयरों के संबंध में बही मूल्य/उचित मूल्य, जो भी अधिक हो, की गणना कर शेयरों/डिबेंचर के मूल्य में हास को स्थायी प्रकृति का माना है।

इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घावधि निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप से, उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है।

इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

निवेश को वर्तमान और दीर्घावधि निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हो और जिन्हें अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक रखने का इरादा न हो, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, दीर्घावधि निवेश का वह हिस्सा जो तुलन पत्र की तारीख से बारह माह के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, उसे भी अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के अनुरूप 'दीर्घावधि निवेश के वर्तमान अंश' के तहत 'वर्तमान निवेश' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। निवेश की लागत में ब्रोकरेज, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण शुल्क शामिल होते हैं।

चालू निवेश, लागत या उचित मूल्य में से निम्नतर पर वर्णित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के निवेश के संबंध में लागत और उचित मूल्य की तुलना अलग-अलग की जाती है। दीर्घावधि निवेश को लागत में कमी के लिए प्रावधान स्वरूप लगाया गया है। दीर्घावधि निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है, जब प्रबंधन की राय में ऐसी गिरावट अस्थायी न हो। इस प्रकार के हास प्रावधान को तब प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में वृद्धि होती है, या गिरावट के कारण अब मौजूद नहीं होते।

किसी निवेश के निपटान पर, उसकी वहन राशि और निवल प्रयोज्य आय के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी(एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

मूल संस्था:

6.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को उनके मोचन मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद को एससी/आरसी द्वारा तुलन पत्र की दिनांक पर घोषित निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यहास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) 01 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से आरबीआई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एसआर पर प्रावधान की आवश्यकता निम्न बिन्दुओं से अधिक होगी:

- I. एससी/आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर
- II. अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण आनुमानिक रूप से बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है।

6.2. आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय का निर्धारण, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ और हानि लेखा में नामे किया जाएगा या रखे गए अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों

(एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

7. अग्रिम

मूल संस्था:

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता-वार मानक, अव-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं -

ए) अवमानक:

- कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान
- प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान, जो प्रारम्भ से ही अप्रतिभूत है।

(अर्थात्, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग - 1:

- प्रतिभूत भाग के लिए 25 प्रतिशत
- अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग - 2:

- प्रतिभूत भाग के लिए 40 प्रतिशत
- अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग- 3 एवं हानि अग्रिम - 100 प्रतिशत

7.3. पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

7.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के ओवरसीज बही में किसी भी समय अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि, मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश अनर्जक/ह्रासित आस्तियों (एनपीए) के रूप में

वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलित कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशायित होगा।

7.5 अनर्जक आस्तियों, डीआईसीजीसी/ईसीजीसी/सीजीटीएम एसई से प्राप्त समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खातों में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण-पत्रों एवं भुनाये गए बिलों के लिए प्रकट किए गए अग्रिमकृत प्रावधानों का निवल हैं।

8. अचल आस्तियां/ मूल्यहास

8.1. मूल संस्था:

8.1.1 संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर अचल संपत्तियों को लागत/पून्मूल्यन राशि पर वहन किया जाता है।

8.1.2 लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत और आस्ति का उपयोग करने से पूर्व उन पर व्यय किए गए वृत्तिक शुल्क शामिल हैं। उपयोग में आने वाली आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियां उनकी कार्य क्षमता पर भविष्य के आर्थिक लाभ को बढ़ाती है।

8.1.3 भारत में भवनों एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास (जमीन की लागत सहित जहां अविभाज्य/अलग नहीं है) स्ट्रेट लाइन पद्धति से, जैसा कि नीचे वर्णित है, मूल्यहास दरों/ उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाएगा:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास की दर/ उपयोगी जीवनकाल
1.	कंप्यूटर	33.33% प्रतिवर्ष
2.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग हैं।	33.33% प्रतिवर्ष
3.	ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लागत का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।	33.33% प्रतिवर्ष

4.	ऑटोमेटेड टेलर मशीन / कैश डिपॉजिट मशीन / क्वाइन वेंडिंग मशीन	20.00% प्रतिवर्ष
5.	सर्वर	33.33% प्रतिवर्ष
6.	नेटवर्क उपकरण	20.00% प्रतिवर्ष
7.	अन्य अचल आस्तियां	आस्तियों के प्रमुख समूह का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है : परिसर : 60 वर्ष तिजोरियां / लॉकर / दरवाजे (स्टील) : 20 वर्ष वाहन : 5 वर्ष फर्नीचर एवं फिक्स्चर : 10 वर्ष मोबाइल फोन : 1 वर्ष सोने की निवलता जांचने की मशीन: 7 वर्ष

8.1.4 आस्तियों में किए गए नए जुड़ावों पर मूल्यहास की गणना, उस वर्ष में आनुपातिक आधार पर उतने दिनों की संख्या के लिए की जाएगी जितने दिनों तक वे आस्तियां उपयोग के लिए उपलब्ध रही हैं—अर्थात्, जब वे उस स्थान और स्थिति में हों कि उनका परिचालन किया जा सके (अर्थात्, 'उपयोग में लाई गई' स्थिति में हों)।

8.1.5 वर्ष के दौरान विक्रय की गई आस्तियों के संबंध में आस्तियों का उपयोग की गई अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

8.1.6 आस्ति का मूल्यहास प्रति वर्ष 365 दिनों के आधार पर परिकलित किया जाएगा।

8.1.7 रु.5000/- लागत तक की संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास उसी वर्ष किया जाएगा जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो।

8.1.8 बैंक के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाज़ार मूल्य के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित की गई आस्ति को उसके उपयोग हेतु शेष समय-सीमा के आधार पर मूल्यहास किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि लेखा के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन हेतु आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाएगा।

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एस 10 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन घटक से संबंधित मूल्यहास को राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि को सीधे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के सापेक्ष प्रभारित किया जाएगा तथा राजस्व आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।

8.1.9 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाएगा और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

8.1.10 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाएगा और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

8.1.11 उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होती है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाएगा और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

8.1.12 गैर-बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

अनुषंगी कंपनियां:

8.2. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यहास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर अकथित किया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन लेखा में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यहास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

कंपनी पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर, अन्य आस्तियों पर स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) के आनुपातिक आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान करती है। साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि में एसएलएम पर परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर:-

कंपनी परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर घटते मूल्य पद्धति के आनुपातिक आधार पर, मूल्यहास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार)।

सांविधिक मूल्यहास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

अचल आस्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यहास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यहासित पद्धति से किया जाता है।

8.4. इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

मूर्त आस्तियां

मूर्त अचल आस्तियों में, यदि कोई संचित मूल्यहास और हानि हो, तो इसे लागत से घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में, खरीद मूल्य और आस्तियों को उपयोगी बना कर कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी स्रोतजन्य लागत शामिल होती है। किसी भी व्यवसायिक छूट एवं रिबेट को खरीद मूल्य निर्धारण में घटाया जाता है। पीपीई के किसी मद की लागत को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि और केवल यदि, यह संभावना है कि मद से जुड़े आर्थिक लाभ भविष्य की अवधि में कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। पीपीई के परिचालन में आने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव व्यय, उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में दर्शाए जाते हैं जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोग अवधि की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निस्तारण या निपटान से होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों को रिकॉर्ड करने और उन्हें ट्रेक करने के लिए एक स्थायी आस्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। अचल संपत्तियों की स्थिति का पता लगाने के लिए वार्षिक आधार पर निरीक्षण किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को प्रारंभिक लागत के अनुसार मापा जाता है। व्यवसाय के अधिग्रहण पर उभरने वाली अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण की तिथि के अनुसार इसके उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के

बाद, अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण के अनुसार मान्यता दी जाती है।

कार्यशील पूंजी

बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार इच्छानुरूप उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली संपत्तियों की लागत को कार्यशील पूंजी के रूप में दर्शाया गया है। यदि परिसंपत्ति को उपयोग में लाया जाता है, तो परिसंपत्ति को आस्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए लेखांकन मानकों (एएस 10) के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मूल्यहास

सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' में निर्धारित दरों पर, स्ट्रेट लाइन विधि के तहत, उपयोग की अवधि के अनुपात में किया जाता है। अमूर्त संपत्तियां उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित यूजफूल लाइफ (पाँच वर्ष से अधिक नहीं) पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित की जाती हैं, जो उस तारीख से शुरू होता है जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित अचल संपत्तियों की यूजफूल लाइफ, अधिनियम की अनुसूची II के भाग सी के अनुसार समान होती है।

किसी आस्ति पर लागू मूल्यहास की समीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के मामले में, बदले हुए पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को बदल दिया जाता है। इस परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है।

9. राजस्व निर्धारण

9.1. मूल संस्था:

9.1.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

9.1.2 अनर्जक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) * बीमा दावे, जारी किये गये साख-पत्रों/गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर) धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार, अन्य सभी कमीशन/शुल्क आय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया

है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया एवं बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है। पीएसएलसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन/शुल्क आय को उपचय आधार पर गणना लेखांकित किया जाता है और पीएसएलसी की शेष अवधि को तिमाही के दौरान आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना जाता है।

9.1.4 एनपीए खातों में किसी भी वसूली को पहले बही शेष (मूलधन) में और फिर अदत्त कानूनी व्यय (एमएलई), अदत्त अन्य व्यय (एमओएक्स), अदत्त शुल्क और उसके बाद अदत्त ब्याज (एमओआई) में विनियोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, पुनर्गठित एनपीए खातों के मामले में, जहां मंजूरी की शर्तों के अनुसार, ब्याज तुरंत चुकाया जाना है और मूलधन की चुकौती बाद की तारीख में शुरू होनी है, ऐसे खातों में किए गए ब्याज की वसूली को आय खाते में लिया जाना चाहिए और इसे मूलधन की चुकौती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में एनपीए प्रबंधन नीति में तत्पश्चात् हुए बदलावों के संदर्भ में, यह बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का एक हिस्सा होगा।

अनुषंगी कंपनियां :

9.2. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

- ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क - समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।
- बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली - अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।
- सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।
- डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि बही खातों में बकाया राशि के लिए पूर्णतः प्रावधान रखा गया है, प्राप्त राशि को बकाए मूलधन राशि के तहत तथा शेष, ब्याज के तहत कुछ हों तो समायोजित किया जाता है।

ई) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

एफ) वार्षिक रखरखाव तथा लेनदेन प्रभार को डिपॉजिटरी प्रतिभागी परिचालनों के अधीन क्रमशः वार्षिक रूप में और लेनदेन समाप्ति पर लिया जाता है।

9.3. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

- ए) आय की पहचान और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु कंपनी द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया जाता है।
- बी) आवास ऋणों की चुकौती, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध-वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध-वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के संवितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती है। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई-पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

9.4 इंड-बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

इस राजस्व को लेखांकन मानक - 9 के अनुसार 'राजस्व मान्यता' के रूप में पहचाना जाता है।

- ए) ऐसे राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और इससे अंतिम संग्रह की उम्मीद करना उचित होता है तथा सिवाय जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इसके आय और व्यय का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जा सकता है।
- बी) ब्याज से अर्जित आय को बकाया राशि और लागू दर पर विचार करते हुए समय सीमा के अनुपात के आधार पर चिह्नित किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड रिवाइड प्वाइंट्स

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित रिवाइड प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

11. निवल लाभ/हानि

लाभ और हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात है:

- अनर्जक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान

- अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा /और अन्य आवश्यक प्रावधान

12. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 मूल संस्था:

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुनने वालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखों में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। उपदान देयता का बैंक द्वारा निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3 पेंशन

- इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 को या उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

12.1.4 प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार छुट्टी

और चिकित्सा छुट्टी, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.1.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। ओवरसीज शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखांकित किए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ:

12.2 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया।

उपदान - उपदान, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित उपदान निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। उपदान के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि - अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हकदार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी नकदीकरण: इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, पात्र भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.3 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड:

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

समूह उपदान योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा उपदान देयता का भुगतान का बीमा किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह उपदान पॉलिसी खरीदी है और इसका वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

12.4 इंडबैंक ग्लोबल स्पोर्ट सेवाएं लि.

कर्मचारियों को लाभ

अल्पकालिक कर्मचारियों को लाभ

सभी कर्मचारी सुविधाओं को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें सेवा प्रदान की गई है, बारह महीनों के भीतर पूर्णतः देय अल्पकालिक कर्मचारी सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी, प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि को, पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की कटौती करने के उपरांत, देयता (उपचित व्यय) के रूप में मान्यता देती है।

नियोजन पश्चात लाभ

सभी उपयुक्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना और सरकार प्रशासित पेंशन निधि योजना तथा पात्र कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं। परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के योगदान को उस वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण लाभ का भुगतान/प्रदत्त वर्ष के लेखा में पूर्ण रूप से किया जाता है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि के लिए प्रावधान किया गया है क्योंकि "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1972" कंपनी पर लागू है।

उपदान

उपदान देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसे एएस-15 के अनुसार प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और, जहाँ लागू हो,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की गई पिछली सेवा लागत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। यह मूल्यांकन योजना की अंतिम लागत को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल उस समय को प्रभावित करते हैं जब लाभ लागतों को मान्यता दी जाती है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में ले जाया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों, उनकी कीमत में वृद्धि सहित, को पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के आधार पर लाभ और हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

14. समाश्रित देयताएँ और प्रावधान:

14.1 समाश्रित देयताएं: संभावित या वर्तमान दायित्वों के कारक विगत घटनाओं को निम्नलिखित स्थितियों में समाश्रित देयता के रूप में अभिज्ञात किया जाता है:

- (ए) ऐसे दायित्वों की पुष्टि नहीं की गई है
- (बी) ऐसे बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं है
- (सी) ऐसे दायित्वों की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता
- (डी) ऐसी राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं,

14.2 (ए) वर्तमान दायित्वों के संबंध में तब प्रावधान का निर्धारण किया जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें दायित्वों के निपटारे के लिए बहुत छोटे दावों को छोड़कर, शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड़े।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा किए गए फ्लोटिंग निर्धारण के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है।

- i. अनर्जक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना
- ii. अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों की हानि:

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि, यदि कोई हो, को लेखा मानक 28 “आस्तियों की हानि” के अनुरूप अभिज्ञात किया जाता है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अनर्जक हानि को उस आस्ति के लिए रखी गयी पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि के तहत अभिज्ञानित किया जाता है, जब तक उसी आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकित अधिशेष राशि में रखी गयी राशि अनर्जक आस्ति से अधिक न हो।

16. आय पर कर:

- 16.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।
- 16.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।
- 16.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हों, की पहचान, तुलन-पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर कानूनों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती, जब तक यह “वास्तविक निश्चितता” न मिल जाए कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति हो जाएगी।

17. प्रति शेयर आय

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी एस-20 “प्रति शेयर आय” के अनुसार, प्रत्येक शेयर का मूल और मिश्रित आय की रिपोर्ट करेगा। प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त होने वाले निवल लाभ या हानि को, उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

18. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण एस -3 में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा।

19. खंड रिपोर्टिंग

बैंक, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एस-17 के अनुपालन में, व्यावसायिक खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में

मान्यता देगा।

20. परिचालन बंद करना

इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में बंद परिचालनों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जारी परिचालनों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

ए. नीति की समीक्षा

यह नीति प्रतिवर्ष एसीबी द्वारा समीक्षा के अधधीन है।

अनुलग्नक I

क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी)

1. क्रय-विक्रय के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की एक उप-श्रेणी है, में वे सभी लिखत शामिल होंगे जो निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित एचएफटी लिखतों के विनिर्देशों को पूरा करते हैं। अन्य सभी लिखत एचएफटी से बाहर रखे जाएंगे।
2. बैंक केवल उन वित्तीय लिखतों को एचएफटी में शामिल करेगा जब इसे बेचने या पूरी तरह से बचाव करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा नहीं है।
3. बैंक सभी एचएफटी लिखतों का दैनिक उचित मूल्य निर्धारण करेगा और लाभ और हानि लेखा में किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को अभिज्ञात करेगा।
4. कोई भी लिखत जिसे बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए रखता है, जब इसे पहली बार अपनी बहियों में मान्यता दी जाती है, तो इसे एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न हो:
 - (ए) अल्पकालिक पुनर्विक्रय
 - (बी) अल्पकालिक मूल्य संचालन से लाभार्जन
 - (सी) मध्यस्थता लाभ को लॉक करना या
 - (डी) उपरोक्त (ए),(बी) या (सी) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाव
5. निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में शामिल किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए:
 - (ए) सहसंबंध ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में लिखतों
 - (बी) उपकरण जो बैंकिंग बही में निवल लघु ऋण या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे या
 - (सी) हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न लिखत, जहां हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताएं केवल प्रतिभूतियों के

हामीदारी अंकन को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदे जाने की उम्मीद है।

6. कोई भी लिखत जो आरबीआई परिपत्र के अनुसार सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए शुरू में नहीं रखा गया है, और न ही इन उद्देश्यों के अनुसार रखा गया माना जाता है, उसे एचएफटी में शामिल नहीं किया जाएगा।
7. निम्नलिखित लिखत एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे:
 - (ए) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश,
 - (बी) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण,
 - (सी) अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग और अचल संपत्ति की प्रत्यक्ष होल्डिंग पर डेरिवेटिव
 - (डी) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा नहीं करता
 - i. बैंक फंड के माध्यम से अपने व्यक्तिगत घटकों को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है, या
 - ii. बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास फंड के अधिदेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच है
 - (ई) व्युत्पन्न लिखत और निधि जिनके पास अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (ए) से (डी) तक निर्दिष्ट लिखत श्रेणियाँ हैं, या
 - (एफ) किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम से बचाव करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत, जो ऊपर (ए) से (ई) तक निर्दिष्ट उपकरणों की श्रेणियों में हैं।
8. निम्नलिखित उपकरणों को एचएफटी में माना जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो:
 - ए) बाजार-निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न लिखत,
 - बी) एचएफटी के समनुदेशन से छूट प्राप्त को छोड़कर किसी फंड में इक्विटी निवेश, या
 - सी) सूचीबद्ध इक्विटी
 - डी) ट्रेडिंग से संबंधित रेपो-शैली लेनदेन या
9. बैंक के पास नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई

परिपत्र में निर्दिष्ट अनुमानित सूची से विचलित होने का विकल्प होगा।

ए) यदि कोई बैंक मानता है कि उसे किसी लिखत के लिए आरबीआई परिपत्र में स्थापित अनुमानित सूची से विचलित होने की आवश्यकता है, तो उसे आरबीआई के विनियमन विभाग को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अपने अनुरोध में, बैंक यह साक्ष्य प्रदान करेगा कि लिखत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं रखा गया है।

बी) ऐसे मामलों में जहां यह अनुमोदन नहीं दिया जाता है, उपकरण को एचएफटी के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक प्रकल्पित सूची से किसी भी विचलन का निरंतर आधार पर विस्तृत दस्तावेजीकरण करेगा।

पंजीकृत हित और मूल प्रतिभूतियों (स्ट्रिप्स) का पृथक क्रय विक्रय

1. बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणियों के तहत रखे गए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और लेखांकन शून्य-कूपन बांड के रूप में और इन निर्देशों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
2. आरंभ में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालाँकि, यदि ट्रेडेड शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसकी बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य-कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।
3. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की बहियों में उनके छूट वाले मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी प्रतिभूति को मान्यता से हटा दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा।
4. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होगी। जीरो कूपन यील्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) का उपयोग करके छूट प्राप्त स्ट्रिप्स (कूपन और मूलधन) के वर्तमान मूल्य को एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के वहन मूल्य या प्रतिभूति के बाजार मूल्य (जो भी कम हो) का अनुपात प्रतिभूति से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग के कुल योग से होगा।
5. पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (यहां तक कि जब स्ट्रिप्स बाजार से प्राप्त की जाती हैं)।
6. इन निर्देशों के अनुसार, स्ट्रिप्स (ज़ेडसीवाईसी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और प्रतिचिह्न बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुसूची - 18 समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां (2025-26)

1. अनुषंगी संस्थाएं:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	बैंक की शेयरधारिता	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11.08.1989	64.84%	मेसर्स आनंद एंड पोनअप्पन	12.09.2025
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28.01.1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	12.09.2025
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड	भारत	09.02.2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	12.09.2025

2. सहयोगी संस्थाएं:

क्रम सं.	सहयोगी संस्थाओं का नाम	शेयरधारिता का स्वरूप
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुचै भारतीय ग्राम बैंक^	35%

*केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांकित 07.04.2025 पैरा एस.ओ. 1635(ई) के माध्यम से सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय अधिसूचित किया है। तदनुसार, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1 मई, 2025 से विलय किया गया है।

^ केंद्र सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-24102025-267093 दिनांक 24.10.2025 पैरा एस.ओ. 4832(ई) के माध्यम से पुदुचै भारतीय ग्रामीण बैंक का नाम परिवर्तित कर 'पुदुच्चेरी ग्रामीण बैंक' कर दिया गया है।

3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस 27)

(राशि ₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

4. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था:

- ए) कुछ पुरानी प्रविष्टियों को छोड़कर अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2026 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक के विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बकाया प्रविष्टियों के स्तर में कमी आई है।
- बी) यथास्थिति 31.03.2026 को 6 माह से अधिक अवधि से बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल क्रेडिट स्थिति के मद्देनजर, किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, बैंक ने अंतर शाखा लेखों के सकल डेबिट अवशेष राशि पर 100% का प्रावधान किया है, जिसकी राशि रुपये 263.79 करोड़ है (विगत वर्ष 2024-25 में रुपये 263.79 करोड़)।

- सी) देय ड्राफ्ट, समाशोधन, समायोजन, विविध प्राप्य राशियाँ, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।
- डी) कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्ट्रों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

5. लाभांश

- रुपये 18.25 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 हेतु बैंक के प्रदत्त पूंजी का 182.50% प्रस्तावित है।

6. अचल आस्तियां

मूल संस्था:

- 6.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पुनर्मूल्यकित राशि पर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यन किया है। परिसर के पुनर्मूल्यन की राशि में रु.1510.28 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे "पुनर्मूल्यन आरक्षित खाता" में जमा किया गया है। वर्ष 2025-26 हेतु रु.140.30 करोड़ (विगत वर्ष रु.107.07 करोड़) की मूल्यहास राशि व्यय के तहत ली गई थी और पुनर्मूल्यनकित हिस्से पर रु.133.24 करोड़ (विगत वर्ष रु.100.21 करोड़) की मूल्यहास राशि को "पुनर्मूल्यन आरक्षित खाता" के सापेक्ष समायोजित किया गया है।
- 6.2 परिसर में 8 (7+1*) परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनकी मूल लागत रुपये 8.38 करोड़ है (विगत वर्ष 9 (7+2) परिसंपत्तियां जिनकी लागत रुपये 8.38 करोड़ थी) जिनका पुनर्मूल्यनकित बही मूल्य रुपये 82.80 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 83.77 करोड़) है, जिसमें मूल्य हास घटाकर रुपये 0.97 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 0.79 करोड़) हो गया है, की पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं।

*हैदराबाद स्थित रुपये 1.61 करोड़ की संपत्ति, जो नियमानुकूलन के लिए तेलंगाना सरकार के यूएलसी प्राधिकरण के समक्ष मंजूरी हेतु लंबित है।

6.3. आरक्षित निधियों में गिरावट:

आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
	2025-26	2024-25	
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां	रु. 133.24	रु. 284.69	*परिसर के पुनर्मूल्यनकित हिस्से पर मूल्यहास रुपये 133.24 करोड़।

* यह राशि आईसीएआई के एस-10 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व आरक्षित खाता में जमा कर दी गई है।

7. लेखा मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
अल्पांश ब्याज से पूर्व लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	11706.77	11264.39
समायोजन हेतु :		
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	1832.61	3444.03
निवेश हेतु प्रावधान	68.39	(248.10)
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	1586.92	853.44
कर हेतु प्रावधान	4274.55	3892.51
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	132.23	31.78
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	608.86	542.94

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
पूँजीगत लिखत पर ब्याज	360.03	600.04
भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.26)	(1.70)
आयकर का भुगतान	(1561.09)	(26.02)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों से पूर्व लाभ	19009.01	20353.31
परिचालनगत आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(20267.83)	(12247.37)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(85649.65)	(59626.14)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(878.19)	2159.32
	(106795.67)	(69714.19)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / (कमी)		
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	90555.69	49145.25
उधार में वृद्धि / (कमी) (पूँजीगत लिखत के अलावा)	10254.27	20409.42
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	5792.18	(2797.39)
	106602.14	66757.28
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	18815.48	17396.40
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(454.12)	(539.94)
अचल आस्तियों की बिक्री	26.05	191.54
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	(428.07)	(348.40)
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(2188.82)	(1616.36)
एटी 1 बांडों का मोचन	(2000.00)	0.00
टियर 2 बांडों का मोचन	(3000.00)	(2000.00)
पूँजीगत लिखत पर ब्याज	(460.30)	(647.15)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	(7649.12)	(4263.51)
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (ए) + (बी) + (सी)	10738.29	12784.49
अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1312.61	1304.15
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	24768.04	31134.61
(बी) अन्य जमा खातों में	5867.00	264.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	139.29	25.64
(बी) अन्य जमा खातों में	1336.69	1619.95

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2026	31.03.2025
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	0.00	1997.06
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1638.14	743.35
(बी) अन्य जमा खातों में	19895.37	5084.58
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	4.26	3.57
	54961.40	42176.91
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	1692.04	1312.61
भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		
(ए) चालू खातों में	21998.88	24768.04
(बी) अन्य जमा खातों में	10364.00	5867.00
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	49.62	139.29
(बी) अन्य जमा खातों में	2893.23	1336.69
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.00	0.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	3892.44	1638.14
(बी) अन्य जमा खातों में	24795.80	19895.37
मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियां	13.68	4.26
	65699.69	54961.40
प्रारंभ और अंत के नकदी और नकदी समतुल्यों में अंतर	10738.29	12784.49

नोट:

- विगत अवधि के आंकड़ों को, वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया गया है।

8. कार्मिकों को प्रदत्त लाभ (एएस 15)

8.1. मूल संस्था

8.1.1. परिभाषित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान भुगतान करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने रु.0.62 करोड़ (विगत वर्ष रु 0.84 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने रु.426.22 करोड़ (विगत वर्ष रु.387.42 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2. परिभाषित लाभ योजनाएं:

एएस-15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :-

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना का आधार निर्धारित करती है

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31/03/2026	31/03/2025
बट्टे की दर -जी -सेक - दर	पेंशन एवं उपदान के लिए 7.59% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर	पेंशन के लिए 6.82% - 15 वर्ष जी-सेक पेपर
वेतन बढ़ोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.00 % पेंशन के लिए और 8.04 % उपदान के लिए	7.95% पेंशन के लिए और 7.90% उपदान के लिए
प्रयुक्त प्रणाली	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक प्रणाली	
मृत्यु दर	भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में वेतन वृद्धि के आकलन पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों, जैसे नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग को ध्यान में रखते हुए और आईबीए द्वारा संप्रेषित सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए निधीयन के दिशानिर्देशों के अनुरूप विचार किया जाता है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर-निधिक होती हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
ब्याज लागत	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
चालू सेवा लागत	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अन अभिज्ञात/अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	1608.04	1115.23	536.06	498.82	(73.84)	227.18
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77

(राशि ₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
अंशदान	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
प्रदत्त लाभ	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1690.52	1531.58	219.95	162.98	0.00	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

V. अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - बाध्यता	(1608.04)	(1115.23)	(536.06)	(498.82)	73.84	(227.18)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) -डीबीओ में वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)-योजना आस्तियां	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
वर्ष के दौरान अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.180)
वर्ष के अंत में अनअभिज्ञात बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष हेतु बीमांकिक लाभ / (हानि) - बाध्यता	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)

(राशि c करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में अभिज्ञात राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00
अन्तर - तुलन पत्र में अभिज्ञातनिवल (देयता)/ आस्ति	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77
अनअभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनअभिज्ञात विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात देयता	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77

(राशि ₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखों में अभिज्ञात व्यय	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
ब्याज लागत	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1657.76)	(1529.11)	(193.91)	(162.97)	0.00	0.00
इस वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1575.28	1112.76	510.02	498.81	(73.84)	227.18
इस वर्ष में अभिज्ञात संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत - अभिज्ञात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में अभिज्ञात	2831.71	2176.00	723.24	633.74	407.05	617.94

(राशि ₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं में संचलन	पेंशन निधि		उपदान		छुट्टी भुनाई	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अथशेष निवल देयता	(579.32)	(710.85)	(172.75)	(64.28)	(1876.77)	(1580.19)
उपर्युक्तानुसार व्यय	(2831.71)	(2176.00)	(723.24)	(633.74)	(407.05)	(617.94)
प्रदत्त अंशदान	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
इतिशेष निवल देयता	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	(1959.70)	(1876.77)

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (i) विगत वर्ष 2021-26 - पेंशन	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61	23687.58
योजना आस्तियां	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29	23006.31

अधिशेष /(घाटा)	(357.87)	(653.10)	(640.40)	(710.85)	(579.32)	(681.27)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(1542.88)	(1741.31)	(1689.97)	(1010.11)	(1115.23)	1608.04
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(193.89)	12.57	13.28	9.93	2.47	32.76

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (ii) विगत वर्ष 2021-26 - उपदान	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49	3348.67
योजना आस्तियां	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74	3190.63
अधिशेष /(घाटा)	49.04	19.07	(32.61)	(64.28)	(172.75)	(158.04)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	23.06	(30.26)	(63.18)	(139.12)	(498.82)	(536.06)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01	26.04

(राशि ₹ करोड़ में)

IX. योजना आस्तियों/देयताओं पर अनुभव समायोजन (iii) विगत वर्ष 2021-26 - छुट्टी भुनाई	वर्ष की समाप्ति					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77	1959.70
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष /(घाटा)	(977.42)	(1004.75)	(1189.46)	(1580.19)	(1876.77)	(1959.70)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	7.62	(77.35)	(187.82)	(328.14)	(227.18)	73.84
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	2025-26		2024-25	
	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	19.24%	12.71%	21.48%	16.81%
उच्च गुणवत्तावाले कापरेट बांड/पीएसयू बांड	12.47%	6.94%	15.06%	10.26%
विशेष जमा योजना	0.04%	0.02%	0.05%	0.03%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	68.19%	80.33%	63.34%	72.90%
इक्विटी और म्युचुअल फंड	0.06%	0.00%	0.07%	0.00%
मुद्रा बाज़ार	-	-	-	-
कुल	100%	100%	100.00%	100.00%

i. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए रु.33.52

करोड़ की राशि (विगत वर्ष रु.93.87 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2026	31.03.2025
1.	बीमारी छुट्टी	15.85	9.39
2.	आकस्मिक छुट्टी	1.54	1.54
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	16.13	82.94
कुल		33.52	93.87

नोट: प्रकटनों में शामिल की गई सूचनाएं एक्चुअरी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सीमा के अन्तर्गत हैं।

8.2. अनुषंगी कंपनियां

8.2.1. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नानुसार है :

(राशि ₹ में)

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	6806342	6584663	6049835

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथ शेष और इति शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		विवरण (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	30161267	25932210	16473879	15921802
वर्तमान सेवा लागत	2141626	1912334	780027	702180
ब्याज लागत	1922628	1795802	1054789	1073654
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	(190898)	1076704	(852297)	(55971)
प्रदत्त लाभ	(3186486)	(555783)	(1601873)	(1167786)
निपटान लागत	-	-	-	-

वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	30848137	30161267	15854525	16473879

II) योजना आस्तियों के उचित मूल्य के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	29414032	26053889
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	1956646	1920882
अंशदान	2505420	3330336
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	(665502)	(1335292)
प्रदत्त लाभ	(3186486)	(555783)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	30024110	29414032
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	474604	2411996

III) आस्तियों एवं बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	30024110	29414032	16473879	15921802
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	30848137	30161267	15854525	16473879
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि	-824027	-747235	-619354	552077

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	2141626	1912334	780027	702181
ब्याज लागत	1922628	1795802	1054789	1073654
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1956646)	(1920882)	-	-
बीमांकिक(अभिलाभ) /हानि	474604	2411996	(852297)	(55971)

निवल लागत	2582212	4199250	982519	1719864

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
मृत्यु संख्या सारणी (एलआईसी)		2012-14 (अंतिम)		2012-14 (अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.07%	6.73%	7.07%	6.73%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	6.73%	6.73%	5.00%	-
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	7.00%	5.00%
सेवात्याग दर	7.00%	7.00%	0.00%	7.00%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2025 -26 में उपदान देयता के लिए 26 लाख रुपये (विगत वर्ष- रुपये 34.28 लाख) का योगदान दिया है।

8.2.2. इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि के प्रति कंपनी का दायित्व और बीमांकिक मूल्यांकन का विवरण:

(राशि ₹ में)

1	कुल विगत सेवा उपदान	शून्य
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	शून्य
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	शून्य
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेषराशि देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	शून्य
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	शून्य

8.2.3 इंडबैंक ग्लोबल स्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में वर्ष के लिए व्यय के रूप में अभिज्ञात अंशदान निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

विवरण	2025-26	2024-25
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	9516070	13613059

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ दायित्व के अथ और इति शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निपटान लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

II) योजना आस्तियों के उचित मूल्य के अथ और इति शेष का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2025-26	2024-25
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
अंशदान	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य
प्रदत्त लाभ	शून्य	शून्य
निपटान लागत	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर बीमांकित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य

III) आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
चालू सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V) बीमांकिक अवधारणाएं

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर-निधिक)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
चालू सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बीमांकिक (अभिलाभ)/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और मांग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2025-26 में उपदान देयता के लिए रुपये 53.99 लाख (विगत वर्ष- 28.27 लाख) का योगदान किया गया है।

9. खंडवार रिपोर्टिंग (समेकित) (एएस 17)

9.1. खंड की पहचान

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

- राजकोष
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग *
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

*आरबीआई के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी.12/22.01.001/2022-23 दिनांक 7 अप्रैल 2022 के अनुसार रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में उप-विभाजित किया गया है।

बैंक की वर्तमान लेखांकन और सूचना प्रणाली उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग से डेटा कैप्चर करने और निकालने में सपोर्ट नहीं करती है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और विवरणियों की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. राजकोष

राजकोष खंड में संपूर्ण संविभाग और निवेश विदेशी विनिमय संविदाओं और व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार शामिल है। राजकोष खंड के राजस्व में मुख्यतः निवेश पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल होती है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह की उधार संबंधी शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करने के अलावा विदेशी कार्यालयों के गैर-राजकोषीय परिचालन शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग

(i) डिजिटल बैंकिंग - आरबीआई के दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन डीबीयू में परिचालन शुरू किया है। इस खंड की सूचना उक्त डीबीयू के परिचालन से संबंधित है।

(ii) अन्य रिटेल बैंकिंग इस खंड में खुदरा शाखाएं, जिसमें मुख्य रूप से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ उधार संबंधी गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ की जाती हैं, शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत जिन खंडों को वर्गीकृत नहीं किया गया है उन खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- i. **देशी परिचालन** - भारत में परिचालन करने वाली शाखाएं/कार्यालय
- ii. **विदेशी परिचालन** - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां

III. व्यय, आस्ति एवं देयताओं का आबंटन

कॉर्पोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों पर किए गए व्यय सीधे कॉर्पोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग संचालन या राजकोष संचालन खंड के लिए स्रोतजन्य हैं, तदनुसार आबंटित किए जाते हैं। जो व्यय, सीधे तौर पर स्रोतजन्य नहीं है, उन्हें प्रत्येक खंड में खंड आस्ति के अनुपात के आधार पर या सीधे तौर पर स्रोतजन्य व्यय में आबंटित किया जाता है। बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए स्रोतजन्य नहीं ठहराया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना जाता है।

9.2 समेकित खंड जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

भाग ए व्यवसाय खंड	राजकोष		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		डिजिटल बैंकिंग		अन्य खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	18739.55	17176.79	25027.09	23857.74	32213.67	29125.71	2.52	1.30	32211.15	29124.41	2352.39	1890.64	78332.70	72050.88
परिणाम	6348.84	6136.63	5503.98	5427.66	6758.35	6519.33	1.20	0.26	6757.15	6519.07	1405.01	1017.86	20016.18	19101.48
अनाबंटित व्यय													3514.64	4214.10
परिचालनगत लाभ													16501.54	14887.38
अल्पांश हित													2.49	2.92
अन्य अनाबंटनीय आय													246.37	269.52
आय कर													4274.55	3892.51
अपवाद स्वरूप मद													-766.59	0.00
निवल लाभ													11704.28	11261.47
अन्य सूचनाएं														
खंड आस्तियां	294517.21	264753.70	304457.62	272792.42	383509.48	330784.34	43.20	23.85	383466.28	330760.49	3581.34	3606.71	986065.65	871937.17
अनाबंटित आस्तियां													5487.14	5101.43
कुल आस्तियां													991552.79	877038.60
खंड देयताएं	271177.92	243744.04	280330.59	251144.84	353117.91	304534.78	42.00	23.59	353075.91	304511.19	1848.32	1424.97	906474.74	800848.63
अनाबंटित देयताएं													5035.16	4677.06
पूँजीगत आरक्षित निधि एवं अधिशेष													80042.89	71512.91
कुल देयताएं													991552.79	877038.60

भाग बी भौगोलिक खंड	देशी		विदेशी		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2045-25	2025-26	2024-25
राजस्व	75829.47	69618.35	2503.23	2432.53	78332.70	72050.88
आस्तियां	938352.36	832165.23	53200.43	44873.37	991552.79	877038.60

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्ड राजस्व और व्ययों को खण्ड आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।
जहाँ भी आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित किया गया।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस18)

10.1. मूल संस्था

10.1.1 अनुषंगी

क्र.सं.	अनुषंगी संस्था का नाम	निगमन का देश	निगमन की तिथि	स्वामित्व का हिस्सा	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम	सांविधिक लेखापरीक्षक के नियुक्ति की तिथि
ए	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	11.08.1989	64.84%	मेसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन	12.09.2025
बी	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	28.01.1991	51.00%	मेसर्स ए आर कृष्णन एंड एसोसिएट्स	12.09.2025
सी	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड	भारत	09.02.2024	100.00%	मेसर्स सूरी एंड शिवा	12.09.2025

10.1.2 सहयोगी संस्थाएं :

क्रम सं.	सहयोगी संस्थाओं का नाम	शेयरधारिता का स्वरूप
ए	तमिलनाडु ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक*	35%
सी	पुदुच्चेरी ग्रामीण बैंक^	35%

*सहयोगी सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसजीबी) के संबंध में केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 पैरा एस.ओ. 1635(ई) के माध्यम से सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में करने हेतु अधिसूचना जारी किया है। तदनुसार, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित) का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1 मई, 2025 से विलय किया गया है।

^ केंद्र सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-24102025-267093 दिनांक 24.10.2025 पैरा एस.ओ. 4832(ई) के माध्यम से पुदुच्चेरी भारतियार ग्राम बैंक का नाम परिवर्तित कर 'पुदुच्चेरी ग्रामीण बैंक' कर दिया है।

10.1.3. संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए लेखांकन (एस27)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि (रु करोड़ में)
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52%	105.00
एसएसआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	38.26%	37.50

10.1.4. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
श्री बिनोद कुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	16.01.2025
श्री आशुतोष चौधरी	कार्यपालक निदेशक	03.05.2023
श्री शिव बजरंग सिंह	कार्यपालक निदेशक	09.10.2023

श्री ब्रजेश कुमार सिंह	कार्यपालक निदेशक	10.03.2024
सुश्री मिनी टी एम	कार्यपालक निदेशक	24.11.2025

10.1.5. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक पद की समाप्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नाम	वर्ग	समाप्ति की तिथि	कारण
1.	श्री महेश कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	01.07.2025	नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति
2.	श्री प्रदीप कुमार मल्होत्रा	शेयरधारक निदेशक	28.11.2025	त्यागपत्र

10.1.6. गैर-कार्यपालकों का शेयरधारिता निदेशक:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री संजीव माहेश्वरी	शेयरधारक निदेशक	205
2	श्री भूपिंदर सिंह भल्ला	शेयरधारक निदेशक	150

10.1.7. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान रु. 382.32 लाख (विगत वर्ष रु. 314.07 लाख) पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

विवरण	2025-26	2024-25
श्री बिनोद कुमार, एमडी एंड सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 52.50 लाख	₹ 8.68 लाख
श्री महेश कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2024 से 30.06.2025)	₹ 58.62 लाख	₹ 56.11 लाख
श्री आशुतोष चौधरी, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 85.95 लाख	₹ 61.62 लाख
श्री शिव बजरंग सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 79.96 लाख	₹ 46.23 लाख
श्री ब्रजेश कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (01.04.2025 से 31.03.2026)	₹ 73.36 लाख	₹ 36.90 लाख
सुश्री मिनी टी एम, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां (24.11.2025 से 31.03.2026)	₹ 15.93 लाख	-
श्री शांति लाल जैन, पूर्व - एमडी एंड सीईओ प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	₹ 16.00** लाख	₹ 84.38* लाख
श्री इमरान अमीन सिद्दिकी^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	-	₹ 17.06 lakhs
श्री अश्विनी कुमार ^^, कार्यपालक निदेशक प्रदत्त वेतन एवं परिलब्धियां	-	₹ 3.09 lakhs

* छुट्टी, उपदान, पीएफ और पेंशन संराशिकरण के नकदीकरण सहित

पीएलआई और अन्य भत्ते सहित

^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 09.03.2024 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

^^ कार्यपालक निदेशक दिनांक 01.06.2023 तक, प्रोत्साहन / अन्य भत्ते

10.1.8. संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

मद / संबंधित पक्ष	संयुक्त उद्यम
सेवाएं प्रदान करना	1.70
सेवाएं प्राप्त करना	18.89

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार “सरकार-नियंत्रित उद्यम” हैं। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंधों के लेनदेन का प्रकटन नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

10.2. अनुषंगी कंपनियां

10.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि ₹ लाख में)

नाम	पदनाम		2025-26
श्री वी हरिबाबू	अध्यक्ष एवं पूर्ण कालिक निदेशक	वेतन	36.54
		पीएफ में अंशदान	1.92
श्री एम एस बालाजी (19.07.2025 से)	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ	वेतन	15.70
		पीएफ में अंशदान	1.11
श्री तौसिफ़ इनामदार (18.07.2025 तक)	उपाध्यक्ष एवं सीएफओ	वेतन	6.81
		पीएफ में अंशदान	0.53
श्रीमती चित्रा एम ए	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	वेतन	13.92
		पीएफ में अंशदान	1.40
गैर-पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क			6.24

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उन्हें उपर्युक्त बैंक के सेवानियम के अनुसार व कंपनी के शेयरधारकों द्वारा “पूर्णकालिक निदेशक” के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उन्हें कथित बैंक के सेवानियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और उन्हें कंपनी द्वारा दिए गए नियोजन प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
श्री वी हरिबाबू	प्रबंध निदेशक
ला. हैरेन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
के आरती	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के लिए प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

(राशि ₹ लाख में)

लेनदेन/शेष	वि.व 2025-26	वि.व 2024-25
केएमपी को पारिश्रमिक दिया गया:		
ला. हैरेन	21.38	20.47
एस कृष्णन	-	8.76
के आरती	7.60	-

केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	1.15	NIL
केएमपी द्वारा स्टाफ अग्रिम का पुनर्भुगतान		
	0.81	NIL
इति शेष:		
केएमपी को दिया गया स्टाफ एडवांस:		
ला. हैरेन	0.35	NIL
केएमपी को दिया गया रेंट एडवांस::		
ला. हैरेन	1.38	1.38

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। अतएव इस कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

कंपनी के सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और इंडियन बैंक के सेवा नियमों के अनुसार कंपनी (इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड) से पारिश्रमिक ले रहे हैं।

अन्य संबंधित पक्ष सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इसलिए एएस 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेनदेन के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

10.2.3. इंड ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(राशि ₹ लाख में)

नाम	पदनाम		2025-26
श्री कन्हैयालाल अग्रवाल	एमडी एवं सीईओ	वेतन	76.52
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	4.88
राजा गणपति	सीएफओ	वेतन	37.01
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	2.09
अभिनय बी	सीएस	वेतन	8.71
		पीएफ में नियोक्ता का योगदान	0.54

11. पट्टा (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

- पट्टा / किराया आधार पर ली गई परिसंपत्तियां, बैंक के विकल्प के अनुसार नवीकरणयोग्य / निरसनयोग्य हैं।
- बैंक द्वारा किया गया करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं जिसमें लिखित रूप से सहमत कैलेंडर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किए जाने का विकल्प है।
- परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, जिस वर्ष से संबंधित है, उसी वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया रुपए 499.25 करोड़ है। (विगत वर्ष – रुपए 456.93 करोड़)।

डी) वित्त पट्टा

वित्त पट्टे पर प्राप्त आस्ति में भूमि एवं भवन शामिल हैं। पट्टों की एक प्राथमिक अवधि होती है, जो निश्चित और गैर-निरसनयोग्य होती है। बैंक के पास द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प है।

वित्त पट्टा के तहत आवश्यक आस्तियों के संबंध में न्यूनतम पट्टा किराया और न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	न्यूनतम पट्टा भुगतान		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	
	यथास्थिति 31 मार्च 2026	यथास्थिति 31 मार्च 2025	यथास्थिति 31 मार्च 2026	यथास्थिति 31 मार्च 2025
1 वर्ष से अनधिक पूर्व देय	0	0	0	0
1 वर्ष से अनधिक एवं 5 वर्षों के अनधिक पूर्व देय	0	0	0	0
5 वर्षों के बाद देय	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
कम: भावी वित्तीय प्रभार	0	0	0	0
न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य	0	0	0	0

11.2. अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

पट्टे पर ली गई आस्तियों के मामले में

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर मूल संस्था के साथ कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे हैं। वर्ष के अंत में गैर-निरसन योग्य परिचालनगत पट्टों के तहत भावी आवश्यक न्यूनतम भुगतान निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹लाख में)

विवरण	यथास्थिति 31 मार्च 2026	यथास्थिति 31 मार्च 2025
वर्ष के लिए पट्टे का भुगतान	25.56	22.29
न्यूनतम पट्टा भुगतान: 1 वर्ष के अनधिक पूर्व देय	0.00	0.00
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्षों के अनधिक पूर्व देय	0.00	0.00
5 वर्षों के बाद देय	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2025-26	2024-25
इक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ में)	11704.28	11261.47
इक्विटी शेयरों की संख्या	1346963981	1346963981
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	1346963981	1346963981
प्रति शेयर मूल अर्जन ₹	86.89	83.61
प्रति शेयर अवमिश्रित आय ₹	86.89	83.61
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण को लेखा मानक (एएस 21) भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया जाता है। और "समेकित वित्तीय विवरण" को तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी

दिशानिर्देशों के समनुरूप इसे तैयार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूलसंस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगियों जैसे (1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लि. के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है और नव निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (3) इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के ऑडिटेड वित्तीय विवरण।

यथास्थिति 31.03.2026 को समेकित आंकड़ों में 3 सहयोगियों यथा (1) मेसर्स पुदुच्चेरी ग्राम बैंक, (2) मेसर्स तमिलनाडु ग्राम बैंक और (3) मेसर्स सप्तगिरि ग्रामीण बैंक के रु. 71.72 करोड़ का लेखापरीक्षित लाभ शामिल है और रु. 246.37 करोड़ दो संयुक्त उद्यमों अर्थात् 1) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2) एसएसआईसी (इंडिया) लिमिटेड के लेखापरीक्षित लाभ में हिस्सा है।

दिनांक 01.05.2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ एसजीबी के समामेलन के कारण, एसजीबी के इक्विटी शेयरों में बैंक के निवेश का अंकित मूल्य, जो कि रु. 6.22 करोड़ था, प्राप्त हो गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में समामेलन से पहले सहयोगी कंपनी (एसजीबी) में निवेश के वहन मूल्य और प्राप्त हुई वास्तविक राशि के बीच के रु. 766.59 करोड़ के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है और इसे समेकित परिणामों में असाधारण मदों के तहत रिपोर्ट किया गया है।

14. आय पर करों के लिए लेखांकन (एस22)

14.1 मूल संस्था

ए) **चालू कर** - चालू वर्ष के दौरान किए गए घरेलू परिचालन के लिए आयकर हेतु प्रावधान की राशि रु. 4608.53 करोड़ है इसमें विदेशी शाखाओं पर पिछले वर्षों से संबंधित चालू वर्ष में आय कर हेतु प्रदान किए गए रु. 14.18 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी शाखाओं में आयकर के लिए किए गए प्रावधान रु. 27.86 करोड़ है। वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर** - बैंक के पास रु. 5468.52 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति है (विगत वर्ष रु. 5080.20 करोड़ की निवल स्थगित कर आस्ति), जिसमें रु. 1370.40 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 1243.51 करोड़) आस्थगित कर डीटीएल रुपये के अंतर्गत शामिल हैं। रु. 6838.92 करोड़ (विगत वर्ष रु. 6323.71 करोड़) 'अन्य संपत्ति' के अंतर्गत शामिल हैं। डीटीए और डीटीएल (विदेशी शाखाओं सहित) के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	551.09	521.69
2	एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि)	214.39	145.89
3	उपदान के लिए प्रावधान	0.04	0.04
4	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3864.41	3864.41
5	पुनर्संचित आस्तियों, एक्जुआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	2100.51	1694.40
6	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	108.48	97.28
	कुल डीटीए	6838.92	6323.71
	आस्थगित कर देयताएं		
1	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास	44.41	44.41
2	बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	363.15	363.15

3	स्टाफ कल्याण पुनःप्राप्ति	4.11	4.11
4	धारा 36(i) (Viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित निधि	958.73	831.84
	कुल - डीटीएल	1370.40	1243.51
	निवल डीटीए / (डीटीएल)	5468.52	5080.20

सी) वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
कराधान के लिए प्रावधान-वैश्विक (आस्थगित कर सहित आयकर)	4248.07	3868.64

बैंक द्वारा विभिन्न पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए भुगतान की गई या विभाग द्वारा समायोजित की गई विवादित आयकर मांग को दिनांक 31.03.2026 तक "आयकर से संबंधित आकस्मिक देनदारियों" के मद के तहत 10,512.11 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 10,522.44 करोड़ रुपये) के रूप में दर्शाया गया है। न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के कारण उक्त विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

14.2. अनुषंगी कंपनियां :

14.2.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

ए) आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ में)

	आस्थगित कर			
	यथास्थिति 31.03.2026		यथास्थिति 31.03.2025	
	आस्ति	देयता	आस्ति	देयता
i) मूल्यहास-योग्य आस्तियों में समय का अंतर		5779279		8685271
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	17104385		20617195	
iii) अन्य	4386071		4447619	
कुल	21490456	5779279	25064814	8685271
निवल डीटीए / (डीटीएल)	15711177		16379543	

बी) वर्ष में कर के लिए ₹246.22 लाख का निवल प्रावधान किया गया है।

ग) मामलों से संबंधित पर न्यायिक घोषणाओं और/या कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) का प्रावधान रुपये 6.68 लाख (विगत वर्ष- रुपये -13.41 लाख) है जिसे लाभ और हानि खाते से वसूला गया है।

ई) पूर्व अवधि के कर : शून्य

14.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

ए. भविष्य की कर योग्य आय के सापेक्ष समायोजन के लिए पात्र अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित घाटे को आभासी अनिश्चितता के आधार पर स्थगित कर आस्ति के लिए नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज समेत 4.32 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। मांग गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय को संचय आधार पर ध्यान में रखकर जारी की गई है, जिसे एनएचबी के निर्देशों के अनुसार आय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मांग का विरोध किया है और दिनांक

29.11.2021 को कंपनी के पक्ष में निर्णय जारी किया गया है। आयकर विभाग किसी अपील के लिए आवेदन नहीं किया है। आईबीएचएल ने अपने कर सलाहकार के माध्यम से प्रभावी आदेश देने के लिए आयकर विभाग को दिनांक 17.04.2023 को एक पत्र प्रस्तुत किया। कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260A के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए उठाए गए दिनांक 18.03.2026 के ई-मेल के माध्यम से एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी रिफंड पाने की हकदार है। कंपनी उपर्युक्त रिफंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम प्रक्रियाधीन है।

सी. आयकर विभाग ने कर मूल्यांकन वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि रुपये 26.34 लाख से अधिक का दावा किया गया प्रावधान वापस ले लिया गया था, जिसे गलत पाया गया और ब्याज सहित मांग की गई। आयकर विभाग ने इस मांग को टीडीएस रिफंड के विरुद्ध समायोजित करना शुरू कर दिया। आईबीएचएल ने आयकर विभाग को दिनांक 13.02.2023, 05.08.2024 और 20.02.2025 को नए कर निर्धारण आदेश पारित करने और वित्तीय वर्ष 2006-07 में आईबीएचएल द्वारा दाखिल किए गए मूल रिटर्न नुकसान को बहाल करने के लिए जवाब प्रस्तुत किया, क्योंकि विभाग द्वारा प्राप्त आईटीएटी आदेश 31.03.2024 को सीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया था। आयकर विभाग से जवाब की प्रतीक्षा है।

14.2.3 इंड बैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

- ए) वर्ष में कर के लिए रुपये 117.92 लाख का निवल प्रावधान किया गया है।
- बी) वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) का प्रावधान रुपये (9.49) लाख (विगत वर्ष - (0.74)लाख) है, जिसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है।

15. एस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं -बंद किए गए परिचलान

15.1 अनुषंगी कंपनियां

15.1.1. इंडबैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन के आकलन हेतु मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम -निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। अतः, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को करने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनः अदायगी और दावा न की गई सावधि जमाओं का आईईपीएफ को अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। कंपनी अब केवल सेबी नियमों द्वारा शासित है।

16. संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग (एस -27)

निवेश में शामिल रु.142.50 करोड़ निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हित को दर्शाता है: (राशि ₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित	शेयरधारिता की राशि
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंड्योरेस कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	28.52 %	105.00
एसएसआईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत		38.26 %	37.50

एस 27 के आवश्यकतानुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की सकल राशि निम्नानुसार दी गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
देयताएं		

पूँजी एवं आरक्षित निधियां	625.91	561.82
जमा	0.00	0.00
उधारी	114.08	44.38
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1753.18	1389.20
कुल	2493.17	1995.40
आस्तियां		
आरबीआई के पास नकद एवं शेष	0.36	0.00
बैंक में शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर धन	68.59	46.00
निवेश	1972.46	1554.88
अग्रिम	0.00	0.00
अचल आस्तियां	25.62	25.44
अन्य आस्तियां	426.14	369.08
कुल	2493.17	1995.40
पूँजी प्रतिबद्धताएं		
अन्य समाश्रित देयताएं	68.95	61.57
आय		
अर्जित ब्याज	9.51	10.06
अन्य आय	868.55	799.74
कुल	878.06	809.80
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	6.62	3.59
परिचालन व्यय	779.57	714.93
प्रावधान और आकस्मिकताएं	25.16	22.59
कुल	811.35	741.11
लाभ	66.71	68.69

17. आस्तियों का हास (एएस-28)

मूल संस्था

बैंक प्रबंधन के विचारानुसार, जिस वर्ष के दौरान लेखा मानक 28 - "आस्तियों का हास" लागू होता है, उसमें आस्तियों में हास का संकेत नहीं है।

18. प्रावधान, समाश्रित देयताएं और समाश्रित आस्तियां (एएस -29):

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2025 को अथशेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रावधान प्रतिवर्तित / समायोजित	दिनांक 31.03.2026 को अंतिम शेष

ऋण के रूप में अन-अभिस्वीकृत बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधानों का संचलन	230.23	42.70	11.21	261.72

19. बैंक - बीमा व्यवसाय

19.1 मूल संस्था

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने विभिन्न बैंकाश्योरेंस उत्पादों/म्यूचुअल फंडों की बिक्री/विपणन पर रुपये 195.39 करोड़ तक कमीशन आदि अर्जित किया है (विगत वर्ष रुपये 180.58 करोड़)।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	आय की प्रकृति	2025-26	2024-25
1	जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री हेतु	156.14	144.30
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री हेतु	34.51	31.88
3	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	4.74	4.40
	कुल	195.39	180.58

19.2. अनुषंगी कंपनियां :

19.2.1. इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

चालू वर्ष और विगत वर्ष दोनों के लिए उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंक - बीमा व्यवसाय से संबंधित अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण प्रकट किया जाएगा।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2025-26	2024-25
1	जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	शून्य	शून्य
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु	शून्य	शून्य
3	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की बिक्री से	शून्य	शून्य
4	अन्य - म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु	0.03	शून्य
5	अन्य - बैंक के गृह ऋण उत्पादों के लीड संग्रहण हेतु	शून्य	शून्य
	कुल	0.03	शून्य

20. विधि

मूल संस्था

आकस्मिक देयताओं में मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड का खाता शामिल है, संघीय बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में कुल रु.1602.44 करोड़ की गारंटी जारी की गई थी। बीसीसीआई ने संघीय बैंकों के खिलाफ गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया, जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के विरुद्ध कुल रु.406.47 करोड़ का दावा किया गया। वाद में, बचाव के लिए रु.400 करोड़ का भुगतान करने पर सशर्त छूट दी गई थी, जिसमें हमारे बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे बैंक के रु.100 करोड़ के हिस्से का प्रेषण बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर को किया गया था। सारांश वाद बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। बैंक द्वारा किया गया उक्त 100 करोड़ रुपये का विप्रेषण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स निंबस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चालू खाते और एफडी खाते (84.09 करोड़ रुपये)

को डेबिट करके समायोजित किया गया है जिसमें 31.03.2026 को 15.94 करोड़ के बकाया शेष को शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई द्वारा दायर संक्षिप्त वाद पर, दिनांक 30.03.2017 के माध्यस्थ पंचाट के रूप में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2025 को बीसीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके तहत दावा विवरण दर्ज की तिथि से 9% प्रति वर्ष ब्याज दर सहित हमारे बैंक को ₹386,08,61,880/- की राशि का 25% (यानी ₹96.52 करोड़) भुगतान करने का निदेश दिया गया, अर्थात् इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष (दिनांक 20.12.2012 के आदेश के साथ पठित दिनांक 24.04.2013 के आदेश के अनुसरण में) जमा की गई रु.100 करोड़ की राशि का क्रेडिट देने के पश्चात, दिनांक 18 अगस्त, 2012 से वसूली की तिथि तक, रु. 25,00,000/- के वाद-व्यय शामिल है।

अतः कुल रु.21.88 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है (बीसीसीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावे हेतु रु.5.94 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है) (विगत वर्ष रु.31.26 करोड़ - संक्षिप्त वाद में डिक्रीत राशि रु.406.47 करोड़ से घटकर रु.96.52 करोड़ होने के कारण प्रावधान में कमी आई है)।

21. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

- ए) समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। इस तरह के समाधान का चालू वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।
- बी) वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल संस्था और उसकी सहायक कंपनियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक व्याख्या के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरणियों में उन मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- सी) बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा चिह्नित एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा से परे लंबित हो और वर्ष के दौरान ऐसे पक्षों हेतु मूलधन या उस पर ब्याज के विलंबित भुगतान की स्वीकृति देयता का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।
- डी) चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
इंडियन बैंक के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

- हमने **इंडियन बैंक** ("मूल संस्था/बैंक" के रूप में संदर्भित) एवं 31 मार्च, 2026 के समेकित तुलन-पत्र में समाहित इसके सहयोगियों (मूल कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को एक साथ समूह के रूप में अभिहित किया जाएगा।) और इनके एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों के अर्जन की हिस्सेदारी सहित इसकी अनुषंगियों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें इस वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ और हानि लेखों के विवरण व समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं मुख्य लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

ए) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण ;

बी) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 3 अनुषंगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ; एवं

सी) 2 एसोसिएट्स और 2 संयुक्त उद्यमों के अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, जैसा कि संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में एवं हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों संबंधी अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यम की अलेखा परीक्षित पृथक वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों (आरबीआई दिशानिर्देश) की आवश्यक जानकारी देते हैं और समूह, उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक एवं लागू लेखांकन मानक तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

ए) समेकित तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2026 तक ग्रुप और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के मामलों की स्थिति के टिप्पणियों के साथ पठित वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

बी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान समूह और उसके सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में लाभ का सही शेष; और

सी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह के सही और निष्पक्ष रूप में दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश और आवश्यकताओं के अनुसार हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि नीचे दिए गए "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करने पर हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित

है।

मामले की महत्ता

- हम विवरण के नोट संख्या 6 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹766.59 करोड़ की असाधारण मद (exceptional item) से संबंधित है। यह राशि समेकित वित्तीय विवरणों (consolidated financials) में उल्लिखित संबद्ध संस्थाओं (RRB) में निवेश के वहन राशि (carrying amount) और निवेश के निपटान से प्राप्त वास्तविक राशि के बीच का अंतर है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में विवरण पर हमारा निष्कर्ष अपरिवर्तित है।

प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य

- लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य वे तथ्य हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन तथ्यों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में समग्र रूप से चर्चा की गई थी, इसलिए इन तथ्यों पर हम अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निम्नलिखित तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा तथ्य के रूप में निर्धारित किया है :

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख तथ्य	लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को किस रूप में दर्शाया गया
	बैंक के संबंध में	
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, अनर्जक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्ति का 66.29% है, जो एकल वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के ("आरबीआई") दिशानिर्देशों में अनर्जक आस्तियों ("एनपीए") की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी आस्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धतियां शामिल हैं। बैंक के अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन का ब्यौरा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों (आईटी सिस्टम) में है जो अग्रिम के अर्जक या अनर्जक होने की स्थिति को चिह्नित, उसके एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना भी करता है। इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) भौतिक रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। लेन-देन की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाएँ, मौजूदा कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान-निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह एकल वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च महत्व का मामला है इसलिए हमने एनपीए की पहचान और प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में सुनिश्चित किया है।	नियंत्रण के परीक्षण ऋणों की स्वीकृति, अभिलेख और निगरानी, अतिदेय ऋणों की निगरानी प्रक्रिया, प्रावधानों की गणना, एनपीए खातों की पहचान और प्रत्यावर्तन आय से संबंधित प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन, तथा प्रबंधन सूचना (अतिदेय रिपोर्ट सहित) की विश्वसनीयता का आकलन। वस्तुपरक परीक्षण - ऋण खातों का नमूना जिसमें बड़े दबावग्रस्त अग्रिम शामिल थे और हमें आबंटित शीर्ष शाखाओं में नमूना आधार पर कुछ अन्य अग्रिम लिए गए थे, तथा ऐसे नमूनों में हमने निम्नलिखित जांच की - आय की पहचान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता और अर्जक या अनर्जक अग्रिम के रूप में पहचान। - चयनित अर्जक अग्रिमों का वर्गीकरण सही ढंग से किया गया था या नहीं यह जानने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया। - इन पार्टियों के बारे में उपलब्ध समेकित वित्तीय विवरणों, संपार्श्विक मूल्यांकन और अन्य गुणात्मक जानकारी की समीक्षा की गई। - आईआरएसी मानदंडों के अनुरूप एनपीए प्रावधानों और आय के प्रत्यावर्तन की गणना के विवरण का परीक्षण। - आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित उधारकर्तावार एनपीए पहचान की जाँच की गई। - आरबीआई के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए मानक अग्रिमों के प्रावधानों की जाँच की गई।

		• एनपीए की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग में आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा आदि जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता। • अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी भरोसा किया जाता है, जिनकी हमने जांच की है और प्रासंगिक टिप्पणियों पर विचार किया है।
2.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान • निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हैं। • निवेश बैंक की कुल आस्ति का 24.76% है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उसके सापेक्ष प्रावधान शामिल हैं। • पूर्वो प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, निवेश और विनियामक फोकस की मात्रा में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण पर केंद्रित थी।	आरबीआई के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, परिचालन प्रभावशीलता तथा अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और परीक्षण शामिल थे। विशेष रूप से, 1) हमने अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। 2) हमने इन निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। 3) निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों की सटीकता एवं अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया था कि ये निवेश की सभी श्रेणियों (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) के नमूने हैं। 4) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया व आय के संबंधित प्रत्यावर्तन एवं और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया; 5) हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र के अनुसार अनुरक्षित प्रावधान की पुनर्गणना की; 6) उक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के अनुसार प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने निवेश एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर के बीच निवेश की मैपिंग का परीक्षण किया।

5. अन्य मामले

- (ए) हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 2106 शाखाओं (3 विदेशी शाखाओं सहित) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 तक ₹ 3,54,715.47 करोड़ की कुल आस्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 23,472.95 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं 31 मार्च 2026 को 43.93% अग्रिम, 44.50% जमा और 53.28% अनर्जक आस्तियां और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 30.31% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के मामले में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- (बी) हमने उन तीन (3) अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 को ₹ 74.21 करोड़ की कुल आस्ति एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 22.42 करोड़ का कुल राजस्व और इस तिथि तक निवल नकदी प्रवाह ₹ 4.95 करोड़ है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन अनुषंगियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का मामला है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- (सी) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए उन दो (02) अनुषंगियों, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी में संबंधित समूह के ₹ 234.67 करोड़ के निवल लाभ जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, शामिल है उनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षा हमने नहीं की है। हमने उन दो (2) संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 को समूह के ₹ 2486.43 करोड़ की कुल आस्ति, ₹ 877.57 करोड़ का कुल राजस्व एवं इस दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 70.97 करोड़ के निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, को दर्शाते हैं। यह वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण की बात है, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूरी तरह प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी अभिमत में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- (डी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई थी, उनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने दिनांकित 03.05.2025 की रिपोर्ट के तहत ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।
- (ई) उपर्युक्त मामलों, किए गए कार्य व अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों एवं निम्नोक्त अन्य विधिक और विनियामक रिपोर्ट पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

6. समेकित वित्तीय विवरणों एवं एतद्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल होती है जिसे हमने इस रिपोर्ट को जारी करने का समय प्राप्त किया है (किंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं एतद्संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है)। वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों सहित, यदि कोई हो, निदेशकों की रिपोर्ट तथा कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट को हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की दिनांक के पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं बेसल III के तहत पिलर 3 के प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है तथा उस पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया जाता और ना ही ऐसा किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना एवं ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान निर्मित हुई हमारी समझ से महत्वपूर्ण रूप से पर असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अनुबंधों के साथ, यदि कोई हो, अध्ययन करते हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं कि उक्त में महत्वपूर्ण असंगतता है, तो हमारे द्वारा यह तथ्य अभिशासन प्रभारियों को बताया जाना अपेक्षित है।

7. समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन व अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व:

बैंक का निदेशक मंडल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत निर्धारित मान्यता और लेखा सिद्धांतों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान सहित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र व दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आंकलन के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी तौर पर परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्मित करना, लागू करना एवं बनाए रखना शामिल है जोकि समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु प्रासंगिक है जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हैं और किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हैं, शामिल हैं और इनका उपयोग उपर्युक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि वह संबंधित संस्था के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य जारी रखने की योग्यता का मूल्यांकन करें, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों में यथाप्रयोज्य प्रकटन करें, लेखांकन का कार्यशील संस्था आधार पर उपयोग करें, जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के परिसमापन अथवा परिचालनों को बंद करने का न हो, या ऐसा करने का कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों से संबंधित निदेशक मंडल सामूहिक संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

8. समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य, वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों भौतिक त्रुटियों, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही हों से पूर्णतः मुक्त है, पर उचित आश्वासन प्राप्त करना है तथा हमारे अभिमत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रदान करना है। उचित आश्वासन उच्चकोटि का आश्वासन है, लेकिन, यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार में की गई लेखापरीक्षा त्रुटि उत्पन्न होने पर हमेशा ही पहचान कर सकेगी। धोखाधड़ी या गलतियों से मिथ्या कथन आ सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है तथा एकल या सकल रूप में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार में हम पेशेवर निर्णय देते हैं तथा लेखापरीक्षा करते समय पेशेगत संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- समेकित वित्तीय विवरण की भौतिक त्रुटियों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी भूलवश, के जोखिम का आकलन तथा पहचान करना और संरचना एवं इन जोखिमों के उत्तरदायित्व के लिए लेखापरीक्षण करना तथा हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के कारण हुई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान न हो पाना, भूलवश हुई त्रुटि से बड़ा जोखिम है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या निरूपण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं लेखांकन अनुमानों व प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखा एवं प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन, कार्यशील संस्था के उपयोग के औचित्य पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों में महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें अथवा यदि प्रकटीकरण अपर्याप्त हो तो अपनी राय में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों के आधार पर होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ एवं स्थितियाँ समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की संरचना, सामग्री तथा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना और इसका भी जायजा लेते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाएँ उचित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करती हैं।
- समूह और इसके एसोसिएट्स व संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में काफी गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (I) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए; और (II) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तथ्यों पर विचार करते हैं।

हम बैंक अभिशासकों को अन्य मामलों के मध्य, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध ढांचा व समय एवं लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण प्रदान करते हैं।

हम अभिशासकों को ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा हम उन्हें ऐसे संबंध एवं अन्य मामले भी सूचित करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं और सुरक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

अभिशासकों को संप्रेषित किए गए मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

9. समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ एवं हानि लेखा तथा बैंक का समेकित नकदी प्रवाह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाए गए हैं।
10. उपरोक्त 4, 6 व 7 पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यक्ष और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्ष, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - (बी) समूह के लेन-देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं वह समूह के अधिकारों के भीतर ही हैं, और
 - (सी) कार्यालयों एवं समूह की शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।
- 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 में यथाअपेक्षित और उसके साथ वित्तीय वर्ष 2019 से एससीएएस के लिए रिपोर्टिंग दायित्व- 20, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 को एक साथ पठित, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर अपेक्षानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि
 - (ए) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखे की समुचित बहियाँ बैंक द्वारा रखी गई हैं जहां तक यह उन बाहियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रकट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियाँ हमारे द्वारा दौरा न कि गई शाखाओं से प्राप्त की गई हैं।
 - (बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों और शाखाओं द्वारा प्राप्त विवरणियाँ जहां हमने दौरा नहीं किया है, के अनुसार हैं।

- (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखापरीक्षित किये हैं, हमें भेजी गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इनकी उचित रूप से जाँच की है;
- (डी) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन इस हद तक करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (ई) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई प्रेक्षण या टिप्पणियां नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (एफ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। अनुषंगियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च, 2026 तक किसी भी अनुषंगियों के निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में अनुषंगियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (जी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई प्रतिबन्ध, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (एच) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के केवल एकल वित्तीय विवरणों पर ही लागू होगी एवं पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर यह लागू नहीं होती। तदनुसार, यथास्थिति 31 मार्च, 2026 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

कृते मेसर्स जी बालू एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000376S/S200073

कृते मेसर्स दास गुप्ता एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 000112N

कृते मेसर्स अरूण के अग्रवाल एवं
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003917N

आर रविशंकर
पार्टनर
(एम. नं. 026819)
यूडीआईएन: 26026819VETGSV9173

चंदन गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 547754)
यूडीआईएन: 26547754JLGRYQ1581

लोकेश कुमार गर्ग
पार्टनर
(एम. नं. 413012)
यूडीआईएन: 26413012PMGXXL7291

कृते मेसर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 005313C/C400311

कृते मेसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआर सं. 003202N

निलेश गुप्ता
पार्टनर
(एम. नं. 406020)
यूडीआईएन: 26406020NBAEOW9545

रवीन्द्र भाटिया
पार्टनर
(एम. नं. 017572)
यूडीआईएन: 26017572KDFJDR3918

हस्ताक्षर का स्थान: चेन्नै
रिपोर्ट की तिथि: 29.04.2026

बेसल III पूंजी विनियमों के तहत प्रकटीकरण

बेसल III संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों) दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुसार, बैंकों को बेसल III पूंजी आवश्यकताओं के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकटीकरण, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.bank.in पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध हैं:

<https://www.indianbank.bank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>

Elevate your aspirations with our



IB Home Loan & IB Vehicle Loan

*T&C Apply



Attractive
Interest Rates



Hassle – Free
Take Over



Minimal
Documentation



Quick
Processing



Scan to know more

Power Your Solar Vision



**MSME loan for financing
manufacturers, vendors,
And suppliers of solar panels
and ancillary products**



**Flexible Loan Options
Working Capital &
Term Loans**



**Loan Limit
Up to ₹75 Crores**



Scan to know more

DIRECTORS' REPORT 2025-26

To
The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended **31st March 2026**.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The **major highlights** of your **Bank's performance during FY26** are as follows:

A. RESOURCE MOBILIZATION & ADVANCES:

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.25	31.03.26	YoY (%)
Global Deposits	737154	827726	12.29
Domestic Deposits	702966	789283	12.28
Of which Current	39236	44087	12.36
Savings	243140	269005	10.64
CASA	282376	313092	10.88
CASA Mix (%)	40.17	39.67	-
Overseas Deposits	34188	38443	12.45
Global Advances (Gross)	588140	667113	13.43
Domestic Advances (Gross)	546283	617485	13.03
Overseas Advances (Gross)	41857	49628	18.57
Total Business	1325294	1494839	12.79
Total Assets	873411	987953	13.11

- Global Deposits grew by 12.29% YoY and stood at **₹8.28 lakh Cr** in March 2026.
- Domestic Deposits grew by 12.28% to **₹7.89 lakh Cr**. Domestic CASA increased to **₹3.13 Lakh Cr** and CASA share was at 39.67%. In order to augment the CASA portfolio, Bank has mobilized **38.82 lakh** new CASA accounts (excluding BSBD Savings account) during FY26.
- Gross Advances of the Bank (Global) grew by 13.43% YoY and stood at **₹6.67 lakh Cr** as on March 31, 2026 from ₹5.88 lakh Cr as on March 31, 2025.
- Priority Sector Advances were at **₹ 2.15 lakh Cr** as on March 31, 2026. Priority sector as a percentage to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for FY26 stood at

41.46% as against the mandatory target of **40.00%**.

- Agriculture Credit (Priority Sector) was at **₹96,191 Cr** and as a percentage to ANBC the same stood at **18.55%** as against the mandatory target of 18.00%.
- All mandatory targets under priority sector stipulated by RBI have been surpassed during FY26.
- Gross NPA and Net NPA reduced to **₹13,190 Cr (1.98%)** and **₹965 Cr (0.15%)** respectively as on March 31, 2026 from **₹18,179 Cr (3.09%)** and **₹1,110 Cr (0.19%)** respectively as on March 31, 2025.
- Total recovery of NPAs (cash recovery including recovery in AUC accounts, upgradation and MoI) during FY26 amounted to **₹6,651 Cr** as against **₹7,651 Cr** in the previous year.
- Provision Coverage Ratio (PCR) of the Bank improved by **18 bps** to **98.28%** in FY26 as against **98.10%** in FY25.
- Domestic Branch network of the Bank expanded to 6001, comprising of 2011 Rural, 1605 Semi Urban, 1195 Urban and 1190 Metropolitan branches. Besides, Bank has 3 overseas branches and 1 IFSC Banking unit (GIFT City). Total number of Bank's ATMs and BNAs stood at 5657 which include 645 offsite ATMs/BNAs and 3 mobile ATMs. Bank is also having 17032 Business Correspondents taking the Pan India touch points to **28691**.

B. INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.25	31.03.26	YoY (%)
Interest Earned	62002	67451	8.79
Interest Expended	36826	40536	10.07
Net Interest Income (NII)	25176	26915	6.91
Other Income	9223	9991	8.32
Of which - Fee Income	3528	3709	5.15
Operating Revenue (NII + Other income)	34399	36906	7.29
Operating Expenses	15401	16989	10.31
Of which Employee Expenses	9883	10760	8.87
Other operating Expenses	5518	6229	12.89

(₹ in Cr)

Particulars	31.03.25	31.03.26	YoY (%)
Operating Profit	18998	19916	4.83
Provisions Other Than Tax	4211	3512	(16.60)
Profit before Tax	14787	16404	10.94
Provision for Tax	3869	4248	9.80
Net profit	10918	12156	11.33

- Interest income of the Bank grew by 8.79% to ₹67,451 Cr in FY26 from ₹62,002 Cr in FY25.
- Net Interest Income grew by 6.91% to ₹26,915 Cr in FY26 from ₹25,176 Cr in FY25.
- Fee based Income grew by 5.15% to ₹3,709 Cr in FY26 from ₹3,528 Cr in FY25.
- Operating Profit increased by 4.83% at ₹19,916 Cr in FY26 from ₹18,998 Cr in FY25.
- Profit before Tax grown by 10.94% to ₹16,404 Cr in FY26 from ₹14,787 Cr in FY25.
- Net Profit up by 11.33% YoY to ₹12,156 Cr in FY26 from ₹10,918 Cr in FY25.

C. KEY RATIOS FOR FY26:

(in %)

Parameters	31.03.25	31.03.26
Yield on Advances	8.75	8.33
Cost of Deposits	5.12	4.97
Net Interest Margin	3.41	3.24
Net Interest Margin (Domestic)	3.51	3.36
Cost Income ratio	44.77	46.03
Return on Assets	1.32	1.31
Return on Equity	20.76	19.53
Average Business per employee (₹ in lakh)	2922	3336
Profit per employee (₹ in lakh)	27.25	30.22

- Cost of Deposits (CoD) reduced by 15 bps to 4.97% in FY26 from 5.12% in FY25.
- Return on Assets (RoA) stood at 1.31% in FY26.
- Net Interest Margin (NIM) Domestic stood at 3.36% in FY26.
- Average Business per employee increased by ₹414 lakh to ₹3336 lakh in FY26 from ₹2922 lakh in FY25.

- Profit per employee increased by ₹2.97 lakh to ₹30.22 lakh in FY26 from ₹27.25 lakh in FY25.

D. NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank stood at ₹65,628 Cr as on March 31, 2026 as against ₹57,029 Cr in March 31, 2025.
- Shareholding of Govt. of India (GoI) is 73.84% as on March 31, 2026

(in %)

CRAR as per BASEL III	As on	
	31.03.2025	31.03.2026
CET- I	15.36	16.40
Tier- I Capital	15.85	16.40
Tier-II Capital	2.09	1.53
Total	17.94	17.93

- As per Basel III norms, the CET- I ratio was at **16.40%** on 31.03.2026 compared to **15.36%** on 31.03.2025 as against minimum requirement of **8.00%**.
- The Tier-I Capital was at **16.40%** as on March 31, 2026 as against **15.85%** as on March 31, 2025.
- The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) was at **17.93%** as on March 31, 2026, compared to **17.94%** in March 31, 2025 as against the regulatory requirement of **11.50%**.

E. RECRUITMENT / TRAINING

As per the Government of India guidelines, Bank is providing Reservation to SC/ST/OBC/EWS/PwBD/ ExSM categories under direct recruitment wherever applicable. Further, pre-promotion trainings were conducted to the employees belonging to SC/ST/ OBC/ PwBD categories in the internal Promotion process.

F. CHANGES IN THE BOARD DURING THE FINANCIAL YEAR:

All the Directors except Shareholder Directors are appointed/nominated by the Govt. of India (GOI). During the FY'26, DFS, GOI has appointed/nominated,

- Ms. Mini T M as Executive Director of the Bank

with effect from 24.11.2025.

- Shri Balmukund Sahay as Part Time Non-Official Director of the Bank with effect from 11.04.2025.
- Shri Vishvesh Kumar Goel as Part Time Non-Official Director of the Bank with effect from 11.04.2025
- Shri Bhupinder Singh Bhalla was elected as Shareholder Director of the Bank with effect from 31.12.2025 for a period up to 08.03.2027

The details regarding the completion/ cessation of the term of appointment of Directors during FY' 26 are as follows:

- Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director of the Bank demitted office on 30.06.2025 on superannuation and accordingly ceased to be Executive Director of the Bank with effect from 01.07.2025.
- Shri Pradeep Kumar Malhotra submitted his resignation vide letter dated 28.11.2025 pursuant to RBI's communication dated 30.07.2025 disqualifying serving employees of Life Insurance Corporation of India being connected with para banking activities to be on the Board of PSBs as Shareholder Director in terms of para 4.3(iv)(b) of Master Direction-Reserve Bank of India ('Fit & Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions, 2019 dated August 02, 2019 (updated as on June 03, 2020). Accordingly, Shri Pradeep Kumar Malhotra ceased to be a Director of the Bank w.e.f. 28.11.2025

G. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026: –

1. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view on the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year ended March 31, 2026.

4. Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

H. Performance evaluation of Bank's Board and its Directors

To strengthen governance practices, Bank engaged a reputed External Expert to conduct the performance evaluation of the Board, its Committees and Individual Directors. The evaluation methodology was accepted by the Nomination and Remuneration Committee. Accordingly in compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the principles outlined in the SEBI Guidance Note on Board Evaluation issued vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2017/004 dated January 5, 2017. External Expert has carried out the evaluation of the Board, Board-level Committees and Individual Directors for FY 2025–26.

I. ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, State Governments, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board is also grateful to the financial institutions and correspondent Banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unwavering support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by

Shri Mahesh Kumar Bajaj and **Shri Pradeep Kumar Malhotra** who ceased to be members during the financial year.

The Board also places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

(Binod Kumar)

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Global Economy

- The global economy in 2025 showed resilience amid trade shifts and geopolitical tensions but faced headwinds from weakening demand and rising tariff pass-through, moderating future growth. Short-term support from inventory build-up and easier financial conditions faded. Economic activities in major economies exhibited reducing demand for trade and commodities.
- Global inflation in 2025 moved closer to central banks' targets, with easing core inflation but shown persistent divergence across economies. Headline inflation edged up slightly due to pressures in some advanced economies, while easing in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs). Services' inflation remained elevated relative to goods, though moderating alongside softer labor market conditions.
- In this backdrop, major central banks face difficult tradeoffs between containing inflation and supporting growth, with monetary policy normalization expected to remain gradual and data-dependent.
- Global trade in 2025 was marked by tariff-driven distortions, with front-loaded imports early in the year followed by a slowdown in trade flows and rising divergence across countries depending on tariff exposure and export diversification. The IMF projected trade growth to slow from 5.1% in 2025 to 2.8% in 2026, before improving to 3.8% in 2027.
- The global outlook has weakened amid escalating geopolitical tensions and Middle East-led supply disruptions, with the IMF projecting growth at 3.1% in 2026 and 3.2% in 2027 (down by 0.2 percentage points), while global inflation is expected to rise to 4.4% in 2026 before moderating to 3.7% in 2027. Overall, risks remained tilted to the downside, particularly for EMDEs facing higher vulnerability to debt, commodity dependence and geopolitical fragmentation.

2. Indian Economy

- India's GDP growth for Q3 FY26 stood at 7.8%, marking the first release under the revised base year (2022-23). Festive demand and GST-related support boosted economic activities. The new series incorporates improved datasets and methodology, offering a more accurate and contemporary view of

economic performance.

- Amid persistent global uncertainty, India's economy remained broadly resilient in FY26, as reflected in high-frequency indicators, though early signs of moderation emerged towards the end of the year. Some of the high-frequency indicators pointed to continued economic resilience in FY26: e-way bill generation rose to 156 Crore (19.5%), while PMIs remained expansionary despite moderation. Core sector growth slowed to 2.6% in March 2026 amid supply disruptions.
- Inflation remained benign in FY26, despite intermittent upward pressures. Retail inflation moderated to 2.1% in FY26 from 4.6% in FY25, largely driven by food price movements, with inflation across CPI subcategories remaining within the tolerance band. Food inflation outlook remains comfortable supported by robust rabi production, adequate reservoir levels, and comfortable foodgrain buffer stocks, although possible El Niño conditions pose a risk going forward.
- On the external sector front, exports grew 0.9% while imports rose 7.7% in FY26, leading to a wider merchandise trade deficit. The current account deficit remained moderate at around 1% of GDP, supported by services exports and remittances, despite intermittent widening during the year.
- The West Asia conflict posed a key external risk, especially for energy-intensive sectors like fertilizers and chemicals, though timely policy measures helped limit immediate spillovers. Looking ahead, India enters FY27 with strong underlying fundamentals, even as geopolitical tensions and commodity price volatility cloud the near-term outlook. Real GDP growth is projected at 7.6% for FY26, reflecting broad-based strength in economic activity.

3. Union Budget FY26

- The Union Budget 2026-27 is a balance between fiscal discipline and growth. The Budget prioritized agriculture, MSMEs, investment, and exports in line with the three 'Kartavyas'- (i.e., i. Accelerate and Sustain Economic Growth ii. Fulfil Aspirations of People and iii. Ensure Inclusive Access).
- The Budget has Total Expenditure Outlay of ₹53.47 lakh Crore including Revenue Expenditure of ₹41.25

lakh Crore and Capital Expenditure (Capex) of ₹12.22 lakh Crore. In this budget the Total Receipts (Excluding Borrowings) estimated at ₹36.52 lakh Crore and the fiscal deficit set at 4.3% of GDP, with gross borrowing kept at ₹17.28 lakh Crore. Debt to GDP ratio pegged at 55.6%.

- The large borrowing program is expected to keep G-Sec yields elevated, affecting banks' treasury portfolios, while the lower deficit reinforces fiscal credibility, supports sovereign ratings, and helps contain overseas borrowing costs for Indian banks.
- The capital expenditure outlay has been raised to ₹12.2 lakh Crore, supplemented by ₹2 lakh Crore in interest-free loans to states and investments in logistics infrastructure, expanding opportunities for project finance, working capital lending, and treasury investments through CPSE asset monetization via REITs.
- A High-Level Committee on Banking Reforms has been constituted to align the sector with Viksit Bharat, with potential recommendations on governance, ownership, and capital structures that could reshape competitive dynamics and require banks to scale up to global benchmarks.
- To strengthen MSME equity financing, a ₹10,000 Crore SME Growth Fund and a ₹2,000 Crore top-up to the Self-Reliant India Fund have been announced, reducing excessive reliance on debt and helping improve borrower balance sheets and credit quality.

4. Monetary Policy

RBI MPC in its latest April 2026 meeting, kept the repo rate unchanged at 5.25% and retained a neutral stance, amid heightened geopolitical risks from the U.S.-Iran conflict, elevated crude prices, and global supplychain uncertainties.

To support liquidity, the RBI also reduced the Cash Reserve Ratio (CRR) by 100 basis points during FY26, easing funding conditions for banks and supporting credit transmission.

- In parallel, the RBI undertook measures to ease regulatory burden and improve ease of doing business, including consolidation of supervisory instructions and simplified MSME onboarding on TReDS, reducing compliance and procedural requirements.
- The capital adequacy framework was rationalized through proposals to allow inclusion of

quarterly profits in CRAR computation without linkage to NPA provisioning and the withdrawal of the Investment Fluctuation Reserve (IFR) requirement, effective April 2026.

- To strengthen MSME financing, the RBI enhanced the collateral-free loan limit from ₹10 lakh to ₹20 lakh, supporting credit flow to smaller enterprises and reducing reliance on informal financing.
- Money market reforms included expanded participation in the term money market and higher borrowing limits for Standalone Primary Dealers, aimed at improving market liquidity and depth.
- For foreign portfolio flows, the RBI removed the VRR cap of ₹2.5 lakh Crore, bringing investments under the General Route, enhancing flexibility for foreign investors.
- On customer protection, the RBI introduced a framework to compensate customers up to ₹25,000 for small-value fraudulent digital transactions, strengthening trust in digital payments.

5. Banking Sector:

The Indian banking sector closed FY26 on a strong footing, supported by robust credit and deposit growth, accommodative liquidity conditions, and a series of enabling regulatory measures by the Reserve Bank of India (RBI), as mentioned in previous section. The operating environment during the year was shaped by volatility in capital markets, rising overseas borrowing costs, currency pressures, and sustained domestic credit demand.

- Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew by 13.5% YoY in FY26, marking the fastest pace in nearly two years. Growth was supported by a shift towards bank deposits amid volatility in equity and other asset classes. Total deposits stood at around ₹262 lakh Crore as on March 31, 2026.
- Bank credit expanded by about 16.1% YoY, outpacing deposit growth. Credit demand was supported by a shift from market-based to bank financing amid elevated yields and currency depreciation. Retail credit remained resilient, while corporates increased reliance on bank funding for investments and delayed market issuances. Total credit stood at ₹214 lakh Crore as on March 31, 2026.

- Lending and deposit rates moved in line with evolving liquidity conditions and policy dynamics. The Weighted Average Lending Rate (WALR) on fresh rupee loans decreased by 95 bps between March 2025 and March 2026, while the Weighted Average Domestic Term Deposit Rate (WADTDR) moderated by 65 bps during the same period. The sharper decline in lending rates relative to deposit rates indicates effective transmission of policy easing, with implications for margin compression.
- Margin pressures emerged due to rapid policy rate transmission, moderation in CASA and higher reliance on wholesale funding. Banks with stronger liability franchises and liquidity buffers remained better positioned.
- Liquidity conditions remained uneven during the year, shifting from surplus to intermittent deficits due to government tax outflows and strong credit demand. Tightness intensified towards March 2026, when the system recorded its first deficit of calendar year 2026. The RBI responded through open market operations, variable rate repo auctions, and forex interventions to stabilise liquidity.
- Asset quality improved further, supported by better underwriting and resolution mechanisms. The GNPA ratio declined to 1.9% in December 2025 from 2.4% a year earlier, with broad-based improvement across sectors.
- The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) continued to support resolution of stressed assets. Ongoing reforms are expected to improve recovery efficiency and strengthen credit discipline.
- The near to medium-term outlook for the Indian banking sector remains positive, supported by healthy credit growth driven by regulatory easing, corporate capex revival, and sustained retail demand. Deposit growth may moderate but stay above historical trends. Margins could face near-term pressure, with improvement expected from H2 FY27. Asset quality is likely to remain stable, supported by structural reforms and steady economic conditions.

Year Ahead

Global growth is expected to remain modest, downside risks persist, particularly for emerging economies as FY27 unfolds amid a fragile global backdrop marked by geopolitical risks, volatile commodity prices, and cautious monetary policy normalization.

India enters FY27 with relatively strong macroeconomic fundamentals. Domestic demand, supported by consumption resilience, public capex, and a gradual revival in private investment, is expected to anchor growth. Nevertheless, external headwinds may weigh on industry and the external sector. Inflation is likely to remain manageable but sensitive to food and energy shocks, while the banking sector is expected to support growth with healthy credit expansion, even as near-term margin pressures persist.

6. DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- During the year ending 31.03.26 (Mar'26), the Bank recorded robust growth across key business parameters. Global Business expanded by 12.8% YoY, reaching ₹14,94,839 Crore as on 31.03.26 as compared to ₹13,25,294 Crore on 31.03.25. Domestic Business also demonstrated strong momentum, growing by 12.61% to ₹14,06,768 Crore, up from ₹12,49,249 Crore in the previous year.
- Total Global Deposits registered a 12.3% YoY increase, rising to ₹8,27,726 Crore as on 31.03.26 from ₹7,37,154 Crore a year earlier. Domestic Deposits grew in line with the overall trend by 12.3%, reaching ₹7,89,283 Crore compared to ₹7,02,966 Crore as on 31.03.25. Overseas Deposits also recorded healthy growth of 12.5%, amounting to ₹38,443 Crore as on 31.03.26 compared to ₹34,188 Crore as on 31.03.25.
- Savings Bank Deposits stood at ₹2,69,098 Crore as on 31.03.26, reflecting a 10.6% YoY growth over ₹2,43,224 Crore as on March 2025. CASA Deposits increased by 10.9% YoY to ₹3,13,548 Crore, compared to ₹2,82,854 Crore in the previous year. The CASA ratio remained at 37.88% at the global level and 39.67% for domestic operations.
- Total Term Deposits witnessed a growth of 13.2% YoY, reaching ₹5,14,178 Crore as on 31.03.26 as against ₹4,54,300 Crore as on 31.03.25.
- Global Advances grew by 13.4%, rising to ₹6,67,113 Crore in March 2026 from ₹5,88,140 Crore in the previous year. Domestic Credit expanded by 13.0% YoY, standing at ₹6,17,485 Crore compared to

₹5,46,283 Crore as on 31.03.25. Notably, Standard Advances registered a growth of 14.7% YoY, reflecting improvement in asset quality.

- The Bank's Global Credit-Deposit Ratio stood at 80.60%, indicating efficient deployment of resources while maintaining a prudent liquidity position.

6(a) DOMESTIC DEPOSITS

- During FY26 domestic deposits grew by 12.28%, CASA grew by 10.88% and CASA Deposits to total Deposits Ratio stood at 39.67% as on 31.03.26.
- Domestic CASA increased by 10.88% (YoY), of which Current Account grew by 12.36% and Savings grew by 10.64% on YoY Basis.
- Under Savings Bank, Individual deposits grew by 8.58%, Govt. Deposits grew by 20.62% and Institutional deposits de-grew by 1.18%, NRI deposit grew by 11.19 %, FI SB Segment grew by 18.31% on YoY basis.
- Term Deposits grew by 14.38% of which Retail and Bulk Term Deposits grew by 12.65% and 18.91% respectively. Individual RTD segment grew by 8.68% on YoY basis.

Strategies adopted in FY26

Segmented Focus: The Liability Vertical has been remodeled for driving business on a segment basis viz., Government, Institutions, Individuals, NRI and FI.

Customer Acquisition

- In FY26, the Bank has opened 55.24 Lakh SB account with balance of ₹16192 Crore at an average of 3.47 account per day per branch. During the same period in FY25, the Bank opened 53 Lakh account with balance of ₹11545 Crore at an average 3.28 account per day per branch. In Q4 of FY26, alone the Bank has opened 12.74 Lakh SB accounts with balance of ₹4703 Crore. (Account opening Growth- 4.21% YoY)
- Total current accounts opened during FY26 were 1.48 lakh with average balance improved to 2.64 lakh from 1.88 lakh during last year.
- As on Mar'26, the average balance of Normal Savings Bank excluding BSBD has been improved from 0.30 lakh to 0.41 lakh.
- The Bank has opened 3.04 lakh salary accounts in FY26 witnessing a growth of over 56% as against previous year of 1.95 lakh salary accounts.

Revival of DEAF and Inoperative Accounts

- During FY26, the Bank revived 33.62 lakh accounts having balance of ₹4,684.72 Crore from inoperative to operative status.
- Total 61,993 accounts amounting to ₹322.14 Crore in DEA-Fund were revived during FY26.

Government Business (Resources & Government Relationship (R&GR) Cells)

The Bank has expanded R&GR cell by adding 2 new R&GR cells at Hyderabad & Amravati during FY26. Now, the Bank has 20 R&GR Cells at all important State Capitals for mobilizing resources from Government Departments offering tailored products, Payment Solutions, Dashboards etc.

- The Bank has opened 33 new SNA accounts during FY26, taking total no. of accounts to 340 with balance of ₹14568 Crores as on 31.03.26.
- R&GR cells contributed ₹35881 Crore (NTB ₹8589 Crore and ETB ₹27292 Crore) accounting for 55.45% of the total government CASA business of the bank.
- The Bank has opened 3434 NON-SNA accounts during 2025-26 with a balance of ₹5948 Crore as on 31.03.26.
- The Bank has provided 195 customized Fintech solutions to various Government Department/ Institutions. Out of which 52 Fintech Solution were provided during FY26.
- Total CASA business of the Bank from Government Sector as on 31.03.26 stands at ₹64397 Crore (₹8902 Crore in CA & ₹55495 Crore in SB) with YoY growth of 21.98%.

NRI Vertical:

- The Bank has registered a YoY growth of 11.19 % in NR SB and 26.92 % under NR Retail Term Deposits during the year.
- Bank has launched dedicated 24*7 call centres exclusively for NRI Customers.
- Training organized for NR Centric branch employees on knowledge and customer service.

Ind-bank – Global Support Services Limited (IGSSL)

- Total 535 FOS Personnel of IGSSL were deployed across 45 zones under 9 FGMs for improving volume and value of NTB customers' acquisition and mobilised ₹1351 Crore during FY26.

6(b) RETAIL CREDIT:

(₹ in Cr)

Retail	31.03.25	31.12.25	31.03.26	YoY (%)
Home Loan (incl. Mortgage loans)	74480	82362	84450	13%
Mortgage Loans	10847	13131	13175	21%
Auto Loan	11536	15540	16153	40%
Educational Loan	4503	4480	4297	-5%
Personal Loan	7288	6706	6502	-11%
Jewel Loan (Non-Priority)	9706	16338	18527	91%
Other Retail Loans	11584	10766	11468	-1%
Total	119097	136192	141396	19%

During FY26, ₹76,753 Crore Retail Loans were sanctioned vis-à-vis ₹55,414 Crore of sanctions during FY25.

Bank has taken the following initiatives during FY26 for the growth of Retail Assets:

- Bank has organized the Thematic Retail Credit Campaign to drive demand and achieve targets from July'25 to Mar'26. As a result of these Credit Campaigns launched during the period, the Bank achieved ₹47,474 Crore (92.90%) of the total target of ₹51,100 Crore.
- Implementation of Digital Document Execution (DDE)- The Bank introduced Digital Document Execution in collaboration with NeSL across multiple loan products viz., Home Loan, Education Loan, Gold Loan, PM Surya Ghar, and other loans. The functionality is also implemented across all digital journeys of Home loan, Vehicle loan, Jewel loan, Rooftop Solar loan, Staff OD & Staff Vehicle loan, Education loan and credit facilities against Term deposits.
- This initiative has enabled seamless digital documentation with e-stamping, eliminating the need for physical branch visits, and significantly improved customer convenience and processing efficiency.
- Integration of Document e-Verification & Archival and Asset Management Centre (DAMC) Module with Digital Journeys.** The **DAMC module** is integrated across all digital lending journeys,

enabling: Automatic submission of DAMC approval requests post-sanction. Seamless linkage with document execution and loan account creation through the **Digital Lending Platform**.

- The **NACH mandate facility** is made live for **Housing Loans and Vehicle Loans** to ensure seamless EMI repayment to improve collection efficiency, reduce instances of SMA slippages, consequently improve borrower CIC Score in order to strengthen repayment discipline and overall portfolio quality.

6(c) AGRICULTURE

- Agricultural credit of the Bank increased by 11.28% from ₹1,37,627 Crore as on 31.03.25 to ₹1,53,150 Crore as on 31.03.26.
- The Bank recorded IBPC issuances of ₹23,100 Crore in FY26. The Agri-Credit, inclusive of IBPC, achieved a YoY growth of 28.06%.
- This marked the first IBPC issuance by the Bank in the past ten years.**

Agricultural Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLC), farm loans to the tune of ₹1,54,804 Crore were disbursed during FY26 as against the target of ₹1,42,138 Crore.
- Of the above, ₹75,529 Crore was disbursed to 39.89 Lakh Small and Marginal farmers.

Performance under RBI mandatory target under Priority Sector Advances in FY26

- Priority Sector Advances were at ₹2,14,943 Crore as on 31.03.26, contributing 41.46% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the mandatory target of 40%.
- Agriculture Credit under priority sector was at ₹96,191 Crore as on 31.03.26 and the percentage to ANBC stood at 18.55% as against the mandatory target of 18%.
- Lending to SF/MF stood at ₹53,112 Crore as on 31.03.26 and constituted 10.24% of ANBC as against the mandatory target of 10%.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹71,586 Crore as on 31.03.26 and constituted 13.81% of ANBC as against the mandatory target of 12%.
- Lending to MSE-Micro Enterprises stood at ₹58,256 Crore as on 31.03.26 and constituted 11.24% of ANBC as against the mandatory target of 7.50%.

- Lending to Non-Corporate Farmers stood at ₹88,175 Crore as on 31.03.26 and constituted 17.01% of ANBC as against the mandatory target of 14%.

Credit flow to Self Help Groups:

- The Bank has been pioneer in SHG linkage and it was the 1st Bank to fund SHG way back in the year 1989. The outstanding credit to SHGs stood at ₹22,748 Crore covering 5.03 lakh SHGs as on 31.03.26. During the current financial year, the Bank disbursed ₹17,800 Crore to 3.13 Lakh SHGs (34.43 Lakh members).
- The Bank surpassed the Target set by National Rural Livelihood Mission (NRLM) under both Disbursement ₹14,886 Crore and Outstanding ₹22,323 Crore for FY26 as against the targets of ₹10,779 Crore and ₹11,388 Crore respectively.

Lakhpatri Didi

- In line with the Government initiatives, the Bank launched a specific tailor-made products under "Lakhpatri Didi" for financing individual women members for taking up individual Agri / MSME business enterprises. During FY26, Bank has financed 19,527 women led enterprises amounting to ₹280 Crore. The Bank assisted 37,458 women led enterprises and disbursed ₹494 Crore under the scheme.
- The Bank has been adjudged as the **2nd Best Performer** among PSBs under "Lakhpatri Didi Scheme" for FY26.

Microsate Branches:

- Bank has opened 2 new Microsate Branches during FY26. As on 31.03.26, total 59 Microsate Branches – Specialized branches available for focused lending under SHG and the outstanding in these branches constitutes 20% of total SHG portfolio of the Bank. These branches serve as 'One Stop Shop' - providing credit as well as credit plus services like training, maintaining accounts/ books etc. During FY26, credit amounting to ₹3,519 Crore was extended to 44,134 SHGs through the Microsate Branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹4,564 Crore covering 66,469 SHGs as on 31.03.26.

Weaker Section Advances:

The Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes

Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit to Weaker Sections stood at ₹71,586 Crore as on 31.03.26, which is 13.81% of ANBC as against stipulated norm of 12%.
- Observance of SC/ST and Minority Credit Campaigns:** Special campaigns were conducted on quarterly basis for improving credit to Minorities and SC/STs beneficiaries.
- Credit to SC/ST and Minority beneficiaries under priority sector stood at ₹7,178 Crore and ₹19,223 Crore respectively as on 31.03.26.

6(d) MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

- During the year, Bank extended credit assistance to 10.95 lakh MSME units, with the MSME loan book standing at ₹1,09,580 Crore as on 31.03.26.
- MSME loan book recorded a YoY growth of 16.39% as on 31.03.26, compared to 11.92% as on 31.03.25. This reflects a significant improvement over growth achieved during FY25.
- Lending to **Micro Enterprises constitutes 11.24% of ANBC** as against the mandatory target of 7.50% of ANBC as on 31.03.26.
- Asset quality** in the MSME portfolio showed significant improvement with reduction of NPA% from 7.93% (₹7,470 Crore) as on 31.03.25 to 4.06% (₹4,450 Crore) as on 31.03.26.

New Initiatives undertaken:

- Bank has implemented the **Advanced Analytics Scoring Model "SLICE" (SME Lending Integrated Credit Engine)** to evaluate MSME borrowers with exposures ranging from ₹50 lakh to ₹5 Crore. The model leverages advanced data-driven techniques to provide more accurate ratings.
- Implementation of Propensity Model:** Analytical model to identify existing current-account customers with MSME lending propensity over the next 3-12 months.
- Inked MOU with fintech M/s Perfios to generate pre-qualified MSME leads to branches for strengthening the credit sourcing.

Digital Journeys:

- Digital journeys have been launched for all **MUDRA variants viz., Shishu, Kishore, Tarun & Tarun Plus, PMSVANidhi** (both Term Loan & Credit Card)

- Revamped Auto Renewal & Enhancement Journey launched for MSME loans up to ₹20.00 lakh.

Other Major New Initiatives taken during FY26:

- **IND MSME DIGI (New Credit Assessment Model – NCAM)** was extended to cover loans up to **₹5 Crore** and 12,339 accounts amounting to ₹2,558 Crore portfolio sanctioned without delinquency.
- The Bank launched MSME Customer Application, **INDSMART** a one-stop solution for all banking requirements of MSMEs. Since its launch, the app saw 91,000 downloads, 9,00,466 transactions of ₹9,934 Crore value.

Relationship Management (RM) Model:

- The Bank rolled out a dedicated **RM Model** across 500 high-potential centers to provide personalized, end-to-end engagement for MSME clients.
- **RM App - "Ind Connect"** was launched to digitally empower RMs with client profile access and management tools.

Flagship Campaign – MSME RISE:

- MSME RISE was launched with the twin objective of garnering fresh MSME business through **NTB** customers and expanding business through **Existing-to-Bank (ETB)** customers from **04.06.25-31.03.26**.
- Proposals worth **₹8,867 Crore** were sanctioned during the campaign period of which ₹4,602 Crore were sanctioned to NTB customers.
- Secured Lending has grown to 43% for FY26 from 38% in FY25.

6(e) CORPORATE CREDIT

- Corporate Credit of the Bank stood at ₹2,13,359 Crore as of Mar'26 constituting 34% of the overall domestic credit of the Bank. During FY26, Corporate Credit increased by 9% on YoY basis. 7 Large Corporate Branches & 31 Mid Corporate Branches located at different centers with high business potential cater to the needs of Corporate Customers.
- Focus is on Emerging & designated Champion sectors viz., Data Center, Chemical, Pharma, Tourism, Hospitality, Defence, Oil & Gas, Electric Vehicles, Renewable Energy, to add value to the credit portfolio and achieve growth. Special Focus is also on other infrastructure like solar module manufacturing, City Gas Distribution (CGD), smart metering, and cash flow-based lending.

6(f) OVERSEAS CREDIT

Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna and one IFSC Banking Unit (IBU) at GIFT City, Gandhi Nagar, Gujarat. Total outstanding Advances (gross) of the foreign branches (including IBU) as on 31.03.26 was ₹49,628 Crore as against ₹41,857 Crore a year ago with a YoY growth of 18.57%.

6(g) FOREX BUSINESS

- Merchant Foreign Exchange turnover of the Bank increased by 30.1% QoQ and 21.7% YoY amounting to ₹1,04,375 Crore during Mar'26.
- Despite global headwinds, the Bank's export credit portfolio registered a 2.3% QoQ and 2.0% YoY growth, reaching ₹2,927 Crore in Mar'26.
- **IND Trade NeXT** - Bank's Digital Customer Enterprise (CE) portal was introduced for corporate customers to initiate Trade Finance and Forex transactions online. It offers a wide range of forex services across import, export, remittances, and guarantees with 24/7 access. The platform removes the need for branch visits and provides real-time transaction tracking.

6(h) NON-RESIDENT BUSINESS

NRI deposits portfolio reached to ₹17,687 Crore as on 31.03.26 as compared to ₹14,463 Crore registering a YoY growth of 22.29%. The growth is one of the highest in the banking industry.

Major initiatives for NRI Business during FY26

1. The Bank introduced three NRE SB variants for HNIs, offering a host of privileges like access to lounges at domestic and international airports, accident insurance, airport pick-up and drop. Bank also launched a Recurring deposit with Flexible Monthly instalment.
2. Bank launched an API integrated Speed Remittance Platform for lightning-fast remittance from abroad and entered into tie up with 3 Exchange Houses from Middle East for the same.
3. 24 x 7 Client support centre with International Toll-free Numbers for NR customers from nine countries was launched.
4. Bank collaborated with NoRKA (Non-Resident Keralites Affairs) Roots, the NRI Welfare set-up of Govt. of Kerala and addressed would-be NRIs in the pre-departure training sessions conducted by NoRKA Roots.
5. 'IND NR Connect' a get-together with Non-Residents held across the country with huge customer participation.



IND NR Connect event at Chennai



IND NR Connect event at Ernakulam

6(i) FINANCIAL INCLUSION

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts:

- As of Mar'26, Bank had a total of 246.52 lakh PMJDY Accounts. The Balance outstanding in PMJDY accounts as of Mar'26 was ₹14,471 Crore with a YoY growth of 18%. The average balance per PMJDY accounts in the Bank was ₹5,755, which was notably higher than the industry average of ₹5,269.
- The Bank has consistently outperformed its targets across all social security schemes.
- Under PMJDY, Bank has achieved 11.23 lakh accounts against the target of 10.85 lakh, registering 104% achievement.
- Under PMJJBY, Bank has achieved 21.01 lakh enrolments against the Mar'26 target of 19.17 lakh, registering 110% achievement.
- Under PMSBY, Bank has achieved 28.12 lakh enrolments against the Mar'26 target of 26.19 lakh, registering 107% achievement.
- Under APY, Bank has achieved 6.05 lakh enrolments against the target of 5.83 lakh, registering 104% achievement. The Average Account Per Branch (AAPB) was 104 against the target of 100.

Cumulative Enrolments of Key FI Parameters:

(Numbers in Lakh)

Name of the Scheme	Mar'25	Dec'25	Mar'26
PMJDY	235.29	245.59	246.52
PMJJBY	85.52	103.71	109.15
PMSBY	190.81	216.28	223.31
APY	44.82	49.78	51.12

Market Share in Social Security Schemes PMJJBY & PMSBY compared to industry:

Name of the Scheme	Mar'25	Dec'25	Mar'26	Improvement in bps (YoY)
PMJJBY	3.64%	3.95%	4.02%	+38
PMSBY	3.76%	3.86%	3.88%	+12

BC Network:

- The Bank has 20 Corporate Business Correspondents (CBCs) and 17,032 BCs as of Mar'26 as compared to 14,667 as on Mar'25. During FY26, Bank has deployed 2,365 new BCs.

Skill Development and Financial Literacy:

- INDSETI (Indian Bank Self Employment Training Institute):** During FY26, 42,593 candidates were trained against the target of 37,600 (Achievement-113%) through 1,386 programmes.
- Financial Literacy Centers (FLC)** camps were conducted on various aspects of financial literacy viz., modes of operation and benefits of bank accounts, social security schemes, digital banking, banking products, cyber-security, etc. During FY26, 44 FLCs have conducted 4,513 camps which were attended by 2,29,655 participants.
- Centre for Financial Literacy (CFL):** A total of 45,657 camps have been conducted by 142 CFLs during FY26 which were attended by 15,58,592 participants.

Awards/ Accolades:

S. N.	Campaign	Period	Achiv. %	Award Qualified for
1	APY Premier League	1 st May'25 - 15 th June'25	103.86%	APL Excellence Cup
2	APY Trendsetter Campaign	16 th June'25 - 2 nd Aug'25	104.68%	APY Visionary Trendsetter
3	APY Leadership Pinnacle Campaign	3 rd Oct'25 - 30 th Nov'25	115%	Par Excellence Leadership Award
4	Indian bank received SKOCH award under BFSI Gold category for IB SAATHI initiative-BC Management application			

6(j) BANCASSURANCE & MUTUAL FUND

- The Bank earned an income of ₹195.39 Crore through Bancassurance & Wealth Management business in FY26 as against ₹180.58 Crore in FY25.
- Bank has tie-up with M/s FSDOM for Mutual Fund distribution and M/s IBMBS for Mutual Fund, Demat, & Trading services, both available through our mobile and net banking platforms.
- The Bank has its Board approved Policy on Bancassurance and Wealth Management that defines the manner of customer solicitation, servicing and grievance redressal for insurance and wealth management products.
- Automation of Bancassurance vertical by introduction of Digital Insurance Platform (ISNP certified) with the aim to achieve 100% digitisation of this channel. Presently, all journeys other than Life Insurance are live on Bank's Digital Insurance Platform.

6(k) GOVERNMENT DEPOSIT/SAVINGS SCHEMES

SUKANYA SAMRIDHI SCHEME

14,486 new accounts were opened during FY26, taking the total number of accounts to 1,89,731. The amount collected during FY26 was ₹40.32 Crore and the outstanding amount was ₹2103.26 Crore.

PUBLIC PROVIDENT FUND

32,152 new accounts were opened during FY26, taking the total number of accounts to 7,16,427. The amount collected during FY26 was ₹59.08 Crore and the outstanding amount was ₹12,988.88 Crore.

SENIOR CITIZEN SAVINGS SCHEME (SCSS)

43,639 new accounts were opened during FY26, taking the total number of accounts to 2,86,239. The amount collected during FY26 was ₹3,089.64 Crore and the outstanding amount was ₹12,524.28 Crore.

KISAN SAVINGS CERTIFICATE

4,887 new accounts were opened during FY26, taking the total number of accounts to 8,213. The amount collected during FY26 was ₹37.30 Crore and the outstanding amount was ₹63.27 Crore. KVP was introduced on 11.08.23.

NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE VIII ISSUE (NSC)

11,071 new accounts were opened during FY26, taking the total number of accounts to 15,208. The amount collected during FY26 was ₹148.06 Crore and the outstanding amount was ₹186.39 Crore.

7. BRANCH NETWORK AND EXPANSION

Domestic Branch Network of the Bank stood at 6001 branches as on 31.03.26, comprising of 2011 Rural, 1605 Semi Urban, 1195 Urban and 1190 Metropolitan branches. Apart from the above, the Bank has 3 overseas branches viz., at Singapore, Colombo, Jaffna and an IFSC Banking Unit (IBU) at GIFT City Gandhi Nagar, Ahmedabad.

During FY26, the Bank has expanded its branch network by 102 branches, which included 1 Senior Konnect branch (exclusively for senior citizens), 2 Mid Corporate branches, 2 Microsate branches for SHG, 3 Specialized MSME branches, 11 branches opened in Unbanked Rural Centres, 10 branches in Left Wing Extremist districts and 4 branches in North-Eastern Region.

The Bank rationalized 2 branches during the year, towards consolidation of banking outlets.

8. DIGITAL TRANSFORMATION AND ADOPTION

- The Bank has garnered ₹2.72 lakh Crore of Digital Business in FY26 as against ₹1.67 lakh Crore during FY25 through 153 Digital Journeys/ utilities/processes.
- Registered more than ~1.6x times growth in Digital Business on YoY basis in FY26 over FY25.
- The Bank surpassed targets for lending under Retail, Agriculture and Digital Liability segments for FY26.
- The Digital Retail Asset business was at ₹50656.37 Crore, Digital Agriculture business was at ₹159049.98 Crore and Digital MSME business was at ₹24052.52 Crore for FY26.
- Under Liability segment, Bank has achieved ₹36332.07 Crore of digital liability business for FY26, registering ~1.2x times growth on YoY basis.
- Overall Digital Adoption rate stands at 87% (in terms of Accounts) & 78% (in terms of Amount) for FY26.
- Under Retail, Agriculture and MSME Segments, Bank has achieved 92%, 96% & 66% Digital Adoption respectively for FY26.
- Bank is focused on enhancing its mobile banking capabilities to provide customers with a seamless and secure banking experience across devices of their choice. This includes providing enhanced User Interface (UI) and User Experience (UX) UI/UX with Omni-Channel experience having integrated mobile payment solutions, such as UPI, BBPS,



Digital marketplace etc. to facilitate quick and convenient transactions. The implementation extends across all channels in both Retail and Corporate Banking, including Mobile Banking, TAB Banking, Kiosks, and Internet Banking.



- Various enhancements have been made under Retail Mobile App **INDSMART** during FY26 such as Integration with Payment Aggregators, Rewards/ Scratch cards and Term Deposit enhancements. Presently, IndSMART app has been enriched with 320+ functionalities.
- The Omnichannel Corporate Mobile Banking App **INDSMART** also witnessed various improvements such as Utility integrations, PF integrations, Payment aggregator integration along with TD enhancements for corporates. Ind-SMART mobile app ratings: Play store Rating: 4.4 (reviews: 6L+) App store rating: 4.1 (reviews: 18K+)

“IND Engage Hub” – A comprehensive Customer relationship Management solution was implemented with Lead Management, Campaign management and Customer 360 (Retail) modules. The solution is aimed at enhancing customer relationships, boosts efficiency, and drives growth through personalized services.



As the world is rapidly adopting AI/Agentic AI trends, Bank also

implemented solutions (Pilot) such as Automated collections through Agentic AI Voice Bot, AI powered HR chatbot “Ask HR”.



- The Bank's SME Lending Integrated Credit Engine (SLICE) is an advanced underwriting framework for MSME loans between ₹50 lakh and ₹5 Crore. By combining quantitative analytics with qualitative assessments, and leveraging internal data, credit bureau insights, and structured evaluations, SLICE delivers accurate and adaptive credit risk ratings. This enables informed



lending decisions and strengthens portfolio quality in the MSME segment.

- A Generative AI powered conversational Chatbot “Employee Assist” was launched for support of field



functionaries for Digital journeys. The bot functionality is being scaled across other products and processes including Retail, Agriculture, MSME, NBC, Credit Policy, Forex, HR Modules, Legal, IMAGE learning,

Inspection and Audit modules. The AI chatbot is also integrated with INDConnect (RM App) for solving queries of Relationship managers.

- VBX** (Virtual Banking eXperience) is the Bank's digital-first platform via the upgraded INDSMART App. It caters to customers, preferring minimal branch visits while driving business growth. VBX offers a personalized, tiered approach with four segments: Spark, Vibe, Emerge, and Basic. Major benefits include Virtual RM, Customized debit card, priority service, Robo advisory, etc.



- The Bank drives customer outreach for adoption of new digital offerings through various channels besides conducting internal outreach through employee engagement sessions. The digital adoption for FY26 is 78% with major contributions from Retail and Agri related digital initiatives gained an overwhelming 97% of digital adoption.



The Bank implemented Cash Management Services (CMS) digital platform to cater to Corporate customers for managing their cash flows more effectively and fund management without Brick & Mortar Banking approach. Presently, 170+ MSME/ Corporate customers are live on the platform utilizing its services.



- The Bank implemented Digital Pool buy-out platform to onboard pooled assets in partnership with NBFCs. Fresh pool migration from three new NBFC partners ICICI, ABHFL & Axis, completed successfully amounting to ₹1,700 Crore.



- The Bank incorporated various enhancements in its existing chatbot "ADYA" with advanced features. Enhancements made for UI/UX, WhatsApp integration, guided menus, automated voice, view account details, account balance, mini statement through e-mail, apply cheque book, term deposit enquiry, stop cheque payment, Debit card blocking and CIF blocking. Presently Re-KYC facility is being integrated along with CRM platform integration.



- Digital Lending journeys were successfully migrated to micro-services enabled cloud platform (SP2 to SP3) for achieving scale of operations, with a robust and resilient system.



- Digital insurance platform is integrated with Internet Banking/Mobile Banking / Omnichannel

Platform since August 2024 for sales and servicing of Bancassurance products. Credit Life insurance products through 3 insurance service providers made live viz. Aditya Birla, PNB Metlife and Kotak.



- More than ₹15,000 Crore digital business was done through RBIH's ULI platform integration with our DLP journeys leveraging services such as PAN validation, LSR, Penny Drop, Milk insights, etc.



- Received Golden Peacock Award – for Excellence in Artificial Intelligence for the

year 2026. This prestigious recognition is conferred on organizations that demonstrate outstanding innovation and leadership in AI.



9. ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE (ACoE)

The Bank has taken the following key initiatives for improving data quality:

- Implementation of Data Governance framework
- Establishment of Data Governance Policy and SOP on various areas of Data Governance
- Development of dedicated dashboard for tracking

Data Quality Index in new and legacy CIFs / accounts

- Creation of accountability and monitoring framework for Data Quality
- Implementation of validation checks in Core Banking system to arrest errors at source.
- Improvement in Data Quality Index (DQI) for new CIF/Accounts from 99.78 in March 2025 to 99.96 in March 2026
- Improvement in DQI for legacy CIF/Accounts of Platinum and Diamond segment customers from 94.94 in March 2025 to 97.34 in March 2026
- To foster a data-driven culture, regular quizzes and webinars on Data Governance are being conducted, along with rewards and recognition for data champions

Initiatives taken to drive Data-driven decision making and Business Intelligence:

- 40+ Data Analytical models developed in the areas of business growth, compliance, risk management, cost optimization, etc.
- 200+ Power BI management dashboards developed to track performance of the Bank in various matrices and KPIs.
- Data support provided to key strategic projects of the Bank such as digital journeys, RM module app, CRM.

Key achievements using data analytical models:

- During FY26, approximately 1.23 lakh accounts were identified as highly probable to become NPA using the SMA proclivity prediction model. Of these, 0.72 lakh accounts (59%) totaling ₹7,320 Crore were successfully prevented from becoming NPAs through targeted follow up.
- Lead generation related AI/ML models such as Retail Assets Lead net, Churn Prediction, Win-back model, MSME lead generation etc. helped improve Bank business by approximately ₹10,013 Crore during FY26
- Money Mule identifier analytical model was developed for identification of suspected money mule accounts. 13,254 mule accounts were identified using the Money Mule Identifier model (Predictive)
- Implementation of Data Lakehouse (ongoing Project):** As part of Bank's data centralization strategy, implementation of Data Lakehouse platform is initiated. This initiative aims to modernize our data architecture, enable unified data storage, enhance

regulatory reporting and drive more informed business decisions across Bank. It will serve as foundational component for advanced analytics, AI/ML use cases and enterprise-wide data governance.

10. CREDIT MONITORING

Credit monitoring entails rigorous oversight throughout the entire loan lifecycle, beginning with a thorough scrutiny of sanction terms and is responsible for maintaining asset quality from initial disbursement until closure. Its core mandate includes preventing fresh slippages and improving upgradation of Fresh NPAs to enhance the portfolio health.

SMA Ratio reduced from 8.06% to 4.73% on YoY basis and 5.04% to 4.73% on QoQ basis. Quality of assets is improving year on year.



- Fresh NPA during FY26 was ₹4,819 Crore with Slippage ratio of 0.85%. The slippage ratio was brought down from 1.11% of previous year to 0.85% in FY26.
- Bank received **Award for Best Data Consistency** from TransUnion CIBIL.



- AI based Voice bots were engaged for follow up calls for accounts appearing in SMA-0 (DPD 0-30) up to ₹1.00 Crore in 7 regional languages, presently Tamil, Hindi, Marathi, Telugu, Malayalam, Bengali, Kannada & English.
- New Early Warning System is implemented to generate 306 alerts derived from various data sources to enhance its robustness.

11. ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Asset Quality of the Bank improved as reflected through GNPA & Net NPA of 1.98% & 0.15% as on Mar'26 against 3.09% & 0.19% as on Mar'25 respectively.
- Provision coverage ratio of the Bank improved to 98.28% as on Mar'26 from 98.10% as on Mar'25.
- The Bank made recovery of ₹1,062 Crore during FY26 from NCLT admitted accounts.
- From Bad Debts Written off accounts (AUC), an amount of ₹2,508 Crore was recovered during the year.
- Under the SARFAESI Act, during the year 5,941 properties with reserve price amounting to ₹6381.16 Crore brought for sale and 1,292 properties were sold with sale price of ₹918.83 Crore.
- The Bank actively participated in all National Lok Adalat and organized various Lok Adalats at Mandal level. 37, 671 accounts were settled with settlement amount of ₹193.06 Crore.

12. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

The Bank's Cash Management Services (CMS) business recorded strong growth during FY26, driven by expansion in digital transaction banking solutions and deeper engagement with Government and Corporate customers.

- Fee income under CMS grew by 25% YoY to ₹202 Crore (FY25: ₹162 Crore)
- CASA balances maintained by CMS customers increased by 68% to ₹5,600 Crore (FY25: ₹3,347 Crore).
- Supply Chain finance disbursements grew by 112% to ₹11,680 Crore (FY25: ₹5,514 Crore)
- Supply Chain Finance interest income grew by 94% to ₹134 Crore (FY25: ₹69 Crore)

As part of Bank's digital transformation journey, **IND Cash Optima**, a next-generation Cash Management Platform, was launched for Government, Corporate, Institutional



and MSME customers. Built on API-first, cloud-native and micro-services architecture, the Platform delivers integrated transaction banking, collections, payments, liquidity management and reconciliation solutions.

Some of the major implementations undertaken during the year include the industry-first budget allocation, utilization and payment tracking system for metro rails, state treasuries, utility companies, municipal corporations, Corporates and Government Departments. Supply Chain Finance programs increased to 32 with new mandates from large Corporates in auto, metals, consumer durables, farm equipment & FMCG sectors.

13. RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business, and the Bank aims to strike an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound Risk Management framework. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of the Bank.

The Board has also constituted a Risk Management Committee (RMC) which oversees the different type of risks. The Bank has put in place various policies to manage the risks, viz., Integrated Risk Management Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Policy on Market Risk Management, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, IT Risk Management Policy and Climate Risk Management Policy. All the policies are reviewed at regular intervals by Board.

The following specific committees have been constituted to facilitate focused oversight on various risks. (i) Asset Liability Committee (ALCO) (ii) Credit Risk Management Committee (CRMC) (iii) Operational Risk Management Committee (ORMC) (iv) Market Risk Management Committee (MRMC) & (v) New Product Process Approval Committee (NPPAC). These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

Credit Risk:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. Losses arises from outright default or reduction in portfolio value. Bank has a comprehensive credit risk architecture, policies, procedures, and systems for managing credit risk in its retail and corporate portfolio. Systems are in place to ensure credit quality and

minimise default losses at front and back-end. The factors considered for underwriting of retail loans includes due diligence, income characteristics, banking behaviour, demographics, credit history, loan tenure, loan to Value etc. In addition, multiple credit risk score card models are developed and used to assess different segments of customers based on portfolio behaviour. Selection of borrowers with prime CIC scores at onboarding is adopted by the Bank. In Corporate loans, credit risk is managed by capping exposures and entry barriers based on borrower group, industry, rating grades, facility and country etc. Credit Risk Management is also backed by portfolio diversification, Risk rating, stringent credit approval processes, documentation check, periodic post-disbursement monitoring measures. Robust model is in place to assess industry outlook to decide the negative sector or the industry to be focused for financing. Variety of stress scenarios beyond the regulatory prescription like macroeconomic / sectoral and other trends are being adopted for stress testing of the portfolio. Portfolio study is being conducted on regular basis to understand the built up stress in portfolio and to initiate corrective measures. Credit portfolio is well diversified in bank, with no single industry having a high concentration. Bank has a conservative and prudent policy for specific provisions on NPAs as well as additional provisions beyond the regulatory prescription for standard assets. Digital lending has emerged as a convenient and quick method for customers to secure loans with just pressing the button. Bank has implemented appropriate measures to manage these risks effectively through proper evaluation of loan eligibility. Business Rule Engines are made robust with integration of APIs to collect information from various sources to assess the risk profile of the borrower. Digital loan portfolio analysis is being conducted on quarterly basis to understand the portfolio behaviour and to introduce corrective measures in the business rule engine.

Credit Review Framework

Under PSB Reforms Agenda - Ease of Access and Service Excellence (EASE) - Banks are mandated to achieve defined action points for improving the credit risk assessment and underwriting aspect. In view of the same and considering dynamic & volatile market environment and plethora of external and internal risk factors inherent in credit proposals, Bank has adopted the Credit Review Framework to strengthen the underwriting process and to categorize risk level of the credit proposals into Low, Medium, High

and No-go (Very high) categories. Under this structure, Risk is being quantified based upon matrices on risk factors embedded in seven broad parameters namely Borrower, promoter and group entities, Activity/Industry, Security Coverage, Conduct of facilities, Ratings and compliance position along with subjective parameters. The framework is applicable for loan proposals of ₹50 Crore and above for corporates and ₹10 Crore and above for MSME segments providing additional tool/ dimension in processing/ sanctioning.

Asset Liability Management:

Asset Liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for Asset Liability Management. The Asset Liability Management framework consists of the following key components:

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Asset – Liability Management aims to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- Managing re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, review of product pricing of deposits and advances, maturity profile of the assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank and overall Balance Sheet Management.

Automation of ALM reports is completed for placing the same to Funds and Investment Committee (FIC) on daily basis and also to Asset Liability Committee (ALCO). Bank has also automated the computation process of Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) as per the RBI guidelines dated February 17, 2023.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by adverse movements in the market variables. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets. Market Risk Management (MRM) Framework includes, Risk Identification, Risk Measurement and Limits, Risk Monitoring & Risk Reporting.

Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A weekly summary note is placed to Chief Risk Officer and to MRMC at least quarterly.

Operational Risk:

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) to develop a common understanding of Operational Risks across the Bank and inculcate risk culture/awareness ensuring effective governance, identification, assessment, measurement, monitoring and risk controls/mitigation by usage of various Operational risk management tools/techniques. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods, established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions, if required, are initiated.

Bank has put in place framework for Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk areas and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Outcome of RCSA exercise helps in identifying High residual risk areas and build controls to address control gaps. From Control deficiencies identified during the RCSA exercise, KRIs are evolved to monitor and improve the process. KRIs are early warning signals, to monitor operational risks that are reaching beyond acceptable levels.

Loss data analysis is a source of identification of key risks. The inherent risk rating & residual risk rating of operational risk would serve as an indicator in identification of KRI.

Key Performance Indicators (KPIs) are also monitored to identify risk indicators that essentially tracks the potential risk drivers affecting the business objectives. Root Cause Analysis of major operational Loss events is done to find out the modus operandi, failed controls and control gaps. Based on the findings, suitable mitigation strategies are designed such as automation of process wherever possible, reiteration of guidelines & sensitization of field functionaries for being alert to avoid such recurrences from the lessons learnt out of the event etc.

Risk officers have been designated in each Zone, Field General Manager's Office and Overseas to act as an extended arm of Risk Management Department to bridge between First line of defence and Second line of defence.

Primary role of Risk Officers would be to coordinate with Risk Management Department to support and manage various types of risks namely Credit risk, Portfolio monitoring, operational risk, Capital conservation, Assets Liability Management emanating from business units. Suitable training and hands on workshop are arranged for the officers to enable them understand and spread Risk culture in the field.

Model Risk Management Framework is in place covering the Model life cycle such as Model Governance, Maintenance of model inventory, Model identification criteria, Model documentation, Model Risk tiering, Model validation, Model on going monitoring, Model health assessment and Model Risk assessment wherein internal and external Model validation shall be carried out periodically.

Operational Resilience Framework have been designed in line with RBI guidance note on Operational Risk and Operational resilience dated 30th April 2024.

The objective of operational resilience policy document is to establish a comprehensive and systematic approach to enhance the bank's ability to withstand and recover from disruptions, thereby ensuring the continued delivery of important business services to customers, safeguarding the Bank's reputation, and fulfilling regulatory obligations.

Information Technology Risk:

Use of Information Technology and Digital Adoption in the Bank has changed the way the Bank conducts its business, carries out its operations and provides

customer services. As adoption of the new emerging Information technology is increasing, risks relating to the use of IT is also growing. IT risk refers to the potential for adverse events or consequences resulting from the use, ownership, operation/management of IT systems, applications, data and infrastructures of the Bank.

To Monitor, Assess, Manage & Control IT related risks and to develop the risk culture, Bank has prepared the framework for IT risk management in line with the latest RBI's directions/guidelines. Following new initiatives & measures have been taken and also implemented for managing the IT related risks.

- Separate IT vertical created under Risk Management Department, which is now functional and working for developing/managing the IT risk management frameworks, policies and procedures and is also working for developing the risk culture for assessing & managing IT related risks.
- Bank has also created and published new Information Technology Risk Management Policy, which contains/defined the role/responsibilities of the three lines of defense, guidelines for IT related risk assessment and methods/model to be adopted.
- New processes have been defined and implemented for Risk assessment of the critical and non-critical IT applications.
- Enhancing the monitoring of the IT related risk by introducing the new KRIs and/or evolving the existing KRIs for IT related verticals.

Climate Risk:

The Bank integrates with the Nation's considerations into its product offerings to encourage adoption of environmentally and socially responsible practices by its customers. The Bank is committed to aligning its portfolio of loans and investments with the national level climate and ESG goals. The Bank has well defined Climate Risk Management Policy which defines the short, medium- and long-term strategy for climate risk management aspects in the Bank. The policy aligns implementation of sector-specific de-carbonization strategies, in line with India's net zero target.

A dedicated green cell is established for adoption and entrenchment of environmentally sustainable business and operational practices and for focus on development of green banking products. The Bank integrates ESG aspects

in credit appraisal, the Bank has ESG scorecards for listed entities to assess the ESG aspects of the borrowers. Green finance is the focus area of the Bank. Accordingly, Renewable Energy & Electric Vehicle are the two sectors identified as Champion sector for credit focus in the Bank. The Bank is raising green deposits and deployment of the same is towards green activities/projects in line with RBI directions. In addition to the green finance eligible sectors as per RBI directions, Bank focuses on Battery Energy Storage Systems (BESS) and Green Hydrogen sector for Green Finance. Green finance portfolio of the Bank has increased by 61% during FY26.

Bank became a member of the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), gaining access to expert guidance for estimating financed emissions and aligning its portfolio with net-zero objectives. The Bank has estimated the financed emissions of corporate loan portfolio using PCAF methodology.

Bank has adopted Policy on Green Building and Sustainability Practices for sustainable management of its own operations. Bank also assessed the vulnerability of physical climate risk events to all its branches and offices.

Basel III Capital Regulations:

The Basel III Capital Regulations became effective in India since 1st April, 2013 and fully implemented since 1st October, 2021. Common Equity Tier I Capital of the Bank is 16.40%, Total Tier I at 16.40% and Total Capital Adequacy Ratio stands at 17.93% as on 31.03.26. Bank has adequate headroom to raise capital in all forms in case of need. The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR). A holistic capital conservation module is developed by the Bank for monitoring and taking corrective action towards capital conservation.

14. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

1) Manpower Position (Domestic)

The position of manpower in the Bank as on 31.03.26 is as follows:

Category	Total	OBC	SC	ST	Male	Female
Officers	25997	8130	4999	1991	18458	7539
Clerks	12205	4028	2625	617	7750	4455
Sub Staff	1761	419	861	113	1531	230
Full Time Sweepers*	198	20	155	8	151	47
Total	40161	12597	8640	2729	27890	12271

(*Domestic excluding Part Time Sweeper)

2) Recruitment Drive

The Bank has inducted 1801 employees (POs – 319, Specialized officers – 268, Clerk -1208, Sub-staff – 6) during FY26.

3) Welfare measures for SC/ST/OBC/PWD employees

- As per Government of India guidelines, reservation is provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS), Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) and Ex- Servicemen (ESM) candidates in Direct Recruitment.
- Reservation in promotion is provided for SCs, STs and PwBDs employees from Sub-Staff to Clerical cadre & Clerical cadre to Officer in JMG Scale-I as per Government guidelines.
- The Bank has a Chief Liaison Officer for SC/ST/PwBD/ESM and a Chief Liaison Officer for OBC/EWS in the rank of General Manager to redress the grievances (if any) of SC/ST/OBC/ EWS/PwBD/ESM employees. A separate dedicated Cell is functioning at Corporate Office, HRM Department to look after the grievances of SC/ST/OBC/ EWS/PwBD/ESM employees.

4) HR Initiatives during the year:

- EmoHero Initiative – First line of emotional support for employees, through digital PRACTO platform helping to create a more connected and empathetic workplace.
- Micro-Learning Unified Platform – Host Gamified quizzes for all departments, facilitates Badges, Certificates and Peer-Peer recognition dashboard. Over 2.5 Lakh participations registered.
- Health Care – Tie up with M/s Practo for free online Doctor consultation for serving and retired staff members: 44818 enrolled
- Enhancement of Staff Housing Loan Ceilings and reduction in interest rate for Staff members
- Enhancement of Residential Accommodation ceiling for officers

15. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

- 1-day **Rashtriya Karmayogi** Training was imparted for 19778 employees of the Bank across all cadres to instill sense of Seva Bhav in line with Capacity Building Commission of India.
- 12-month long **Rising Star** Leadership Development Program was conducted for 419 identified Officers from Scale IV to Scale VI.

- 1964 unique officers posted in the areas outside their linguistic region were trained in **local language** to serve customers in their local language, thereby improving customer connect.
- **APARAJITA** Programme -a workshop to initiate the reintegration journey of women in the Bank upon their return from maternity / sabbatical leaves was conducted for 140 women employees.
- **Advanced Credit Management** training with duration of 16 weeks was conducted for 63 Officers to create a talent pool in credit. **Advanced Forex Management** training with duration of 7 weeks was conducted for 57 Officers to create a talent pool in forex business.
- 9502 employees underwent training in **Artificial Intelligence**, as part of future ready workforce development.
- **IB EDGILE** platform – A data driven training recommendation and monitoring portal was launched, for field leaders to gauge the capacity & competency building requirements of employees under their span.
- 6089 employees underwent training on **Digital Adoption, Mobile Banking and VBX**.
- 976 employees got certified in **AML, KYC and Compliance certificate** under Bank's tie-up with IIBF.
- **Workshop for Internal Complaints Committees (PoSH Act 2013)** conducted covering all the ICCs of the Bank.
- **35675 unique employees** attended training in the entire FY26 across all modes of training.

16. CUSTOMER SERVICE

- 1 **Launch of Next Generation Contact Center:** In line with our continuous efforts to enhance customer convenience, the Bank has launched Next Generation Contact Center on 01.09.25. The new platforms allow customers to connect with the Bank seamlessly via voice, chat, WhatsApp, email, and social media for a variety of services.
2. **Launch of Easy-to-remember Toll Free Number (TFN):** The Bank has introduced a new and easy-to-remember domestic toll-free number 1800 1700 for customer convenience with effect from 01.09.25.
3. **Dedicated Toll Free Number for NRI Customers:** The Bank has launched 24x7 International Toll Free Numbers for NRI customers in 9 countries (USA, UK,

Malaysia, Singapore, Canada, UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia) with effect from 01.09.25. For other countries, customers can contact the Bank's 24x7 helpline (Toll number) at +91 22 4444 2888 for assistance and support.

4. As per TRAI guidelines, the Bank has launched 140/160 series numbers (140 for Promotional calls & 160 for Transaction Monitoring calls). These numbers can only be used by verified institutions, making it easier for customers to identify genuine calls from the Bank. This helps reduce the risk of scam or phishing calls from random mobile numbers. It also builds customer trust, improves the chances of important calls being answered, and ensures compliance with regulatory standards.
5. **Conducting Customers' Meet on August 22,2025:** The Bank celebrated its Annual Customers' Day on August 22,2025, by organizing Customers' Meet at all the branches worldwide, coinciding with the Bank's Foundation Day. The occasion served as a platform for customers to share their feedback and expectations, while also fostering direct interaction with the Bank officials to further enhance service delivery.

17. INFORMATION SYSTEM SECURITY

The Bank believes in providing services to its customers in a safe and secured way and prioritizes customer data security without compromising the quality of banking services. The CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) is at the heart of architecting the comprehensive information security framework. The Bank also emphasizes and implements protection from a plethora of hacktivist attempts which spans from phishing simulation, multi-factor authentication, and awareness initiatives, and provides simple and secure solutions to the customers.

The key elements of the security strategy at the Bank include:

- Layered 'Defense-in-Depth' strategy providing multiple lines of defense across the technology layer.
- Strong framework of governance in the technology landscape is put in place.
- Dedicated teams focusing on cybersecurity and fraud risk management are put in place.
- Working towards zero-trust architecture and state of art security systems.
- 24x7 monitoring and surveillance of systems through

cybersecurity operation centre.

- Stringent security controls at the time of inducting new applications or servers.
- Periodic external security assessments by CERT-In empaneled service provider to ensure confidence in the security controls implemented.
- The Bank is certified for ISO 27001:2022 Information Security management system.
- The Bank is a critical infrastructure as declared by NCIIPC.
- The Bank conducts extensive training and awareness programs for the employees to keep them abreast of the emerging cyber threats and mechanisms to combat with them.
- The Bank is enhancing security measures in the view of emerging risks from new AI based applications.

18. INTERNAL CONTROLS

a) INSPECTION

- Bank has launched **Dynamic Risk Assessment of Branches** for proactive identification, monitoring and mitigation of inherent risks on quarterly basis, based on findings of different audit tools, automated data flow from MIS and integration of various system generated alerts.
- **Audit Employee Assist** was launched for real-time on-demand guidance to employees for improved decision making and insights.

b) FRAUD RISK MANAGEMENT:

Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS):

The Bank has deployed an Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS) that performs realtime, preventive transaction monitoring across all digital channels, including UPI, Internet Banking, IndSMART, ATM/POS/ECOM, Credit Cards, AEPS and CMS. The system uses a combination of rulebased detection and machine learning models to identify and block suspicious transactions. Machine learning driven adaptive authentication in Internet Banking and IndSMART enhances fraud prevention by assigning risk scores and triggering stepup authentication (challenge questions/ OTP) for highrisk transactions.

IVRS Integration with EFRMS: EFRMS is integrated with IVRS, enabling realtime automated calls for transactions flagged as suspicious. Customers can confirm transaction authenticity or block all digital channels immediately. Simultaneously, realtime SMS alerts are sent with an

option to block digital banking access via reply SMS.

Onboarding to the Suspect Registry: A centralized Suspect Registry is created to compile identifiers of cybercriminals. The Bank uses this registry to assess risk during onboarding and ongoing customer due diligence. The Registry is integrated with EFRMS, enabling realtime blocking of transactions (Internet/ Mobile Banking & UPI) to suspect accounts.

Integration with DoT's MNRL and FRI Systems: The Bank has integrated with MNRL and FRI where API-based integration allows complete straightthrough processing (STP), including data downloads, digital freezing of Customer Profiles (High/Very High risk), debit freezing, mobile number removal from CIFs, and automated reporting to DoT.

- **MNRL (Mobile Number Revocation List)** provides telecomverified lists of permanently disconnected mobile numbers.
- **FRI (Financial Fraud Risk Indicator)** uses AIbased analytics to classify mobile numbers as Medium, High, or Very High risk based on their association with cyber fraud.

Cyber Police Portal Management (CPPM) Cell:

To combat cybercrimes, the Ministry of Home Affairs has rolled out a dedicated cybercrime reporting portal (www.cybercrime.gov.in) and a helpline number 1930. CPPM Cell is working in multiple shifts on 24x7 basis to attend to the complaints reported in the cybercrime reporting portal. The process of attending alerts on Cyber Police Portal has been automated through API integration of National Cybercrime Reporting Portal (NCRP) with the Bank.

Customer Awareness Initiatives:

- **Special Drive for Senior Citizens on Digital Arrest:** A Special Drive was initiated where physical meetings have been conducted with Senior Citizens to create awareness on digital arrests and cyber frauds.
- **Public Awareness Campaigns:** The digital media campaign "**Khabar Nahi, Khabardar Bano**" used short films depicting common fraud scenarios (QR scams, phishing, job scams). These were circulated across social media, the Bank's website, and digital signage systems.
- **Ongoing Awareness Drives:** SMS, email, and customer meetings are regularly used for educating customers. Cyber Fraud Awareness through regular e-mail, SMS, educational videos on social media, Bank's website, customer meets etc. was created amongst customers for safe digital transactions to prevent cyber fraud.

19. COMPLIANCE

- In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by Chief General Manager as Chief Compliance Officer has been set up in the Bank.
- The compliance function ensures strict adherence to all regulations.
- To further strengthen compliance in the Bank, dedicated compliance officer is deployed at every Zone, Field General Manager Office, Overseas Branches and Corporate Office Departments.
- Various Compliance Awareness activities like Compliance Conference, Compliance Journal, Compliance Awareness week, Theme based monthly Compliance Quizzes, Compliance trainings are conducted during the year as part of employees' awareness program.
- The Bank aims to remain a compliant Bank by disseminating good compliance culture across the Bank

20. VIGILANCE

A) Vigilance Hierarchy in the Bank

- Chief Vigilance Officer (CVO), heads the Vigilance Division of the Bank and acts as advisor to the Chief Executive in all matters pertaining to vigilance. Vigilance functions to be performed by the CVO are widely varied and include collecting information about the corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. CVO heading the Vigilance machinery in the Bank, helps to take appropriate preventive and punitive measures in the matters pertaining to vigilance.
- CVO receives complaints from various sources and examines the same and provide necessary directions. Wherever Vigilance overtone is observed, complaints are being taken up for detailed investigation.
- CVO is assisted by ACVO and by a team of executives/ officers at Corporate office headed by DGM & AGM.
- There are 15 Field Vigilance Units (FVUs) at each FGMO centre and is headed by Chief Manager and is having one or more Vigilance Officers for various vigilance functions.
- Two Internal Advisory Committees are constituted at Corporate Office - one headed

by the CGM (For Scale IV & above officers) and the other by GM (For the officers up to scale III and award staff). These committees examine cases and forward their recommendations to CVO/ACVO. While taking final decision in each case CVO/ACVO, considers the advice of the respective committee.

- CVO/ACVO provides Case Classification Advice (CCA) either as Vigilance or Non- Vigilance by considering the facts of the case and based on the broad guidelines provided by CVC.
- CVO/ACVO, provides First Stage Advice (FSA) for vigilance cases as Vigilance - Major or Minor. Whenever the case classification is Vigilance by CVO for scale V & above officers, FSA will be taken from CVC.
- CVO presents Fraud cases with amount involving ₹3 Crore and above before Advisory Board for Banking & Financial Frauds to examine criminality on the part of Bank Officials.
- CVO also acts as nodal officer for interaction with CBI, ED or other investigating agencies.

Three Aspects of Vigilance Administration:

- Preventive Vigilance
- Surveillance & detection
- Punitive Vigilance

B) Preventive Vigilance Visit by CVO:

The Chief Vigilance Officer (CVO) /ACVO undertook visits to 16 Zonal Offices (ZOs) / Field General Manager Offices (FGMOs) / Regional Rural Banks, during which Vigilance administration was reviewed. Also, deliberations on Preventive Vigilance measures were given during the visit in which BMs and ZO/ FGMO officials have participated. CVO/ ACVO also conducted Structured Meeting / workshops with FGMOs/ZOs for creating awareness on root cause analysis of Vigilance Complaints / DP cases and learning from those cases.

C) Vigilance Awareness Week 2025:

In accordance with Central Vigilance Commission's directions, Vigilance Awareness Week (VAW 2025) was observed from 27.10.25 (Monday) to 02.11.25 (Sunday) by the Bank.

As a prelude to Vigilance Awareness Week 2025, as per CVC directions, Bank has undertaken a three-

month campaign (18.08.25 to 17.11.25) with Disposal of pending complaints, Disposal of pending cases, Capacity Building programs, Asset Management and Digital initiatives as Preventive Vigilance Measures as focus areas, with the year's theme as **"Vigilance: Our Shared Responsibility."**

Vigilance Pledge was taken by all employees of the Bank on 27.10.25 at Corporate Office, Head Office, Training Centres, FGMOs & ZOs Pan India. Various competitions like Essay Competition, Cartoon Competitions were conducted, Debates, Seminars and Workshops were also organized, as per the year's theme. Awareness programmes among Gram Sabhas were also conducted by various FGMOs under their jurisdiction. Banners & Pamphlets were displayed in all FGMOs, ZOs & Training Centres. Also for educating the rural citizens about vigilance aspects, banners were also displayed in rural areas and various BC Points through their kiosks.

Digital initiatives

The following awareness activities were undertaken by the Bank during the Vigilance Awareness Campaign (from 18.08.25 to 17.11.25).

Social Media Channels:

- Messages were posted in the official pages to create awareness regarding vigilance pledge taking, walkathon and cyberfraud awareness.
- Videos were prepared and posted in Social Media handles of the Bank to create awareness among customers, citizens etc. regarding "Mule Accounts" & "Unknown Links".

21. SECURITY

- All Branches are equipped with Electronic Burglar Alarm systems and Fire Alarm systems, High-Definition DVR / NVR based CCTV solutions. Security Inspection of Branches were undertaken by Zonal Security Officers with specific emphasis on High Jewel Loan Branches.
- Select High Jewel Loan Branches were provided with 24X7 Electronic Surveillance systems to augment the Security.
- Electronically concentrated work spaces in Branch / ATM premises and specialized offices like DR Site are installed with Automatic (Modular) Powder based Fire Extinguishers / Gas based Fire Suppression Systems to mitigate fire hazards.

- GPS based Tracking devices are installed in Bank's Cash Vans. Bank's own guards/ PSA guards are provided in Currency Chests.
- GSM based auto dialers are installed in all Branches to ensure timely relay of Burglar/ Fire Alarm alerts to the concerned staff.
- Bi-Annual Fire Audits were conducted in all Currency Chests, as per RBI Guidelines.
- 24 x 7 Electronic Surveillance (E-Surveillance) with centralized monitoring was implemented in Bank's own ATMs, across the country.
- Portal for enabling Remote monitoring of Branches through CCTV connected via Bank's Intranet implemented for ease of monitoring from Administrative Offices.
- Mock Evacuation Drill including Fire Fighting Demonstrations undertaken at Head Office and Corporate Office premises and IMAGE every year.

22. PREMISES

Green Initiatives:

1. The Bank introduced Green Policy for Bank's own Building & initiated process to get Green Certification from IGBC.
2. Roof Top Solar Panel was implemented at 85 locations across India in Bank's owned premises with a capacity of 1232 kWp generating 17.86 lakh units per annum which saves cost of ₹1.42 Crore per annum. The same is extended to leased premises wherever possible.
3. Diesel generators were surrendered or replaced with inverters and UPS to reduce carbon emission
4. All Branches/Offices/ATMs were fitted with LED light fittings and Timer in signage boards.
5. Light sensors were installed at Corporate Office, Head Office and 46 Zonal Offices for energy conservation.
6. Record Management system implemented in 4318 branches to save the rental expenditure.

Other Initiatives:

1. Ramp facility was provided in 4666 ground floor branches to assist Persons with Disabilities and senior citizens.
2. Digital Sign Boards were installed at 140 prime locations for branding Bank's image across country in phase-1.
3. The Bank has taken aggressive steps for making staff

quarters/office available in prime cities by way of redevelopment of old own buildings and construction of new buildings on the Bank's own plot.

4. The Bank is using Government e-Marketplace (GeM) digital platform for procurement of Goods and services.

23. MARKETING:

Social Media Branding Initiatives

The Bank is proactively present on its official social media platforms viz., Facebook, X, YouTube, Instagram, and LinkedIn to effectively leverage the product promotion besides engaging with users by sharing various achievements, commemorative events and customer facing activities. It helped the Bank to surpass its followers count by more than 5.40 million by the end of FY26.

Digital Marketing Campaigns

The Bank has successfully conducted digital marketing campaigns creating brand awareness, brand recall and for product promotion on various digital platforms such as IRCTC, Radio City FM, Sony Sports, Sony Liv, TrueCaller, AAJ Tak Live TV, Jiostar Platform, Thanthi TV, The New Indian Express group of portals etc.

Automated Digital Signage (ADS) Implementation

The Bank has strategically deployed 2,229 ADS across potential branches and offices to keep both internal and external audiences updated about its products, services, regulatory developments, and cyber security awareness. Additionally, 1,235 devices were procured during the year and installed Pan India.

Ind Navya Newsletter

The Bank publishes a monthly newsletter named Ind Navya. It is an informative monthly newsletter covering Bank's products/services/advisories and customer-centric initiatives/developments like launch of new products and services, features, promotion offers, campaigns, achievements, events, government directives, advisories, etc.

Cybersecurity Awareness

In light of the increasing incidents of cyber frauds, the Bank continues to raise cybersecurity awareness about the latest financial scams under our targeted advertising campaign titled 'Khabar Nahi Khabardar Bano'.

Corporate Blog

The Bank publishes blogs on the Bank's official website

covering various topics related to Banking and Finance, with an aim to deliver content that is both informative and engaging for our customers, covering our products/services, industry trends, financial strategies, banking basics and the latest market developments.

24. CORPORATE COMMUNICATION:

External Communication

- During FY26, the Bank initiated various activities to improve customer engagement by offering customer centric products and services, publicizing various welfare schemes of the Government and achievements of the Bank.
- The Bank utilized physical and virtual platforms to facilitate communication to various stakeholders through press conferences, meets and special interviews of Top Management on various occasions.
- Wide coverage was received from major national dailies and TV channels during various occasions such as declaration of Financial Results, launch of products, outreach activities, Swachhata Pakhwada, CSR activities, 119th Foundation Day Celebrations, etc.
- Advertisement campaigns were carried out by way of Out of Home(OOH) across major cities in the country through LED Digital Screens, Hoardings, Trivision boards, Glow Ball Towers, etc

Corporate Social Responsibility (CSR):

- Bank's commitment to make a positive difference in the lives of marginalized sections of the society in the country has been demonstrated through various Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives.
- For carrying out CSR activities, the major focus areas are Inclusive Growth, Financial literacy & Enhancing Vocational Skills, Green Initiative and Environmental Sustainability reducing carbon foot-prints, Gender Equality & Women Empowerment and Health & wellness.

CSR Highlights:

- The various CSR initiatives of the Bank solidify Bank's commitment towards the betterment of communities as well as natural environment. Photographs of some of the CSR activities undertaken by the Bank are shared below:



Extended support to Government Medical College & Hospital, Omandurar, Chennai by providing one ambulance for transporting patients.



Extended support to King George's Medical University, Lucknow for undertaking Heavily Subsidised Robotic Surgeries for Economically Weaker and needy Patients



Supported the differently abled women and mothers of differently abled children through Society for Rights of all Women with Disabilities (SFRAWD), Chennai by providing 40 numbers of sewing machines



Supported Vidya Sagar School, Chennai for infrastructure strengthening project by providing wellness equipment to differently abled students and development of sensor based automatic sliding double door in the auditorium.



Supported AASHRAYA, Chennai by providing Kitchen equipment under CSR initiative of the Bank



Organised a month long food distribution to Old age home/orphanages in and around Chennai in the month of August, 2025



Bank has donated hearing aids and Computer systems to Little Flower Convent Higher Secondary School for the Deaf, Chennai



Provided school uniforms, school notebooks along with one Braille printer to St. Louis Institute for the Deaf & The Blind, Chennai



Supported Government Medial College, Annamalai Nagar by providing a TATA Truck for transporting essential medical goods



Extended support to Loyola College, Chennai for development of Basketball Court to facilitate extended practice hours under lights, hosting of major tournaments and also offering sports personnel better training facilities and growth opportunities



Supported for repair and renovation of Wellness centre of Ranchi University, Jharkhand



Supported Anbu Illam, an elderly home at Coimbatore by providing essential kitchen equipment

25. Compliance of Accessibility Standards Guidelines of Department of Financial Services (DFS), GoI

In Compliance with DFS, GoI guidelines on Accessibility Standards, the Bank has taken following steps/actions:

1. Ramp with handrails & lift facilities have been provided at branches (4872), offices (304), and ATMs (5220). In locations where installation is not feasible, the name of the Nodal Officer has been prominently displayed to assist differently abled and senior citizen customers.
2. All ATMs/BNAs of the Bank are enabled with braille keyboard and audio jack facility.
3. BRAILLE Debit cards has been provided for visually impaired customers.
4. Bank's IndSMART Mobile App and Internet Banking platform are designed to support accessibility and usability for differently abled users, ensuring inclusive digital banking services across channels. The platforms are compatible with widely used assistive technologies such as Google TalkBack, iOS VoiceOver, and JAWS, enabling customers with visual and other accessibility needs to conveniently access banking services.
5. To improve readability and user comfort, the platforms support adjustable font sizes, allowing users to increase text size through the application settings based on their accessibility requirements. In addition, prominent quick-action icons are provided to enable instant access to commonly used banking services, improving overall user convenience and operational efficiency.
6. The applications feature a simple and intuitive user interface with descriptive labels and integrated search functionality to help users quickly locate menus, options, and banking features with ease. Separate and clearly identifiable widgets are provided for quick accessibility to essential services and frequently used functionalities, thereby enhancing navigation and reducing operational complexities.
7. The platforms also provide links to demo videos covering major functionalities, along with captions and subtitles to ensure accessibility for users with hearing impairment and to facilitate independent understanding of digital banking services without reliance on audio support.
8. Further, the IndSMART Mobile App and Internet Banking platforms has undergone accessibility audits by specialized web accessibility auditors to assess compliance with accessibility standards and to ensure continuous enhancement of inclusive digital banking experience for all users.

26. SPORTS

BASKETBALL

International

1. Our Basketball Players Mr. H. Muinbek, Mr. P. Baladhaneswar, Mr. Pranav Prince, Mr. Prashant Singh Rawat, represented Senior Indian camp currently.
2. Mr. Muin Bek and Mr. Pranav Prince represented senior Indian team for the FIBA Asia Cup qualifiers, window-3, 2025-26.
3. Mr. Pranav Prince from our Indian Bank Basketball Team represented Senior Indian team for the FIBA 3x3 Asia Cup 2025-26.

National and State Level



Indian Bank clinched the 21st State Level Basketball Tournament for Men 2025, Dr Gopalakrishnan Memorial Trophy



19th Indian Bank Rising Star State Level Basketball Tournament at Jawaharlal Nehru Stadium and Corporation Grounds, T Nagar, Chennai (Winners)



Chidambara Sourya Narayanan Memorial ever rolling trophy for men at Periyakulam, Theni (Winners)



Most valuable player of the tournament was awarded to Mr. Muin bek



58th All India Basketball tournament for Nachimuthu Gounder Trophy at Coimbatore. (Winners)



Most valuable player of the tournament was awarded to Mr. Pranav Prince



59th All India Basketball Tournament for Men for PSG Trophy at Coimbatore. (Winners)



1st All India Jodhpur Challenge Cup Basketball Tournament-2025 at Jodhpur, Rajasthan. (Winners)



Our MD & CEO congratulated Mr. Muin Bek for receiving Tamil Nadu State Sports Award as Player of the year (Basketball)

HOCKEY



Our Hockey Team secured First place in the Thiruvallur Premier League 3.o beating IOB in the finals at Chennai from 11.08.2025 to 31.08.2025

VOLLEYBALL



VII State Level Volleyball tournament at Keeramangalam, Tamilnadu (Winners)



4th State level Volleyball Tournament at Swamithoppu, Kanyakumari District. (Winners)



17th Chandrapandi Memorial Trophy State Level Volleyball Tournament at Madurai. (Winners)



State Level Volleyball Tournament at Dharmapuri. (Winners)



Mr. L.M. Manoj has been recognized and awarded Ekalavya Award for his achievements in getting Gold Medal in SAF Games and representing in 2023 Asian Games in Volleyball Sports. This is a prestigious state-level honour awarded by the Government of Karnataka for outstanding achievements in sports. The Karnataka State Chief Minister awarded the trophy in a felicitation programme conducted at Bengaluru on 01.12.2025. This recognition is a very proud moment to all of us, on his selection as an Ekalavya Award Winner.

CHESS



Our Chess player Mrs. Rajasurya has secured 1st place in Warrior Chess Academy FIDE Rated Open Chess Tournament.



Our Chess player Mrs. Rajasurya has emerged as Winner in Open in Below 1800 FIDE rated International Open Chess Tournament.

PARA SHOOTING



Year 2025
6th National Para Shooting Championship
Team Bronze in 10 m Air Pistol in Women category



Year 2025
68th National Shooting Championship Competition (NRAI National)
Bronze in 10 m Air Pistol in Women category

27. OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

The Bank is committed to provide banking services to the masses of the country in Official Language Hindi and other Indian languages. Accordingly, the Bank has a well-established Official Language Department which ensures implementation of the provisions related to the Official Language Policy of the Government of India and Progressive Use of Official Language, Hindi, in the Bank.

The Bank has made concerted efforts to comply with the Official Language instructions received time and again from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Committee of Parliament on Official Language and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

The use of Official Language Hindi and other Indian languages for promoting business as well as providing digital products to the customers is a significant part of the Bank's Official Language policy, which has been well appreciated time to time by the Government of India and Regulatory Authorities from various platforms.

It is a matter of great pleasure that the Bank has adopted a well-structured Annual Action Plan for implementation of Official Language Hindi and for progressive use of Hindi in order to achieve the various targets prescribed by the Government of India under its Annual Programme 2025-26, directions issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance and the assurances given to the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices of the Bank.

During the year 2025-26, the noteworthy initiatives undertaken by the Bank through the Official Language Department are given below:

- **Compliance to Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963:** Circulars, Advertisements, Press Releases, Annual Report, AGM/EGM Notices, Tender Notices etc. are issued in Bilingual form (Hindi-English) by the Corporate Office in compliance of Annual Programme 2025-26 issued by Government of India.
- **Replies to letters received in Hindi - Rule 5 of the Official Language Rules, 1976:** The letters received in Hindi are required to be replied to invariably in Hindi. To facilitate its compliance, the letters received in Hindi are translated into English and sent to the respective departments. The English draft reply received back by the Department is translated into Hindi and in all such cases, it is thus ensured that the replies are sent in both languages in English and Hindi.
- **Bank Rajbhasha Portal:** Link to 'Leela Hindi Pravah', an online tool of the Government of India for Hindi learning, is available on the Rajbhasha portal for the benefit of the staff members. Hindi typing software and Hindi fonts, the link of "Bharati Bahubhashi Anuvad Sarthi" developed by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India is also available on this portal.
- **Hindi Training:** Non-Hindi Speaking Staff members are being imparted Hindi training invariably to the level of 'Pragya' examination conducted by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India to provide them working knowledge of Hindi as the actions undertaken in compliance to the assurances given to Hon'ble Committee of Parliament on Official Language during its Official Language inspection of the Bank and a Roster of the staff members having working knowledge of Hindi has been prepared to provide them 'Parangat' examination conducted by Hindi Teaching Scheme.
- **Hindi Workshops:** Around 5145 officers and employees were imparted training in Hindi through 266 Hindi workshops conducted during FY26.
- **Hindi Desk Training:** In order to dispose of the desk works in Hindi in branches, **Hindi Desk Trainings** were conducted for officers and employees posted in the branches during monthly mandatory inspection by the Official Language officers in compliance to the Annual Programme 2025-26 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.
- **Translation Works:** Translation of all Banners, Tenders, Advertisement materials, Press Releases, Pamphlets, etc. received from various departments of Corporate Office/Head Office, was done by the Official Language Department.
- **All India Official Language Conference and Annual Review Meeting:** An All India Official Language Conference for Official Language Officers was organized under the **chairmanship of Shri Brajesh**

Kumar Singh, Executive Director at Lucknow on 12.03.26 for all the officers of Official Language Cadre. **Padmashri Smt. Malini Awasthi as the Chief Guest and Padmashri Dr. Vidya Bindu Singh as the Special Guest attended the conference. Dr. Chhabil Kumar Meher, Deputy Director (Implementation), Regional Implementation Office, North-II, Government of India was also present on this occasion.**

- **Celebration of Hindi Fortnight 2025:** Hindi Fortnight was celebrated at Corporate Office from 14th September 2025 to 29th September 2025. During this period, various Hindi competitions were organized at the Corporate Office for Executives and Staff members.
- **Town Official Language Implementation Committee (TOLIC):** The Bank is the **Convenor of TOLIC** set up by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India in **13 towns** Pan India. Meetings of all TOLICs were conducted as per Government of India guidelines in the scheduled months. The 77th Half-yearly Meeting of the TOLIC (Bank/FIs), Chennai was conducted on 25.11.2025 under the Chairmanship of **Shri Binod Kumar, MD & CEO** at IMAGE. TOLIC's Hindi Magazine "Chennai Bharati" was released by **Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director** during An All India Official Language Conference organized under the aegis of the TOLIC (Bank/FIs), Chennai.
- **Inspection Visit of Hon'ble Committee of Parliament on Official Language:** Official Language Inspections of Zonal Offices: Guwahati, Bengaluru,

Mysore, Dehradun, Agra, Gurgaon, Mumbai (South), Kolkata (Central), Varanasi, Gonda and Meerut by the Third Sub Committee of the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language were successfully held. The Official Language discussion by the Drafting and Evidence Sub Committee of the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language with Corporate Office, ZO Moradabad, ZO Kanchipuram, ZO Puducherry, Kollam Branch, Pathanamthitta Branch and Malappuram Branch were also successfully held on various dates.

- **Inspection by DFS:** ZO Bhubaneshwar and ZO Pune were inspected by a team of Inspection, DFS for implementation of Official Language. The **Corporate Office** was inspected by **Shri Dharmbir, Deputy Director (OL), Department of Financial Services** on 17.03.2026 for implementation of Official Language. Post inspection, an exit meeting was organized under the Chairmanship of **Ms. V.N. Maya, CGM (CDO & CLO) & Legal**. The meeting was attended by several Department Heads of the Corporate Office.
- **New Initiatives:** As part of continued commitment to the effective implementation of the Official Language Policy, various initiatives like **Rajbhasha Portal, Online Payment of Honorarium after passing out of Hindi Exam, "Learn a Word" feature on Helpdesk, Bilingual CBS Platform, Publication of Hindi Magazines, Local Language Conversational Help Book, Books Based on State Culture, Pan India Book etc.** were undertaken by Official Language Department.



Bank was awarded the '**Second Prize**' under Region 'C' by the **Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India** for the excellent implementation of the Official Language Policy for the year **2024-25**.



Bank has been conferred with '**Third Prize**' for the year 2024-25 under the **Rajbhasha Kirti Award** Scheme by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India in recognition of its **excellent performance in the field of Official Language implementation**.



Zonal Office, Varanasi has been awarded the **'First Prize'** for outstanding performance in the implementation of Official Language Hindi.



Zonal Office, Kolkata (North) has been awarded the **'First Prize'** for Outstanding performance in the implementation of Official Language Hindi.



Zonal Office, Patna has been awarded **'Second Prize'** for outstanding performance in the implementation of Official Language Hindi.



Indian Bank, Corporate Office has been conferred with the '**NARAKAS Rajbhasha Samman**' (Third Prize – Region 'C') as the convenor bank of the Town Official Language Implementation Committee (Banks/Financial Institutions), Chennai by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, for outstanding implementation of the Official Language Policy during the financial year 2024-25.



Bank was honoured with '**First Prize**' in '**Region C**' at a grand event organized in Udaipur by the **Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India** in recognition of the effective implementation of the Official Language Policy and excellent performance during the **financial year 2025-26**.

28. AWARDS & ACCOLADES



Bank won Prestigious **SKOCH Golden Award for IB SAATHI & SKOCH Silver Award for Security Operations**



CEO of the Year at TN Business Leader of the Year 2025



ET Edge BFSI Tech Leaders Award - Architects of Bharat's Financial Future



Bank has received IBEX India 2026 BFSI Tech Award (Bronze) under Digital CX Trailblazer - PSU



Digital Leadership Award at 5th Edition of "Connect Future Ready Leaders Viksit Bharat 2047" by Enqube Collaborations



VMware – India Cloud Leader Award 2025



Bank has received Special Mention under Best IT Risk Management & Best Technology Bank at IBA's 21st Annual Banking Technology Conference 2024-25



Digital Payments Awards 2023-24 From Ministry of Finance

29. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

- The Bank has two sponsored Regional Rural Banks viz., Tamil Nadu Grama Bank (TNGB) headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puducherry Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- Saptagiri Grameena Bank (SGB) has since been merged with Andhra Pradesh Grameena Bank sponsored by Union Bank, w.e.f. 01.05.25.
- As per the notification issued by the Central Government on 23.10.25 under the Regional Rural Banks Act, 1976, the bank formerly known as Puduvali Bharathiyar Grama Bank has been renamed as Puducherry Grama Bank.
- In respect of two RRBs, the branch network has increased by 25 from 722 (March 2025) to 747 Branches (March 2026). The total business of the two RRBs was ₹61,968 Crore as on 31.03.26 as compared to ₹53,924 Crore as on 31.03.25 (YoY growth of 15%).
- Both RRBs are profit making.

Business position as on 31.03.2026 (Audited)

(₹ in Cr)

S. No.	Name of the RRB	No. of Branches	Deposits	Advances	Business	Net Profit	Net NPA %	CRAR %
1	Tamil Nadu Grama Bank	699	26232	31735	57966	623	0	13.34
2	Puducherry Grama Bank	48	1923	2079	4002	60	0	10.39
	Total	747	28155	33814	61968	683	0	-

- RRBs are actively participating in the Government of India's financial inclusion schemes such as PMJDY, PMJJBY, PMSBY, and APY. As on 31.03.26, they have 13.76 lakh PMJDY accounts, covered 9.71 lakh beneficiaries under PMJJBY, 18.89 lakh beneficiaries under PMSBY, and 4.17 lakh beneficiaries under APY.

30. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

Universal Sampo General Insurance (P) Limited:

- The Bank has a joint venture with a Consortium of Public & Private Corporate entities from India and Sampo of Japan as promoters and was incorporated in 2007.
- Universal Sampo General Insurance Co. Ltd. is a joint venture of Indian Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Corporation and a leading general insurer from Japan, Sampo Japan Insurance Inc. It offers a wide-range of products catering to Retail, Rural, SME & Corporate customer segments.
- As on 31.03.26, the Indian Bank's shareholding was at 28.52%
- The Net Profit has been ₹226 Crore in FY26 as against ₹190 Crore in FY25 registering a growth of 18.95%.

Indbank Merchant Banking Services Limited:

The subsidiary functions across corporate, retail, and institutional financial segments through the following core operational wings:

- Merchant Banking:** Undertakes capital market assignments as Lead Manager, Co-Manager, Advisor, or Arranger for Public Issues, Rights Issues, and Private Placements. They also manage buybacks, delistings, and corporate share takeovers under SEBI guidelines.
- Stock Broking:** Corporate member of the NSE and BSE. They offer retail and institutional online trading platforms (IndFortune) spanning Equity, Derivatives (F&O), and ETFs.
- Depository Participant (DP) Services:** Registered with both NSDL and CDSL to handle demat accounts and electronic holding transactions for retail and corporate clients.
- Investment Distribution:** Regulated AMFI mutual fund distributor utilizing their IndWealth platform for regular and systemic investment plans (SIPs)

- The company is listed on NSE and BSE
- As on 31.03.26, the Bank's shareholding was at 64.84%.
- The subsidiary witnessed Net Profit of ₹7.09 Crore in FY26 and earned income of ₹14.11 Crore under stock broking.

IndBank Global Support Services Limited (IGSSL):

- IGSSL is a Wholly Owned Subsidiary (WOS) of Indian Bank, incorporated on 09.02.24 with an authorized and paid-up Capital of ₹10 Crore to offer comprehensive outsourcing solutions for various banking operations as permitted by RBI. The WOS is active in garnering deposits, sourcing mortgage, vehicle loans, improving digital penetration and recovery. The subsidiary witnessed Net Profit of ₹28 lakh in FY26.

INTENTIONALLY LEFT BLANK



Exclusive Salary Account

for Central Government
Permanent Employees



Free Insurance Coverage up to ₹2.07 Cr



Free Healthcare consultation for self and
4 family members



Free debit card with lifestyle privileges



Scan to know more

*T&C Apply



IND SHAKTI

An exclusive savings account for women

*T&C Apply



Free Cancer Insurance



Debit Card with lifestyle privileges



Discount on Locker Rent



Scan to know more

Business Responsibility & Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report for the **FY 2025-26** is available on the Bank's **website www.indianbank.bank.in** under the following link: **<https://www.indianbank.bank.in/departments/annual-reports/>**

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standards of Corporate Governance and is committed to its responsibilities which are based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with highest degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Managing Director & CEO and four Executive Directors are the Whole Time Directors appointed by the Government of India. The Board of Directors is constituted as per the provisions under section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In terms of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Directors other than Shareholder Director are nominated /appointed by the Govt. of India.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, corporate strategy and planning, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.3 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2026 was as under:

Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board level Committees	Directorship held in Companies / Entities other than the Bank	No. of Shares held
1	Shri Binod Kumar	MD & CEO	16.01.2025	1. Management Committee (Chairman) 2. Customer Service Committee (Chairman) 3. Risk Management Committee	Indian Institute of Banking and Finance	-

				- Committee of Directors – Vigilance (Chairman) - Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds - IT Strategy Committee - HR Committee (Chairman) - Committee for Monitoring of Recovery (Chairman) - Review Committee for Willful Defaulters (Chairman) - Credit Approval Committee (Chairman) - Committee of Directors (Capital Raising) (Chairman)		
2	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023	- Management Committee - Audit Committee of the Board (Invitee) - Customer Service Committee - Risk Management Committee - Committee of Directors (Vigilance) - Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds - IT Strategy Committee - Stakeholders Relationship Committee - Share Transfer Committee (Chairman) - HR Committee - Committee for Monitoring of Recovery - Credit Approval Committee - Committee of Directors (Capital Raising)	- PSB Alliance Private Limited - Indbank Merchant Banking Services Ltd - Indbank Global Support Services Limited (IGSS)	-
3.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023	- Management Committee - Audit Committee of the Board (Invitee) - Customer Service Committee - Risk Management Committee (Invitee) - Committee of Directors (Vigilance) - Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds - IT Strategy Committee - Stakeholders Relationship Committee	- Ind Bank Housing Ltd - Universal Sompo General Insurance Company Limited	-

				9. Share Transfer Committee 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee 13. Committee of Directors (Capital Raising)		-
4.	Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board (Invitee) 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee (Invitee) 5. Committee of Directors (Vigilance) 6. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 7. IT Strategy Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Share Transfer Committee 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee 13. Committee of Directors (Capital Raising)	Universal Sampo General Insurance Company Limited	-
5.	Ms. Mini T M	Executive Director	24.11.2025	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board (Invitee) 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee (Invitee) 5. Committee of Directors (Vigilance) 6. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 7. IT Strategy Committee 8. Stakeholders Relationship Committee 9. Share Transfer Committee 10. HR Committee 11. Committee for Monitoring of Recovery 12. Credit Approval Committee 13. Committee of Directors (Capital Raising)	-	-

6.	Dr. Alok Pande	Govt. Nominee Director	13.05.2024	1. Committee of Directors (Vigilance) 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 3. IT Strategy Committee 4. HR Committee 5. Committee for Monitoring of Recovery 6. Board Committee for Performance Evaluation (Chairman)	ITC Ltd.	-
7.	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	14.07.2023	1. Management Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Committee of Directors (Vigilance)	-	-
8.	Shri Balmukund Sahay	Part-time Non Official Director	11.04.2025	1. Audit Committee of the Board 2. Customer Service Committee 3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow -up of cases of Frauds (Chairman) 4. IT Strategy Committee 5. Stakeholders Relationship Committee (Chairman) 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Board Level Appellate Committee for Disciplinary cases (Chairman) 8. Nomination and Remuneration Committee (Chairman)	-	-
9.	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-time Non Official Director	11.04.2025	1. Management Committee 2. Customer Service Committee 3. Risk Management Committee (Chairman) 4. IT Strategy Committee 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Board Level Appellate Committee for Disciplinary cases 8. Review Committee for Wilful Defaulters 9. Nomination and Remuneration Committee	V G Corporate Management Pvt Ltd	-

10.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	21.12.2024	1. Audit Committee of the Board (Chairman) 2. Risk Management Committee 3. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds 4. Share Transfer Committee 5. Board Level Appellate Committee for Disciplinary cases 6. Review Committee for Wilful Defaulters 7. Nomination and Remuneration Committee 8. Board Committee for Performance Evaluation	• Trust AMC Trustees Private Limited • MSSBL Traders Limited (converted to LLP w.e.f. 03/02/2024)	250
11.	Shri Bhupinder Singh Bhalla	Shareholder Director	31.12.2025	1. Audit Committee of the Board 2. Risk Management Committee 3. IT Strategy Committee (Chairman) 4. Stakeholders Relationship Committee 5. Share Transfer Committee 6. Nomination and Remuneration Committee 7. Board Committee for Performance Evaluation	-	150

Note:

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he/she is a director.
- (ii) There is no inter-se relationship between Directors.
- (iii) Details of familiarization programmes imparted to independent Directors are available on Bank's website under the link, <https://indianbank.bank.in/departments/corporate-governance-2/>
- (iv) The Board of Directors has been responsible for the business and overall affairs of the Bank in the FY 2025-26 and that the reporting structures of the Bank, formal and informal are in consistent with the same.
- (v) In the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (LODR) regulations, 2015 and are independent of the management.
- (vi) During FY 2025-26, there has been only one instance of resignation by one Independent Director, Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director. Shri Pradeep Kumar Malhotra submitted his resignation vide letter dated 28.11.2025 pursuant to RBI's communication dated 30.07.2025 disqualifying serving employees of Life Insurance Corporation of India being connected with para banking activities to be on the Board of PSBs as Shareholder Director in terms of para 4.3(iv)(b) of Master Direction-Reserve Bank of India ('Fit & Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions, 2019 dated August 02, 2019 (updated as on June 03, 2020). Accordingly Shri Pradeep Kumar Malhotra ceased to be a Director of the Bank w.e.f. 28.11.2025.

- (vii) Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director attended meeting of Audit Committee of the Board as invitee.
- (viii) Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (ix) Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee.
- (x) Ms. Mini T M, Executive Director attended meeting of Audit Committee and Risk Management Committee of the Board as invitee

2.5 The profiles of the directors who were appointed / nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2025-26 are furnished hereunder:

2.5.1. Ms. Mini T M, Executive Director:

Ms. Mini T M is a highly accomplished banking professional with more than three decades of wide-ranging experience across Federal Bank, e-Vijaya Bank, and Bank of Baroda. She joined Indian Bank as Executive Director, bringing with her a distinguished record of leading large business portfolios, driving strategic growth and strengthening governance and risk frameworks at scale. In her most recent role as Chief General Manager & Cluster Head Delhi at Bank of Baroda, Ms. Mini oversaw a business portfolio of approximately Rs. 6.00 lakh crore, providing strategic direction across deposits, advances, customer service, and compliance. Prior to this, she headed the pan-India Retail Liabilities vertical, spearheading product innovation, digital enhancements, and sustained growth in CASA and term deposits. Her leadership journey includes heading major Zones such as Bengaluru and Pune, where she delivered strong business expansion, improved asset quality, enhanced customer experience and introduced multiple governance and digital transformation initiatives. She has also led PSU and corporate business for the southern region and previously held senior responsibilities in credit, SME banking, corporate credit operations and risk management. Ms. Mini holds an MBA in Banking & Finance, is an FRM (GARP, USA), a CAIIB and has completed premier leadership programs at IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, CAFRAL, and international leadership forums. Recognized for her strategic clarity, operational excellence and people-centric leadership, Ms. Mini has consistently contributed towards building strong, future-ready banking ecosystems and delivering sustainable growth across diverse business segments.

2.5.2. Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director:

With an honours degree from Shri Ram College of Commerce, ICWA and a PGDM (MBA) from the Indian Institute of Management, Bangalore, Shri Bhupinder Singh Bhalla worked in corporate finance for three years before joining the Indian Administrative Service (IAS) in 1990. Till recently, he was working as Technical Member, Appellate Tribunal for Electricity, Government of India. Earlier, as the Secretary of the Ministry of New and Renewable Energy till he retired in Sep 2024, he was responsible for driving India's energy transition through massive scale-up of the renewable energy sector. His notable accomplishments include launch of the National Green Hydrogen Mission and the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana; impetus to solar manufacturing; and kick-starting the offshore wind development in the country. He has also worked at other key positions at the Government of India. As Joint Secretary, and then as Additional Secretary, Ministry of Commerce & Industry for over five years, he was responsible for India's trade negotiations with the neighbouring countries. In addition, he worked as Director General, Trade Remedies and led the India Brand Equity Foundation as its CEO. He has also worked as Counsellor (Economic) in the Indian Embassy at Washington DC, USA where he spearheaded the India-US bilateral engagements in finance, energy and agriculture for over three years. Earlier, as Director, Department of Financial Services Ministry of Finance, he played a role in several major initiatives in India's banking sector, and served as Government Nominee Director on the board of Union Bank of India from 24 January 2005 to 10 June 2008. As a member of the Union Territory cadre of the IAS, he has had memorable stints in diverse fields across Delhi, Goa, Daman & Diu, Andaman & Nicobar Islands and Chandigarh, including as the Administrator, Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, where he served as the constitutional and administrative head. As a Fellow Member of the Institute of Cost Accountants of India, he has been conferred with the inaugural CMA Ratna Award 2016 by the Institute for significant contribution to the cause of society and the profession as a policymaker.

2.5.3. Shri Balmukund Sahay, Part Time Non Official Director:

Shri Balmukund Sahay is a post graduate in Commerce from Ranchi University.

He was an active member of Jharkhand State Transport Authority from 2001 to 2004 and member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee from 2016 to 2019. As a member of Jharkhand State Transport Authority, he had a role to promote rural economy and improve transportation sector.

He is a social activist and as a member of Jharkhand State Level 20 Points Programme Committee, he was focusing on encouraging Agriculture, Rural Economy, Small Scale Industries & Information Technology and alternative dispute resolution. Poverty alleviation, facilitating government schemes to beneficiaries, were also his subject of interest.

2.5.4. Shri Vishvesh Kumar Goel, Part Time Non Official Director

He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Bachelor degree in Commerce from Meerut University. He has experience of more than 30 years in direct taxation, international transaction advisory, Legal opinions, Expatriate Taxation, etc. He also has extensive experience in Assurance Services & serving listed Indian and Multinational clients in various industries.

He has worked under various GAAPs (including USGAAP, IFRS, Ind AS, etc.). He is founder trustee of Eminent Educational Institute. He is an active participant in public seminars on direct taxation, training and other motivational programs.

2.6 The details of cessation of directorship during FY 2025-26 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	01.07.2025	Completion of term of appointment
2.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	28.11.2025	Resignation

3. Credentials of members of Board of Directors (as on 31.03.2026):

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
1.	Shri Binod Kumar	MD & CEO	Executive	B.Sc.(H), Post Graduate Diploma in Banking & Finance, Financial Risk Manager, Diploma in Banking & Finance, Diploma in Treasury, Investment & Risk Management, CAIIB	Banker
2.	Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	Executive	MBA, Executive Leadership Development Program from IIM Bangalore	Banker
3.	Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	Executive	MA, MBA, CAIIB, Certificate in Rural Banking, Leadership Development Programme for Senior Management of Public Sector Banks at IIM Bangalore	Banker

Sl. No.	Name	Designation	Category of Director	Educational/ Professional Qualification	Skill/ Expertise
4.	Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	Executive	B.Sc. (Agri), MBA (Finance), CAIIB, Leadership Development Programme for Senior Management of Public Sector Banks at IIM Bangalore	Banker
5.	Ms. Mini T M	Executive Director	Executive	B.Sc (Agriculture), MBA (Banking & Finance), CAIIB, FRM (GARP, USA) Post Graduate Diploma in Financial Management	Banker
6.	Dr. Alok Pande	GOI Nominee Director	Non Executive- GOI Nominee Director	B.E. (Mechanical), FPM (Doctorate)	Govt. Service, Additional Secretary, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance
7.	Smt. K. Nikhila	RBI Nominee Director	Non Executive- RBI Nominee Director	M.Sc., Certified Associate of IIB&F	Chief General Manager-in-Charge, RBI, Premises Department
8.	Shri Balmukund Sahay	Part-Time Non Official Director	Non Executive- Independent Director	M.Com.	Social Activist
9.	Shri Vishvesh Kumar Goel	Part-Time Non Official Director	Non Executive- Independent Director	B. Com., CA	Practicing Chartered Accountant
10.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	Non Executive- Independent Director	B. Com. (Hons) FCA, DISA	Practicing Chartered Accountant
11.	Shri Bhupinder Singh Bhalla	Shareholder Director	Non Executive- Independent Director	B. Com. (Hons.), ICWA, PGDM, MBA	Retired IAS Officer/ Cost Accountant

3.1 Details of the Board / Committee meeting held during financial year 2025-26:

Details of the meetings attended by Present and Past Directors (from 01.04.2025- 31.03.2026):

Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	COD (Vig)	SRC	IT Com.	SCB MF	CSC	H R Com.	STC	CAC	CMR	BAC DC	NRC	RC WD	BC PE	COD (Capital Raising)
1	Shri Binod Kumar	14	24	--	6	4	--	6	4	5	6	--	45	4	--	--	4	--	2
2	Shri Mahesh Kumar Bajaj*	4	6	--	--	1	1	2	--	1	2	1	10	1	--	--	--	--	--
3	Shri Ashutosh Choudhury	14	24	--	6	4	1	6	4	4	6	3	45	4	--	--	--	--	2
4	Shri Shiv Bajrang Singh	14	18	--	--	3	1	6	2	5	6	1	37	3	--	--	--	--	0
5	Shri Brajesh Kumar Singh	14	23	--	--	4	1	5	4	5	5	3	39	4	--	--	--	--	1
6	Ms. Mini T M#	5	6	--	--	2	--	2	2	2	1	2	11	1	--	--	--	--	1

7	Dr. Alok Pande	11	--	--	--	4	--	6	3	--	6	--	--	2	--	--	--	2	--
8	Ms. K Nikhila	9	23	8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Shri Balmukund Sahay^	14	--	12	4	--	1	2	4	5	--	2	--	4	--	3	--	--	--
10	Shri Vishvesh Kumar Goel^^	14	23	--	6	--	--	6	--	5	6	--	--	4	--	3	2	--	--
11	Shri Pradeep Kumar Malhotra@	5	--	5	--	--	1	4	--	--	--	1	--	--	--	1	2	1	--
12	Shri Sanjeev Maheshwari	14	--	12	5	--	--	4	3	--	5	2	--	--	--	3	4	2	--
13	Shri Bhupinder Singh Bhalla@@	4	--	3	2	--	--	2	--	--	--	1	--	--	--	1	--	1	--

* ED upto 30.06.2025

ED w.e.f. 24.11.2025

^ Part-time NOD w.e.f. 11.04.2025

^^ Part-time NOD w.e.f. 11.04.2025

@ Resignation w.e.f. 28.11.2025

@@ Shareholder Director w.e.f. 31.12.2025

During the financial year 2025-26, 14 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Board	Number of Directors Attended the meeting
1	26.04.2025 & 27.04.2025 * (Strategy Board)	11	10
2	03.05.2025	11	11
3	19.05.2025	11	10
4	26.06.2025	11	10
5	24.07.2025	10	9
6	26.09.2025	10	9
7	26.09.2025 (Seq Board) #	10	9
8	16.10.2025	10	10
9	22.11.2025 & 23.11.2025** (Strategy Board)	10	10
10	29.12.2025 & 30.12.2025* (Strategy Board)	10	8
11	22.01.2026	11	10
12	06.03.2026	11	10
13	06.03.2026 (Seq Board) #	11	10
14	27.03.2026	11	10

* Strategy Board Meeting started on 26.04.2025 and ended on 27.04.2025

** Strategy Board Meeting started on 22.11.2025 and ended on 23.11.2025

Board has sequence Board meeting on 26.09.2025 & 06.03.2026

4. Committees of the Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank:

- (i) Management Committee of the Board (MCB)
- (ii) Audit Committee of the Board (ACB)
- (iii) Risk Management Committee (RMC)
- (iv) IT Strategy Committee (ITSC)
- (v) Customer Service Committee (CSC)
- (vi) Committee of Directors (Vigilance) (COD Vig)
- (vii) Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)
- (viii) Share Transfer Committee (STC)
- (ix) Stakeholders Relationship Committee (SRC)
- (x) H R Committee (HR Com)
- (xi) Committee for Monitoring of Recovery (CMR)
- (xii) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases (BACDC)
- (xiii) Review Committee for Wilful Defaulters (RCWD)
- (xiv) Credit Approval Committee (CAC)
- (xv) Nomination and Remuneration Committee (NRC)
- (xvi) Board Committee for Performance Evaluation (BCPE)
- (xvii) Committee of Directors (Capital Raising) (COD Capital Raising)

4.1 Management Committee of the Board:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The committee is re-constituted from time to time. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations, and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member

3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member
7	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part Time Non-Official Director	Member

4.1.2 Details of meetings:

The Committee met 24 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	11.04.2025	6	5
2	30.04.2025	7	7
3	14.05.2025	7	6
4	30.05.2025	7	7
5	12.06.2025	7	7
6	25.06.2025	7	7
7	27.06.2025	7	7
8	23.07.2025	6	6
9	31.07.2025	6	5
10	12.08.2025	6	6
11	29.08.2025	6	6
12	15.09.2025	6	6
13	24.09.2025	6	5
14	26.09.2025	6	6
15	30.10.2025	6	6
16	14.11.2025	6	6
17	29.11.2025	7	7
18	15.12.2025	7	6
19	29.12.2025	7	5
20	27.01.2026	7	6
21	16.02.2026	7	6
22	26.02.2026	7	6
23	18.03.2026	7	6
24	27.03.2026	7	7

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and the same is re-constituted from time to time. Its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.

- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank
- Follow-up on all the issues raised in the Long form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports and all the issues/concerns raised in the inspection reports of RBI.
- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures.
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit.
- Qualifications in the draft audit report.
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern.
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems.
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank.
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable.
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The members of Audit Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Chairman
2	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member
3	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Member
4	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

Invitees:

- Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director
- Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director
- Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director
- Ms. Mini T M, Executive Director

4.2.2 Details of meetings:

During the period from 01.04.2025 to 31.03.2026, 12 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Audit Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	03.05.2025	4	4
2	09.06.2025	4	3
3	18.06.2025	4	3

4	24.07.2025	4	3
5	18.09.2025	4	3
6	16.10.2025	4	4
7	04.11.2025	4	4
8	18.11.2025	4	3
9	09.12.2025	3	3
10	22.01.2026	4	3
11	13.02.2026	4	4
12	23.03.2026	4	3

4.3 Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003 and the committee was re-constituted from time to time. The functions/ responsibilities of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
- Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
- Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
- Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Chairman
2	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member
5	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

Invitees:

- Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director
- Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director
- Ms. Mini T M, Executive Director
- Shri Himadri Bhattacharya, domain expert (Special Invitee)

4.3.2 Details of meetings:

The Committee met 6 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Risk Management Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	14.05.2025	5	4
2	18.06.2025	5	5
3	11.09.2025	5	5
4	19.12.2025	5	5
5	19.02.2026	5	5
6	18.03.2026	5	5

4.4 Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The Committee was reconstituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Committee of Directors (COD) on Vigilance:

The members of Committee of Directors (COD) on Vigilance as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
7	Ms. K Nikhila, RBI Nominee Director	Member

4.4.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee of Directors (COD Vig)	Number of Directors Attended the meeting
1	26.06.2025	7	7
2	28.08.2025	6	6
3	12.12.2025	7	6
4	12.02.2026	7	7

4.5 Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.5.1 Composition of the Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The composition of Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2026 stands as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

4.5.2 Function of Stakeholders Relationship Committee of the Board:

The role of the committee inter-alia include:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

4.5.3 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	10.06.2025	6	6

4.5.4 Compliance Officer:

Shri Dina Nath Kumar, Asst. General Manager & Company Secretary has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.6 IT Strategy Committee:

IT Strategy Committee was set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones. The committee is reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Strategy Committee (IT Com.):

The members of the IT Strategy Committee (ITSC) as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Chairman
2	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
7	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
8	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member
9	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Member

Representative of IDRBT, domain expert and IT consultant are Special Invitee to Committee meetings. CISO is also an invitee to the committee.

4.6.2 Details of meetings:

This Committee held 6 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026, as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the IT Strategy Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1	15.05.2025	9	9
2	16.06.2025	9	9
3	12.08.2025	8	8
4	14.11.2025	8	8
5	03.02.2026	9	8
6	17.03.2026	9	9

4.7 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)}

RBI came up with a notification DOS.CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/2024-25 dated July 15, 2024, repealing "Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)" and all relevant previous circulars issued by RBI in this regard. Consequently, RBI directed for re-constitution of 'Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds' (SCBMF). This replaced the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds). In line with the above guideline, Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds' (SCBMF) was reconstituted on 29.07.2024.

SCBMF shall oversee the effectiveness of the fraud risk management in the bank and review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimizing the incidence of frauds. Also, the coverage may include categories/trends of frauds, industry/sectoral/ geographical concentration of frauds, delay in detection/classification of frauds and delay in examination/conclusion of staff accountability, etc.

4.7.1 Composition of Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) {Previously: Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)}:

The members of the Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Member
3	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
4	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
5	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
6	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
7	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
8	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.7.2 Details of meetings:

The Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF) held 4 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)	Number of Directors Attended the meeting
1	22.04.2025	8	5
2	12.08.2025	7	7
3	12.12.2025	8	6
4	12.02.2026	8	8

4.8 Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004 and was reconstituted from time to time. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguard the interest of common persons
- To review the systems in place for providing service to the customers and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Member
7	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member

Invitees: Shri Palaniappan S- General Manager (ACoE) (as representative of Divyangjans) and Internal Ombudsman.

4.8.2 Details of meetings:

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	17.06.2025	7	6
2	28.08.2025	6	6
3	29.11.2025	7	7
4	19.02.2026	7	6
5	27.03.2026	7	7

4.9 Nomination and Remuneration Committee of the Board:

Nomination and Remuneration Committee was constituted in the Bank on 27.11.2019 based on RBI / DFS guidelines for determining the 'Fit and Proper' status of persons to be elected as Shareholder Director on the Board. The Committee was reconstituted from time to time.

4.9.1 Composition of Nomination and Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member
3	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member
4	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

4.9.2 Details of meetings:

The Committee held 3 meetings during the period 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the NRC Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	17.06.2025	4	4
2	30.12.2025	3	3
3	10.02.2026	4	4

4.10 Board Committee for Performance Evaluation

The committee was constituted on 27.11.2019 for approval of KRAs of GMs, CGMs and EDs and to set up KRAs of MD & CEO for recommending to Board. The Committee is re-constituted from time to time.

4.10.1 Composition of Board Committee for Performance Evaluation:

The members of the Board Committee for Performance Evaluation as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Chairman
2	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member
3	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

4.10.2 Details of meetings:

The Committee held 2 meetings during the period 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Committee for Performance Evaluation	Number of Directors Attended the meeting
1	17.06.2025	3	3
2	12.02.2026	3	3

4.11 Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007. The Committee has been reconstituted from time to time.

4.11.1 Composition of Share Transfer Committee:

The members of the Share Transfer Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Chairman
2	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
3	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
4	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
5	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member
6	Shri Bhupinder Singh Bhalla, Shareholder Director	Member

4.11.2 Details of meetings:

The Committee held 3 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the Share Transfer Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	10.06.2025	6	6
2	15.12.2025	6	5
3	23.03.2026	6	5

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Committee was reconstituted from time to time.

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Composition of Credit Approval Committee as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member

5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6.	Chief General Manager/ General Manager (Corporate Credit)	Member
7.	General Manager (CFO)	Member
8.	CGMs / GMs / DHs presenting the Credit / Expenditure / other proposals)	Member
9.	General Manager (CRO) and CCO, Attendees	

4.12.2 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held 45 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026, as detailed below:

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
1	05.04.2025	5	5
2	11.04.2025	5	4
3	17.04.2025	5	5
4	23.04.2025	5	4
5	06.05.2025	5	5
6	13.05.2025	5	5
7	21.05.2025	5	4
8	31.05.2025	5	5
9	03.06.2025	5	4
10	13.06.2025	5	5
11	20.06.2025	5	5
12	25.06.2025	5	5
13	30.06.2025	5	5
14	05.07.2025	4	4
15	09.07.2025	4	4
16	18.07.2025	4	4
17	29.07.2025	4	3
18	05.08.2025	4	3
19	14.08.2025	4	4
20	22.08.2025	4	3
21	04.09.2025	4	4
22	10.09.2025	4	3
23	20.09.2025	4	4
24	25.09.2025	4	4
25	10.10.2025	4	3
26	18.10.2025	4	4
27	31.10.2025	4	3
28	07.11.2025	4	4
29	11.11.2025	4	4

Sl. No.	Date of Meeting	Number of WTDs on the Credit approval Committee of Board	Number of WTDs Attended the meeting
30	13.11.2025	4	4
31	19.11.2025	4	4
32	02.12.2025	5	5
33	11.12.2025	5	3
34	18.12.2025	5	3
35	24.12.2025	5	5
36	02.01.2026	5	5
37	08.01.2026	5	5
38	23.01.2026	5	5
39	27.01.2026	5	4
40	04.02.2026	5	4
41	17.02.2026	5	4
42	05.03.2026	5	5
43	12.03.2026	5	4
44	20.03.2026	5	3
45	30.03.2026	5	5

4.13 Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on 15.12.2014 one level above the authority of Chairman & Managing Director of the Bank whose decision is appealed against. The Committee was reconstituted from time to time.

4.13.1 Composition of Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases:

The members of the Board Level Appellate Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Chairman
2	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member
3	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.13.2 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026.

4.14 HR Committee:

The HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The committee is reconstituted from time to time.

4.14.1 Composition of the HR Committee:

The members of the HR Committee of the Board as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member

3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
7	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member

4.14.2 Details of meetings:

The Committee met 6 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on HR Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	19.05.2025	8	8
2	16.06.2025	8	8
3	24.07.2025	7	7
4	15.09.2025	7	7
5	14.11.2025	7	7
6	03.02.2026	7	6

4.15 Review Committee for Wilful Defaulters:

Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on 23.01.2015. The Committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters. The Committee was reconstituted from time to time.

4.15.1 Composition of the Review Committee of Willful Defaulters:

The members of the Review Committee of Willful Defaulters as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member
3	Shri Sanjeev Maheshwari, Shareholder Director	Member

4.15.2 Details of meetings:

The Committee met 4 times during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on Review Committee of Willful Defaulters	Number of Directors Attended the meeting
1	22.04.2025	3	3
2	12.08.2025	3	3
3	15.12.2025	3	3
4	11.02.2026	3	3

4.16 Committee for Monitoring of Recovery:

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on 18.12.2012 by the Bank for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in NPA recovery and to review the functioning of various Committees such as Sale of Assets Committee (SAC) and other field level functionaries in the Bank. The Committee was reconstituted from time to time.

4.16.1 Composition of the Committee for Monitoring of Recovery:

The members of Committee for Monitoring of Recovery as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member
6	Dr. Alok Pande, GOI Nominee Director	Member
7	Shri Balmukund Sahay, Part time Non Official Director	Member
8	Shri Vishvesh Kumar Goel, Part time Non Official Director	Member

4.16.2 Details of meetings:

The Committee held 4 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	Number of Directors on the committee for Monitoring of Recovery	Number of Directors Attended the meeting
1	15.05.2025	8	7
2	28.08.2025	7	7
3	12.12.2025	8	7
4	10.02.2026	8	6

4.17 Committee of Directors (Capital Raising):

Committee of Directors (Capital Raising) was constituted as per approval of the Board of Directors in its meeting held on 28.10.2024. The functions of the committee includes:

- To approve mode/type of issue, amount of the Issue, timing, proportion, basis of allotment and issue price in compliance with applicable SEBI, RBI, and other applicable laws, Rules and Regulations and within the overall limit approved by the Board of Directors for raising equity capital;
- To approve appointment of Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters (as may be necessary) and all such Agencies /Intermediaries as may be required, to enter into and execute all such arrangements/ agreements etc. with such Agencies/Intermediaries and to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary and expedient for issuance of Equity Shares;
- To approve /finalize the quantum of capital to be raised through issuance of Basel III Compliant AT1/Tier 2 Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/post-issue formalities, modification in terms and conditions of issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/Advisors, intermediaries, Registrar to the Issue and other requisite Intermediaries and to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary and expedient for issuance AT1/Tier 2 Bonds.

4.17.1 Composition of the Committee of Directors for Capital Raising:

The members of Committee of Directors for Capital Raising as on 31.03.2026 were as under:

Sl. No.	Name	Chairman/Member
1	Shri Binod Kumar, MD & CEO	Chairman
2	Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director	Member
3	Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director	Member
4	Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director	Member
5	Ms. Mini T M, Executive Director	Member

4.17.2 Detail of Meeting:

The Committee held 2 meetings during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 as detailed below:

Sl. No.	Date of meeting	No. of Directors on Committee of Director for Capital Raising	Number of Directors Attended the meeting
1	31.10.2025	4	3
2	11.12.2025	5	3

5. Senior Management :

(a) Particulars of Senior Management (Chief General Manager/ Functional Head) as on 31.03.2026 is as under:

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Satish Kumar	Chief General Manager, Corporate Credit and Mid Corporate Credit
2.	Ms. V. N. Maya	Chief General Manager (CDO & CLO) & Legal
3.	Deepak Sarda	Chief General Manager, IT & Partnership (Chief Technology Officer / Chief Information Officer)
4.	Ms. Vallery Rath	Chief General Manager, TMO & Digital Business, Planning & Business Intelligence, Marketing & Corporate Communication
5.	Shri Sujay Mallik	Chief General Manager, Retail Assets & MSME
6.	Shri Sudhir Kumar Gupta	Chief General Manager, FGM Lucknow
7.	Shri Sukh Sagar Prasad Roy	Chief General Manager, BOD, Estate, ES to MD & CEO & Secretary to Board
8.	Shri Ashok Patnaik	Chief General Manager, R&GR
9.	Shri Ram Kumar Das	Chief General Manager (CCO)
10.	Shri G Rajeswara Reddy	Chief General Manager (Recovery)
11.	Shri Navin Kumar Shrivastava	Chief General Manager-Chief Risk Officer (CRO)
12.	Shri Sunil Jain	General Manager-Chief Financial Officer
13.	Shri Rakesh Sehgal	General Manager-Inspection & Audit
14.	Shri Shashank Jain	General Manager-Treasury
15.	Shri Deepak Govind	Vertical Head-NRI Business
16.	Shri Saurabh Dalmia	Vertical Head-CMS
17.	Shri Sarvesh Kumar Gupta	Chief Information Security Officer (CISO)
18.	Ms. M Swarajya Lakshmi	Internal Ombudsman
19.	Shri Venkat Yellapantula	Chief Digital Officer

(b) Details of Change in Senior Management during the FY 2025-26:

Sl. No.	Name	Previous Assignment	Changes/ New Assignment	Effective date of Change
1.	Ms. Vallery Rath	Chief General Manager - TMO & Digital Banking and Planning	Chief General Manager TMO & Digital Business, Planning & Business Intelligence, Marketing & Corporate Communication	05.04.2025
2.	Shri Satish Kumar	Chief General Manager (CGM) - Corporate Credit & IBD	Chief General Manager (CGM) - Corporate Credit and Mid Corporate Credit	05.04.2025
3.	Shri Sujay Mallik	Chief General Manager (CGM) - Retail Assets, MSME & Mid Corporate	Chief General Manager (CGM)-Retail Assets & MSME	05.04.2025
4.	Shri Ganda Rajeswara Reddy	Corporate Office	Chief General Manager (Recovery)	12.05.2025
5.	Shri Ram Kumar Das	Chief General Manager - CO: Recovery	Chief General Manager (CCO)	12.05.2025
6.	Ms. V. N. Maya	Chief General Manager - CO: Recovery & Legal	Chief General Manager (CDO & CLO) & Legal	12.05.2025
7.	Shri Suresh Kumar S	General Manager, Compliance/Chief Compliance Officer (CCO)	Demitted office on Superannuation	01.06.2025
8.	Shri Ganesaraman A	Chief General Manager (CDO & CLO)	Demitted office on Superannuation	01.05.2025
9.	Shri Sujit Kumar Dey	Chief General Manager - CRO & FRMD	Demitted office on Superannuation	01.01.2026
10.	Shri Navin Kumar Shrivastava	General Manager, Risk Management Department	Chief General Manager-Chief Risk Officer (CRO)	01.01.2026

6. Remuneration to Directors:

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (Whole Time Directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director(s) are as under:

Sl. No.	Name	Basic Pay (Rs.)	Dearness Allowance (Rs.)	Arrear (Rs.)	Incentives /Other allowances (Rs.)	Total (Rs.)	PF/NPS Bank Contribution (Rs.)	Grand Total (Rs.)
1	Shri S L Jain*	0.00	0.00	0.00	1600080.00	1600080.00	0.00	1600080.00
2	Shri Binod Kumar	2680000.00	1514392.00	100604.25	682874.48	4977870.73	272500.65	5250371.38
3	Shri Mahesh Kumar Bajaj#	562800.00	309540.00	11256.00	4922296.67	5805892.67	56280.00	5862172.67
4	Shri Brajesh Kumar Singh	2688000.00	1518720.00	711375.87	2103600.00	7021695.87	314092.26	7335788.13
5	Shri Shiv Bajrang Singh	2688000.00	1518720.00	973923.99	2486913.33	7667557.32	328340.65	7995897.97
6	Shri Ashutosh Choudhury	2688000.00	1518720.00	1047917.26	2622690.33	7877327.59	717386.37	8594713.96
7	Ms. Mini TM	948266.67	549994.67	0.00	0.00	1498261.34	94826.67	1593088.01

*MD & CEO upto 31.12.2024

#Executive Director upto 30.06.2025

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its Directors.

The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

Government of India vide communication dated 30.08.2019 provided flexibility to Boards of Large Public Sector Banks (PSBs) having total business (being the summation of gross loans and advances and total deposit of the Bank, reckoned as per the last declared results of the Bank) of Rs.10 lakh crore or higher, to decide sitting fees payable to Non-Executive Directors subject to an overall ceiling of Rs.25 lakhs per annum.

Further, Government of India, Ministry of Finance vide letter no.F.No.15/1/2011-BO.I dated 28.10.2025 communicated that:

1. There shall be no overall ceiling limit on payment of sitting fee.
2. The per-sitting amount may be determined by the Board of Directors of respective Public Sector Banks, subject to limitations prescribed under the Companies Act, 2013, and the regulations enacted thereunder.

Accordingly, Board of Directors of the Bank in its meeting held on 06.03.2026 accorded approval for sitting fees (per meeting) as under:

1.	For attending Board Meeting	Rs.90,000.00
2.	For attending meeting of Board level committees	Rs.45,000.00
3.	For chairing Board Meeting	Rs.10,000.00 (in addition to 1.)
4.	For Chairing meeting of Board level Committees	Rs.5,000.00 (in addition to 2.)

The Sitting fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government of India guidelines for attending Board and Board Committee meetings, Details of sitting fee paid during the FY 2025-26 are as under:

Sl. No.	Name of the Director	(Rs. in Lakh)
01	Shri Balmukund Sahay	22.85
02	Shri Vishvesh Kumar Goel	29.10
03	Shri Pradeep Kumar Malhotra	9.15
04	Shri Sanjeev Maheshwari	24.95
05	Shri Bhupinder Singh Bhalla	6.55

Note: No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & Reserve Bank of India

7. General Body Meetings:

7.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:

Nature of Meeting	Date and Time	Venue	Purpose
Seventeenth Annual General Meeting	Monday, the 19 th June, 2023	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2023, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To declare dividend on Equity Shares of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director (DIN: 08080244). 4. To approve appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03609968). 5. To raise equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof
Eighteenth Annual General Meeting	Saturday, the 15 th June, 2024	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2024, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To declare dividend on Equity Shares of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri Brajesh Kumar, Executive Director of the Bank. 4. To approve appointment of Dr. Alok Pande, Non-Executive Director (GOI Nominee Director) of the Bank. 5. To raise equity capital aggregating upto Rs.5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof
Nineteenth Annual General Meeting	Tuesday, the 17 th June, 2025	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2025, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To declare dividend on Equity Shares of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri Binod Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) of the Bank. 4. To approve appointment of Shri Vishvesh Kumar Goel, Part-time Non-Official Director of the Bank. 5. To approve appointment of Shri Balmukund Sahay, Part-time Non-Official Director of the Bank. 6. To approve appointment of M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries as Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30. 7. To raise equity capital aggregating upto Rs.5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights Issue or in combination thereof

7.2 In the 17th Annual General Meeting held on 19th June 2023, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.4000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed. In the 18th and 19th Annual General Meeting held on 15th June 2024 and 17th June 2025 respectively, a special resolution approving raising equity capital aggregating upto Rs.5000 Crore (including premium) through QIP/ FPO/ Rights issue or in combination thereof was passed.

7.3 No Special Resolution was passed in Extraordinary General Meeting (EGM) or through postal ballot during the financial year 2025-26.

7.4 The following Directors were present in the last Annual General Meeting of the Bank held on 17.06.2025:

Shri Binod Kumar	MD & CEO (in the chair)
Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director
Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director
Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director and Chairman of Audit Committee of Board
Shri Balmukund Sahay	Part Time Non-Official Director and Chairman of Stakeholders Relationship Committee and Nomination & Remuneration Committee
Shri Vishvesh Kumar Goel	Part Time Non Official Director

8. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly / half yearly / annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely, NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper (English), one national newspaper (Hindi) and one regional language newspaper based at Chennai as per statutory requirement. During the financial year 2025-26, the quarterly / half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Financial Express, Jansatta (Hindi), Dainik Jagran, Indhu Tamizh Thisai (Tamil), Business Standard, English & Hindi edition and Dinamani (Tamil) etc.. The results are also displayed on the website of the Bank www.indianbank.bank.in.

The presentation made to the analysts / institutional investors, is also hosted on the Bank's website, www.indianbank.bank.in.

9. General Shareholders Information:

9.1 Particulars of 20th Annual General Meeting:

Day and Date	17 June 2026
Time	11:00 AM
Venue	AGM will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), as such, the Bank's Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 will be the deemed venue for AGM.

9.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results:

The Financial Year of the Bank is April to March.

9.3 Dividend payment date:

Dividend payment date : within 30 days from date of declaration

9.4 Dividend:

The Board of directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.18.25 per equity share i.e.182.50% of paid up equity capital of the Bank for Financial Year 2025-26.

9.5 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd. (BSE).

Stock Exchange	Stock Code	Date of Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C.1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	INDIANB	01.03.2007
BSE Ltd. (BSE), P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	INDIANB/532814	01.03.2007

The advance Annual Listing fee for the financial year 2026-27 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

9.6 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) and BSE Ltd. (BSE) during the financial year 2025-26 were as under:

Month	NSE			BSE			Total Volume (Nos. in lakh)
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos. in lakh)	
Apr-25	599.90	517.85	363.57	599.95	519.50	10.18	373.75
May-25	628.95	546.10	471.97	628.70	539.70	20.02	491.99
Jun-25	658.50	606.00	733.61	658.50	609.05	24.14	757.75
Jul-25	657.95	606.00	406.30	658.60	605.55	18.66	424.96
Aug-25	683.10	611.10	250.75	683.00	612.40	10.65	261.40
Sep-25	761.05	653.00	344.24	760.85	653.05	8.76	353.00
Oct-25	879.00	730.60	472.05	878.90	731.00	15.87	487.92
Nov-25	894.85	850.00	313.90	898.60	850.00	7.16	321.06
Dec-25	890.00	764.05	509.65	891.85	764.30	13.23	522.88
Jan-26	923.00	807.80	420.68	923.15	808.00	14.60	435.28
Feb-26	1,000.00	806.20	407.82	1,000.00	806.75	23.68	431.50
Mar-26	985.00	833.00	358.70	984.75	830.45	24.72	383.42

9.7 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty- 50 & BSE Sensex) is shown hereunder:

Date	Closing Share Price of Bank at NSE (Rs.)	Nifty-50 (Closing)	BSE Sensex (Closing)
Apr-25	565.80	24334.20	80242.24
May-25	616.60	24750.70	81451.01
Jun-25	643.45	25517.05	83606.46
Jul-25	621.70	24768.35	81185.58
Aug-25	653.10	24426.85	79809.65
Sep-25	750.70	24611.10	80267.62
Oct-25	858.70	25722.10	83938.71
Nov-25	870.25	26202.95	85706.67
Dec-25	837.25	26129.60	85220.60
Jan-26	911.70	25320.65	82269.78
Feb-26	990.50	25178.65	81287.19
Mar-26	845.70	22331.40	71947.55

9.8 Registrar and Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai - 600 002 is the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for equity shares of the Bank.

9.9 Share Transfer System:

In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialised form with a depository. Further, the transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialized form. As such, the shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.

9.10 Distribution of shareholding as on 31.03.2026:

Shareholding	Number of shareholders	Percentage of Total shareholders (%)	No. of Shares	Percentage of Total Shares (%)
1 - 500	317025	96.9825	18012220	1.3372
501 - 1000	5754	1.7602	4273285	0.3173
1001 - 2000	2192	0.6706	3123166	0.2319
2001 - 3000	584	0.1787	1448686	0.1076
3001 - 4000	243	0.0743	862970	0.0641
4001 - 5000	190	0.0581	885314	0.0657
5001 - 10000	274	0.0838	2001082	0.1486
10001 & above	627	0.1918	1316357258	97.7277
Total	326889	100.00	1346963981	100.00

9.11 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE562A01011**.

As on 31.03.2026, 134,55,90,421 equity shares constituting 99.90% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2026 are as under:

Shares held in	Number of shareholders		% of shareholders	Number of shares	% of shareholding
Physical form	40,081		12.26	13,73,569	00.10
Dematerialized form	NSDL	1,45,075	44.38	33,33,96,930	24.75
	CDSL	1,41,733	43.36	101,21,93,482	75.15
Total		3,26,889	100.00	134,69,63,981	100.00

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2026 is 99,45,49,600 equity shares of Rs.10/- each, which constitutes 73.84% of the paid up capital of the Bank.

9.12 There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible instruments as on date.
9.13 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of Unhedged Foreign Currency Exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, the Bank is ensuring that all the exposures (fund based and non-fund based) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts, unhedged exposures are captured and impact is analysed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of Rs.116.00 crore for the year ended 31st March 2026 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Master Direction on Commercial Banks-Credit Risk Management dated 28th November 2025.

9.14 Details of Bonds / Debt Instruments issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2026:

Details of Bonds issued by the Bank and outstanding as on 31.03.2026 are as under:

Particulars	ISIN	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2026	Name of Credit Rating Agency (ies)	Name & Address of Bond Trustee
Basel III Compliant Tier 2 Bonds Series III	INE428A08051	1000	CARE AAA / Stable CRISIL AAA / Stable	CARE Ratings Ltd. CRISIL Ratings Ltd.	Axis Trustee Services Ltd. The Ruby, 2 nd Floor, SW 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028.
Infrastructure Bond Series I	INE562A08099	5000			
Infrastructure Bond Series II	INE562A08107	5000			
Infrastructure Bond Series III	INE562A08115	5000			
Total		16000.00			

Besides the Bank has unutilized rating for AT 1 Bonds of Rs.1000 crore (AA+/Stable) and Tier 2 Bonds of Rs.2000 crore (AAA/Stable) from both CARE and CRISIL Ratings.

Other Credit Ratings:

In addition to the above, the Bank has also obtained Credit Rating for its Certificate of Deposits from CRISIL Ratings and issuer rating from S&P Global Ratings and CARE Ratings Ltd. The details are as under:

Sl. No.	Name of Credit Rating Agency (ies)	Type of Instrument / Type of Rating	Amt. (Rs. in crore)	Outstanding Rating as on 31.03.2026
1.	CRISIL Ratings Ltd.	Certificate of Deposits	45000	CRISIL A1+
2.	S & P Global Ratings	Issuer Credit Rating	-	BBB / Stable / A-2
3	CARE Ratings Ltd.	Issuer Credit Rating	-	AAA/Stable

10. Other Disclosures:

- (a) Related party transaction of the Bank are disclosed in the notes to accounts Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2026. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter / Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- (b) The Bank has complied with the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI during the last three financial year.
- (c) The Bank being one of the Nationalized Banks, has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable/compliable.
- (d) The Bank has formulated a 'Policy for determining Material Subsidiary' and the same is available on Bank's website, www.indianbank.bank.in.
- (e) The Bank is having two listed subsidiaries namely, Indbank Merchant Banking Services Limited and Ind Bank Housing Limited and one unlisted wholly owned subsidiary namely Indbank Global Support Services Ltd. None of them are 'material subsidiary of the Bank. Besides three subsidiaries, the Bank also has two joint ventures namely, Universal Somp General Insurance Company Ltd. and Asrec (India) Ltd.
- (f) In line with the Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Bank has formulated a policy for prevention of Sexual Harassment of Women at workplace. The details of complaints received and resolved during the financial year 2025-26 and pending as on 31.03.2026 are as follows:-

	Pending as on 01.04.2025	Received during FY 2025-26	Resolved during FY 2025-26	Pending as on 31.03.2026
Number of Complaints	04	05	09	0

- (g) A Certificate from a Company Secretary in practice certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory/Regulatory Authority is attached and form part of the report.
- (h) The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report.
- (i) Total Professional Fee and other expenses paid to Statutory Central Auditors of the Bank for the previous Financial Year 2024-25 is Rs.646.08 lakhs.
- (j) A Compliance Certificate from the Managing Director & CEO of the Bank and Chief Financial Officer as stipulated under Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.
- (k) Commodity price risks and commodity hedging activities - Not Applicable.

(l) Discretionary requirements:

The details regarding adoption of discretionary requirements specified in Part E of Schedule II of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, is as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties.	Not Applicable
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The half-yearly results are published in the newspapers, uploaded in Bank's website and are available on the websites of Stock Exchanges, NSE & BSE.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank for FY 2025-26 has unmodified opinion.
D. Separate posts of Chairperson and Managing Director or the Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and the Managing Director or Chief Executive Officer. such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013	Presently the Bank does not have regular Non-Executive Chairperson. As per the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Chairman is appointed by the Government of India.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee.	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee of the Bank periodically.
F. Independent Directors: The independent directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings	Two meetings of the Independent Directors were held during FY 2025-26 on 19.05.2025 & 06.03.2026.

(m) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff / officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely '**Whistle Blower Policy**' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website, www.indianbank.bank.in.

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

(n) Utilization of Fund raised by the Bank through issuance of Long-Term Infrastructure Bond:

During FY 2025-26, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bonds aggregating to Rs.5,000 Crore with tenor of 10 years, at a coupon of 7.15% p.a. through private placement using electronic Bidding platform of BSE (BSE-EBP).

The proceeds of the issue have been utilized for funding/refinancing long term projects in infrastructure sub-sectors and affordable housing as prescribed by RBI.

(o) During the financial year 2025-26, there were no instances where the Board didn't accept recommendations of the committee of the Board which were mandatory for according approval by the Board.

11. The Bank is in compliance with disclosure requirements pertaining to Corporate Governance Report as stipulated under Sub para (2) to (10) of Para C of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

11.1 The Bank is in compliance with Corporate Governance Requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation 2 of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 except composition of Board of Directors, non-availability of Independent Woman Director and non-availability of 50% independent Directors on the Board, as prescribed under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

12. Dividend Distribution Policy:

Dividend Distribution Policy of the Bank is available on the Bank's website, under the link <https://indianbank.bank.in/departments/policies/>

13. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed Cameo Corporate Services Limited as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer / transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai. Pursuant to extant SEBI guidelines, transfer requests for shares held in physical form are not being processed with effect from 01.04.2019.

Shareholders should contact their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.) for shares held in Dematerialized form.

The shareholders may lodge their requests / complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:

Cameo Corporate Services Limited (Unit: Indian Bank) P Subramanian Building 1, Club House Road, Chennai – 600 002. Telephone: 044-28460718 Email:investor@cameoindia.com	The Company Secretary Investor Services Cell Indian Bank, Corporate Office , 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone: 044-28134484/4698 Email: investors@indianbank.bank.in

13.1 Number of Investor complaints received, resolved and pending:

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded to Bank's RTA for redressal. The details of requests / complaints received and resolved during the financial year 2025-26 and pending as on 31.03.2026 are as follows:-

Number of Complaints / requests	Pending as on 01.04.2025	Received during FY 2025-26	Resolved during FY 2025-26	Pending as on 31.03.2026
	0	85	84	1*

* since resolved

14. Disclosure with respect to Demat Suspense Account / Unclaimed Suspense Account:

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year i.e. on 01.04.2025	Shareholders - 33 Shares - 3862
Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	1
Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	1
Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the Suspense Account lying at the end of the year i.e. 31.03.2026	Shareholders - 32 Shares - 3756

The voting rights in respect of the unclaimed / outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited in the demat account of claimant.

15. Shareholding Pattern (as on 31.03.2026):

Shareholder Category	No. of Shareholders	No. of Shares held	Shareholding %
Government of India (President of India) -Promoter	1	994549600	73.84
Mutual Funds*	38	184407228	13.69
Foreign Portfolio Investor(FPI) and Foreign Institutional Investor (FII)*	292	78422443	5.82
Alternate Investment Funds	19	539776	0.04
Insurance Companies*	14	53480479	3.97
Financial Institutions/ Banks	8	685314	0.05
Resident Individual	296146	27080514	2.01
Body Corporate	992	1756848	0.13
Directors and their relatives	2	400	0.00
Employees	14992	4035409	0.30
Clearing Members	6	5783	0.00
Hindu Undivided Family(HUF)	2878	658172	0.05
NRI	4490	1249926	0.09
Trust	15	84144	0.01
Central Government/ State Government(s)/ President of India - Non Promoter	2	4189	0.00
Unclaimed shares demat suspense Account	2	3756	0.00
Total	319897	1346963981	100.00

* Consolidated on common PAN basis

16 Dividend through National Automated Clearing House (NACH):

National Automated Clearing House (NACH) is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his / her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

17. Unclaimed Dividend, if any:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No. F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividend amount of the Bank are transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government in compliance of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for Financial Year 2020-21 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with their Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to them through NEFT/Direct Credit. For FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20, no dividend was declared by the Bank.

Further, in terms of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules;

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under Sub-section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said Fund, in accordance with the rules made under section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013."

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.bank.in.

18. Related Party Transactions:

The Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2025-26. The policy on dealing with Related Party Transactions is available on Bank's website, www.indianbank.bank.in.

19. Code of Conduct:

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board and the same is available on the Bank's website viz. www.indianbank.bank.in.

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Managing director & CEO of the Bank, forms part of this report.

20. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance:

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 29.04.2026
Place: Chennai

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

DECLARATION PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is hereby declared that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. Chief General Managers/ Vertical Head) have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2026 in terms of Regulation 26 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.indianbank.bank.in.

Date: 29.04.2026

Place: Chennai

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the Financial year ended on March 31st, 2026, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i & t) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- We certify that the Bank has generally complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with exception as mentioned in Para 11.1 of the Corporate Governance Report.
- We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

For M/s G Balu Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 000376S / S200073

For M/s Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN: 000112N

For M/s Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN: 003917N

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 26026819ZNDWME7563

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)
UDIN: 26547754CEPGQP9459

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)
UDIN: 26413012CUGZLT4348

For M/s S P A R K & Associates Chartered Accountants LLP
Chartered Accountants
FRN: 005313C/C400311

For M/s Bhatia & Bhatia
Chartered Accountants
FRN: 003202N

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)
UDIN: 26406020AATEMP5038

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)
UDIN: 26017572FZAZOQ6226

Date: 29.04.2026

Place: Chennai

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

To,

**The Board of Directors
Indian Bank**

This is to certify that:

- (a) We have reviewed financial statements of Indian Bank for the FY 2025-26 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during year, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting have been made during the Fourth Quarter and FY 2025-26 ended on March 31, 2026;
 - (ii) that there have been no significant changes in accounting policies during the FY 2025-26 ended on March 31, 2026 as compared to those followed in preceding Financial Year 2024-25.
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Jain)
Chief Financial Officer

(Binod Kumar)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 29.04.2026

SECRETARIAL AUDIT REPORT For the Financial Year 2025-26 Ended 31st March, 2026

To,

The Members,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai 600 001.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Bank** [hereinafter called 'the Bank'] for the financial year ended 31st March, 2026 ["period under review"]. The secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the period under review, has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the period under review, according to the provisions of applicable laws provided hereunder:

- (i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder; (to the extent applicable)
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the regulations and bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (Not applicable to the Bank during the audit period);
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"), to the extent applicable: -
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank for the period under review);
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations 2021; The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable to the Bank for the period under review);
 - (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (Not applicable to the Bank for the period under review)

- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank for the period under review) and
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank for the period under review);
- (j) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

Other general Laws applicable to the Bank are as follows:

- a) Maternity Benefit Act, 1961/ Code on Social Security, 2020;
- b) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
- c) The Food Safety and Standards Act, 2006;
- d) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970/ Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

Other Laws specifically applicable to the Bank are as follows:

- (a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (b) The Banking Regulation Act, 1949 read with the rules, regulations, directions, guidelines, licenses and circulars issued by RBI;

The examination and reporting of these laws are limited to whether there are adequate systems and processes in place to monitor and ensure compliance with those laws.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India with respect to board and general meetings.

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and not incorporated under the Companies Act.

The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other Committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc., are governed under the provisions

of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time.

1) During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Directions, Guidelines, Standards etc. mentioned above subject to the following observations:

- a) In terms of Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank is required to have one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government but this position is vacant on the Board of the Bank.
- b) In terms of Section 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank is required to have one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India but the position is vacant on the Board of the Bank.
- c) In terms of Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank is required to have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank but the position is vacant on the Board of the Bank.
- d) In terms of amended provisions of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank being a listed entity is required to appoint a qualified Company Secretary as the compliance

officer who shall be an officer in whole time employment of the Bank, not more than one level below the Board of directors. Presently the Company Secretary designated as Compliance Officer of the Bank is Assistant General Manager (four level below the Board as per present organisational hierarchy of the Bank).

- e) In terms of Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, at least half of the Board of Directors of the Bank shall comprise of independent directors and the Board shall have at least one independent woman Director on the Board. As on 31.03.2026, the Bank has one Woman Non-Executive Director namely Smt. K Nikhila and one Woman Executive Director namely Ms. Mini T M on the Board. The composition of Board is not in line with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- f) In terms of provisions under RBI (Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025, A PSB shall appoint a qualified Company Secretary as the secretary to the Board. As on 31.03.2026, Mr. Sukh Sagar Prasad Roy, Chief General Manager was secretary to the Board who is not a qualified Company Secretary.
- 2) As on 31.03.2026, the constitution of the Audit Committee of the Board, the Nomination and Remuneration Committee of the Board and the Risk Management Committee of the Board are in compliance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and RBI (Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025.
- 3) Central Govt. vide Gazette Notification dated 11.04.2025 under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 re-nominated Shri Vishvesh Kumar Goel and Shri Balmukund Sahay as Part-Time Non-Official Directors on the Board of the Bank with effect from 11.04.2025 for a period of one year. Their term ended on 10.04.2026 and both the above directors ceased to be directors of the bank with effect from 11.04.2026.
- 4) The Central Government vide Gazette notification no: CG-DL-E07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri

Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into a single Regional Rural Bank, called as Andhra Pradesh Grameena Bank under the sponsorship of Union Bank of India. Accordingly, Saptagiri Grameena Bank, sponsored by Indian Bank was amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 1st May, 2025.

- 5) Pursuant to Regulation 31 (4) & 31 (5) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the President of India (Government of India), Promoter of the Bank is holding 99,45,49,600 equity shares of the Bank as on 31.03.2026 and they have not made any encumbrance, directly or indirectly during the financial year 2025-26 on the aforesaid shares held in the Bank.
- 6) During the period under review, consequent upon the appointment of M/s Shanmugam Rajendran & Associates LLP, Company Secretaries, as the Secretarial Auditors for a period of five years (from FY 2025–26 to FY 2029–30), the tenure of M/s V. Gopalan & Associates, Company Secretaries, as Secretarial Auditors of the Bank has ceased.
- 7) During the period under review, Shri Pradeep Kumar Malhotra, Shareholder Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, submitted his resignation, pursuant to the RBI's communication dated 30.07.2025, disqualifying serving employees of Life Insurance Corporation of India, being connected with para-banking activities to be on the Board of Public Sector Banks as Shareholder Director in terms of para 4.3(iv)(b) of the Master Direction – Reserve Bank of India ("Fit & Proper" Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions, 2019 dated August 02, 2019 (updated as on June 03, 2020). Accordingly, he ceased to be a Director of the Bank with effect from 28.11.2025.
- 8) Subsequently, Shri Bhupinder Singh Bhalla was elected/ appointed as Shareholder Director of the Bank with effect from 31.12.2025 for a period upto 08.03.2027.

We further report that:

- a) Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and

clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

- b) There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, directions and guidelines.
- c) During the Financial Year 2025-26, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bonds aggregating to Rs. 5,000 Crore having tenor of 10 years at a coupon of 7.15% p.a. through private placement using electronic Bidding platform of BSE (BSE-EBP).
- d) During the Financial Year 2025-26, the Bank has repaid the following AT 1/ Tier 2 Bonds:
 - i) AT 1 Bonds aggregating to Rs. 2000 crore [Series II (ISIN-INE562A08057) of Rs. 1048 Crore + Series III (ISIN-INE562A08065) of Rs. 560 Crore + Series IV (ISIN-INE562A08073) of Rs. 392 Crore] on first call option due date i.e., 08.12.2025, 14.12.2025 and 30.12.2025 respectively through exercise of call option with prior approval of RBI.
 - ii) Tier 2 Bonds Series II (ISIN-INE428A08044) of Rs. 1000 Crore on 21.12.2025 on maturity.
 - iii) Tier 2 Bonds Series V (ISIN-INE562A08081) of Rs. 2000 Crore on 13.01.2026 through exercise of call option with prior approval of RBI.
- e) During the Financial Year 2025-26, RBI imposed fine/ penalty of :
 - Rs.1,61,40,000 (Rupees one crore sixty one lakh forty thousand only) on the Bank for

contravention of provisions of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 regarding non transfer of eligible amount to Depositor Education and Awareness Fund within the prescribed period and non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Interest Rate on Advances', 'Kisan Credit Card (KCC) Scheme' and 'Lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector'.

- Rs.0.247 Cr (306 instances), of which Rs.0.05 Cr (232 instances) is related to discrepancies in soiled notes remittances, Rs.0.001 Cr (01 instance) is due to delayed/wrong reporting in e-Kuber, Rs.0.16 Cr (47 instances) is due to irregularities observed in RBI inspection at currency chests, Rs. 0.03 Cr (21 instances) is due to irregularities observed in incognito visit of branches by RBI and Rs. 0.006 Cr (05 instances) is related to ATM Cash Out penalty.

The aforesaid fine/ penalty related to currency chest includes a penalty of Rs.1,45,700/- (Rupees one lakh forty five thousand seven hundred only) imposed by Reserve Bank of India (RBI) on Bank's Currency Chest - Guwahati for routine inspection irregularities.

- Further, RBI vide its letter dated March 24, 2026 imposed a monetary penalty of Rs.5,00,000 (Rupees Five lakhs) on the Bank for short fall of security in SGL account. The Bank has since strengthened its internal controls to prevent occurrence of such incidents in future.

**For M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP
Company Secretaries**

**S. Nandakumaran
Partner**

**FCS: 13639| CP. No. 26770
UDIN: F013639H000226643
P/R No.: 7675/2026**

Place: Chennai

Date: 29.04.2026

Note: This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this Report.

ANNEXURE A TO SECRETARIAL AUDIT REPORT OF INDIAN BANK DATED 29th APRIL, 2026

To,
The Members,
Indian Bank
66, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

Our Secretarial Audit report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and the processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulation and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP
Company Secretaries**

**S. Nandakumaran
Partner**

**FCS: 13639 | CP. No. 26770
UDIN: F013639H000226643
P/R No.: 7675/2026**

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of,
INDIAN BANK
66, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **INDIAN BANK** having Head Office at 66, Rajaji Salai, Chennai - 600001 and Corporate Office at 254-260 Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory/ Regulatory Authority.

Sl. No.	DIN/PAN	Name of Director	Designation	Date of appointment in Bank
1	07361689	Mr. Binod Kumar	MD & CEO	16.01.2025
2	09245804	Mr. Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023
3	10597820	Mr. Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
4	11242520	Mr. Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024
5	AEJPM9011N	Ms. Mini T M	Executive Director	24.11.2025
6	10631871	Dr. Alok Pande	GOI Nominee Director	13.05.2024
7	AAMPK5889M	Ms. K Nikhila	RBI Nominee Director	14.07.2023
8	AQLPS6737K	Mr. Balmukund Sahay	Part time Non Official Director	11.04.2025
9	00942612	Mr. Vishvesh Kumar Goel	Part time Non Official Director	11.04.2025
10	02431173	Mr. Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	21.12.2024
11	06475874	Mr. Bhupinder Singh Bhalla	Shareholder Director	31.12.2025

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For M/s. Shanmugam Rajendran & Associates LLP
Company Secretaries

Place: Chennai
Date: 29.04.2026

S Nandakumaran
Partner
FCS No.: 13639 CP No.: 26770
UDIN: F013639H000227226
P/R: 7675/2026



*T&C Apply

IND ASPIRE – WOMEN

An Exclusive Current Account for Women Entrepreneurs



Free QR Sound Box and
POS machine



Free Cancer Insurance
cover of ₹10 Lakhs with
income protection



Scan to know more

IND DIGI MSME

Fast, Digital and Hassle-free loan
for your businesses



Loans up to ₹5 Crores



Seamless processing



Digital in-principle sanction



Attractive rates of interest

*T&C Apply



Scan to know more

Apply from anywhere, anytime

STANDALONE BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2026

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2026 (Audited)	As on 31.03.2025 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346 96 40	1346 96 40
Reserves and Surplus	2	76944 29 46	67962 97 67
Deposits	3	827726 30 15	737153 56 39
Borrowings	4	46692 49 50	41507 92 45
Other Liabilities & Provisions	5	35242 77 84	25439 23 21
TOTAL		987952 83 35	873410 66 12
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	34054 56 08	31947 64 88
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	31535 63 36	22920 22 73
Investments	8	244665 74 32	225303 12 38
Advances	9	654888 22 55	571071 19 09
Fixed Assets	10	8646 70 07	8826 69 30
Other Assets	11	14161 96 97	13341 77 74
TOTAL		987952 83 35	873410 66 12
Contingent Liabilities	12	255946 91 17	280676 21 35
Bills for Collection	-	10282 55 01	14159 47 18

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

MINI T M
Executive Director

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BHUPINDER SINGH BHALLA
Shareholder Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 26026819PTTVB8753

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)
UDIN: 26547754ZPXJQP3757

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)
UDIN: 26413012PZLCOI3549

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)
UDIN: 26406020ZABRGR7525

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)
UDIN: 26017572QLZPCB5124

Date: 29.04.2026

Place: Chennai

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ in Thousands)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2026 (Audited)	Y. E. 31.03.2025 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	67450 71 38	62002 15 80
Other Income	14	9990 58 10	9223 48 10
TOTAL		77441 29 48	71225 63 90
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	40535 78 74	36825 78 82
Operating expenses	16	16989 40 25	15401 64 46
Provisions & Contingencies	-	7760 45 85	8079 91 22
TOTAL		65285 64 84	60307 34 50
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit / Loss (-) for the year		12155 64 64	10918 29 40
Profit / Loss (-) Brought forward		352 40 01	329 34 23
TOTAL		12508 04 65	11247 63 63
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserves		3038 92 00	2729 58 00
Capital Reserves		42 56 21	29 19
Special Reserves u/s 36(1)(viii) of IT Act		504 19 00	467 34 00
Investment Fluctuation Reserve		0	199 20 78
Revenue Reserves		6050 00 00	5250 00 00
Staff Welfare Fund		50 00 00	60 00 00
Equity Dividend		2458 20 93	2188 81 65
Bal. carried over to Balance Sheet		364 16 51	352 40 01
TOTAL		12508 04 65	11247 63 63
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		90.24	81.06

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

MINI T M
Executive Director

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BHUPINDER SINGH BHALLA
Shareholder Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 26026819PTTVB8753

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)
UDIN: 26547754ZPXJQP3757

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)
UDIN: 26413012PZLCOI3549

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS LLP

Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)
UDIN: 26406020ZABRGR7525

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)
UDIN: 26017572QLZPCB5124

Date: 29.04.2026
Place: Chennai

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. - 99,45,49,600 Equity shares of Rs. 10/- each)	994 54 96	994 54 96
b) 35,24,14,381 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. - 35,24,14,381 Equity shares of Rs.10/- each)	352 41 44	352 41 44
TOTAL	1346 96 40	1346 96 40

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	15701 71 51	12972 13 51
b) Additions during the period	3038 92 00	2729 58 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL I	18740 63 51	15701 71 51
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	7200 77 55	5975 19 08
b) Additions during the period	0	1510 27 80
c) Deductions during the period	133 24 45	284 69 33
TOTAL (A)	7067 53 10	7200 77 55
B) Others		
a) Opening Balance	1061 19 93	1060 90 74
b) Additions during the period	42 56 21	29 19
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	1103 76 14	1061 19 93
TOTAL II (A + B)	8171 29 24	8261 97 48
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	6290 02 15	6290 02 15
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL III	6290 02 15	6290 02 15
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	26504 22 00	21183 15 65
b) Additions during the period	6050 20 48	5250 00 00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	133 24 45	284 69 33
d) Deductions during the period	0	213 62 98
TOTAL (A)	32687 66 93	26504 22 00
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	3305 16 00	2837 82 00
b) Additions during the period	504 19 00	467 34 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (B)	3809 35 00	3305 16 00
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58 20 00	58 20 00
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (C)	58 20 00	58 20 00

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	2000 00 00	1360 01 00
b) Additions during the period	0	639 99 00
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (D)	2000 00 00	2000 00 00
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	0	440 78 22
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	440 78 22
TOTAL (E)	0	0
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	583 26 01	524 77 21
b) Additions during the period	272 14 90	58 48 80
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (F)	855 40 91	583 26 01
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1 90 63	1 90 63
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL (G)	1 90 63	1 90 63
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	39412 53 47	32452 74 64
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006 91 55	4006 91 55
b) Additions during the period	0	0
c) Deductions during the period	0	0
TOTAL V	4006 91 55	4006 91 55
VI. AFS RESERVE		
a) Opening Balance	897 20 33	0
b) Additions during the period	0	897 20 33
c) Deductions during the period	938 47 30	0
TOTAL VI	-41 26 97	897 20 33
VII. PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	352 40 01	329 34 23
b) Additions during the period	12155 64 64	10918 29 40
c) Deductions during the period	12143 88 14	10895 23 62
TOTAL VII	364 16 51	352 40 01
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	76944 29 46	67962 97 67

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	112 33 29	179 17 68
ii) From Others	44337 90 05	39451 19 32
TOTAL	44450 23 34	39630 37 00
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	269097 91 69	243223 13 76
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	30271 70 85	25875 83 16
ii) From Others	483906 44 27	428424 22 47
TOTAL	514178 15 12	454300 05 63
TOTAL A (I+II+III)	827726 30 15	737153 56 39

B. I) Deposits of branches in India	789283 27 94	702965 68 20
II) Deposits of branches outside India	38443 02 21	34187 88 19
TOTAL B (I+II)	827726 30 15	737153 56 39

Out of Total Deposits, deposits against which lien is marked amounts to Rs. 57951 15 52 (P.Y. - Rs. 48567 03 41)

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	10000 00 00	8178 00 00
ii) Other Banks	6259 23 03	1 99
iii) Other Institutions and Agencies*	25684 65 70	31827 06 20
TOTAL	41943 88 73	40005 08 19
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	4748 60 77	1502 84 26
TOTAL (I+II)	46692 49 50	41507 92 45
Secured Borrowings included above	19127 98 00	23002 22 00

* includes AT-1 Capital-Perpetual Debt Instrument of Rs. NIL (P.Y. - Rs. 2000 00 00) and Tier II Capital-Subordinated Debt of Rs. 1000 00 00 (P.Y. - Rs. 4000 00 00).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Bills Payable	1879 40 84	1995 01 67
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	1884 49 40	1777 03 10
IV. Others (including Provisions)*	31478 87 60	21667 18 44
TOTAL (I+II+III+IV)	35242 77 84	25439 23 21

* includes Contingent Provisions against Standard Assets of Rs. 10574 39 46 (P.Y. - Rs. 8883 20 21)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1691 67 92	1312 60 97
II. Balances with Reserve Bank of India:	32362 88 16	30635 03 91
(i) in Current Accounts	21998 88 16	24768 03 91
(ii) in Other Accounts	10364 00 00	5867 00 00
TOTAL (I+II)	34054 56 08	31947 64 88

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	24 81 33	133 40 38
b) in Other Deposit Accounts	2808 90 00	1249 05 00
TOTAL (i)	2833 71 33	1382 45 38
ii) Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	0	0
b) with other institutions	0	0
TOTAL (ii)	0	0
TOTAL I (i + ii)	2833 71 33	1382 45 38
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	3892 43 95	1638 14 04
ii) in Other Deposit Accounts	24795 79 62	19895 37 47
iii) Money at Call and Short Notice	13 68 46	4 25 84
TOTAL II (i + ii + iii)	28701 92 03	21537 77 35
GRAND TOTAL (I +II)	31535 63 36	22920 22 73

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	242485 60 28	223371 33 96
Less: Provision for Depreciation & NPI	459 57 09	567 59 62
Net Investments	242026 03 19	222803 74 34
i) Government Securities	213740 89 88	196565 38 97
ii) Other approved Securities	0	0
iii) Shares	1494 62 63	1253 42 93
iv) Debentures and Bonds	16769 69 17	16246 11 18
v) Subsidiaries and/or Joint Ventures (including Associates)	250 53 28	256 75 25
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds)	9770 28 23	8482 06 01
TOTAL	242026 03 19	222803 74 34
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2790 82 83	2635 17 33
Less: Provision for Depreciation & NPI	151 11 70	135 79 29
Net Investments	2639 71 13	2499 38 04
i) Government Securities (including local authorities)	2638 75 01	2498 66 63
ii) Other investments		
a) Shares	96 12	71 41
b) Debt Securities	0	0
TOTAL	2639 71 13	2499 38 04
NET GRAND TOTAL (I+II)	244665 74 32	225303 12 38

SCHEDULE 9 -ADVANCES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A. i) Bills purchased and discounted	6080 05 65	4243 19 53
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	355749 53 25	294077 40 84
iii) Term Loans	293058 63 65	272750 58 72
TOTAL (A)	654888 22 55	571071 19 09
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	517287 30 40	436378 07 10
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	33474 70 06	64082 89 13
iii) Unsecured	104126 22 09	70610 22 86
TOTAL (B)	654888 22 55	571071 19 09
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	260615 06 40	220040 51 84
ii) Public Sector	82558 02 18	74627 61 46
iii) Banks	0	0
iv) Others	262285 68 28	234695 72 07
TOTAL (C.I)	605458 76 86	529363 85 37
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Dues from Banks	28795 09 55	27439 63 53
ii) Dues from others		
a) Bills Purchased and discounted	2849 68 08	2203 83 63
b) Syndicated loans	12250 81 35	7312 79 87
c) Others	5533 86 71	4751 06 69
TOTAL (C.II)	49429 45 69	41707 33 72
GRAND TOTAL (C.I + C.II)	654888 22 55	571071 19 09

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	8601 32 69	7452 85 13
Additions/Adjustments during the period	11 15 03	1332 08 32
Sub-Total	8612 47 72	8784 93 45
Deductions during the period	0	183 60 76
Sub-Total	8612 47 72	8601 32 69
Depreciation to date	1753 00 64	1661 05 62
TOTAL	6859 47 08	6940 27 07
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	684 09 20	505 10 80
Additions/Adjustments during the period	0	178 98 40
Sub-Total	684 09 20	684 09 20
Deductions during the period	0	0
Sub-Total	684 09 20	684 09 20
Depreciation to date	162 63 44	105 70 23
TOTAL	521 45 76	578 38 97
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	32 23 94	28 10 53
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost as per the last Balance Sheet	6073 63 45	5627 71 41
Additions/Adjustments during the period	427 00 72	507 30 02
Sub-Total	6500 64 17	6135 01 43
Deductions during the period	94 71 31	61 37 98
Sub-Total	6405 92 86	6073 63 45
Depreciation to date	5173 71 75	4796 33 62
TOTAL	1232 21 11	1277 29 83
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	1 32 18	2 62 90
GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	8646 70 07	8826 69 30

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Inter Office Adjustment (net)	246 15 85	128 03 58
II. Interest Accrued	5350 80 46	4758 34 54
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	0	0
IV. Stationery and Stamps	5 95 07	6 72 12
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	39 77 73	51 38 26
VI. Others*	8519 27 86	8397 29 24
TOTAL	14161 96 97	13341 77 74
*includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	269 57 25	389 24 33

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	2330 62 82	2221 57 72
II. Liability for partly paid investments	209 99 89	264 12 31
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	198813 08 59	229350 45 07
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	28151 99 10	26618 50 26
b) Outside India	273 16 88	194 56 86
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	11151 33 12	7365 85 82
VI. Other items for which the bank is contingently liable	15016 70 77	14661 13 31
TOTAL	255946 91 17	280676 21 35

*Contingent Liability has been considered net of margin

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Interest/Discount on Advances/Bills	48853 54 26	44856 39 03
II. Income on Investments	16068 24 73	15315 39 44
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1648 78 29	1585 42 74
IV. Others	880 14 10	244 94 59
TOTAL	67450 71 38	62002 15 80

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Commission, Exchange and Brokerage	1118 60 86	1066 47 88
II. Profit on Sale of Investments	1231 97 19	1050 90 10
Less: Loss on Sale of Investments	245 17 01	142 86 62
Net	986 80 18	908 03 48
III. Profit on revaluation of Investments	1 65	137 50 36
Less: Loss on revaluation of Investments	97 11 70	1 14
Net	(97 10 05)	137 49 22
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	1 73 06	2 95 22
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	1 51 07	1 25 90
Net	21 99	1 69 32
V. Profit on exchange transactions (Net)	702 82 16	369 08 29
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	42 54 31	26 03 33
VII. Miscellaneous Income	7236 68 65	6714 66 58
TOTAL	9990 58 10	9223 48 10

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Interest on deposits	37484 50 13	34701 98 43
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	748 28 58	361 72 10
III. Others	2303 00 03	1762 08 29
TOTAL	40535 78 74	36825 78 82

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Thousands)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Payments to and provisions for employees	10760 29 03	9883 97 94
II. Rent, Taxes and Lighting	703 04 42	674 34 25
III. Printing and Stationery	98 93 01	97 74 61
IV. Advertisement and Publicity	42 36 72	44 20 07
V. Depreciation on Bank's property	596 40 59	532 15 16
VI. Directors' fees, allowance and expenses	1 70 20	1 59 67
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	57 33 44	49 01 05
VIII. Law charges	35 65 98	22 98 24
IX. Postage, Telegrams and Telephones	148 68 94	130 09 17
X. Repairs and Maintenance	277 11 89	271 15 30
XI. Insurance	1150 46 78	930 90 27
XII. Other Expenditure	3117 39 25	2763 48 73
TOTAL	16989 40 25	15401 64 46

SCHEDULE-17 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (STANDALONE)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches, as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Actual Results may differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

(a) Foreign exchange transactions are recorded at the exchange rate prevailing at business day closing for daily revaluation purpose. The rate used is closing rate of domestic forex market.

- (b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the Weekly Average Rates notified by FEDAI every Weekend.
- (c) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing/Revaluation Rates notified by FEDAI at every Month/Quarter/Year end.
- (d) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the Month/Quarter/Year end.
- (e) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the respective Quarter/Year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- (f) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- (a) Assets and liabilities, including contingent liabilities are translated at the closing exchange rates published by FEDAI at Balance Sheet date. If FEDAI rate is not available for any specific currency, exchange rate is arrived at local cross currency rate based on industry practice as followed.
- (b) Income and expenses are translated at Quarterly Average Closing rate published by FEDAI at each quarter end. If FEDAI rate is not available for any specific currency, exchange rate is arrived

at local cross currency rate based on Industry Practice as followed.

- (c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 Categorization of investments

Bank shall classify the entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS), Fair Value through Profit and Loss (FVTPL).

Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. The category of the investment shall be decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented. All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). All the investments will be classified in the following category:

- (i) Held to Maturity (HTM)
- (ii) Available for Sale (AFS)
- (iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
 - (i) Held for Trading (HFT)
- (iv) Subsidiaries, associates and joint ventures (SAJV)

Bank shall continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:

- (i) Government securities
- (ii) Other approved securities
- (iii) Shares
- (iv) Debentures & Bonds
- (v) Subsidiaries and/ or joint ventures
- (vi) Others (to be specified)

Held to Maturity (HTM):

- (a) Bank shall classify securities under HTM only if the following conditions are met:
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
 - (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.
 - (iv) Preference shares and Equity shares
- (c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.

- (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

Available for Sale (AFS):

- (a) The Bank shall classify securities under AFS only if the following conditions are met
 - (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in **RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading.
- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

FVTPL

- (a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
 - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.

- (iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT

Bank shall create a separate sub-category called HFT within FVTPL. Bank shall comply with the requirements specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025 for classifying investments under HFT. Details in Annexure 1

Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

4.2 INITIAL RECOGNITION

4.2.1 Investments shall be measured at fair value on initial recognition. Provided that unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption shall be tested include where:

- (a) The transaction is between related parties.
- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

4.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

4.2.3 Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

4.2.4 Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately.

4.2.5 Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

4.3 SUBSEQUENT MEASUREMENT

4.3.1 HTM

- a) Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.
- (b) Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

4.3.2 AFS

- a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised

over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

- (b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- (c) Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.
- (d) The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 28 of these Directions. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- (e) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS- Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- (f) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

4.3.3 FVTPL

- a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- c) Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.

4.3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint ventures

- a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost, subject to the requirements as per RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.
- b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.
- c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint

venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:

- i. Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
 - ii. Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
 - iii. Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under
- i. Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
 - ii. Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.
- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in

the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

- (f) Bank shall evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:

- i. The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
- ii. The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
- iii. The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
- iv. The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
- v. There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant shall be interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of their Boards, may apply even more conservative thresholds.
- vi. Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.
- vii. In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved break-even within the gestation period as originally envisaged.

- (g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank shall obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution shall be provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

4.4 RECLASSIFICATION BETWEEN CATEGORIES

- (a) Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.
- (b) The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.
- (c) When a bank reclassifies investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as given in the table below. The bank shall disclose the details of such reclassification including the reclassification adjustments in the notes to the financial statements.

S. No	From	To	Accounting Treatment
a	HTM	AFS	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be recognised in AFS-Reserve.
b	HTM	FVTPL	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of Investments' under Schedule 14: 'Other Income'.

c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognised in the AFS-Reserve shall be withdrawn there from and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. Thus, the revised carrying value shall be the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.
d	AFS	FVTPL	The investments shall continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS- Reserve shall be withdrawn therefrom and recognised in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
e	FVTPL	HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
f	FVTPL	AFS	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.

4.5 SALE OF INVESTMENTS FROM HTM

- (a) Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM shall be disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**
- (b) In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.
- (c) Sales of securities in the situations given below shall be excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025

- Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
- Repurchase of Government Securities by Government of India from Bank under buyback or switch operations.
- Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
- Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
- Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
- Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

- (d) Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investments in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

4.6 FAIR VALUE OF INVESTMENTS

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of investments as required by these Directions shall be determined as per the valuation norms laid down in this Chapter.

4.6.1 Quotes Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL) in accordance with RBI circular FMRD.DIRD.7/14.03.025/2017-18 dated March 31,

2018, as amended from time to time. For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

4.6.2 Unquoted SLR Securities

- (a) Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- (b) Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices/ YTM rates published by the FBIL.
- (c) Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

4.6.3 Unquoted Non-SLR Securities

I. Unquoted debentures & Bonds

- a) Unquoted debentures and bonds shall be valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL/FIMMDA, subject to the following:
 - i. The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures/ bonds by the credit rating agencies and shall be subject to the following:
 - The mark up shall be at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity for rated debentures/ bonds.
 - The mark-up for unrated debentures or bonds shall not be less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity.

Provided that the mark-up for the unrated debentures or bonds should appropriately reflect the credit risk borne by the bank.

- Where the debentures/ bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted shall not be higher than the rate at which the transaction has been recorded on the Exchanges/trading platforms/ reporting platforms authorized by RBI/ SEBI.
- b) Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) under financial restructuring plan.
 - i. UDAY bonds shall be valued on basis of prices/yields published by FBIL.
 - ii. State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM (i.e., when bonds' liabilities are with the DISCOMs) shall be valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
 - iii. Other bonds issued and serviced by DISCOMs shall be valued by applying a mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
 - iv. Bonds issued and serviced by the State Government (i.e., when bonds' liabilities are with the State Government) shall be valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
- c) Special securities, which are directly issued by Government of India, and which do not carry SLR status shall be valued at a spread of 25 basis

points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity.

- d) Zero coupon bonds (ZCBs): In the absence of market value, the ZCBs shall be marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined should be compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss.

II. Preference Shares

- a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded.
- b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following:
 - i. The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity.
 - ii. The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank.
 - iii. Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points.
- c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/coupons and the value determined as above on YTM basis should be discounted

further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation/provision requirement arrived at in respect of non-performing shares where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.

- d) Investments in preference shares as part of the project finance shall be valued at par for a period of two years after commencement of production or five years after subscription whichever is earlier.

III. Equity Shares

Equity shares for which current quotations are not available i.e., which are classified as illiquid or which are not listed on a recognised exchange, the fair value for the purposes of these directions shall be the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹ 1 per company.

IV. Mutual Fund Units

- a) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re- purchase price declared by the MF in respect of each scheme.
- b) In case of funds with a lock-in period or any other Mutual Fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at

Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

V. Commercial paper

Commercial paper shall be valued at the carrying cost.

VI. Investment in security receipts (SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC)

Investment in security receipts (SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC) shall comply with the requirements of Reserve Bank of India (**Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk Directions, 2025**, as amended from time to time.

The Bank shall carry its investment in SRs (including SRs guaranteed by Government of India) at lower of the redemption value of SRs based on the NAV declared by the ARC and the NBV (Net Book Value) of the stressed loans at the time of transfer to ARC. The Bank will continue to book income on SRs only on actual receipt of recoveries/redemption or approval of claims, if any.

VII. Investment in Alternative Investment Funds (AIFs)

- a) Quoted equity shares, bonds, units of AIFs in the bank's portfolio shall be valued mutatis mutandis as per instructions given in these directions for quoted securities.
- b) Unquoted instruments of AIFs shall be valued as under:
 - i. Units: The valuation shall be done at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as per the frequency mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations,

2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions.

- ii. Other instruments: The valuation of unquoted equity and other instruments issued by an AIF shall be as per the methodology specified for such instruments above.
- iii. As per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Undertaking of Financial Services) Directions, 2025 (Updated as on December 05, 2025) - Investments in Alternative Investment Funds (AIFs), as amended from time to time

VIII. Conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity shares

In cases of conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity instruments bank shall follow the requirements of the **Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025**, as amended from time to time.

- IX. To increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the bank shall categorize its investment portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in Clause 4 above. The details of the investment portfolio shall be disclosed in their notes to accounts of their financial statements. These disclosure requirements shall become effective from the audited financial statements for financial year ending March 31, 2026, onwards.
- X. Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy.

4.7 Income Recognition, Asset Classification and Provisioning

4.7.1 Income Recognition

- a) Bank shall recognize income on accrual basis for the following investments:
 - i. Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
 - ii. Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.
- b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.
- c) Subject to sub-clause (a) above, dividend income on equity investments held under AFS shall be recognised in the Profit and Loss Account.

4.7.2 Accounting for Broken Period Interest: Bank shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

4.7.3 Non-Performing Investments (NPI)

- a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances shall be used to classify an investment as a Non-Performing Investment

(NPI). Similarly, an NPI shall only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.

- i. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- ii. Sub-clause (a)(i) above shall apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it shall be treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year shall be reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.
- iii. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025, those equity shares shall be reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

iv. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer shall also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation shall not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

v. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments shall be classified in the same asset classification category as the loan and provision shall be made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment shall be categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**

- b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- c) Bank shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI shall be the higher of the following amounts:

- i. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and
- ii. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation shall be required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
 - i. Investments in Central Government Securities and State Government Securities shall not be classified as NPI.
 - ii. Investments in Central Government guaranteed securities shall also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, bank shall continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income shall be recognised only on realisation basis.

- iii. Investment in State Government guaranteed securities, shall attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.

4.7.4 Investment Fluctuation Reserve

- a) Banks shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - i. Net profit on sale of investments during the year.
 - ii. Net profit for the year, less mandatory appropriations.
- b) IFR shall be eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.
- c) Bank shall, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- c) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down shall be permitted subject to the following conditions:
 - i. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.
 - ii. The amount drawn down shall not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

4.7.5 Derivatives

- a) Bank shall comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Bank shall present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements.
 - b) Bank shall categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in RBI Circular- Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025 and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements.
 - c) Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account shall be deducted from CET 1 capital.
- **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:**
All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions and also SDF are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance

in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 - 'Advances' under the following heads:
 - i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

- 5.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:
 - (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
 - (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April 01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

- (ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

- 5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6. ADVANCES

- 6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 6.2 Provisions are made for non-performing advances as under:
 - a) Sub Standard:
 - i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)
 - b) Doubtful category-1
 - i) 25% for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
 - c) Doubtful Category - 2
 - i) 40% for Secured portion.

- ii) 100% for Unsecured portion.
- d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100%.
 - Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.
 - In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

- Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- 7.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization
- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and

professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

- 7.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises: 60 years Safes/Locker/ Doors(Steel): 20 years Vehicles: 5 years Furniture and Fixtures: 10 years Cell phones: 1 year Gold Purity Testing Machine: 7 years

- 7.4 Depreciation on fresh additions to assets will be charged in a year on proportionate basis for the number of days the assets have been available for use i.e. when it is in the location and condition for it to be capable of operating (Put to use).
- 7.5 In respect of assets sold during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the

number of days the assets have been used.

7.6 Depreciation of the asset is to be calculated on the basis of 365 days per year.

7.7 Assets costing up to 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

7.8 Portfolio of Immovable Properties owned by Bank shall be revalued periodically once in 3 years by an Independent valuer/s to reflect current market valuation

The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relatable to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

7.9 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

7.10 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.11 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.12 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), insurance claims, commission on

letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

8.4 Any Recovery should be first appropriated to Book Balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE), Unpaid Other Expenses (MOX), Unpaid Charges and thereafter to Unpaid Interest (MOI). However, in the case of restructured NPA accounts where, as per sanction terms, interest is to be serviced immediately and the principal repayment to start at a later date, recovery of interest made in such accounts should be taken to income account and not to be treated as principal repayment.

In case of subsequent changes in NPA management policy with regard to appropriation of recovery in NPA accounts, the same will be a part of the Significant Accounting policy of Bank

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances

- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

- Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.
- New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognized as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

- (b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

- (c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for-

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

16. EARNINGS PER SHARE

The Bank shall report basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit or loss attributable to equity

shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

17. CASH FLOW STATEMENT

Cash flow Statement to be prepared under indirect method as prescribed in AS-3.

18. SEGMENT REPORTING

The Bank shall recognise the business segments as the primary reporting segments and geographical segments as the secondary reporting segments in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

A. Review of the Policy

The policy is subject to review every year by the ACB.

Annexure I

HELD FOR TRADING (HFT)

1. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT instruments set out in the following paragraphs. All other instruments shall be excluded from HFT.
2. Bank shall only include those financial instruments in HFT when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.
3. Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognize any valuation changes in the profit and loss account.
4. Any instrument that a bank holds for one or more of the following purposes shall, when it is first recognized on its books, be designated as a HFT instrument, unless specifically otherwise:
 - (a) short-term resale;
 - (b) profiting from short-term price movements;
 - (c) locking in arbitrage profits; or
 - (d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above
5. The following instruments shall be included in HFT, unless specifically otherwise:

- (a) instruments in the correlation trading portfolio
 - (b) instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book; or
 - (c) Instruments resulting from underwriting commitments, where underwriting commitments refer only to securities underwriting, and relate only to securities that are expected to be actually purchased by the bank on the settlement date.
6. Any instrument which is not held for any of the purposes listed as per RBI Circular at inception, nor seen as being held for these purposes according to, shall not be assigned to HFT.
7. The following instruments shall not be included in HFT category:
 - (a) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures;
 - (b) instruments designated for securitisation warehousing;
 - (c) direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate;
 - (d) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - i. the bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition; or
 - ii. the bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds;
 - (e) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (a) to (d) above as underlying assets; or
 - (f) Instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (a) to (e) above.
8. The following instruments shall be presumed to be in HFT unless specifically otherwise provided:
 - a) instruments resulting from market-making activities;
 - b) equity investments in a fund excluding those exempted from assignment to HFT in accordance; or
 - c) Listed equities.
 - d) trading-related repo-style transaction; or
9. Bank shall have the option to deviate from the presumptive list specified in RBI Circular according to the process set out below.
 - a) If a bank believes that it needs to deviate from the presumptive list established in RBI Circular for an instrument, it shall submit a request to Department of Regulation, RBI and receive explicit approval. In its request, the bank shall provide evidence that the instrument is not held for any of the purposes.
 - b) In cases where this approval is not given, the instrument shall be designated as HFT. Bank shall document any deviations from the presumptive list in detail on an on-going basis.

Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities (STRIPS)

1. Bank can strip eligible Government Securities held under the AFS or FVTPL (including HFT) categories of their investment portfolio. STRIPS shall be valued and accounted for as zero-coupon bonds and in the manner prescribed in in these Directions.
2. The discount rates used for valuation of STRIPS at inception shall be market-based. However, in case traded zero-coupon rates are not available, the zero-coupon yields published by FBIL shall be used instead.
3. On the day of stripping, the STRIPS shall be recognised in the books of account of the participant at their discounted value and at the

same time, the Government Security in question shall be derecognised. The accounting treatment for reconstitution shall be exactly the opposite of stripping.

4. The stripping/reconstitution shall not result in any profit or loss. The present value of the STRIPS (coupon as well as principal) discounted using the Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) shall be normalized using a factor that will be the ratio of the carrying value of the security or market value of the security

(whichever is lower) to the sum total of the market value of all STRIPS created out of the security.

5. Normalisation shall also be applied in the case of reconstitution (even when STRIPS are acquired from the market).
6. The book value of the STRIPS (ZCBs) shall be valued and marked to market as per these Directions. Accordingly, the book value of the STRIPS shall be marked up to the extent of accrued interest before MTM.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS (2025-26)

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	71763.84	62983.29
ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	2000.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	71763.84	64983.29
iv)	Tier 2 capital	6704.00	8588.08
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	78467.84	73571.37
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	437545.57	410098.03
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	16.40%	15.36%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.40%	15.85%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.53%	2.09%
x)	"Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)"	17.93%	17.94%
xi)	Leverage Ratio	6.87%	7.03%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.84%	73.84%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	--	--
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	--	--
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	--	--

b) Draw down from Reserves

(₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2025-26	2024-25	
Revaluation Reserve	133.24	284.69	*Depreciation on revalued portion on Premises Rs 133.24 crore.

* The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS-10 of ICAI.

2. Asset liability management
a. Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	29407.53	21923.24	16481.55	28136.41	39840.78	28086.98	63244.59	116824.96	78818.37	67570.39	337391.51	827726.30
Advances	5105.01	22464.41	16101.67	40384.78	24973.32	25442.94	54232.19	113924.37	192558.15	53243.47	106457.92	654888.23
Investments*	60060.18	9206.77	9561.26	10239.03	10372.09	6276.20	13345.88	20291.01	21308.70	17525.05	66415.42	244601.59
Borrowings	6.86	11523.68	220.03	6357.28	304.33	278.44	2722.18	4581.91	4505.05	244.39	15948.35	46692.49
of the above												
Foreign Currency assets (Investments & Advances)	69.71	2283.93	1382.09	8410.96	10389.41	4966.89	10382.24	5983.64	4799.41	3155.63	1068.38	52892.29
Foreign Currency liabilities (Deposits & Borrowings)	299.15	3814.55	2806.55	8395.70	4800.02	3606.50	7322.30	7791.53	5029.38	2161.31	1958.11	47985.09

* Excludes 50% of listed equities of Rs.64.15 crore

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(₹ in Crore)

SL. No.	Parameter	Q1:2025-26		Q2:2025-26		Q3:2025-26		Q4:2025-26	
		Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*	Total Un-Weighted Value (Average)*	Total Weighted Value (Average)*
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1,76,888.81		1,79,441.98		1,80,952.38		1,80,837.09
Cash-Outflows									
2	Retail deposits and deposits from Small business customers of which:	4,35,498.42	36,131.11	4,39,406.64	36,487.52	4,54,843.60	37,793.85	4,66,430.97	39,173.11
(i)	Stable Deposits	1,48,374.69	7,418.73	1,49,062.96	7,453.15	1,53,810.29	7,690.51	1,49,399.67	7,469.98
(ii)	Less Stable deposits	2,87,123.74	28,712.37	2,90,343.68	29,034.37	3,01,033.31	30,103.33	3,17,031.30	31,703.13
3	Unsecured wholesale funding, of which:	1,98,900.62	1,20,994.26	2,07,715.24	1,27,917.73	2,14,329.52	1,30,633.14	2,28,465.83	1,39,856.47
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,29,843.94	51,937.57	1,32,995.85	53,198.34	1,39,493.97	55,797.59	1,47,682.27	59,072.91
(iii)	Unsecured debt	69,056.68	69,056.68	74,719.39	74,719.39	74,835.55	74,835.55	80,783.56	80,783.56
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which	88,209.73	69,792.12	84,331.22	65,110.47	98,650.85	77,845.40	70,770.94	50,423.47
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	67,864.32	67,864.32	62,809.64	62,809.64	75,932.13	75,932.13	48,994.92	48,994.92
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	20,345.41	1,927.81	21,521.58	2,300.83	22,718.71	1,913.27	21,776.01	1,428.55
6	Other contractual funding obligations	6,160.72	6,160.72	4,993.96	4,993.96	6,374.72	6,374.72	10,432.67	10,432.67
7	Other contingent funding obligations	1,09,428.83	4,622.89	1,13,140.70	4,800.32	1,22,944.21	5,269.69	1,26,367.33	5,399.76
8	Total Cash Outflows		2,37,701.10		2,39,309.99		2,57,916.81		2,45,285.49
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	94.76	0.00	60.99	0.00	187.45	0.00	207.21	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	48,173.87	36,671.16	45,604.55	33,108.49	50,804.79	35,413.99	64,425.51	46,115.76
11	Other cash inflows	75,452.57	72,330.12	70,703.80	67,500.91	83,499.28	80,282.60	54,201.29	52,125.44
12	Total Cash Inflows	1,23,721.21	1,09,001.29	1,16,369.34	1,00,609.40	1,34,491.52	1,15,696.59	1,18,834.01	98,241.20
			Total adjusted value#		Total adjusted value#		Total adjusted value#		Total adjusted value#
13	Total HQLA		1,76,888.81		1,79,441.98		1,80,952.38		1,80,837.09
14	Total Net Cash Outflows		1,28,699.81		1,38,700.59		1,42,220.22		1,47,044.28
15	Liquidity Coverage Ratio		137.44%		129.37%		127.23%		122.98%

*The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking simple average based on daily observations for the respective quarter.

Un-weighted values are calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows) except where otherwise mentioned in the circular and LCR template.

Weighted values are calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows)

#Adjusted values calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates and (ii) any applicable caps (i.e. cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR for FY 2025-26 on a daily basis is 100%. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines updated on time to time.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits viz Retail, Small Business customers (deposits upto Rs.7.50crore), unsecured and secured wholesale borrowings) as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2026 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.1,80,837 crores. HQLA primarily includes SLR securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirement the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2026 was 122.98%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 57.02% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 15.97% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has no significant counterparty (Deposit / Borrowing) as on 31.03.2026. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2026 is 5.95 % of the total deposits. The significant domestic product / instruments includes Savings deposit, Current deposit and Term deposit which are 32.50%, 5.33% and 57.53% of bank's total deposits respectively, the funding from which are widely spread and there is no major concentration risk under Liquidity front for bank.

C. Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(₹ in Crore)

₹ in Crore)		30.06.2025				30.09.2025					
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	69,735.68	0.00	0.00	1000.00	70,735.68	69,387.44	0.00	0.00	1,000.00	70,387.44
2	Regulatory capital	69,735.68	0.00	0.00	200.00	69,935.68	69,387.44	0.00	0.00	200.00	69,587.44
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,04,811.65	1,20,166.94	1,29,988.56	763.80	4,17,790.88	2,11,746.27	1,00,282.34	1,56,083.32	741.22	4,29,792.49
5	Stable deposits	71,846.69	36,969.03	42,317.29	0.00	1,43,576.36	74,449.61	31,624.38	48,936.47	0.00	1,47,259.94
6	Less stable deposits	1,32,964.96	83,197.91	87,671.27	763.80	2,74,214.52	1,37,296.65	68,657.96	1,07,146.86	741.22	2,82,532.55
7	Wholesale funding: (8+9)	72,307.51	1,32,308.67	82,306.67	13,779.28	1,16,844.83	77,081.21	1,52,967.24	80,208.60	10,721.33	1,19,571.36
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	72,307.51	1,32,308.67	82,306.67	13,779.28	1,16,844.83	77,081.21	1,52,967.24	80,208.60	10,721.33	1,19,571.36
10	Other liabilities: (11+12)	28,471.52	27,066.37	6,424.86	6,376.32	8,390.56	34,931.35	14,666.00	3,655.09	8,002.03	9,828.36
11	NSFR derivative liabilities		0.00	4.37	0.00			0.87	2.43	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	28,471.52	27,066.37	6,420.49	6,376.32	8,390.56	34,931.35	14,665.12	3,652.66	8,002.03	9,828.36
13	Total ASF (1+4+7+10)					6,13,761.95					6,29,579.64
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					9,247.51					9,365.47
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	87.91	2,226.38	0.00	0.00	1,157.14	648.49	846.11	0.00	0.00	747.30
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	3,303.89	2,34,665.15	1,51,247.95	2,56,743.90	3,94,065.93	4,237.57	2,45,004.81	1,65,465.28	2,58,619.82	4,04,684.54
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	62,297.76	18,272.84	32,112.87	50,593.96	0.00	71,508.43	18,254.48	29,265.22	49,118.73

(₹ in Crore)		30.06.2025				Weighted value	30.09.2025				Weighted value
		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	64.32	1,60,382.24	1,29,545.01	1,44,258.84	2,64,665.76	71.05	1,64,660.88	1,41,714.87	1,48,114.05	2,76,629.53
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	15.47	21,424.99	1,612.14	17,359.92	22,810.25	0.00	26,687.58	1,605.18	18,171.23	26,546.65
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	1,222.29	1,155.10	51,702.23	38,181.35	0.00	1,259.04	1,162.08	52,758.35	38,673.60
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	997.26	948.83	39,177.09	27,261.71	0.00	1,054.80	982.57	40,663.13	28,146.14
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	3,239.57	10,762.86	2,275.00	28,669.96	40,624.85	4,166.51	7,576.47	4,333.85	28,482.20	40,262.69
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	24,448.20	2,814.27	1,946.92	1,951.55	30,339.97	22,197.01	1,829.77	2,906.75	1,886.39	27,997.82
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	2,752.60	1,922.28	798.17	4,652.09	0.00	1,787.83	2,894.07	798.72	4,658.53
27	NSFR derivative assets	0.00	34.84	0.00	43.25	78.08	0.00	0.00	0.00	28.31	28.31
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	26.84	24.63	0.37	51.84	0.00	41.94	12.68	0.91	55.53
29	All other assets not included in the above categories	24,448.20	0.00	0.00	1,109.76	25,557.95	22,197.01	0.00	0.00	1,058.45	23,255.46
30	Off-balance sheet items	1,25,822.31	0.00	0.00	0.00	5,424.77	1,34,340.62	0.00	0.00	0.00	5,844.83
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					4,40,235.32					4,48,639.96
32	Net Stable Funding Ratio (%)					139.42%					140.33%

(₹ in Crore)

	31.12.2025					31.03.2026				
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value < 6 months	
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		≥ 1yr
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	69,421.24	0.00	0.00	1,000.00	70,421.24	0.00	0.00	0.00	78,467.84
2	Regulatory capital	69,421.24	0.00	0.00	200.00	69,621.24	0.00	0.00	0.00	78,467.84
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,16,156.77	92,745.65	1,68,542.56	706.78	4,37,800.14	2,24,285.34	99,409.89	1,66,439.03	595.82
5	Stable deposits	66,543.58	29,497.71	51,816.42	0.00	1,40,464.82	69,381.10	31,043.64	50,839.67	0.00
6	Less stable deposits	1,49,613.19	63,247.94	1,16,726.14	706.78	2,97,335.32	1,54,904.24	68,366.24	1,15,599.36	595.82
7	Wholesale funding: (8+9)	79,478.79	1,55,143.67	78,070.13	10,079.06	1,24,346.60	89,172.77	1,40,264.48	1,07,357.45	15,201.52
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	79,478.79	1,55,143.67	78,070.13	10,079.06	1,24,346.60	89,172.77	1,40,264.48	1,07,357.45	15,201.52
10	Other liabilities: (11+12)	36,232.00	28,084.98	4,344.01	6,633.46	8,795.93	35,066.20	22,282.61	4,618.85	5,718.70
11	NSFR derivative liabilities		164.20	1.34	8.87			869.82	36.94	20.91
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	36,232.00	27,920.78	4,342.67	6,624.60	8,795.93	35,066.20	21,412.79	4,581.91	5,697.79
13	Total ASF (1+4+7+10)					6,41,363.92				6,78,280.86
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					9,373.95				9,582.23
15	Deposits held at other institutions for operational purposes	166.81	1117.44	0.00	0.00	642.13	184.87	3,488.14	0.00	1,836.50
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	4,261.92	2,54,447.10	1,74,912.21	2,63,442.55	4,14,499.40	2,986.72	2,67,366.49	1,85,102.22	2,74,323.18
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	81,282.13	16,655.14	26,555.40	47,075.30	0.05	82,559.12	14,738.22	28,831.55
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	79.16	1,65,685.47	1,52,812.27	1,62,608.55	2,94,578.25	96.42	1,70,540.99	1,66,657.99	1,59,373.97
										3,00,495.95

		31.12.2025				Weighted value	31.03.2026				Weighted value < 6 months
		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	2.28	23,794.15	2,106.65	20,828.62	27,098.41	1.76	33,192.20	2,228.90	24,122.40	34,009.30
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	1,014.36	1,045.87	44,876.61	32,841.43	0.00	1,242.05	1,333.67	56,321.04	41,080.00
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	854.06	891.65	34,716.47	24,005.90	0.00	1,051.33	1,139.65	43,584.77	30,013.58
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	4,182.76	6,465.14	4,398.93	29,401.99	40,004.42	2,890.25	13,024.33	2,372.34	29,796.62	43,590.59
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	25,425.60	51.35	2,619.75	3,854.18	31,127.61	22,820.17	1,167.00	1,857.01	4,700.20	29,565.17
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0.00	0.00	2,609.84	2,878.60	4,665.17	0.00	1,032.23	1,799.25	3,696.58	5,548.85
27	NSFR derivative assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	51.35	9.91	8.03	69.28	0.00	134.76	57.76	38.74	231.26
29	All other assets not included in the above categories	25,425.60	0.00	0.00	967.55	26,393.15	22,820.17	0.00	0.00	964.88	23,785.05
30	Off-balance sheet items	1,39,750.73	0.00	0.00	0.00	6,084.31	1,47,605.44	0.00	0.00	0.00	6,428.22
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					4,61,727.39					4,81,165.49
32	Net Stable Funding Ratio (%)					138.91%					140.97%

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) is a significant component of the Basel III reforms. The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. As per the latest RBI Guidelines, NSFR is effective from October 01, 2021 and updated on November 28, 2025.

NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding

$$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

Available Stable Funding (ASF)

ASF is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered (viz. up to 1 year) by the NSFR. The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding.

Required Stable Funding (RSF)

RSF is the amount of stable funding required based on the liquidity characteristics and residual maturities of various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. RSF is computed by multiplying the outstanding amount of the specified component with the prescribed and associated RSF Factor.

The objective of NSFR is to ensure that banks maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. The NSFR limits over-reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

Bank's NSFR stands at 141.62% as on 31.03.2025 and 140.97% as on 31.03.2026. NSFR is above the minimum regulatory requirement of 100%. As on 31.03.2026, the Available Stable Funding (ASF) was Rs.6,78,281 crore and the Required Stable Funding (RSF) was Rs.4,81,165 crore.

Bank also computes Liquidity Coverage Ratio and prepares Structural Liquidity Statements on a daily basis to assess the liquidity needs of the Bank.

3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio

(₹ in Crore)

	Current Year (2025-26)						Previous Year (2024-25)					
	HTM		AFS		FVTPL		HTM		AFS		FVTPL	
	At cost	Fair Value			HFT	Non-HFT	At cost	Fair Value			HFT	Non-HFT
I. Investments in India												
(i) Government securities	157856.53	156089.90	49770.06	6114.31	0.00	0.00	133887.15	135689.07	54754.47	7923.77	0.00	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	834.14	74.43	599.77		0.00	0.00	730.27	63.60	473.27	
(iv) Debentures and Bonds	2033.75	2050.20	9154.77	2477.97	3440.40		2794.62	2794.34	8370.30	1888.53	3622.90	
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures												
(vi) Others	0.00	0.00	1979.19	6755.49	1138.91		0.00	0.00	4307.89	3413.51	878.95	
Total	159890.28	158140.10	61738.16	15422.20	5179.08	255.88	136681.77	138483.41	68162.93	13289.41	4975.12	652.44
Less: Provisions for impairment / NPI	0.00	0.00	108.13	0.00	346.09	5.35	0.00	0.00	135.13	0.00	427.12	5.35
Net	159890.28	158140.10	61630.03	15422.20	4832.99	250.53	136681.77	138483.41	68027.80	13289.41	4548.00	256.75
II. Investments outside India												
(i) Government securities (including local authorities)	153.02	151.99	2485.73	0.00	0.00	0.00	132.71	128.19	2365.95	0.00	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and joint ventures						0.00						0.00
(iii) Other investments	0.00	0.00	143.00	0.00	9.07		0.00	0.00	128.66	0.00	7.85	
Total	153.02	151.99	2628.73	0.00	9.07	0.00	132.71	128.19	2494.61	0.00	7.85	0.00
Less: Provisions for impairment / NPI	0.00	0.00	142.11	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	127.98	0.00	7.81	0.00
Net	153.02	151.99	2486.62	0.00	0.06	0.00	132.71	128.19	2366.63	0.00	0.04	0.00
Total investments (I+II)	160043.30	158292.09	64116.65	15422.20	4833.05	250.53	136814.48	138611.60	70394.43	13289.41	4548.04	256.75
												0.00

b. Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(₹ in Crore)

	Position as on 31.03.2026									
	AFS					FVTPL				
	Level 1	Level 2	Level 3	Total		Level 1	Level 2	Level 3	Total	
I. Investments in India										
(i) Government securities	49770.06	0.00	0.00	49770.06		6114.31	0.00	0.00	6114.31	
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) Shares	0.66	0.00	833.49	834.15		127.73	0.00	546.47	674.20	
(iv) Debentures and Bonds	9104.24	0.00	50.53	9154.77		4113.14	1488.36	316.87	5918.37	
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures										
(vi) Others	1910.73	0.00	68.46	1979.19		7686.14	0.00	208.25	7894.39	
Total	60785.69	0.00	952.48	61738.17		18041.32	1488.36	1071.59	20601.27	
II. Investments outside India										
(i) Government securities (including local authorities)	2485.73	0.00	0.00	2485.73		0.00	0.00	0.00	0.00	
(i) Subsidiaries, associates and joint ventures										
(iii) Other investments	0.80	0.00	142.20	143.00		0.06	0.00	9.01	9.07	
Total	2486.53	0.00	142.20	2628.73		0.06	0.00	9.01	9.07	
Total investments (I+II)	63272.22	0.00	1094.68	64366.90		18041.38	1488.36	1080.60	20601.34	

Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(₹ in Crore)

	Position as on 31.03.2025									
	AFS					FVTPL				
	Level 1	Level 2	Level 3	Total		Level 1	Level 2	Level 3	Total	
I. Investments in India										
(i) Government securities	54754.47	0.00	0.00	54754.47		7923.77	0.00	0.00	7923.77	
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
(iii) Shares	0.62	0.00	729.65	730.27		63.60	0.00	473.27	536.87	
(iv) Debentures and Bonds	7455.76	858.42	56.11	8370.29		3006.15	2110.38	394.89	5511.42	
(v) Subsidiaries, associates and joint ventures										
(vi) Others	4239.43	0.00	68.46	4307.89		4102.40	0.00	190.06	4292.46	
Total	66450.28	858.42	854.22	68162.92		15095.92	2110.38	1058.22	18264.52	
II. Investments outside India										
(i) Government securities (including local authorities)	2365.95	0.00	0.00	2365.95		0.00	0.00	0.00	0.00	
(i) Subsidiaries, associates and joint ventures										
(iii) Other investments	0.58	0.00	128.08	128.66		0.04	0.00	7.81	7.85	
Total	2366.53	0.00	128.08	2494.61		0.04	0.00	7.81	7.85	
Total investments (I+II)	68816.81	858.42	982.30	70657.53		15095.96	2110.38	1066.03	18272.37	

c. Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

	F.Y. 2025-26	F.Y. 2024-25
Recognised in AFS-Reserve	225.96	121.17
Recognised in Profit and Loss Account	(199.77)	(273.82)

d. Details of sales made out of HTM

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	F.Y. 2025-26	F.Y. 2024-25
A	Opening carrying value of securities in HTM	136814.48	125527.81
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	6362.19	7877.55
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit*	4650.57	5441.14
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	1711.62	2436.41
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	1.25%	1.95%
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	42.56	0.00

*The value of sales and transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5 per cent of the carrying value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

e. Reclassification between categories of investments

No reclassification was done between categories of Investment during the year ended 31.03.2026.

f. Movement of Provisions for Non-Performing Investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Particulars	F.Y. 2025-26	F.Y. 2024-25
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments and NPI on Investment		
a) Opening balance	703.39	4317.94
b) Less: as per new RBI policy on valuation, book value of NPI investment and depreciation provision on investment was reduced	0.00	3159.27
c) Net balance (a-b)	703.39	1158.67
d) Add: Provisions made during the year	79.24	44.52
e) Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ Exchange diff.	171.95	499.80
f) Closing balance (c+d-e)	610.68	703.39
ii) Movement of Investment Fluctuation reserve		
a) Opening balance	2000.00	1360.01
b) Add: Amount transferred during the year	0.00	639.99
c) Less: Drawdown	0.00	0.00
d) Closing balance	2000.00	2000.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category (Domestic)	2.44%	2.33%

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the Balance sheet

g. Non-SLR investment portfolio
i. Non-performing non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	F.Y. 2025-26	F.Y. 2024-25
a)	Opening balance	658.85	2658.38
b)	Less: As per new RBI policy on valuation, book value of NPI investment was reduced	0.00	1546.36
c)	Net balance (a-b)	658.85	1112.02
d)	Additions during the year since 1 st April	76.48	42.03
e)	Reductions during the above period	158.12	495.20
f)	Closing balance	577.21	658.85
g)	Total provisions held	577.21	658.85

ii. Issuer composition of non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25	31.03.26	31.03.25
a)	PSUs	22898.78	22725.41	19708.68	20007.95	75.71	39.00	1120.58	1289.38	19098.52	19175.10
b)	FIs	9835.98	9514.08	4518.71	2974.11	0.00	0.00	627.51	538.80	1209.51	1224.56
c)	Banks	9572.29	8928.9	734.18	1081.83	0.00	0.00	62.33	23.57	5881.95	4549.30
d)	Private Corporates	2019.38	1908.44	1367.65	1220.84	215.71	208.99	808.14	978.49	730.87	910.17
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	255.88	262.10	255.88	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	177.01	183.23
f)	Others	4880.15	4029.19	2162.6	1381.56	0.00	0.00	2241.40	1530.53	1247.76	948.99
g)	Less: Provision held towards depreciation	610.68	703.39	151.11	135.79	151.11	135.79	151.11	135.79	151.11	135.79
	Total	48851.78	46664.73	28596.59	26792.60	140.31	112.20	4708.85	4224.98	28194.51	26855.55

h. Repo transactions

(₹ in Crore)

Particulars		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on 31 st March, 2026	
		FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i)	Securities sold under repo								
a)	Government securities	0.00	0.00	16118.92	16129.45	3198.66	3216.32	16118.92	16129.45
b)	Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	Securities purchased under reverse repo								
a)	Government securities	0.00	0.00	1489.45	1524.75	90.12	89.85	0.00	0.00
b)	Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i) Government Securities Lending (GSL) transactions (in market value terms)

(₹ in Crore)										
	Minimum outstanding during the current year	Minimum outstanding during the previous year	Maximum outstanding during the current year	Maximum outstanding during the previous year	Daily Average outstanding during the current year	Daily Average outstanding during the previous year	Total volume of transaction during the current year	Total volume of transaction during the previous year	Outstanding as on March 31 of the current financial year	Outstanding as on March 31 of the previous financial year
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

4. Asset quality

a. Classification of advances and provisions held

₹ in Crore

	2025-26						2024-25					
	Standard	Non-Performing				Total	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances		Total Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs												
Opening Balance	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50	512666.49	3725.26	10864.95	6516.10	21106.31	533772.80
Add: Additions during the year					4932.42	4932.42					5786.46	5786.46
Less: Reductions during the year					9921.26	9921.26					8713.91	8713.91
Closing balance	653923.35	1528.86	4092.71	7568.45	13190.02	667113.37	569961.64	1727.22	7663.89	8787.75	18178.86	588140.50
Reductions in Gross NPAs due to:												
i) Upgradation					657.67	657.67					921.24	921.24
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts & incl others as exchange diff)					2568.03	2568.03					2917.83	2917.83
iii) Technical/ Prudential Write-offs					6005.14	6005.14					4169.54	4169.54
iv) Write-offs other than those under (iii) above					690.41	690.41					705.30	705.30
v) COVID moratorium Int reversal					0.00	0.00					0.00	0.00
Provisions (excluding Floating Provisions)												
Opening balance of provisions held	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06	8001.14	1434.08	10789.61	6187.62	18411.31	26412.45
Add: Fresh provisions made during the year					1832.61	1832.61					3444.03	3444.03
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					6676.69	6676.69					5043.25	5043.25
Closing balance of provisions held	10574.39	491.73	4011.04	7465.24	11968.01	22542.40	8857.97	543.84	7596.30	8671.95	16812.09	25670.06
Net NPAs												
Opening Balance		1109.56	0.00	0.00	1109.56			2210.30	12.29	0.00	2222.58	
Add: Fresh additions during the year					3099.81						2342.43	
Less: Reductions during the year					3244.49						3455.45	
Closing Balance		964.88	0.00	0.00	964.88			1109.56	0.00	0.00	1109.56	

	2025-26					2024-25				
	Standard	Non-Performing			Total	Standard	Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances
Floating Provisions										
Opening Balance						70.76				70.76
Add: Additional provisions made during the year						0.00				0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00				0.00
Closing balance of floating provisions						70.76				70.76
Technical write-offs and the recoveries made thereon										
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						40257.14				39695.05
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						6005.14				4169.54
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3260.51				3607.45
Closing balance						43001.77				40257.14

Ratios (in percent)	31.03.2026	31.03.2025
Gross NPA to Gross Advances	1.98	3.09
Net NPA to Net Advances	0.15	0.19
Provision coverage ratio With AUC	98.28	98.10
Provision coverage ratio Without AUC	92.68	93.90

b. Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2026			31.03.2025		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	150926.58	7078.38	4.69%	135202.70	8582.31	6.35%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	41183.20	2067.80	5.02%	35837.11	2940.65	8.21%
c)	Services	61490.69	1963.12	3.19%	53325.39	3817.28	7.16%
d)	Personal loans	17455.80	144.18	0.83%	10818.42	432.89	4.00%
	Sub-total (i)	271056.27	11253.48	4.15%	235183.62	15773.13	6.71%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	2223.07	50.34	2.26%	2424.76	19.87	0.82%
b)	Industry	88382.23	486.69	0.55%	84859.59	411.13	0.48%
c)	Services	181511.58	633.12	0.35%	157393.46	841.58	0.53%
d)	Personal loans	123940.22	766.39	0.62%	108279.07	1133.16	1.05%
	Sub-total (ii)	396057.10	1936.54	0.49%	352956.87	2405.73	0.68%
	Total (i + ii)	667113.37	13190.02	1.98%	588140.50	18178.86	3.09%

c. Overseas assets, NPAs and revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total Assets	53200.43	44873.37
Total NPAs	1463.34	1324.37
Total Revenue	2503.23	2432.53

d. Particulars of resolution plan and restructuring

- (i) Impact of Impact of RBI Master Direction DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on 'Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025' is as follows:

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2026, out of (b) classified as NPA (c)	Addl. provision required for loans covered under RBI circular (d)	Provision out of (d) already made by 31.03.2026* (e)
8648.09	8615.37	8615.37	264.08	264.08

* including provision of Rs.239.68 Crore on Non Fund outstanding of the NPA account as on 31.03.2026.

- (ii) Details of acquisition of shares due to conversion of Debt to Equity during the Financial Year, FY 2025-26 under resolution plan and restructuring process is as under

Security Name	Face Value per share (Rs.)	No. of Shares	Face Value (Rs.)	Book Value (Rs.)
Bajaj Hindustan Sugar Ltd. (EQ)	1	11,72,52,693.00	11,72,52,693.00	11.73
Bajaj Hind Ltd. (CCPS)	100	3,26,03,449.83	3,26,03,44,983.00	3.26
MSP Steel and Power Ltd.	10	2,01,51,801.00	20,15,18,010.00	62,47,05,831.00

e. Divergence in asset classification and provisioning

In our Bank, divergence are within threshold limit specified in terms of RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated 28.11.2025 (updated as on 01.04.2026) on Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPA is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2024-25.

f. Disclosure of transfer of loan exposures

In accordance with RBI Master Direction DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on 'Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025', the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2026 are given below:

i. Details of loans not in default acquired:

Mode of Acquisition: Direct Assignment

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NA	1768.34	NA
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NA	12.90	NA
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NA	1.10	NA
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NA	10%	NA
Tangible Security Coverage (%)	NA	251%	NA
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	NA	AAA: Rs.1768.34 Cr	NA

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2025 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NA	1500.00	603.69
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NA	15.61	4.64
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NA	3.22	0.93
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NA	10%	10%
Tangible Security Coverage (%)	NA	131%	174%
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	NA	AAA: Rs.1500.00 Cr	AAA: Rs.458.90 Cr AA: Rs.97.28 Cr A: Rs.47.51 Cr

In accordance with RBI Master Direction DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on 'Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025', the details of loans transferred/ acquired during year ended March 31, 2026 are given below:

Mode of Acquisition: Co-Lending / Loan Participation

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NIL	NIL	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NIL	NIL	NIL
Tangible Security Coverage (%)	NIL	NIL	NIL
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	NIL	NIL	NIL

The details of loans transferred/ acquired during previous year ended March 31, 2025 are given below:

Particular	AGRICULTURE	RETAIL	MSME
Aggregate Principal outstanding of loans acquired (Rs. in Crore)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Residual Maturity (in years)	NIL	NIL	NIL
Weighted Average Holding Period by originator (in years)	NIL	NIL	NIL
Retention of beneficial economic interest by the originator (%)	NIL	NIL	NIL
Tangible Security Coverage (%)	NIL	NIL	NIL
Rating Wise Distribution of loans acquired by value	NIL	NIL	NIL

ii. Details of loans not in default transferred: NIL

iii. Details of stressed loan transferred:

(₹ in Crore except number of accounts)

Details of Stress loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2025 to 31.03.2026			
Particular	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of Accounts	6	1	NIL
Aggregate principal outstanding loans transferred (Rs. in Crore)	342.07	7.61	
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	
Aggregate Consideration (Rs. in Crore)	268.33	6.00	
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	

The Bank has reversed the amount of Rs.88.58 Crores of excess provision to the profit and loss account on account of sale of stressed loans.

iv. Details of loans acquired during the year: NIL

- v.** The distribution of Security Receipts (SRs) held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the Credit Rating Agencies as on 31.03.2026 is given as under:

In terms of revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs) issued by RBI on March 29, 2025, Banks can reverse any excess provision to the Profit and Loss Account in the year of transfer, if a loan is transferred to an ARC for a value higher than the net book value (NBV), and the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

As on March 31, 2026, the Bank is holding in Government guaranteed SRs having Face Value of Rs.634.82 Crores. The Bank is valuing its Investment in SR at a lower of Net Book Value of the stressed loans at the time of transfer to ARC or NAV declared by such ARC. The Bank, on a prudent basis, will continue to value SRs in this manner and book revenue on SRs only on actual receipts of recoveries/redemption or approval of claims, if any, by the Government.

Recovery Rating	Book Value	
	Amt. in Rs.	Amt. in Crores
RR1+ (Above 150%)	3.00	0.00
RR1 (Above 100% up to 150%)	12.26	0.00
RR2 (Above 75% up to 100%)	2.09	0.00
RR3 (Above 50% up to 75%)	3.78	0.00
RR4 (Above 25% up to 50%)	2.35	0.00
RR5 (up to 25%)	1.00	0.00
Unrated	462.56	0.00
TOTAL	487.04	0.00

g. Book Value of Security Receipts (without netting hived off provision)

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	0.00	0.00
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs Issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (i)	0.00	0.00	0.00
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i) + (ii)	0.00	0.00	0.00

h. Disclosure on Co-Lending Arrangements

In accordance with RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No. 78/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on 'Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025', the details of Co-Lending arrangements on an aggregate basis are as follows:

Sl. No.	Particulars	As on 31.03.2026
i.	Quantum of CLAs	NIL
ii.	Aggregate Principal (Rs. in crores) outstanding as on	
iii.	Weighted average ROI	
iv.	Fees charged (Rs. in crores)	
v.	Fees Paid (Rs. in crores)	
vi.	Broad Sectors in which CLA was made	
vii.	Performance of loans under CLA (Rs. in crores) a. NPA b. Standard	
viii.	Details related to default loss guarantee, if any (Rs. in crores)	

i. Fraud accounts

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Number of frauds reported	188	2169
Amount involved in fraud (₹ crore)	1737.25	2112.39
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1700.75	228.08
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.	0	0

*Includes 127 cases (P.Y. 113 cases) Advance related frauds amounting to Rs.1692.69 Crores (P.Y. 2080.31 Crores. Outstanding balance as on 31.03.2026 in such accounts is Rs.1658.27 Crores (P.Y. Rs.220.83 Crores) against which adequate provision of Rs.1657.93 Crores (P.Y. Rs.209.51Crores) is maintained.

j. Disclosure related to Project Finance

In accordance with RBI Master Direction DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on 'Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025', the details relating to resolution plans implemented during the quarter ended March 31, 2026 are given below:

Sl. No.	Item Description	Number of Accounts	Total Outstanding (in ₹ Crores)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter*	135	12710.23
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	59	1018.97
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	20	1597.31
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	174	12131.89
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	34	3437.30
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	16	1660.49

5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	9	1630.70
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked due to change in scope and size of the project.	1	15.77
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded	8	130.34
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-

*In respect of number of accounts

The details relating to resolution plans implemented during the quarter ended December 31, 2025 are given below:

Sl. No.	Item Description	Number of Accounts	Total Outstanding (in ₹ Crores)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	125	12250.75
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	19	107.04
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	9	364.58
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	135	11993.21
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	11	1334.59
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	3	460.20
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	8	874.39
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked due to change in scope and size of the project.	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-

k. MSME DISCLOSURE

In accordance with the RBI Circulars DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, DOR.No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on 'Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances', the details of MSME restructured accounts under the Scheme are as under:

No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2026 (₹ in Crores)
21810	805.32

l. Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related Stress as per RBI Master Direction RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated 28.11.2025 (updated as on 01.04.2026) on Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 as at 31.03.2026 are as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 30.09.2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended 31.03.2026	Of (A) amount written off during the half-year ended 31.03.2026	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended 31.03.2026	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at 31.03.2026
1	Personal Loans	3404	46	0	228	3130
2	Corporate persons*	391	2	0	61	328
	Of which MSMEs	187	2	0	56	129
3	Others	446	32	0	71	343
	Total (1+2+3)	4241	80	0	360	3801

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. Exposures

a. Exposure to real estate sector

(₹ in Crore)

Category	31.03.2026	31.03.2025
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector**	77964.19 (15701.40)	68824.09 (8694.68)
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)**	20025.70	18575.93

c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
i) Residential	NIL	NIL
ii) Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	19604.46	19386.61
Total Exposure to Real Estate Sector	117594.35	106786.63

**Exposure also include non-fund based (NFB) limits;

b. Exposure to capital market

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1582.44	1289.57
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	NIL	0.04
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	89.27	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	974.75	964.91
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	173.41	190.06
Total exposure to capital market	2819.87	2444.58

c. Risk category-wise country exposure

(₹ in Crore)

Risk category	Exposure (Net) as at 31.03.2026	Provision held as at 31.03.2026	Exposure (Net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025
Insignificant	24921.38	-	19814.45	12.57
Low	9928.43	-	7847.27	-
Moderately Low	9.95	-	789.87	-
Moderate	475.91	-	517.13	-
Moderately High	34.11	-	595.17	-
High	1643.86	-	0.61	-
Very High	0.00	-	636.71	-
Total	37013.64	-	30201.21	12.57

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2026 and such exposure to all countries is within 1% of the total assets of the Bank. Hence the provision of Country Risk for the Bank as on 31.03.2026 is NIL.

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL), if any, exceeded by the Bank

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of total exposure
NIL				

d. Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2026 branches in India have not issued any letter of comfort for financing of imports. Outstanding as on 31.03.2026 is NIL. Accordingly, there is no financial impact.

During the year ended 31.03.2026, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) and GIFT City Branch is NIL and Outstanding as on 31.03.2026 is NIL.

As per the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, Bank to ensure that Singapore Branch maintains sound liquidity and a sound financial position at all times. Accordingly, the Bank continues to maintain deposits to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 407.79 crore) with Singapore Branch.

Bank has issued LOU for Sri Lankan branches favouring Central Bank of Sri Lanka (CBSL) as per the mandatory requirement of CBSL. Bank undertakes to provide funds as may be necessary to meet all obligations incurred in or in connection with its business in Sri Lanka. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOU.

Bank has issued LOC for our IBU/ FBU in IFSC, SEZ Gift City, Gujarat Favouring International Financial Service Centres Authority (IFSCA) as per the mandatory requirement of IFSCA. Bank undertakes to provide the necessary financial assistance as and when required in the form of Capital and liquidity support for our IBU/FBU in IFSC, GIFT city. Bank does not anticipate any financial impact in immediate near future on account of this LOC.

e. Unsecured advances

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Total unsecured advances of the bank	104126.22	70610.23
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

f. Factoring exposures:

The Banks factoring exposures as at 31st March 2026 is NIL. (Previous Year: NIL)

g. Intra-group exposures

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Total Amount of intra group exposures	1080.63	1311.85
2	Total Amount of top 20 intra group exposures	1080.63	1311.85
3	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.12%	0.17%
4	Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

h. Unhedged foreign currency exposure

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of Unhedged Foreign Currency Exposures of its borrowers. Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, Bank is ensuring that all the exposures (fund based and non-fund based) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts, unhedged exposure are captured and impact is analysed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of Rs.116 Crore and Capital of Rs.36.08 Crore for the year ended 31st March 2026 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Master Direction on Commercial Banks- Credit Risk Management dated 28th November,2025.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs
a) Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	49267	39204
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	5.95%	5.32%

b) Concentration of advances

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total advances to the twenty largest borrowers	77521.76	65616.89
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	9.11%	8.83%

c) Concentration of exposures

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	84945.38	69839.83
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	9.63%	9.04%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Total Exposures to the Top Twenty NPA Accounts	1258.21	1069.83
Percentage of exposures to the Twenty largest NPA exposures to the total Gross NPAs	9.54%	5.89%

7. Derivatives

a) Details of derivative portfolio

(₹ in Crore)

	Current year			Previous Year		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM – Assets	(0.28)	-	-	(2.21)	-	-
MTM – Liabilities	0.36	-	-	2.29	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account in Current F.Y.	0.08	-	-	0.08	-	-

Exchange Rate Derivatives						
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account in Current F.Y.	-	-	-	-	-	-
Credit Risk Derivatives						
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account in Current F.Y.	-	-	-	-	-	-
Other Derivatives (specify)						
MTM – Assets	(4625.65)	-	-	(1066.00)	-	-
MTM – Liabilities	3703.71	-	-	1421.74	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account in Current F.Y.	(921.94)	-	-	355.74	-	-

b) Forward rate agreement/Interest rate swap

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
i) The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swap	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	NIL	NIL

c) Exchange traded interest rate derivatives

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives, outstanding as on 31 st March (instrument wise)	230.00	400.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	230.00	400.00
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	0.08	0.08

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

ii) Quantitative disclosures

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particular	31.03.2026		31.03.2025	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	i) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) For trading	0.00	230.00	0.00	400.00
b)	Marked to Market Positions				
	i) Asset (+)	0.00	0.36	0.00	2.29
	ii) Liability (-)	0.00	0.28	0.00	2.21
c)	Credit Exposure	0.00	1.51	0.00	3.98
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	i) on hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives	0.00	0.05	0.00	0.06
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	i) on hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	0.00	0.00	0.00	0.00

d) Credit default swaps: NIL

8. Disclosures relating to securitisation

(Number/ ₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2025-26	2024-25
1	No. of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss	NIL	NIL
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		
5	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.		
	a) Amount paid	NIL	NIL
	b) Repayment received		
	c) Outstanding amount		
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL

9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	3633.99	3234.22
Add : Amounts transferred to DEA Fund during the year	529.87	513.76
Less : Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	327.77	113.99
Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	3836.09	3633.99

Note: Closing Balance of the amount transferred to DEA Fund i.e. Rs.3836.09 Cr as on 31.03.2026 (Rs.3633.99 Cr as on 31.03.2025), which is disclosed above, are also included under schedule-12-Contingent Liabilities-Others' for which the Bank is contingently liable.

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman*

Sl. No.	Particulars	2025-26	2024-25
	Complaints received by the Bank from its Customers		
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	3017	569
2	Number of complaints received during the year	152197	111167

3		Number of complaints disposed during the year	150605	108719
	3.1	of which, number of complaints rejected by the Bank	12704	10081
4		Number of complaints pending at the end of the year	4609	3017
Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman				
5		Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman	5154	5118
	5.1	of 5, Number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	5010	4958
	5.2	of 5, Number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	88	99
	5.3	of 5, Number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	0	3
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.				

* Previously Offices of Banking Ombudsman

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of which complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of (5), Number of complaints pending beyond 30 days
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2025-26					
ATM Debit card	337	31863	6.93%	480	12*

Internet / Mobile / Electronic Banking	1764	69742	52.90%	3200	50*
Account opening / difficulty in operation of the Account	301	17646	35.84%	213	0
Loans and Advances	166	8096	32.93%	123	0
Credit Card	7	1201	(39.88%)	7	0
Others	442	23649	61.06%	586	0
Total	3017	152197	36.91%	4609	62*
2024-25					
ATM Debit card	135	29796	(5.55%)	337	14*
Internet / Mobile / Electronic Banking	193	45610	150.37%	1764	48*
Account opening / difficulty in operation of the Account	60	12990	65.62%	301	0
Loans and Advances	54	6090	40.38%	166	0
Credit Cards	7	1998	92.85%	7	0
Others	120	14683	(44.06%)	442	0
Total	569	111167	24.58%	3017	62*

*Note: Technology complaints pending beyond 30 days are within the stipulated TAT defined by the regulators (NPCI/RBI)

12. Disclosure of penalties

12.1. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(₹ in Crore)

Description	F.Y. 2025-26		F.Y. 2024-25	
	No. of Instances	Amount	No. of Instances	Amount
Discrepancies in Soiled Notes Remittances	232	0.05	163	0.29
RBI Inspection at Currency Chests	47	0.16	52	0.12
Incognito Visit of Branches by RBI	21	0.03	26	0.03
Delayed/ Wrong Reporting in e-Kuber	01	0.00	02	0.01
ATM Cash Out	05	0.01	14	0.01
Total	306	0.25	257	0.46

12.2 Reserve Bank of India (RBI) vide its letter dated 24.03.2026 imposed a monetary penalty of Rs. 5,00,000/- on the Bank for shortfall of security in SGL account.

12.3 Reserve Bank of India (RBI) has imposed a monetary penalty of Rs.1,61,40,000/- on the Bank for contravention of provisions of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 regarding non transfer of eligible amount to Depositor Education and Awareness Fund within the prescribed period and non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Interest Rate on Advances', 'Kisan Credit Card (KCC) Scheme' and 'Lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector'

13. Cash Flow Statement (AS 3):
Standalone Cash Flow statement for the Year ended March 31, 2026

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2026	31.03.2025
Net Profit as per Profit and Loss Account	12155.65	10918.29
Adjustments for:		
Provision for NPA	1832.61	3444.03
Provision for Investment	59.99	(252.65)
Provision for Standard Assets	1586.92	853.44
Provision for Tax	4248.07	3868.64
Other Provisions and Contingencies	129.98	28.96
Depreciation on Fixed Assets	596.40	532.15
Interest on Capital Instrument	360.03	600.04
Loss/(profit) on Sale of Land, Buildings and Other Assets	(0.22)	(1.69)
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	(2.63)	(2.63)
Income taxes paid	(1502.00)	0.00
Profit before working Capital Changes	19464.80	19988.58
Increase/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(20360.87)	(11812.43)
(Increase) / Decrease in Advances	(85649.64)	(59626.15)
(Increase) / Decrease in Other assets	(820.19)	2209.20
	(106830.70)	(69229.38)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	90572.74	49153.56
Increase / (Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	10184.57	20376.44
Increase / (Decrease) in Other liabilities	5393.60	(2938.17)
	106150.91	66591.83
Net cash generated from operations (A)	18785.01	17351.03
Cash flow from Investing activities		
Dividend income from Subsidiaries and Joint Ventures	2.63	2.63
Purchase of fixed assets	(440.99)	(522.54)
Sale of fixed assets	24.79	191.14
Net cash generated from Investing Activities (B)	(413.57)	(328.77)

Particulars	Year ended	
	31.03.2026	31.03.2025
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(2188.82)	(1616.36)
Redemption of AT 1 Bonds	(2000.00)	0.00
Redemption of Tier 2 Bonds	(3000.00)	(2000.00)
Interest on Capital Instrument	(460.30)	(647.15)
Net cash generated from financing activities (C)	(7649.12)	(4263.51)
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	10722.32	12758.75
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1312.61	1304.15
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	24768.04	31134.61
b) in other deposit accounts	5867.00	264.00
Balances with Banks		
a) in current accounts	133.40	4.20
b) in other deposit accounts	1249.05	1573.60
Money at Call and short notice		
a) with Banks	0.00	1997.07
b) with other institutions	0.00	0.00
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	1638.14	743.35
b) in other deposit accounts	19895.38	5084.58
Money at call and short notice	4.26	3.57
	54867.88	42109.13
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1691.68	1312.61
Balances with Reserve Bank of India		
a) in current accounts	21998.88	24768.04
b) in other deposit accounts	10364.00	5867.00
Balances with Banks		
a) in current accounts	24.81	133.40
b) in other deposit accounts	2808.90	1249.05
Money at Call and short notice		
a) with Banks	0.00	0.00
b) with other institutions	0.00	0.00

Particulars	Year ended	
	31.03.2026	31.03.2025
Balances with Banks outside India		
a) in current accounts	3892.44	1638.14
b) in other deposit accounts	24795.80	19895.38
Money at call and short notice	13.69	4.26
	65590.20	54867.88
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	10722.32	12758.75

Note: 1) Figures of previous periods have been regrouped /reclassified wherever considered necessary to conform to current period classification.

2) The Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2026 has been prepared by Indirect method.

14. Employee Benefits (AS 15)

i. Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2025-26, the Bank has contributed Rs.0.62 crores (previous year Rs.0.84 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2025-26, the Bank has contributed Rs.426.22 crores (previous year Rs.387.42 crores).

ii. Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2026	31/03/2025
Discount Rate -G-Sec Rate	7.59% for Pension and Gratuity- 15 year G-Sec Paper	6.82% for Pension and Gratuity - 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets*	8.00% for Pension and 8.04% for Gratuity	7.95% for Pension and 7.90% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
PVO as at the beginning of the year	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
Interest Cost	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
Current service cost	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
Actuarial loss/ (gain) on obligation	1608.04	1115.23	536.06	498.82	-73.84	227.18
PVO as at the end of the year	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77

(₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
Contributions	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
Benefits paid	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
Actuarial gain/(loss) on plan assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00

(₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Expected return on plan assets	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1690.52	1531.58	219.95	162.98	0.00	0.00

(₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(1608.04)	(1115.23)	(536.06)	(498.82)	73.84	(227.18)
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)

(₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present value of the obligation	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77
Fair value of plan assets	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77

(₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
Interest Cost	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
Expected return on plan assets	(1657.76)	(1529.11)	(193.91)	(162.97)	0.00	0
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1575.28	1112.76	510.02	498.81	(73.84)	227.18
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2831.71	2176.00	723.24	633.74	407.05	617.94

(₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Opening net liability	(579.32)	(710.85)	(172.75)	(64.28)	(1876.77)	(1580.19)
Expense as above	(2831.71)	(2176.00)	(723.24)	(633.74)	(407.05)	(617.94)
Contribution paid	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
Closing net liability	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	(1959.70)	(1876.77)

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2021-26 - Pension	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61	23687.58
Plan Assets	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29	23006.31
Surplus/ (Deficit)	(357.87)	(653.10)	(640.40)	(710.85)	(579.32)	(681.27)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(1542.88)	(1741.31)	(1689.97)	(1010.11)	(1115.23)	1608.04
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(193.89)	12.57	13.28	9.93	2.47	32.76

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2021-26 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49	3348.67
Plan Assets	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74	3190.63
Surplus/ (Deficit)	49.04	19.07	(32.61)	(64.28)	(172.75)	(158.04)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	23.06	(30.26)	(63.18)	(139.12)	(498.82)	(536.06)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01	26.04

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2021-26 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77	1959.70
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Surplus/ (Deficit)	(977.42)	(1004.75)	(1189.46)	(1580.19)	(1876.77)	(1959.70)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	7.62	(77.35)	(187.82)	(328.14)	(227.18)	73.84
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2025-26		2024-25	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	19.24%	12.71%	21.48%	16.81%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	12.47%	6.94%	15.06%	10.26%
Special Deposit Scheme	0.04%	0.02%	0.05%	0.03%
Funds managed by Insurer	68.19%	80.33%	63.34%	72.90%
Equity and Mutual Funds	0.06%	0.00%	0.07%	0.00%
Money Market	-	-	-	-
Total	100%	100%	100%	100%

iii. Other Long Term Employee Benefits

Amount of Rs.33.52 crore (previous year Rs.93.87 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31.03.2026	31.03.2025
1.	Sick Leave	15.85	9.39
2.	Casual Leave	1.54	1.54
3.	Leave Travel Concession	16.13	82.94
Total		33.52	93.87

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

15. Property, Plant and Equipment (AS-10)

15.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2024-25 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs.1510.28 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2025-26, depreciation amounting to Rs. 140.30 Crore (previous year Rs. 107.07 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 133.24 Crore (previous year Rs. 100.21 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account."

15.2 Premises include 8 (7+1*) properties original costing Rs. 8.38 crores (previous year 9 (7+2) properties costing Rs. 8.38 crores) having revalued book value of Rs. 82.80 crores (previous year Rs. 83.77 Crores), net of depreciation at Rs. 0.97 Crore (Previous year Rs.0.79 crore) for which registration formalities are pending.

* Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization.

16. Lease (AS 19)

- A) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- B) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- C) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 499.25 Crore. (Previous year Rs. 456.93 Cr).
- D) **Finance lease**
An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance leases are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2026	As at 31 st March 2025	As at 31 st March 2026	As at 31 st March 2025
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges	0	0	0	0
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

17. Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development (IBTRD) has been set up by the Bank in 22.09.2008 to pay focused attention on Rural Development initiatives. IBTRD sponsors the following institutes across the country in accordance with the guidelines / directives issued by Ministry of Rural Development (Government of India) & Reserve Bank of India (RBI).

- As per the direction of Ministry of Rural Development (MoRD), GoI, our Bank has established 38 Rural Self-Employment Training Institutes (RSETIs) in the name of Indian Bank Self-Employment Training Institutes (INDSETIs) through the Trust to imparting training on skill development and entrepreneurship for promoting self-employment among rural youth. These Institutes are engaged in extending handholding support for the purpose of settlement of trained candidates and facilitating credit linkage through bank branches to enable the candidates to set up entrepreneurial ventures.
- 44 Financial Literacy Centres (FLCs) for imparting awareness on financial literacy at district-level among predominantly rural population. These FLCs are operated in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India and impart awareness to various target groups viz. senior citizens, women, school children, SHG members, farmers, micro & small entrepreneurs, etc. on various aspects of financial literacy viz. modes of operation and benefits of bank accounts, social security schemes, digital banking channels, banking products, cyber-security, etc.

- 142 Centres of Financial Literacy (CFLs) set up in collaboration with RBI-appointed Non-Government Organizations (NGOs) in selected districts as per RBI directives. These CFLs, operating at block-level, are partly funded by RBI / NABARD. The CFLs, which have been established with the objective of exploring innovative and participatory approaches to financial literacy, conduct sessions among various target groups such as women, young adults, working population as well as vulnerable sections of the population on opening of accounts, usage of debit/ATM card, online banking transactions, social security schemes, etc.

The present number of INDSETIs, Financial Literacy Centres (FLCs) and Centres of Financial Literacy (CFLs) sponsored by the Trust pan-India are summarized below:

Particulars	No. of Centres	Candidates Trained / Participants Attended during F.Y.2025-26
INDSETIs	39	42593
FLCs	44	229655
CFLs	142	1558592

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Board of Trustees of IBTRD

PROVISIONAL INCOME AND EXPENDITURE A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026*

(₹ in Crore)

Expenditure		Income	
Operating Expenses for INDSETIs	27.32	Reimbursement of Expenses by Bank towards CSR	21.44
Expenses for FLCs	0.95	Training Cost Reimbursement by various agencies	18.57
Expenses for CFLs	0.55	Miscellaneous crediting on account of adjustment /excess payment	0.32
Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.07		
Excess of Income over Expenditure	11.44		
TOTAL	40.33		40.33

PROVISIONAL RECEIPT AND PAYMENT A/c OF IBTRD FOR THE YEAR ENDED 31.03.2026*

(₹ in Crore)

Receipt		Payment	
Opening Balance in Operational A/c	14.67	Capital Expenses for INDSETIs	6.34
Opening Balance in Infra A/c	6.20	Reimbursements to INDSETIs, FLCs & CFLs	22.48
CSR Contribution from Bank	21.44	Auditor Fees / Miscellaneous Payments	0.07
Direct Income	18.57	CFL (90% Reimbursement)-transferred to Zones	1.49
CFL (90% Reimbursement)	1.49	Prior period expenses	4.90
Interest Received	0.32	Closing Balance in Operational A/c	24.90
		Closing Balance in Infra A/c	2.51
TOTAL	62.69	TOTAL	62.69

* Figures are subject to change on final audit of Trust

18. Legal

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The said remittance of Rs. 100 Crore made by the Bank has been adjusted during F.Y. 2023-24 by debiting the current account and FD account (Rs.84.09 Crore) of M/s Nimbus Communications Ltd. leaving O/s balance as on 31.03.2026 of Rs.15.94 Crore.

The Summary Suit filed by BCCI has been decreed on 08.05.2025 by the Hon'ble High Court of Bombay in favour of BCCI in terms of the said Arbitration Award dated 30.03.2017 and our Bank was directed to Pay 25% of Rs. 386,08,61,880/- (i.e. Rs. 96.52 Crores) along with interest at the rate of 9% per annum from the date of filing of the Statement of Claim, i.e. 18th August, 2012 till date of realization after giving credit to the amount of Rs. 100 Crores deposited with Hon'ble High Court (in pursuance of the order dated 20.12.2012 read with the order dated 24.04.2013) along with costs of Rs.25,00,000/-.

Hence a total provision of Rs. 21.88 Crores is available (for the Claim against the Bank by BCCI a provision available is Rs. 5.94 Crores) (Previous Year Rs. 31.26 Crores- Provision reduction due to reduced decretal amount in Summary Suit from Rs. 406.47 Crores to Rs. 96.52 Crores)

19. Accounting standard-17 "Segment Reporting"

1. Segment Identification

I. Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*
- Other Banking Business.

* Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT.REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking –

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking Business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. **Domestic Operations** - Branches/Offices having operations in India
- ii. **Foreign Operations** - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

(₹ in Crore)

Part A Business Segment	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	18739.55	17176.79	25027.09	23857.74	32213.67	29125.71	2.52	1.30	32211.15	29124.41	1460.98	1065.40	77441.29	71225.64
Result	6348.84	6136.63	5503.98	5427.66	6758.35	6519.33	1.20	0.26	6757.15	6519.07	1304.93	914.58	19916.10	18998.20
Unallocated expenses													3512.38	4211.27
Operating profit													16403.72	14786.93
Other unallocable income													0.00	0.00
Income Taxes													4248.07	3868.64
Exceptional item													0.00	0.00
Net Profit													12155.65	10918.29
Other information													0.00	0.00
Segment Assets	294517.21	264753.70	304457.62	272792.42	383509.48	330784.34	43.20	23.85	383466.28	330760.49	0.00	0.00	982484.31	868330.46
Unallocated assets													5468.52	5080.20
Total assets													987952.83	873410.66
Segment Liabilities	271177.92	243744.04	280330.59	251144.84	353117.91	304534.78	42.00	23.59	353075.91	304511.19	0.00	0.00	904626.42	799423.66
Unallocated liabilities													5035.16	4677.06
Capital reserves & Surplus													78291.25	69309.94
Total Liabilities													987952.83	873410.66

Part B Geographic Segments

	Domestic		International		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	74938.06	68793.11	2503.23	2432.53	77441.29	71225.64
Assets	934752.40	828537.29	53200.43	44873.37	987952.83	873410.66

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Previous year figures were re-grouped wherever necessary

20. Related Party Disclosures (AS 18):
Name of the Related Parties and their relationship with the Bank
20.1 SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a)	Indbank Merchant Banking Services Ltd.	India	11.08.1989	64.84%	M/s Anand & Ponnappan	12.09.2025
b)	Ind Bank Housing Ltd.	India	28.01.1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	12.09.2025
c)	Indbank Global Support Services Limited	India	09.02.2024	100.00%	M/s Suri & Siva	12.09.2025

20.2 ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a)	Tamilnadu Grama Bank	35%
b)	Saptagiri Grameena Bank*	35%
c)	Puducherry Grama Bank^	35%

* In respect of associate Saptagiri Grameena Bank (SGB), Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 para S.O.1635(E) has notified amalgamation of SGB with Andhra Pradesh Grameena Bank. Accordingly, SGB (sponsored by Indian Bank) amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank sponsored by Union Bank of India (UBI) with effect from 1st May 2025.

^ Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-24102025-267093 dated 24.10.2025 para S.O.4832(E) has renamed Pudukai Bharathiar Grama bank to Puducherry Grama Bank.

20.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

(₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52%	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26%	37.50

20.4.1 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri Binod Kumar	Managing Director & Chief Executive Officer	16.01.2025
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024
Ms. Mini T M	Executive Director	24.11.2025

20.4.2 The details of cessation of directorship during FY 2025-26 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	01.07.2025	Completion of term of appointment
2.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	28.11.2025	Resignation

20.5 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1.	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	250
2.	Shri Bhupinder Singh Bhalla	Shareholder Director	150

20.6 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹382.32 lakhs (Previous- Year ₹314.07 lakhs)

Details	2025-26	2024-25
Shri Binod Kumar, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹ 52.50 lakhs	₹ 8.68 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 30.06.2025)	₹58.62 lakhs	₹ 56.11 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹ 85.95 lakhs	₹ 61.62 lakhs
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹ 79.96 lakhs	₹ 46.23 lakhs
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹ 73.36 lakhs	₹ 36.90 lakhs
Ms. Mini T M, Executive Director Salary & Emoluments Paid (24.11.2025 to 31.03.2026)	₹ 15.93 lakhs	-
Shri Shanti Lal Jain, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid	₹ 16.00** lakhs	₹ 84.38* lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	-	₹ 17.06 lakhs
Shri Ashwani Kumar^^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	-	₹ 3.09 lakhs

* Including encashment of leave, Gratuity, PF and Pension Commutation

** Including PLI and Other allowances

^ Executive Director upto 09.03.2024, Incentive/ Other allowances

^^ Executive Director upto 01.06.2023, Incentive/ Other allowances

20.7 Other disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ in Crore)

Items/Related Party	Joint Ventures
Rendering of services (to Parent by JV)	1.70
Receiving of services (by JV from Parent)	18.89

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State-controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

21. Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2025-26	2024-25
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	12155.65	10918.29
Number of Equity Shares	1346963981	1346963981
Weighted Number of equity shares	1346963981	1346963981
Basic Earnings Per Share (in ₹)	90.24	81.06
Diluted earnings per share (in ₹)	90.24	81.06
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

22. Accounting for taxes on income (AS 22):

- a) Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs.4608.53 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs.14.18 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs.27.86 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b) Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs.5468.52 Crore (Previous year net DTA of Rs.5080.20 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs.1370.40 Crore (Previous year Rs.1243.51Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs.6838.92 Crore (Previous Year Rs.6323.71 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	551.09	521.69
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	214.39	145.89
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	2100.51	1694.40
6	Depreciation on Fixed Assets	108.48	97.28
	Total DTA	6838.92	6323.71
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	958.73	831.84
	Total DTL	1370.40	1243.51
	Net DTA/(DTL)	5468.52	5080.20

c) Provision for Income Tax for the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	4248.07	3868.64

The disputed income tax demand paid by the Bank/ adjusted by the department for various earlier assessment years have been shown under the head "Contingent liabilities relating to Income Tax" of Rs.10512.11 crore (previous year Rs. 10,522.44 Crores) as at 31.03.2026. No provision has been considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

23. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs. in Crore)
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26 %	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(₹ in Crore)

Particular	31.03.2026	31.03.2025
Liabilities		
Capital & Reserves	625.91	561.82
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	114.08	44.38
Other Liabilities & Provisions	1753.18	1389.20
TOTAL	2493.17	1995.40
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.36	0.00
Balances with Banks and money at call and short notice	68.59	46.00
Investments	1972.46	1554.88
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	25.62	25.44
Other Assets	426.14	369.08
TOTAL	2493.17	1995.40
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	68.95	61.57
Income		
Interest earned	9.51	10.06
Other Income	868.55	799.74
TOTAL	878.06	809.80

Particular	31.03.2026	31.03.2025
Expenditure		
Interest expended	6.62	3.59
Operating expenses	779.57	714.93
Provisions & Contingencies	25.16	22.59
TOTAL	811.35	741.11
Profit	66.71	68.69

24. Impairment of Assets (AS-28):

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

25. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2025	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2026
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	230.23	42.70	11.21	261.72

26. Other Disclosures
a) Business ratios

	Particular	2025-26	2024-25
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds ¹	7.25	7.51
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds ¹	1.07	1.12
iii)	Cost of Deposits (%)	4.97	5.12
iv)	Net Interest Margin (%) ²	3.24	3.41
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds ¹	2.14	2.30
vi)	Return on Assets(%) ³	1.31	1.32
vii)	Business (deposits plus advances) per employee ⁴ (in ₹ crore)	36.41	32.42
viii)	Profit per employee (in ₹ crore)	0.30	0.27

¹ Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs., during the 12 months of the financial year.

² Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

³ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

⁴ For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

b) Bancassurance Business

During the F.Y. 2025-26, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.195.39 Crore (previous year Rs.180.58 Crore) on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2025-26	2024-25
1	For Selling Life Insurance Policies	156.14	144.30
2	For Selling Non-life insurance policies	34.51	31.88
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.74	4.40
	Total	195.39	180.58

c) Marketing and distribution

The Bank does not undertake marketing and/or distribution of any product of other entities (other than products under Bancassurance Business). Therefore, the Bank has not earned any fees/remuneration from the stated activities.

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year:

(₹ in Crore)

Sl. No.	PSLC Category	Purchase Position		Sale Position	
		No. of Units	Amount	No. of Units	Amount
1	PSLC AGRICULTURE	-	-	70800	17700.00
2	PSLC SMALL AND MARGINAL FARMER	-	-	148400	37100.00
3	PSLC GENERAL	-	-	-	-
4	PSLC MICRO	18000	4500.00	24330	6082.50
	Total	18000	4500.00	243530	60882.50

e) Provisions and contingencies

(₹ in Crore)

Provision debited to Profit and Loss Account		2025-26	2024-25
i)	Provisions for NPI	(37.11)	(115.16)
ii)	Provision towards NPA	1832.61	3444.03
iii)	Provision made towards Income tax	4248.07	3868.64
iv)	Other Provisions and Contingencies (with details)		
	a. Standard Advances	1586.92*	853.44*
	b. Restructured Advances	(38.85)	(66.88)
	c. Others	168.82	95.84
TOTAL		7760.46	8079.91

* For the FY 2025-26, the Bank has made incremental provision Rs. 1684.47Crores (net) (previous year Rs. 1074.94 Crores) (net) on Standard Assets over and above the minimum regulatory requirement. The additional provision includes provision of Rs. 308.40 Crores for West Asia Crisis.

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

- i) As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018
- ii) RBI also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly, proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.
- iii) Subsequently, RBI advised that Banks shall submit Ind AS proforma financial statement for every quarter starting from quarter ending 30th June 2018 onwards. The same has been duly complied with.
- iv) From F.Y. 2021-22 onwards, RBI advised to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. The same has been complied with. The Audit Committee of the Board and Board of Directors have been periodically apprised the progress in this regard.
- v) As per RBI notification DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019, implementation of Ind AS in Banks has been deferred till further notice. However, submission of proforma Ind AS financials to RBI has been continued and the Bank is complying with the same.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1011.77*	820.06
ii)	Arrears in payment of DICGC Premium	0.00	0.00

*This amount includes additional premium and interest amounting to Rs.88.54 crore for F.Y. 2024-25

Deposit insurance premium as applicable was paid to DICGC within the prescribed timelines.

- h) During the year ended March 31, 2026, the Bank has raised Long Term Infrastructure Bond Series III of Rs. 5000 Crore with tenor of 10 years at an annual coupon of 7.15% p.a. on 24.03.2026.

i) a) Items included in Miscellaneous income which exceeds 1% of total income

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Recovery from bad debts	2335.31	2547.61
PSLC Income	1285.54	843.19
Processing Charges	804.71	678.87*

* Processing charges income does not exceed 1% of total income during 2024-25.

b) Items included in Schedule 5(IV)-Other Liabilities and Provisions - "Others (including provisions)" which exceeds 1% of total assets

(₹ in Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Provision for Standard Assets	10574.39	8883.20

Note:

- None of the item under the subhead "Other expenditure" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeds one per cent of total income.
- None of the item under the Schedule 11(VI)-Other Assets- "Others" exceeds one per cent of the total assets.

j) Portfolio - level information on the use of funds raised from green deposits

(₹ in Crore)

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative
Total green deposits raised (A)	493.46	9.25	502.71
Use of green deposit funds			
1) Renewable Energy	-	9.25	9.25
2) Energy Efficiency	-	-	-
3) Clean Transportation (Electric Vehicle Finance)	493.46	-	493.46
4) Climate Change Adaptation	-	-	-
5) Sustainable Water and Waste Management	-		
6) Pollution Prevention and Control	-		
7) Green Buildings	-		
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-		
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-		
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	493.46	9.25	502.71
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	-	-	-
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	-	-	-

k) Reconciliation and Adjustments

- Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2026 except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2026, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs. 263.79 Crore (Previous Year 2024-25 Rs. 263.79 Crore)
- Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.
- Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

l) Write-off of 3 old pending Nostro Debit Entries

- During the F.Y. 2025-26, the Bank after obtaining RBI permission, has written off 3 Old Nostro Debit entries (USD 3700; INR Rs.3,48,799.00), (USD 5000; INR Rs.4,71,350.00), (EUR 4800; INR Rs.5,24,256.00) Totalling INR Rs.1344405.00 against 100% provision held in the books.

m) Dividend

- Dividend of Rs. 18.25 per equity share i.e. 182.50 % to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2025-26.

n) As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

o) Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Indian Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of:

- i) The Corporate Office and its Departments, Treasury Branch, GIFT CITY Branch and 20 Indian Branches audited by us;
- ii) 2103 Indian Branches and Offices audited by respective Statutory Branch Auditors and
- iii) 3 Foreign Branches audited by respective local auditors;

The Indian branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also, incorporated in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 4444 Indian branches/offices which have not been subjected to Audit. These unaudited branches account for 21.69% of Advances, 48.01% of Deposits, 17.25% of Interest income and 42.71% of Interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
- a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;
 - b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
 - c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How the Key Audit Matter was addressed in our Audit
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances The net advances of the Bank constitute 66.29% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non-performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non-performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc. in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.
2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments • Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular,

	- Investments constitute 24.76% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

Other Matters

5. a. We did not audit the financial statements / information of 2106 branches (including 3 foreign branches) included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3,54,715.47 crores as at 31st March 2026 and total revenue of Rs. 23,472.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 43.93 % of advances, 44.50% of deposits and 53.28% of Non-performing assets as at 31st March 2026 and 30.31% of revenue for the year ended 31st March 2026. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
- b. The Standalone Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2025 were audited by the joint auditors, two of them was predecessor audit firms and they have expressed unmodified opinion on such Standalone Financial Statements vide report dated 03.05.2025.

Our opinion is not modified in respect of above matters

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The standalone Balance Sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in **paragraphs 5, 7 & 8** above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act 2013 do not apply to the Bank.
- There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements as at 31st March 2026.

11. We further report that:

- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- The standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP

Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR

Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 26026819PTTVB8753

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA

Partner
(M. No. 547754)

UDIN: 26547754ZPXJQP3757

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG

Partner
(M. No. 413012)

UDIN: 26413012PZLCOI3549

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS LLP

Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA

Partner
(M. No. 406020)

UDIN: 26406020ZABRGR7525

For M/S. BHATIA & BHATIA

Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA

Partner
(M. No. 017572)

UDIN: 26017572QLZPCB5124

Place of Signature: Chennai

Date of Report : 29th April, 2026

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of Indian Bank as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance

that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and Board of Directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2103 Indian branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 26026819PTTVB8753

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)
UDIN: 26547754ZPXJQP3757

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)
UDIN: 26413012PZLCOI3549

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)
UDIN: 26406020ZABRGR7525

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)
UDIN: 26017572QLZPCB5124

Place of Signature: Chennai

Date of Report : 29th April, 2026



इंडियन बैंक



Indian Bank



SKIP THE QUEUE. GO DIGITAL.

USE



INDSMART



*T&C Apply

Enjoy **300+** features

Download the App Now!



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



₹ IND RUPEE GAIN

*T&C Apply

An unique deposit scheme designed to maximize your returns in rupees.



Higher yield than regular FDs



100% Tax – free benefits in India



Scan to know more

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2026

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	As on 31.03.2026 (Audited)	As on 31.03.2025 (Audited)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	1346.96	1346.96
Reserves and Surplus	2	78695.92	70165.95
Minority Interest	2A	34.72	32.23
Deposits	3	827654.01	737098.32
Borrowings	4	46806.57	41552.30
Other Liabilities & Provisions	5	37014.61	26842.84
TOTAL		991552.79	877038.60
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	34054.92	31947.65
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	31644.77	23013.75
Investments	8	247682.04	228420.86
Advances	9	654888.23	571071.18
Fixed Assets	10	8676.81	8857.33
Other Assets	11	14606.02	13727.83
TOTAL		991552.79	877038.60
Contingent Liabilities	12	256036.64	280758.37
Bills for Collection		10282.55	14159.47

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

MINI T M
Executive Director

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BHUPINDER SINGH BHALLA
Shareholder Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 26026819VETGSV9173

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)

UDIN: 26547754JLGRYQ1581

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)

UDIN: 26413012PMGXXL7291

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)

UDIN: 26406020NBAEOW9545

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)

UDIN: 26017572KDFJDR3918

Date: 29.04.2026

Place: Chennai

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ in Crore)

Particulars	Sch. No.	Y. E. 31.03.2026 (Audited)	Y. E. 31.03.2025 (Audited)
I. INCOME			
Interest earned	13	67504.09	62039.43
Other Income	14	10828.61	10011.45
TOTAL		78332.70	72050.88
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	40538.66	36826.25
Operating Expenses	16	17777.86	16123.15
Provisions & Contingencies		7789.19	8106.61
TOTAL		66105.71	61056.01
III. Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to group		12226.99	10994.87
Share of earnings in Associates		-520.22	269.52
Consolidated Profit/ (loss) for the period before deducting minorities' interest		11706.77	11264.39
Less: Minority Interest		2.49	2.92
Consolidated Profit/ (loss) for the period attributable to the group		11704.28	11261.47
Profit / (Loss) Brought forward		2284.22	1918.42
TOTAL		13988.50	13179.89
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to:			
Statutory Reserves		3038.92	2729.58
Capital Reserves		43.32	0.72
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		504.19	467.34
Investment Fluctuation Reserve		0.00	199.21
Revenue Reserves		6050.00	5250.00
Staff Welfare Fund		50.00	60.00
Investment Reserve		0.00	0.00
Equity Dividend		2458.21	2188.82
Balance carried over to Consolidated Balance Sheet		1843.86	2284.22
TOTAL APPROPRIATIONS		13988.50	13179.89
Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)		86.89	83.61

BINOD KUMAR
Managing Director & CEO

MINI T M
Executive Director

BRAJESH KUMAR SINGH
Executive Director

SHIV BAJRANG SINGH
Executive Director

ASHUTOSH CHOUDHURY
Executive Director

DIRECTORS

ALOK PANDE
Government Nominee Director

K NIKHILA
RBI Nominee Director

SANJEEV MAHESHWARI
Shareholder Director

BHUPINDER SINGH BHALLA
Shareholder Director

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)
UDIN: 26026819VETGSV9173

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)
UDIN: 26547754JLGRYQ1581

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)
UDIN: 26413012PMGXXL7291

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS LLP
Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)
UDIN: 26406020NBAEOW9545

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)
UDIN: 26017572KDFJDR3918

Date: 29.04.2026

Place: Chennai

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Authorised Capital		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. Issued, Subscribed and Paid up:		
a) 99,45,49,600 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y. 99,45,49,600 Equity Shares of Rs.10 each)	994.55	994.55
b) 35,24,14,381 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 35,24,14,381 Equity Shares of Rs.10 each)	352.41	352.41
TOTAL	1346.96	1346.96

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. STATUTORY RESERVES		
a) Opening Balance	15701.71	12972.13
b) Additions during the period	3038.92	2729.58
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL I	18740.64	15701.71
II. CAPITAL RESERVES		
A) Revaluation Reserve		
a) Opening Balance	7200.78	5975.19
b) Additions during the period	0.00	1510.28
c) Deductions during the period	133.25	284.69
TOTAL (A)	7067.53	7200.78
B) Others		
a) Opening Balance	1111.60	1111.16
b) Additions during the period	43.32	0.72
c) Deductions during the period	0.00	0.28
TOTAL (B)	1154.92	1111.60
TOTAL II (A + B)	8222.45	8312.38
III. SHARE PREMIUM		
a) Opening Balance	6290.02	6290.02
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL III	6290.02	6290.02
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
A) Revenue Reserve		
a) Opening Balance	26719.15	21398.09
b) Additions during the period	6050.20	5250.00
c) Tfrd from Revaluation Reserve	133.24	284.69
d) Deductions during the period	0.00	213.63
TOTAL (A)	32902.60	26719.15
B) Special Reserve U/S 36(1)(viii) of IT Act		
a) Opening Balance	3310.99	2843.65
b) Additions during the period	504.19	467.34
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (B)	3815.18	3310.99
C) Special Reserve U/S 36(1)(viii a) of IT Act		
a) Opening Balance	58.20	58.20
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (C)	58.20	58.20

D) Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening Balance	2000.00	1360.01
b) Additions during the period	0.00	639.99
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (D)	2000.00	2000.00
E) Investment Reserve		
a) Opening Balance	0.00	440.78
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	440.78
TOTAL (E)	0.00	0.00
F) Foreign Currency Translation Reserve		
a) Opening Balance	583.26	524.77
b) Additions during the period	272.15	58.49
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (F)	855.41	583.26
G) IRS Reserve		
a) Opening Balance	1.91	1.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL (G)	1.91	1.91
TOTAL IV (A + B + C + D+ E + F + G)	39633.30	32673.51
V. AMALGAMATION RESERVE		
a) Opening Balance	4006.91	4006.91
b) Additions during the period	0.00	0.00
c) Deductions during the period	0.00	0.00
TOTAL V	4006.91	4006.91
VI. AFS RESERVE		
a) Opening Balance	897.20	0.00
b) Additions during the period	0.00	897.20
c) Deductions during the period	938.47	0.00
TOTAL VI	-41.27	897.20
VII.PROFIT & LOSS ACCOUNT		
a) Opening Balance	2284.22	1918.42
b) Additions during the period	11704.28	11261.47
c) Deductions during the period	12144.64	10895.67
TOTAL VII	1843.86	2284.22
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	78695.92	70165.95

SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
Subsequent increase/(decrease)	31.45	28.96
Minority interest on the date of balance sheet	34.72	32.23

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	112.33	179.18
ii) From others	44332.49	39442.50
TOTAL	44444.82	39621.68

II. SAVINGS BANK DEPOSITS	269097.92	243223.14
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	30271.71	25875.83
ii) From others	483839.56	428377.67
TOTAL	514111.27	454253.50
TOTAL A (I+II+III)	827654.01	737098.32
B. (I) Deposits of branches in India	789210.99	702910.44
(II) Deposits of branches outside India	38443.02	34187.88
TOTAL B (I+II)	827654.01	737098.32

Out of Total Deposits, deposits against which lien is marked amounts to Rs. 57951.16 Cr (P.Y. - Rs.48567.03 Cr).

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	10000.00	8178.00
ii) Other Banks	6259.23	0.85
iii) Other Institutions and Agencies*	25798.73	31870.61
TOTAL	42057.96	40049.46
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	4748.61	1502.84
TOTAL (I+II)	46806.57	41552.30
Secured Borrowing included above	19127.98	23045.00

* Includes AT-1 Capital - Perpetual Debt Instrument - Rs. NIL (PY Rs. 2000 Cr) and Tier II Capital - Subordinated Debt of Rs. 1000 Cr (PY Rs. 4000 Cr).

** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Bills Payable	1880.33	1995.02
II. Inter-Office adjustments (Net)	0.00	0.00
III. Interest Accrued	1884.24	1776.63
IV. Others (including Provisions)*	33250.04	23071.19
TOTAL (I+II+III+IV)	37014.61	26842.84

*Includes Contingent provisions against Standard Assets of Rs. 10574.39 Cr (PY Rs. 8883.20 Cr)

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA (₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Cash in hand (including foreign currency notes)	1692.04	1312.61
II. Balances with Reserve Bank of India:	32362.88	30635.04
(i) in Current Accounts	21998.88	24768.04
(ii) in Other Deposit Accounts	10364.00	5867.00
TOTAL (I+II)	34054.92	31947.65

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. IN INDIA		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	49.62	139.29
b) in Other Deposit Accounts	2893.23	1336.69
TOTAL (i)	2942.85	1475.98
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)		
a) With Banks	0.00	0.00
b) With Other Institutions	0.00	0.00
TOTAL (ii)	0.00	0.00
TOTAL I (i+ii)	2942.85	1475.98
II. OUTSIDE INDIA		
i) in Current Accounts	3892.44	1638.14
ii) in Other Deposit Accounts	24795.80	19895.37
iii) Money at Call and Short Notice	13.68	4.26
TOTAL II (i+ii+iii)	28701.92	21537.77
GRAND TOTAL (I+II)	31644.77	23013.75

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. INVESTMENTS IN INDIA		
Gross Investments	245545.37	226521.68
Less : Provision for Depreciation & NPI	503.04	600.20
Net Investments	245042.33	225921.48
i) Government securities	214445.04	197083.95
ii) Other approved securities	87.76	64.31
iii) Shares	1619.82	1366.09
iv) Debentures and Bonds	17177.58	16572.54
v) Investment in Associates	1291.34	1817.78
vi) Others (Certificate of Deposits, Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	10420.79	9016.81
TOTAL	245042.33	225921.48

II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
Gross Investments	2790.83	2635.17
Less : Provision for Depreciation & NPI	151.12	135.79
Net Investments	2639.71	2499.38
i) Government securities (including local authorities)	2638.75	2498.67
ii) Investments in Associates	0.00	0.00
iii) Other investments		
a) Shares	0.96	0.71
b) Debt Securities	0.00	0.00
TOTAL	2639.71	2499.38
NET GRAND TOTAL (I+II)	247682.04	228420.86

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
A. i) Bills purchased and discounted	6080.06	4243.20
ii) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	355749.53	294077.39
iii) Term Loans	293058.64	272750.59
TOTAL (A)	654888.23	571071.18
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	517287.31	436378.06
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	33474.70	64082.89
iii) Unsecured	104126.22	70610.23
TOTAL (B)	654888.23	571071.18
C. I. ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector [#]	260615.07	220040.52
ii) Public Sector	82558.02	74627.61
iii) Banks	0.00	0.00
iv) Others	262285.68	234695.70
TOTAL (C.I)	605458.77	529363.83
C. II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i) Due from Banks	28795.10	27439.64
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased & discounted	2849.68	2203.84
b) Syndicated Loans	12250.81	7312.80
c) Others	5533.87	4751.07
TOTAL (C.II)	49429.46	41707.35
GRAND TOTAL (C.I+C.II)	654888.23	571071.18

[#]RIDF is not included

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. PREMISES (Incl. Revalued Premises)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	8611.45	7462.97
Additions/Adjustments during the period	11.15	1332.08
Sub-Total	8622.60	8795.05
Deductions during the period	0.00	183.61
Sub-Total	8622.60	8611.44
Depreciation to date	1756.65	1664.53
TOTAL	6865.95	6946.91
II. LEASED ASSETS		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	704.23	523.44
Additions/Adjustments during the period	0.09	181.14
Sub-Total	704.32	704.58
Deductions during the period	0.35	0.35
Sub-Total	703.97	704.23
Depreciation to date	180.96	123.87
TOTAL	523.01	580.36
III. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	32.24	28.11
IV. OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	6129.61	5670.93
Additions/Adjustments during the period	438.89	523.20
Sub-Total	6568.50	6194.13
Deductions during the period	98.25	64.52
Sub-Total	6470.25	6129.61
Depreciation to date	5217.45	4830.61
TOTAL	1252.80	1299.00
V. CAPITAL WORK IN PROGRESS	2.81	2.95
TOTAL (I+II+III+IV+V)	8676.81	8857.33

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Inter Office Adjustment (net)	246.16	128.04
II. Interest accrued	5353.81	4761.83
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net)	0.00	0.00
IV. Stationery and Stamps	5.96	6.74
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	39.78	51.38
VI. Deferred Tax assets (Net)	5487.13	5101.44
VII. Others*	3473.18	3678.40
TOTAL	14606.02	13727.83
*Includes RIDF/SIDBI/RHDF/NHB Deposits held under HTM Category	269.57	389.24

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	2330.63	2221.58
II. Liability for partly paid Investments	210.00	264.12
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	198813.09	229350.45
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
a) In India	28151.99	26618.50
b) Outside India	273.17	194.57
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	11151.33	7365.86
VI. Other items for which the bank is contingently liable	15106.43	14743.29
TOTAL	256036.64	280758.37

*Contingent Liability has been considered net of margin.

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Interest/Discount on Advances/Bills	48853.54	44856.39
II. Income on Investments	16116.88	15347.78
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	1652.53	1589.50
IV. Others	881.14	245.76
TOTAL	67504.09	62039.43

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Commission, Exchange and Brokerage	1842.68	1735.73
II. Profit on sale of Investments	1251.06	1064.80
Less: Loss on sale of Investments	246.23	144.26
Net	1004.83	920.54
III. Profit on Revaluation of Investments	0.02	138.85
Less: Loss on Revaluation of Investments	105.52	5.91
Net	(105.50)	132.94
IV. Profit on sale of Land, Buildings and other assets*	1.78	2.96
Less: Loss on sale of Land, Buildings and other assets*	1.52	1.26
Net	0.26	1.70
V. Profit on Exchange transactions (Net)	702.85	369.05
VI. Lease finance/ Hire Purchase income	0.00	0.00
VII. Miscellaneous Income	7383.49	6851.49
TOTAL	10828.61	10011.45

*Amount relates to Safe, Furniture, Vehicle & Machinery

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Interest on deposits	37480.75	34698.86
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	748.64	361.72
III. Others	2309.27	1765.67
TOTAL	40538.66	36826.25

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in Crore)

Particulars	Y. E. 31.03.2026	Y. E. 31.03.2025
I. Payments to and provisions for employees	10880.32	9974.61
II. Rent, Taxes and Lighting	708.99	679.05
III. Printing and Stationery	99.72	98.70
IV. Advertisement and Publicity	43.64	46.78
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	608.86	542.94
(b) Depreciation on Leased Assets	0.00	0.00
VI. Directors' fees, allowances and expenses	3.30	2.47
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	57.75	49.33
VIII. Law charges	43.09	38.60
IX. Postage, Telegrams and Telephones	149.81	131.64
X. Repairs and Maintenance	280.32	274.02
XI. Insurance	1150.58	930.96
XII. Other Expenditure	3751.48	3354.05
TOTAL	17777.86	16123.15

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Actual Results may differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE :

- a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries, its Joint Ventures) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited /unaudited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd., (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd., (3) Indbank Global Support Services Ltd., its Joint Venture viz. (1) Universal Sompco General Insurance Co. Ltd., (2) ASREC (India) Limited after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments except wherever otherwise stated in accordance with accounting standard 21 "Consolidated Financial Statements" &

accounting standard 27 "Financial Reporting of interest in joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the subsidiaries and Joint Ventures are drawn up to the same reporting date of the parent.

- b. The Subsidiaries, Joint Ventures and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.
 - c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post-acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.
 - d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.
 - e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.
- #### 4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:
- ##### PARENT:
- 4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations:

- a) Foreign exchange transactions are recorded at the exchange rate prevailing at the business day closing for daily revaluation purpose. The rate used is closing rate of domestic forex market.
- b) Foreign currency assets and liabilities are translated at the Weekly Average Rates notified by FEDAI every Weekend.
- c) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing/Revaluation rates notified by FEDAI at every Month/Quarter/Year end.
- d) Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the Month/Quarter/Year end.
- e) Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the respective Quarter/Year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
- f) Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations:

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

- a) Assets and liabilities, including contingent liabilities are translated at the closing exchange rates published by FEDAI at Balance Sheet date. If FEDAI rate is not available for any specific currency, exchange rate is arrived at local cross currency rate based on industry practice as followed.
- b) Income and expenses are translated at Quarterly Average Closing rate published by FEDAI at each quarter end. If FEDAI rate is not available for any specific currency, exchange rate is arrived at local cross currency rate based on Industry Practice as followed.

- c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5. INVESTMENTS

PARENT:

5.1 Categorization of Investments

Bank shall classify the entire investment portfolio (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS), Fair Value through Profit and Loss (FVTPL).

Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. The category of the investment shall be decided by the bank before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented. All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). All the investments will be classified in the following category:

- (i) Held to Maturity (HTM)
- (ii) Available for Sale (AFS)
- (iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
 - (i) Held for Trading (HFT)
- (iv) Subsidiaries, associates and joint ventures (SAJV)

Bank shall continue to present the investments in the Balance Sheet as set out in The Third Schedule to the BR Act (Form A, Schedule 8 - Investments) as under:

- (i) Government securities
- (ii) Other approved securities
- (iii) Shares
- (iv) Debentures & Bonds
- (v) Subsidiaries and/or joint ventures
- (vi) Others (to be specified)

Held to Maturity (HTM):

- (a) Bank shall classify securities under HTM only if the following conditions are met:
 - (i) The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and

- (ii) The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.
- (b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:
 - (i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
 - (ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
 - (iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.
 - (iv) Preference shares and Equity shares
- (c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:
 - (i) The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
 - (ii) The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
 - (iii) The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

Available for Sale (AFS):

- (a) The bank shall classify securities under AFS only if the following conditions are met
 - (i) The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
 - (ii) The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' as given in RBI Circular-

Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.

Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading.

- (b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

FVTPL

- (a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:
 - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
 - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
 - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
 - (iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

HFT

Bank shall create a separate sub-category called HFT within FVTPL. Bank shall comply with the requirements specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025** for classifying investments under HFT. Details in Annexure 1

Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category

for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

5.2 INITIAL RECOGNITION

5.2.1 Investments shall be measured at fair value on initial recognition. Provided that Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption shall be tested include where:

- (a) The transaction is between related parties.
- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

5.2.2 In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

5.2.3 Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognized in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

5.2.4 Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognized immediately.

5.2.5 Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

5.3 SUBSEQUENT MEASUREMENT

5.3.1 HTM

- (a) (a)Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**
- (b) Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8:'Investments'.

5.3.2 AFS

- (a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8:'Investments'.
- (b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS- Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- (c) Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**
- (d) The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1 subject to clause 28 of these Directions. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

- (e) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS- Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- (f) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

5.3.3 FVTPL

- (a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- (c) Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**

5.3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint ventures

- (a) All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost, subject to the requirements as per RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**
- (b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures shall be amortised over the remaining life

of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

- (c) In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:
 - i. Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
 - ii. Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.
 - iii. Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under
 - i. Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
 - ii. Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.
- (e) Any gain/ profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital

Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

- (f) Bank shall evaluate investments in subsidiaries, associates or joint ventures for impairment at least on a quarterly, if not more frequent basis. A non-exhaustive list of indicators of potential impairment is as under:
- The entity has defaulted in repayment of its debt obligations.
 - The loan amount of the entity with any bank has been restructured.
 - The credit rating of the entity has been downgraded to below investment grade.
 - The entity has incurred losses for a continuous period of three years and the net worth has consequently reduced by 25 per cent or more.
 - There is a significant decline in the fair value vis-à-vis the carrying value for a period of six months or more. For the purpose of this sub-clause the term significant shall be interpreted as at least 20 per cent. Bank, with the approval of their Boards, may apply even more conservative thresholds.
 - Any or all of the entity's outstanding securities have been delisted, are in the process of being delisted, or are under threat of being delisted from an exchange due to noncompliance with the listing requirements or for financial reasons.
 - In the case of a new entity/ project where the originally projected date of achieving the breakeven point has been extended i.e., the entity/ project has not achieved break-even within the gestation period as originally envisaged.
- (g) When the need to determine whether impairment has occurred arises in respect of a subsidiary, associate or joint venture, the bank shall obtain a valuation of the investment by an independent registered valuer and make provision for the impairment, if any. Such diminution shall be provided by recognising it as an expense in the Profit and Loss Account. It may be subsequently reversed through Profit and Loss Account, if there is a reversal of the diminution.

5.4 RECLASSIFICATION BETWEEN CATEGORIES

- Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.
- The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.
- When a bank reclassifies investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as given in the table below. The bank shall disclose the details of such reclassification including the reclassification adjustments in the notes to the financial statements

S. No	From	To	Accounting Treatment
a	HTM	AFS	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and the previous carrying value shall be recognised in AFS-Reserve.
b	HTM	FVTPL	The fair value measured at the reclassification date shall be the revised carrying value. Any gain or loss arising from a difference between the revised carrying value and previous carrying value of the investments shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item (III): 'Profit on revaluation of Investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
c	AFS	HTM	The investments are reclassified at its fair value at the reclassification date. However, the cumulative gain/loss previously recognized in the AFS-Reserve shall be withdrawn there from and adjusted against the fair value of the investments at the reclassification date to arrive at the revised carrying value. Thus, the revised carrying value shall be the same as if the bank had classified the investment in HTM ab initio itself.

D	AFS	FVTPL	The investments shall continue to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognised in AFS- Reserve shall be withdrawn therefrom and recognized in the Profit and Loss Account, under Item (III): 'Profit on revaluation of investments' under Schedule 14: 'Other Income'.
E	FVTPL	HTM	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.
F	FVTPL	AFS	The carrying amount representing the fair value at the reclassification date remains unchanged.

5.5 SALE OF INVESTMENTS FROM HTM

- (a) Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM shall be disclosed in the notes to accounts of the financial statements in the format specified in RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025**.
- (b) In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.
- (c) Sales of securities in the situations given below shall be excluded from the regulatory limit of five per cent prescribed in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025
- Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
 - Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.
 - Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.
 - Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.

- Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
- Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

- (d) Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investments in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

5.6 FAIR VALUE OF INVESTMENTS

The fair value for the purpose of initial recognition and periodical valuation of investments as required by these Directions shall be determined as per the valuation norms laid down in this Chapter.

5.6.1 Quoted Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL) in accordance with RBI circular FMRD. DIRD.7/14.03.025/2017-18 dated March 31, 2018, as amended from time to time. For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

5.6.2 Unquoted SLR Securities

- Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices/ YTM rates published by the FBIL.
- Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

5.6.3 Unquoted Non-SLR Securities

I. Unquoted debentures & Bonds

- a) Unquoted debentures and bonds shall be valued by applying the appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL/ FIMMDA, subject to the following:
 - i. The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures/ bonds by the credit rating agencies and shall be subject to the following:
 - The mark up shall be at least 50 basis points above the rate applicable to a Central Government security of equivalent maturity for rated debentures/ bonds.
 - The mark-up for unrated debentures or bonds shall not be less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity.
 - Provided that the mark-up for the unrated debentures or bonds should appropriately reflect the credit risk borne by the bank.
 - Where the debentures/ bonds are quoted and there have been transactions within 15 days prior to the valuation date, the value adopted shall not be higher than the rate at which the transaction has been recorded on the Exchanges/trading platforms/reporting platforms authorized by RBI/ SEBI.
- b) Ujjwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) bonds and bonds issued by state distribution companies (DISCOMs) under financial restructuring plan.
 - i. UDAY bonds shall be valued on basis of prices/ yields published by FBIL.
 - ii. State government guaranteed bonds issued and serviced by DISCOM (i.e., when bonds' liabilities are with the DISCOMs) shall be valued by applying a mark-up of 75 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.
 - iii. Other bonds issued and serviced by DISCOMs shall be valued by applying a mark-up of 100 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.

- iv. Bonds issued and serviced by the State Government (i.e., when bonds' liabilities are with the State Government) shall be valued by applying a mark-up of 50 basis points on YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturities as published by FBIL.

- c) Special securities, which are directly issued by Government of India, and which do not carry SLR status shall be valued at a spread of 25 basis points above the corresponding yield on Central Government securities of equivalent maturity.
- d) Zero coupon bonds (ZCBs): In the absence of market value, the ZCBs shall be marked to market with reference to the present value of the ZCB. The fair value so determined should be compared with the carrying cost to determine valuation gain or loss.

II. Preference Shares

- a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded.
- b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following:
 - i. The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity.
 - ii. The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank.
 - iii. Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points.
- c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/ coupons and the value determined as above on

YTM basis should be discounted further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation/provision requirement arrived at in respect of non-performing shares where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.

- d) Investments in preference shares as part of the project finance shall be valued at par for a period of two years after commencement of production or five years after subscription whichever is earlier.

III. Equity Shares

Equity shares for which current quotations are not available i.e., which are classified as illiquid or which are not listed on a recognised exchange, the fair value for the purposes of these directions shall be the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹1 per company.

IV. Mutual Fund Units

- a) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme.
- b) In case of funds with a lock-in period or any other Mutual Fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

V. Commercial paper Commercial paper shall be valued at the carrying cost.

VI. Investment in security receipts (SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC) Investments in security receipts

(SRs) and other instruments issued by an Asset Reconstruction Company (ARC) shall comply with the requirements of Reserve Bank of India (**Commercial Banks – Transfer and Distribution of Credit Risk**) **Directions, 2025**, as amended from time to time.

The Bank shall carry its investment in SRs (including SRs guaranteed by Government of India) at lower of the redemption value of SRs based on the NAV declared by the ARC and the NBV (Net Book Value) of the stressed loans at the time of transfer to ARC. The Bank will continue to book income on SRs only on actual receipt of recoveries/redemption or approval of claims, if any.

VII. Investment in Alternative Investment Funds (AIFs)

- a) Quoted equity shares, bonds, units of AIFs in the bank's portfolio shall be valued mutatis mutandis as per instructions given in these directions for quoted securities.
- b) Unquoted instruments of AIFs shall be valued as under:
 - i. Units: The valuation shall be done at the NAV as disclosed by the AIF. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as per the frequency mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions.
 - ii. Other instruments: The valuation of unquoted equity and other instruments issued by an AIF shall be as per the methodology specified for such instruments above.
 - iii. As per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Undertaking of Financial Services) Directions, 2025 (Updated as on December 05, 2025)-Investments in Alternative Investment Funds (AIFs), as amended from time to time.

VIII. Conversion of principal and unpaid interest into debt, preference or equity shares In cases of conversion of

principal and unpaid interest into debt, preference or equity instruments bank shall follow the requirements of the **Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025**, as amended from time to time.

- IX.** To increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures, the bank shall categorize its investment portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in Clause 4 above. The details of the investment portfolio shall be disclosed in their notes to accounts of their financial statements. These disclosure requirements shall become effective from the audited financial statements for the financial year ending March 31, 2026, onwards.
- X.** Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50 per cent or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy.

5.7 Income Recognition, Asset Classification and Provisioning

5.7.1 Income Recognition

- a) a) Bank shall recognize income on accrual basis for the following investments:
- i. Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
 - ii. Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.
- b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.

- c) Subject to sub-clause (a) above, dividend income on equity investments held under AFS shall be recognised in the Profit and Loss Account.

5.7.2 Accounting for Broken Period Interest: Bank shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

5.7.3 Non-Performing Investments (NPI)

- a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances shall be used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI shall only be upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.
- i. In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
 - ii. Sub-clause (a)(i) above shall apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it shall be treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year shall be reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.
 - iii. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025, those equity shares shall be reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.

- iv. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer shall also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation shall not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- v. In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments shall be classified in the same asset classification category as the loan and provision shall be made as per the norms. In case of post conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment shall be categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT) as per the RBI Circular-Master Direction - **Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025.**
- b) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- c) Bank shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI shall be the higher of the following amounts:
 - i. The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and
 - ii. The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation shall be required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment:
 - i. Investments in Central Government Securities and State Government Securities shall not be classified as NPI.
 - ii. Investments in Central Government guaranteed securities shall also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, Bank shall continue to recognise MTM gains/losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income shall be recognised only on realisation basis.
 - iii. Investment in State Government guaranteed securities, shall attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when interest/ instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the bank remains unpaid for more than 90 days.

5.7.4 Investment Fluctuation Reserve

- a) Bank shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:
 - i. Net profit on sale of investments during the year.

- ii. Net profit for the year, less mandatory appropriations.
- b) b)IFR shall be eligible for inclusion in Tier II capital. The cap applicable on recognition of General Provisions and Loss Reserves as Tier II capital is not applicable on IFR.
- c) Bank shall, be permitted to draw down the balance available in IFR in excess of two percent of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year.
- d) In the event the balance in the IFR is less than two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) investment portfolio, a draw down shall be permitted subject to the following conditions:
 - i. The drawn down amount is used only for meeting the minimum CET 1/Tier 1 capital requirements by way of appropriation to free reserves or reducing the balance of loss.
 - ii. The amount drawn down shall not be more than the extent the MTM provisions/losses during the aforesaid year exceed the net profit on sale of investments during that year.

5.7.5 Derivatives

- a) Bank shall comply with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Bank shall present their derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively. Bank may make adjustments to the carrying value of their investments in compliance with the hedge accounting requirements.
- b) Bank shall categorize their derivatives portfolio into three fair value hierarchies viz. Level 1, Level 2, and Level 3 as defined in RBI Circular-Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Bank (Directions), 2025 and disclose the same in the notes to accounts of their financial statements.
- c) Bank shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 derivatives assets and liabilities on their Balance Sheet. Further, such net

unrealised gains on Level 3 derivatives recognised in the Profit and Loss Account shall be deducted from CET 1 capital.

- **Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:** All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations, Long term Repo operations (LTRO), MSF and also Market Repo transactions and also SDF are accounted as per RBI guidelines.

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Triparty Repo wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified as under:

- (a) All type of reverse repos with the Reserve Bank of India including those under Liquidity Adjustment Facility shall be presented under sub-item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) 'Balances with Reserve Bank of India' under schedule 6 'cash and balances with Reserve Bank of India'.
- (b) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days shall be classified under item (ii) 'Money at call and short notice' under Schedule 7 'Balances with banks and money at call and short notice'.
- (c) Reverse repos with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be classified under Schedule 9 - 'Advances' under the following heads:
 - i. A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand'
 - ii. B.(i) 'Secured by tangible assets'
 - iii. C.(I).(iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be)

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long term investments. Long term investments are carried at cost

less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares /debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value / fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

Ind Bank Housing Ltd

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

Indbank Global Support Services Ltd.

Investments are classified into current and long-term investments. Investments that are readily realizable and intended to be held for not more than a year from the date of acquisition are classified as current investments. All other investments are classified as long-term investments. However, that part of long-term investments which are expected to be realized within twelve months from Balance Sheet date is also presented under "Current Investments" under "Current portion of long-term investments" in consonance with the current/non-current classification of Schedule III of the Act. The cost of an investment includes acquisition charges such as brokerage, fees, and duties.

Current investments are stated at the lower of cost or fair value. The comparison of cost and fair value is done separately in respect of each category of investments. Long-term investments are stated at cost less provision for diminution. Provision for diminution in the value of long-term investments is made only if such a decline is other than temporary in the opinion of the management. Reversal of such provision for diminution is made when there is a rise in the value of long-term investments, or if the reasons for the decline no longer exist.

On disposal of an investment, the difference between its carrying amount and net disposal proceeds is recognized in the Statement of Profit and Loss.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES (SC) / RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT:

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at:

- (a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.
- (b) As per amended guidelines issued by RBI with effect from April,01,2017, provisioning requirement on SRs will be higher of
 - (i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs
 - ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non-Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the Profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to Profit and Loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7. ADVANCES

PARENT:

- 7.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 7.2 Provisions are made for non-performing advances as under:
 - a) Sub Standard:
 - i) A general provision of 15% on the total outstanding
 - ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

- b) Doubtful category-1
 - i) 25 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
- c) Doubtful Category – 2
 - i) 40 % for Secured portion.
 - ii) 100% for Unsecured portion.
- d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates, usance bills rediscounted.

8. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT:

8.1.1 Fixed assets are carried at cost / revalued amount less accumulated depreciation / amortization

8.1.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred

on the assets put to use are capitalized only when it increases the future economic benefits from such assets on their functioning capacity.

8.1.3 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable / not segregated) and other fixed assets in India will be provided for on the straight-line method at the rates / useful life, as specified below:

Sl. No.	Description of fixed assets	Depreciation Rate/ Useful Life
1	Computers	33.33% every year
2	Computer Software forming an integral part of the Computer hardware	33.33% every year
3	Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development	33.33% every year
4	Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine / Coin Vending Machine etc.	20.00% every year
5	Servers	33.33% every year
6	Network equipment	20.00% every year
7	Other fixed assets	Estimated useful life of major group of assets are as under: Premises :60 years Safes / Locker / Doors (Steel): 20 years Vehicles : 5 years Furniture and Fixtures : 10 years Cell phones : 1 year Gold Purity Testing Machine : 7 years

8.1.4 Depreciation on fresh additions to assets will be charged in a year on proportionate basis for the number of days the assets have been available for use i.e. when it is in the location and condition for it to be capable of operating (Put to use).

8.1.5 In respect of assets sold during the year, depreciation will be charged on proportionate basis for the number of days the assets have been used.

8.1.6 Depreciation of the asset is to be calculated on the basis of 365 days per year.

8.1.7 Assets costing up to Rs 5000/- will be fully depreciated in the year of purchase.

8.1.8 Portfolio of Immovable Properties owned by Bank shall be revalued periodically once in 3 years by an Independent valuer/s to reflect current market valuation.

The revalued asset will be depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation will be credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Depreciation relating to revalued component will be charged against revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

8.1.9 In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same will be credited to the respective asset account and depreciation will be charged accordingly.

8.1.10 Premium on leasehold land will be capitalized in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.11 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches will be provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.12 In respect of Non-Banking Assets, no depreciation will be charged.

Subsidiary Companies :

8.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if Any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in

Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.3 Indbank Housing Ltd.:

Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

8.4 Indbank Global Support Services Ltd

Tangible Assets

Tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Any trade discounts and rebates are deducted in arriving at the purchase price. The cost of an item of PPE is recognized as an asset if, and only if, it is probable that the economic benefits associated with the item will flow to the Company in future periods and the cost of the item can be measured reliably. Expenditure incurred after the PPE have been put into operations, such as repair and maintenance expenses are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

The residual value and estimated useful life of the Property, Plant and Equipment are reviewed at the end of each financial year.

Gains or losses arising from the retirement or disposal of Property, Plant and Equipment are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and recognized as income or expense in the Statement of Profit and Loss.

A fixed asset register is maintained to record and track fixed assets owned by the company. Inspections are carried out on an annual basis to ascertain the health of the fixed assets.

Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Intangible assets arising on acquisition of business are measured at fair value as at date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any. Profit or Loss on disposal of intangible assets is recognized in the Statement of Profit and Loss.

Capital Work in Progress

Cost of Assets not ready for intended use, as on the balance sheet date, is shown as capital work in progress. If the asset is put to use, then the asset is recognized as per Accounting Standards (AS 10) for Property, Plant & Equipment.

Depreciation

Depreciation on all assets is provided pro-rata to the period of use, under Straight Line Method, at rates prescribed in Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013. Intangible assets are amortized over their respective individual estimated useful lives (not exceeding five years) on a straight-line basis, commencing from the date the asset is available for its intended use.

The useful life of fixed assets, as estimated by the management is same as per the Part C of the Schedule II to the Act.

The method of depreciation applied to an asset is reviewed at the end of the financial year. In case of any significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method is changed to reflect the changed pattern. The change is accounted for as a change in an accounting estimate.

9. REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT :

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit / guarantees issued (other than those relating to project finance), income from wealth management, additional interest / overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards, all other commission / fee income are accounted for on realisation basis and locker rent received, income from Bancassurance products are accounted on accrual basis. Commission / Fees Income earned on sale of PSLCs are accounted on accrual basis and recognized proportionately during the quarter over the remaining period of PSLCs.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9.1.4 Any Recovery in NPA accounts should be first appropriated to Book Balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE), Unpaid Other Expenses (MOX), Unpaid Charges and thereafter to Unpaid Interest (MOI). However, in the case of restructured NPA accounts where, as per sanction terms, interest is to be serviced immediately and the principal repayment to start at a later date, recovery of interest made in such accounts should be taken to income account and not to be treated as principal repayment.

In case of subsequent changes in NPA management policy with regard to appropriation of recovery in NPA accounts, the same will be a part of the Significant Accounting policy of Bank

Subsidiary Companies:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

- a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

- b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products – Considered on receipt of subscription particulars.
- c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contracts.
- d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis. Since the outstanding amount is fully provided for in the books of accounts, the amounts received are adjusted towards the principal outstanding and balance, if any, towards interest.
- e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.
- f. Annual Maintenance and transaction charges under depository participant operations are considered yearly and on completion of transactions respectively.

9.3 Indbank Housing Ltd:

- a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non-Performing Assets.
- b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month

9.4 Indbank Global Support Services Ltd:

Revenue is recognized as per Accounting Standard – 9 "Revenue Recognition".

- a. Revenue is recognized only when it can be reliably measured and it is reasonable to expect ultimate collection & Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- b. Interest Income is recognized on time proportion basis considering the amount outstanding and rate applicable.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12. STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT:

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

- a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the

basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

- b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

Subsidiary Companies:

12.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined

contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the law are paid to the provident Fund and Pension Fund with Provident Fund Authorities.

Leave encashment – The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days unutilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.3 Ind Bank Housing Ltd.:

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

12.4 Indbank Global Support Services Ltd

Employee Benefits

Short-term employee benefits

All employee benefits payable wholly within twelve months from end of financial year in which service is rendered are classified as short-term employee benefits and they are recognized in the period in which the employee renders the related service. The Company recognizes the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for services rendered as a liability (accrued expense) after deducting any amount already paid.

Post-Employment Benefits

Defined contribution plans are Employees State Insurance Scheme and Government administered pension fund scheme for all applicable employees and superannuation scheme for eligible employees. The Company's contribution to defined contribution plans are recognized in the Statement of Profit and Loss in the financial year to which they relate.

Leave Encashment

Leave encashment benefits are paid / provided in its entirety in the accounts for the year.

Provident Fund

Provision for provident fund has been provided for since "The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1972" is applicable to the Company.

Gratuity

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided based on an actuarial valuation which has been carried out using the Projected Unit Credit Method as per AS-15 to determine the Present Value of Defined Benefit Obligations and the related Current Service Cost and, where applicable, Past Service Cost made at the end of each financial year. The valuations do not affect the ultimate cost of the plan, only the timing of when the benefit costs are recognized. Actuarial gain/loss are immediately taken to Statement of Profit & Loss and are not deferred.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

- (a) The existence of such obligations has not been confirmed
- (b) no outflow of resources are required to settle such obligations
- (c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made
- (d) such amounts are not material

14.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

- (i) Making specific provisions for non-performing assets;
- (ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17. EARNINGS PER SHARE

The Bank shall report basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit or loss attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

18. CASH FLOW STATEMENT

Cash flow Statement to be prepared under indirect method as prescribed in AS-3.

19. SEGMENT REPORTING

The Bank shall recognise the business segments as the primary reporting segments and geographical segments as the secondary reporting segments in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

20. Discontinuing Operations

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

E. Review of the Policy

The policy is subject to review every year by the ACB

Annexure I

HELD FOR TRADING (HFT)

1. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT instruments set out in the following paragraphs. All other instruments shall be excluded from HFT.
2. Bank shall only include those financial instruments in HFT when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.
3. Bank shall fair value daily all HFT instruments and recognise any valuation changes in the profit and loss account.
4. Any instrument that a bank holds for one or more of the following purposes shall, when it is first recognised on its books, be designated as a HFT instrument, unless specifically otherwise:
 - (a) short-term resale;
 - (b) profiting from short-term price movements;
 - (c) locking in arbitrage profits; or
 - (d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above
5. The following instruments shall be included in HFT, unless specifically otherwise:
 - (a) instruments in the correlation trading portfolio
 - (b) instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book; or
 - (c) Instruments resulting from underwriting commitments, where underwriting commitments refer only to securities underwriting, and relate only to securities that are expected to be actually purchased by the bank on the settlement date.
6. Any instrument which is not held for any of the purposes listed as per RBI Circular at inception, nor seen as being held for these purposes according to, shall not be assigned to HFT.
7. The following instruments shall not be included in HFT category:
 - (a) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures;
 - (b) instruments designated for securitisation warehousing;
 - (c) direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate;
 - (d) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - i. the bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition; or
 - ii. the bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds;
 - (e) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (a) to (d) above as underlying assets; or
 - (f) Instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (a) to (e) above.
8. The following instruments shall be presumed to be in HFT unless specifically otherwise provided:

- a) Instruments resulting from market-making activities;
 - b) equity investments in a fund excluding those exempted from assignment to HFT in accordance; or
 - c) Listed equities.
 - d) trading-related repo-style transaction; or
9. Bank shall have the option to deviate from the presumptive list specified in RBI Circular according to the process set out below.
- a) If a bank believes that it needs to deviate from the presumptive list established in RBI Circular for an instrument, it shall submit a request to Department of Regulation, RBI and receive explicit approval. In its request, the bank shall provide evidence that the instrument is not held for any of the purposes.
 - b) In cases where this approval is not given, the instrument shall be designated as HFT. Bank shall document any deviations from the presumptive list in detail on an on-going basis.
- Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities (STRIPS)**
1. Bank can strip eligible Government Securities held under the AFS or FVTPL (including HFT) categories of their investment portfolio. STRIPS shall be valued and accounted for as zero-coupon bonds and in the manner prescribed in these Directions.
 2. The discount rates used for valuation of STRIPS at inception shall be market-based. However, in case traded zero-coupon rates are not available, the zero-coupon yields published by FBIL shall be used instead.
 3. On the day of stripping, the STRIPS shall be recognised in the books of account of the participant at their discounted value and at the same time, the Government Security in question shall be derecognised. The accounting treatment for reconstitution shall be exactly the opposite of stripping.
 4. The stripping/reconstitution shall not result in any profit or loss. The present value of the STRIPS (coupon as well as principal) discounted using the Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) shall be normalized using a factor that will be the ratio of the carrying value of the security or market value of the security (whichever is lower) to the sum total of the market value of all STRIPS created out of the security.
 5. Normalisation shall also be applied in the case of reconstitution (even when STRIPS are acquired from the market).
 6. The book value of the STRIPS (ZCBs) shall be valued and marked to market as per these Directions. Accordingly, the book value of the STRIPS shall be marked up to the extent of accrued interest before MTM.

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2025-26)

1. SUBSIDIARIES:

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	11.08.1989	64.84%	M/s Anand & Ponnappan	12.09.2025
b	Ind Bank Housing Ltd	India	28.01.1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	12.09.2025
c	Indbank Global Support Services Ltd	India	09.02.2024	100.00%	M/s Suri & Siva	12.09.2025

2. ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank*	35 %
c	Puducherry Grama Bank^	35 %

* In respect of associate Saptagiri Grameena Bank (SGB), Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 para S.O.1635(E) has notified amalgamation of SGB with Andhra Pradesh Grameena Bank. Accordingly, SGB (sponsored by Indian Bank) amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank sponsored by Union Bank of India (UBI) with effect from 1st May 2025.

^ Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-24102025-267093 dated 24.10.2025 para S.O.4832(E) has renamed Puduvai Bharathiar Grama bank to Puducherry Grama Bank.

3. Accounting for Investment in Joint Ventures (As 27)

(₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

4. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

- Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2026 except few old entries. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the outstanding.
- In view of the net credit position in respect of un-reconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2026, no provision is required. However, the bank is maintaining 100% provisions on the gross debit balance in inter branch account amounting to Rs.263.79 Crore (Previous Year 2024-25 Rs.263.79 Crore)
- Old outstanding entries, in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

- Balancing of subsidiary/ ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

5. DIVIDEND

- Dividend of Rs.18.25 per equity share i.e. 182.50 % to the paid up capital is proposed by the Bank for FY 2025-26.

6. FIXED ASSETS

PARENT:

6.1 The premises of the Bank include land and building are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2024-25 at fair market value determined by the approved external valuers. There is an increase of Rs.1510.28 Crore in the amount of revaluation of premises, which has been credited to "Revaluation Reserve Account." For the year 2025-26, depreciation amounting to Rs. 140.30 Crore (previous year Rs. 107.07 Crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to Rs. 133.24 Crore (previous year Rs. 100.21 Crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve Account."

6.2 Premises include 8 (7+1*) properties original costing Rs. 8.38 crores (previous year 9 (7+2) properties costing Rs. 8.38 crores) having revalued book value of Rs. 82.80 crores (previous year Rs. 83.77 Crores), net of depreciation at Rs. 0.97 Crore (Previous year Rs.0.79 crore) for which registration formalities are pending.

* Property at Hyderabad costing Rs.1.61 Crore, where clearance is pending before ULC authority at Govt of Telangana for regularization.

6.3 Draw Down from Reserves:

(₹ in Crore)

Reserves	Amount drawn		Purpose
	2025-26	2024-25	
Revaluation Reserve	Rs.133.24	Rs. 284.69	*Depreciation on revalued portion on Premises Rs.133.24 crore.

* The amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS-10 of ICAI

7. DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

Consolidated Cash Flow statement for the Year ended Mar 31, 2026

(₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2026	31.03.2025
Net Profit as per Profit and Loss Account before minority Interest	11706.77	11264.39
Adjustments for :		
Provision for NPA	1832.61	3444.03
Provision for Investment	68.39	(248.10)
Provision for Standard Assets	1586.92	853.44
Provision for Tax	4274.55	3892.51
Other Provisions and Contingencies	132.23	31.78
Depreciation on Fixed Assets	608.86	542.94
Interest on Capital Instrument	360.03	600.04
Loss/(profit) on Sale of Land, Buildings and Other Assets	(0.26)	(1.70)

(₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2026	31.03.2025
Income taxes paid	(1561.09)	(26.02)
Profit before working Capital Changes	19009.01	20353.31
(Increase)/Decrease in Operating Assets		
(Increase) / Decrease in Investments	(20267.83)	(12247.37)
(Increase) / Decrease in Advances	(85649.65)	(59626.14)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(878.19)	2159.32
	(106795.67)	(69714.19)
Increase/(Decrease) in Operating Liabilities		
Increase/(Decrease) in Deposits	90555.69	49145.25
Increase/(Decrease) in Borrowings (other than Capital Instruments)	10254.27	20409.42
Increase/(Decrease) in Other liabilities	5792.18	(2797.39)
	106602.14	66757.28
Net cash generated from Operations (A)	18815.48	17396.40
Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	(454.12)	(539.94)
Sale of fixed assets	26.05	191.54
Net cash generated from Investing Activities (B)	(428.07)	(348.40)
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(2188.82)	(1616.36)
Redemption of AT-1 Bonds	(2000.00)	0.00
Redemption of Tier-2 Bonds	(3000.00)	(2000.00)
Interest on Capital Instrument	(460.30)	(647.15)
Net cash generated from financing activities (C)	(7649.12)	(4263.51)
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	10738.29	12784.49
Cash and cash equivalents at the beginning of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1312.61	1304.15
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	24768.04	31134.61
(b) in other deposit accounts	5867.00	264.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	139.29	25.64

(₹ in Crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2026	31.03.2025
(b) in other deposit accounts	1336.69	1619.95
Money at Call and short notice with Banks	0.00	1997.06
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	1638.14	743.35
(b) in other deposit accounts	19895.37	5084.58
Money at call and short notice	4.26	3.57
	54961.40	42176.91
Cash & Cash equivalents at the end of the period		
Cash in hand (including foreign currency notes)	1692.04	1312.61
Balances with Reserve Bank of India		
(a) in current accounts	21998.88	24768.04
(b) in other deposit accounts	10364.00	5867.00
Balances with Banks		
(a) in current accounts	49.62	139.29
(b) in other deposit accounts	2893.23	1336.69
Money at Call and short notice with Banks	0.00	0.00
Balances with Banks outside India		
(a) in current accounts	3892.44	1638.14
(b) in other deposit accounts	24795.80	19895.37
Money at call and short notice	13.68	4.26
	65699.69	54961.40
Difference in opening and closing cash and cash equivalents	10738.29	12784.49

Note: 1. Figures of previous periods has been regrouped /reclassified wherever considered necessary to conform to current period classification.

2. The Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2026 has been prepared by Indirect method.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

8.1 PARENT:

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2025-26, the Bank has contributed Rs.0.62 crores (previous year Rs.0.84 crores).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2025-26, the Bank has contributed Rs.426.22crores (previous year Rs.387.42 crores).

8.12 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard-15 (Revised) are as under:

The following table sets out the basis of the Defined Benefit Pension Plan and Gratuity Plan as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2026	31/03/2025
Discount Rate-G-Sec Rate	7.59% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper	6.82% for Pension and Gratuity – 15 year G-Sec Paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Service Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.00% for Pension and 8.04% for Gratuity	7.95% for Pension and 7.90% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	
Mortality	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) ultimate	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

(₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
PVO as at the beginning of the year	21299.61	19780.93	2584.49	2005.26	1876.77	1580.19
Interest Cost	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
Current service cost	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
Past service cost – recognised / vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognised / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
Actuarial loss / (gain) on obligation	1608.04	1115.23	536.06	498.82	(73.84)	227.18
PVO as at the end of the year	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77

(₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25

Fair value of plan assets as at the beginning of the year	20720.29	19070.08	2411.74	1940.98	0.00	0.00
Expected return on plan assets	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
Contributions	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
Benefits paid	(2134.26)	(2188.90)	(179.01)	(217.49)	(324.12)	(321.36)
Actuarial gain/(loss) on plan assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00

(₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Expected return on plan assets	1657.76	1529.11	193.91	162.97	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Actual return on plan assets	1690.52	1531.58	219.95	162.98	0.00	0.00

(₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(1608.04)	(1115.23)	(536.06)	(498.82)	73.84	(227.18)
Actuarial gain / (loss) for the year – due to financial assumption changes in DBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	32.76	2.47	26.04	0.01	0.00	0.00
Total gain / (loss) for the year	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(1575.28)	(1112.76)	(510.02)	(498.81)	73.84	(227.18)

(₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Present value of the obligation	23687.58	21299.61	3348.67	2584.49	1959.70	1876.77
Fair value of plan assets	23006.31	20720.29	3190.63	2411.74	0.00	0.00
Difference - Net (Liability) / Asset recognized in Balance Sheet	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	1959.70	1876.77

(₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current service cost	1378.55	1317.93	217.76	168.56	350.74	293.95
Interest Cost	1535.64	1274.42	189.37	129.34	130.15	96.81
Expected return on plan assets	(1657.76)	(1529.11)	(193.91)	(162.97)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	1575.28	1112.76	510.02	498.81	(73.84)	227.18
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	2831.71	2176.00	723.24	633.74	407.05	617.94

(₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund		Gratuity		Leave Encashment	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Opening net liability	(579.32)	(710.85)	(172.75)	(64.28)	(1876.77)	(1580.19)
Expense as above	(2831.71)	(2176.00)	(723.24)	(633.74)	(407.05)	(617.94)
Contribution paid	2729.76	2307.53	737.95	525.27	324.12	321.36
Closing net liability	(681.27)	(579.32)	(158.04)	(172.75)	(1959.70)	(1876.77)

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (i) Previous Years 2021-26 - Pension	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	15319.48	16546.73	17913.66	19780.93	21299.61	23687.58
Plan Assets	14961.61	15893.63	17273.26	19070.08	20720.29	23006.31
Surplus/ (Deficit)	(357.87)	(653.10)	(640.40)	(710.85)	(579.32)	(681.27)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(1542.88)	(1741.31)	(1689.97)	(1010.11)	(1115.23)	1608.04
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(193.89)	12.57	13.28	9.93	2.47	32.76

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (ii) Previous Years 2021-26 - Gratuity	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	1848.22	1783.68	1796.90	2005.26	2584.49	3348.67
Plan Assets	1897.26	1802.75	1764.29	1940.98	2411.74	3190.63
Surplus/ (Deficit)	49.04	19.07	(32.61)	(64.28)	(172.75)	(158.04)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	23.06	(30.26)	(63.18)	(139.12)	(498.82)	(536.06)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	14.15	6.41	0.89	1.30	0.01	26.04

(₹ in Crore)

IX. EXPERIENCE ADJUSTMENTS ON PLAN ASSETS/LIABILITIES (iii) Previous Years 2021-26 - Leave Encashment	Year ended					
	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2026
Present Value of obligation	977.42	1004.75	1189.46	1580.19	1876.77	1959.70
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	(977.42)	(1004.75)	(1189.46)	(1580.19)	(1876.77)	(1959.70)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	7.62	(77.35)	(187.82)	(328.14)	(227.18)	73.84
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	2025-26		2024-25	
	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
Government of India Securities and State Government Securities	19.24%	12.71%	21.48%	16.81%
High Quality Corporate Bonds /PSU BONDS	12.47%	6.94%	15.06%	10.26%
Special Deposit Scheme	0.04%	0.02%	0.05%	0.03%
Funds managed by Insurer	68.19%	80.33%	63.34%	72.90%
Equity and Mutual Funds	0.06%	0.00%	0.07%	0.00%
Money Market	-	-	-	-
Total	100%	100%	100.00%	100.00%

i Other Long Term Employee Benefits

Amount of Rs.33.52 crore (previous year Rs.93.87 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31.03.2026	31.03.2025
1.	Sick Leave	15.85	9.39
2.	Casual Leave	1.54	1.54
3.	Leave Travel Concession	16.13	82.94
Total		33.52	93.87

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2025-26	2024-25	2023-24
Employer's contribution to Provident Fund	6806342	6584663	6049835

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Defined benefit obligation at the beginning of the year	30161267	25932210	16473879	15921802
Current service cost	2141626	1912334	780027	702180
Interest cost	1922628	1795802	1054789	1073654
Actuarial (gain)/ loss	(190898)	1076704	(852297)	(55971)
Benefits paid	(3186486)	(555783)	(1601873)	(1167786)
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	30848137	30161267	15854525	16473879

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets at the beginning of the year	29414032	26053889
Expected return on plan assets	1956646	1920882
Contributions	2505420	3330336
Actuarial (gain)/ loss	(665502)	(1335292)
Benefits paid	(3186486)	(555783)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	30024110	29414032
Actual return on plan assets	474604	2411996

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets	30024110	29414032	16473879	15921802
Present value of obligation	30848137	30161267	15854525	16473879
Amount recognized in Balance Sheet	(824027)	(747235)	(619354)	552077

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	2141626	1912334	780027	702181
Interest Cost	1922628	1795802	1054789	1073654
Expected return on plan assets	(1956646)	(1920882)	-	-
Actuarial (gain) / loss	474604	2411996	(852297)	(55971)
Net Cost	2582212	4199250	982519	1719864

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Mortality Table (LIC)	-	2012-14 (Ultimate)	-	2012-14 (Ultimate)
Discount rate (per annum)	7.07%	6.73%	7.07%	6.73%
Expected rate of return (per annum)	6.73%	6.73%	5.00%	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5.00%	5.00%	7.00%	5.00%
Attrition Rate	7.00%	7.00%	0.00%	7.00%

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.26 Lakhs (previous year- Rs.34.28 Lakhs) towards Gratuity liability in the year 2025-26.

8.2.2 INDBANK HOUSING LTD.

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation:

(Amount in ₹)

1	Total past service gratuity	NIL
2	Actuarial value past service gratuity	NIL

3	Gratuity Fund with LIC	NIL
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	NIL
8	Assumptions, Discounting rate, Projections of salary increase	NIL

8.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LIMITED:

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

(Amount in ₹)

Details	2025-26	2024-25
Employer's contribution to Provident Fund	9516070	13613059

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Defined benefit obligation at the beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
Current service cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Actuarial (gain)/ loss	NIL	NIL	NIL	NIL
Benefits paid	NIL	NIL	NIL	NIL
Settlement cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Defined benefit obligation at the year end	NIL	NIL	NIL	NIL

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)	
	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets at the beginning of the year	NIL	NIL
Expected return on plan assets	NIL	NIL
Contributions	NIL	NIL
Actuarial (gain)/ loss	NIL	NIL
Benefits paid	NIL	NIL
Settlement cost	NIL	NIL
Fair value of plan assets at year end	NIL	NIL
Actual return on plan assets	NIL	NIL

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of plan assets	NIL	NIL	NIL	NIL
Present value of obligation	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount recognized in Balance Sheet	NIL	NIL	NIL	NIL

IV) Expense recognized during the year

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest Cost	NIL	NIL	NIL	NIL
Expected return on plan assets	NIL	NIL	NIL	NIL
Actuarial (gain) / loss	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Cost	NIL	NIL	NIL	NIL

V) Actuarial assumptions

(Amount in ₹)

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Mortality Table (LIC)	NIL	NIL	NIL	NIL
Discount rate (per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Expected rate of return (per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Rate of escalation of salary(per annum)	NIL	NIL	NIL	NIL
Attrition Rate	NIL	NIL	NIL	NIL

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed Rs.53.99 Lakhs (previous year- 28.27 Lakhs) towards Gratuity liability in the year 2025-26.

9 SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)
9.1 Segment Identification
I. Primary (Business Segment)

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking*

- Other Banking Business.

** Further, the Retail Banking segment has been sub-divided into Digital Banking and Other Retail Banking Segment in terms of RBI Circular DOR.AUT. REC.12/22.01.001/2022-23 dated April 7, 2022.*

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury -

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking -

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Commercial Clients Group and Stressed Assets Resolution Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non-treasury operations of foreign offices.

iii. Retail Banking -

- (i) Digital Banking – In compliance with the RBI Circular dated April 7, 2022, the bank has commenced operations at three DBUs during the year ended March 31, 2023. The segment information pertains to the said DBUs' operations.
- (ii) Other Retail Banking – This Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business —

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment)

- i. Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii. Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and off-shore Banking units having operations in India.

III. Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of segment assets in each segment/ratio of directly attributable expenses. The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

9.2 Consolidated Segment Information

(₹ in Crore)

Part A Business Segment	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Digital Banking		Other Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	18739.55	17176.79	25027.09	23857.74	32213.67	29125.71	2.52	1.30	32211.15	29124.41	2352.39	1890.64	78332.70	72050.88
Result	6348.84	6136.63	5503.98	5427.66	6758.35	6519.33	1.20	0.26	6757.15	6519.07	1405.01	1017.86	20016.18	19101.48
Unallocated expenses													3514.64	4214.10
Operating profit													16501.54	14887.38
Minority interest													2.49	2.92
Other unallocable income													246.37	269.52
Income Taxes													4274.55	3892.51
Exceptional item													(766.59)	0.00
Net Profit													11704.28	11261.47
Other information														
Segment Assets	294517.21	264753.70	304457.62	272792.42	383509.48	330784.34	43.20	23.85	383466.28	330760.49	3581.34	3606.71	986065.65	871937.17
Unallocated assets													5487.14	5101.43
Total assets													991552.79	877038.60
Segment Liabilities	271177.92	243744.04	280330.59	251144.84	353117.91	304534.78	42.00	23.59	353075.91	304511.19	1848.32	1424.97	906474.74	800848.63
Unallocated liabilities													5035.16	4677.06
Capital reserves & Surplus													80042.89	71512.91
Total liabilities													991552.79	877038.60

Part B Geographic Segment	Domestic		International		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2045-25	2025-26	2024-25
Revenue	75829.47	69618.35	2503.23	2432.53	78332.70	72050.88
Assets	938352.36	832165.23	53200.43	44873.37	991552.79	877038.60

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible.
Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

10. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)
10.1 PARENT:
10.1.1 SUBSIDIARIES:

Sl No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Date of Incorporation	Proportion of Ownership	Name of Statutory Auditor	Date of appointment of statutory auditor
a	Indbank Merchant Banking Services Limited	India	11.08.1989	64.84%	M/s Anand & Ponnappan	12.09.2025
b	Ind Bank Housing Limited	India	28.01.1991	51.00%	M/s A R Krishnan & Associates	12.09.2025
c	Indbank Global Support Services Limited	India	09.02.2024	100.00%	M/s Suri & Siva	12.09.2025

10.1.2 ASSOCIATES:

Sl. No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Tamilnadu Grama Bank	35 %
b	Saptagiri Grameena Bank*	35 %
c	Puducherry Grama Bank^	35 %

*In respect of associate Saptagiri Grameena Bank (SGB), Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 para S.O.1635(E) has notified amalgamation of SGB with Andhra Pradesh Grameena Bank. Accordingly, SGB (sponsored by Indian Bank) amalgamated into Andhra Pradesh Grameena Bank sponsored by Union Bank of India (UBI) with effect from 1st May 2025.

^Central Government vide gazette notification No. CG-DL-E-24102025-267093 dated 24.10.2025 para S.O.4832(E) has renamed Puduvai Bharathiar Grama bank to Puducherry Grama Bank.

10.1.3 Accounting for Investment in Joint Ventures (AS 27)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding (Rs in crore)
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India	Joint Venture	38.26 %	37.50

10.1.4 Key Managerial Personnel:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri Binod Kumar	Managing Director & Chief Executive Officer	16.01.2025
Shri Ashutosh Choudhury	Executive Director	03.05.2023
Shri Shiv Bajrang Singh	Executive Director	09.10.2023
Shri Brajesh Kumar Singh	Executive Director	10.03.2024
Ms. Mini T M	Executive Director	24.11.2025

10.1.5 The details of cessation of directorship during FY 2025-26 are as under:

Sl. No.	Name	Category	Date of cessation	Reason
1.	Shri Mahesh Kumar Bajaj	Executive Director	01.07.2025	Completion of term of appointment
2.	Shri Pradeep Kumar Malhotra	Shareholder Director	28.11.2025	Resignation

10.1.6 Shareholding of Non-Executive Directors:

Sl.	Name	Designation	No. of Shares held
1	Shri Sanjeev Maheshwari	Shareholder Director	250
2	Shri Bhupinder Singh Bhalla	Shareholder Director	150

10.1.7 Related Party Transaction are as under:

Remuneration paid to key Management personnel during the Year ₹ 382.32 lakhs (Previous- Year ₹314.07 lakhs)

Details	2025-26	2024-25
Shri Binod Kumar, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹52.50 lakhs	₹8.68 lakhs
Shri Mahesh Kumar Bajaj, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2024 to 30.06.2025)	₹58.62 lakhs	₹56.11 lakhs
Shri Ashutosh Choudhury, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹85.95 lakhs	₹61.62 lakhs
Shri Shiv Bajrang Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹79.96 lakhs	₹46.23 lakhs
Shri Brajesh Kumar Singh, Executive Director Salary & Emoluments Paid (01.04.2025 to 31.03.2026)	₹73.36 lakhs	₹36.90 lakhs
Ms. Mini T M, Executive Director Salary & Emoluments Paid (24.11.2025 to 31.03.2026)	₹15.93 lakhs	-
Shri Shanti Lal Jain, Ex-MD & CEO Salary & Emoluments Paid	₹16.00** lakhs	₹84.38* lakhs
Shri Imran Amin Siddiqui^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	-	₹17.06 lakhs
Shri Ashwani Kumar^^, Executive Director Salary & Emoluments Paid	-	₹3.09 lakhs

* Including encashment of leave, Gratuity, PF and Pension Commutation

** Including PLI and Other allowances

^ Executive Director upto 09.03.2024, Incentive/ Other allowances

^^ Executive Director upto 01.06.2023, Incentive/ Other allowances

10.1.8 Other disclosures pertaining to related parties are as under

(₹ in Crore)

Items/Related Party	Joint ventures
Rendering of services (to Parent by JV)	1.70
Receiving of services (by JV from Parent)	18.89

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State-controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Managerial Remuneration:

(₹ in Lakhs)

Name	Designation		2025-26
Mr. V Haribabu	President & Whole Time Director	Salary	36.54
		Contribution to PF	1.92
Mr. M S Balaji (from 19.07.2025)	Vice President & CFO	Salary	15.70
		Contribution to PF	1.11
Mr. Tausif Inamdar (upto 18.07.2025)	Vice President & CFO	Salary	6.81
		Contribution to PF	0.53
Mrs. Chitra M A	Company Secretary & Compliance Officer	Salary	13.92
		Contribution to PF	1.40
Sitting Fees paid to Non – Whole Time Independent Directors			6.24

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Key Managerial persons	
Mr. V. Haribabu	Managing Director
La. Harene	Chief Financial Officer
K. Aarthi	Company Secretary & Compliance Officer

Transactions with related parties requiring disclosure as per the relevant accounting standard.

(₹ in Lakhs)

Transaction/ Balance	FY 2025-26	FY 2024-25
Remuneration given to KMP:		
La Harene	21.38	20.47
S.Krishnan	-	8.76
K. Aarthi	7.60	-
Staff Advances given to KMP:		
La Harene	1.15	NIL
Repayment of Staff Advances by KMP: La Harene	0.81	NIL
Closing Balance: Staff Advance given to KMP:		

La Harene	0.35	NIL
Rent Advance given to KMP:		
La Harene	1.38	1.38

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10.2.3 Indbank Global Support Services Limited

Key Managerial Personnel & Managerial Remuneration:

(₹ in Lakhs)

Name	Designation		2025-26
Mr. Kanhaiyalal Agarwal	MD & CEO	Salary	76.52
		Employer Contribution to PF	4.88
Raja Ganapathi	CFO	Salary	37.01
		Employer Contribution to PF	2.09
Abhinaya B	CS	Salary	8.71
		Employer Contribution to PF	0.54

11. LEASE (AS 19)

11.1 PARENT

- The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.
- The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar month notice in writing.
- Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is Rs. 499.25 Crore. (Previous year Rs. 456.93 Cr).
- Finance Lease**

An asset acquired on finance lease comprises land and building. The leases have a primary period, which is fixed and non-cancellable. The Bank has an option to renew the lease for a secondary period.

The minimum lease rentals and the present value of minimum lease payments in respect of assets acquired under finance lease are as follows:

Particulars	Minimum lease payments		Present value of minimum lease payments	
	As at 31 st March 2026	As at 31 st March 2025	As at 31 st March 2026	As at 31 st March 2025
Payable not later than 1 year	0	0	0	0
Payable later than 1 year and not later than 5 years	0	0	0	0
Payable later than 5 years	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Less: Future finance charges	0	0	0	0
Present value of minimum lease payments	0	0	0	0

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹ in Lakhs)

Details	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Lease payments for the year	25.56	22.29
Minimum Lease payments: Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12 EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2025-26	2024-25
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	11704.28	11261.47
Number of Equity Shares	1346963981	1346963981
Weighted Number of equity shares	1346963981	1346963981
Basic Earning Per Share (in ₹)	86.89	83.61
Diluted Earning Per Share (in ₹)	86.89	83.61
Nominal value per Equity Share (in ₹)	10.00	10.00

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and audited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. and wholly owned subsidiary (3) Indbank Global Support Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2026 includes ₹ 246.37 crores being share of the unaudited profit of 3 Associates viz, (1) M/s Puducherry Grama Bank ,(2) M/s Tamilnadu Grama Bank and (3) Saptagiri Grameena Bank(SGB) - upto 30.04.2025 and ₹71.72 Crores being the share in unaudited profit of two joint ventures viz. 1) Universal Sampo General Insurance Company Ltd. and 2) ASREC (India) Ltd.

On account of amalgamation of SGB with Andhra Pradesh Grameena Bank with effect from 01.05.2025, the face value of Bank's investment in equity shares of SGB amounting to Rs. 6.22 Crores has been received. The difference of Rs. 766.59 Crores, between carrying amount of investment in associate (SGB) pre-amalgamation in the Consolidated Financials and actual amount received, is transferred to Profit & Loss Account and the same is reported under exceptional items in Consolidated results.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)
14.1 PARENT

- a. Current Tax:** Provision for income tax for domestic operations made during the current year amounts to Rs.4608.53 Crore including provision for tax relating to earlier years made in the current year amounts to Rs.14.18 Crores. Provision for income tax made in foreign branches during the current year amounts to Rs.27.86 Crore. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961.
- b. Deferred Tax:** The Bank has a net DTA of Rs.5468.52 Crore (Previous year net DTA of Rs.5080.20 Crore), which comprises of Deferred Tax Liabilities (DTL) of Rs.1370.40 Crore (Previous year Rs.1243.51Crore) and Deferred Tax Assets (DTA) of Rs.6838.92 Crore (Previous Year Rs.6323.71 Crore). The major components of DTA and DTL (including foreign branches) is given below:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
	Deferred Tax Assets		
1	Liabilities provision allowable on payment/ crystallization	551.09	521.69
2	FCTR (Foreign Currency Translation Reserve)	214.39	145.89
3	Provision for Gratuity	0.04	0.04
4	Provision for Bad Debts	3864.41	3864.41
5	Provision for restructured Assets, AQR,S4A, stressed Assets	2100.51	1694.40
6	Depreciation on Fixed Assets	108.48	97.28
	Total DTA	6838.92	6323.71
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	44.41	44.41
2	Provision for written off accounts	363.15	363.15
3	Staff Welfare Retrieval	4.11	4.11
4	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	958.73	831.84
	Total DTL	1370.40	1243.51
	Net DTA/(DTL)	5468.52	5080.20

c. Provision for Income Tax for the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Provision for Taxation-Global (Income tax including Deferred Tax)	4248.07	3868.64

The disputed income tax demand paid by the Bank/ adjusted by the department for various earlier assessment years have been shown under the head "Contingent liabilities relating to Income Tax" of Rs.10512.11 crore (previous year Rs. 10,522.44 Crores) as at 31.03.2026. No provision has been considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

- a) The major components of deferred tax asset/liability are as below:

(Amount in ₹)

	Deferred Tax			
	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		5779279		8685271
ii) Provision for Bad debts and NPAs	17104385		20617195	
iii) Others	4386071		4447619	
Total	21490456	5779279	25064814	8685271
NET DTA / (DTL)	15711177		16379543	

- b) A net provision of Rs.246.22 lakhs for tax has been made in the year.
- c) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.
- d) The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.6.68 lakhs (Previous year- Rs.-13.41 lakhs) which has been charged to profit & loss account.
- e) Prior period taxes : NIL

14.2.2 INDBANK HOUSING LTD

- a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.
- b. The Income Tax Department has sent a demand notice for Rs.4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognized as income. The Company has contested the demand before the Hon'ble Madras High Court and the judgment is issued in favour of the company on 29.11.2021. IBHL through their Tax consultant submitted a letter dated 17.04.2023 to Income Tax department for giving effect order. The Company has received a favourable Giving Effect Order vide e-mail dated 18.03.2026 under Section 260A of the Income Tax Act, 1961 for Assessment Year 1999-2000 pursuant to which the Company is entitled to a refund. The Company is in the process of taking necessary steps for receipt of the aforesaid refund.
- c. The Income Tax Department has passed revised assessment order for the assessment year 2006-07, stating excess of Rs. 26.34 lakh claimed provision was withdrawn which was found to be incorrect and raised a demand with interest. The income tax department started adjusting this demand against the TDS refund. IBHL submitted reply to Income tax department on 13.02.2023, 05.08.2024 and 20.02.2025 for passing fresh assessment order and restoring original returned loss filed by IBHL in the AY 2006-07 since the ITAT order received by the department got barred by limitation on 31.03.2024. Awaiting response from Income Tax Department.

14.2.3 INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LTD:

- a. A net provision of Rs.117.92 lakhs for tax has been made in the year.
- b. The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.(9.49) lakhs (Previous year- Rs. (0.74) lakhs) which has been charged to profit & loss account.

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24-DISCONTINUED OPERATIONS

15.1. SUBSIDIARY COMPANIES:

15.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Information reported to the Chief Operating Decision Maker (CODM - Board of Directors) for the purposes of resource allocation and assessment of segment performance focuses on the Company as a whole. Hence, the management has concluded that the Company has only one segment.

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to IEPF. The Company is now governed only by SEBI regulations.

16. Financial Reporting of Interest in Joint ventures (AS-27):

Investments include Rs.142.50 crore representing Bank's interest in the following joint controlled entities:

(Amount ₹ in Crore)

Name of Entity	Country / Residence	Relationship	Ownership interest	Amount of shareholding
Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	India	Joint Venture	28.52 %	105.00
Asrec (India) Ltd.	India		38.26 %	37.50

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

(₹ in Crore)

Particular	31.03.2026	31.03.2025
Liabilities		
Capital & Reserves	625.91	561.82
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	114.08	44.38
Other Liabilities & Provisions	1753.18	1389.20
TOTAL	2493.17	1995.40
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.36	0.00
Balances with Banks and money at call and short notice	68.59	46.00
Investments	1972.46	1554.88
Advances	0.00	0.00
Fixed Assets	25.62	25.44
Other Assets	426.14	369.08
TOTAL	2493.17	1995.40
Capital Commitments		
Other Contingent Liabilities	68.95	61.57

Income		
Interest earned	9.51	10.06
Other Income	868.55	799.74
TOTAL	878.06	809.80
Expenditure		
Interest expended	6.62	3.59
Operating expenses	779.57	714.93
Provisions & Contingencies	25.16	22.59
TOTAL	811.35	741.11
Profit	66.71	68.69

17. Impairment of Assets (AS-28):
PARENT

In the opinion of the Bank's Management, there is no indication of impairment to the Assets during the year to which Accounting Standard 28 – "Impairment of Assets" applies.

18. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):
PARENT

(₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2025	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2026
Movement of Provisions for claim against bank not acknowledged as debt	230.23	42.70	11.21	261.72

19. BANCASSURANCE BUSINESS
19.1 PARENT

During the F.Y. 2025-26, the Bank has earned commission, etc, to the extent of Rs.195.39 Crore (previous year Rs.180.58 Crore) on sale/marketing of various Bancassurance products / Mutual Funds.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2025-26	2024-25
1	For Selling Life Insurance Policies	156.14	144.30
2	For selling Non-life insurance policies	34.51	31.88
3	Others – For selling Mutual Fund Products	4.74	4.40
	Total	195.39	180.58

19.2. SUBSIDIARY COMPANIES:
19.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2025-26	2024-25
1	For Selling Life Insurance Policies	NIL	NIL
2	For Selling Non-life insurance policies	NIL	NIL
3	From Selling of Health Insurance policies	NIL	NIL
4	Others – For selling Mutual Fund Products	0.03	NIL
5	Others – For mobilizing leads of Bank's Home Loan Products	NIL	NIL
	Total	0.03	NIL

20. Legal

PARENT

Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI aggregating to Rs.1602.44 Crore. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability wherein claim aggregating to Rs.406.47 Cr was made against the Bank during FY 2011-12. In the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of Rs.400 crores, wherein our Bank's share is Rs.100 crores. Remittance of our Bank's share of Rs.100 crores was made during FY 2012-13 with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The said remittance of Rs. 100 Crore made by the Bank has been adjusted during F.Y. 2023-24 by debiting the current account and FD account (Rs.84.09 Crore) of M/s Nimbus Communications Ltd. leaving O/s balance as on 31.03.2026 of Rs.15.94 Crore.

The Summary Suit filed by BCCI has been decreed on 08.05.2025 by the Hon'ble High Court of Bombay in favour of BCCI in terms of the said Arbitration Award dated 30.03.2017 and our Bank was directed to Pay 25% of Rs. 386,08,61,880/- (i.e. Rs. 96.52 Crores) along with interest at the rate of 9% per annum from the date of filing of the Statement of Claim, i.e. 18th August, 2012 till date of realization after giving credit to the amount of Rs. 100 Crores deposited with Hon'ble High Court (in pursuance of the order dated 20.12.2012 read with the order dated 24.04.2013) along with costs of Rs. 25,00,000/-.

Hence a total provision of Rs. 21.88 Crores is available (for the Claim against the Bank by BCCI a provision available is Rs. 5.94 Crores) (Previous Year Rs. 31.26 Crores- Provision reduction due to reduced decretal amount in Summary Suit from Rs. 406.47 Crores to Rs. 96.52 Crores)

21. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

- Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. No material effect is expected on the profit and loss account of the current year of such reconciliation.
- In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.
- As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.
- Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Indian Bank (hereinafter referred to as "Parent/Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the consolidated Profit and Loss statement, the consolidated Cash Flows Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements") which includes:-
 - a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank audited by us;
 - b) Audited Financial Statements of 3 Subsidiaries audited by other Auditors; and
 - c) Un-audited Financial Statements/ Financial Information of 2 Associates and 2 Joint Ventures as furnished by the respective managements.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on Separate Financial Statements and other financial information of Subsidiaries and the unaudited Separate Financial Statements and other financial information of Joint Venture and Associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the Act), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the group, its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2026;
- b. true balance of Profit of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of the cash flows of the group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to Note No.6 of statement regarding exceptional item amounting to Rs.766.59 crores, during the quarter ended June 30, 2025 being the difference between the carrying amount of investment in associates (RRB) mentioned in consolidated financials and actual amount received on disposal of investments.

Our conclusion on the statement is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

4. Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No.	Key Audit Matter	How was the Key Audit Matter addressed in the Audit
	In respect of Bank	
1.	Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances The net advances of the Bank constitute 66.29% of the total assets, which is the significant part of the Standalone Financial Statements. The Reserve Bank of India's ("RBI") guidelines on Income recognition and asset classification ("IRAC") prescribe the prudential norms for identification and classification of non-performing assets ("NPA") and the minimum provision required for such assets. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology Systems (IT Systems) which also identifies whether the advances are performing or non performing, NPA classification and calculation of provision. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements and hence we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a key audit matter.	Tests of control Assessing the design, implementation and operating effectiveness of Key internal controls over approval, recording and monitoring of loans, monitoring process of overdue loans, measurement of provisions, identification of NPA accounts and corresponding reversal of income and assessing the reliability of management information (including overdue reports). Substantive tests A sample of loan accounts that included large/stressed advances and some other advances on sample basis was taken in the top branches allocated to us, and in such samples we conducted the following checks: • The accuracy of the data input in the system for income recognition and identification as performing or non performing advances. • In the performing advances selected, assessed independently whether the classification was correctly done. • Reviewed the Financial Statements, collateral valuation and other qualitative information available about these parties. • Test of details over calculation of NPA provisions and reversal of income in line with IRAC norms. • Checked the borrower wise NPA identification determined by the bank to ensure compliance with RBI guidelines. • Checked the provisions on standard advances for various categories of loans, to ensure compliance with RBI norms. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as internal audit, concurrent audit, systems audit etc in monitoring and timely reporting of NPAs. • Reliance is also placed on audit reports of other Statutory branch auditors, which we have scrutinised and considered relevant observations.

2.	Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments - Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debenture, Shares, Security receipts and other approved securities classified under the categories, Held to maturity, Available for sale and Held for Trade. - Investments constitute 24.76% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI). These directions of RBI, inter alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. - The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of Non-Performing Investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to Investments. In particular, 1) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning/ depreciation related to investments; 2) We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; 3) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample; 4) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision; 5) We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; 6) We tested the mapping of investments between the Investment application software and the financial statement preparation software to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI Circular/ directions.

5. Other Matter

- We did not audit the financial statements / information of 2106 branches (including 3 foreign branches) included in the Consolidated financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 3,54,715.47 crores as at 31st March 2026 and total revenue of Rs. 23,472.95 crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches cover 43.93% of advances, 44.50% of deposits and 53.28% of Non-performing assets as at 31st March 2026 and 30.31% of revenue for the year ended 31st March 2026. This financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

- (b) We did not audit the financial statements / financial information of Three (03) subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 74.21 crores as at March 31, 2026, total revenues of Rs. 22.42 crores for the year ended on that date and net cash outflow of Rs. 4.95 crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. This financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.
- (c) We did not audit the financial statements / financial information of Two (02) associates whose financial statements / financial information include the Group's share of net profit after tax of Rs. 234.67 crores for the year ended March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements. We did not audit the financial statements of Two (02) Joint Ventures whose financial statements reflect groups share of total assets of Rs. 2486.43 crores as at March 31, 2026, groups share of total revenues of Rs.877.57 Crores for the year ended on that date and Group's share of Net Profit of Rs. 70.97 Crores, as considered in the Consolidated Financial Statements. This financial statements / information have been unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Joint ventures, is based solely on such unaudited financial statements / financial information certified by the Management. In our opinion, and according to the information given to us by the management, these financial statements are not material to the group.
- (d) The Consolidated Financial Statements of the Bank for the previous year ended 31st March, 2025 were audited by the joint auditors, two of them was predecessor audit firms and they have expressed unmodified opinion on such Consolidated Financial Statements vide report dated 03.05.2025.
- (e) Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited Financial Statements/financial information certified by the Management.

6. Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report which we have obtained at the time of issue of this report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon). The Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon and Report on Corporate Governance is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's Report of the Bank, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

7. Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of

Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of respective Acts and applicable guidelines for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, respective Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are responsible for assessing the respective Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors of the Group Entities and its associates and joint ventures are also responsible for overseeing the respective Entity's financial reporting process.

8. Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risk, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit of the Bank in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of Bank included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow of the Bank have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 4, 6 & 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20”, read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under :
 - a) proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- f) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of directors are not applicable to the Bank. On the basis of the Reports of the Statutory Auditors of Subsidiaries, none of the directors of the subsidiaries are disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director of the subsidiaries in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) As per para 1.14 of the Technical Guide on Audit of Internal Financial Controls in Case of Public Sector Banks issued by ICAI, the reporting requirement as introduced by RBI regarding Internal Financial Control over Financial Reporting will apply only to standalone financial statements of Public Sector Banks (PSBs) and not to consolidated Financial Statements of PSBs. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over Financial Reporting with reference to the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2026.

For M/S. G BALU ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FR No. 000376S/S200073

R RAVISHANKAR
Partner
(M. No. 026819)

UDIN: 26026819VETGSV9173

For M/S. DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 000112N

CHANDAN GUPTA
Partner
(M. No. 547754)

UDIN: 26547754JLGRYQ1581

For M/S. ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 003917N

LOKESH KUMAR GARG
Partner
(M. No. 413012)

UDIN: 26413012PMGXXL7291

For M/S. S P A R K & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS
LLP
Chartered Accountants
FR No. 005313C/C400311

NILESH GUPTA
Partner
(M. No. 406020)

UDIN: 26406020NBAEOW9545

For M/S. BHATIA & BHATIA
Chartered Accountants
FR No. 003202N

RAVINDER BHATIA
Partner
(M. No. 017572)

UDIN: 26017572KDFJDR3918

Date of Report : 29.04.2026

Place of Signature: Chennai

Disclosures under Basel III Capital Regulations

In accordance with Reserve Bank of India (Commercial Banks- Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 dated November 28, 2025, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website www.indianbank.bank.in under the following link:

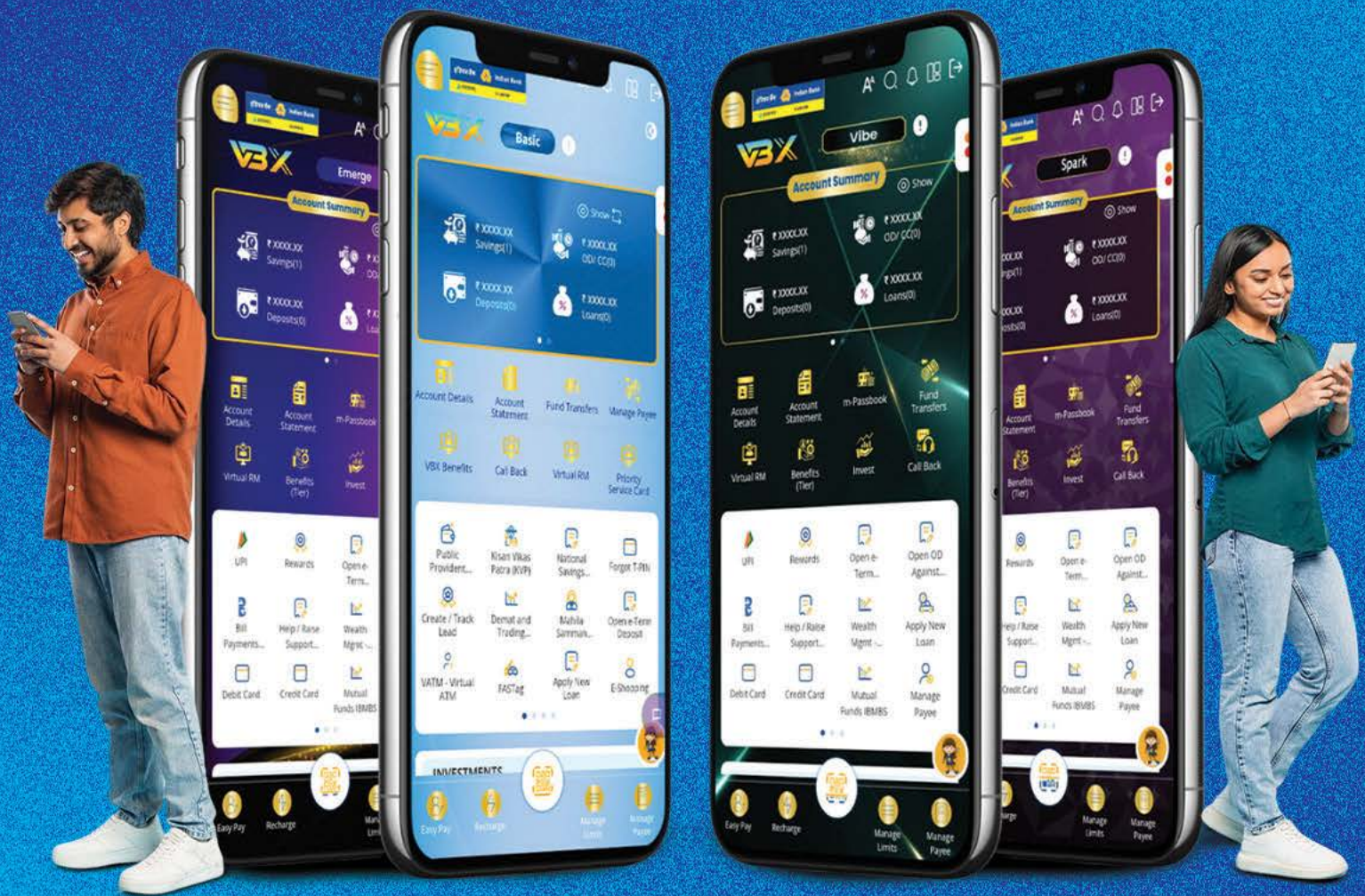
<https://www.indianbank.bank.in/departments/regulatory-disclosures-section/>

INTENTIONALLY LEFT BLANK

NOTES

[illegible]

Banking, **upgraded** for the digital age.



Scan for info



Virtual Banking Experience (VBX)



हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है। / we are proud to be associated with



इंडियन बैंक  Indian Bank

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ
YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office:
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.

